

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतवर्ष का नागरिक जीवन और प्रशासन

लेखक—

ज्योति प्रसाद मूद एम० ए०

अध्यक्ष, राजनीति-विभाग

मेरठ कॉलेज, मेरठ

रचयिता—

Elements of Political Science Introduction to Philosophy,

Govt of Great Britain Govt of U S A U S S R

and Switzerland, Govt of France, etc

अनुवादक—

श्री० राममूर्ति सिंह एम० ए०

क्वीन्स कॉलेज, बनारस

श्री० श्रींकार सिंह 'निर्भय' एम० ए०

प्रकाशक—

जय प्रकाश नाथ एण्ड को०

पुस्तक-विमेता और प्रकाशक

मेरठ

१९५०

मूल्य ६)
सबिल्द ६।।)

प्रकाशक—

जय प्रकाश नाथ एण्ड को०,
मेरठ ।

आमुख

विद्यार्थियों और जनता के समक्ष अपनी पुस्तक 'India Her Civic Life and Administration' का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करते समय मुझे दर्प है।

पुस्तक के पहिले सात अध्यायों का अंग्रेजी संस्करण से, प्रायः ज्यों का त्या हिन्दी अनुवाद है जिसे मेरे मित्र, क्वीन्स कॉलिज बनारस के अध्यापक, श्री राममूर्ति सिंह जी एम० ए० ने किया है।

आठवें अध्याय भी प्रायः अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी में रूपांतर है। १९१९ ई० और १९३५ ई० के गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्टों से सम्बन्धित ग्रन्थों का पुनरावृत्ति करते समय उन्हें बहुत सक्षिप्त कर दिया गया है। २६ जनवरी १९५० से आरम्भ होने वाले नये संविधान के तारे में कुछ नये अध्याय बाँडे गये हैं। आधुनिक संशोधनों के अनुसार स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी अध्याय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। देशी रियासतों की व्यवस्था में ग्रामूल उत्कान्ति से कारण तत्सम्बन्धा अध्याय को नये ढंग से लिखना पड़ा है। पुस्तक के इस भाग का हिन्दी अनुवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी श्रीकारसिंह निर्भय एम० ए० ने किया है।

समय के अभाव के कारण यह कार्य दो पृथक् व्यक्तियों को सौंपना पडा, ऐसा परिस्थितियों में यह अवर्जनीय हो गया। मैं अपने इन दोनों मित्रों का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अनुवाद का काम शीघ्र समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पडा।

ग्राम संशोधन में सहायता के लिए श्री कृष्णलाल शर्मा जी० ए० और श्री शिवकुमार माथुर एम० एस० सी० भी धन्यवाद के पात्र हैं।

विजय मन्दिर,
सिविल लाइन्स, मेरठ। }
जुलाई १९५०

ज्योति प्रसाद सूद

विषय-सूची

अध्याय १— नागरिक जीवन की सामान्य भूमिका १—१५

परिचय, प्राकृतिक दशा, भारत के निवासी, व्यवसाय, भाषा, भारत की मूलभूत एकता ।

अध्याय २— भारत का सामाजिक जीवन १६—६८

सामान्य विशेषताएँ, वर्ण व्यवस्था, छूआछूत, सम्मिलित परिवार, विवाह, वैधव्य, भारतीय समाज में नारी का स्थान, स्त्री आन्दोलन, सुमलमानों का सामाजिक जीवन ।

अध्याय २ का पूरक—

साम्प्रदायिक प्रश्न, अन्य सामाजिक समस्याएँ, सामाजिक सुधार और राज्य का कर्तव्य ।

अध्याय ३— भारत का आर्थिक जीवन ६९—९१

भारत में श्रमी, राष्ट्रीय धन के स्रोत :— खेती, पशु-पालन आदि, औद्योगीकरण के परिणाम, मजदूर सर्वा की माँगों, व्यापार, देश के विभाजन का उसकी आर्थिक दशा पर प्रभाव, आवागमन, बैकारी, ग्रामीण विकास : १९४७ के बाद ।

अध्याय ४— भारत का धार्मिक जीवन ९२—१३१

हमारे जीवन में धर्म का स्थान, हिन्दुत्व, धार्मिक-सुधार-आन्दोलन, ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण सेवा आश्रम, कुछ छोटे आन्दोलन, हिन्दू महासभा, कुछ प्रमुख व्यक्ति, सिक्ल सम्प्रदाय, भारत में इस्लाम, मुस्लिम-सुधार आन्दोलन, खुदाई खिदमतगार, खाकसार, हिन्दुत्व तथा इस्लाम का पारस्परिक प्रभाव, भारत में ईसाई धर्म, पारसी ।

अध्याय ५— भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन १३२—२३८

राष्ट्रीय-आन्दोलन का महत्त्व, राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति में सहायक परिस्थितियों, कांग्रेस का जन्म, इण्डियन नेशनल कांग्रेस की विशेषताएँ तथा उद्देश्य, प्रथम युग, उग्रवादी विचार धारा का प्रादुर्भाव, दूसरा युग, तीसरा युग, चौथा युग, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, गोलमेज कांफ्रेंस, तृतीय अहिंसात्मक प्रनियेध, तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस, १९३७ का चुनाव और उसके बाद, यूरोपीय महायुद्ध और उसके बाद, क्रिष्ण-मिरान और उसके बाद की घटनाएँ, वेवल योजना और शिमला-सम्मेलन, शिमला-सम्मेलन के असफल होने के कारण, शिमला-सम्मेलन के बाद, कांग्रेस-मैनिफेस्टो, निर्वाचन-परिणाम,

पेटली की घोषणा, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट-मिशन-योजना, कैबिनेट मिशन-योजना का मूल्यांकन, कांग्रेस दृष्टिकोण योजना के प्रति, लीगो दृष्टिकोण, कैबिनेट मिशन का स्पष्टीकरण, अन्तरिम सरकार के विषय में वाद विवाद, १६ जून की घोषणा, कांग्रेस की जून १६-याचना अस्वीकृत, सिक्ख तथा अन्य वर्गों का मिशन के प्रति दृष्टिकोण, मिशन योजना के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचार, राष्ट्रीय-सरकार की स्थापना, अन्तरिम सरकार में लीग का पदार्पण, लीग और विधान-परिषद्, लन्दन-सम्मेलन, लन्दन सम्मेलन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, विधान-परिषद्, फरवरी बीस की घोषणा, लॉर्ड वेवल को बुलावा, जून ३ की घोषणा, देश का विभाजन अनिवार्य, भारतीय राष्ट्रीयता स्वरूप और उद्देश्य, दी इण्डियन लिबरल फेडरेशन तथा अन्य दल, अन्य दल, कम्युनिस्ट पार्टी ।

अध्याय पाँच का पूरक—

कांग्रेस का गैर-राजनैतिक कार्य, राष्ट्रीय आत्मा विशेषताएँ ।

अध्याय ६— भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता २३६—२६२

साम्प्रदायिकता . भारतीय राजनीति की एक विशेषता, साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति, मुस्लिम लीग की स्थापना तथा अलग निर्वाचन-क्षेत्र की माँग, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, लीग और कांग्रेस, लीग और सरकार, हिन्दू महासभा तथा अन्य साम्प्रदायिक संस्थाएँ, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के दोष, साम्प्रदायिक निर्णय ।

अध्याय ७— भारत में शिक्षा २६३—३०४

परिचय, ब्रिटिश सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्य, शिक्षा सम्बन्धी विकास की सीढ़ियाँ, आधुनिक विकास, शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति, भारतीय शिक्षा-प्रणाली— प्राइमरी शिक्षा, सेकेण्डरी या माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, भारत में विश्वविद्यालय, अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड, शिक्षा-प्रणाली के दोष, शिक्षा प्रणाली के गुण, प्रमुख समस्याएँ, स्त्री-शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, धर्मा शिक्षा-योजना, युद्धोत्तर शिक्षा विकास की माजेंट-योजना, अस्वाकृत संस्थाएँ, १९४६ के पश्चात् शिक्षा-प्रगति, यूनिवर्सिटी कमीशन ।

द्वितीय भाग

अध्याय ८—शासन पद्धति का विकास

३०५—३१६

प्रवेशक, वैधानिक विकास-शृङ्खला की कड़ियाँ—१७७३ ई० का ऐक्ट, १७८४ ई० का पिट्स इंडिया ऐक्ट, १८१३ ई० का ऐक्ट, १८३३ ई० का ऐक्ट, १८५३ ई० का ऐक्ट, १८६१ ई० का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट, १८६० ई० का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट, १९०६ का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट, १९१६ का गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९३५ ई० का गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट, १९४७ ई० का इंडिपेंडेंस ऐक्ट, नवीन सविधान ।

अध्याय ९—मान्टेग्यूचेम्सफोर्ड सुधार और उनका कार्यान्वित रूप ३१७-३२६

ऐक्ट का महत्व, १९१६ के ऐक्ट के मुख्य उपबन्ध, भारत सरकार, कार्य कारिणी, १९४७ ई० तक की स्थिति, भारत मन्त्री का निरीक्षण, केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल, व्यवस्थापक मंडल के अधिकार, प्रांतीय सरकार—परिचयात्मक, द्वैध शासन का अर्थ, प्रांतीय धारा सभाएँ, होम गवर्नमेंट—परिचयात्मक, १९१६ ई० के सुधार का कार्यान्वित रूप ।

अध्याय १०—१९३५ ई० का गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट— ३३०—३५०

१९३५ ई० के ऐक्ट का कुछ विशेषताएँ, अधिकार वितरण, सभ्य शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल, सचीय व्यवस्थापक-मण्डल, संघीय न्यायालय, राष्ट्रीय रेलवे अधिकार, भारतीय सचिव अधिकारी, उधार इत्यादि का लेना, १९३५ ई० के अन्तर्गत प्रांतीय सरकार .—परिचयात्मक, प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय कार्य-कारिणी, गवर्नर, प्रांतीय मन्त्रि-मण्डल, प्रांतीय व्यवस्थापक-मण्डल, प्रांतीय शासन का कार्यान्वित-रूप, भारत-मन्त्री इत्यादि, भारतीय हाई कमिश्नर, पार्लियामेण्ट का नियन्त्रण, १९४७ ई० के ऐक्ट के द्वारा किये गये संशोधन ।

अध्याय ११—नये संविधान का सामान्य परिचय ३५१—३६३

परिचयात्मक, संविधान की मुख्य विशेषताएँ, सभ की इकाइयाँ, शक्ति-वितरण, राजभाषा, संविधान का संशोधन।

अध्याय १२—नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक तत्व ३६४—३७२

नागरिकता, मूल अधिकार, समता अधिकार, स्वातन्त्र्य अधिकार, धर्म स्वायत्त्य का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, संविधानिक उपचारों के अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व।

अध्याय १३—सभ का शासन— ३७३—

परिचयात्मक, केन्द्रीय शासन प्रणाली, केन्द्रीय शासन के अंग, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शक्तियाँ—कार्यपालिका-शक्तियाँ, विधायनी शक्तियाँ, वित्त सम्बन्धी शक्तियाँ, आपात शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति, मन्त्रीपरिषद्, भारत सरकार के विभाग, राज्य परिषद्, लोक सभा, नये संविधान के अन्तर्गत मताधिकार, अध्यक्ष, सभ के कृत्य, विधान प्रक्रिया, धन विधेयकों विषयक विशेष प्रक्रिया विधेयकों पर स्वीकृत, वित्तीय विषयों में प्रक्रिया, न्यायपालिका, उच्चतम न्यायालय, का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय की स्वाधीनता, अन्य कर्मचारी, भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक।

अध्याय १४—राज्य-शासन— ४०२—४२२

परिचयात्मक, राज्य शासन का संगठन, कार्यपालिका, राज्यपाल की शक्तियाँ, मन्त्रीपरिषद्, मुख्य मन्त्री के कर्तव्य, महाधिवक्ता, भाग (ख) के राज्यों की राज्यपालिका, राज्य का विधानमण्डल, विधान सभा, विधान परिषद्, राज्य के विधानमण्डल के अधिवेशन, विधान प्रक्रिया, धन विधेयक सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया, विधेयकों की स्वीकृति, वित्तीय विषयों में प्रक्रिया, राज्यपाल की विधायनी शक्तियाँ, न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, अधीन न्यायालय, दण्ड-न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, आगम-न्यायालय।

अध्याय १५—सभ और राज्यों के सम्बन्ध, लोक सेवा इत्यादि—४२३—४३०

परिचयात्मक, राज्य सूची के विषयों पर सभ के अधिकार, प्रशासन सम्बन्ध, वित्त सम्बन्ध, सरकारी कर्मचारी, लोक-सेवा आयोग, सेवाएँ।

अध्याय १६—जिले का प्रशासन—

४३३—४३८

परिचयात्मक, जिले के अफसर, जिलाधीश और कलक्टर, जिले के टुकडे, डिप्टीजनरल कमिश्नर ।

अध्याय १७—स्थानीय स्वशासन—

४३९—४७८

परिचयात्मक, स्थानीय स्वशासन का विकास, निगम, नगरपालिका, साधारण-परिचय, सगठन, मताधिकार, नगरपालिका के कृत्य, सार्वजनिक सुरक्षा से सम्बन्धित, सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित, सार्वजनिक सुविधाओं से सम्बन्धित, सार्वजनिक शिक्षा से सम्बन्धित, नगरपालिका वित्त, नगरपालिका के पदाधिकारी—प्रधान समितियाँ, सरकारी नियंत्रण, कैप्टो-मेएट-बोर्ड, टाऊन ऐरिया, नोटीफाइड ऐरिया, ज़िला बोर्ड, परिचयात्मक, जिला बोर्ड का सगठन, मनदाताओं की योग्यताएँ, उम्मेदवार के लिये योग्यताएँ, अवधि, सदस्यों का उपनयन, वार्ड के पदाधिकारी, जिला बोर्ड का अध्यक्ष, अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य, जिला-मएडली के कृत्य, वित्त, बाह्य हस्तक्षेप, बोर्ड की समितियाँ, प्रशासी समिति, शिक्षा समिति, ग्राम पंचायतें,—परिचयात्मक, १९४७ का गाँव पंचायत राज ऐक्ट, गाँव-सभा, गाँव पंचायत, गाँव कोठ, पंचायती अदालत, बाह्य नियंत्रण, नये ऐक्ट के विषय में कुछ विचार, स्थानीय स्वशासन के प्रयोग की असफलता के कारण

अध्याय १८—देशी रियासतें—

४७९—४८५^१

परिचयात्मक, रियासतों का समस्या, एकीकरण, राज्य-सभों की शासन-प्रणाली ।

प्रथम भाग

नागरिक जीवन

चुनी पुस्तक-सूची (Select Bibliography)

ऐन्ड्रू ज, सी० एफ०

एनी वेसेंट

अन्तारी, शौकतउल्लाह

अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन

बैनर्जी, एस० एन०

बेनी प्रसाद

ब्रेल्लसफार्ड

कमि स, मिसेज मार्गरेट

कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया, रामकृष्ण

कमिग

फारुकुद्दार

फ्रिंसवल्ड

गुरमुख निहालसिंह

हुमायूँ करार

इण्डियन इयर बुक

जभार एण्ड बेरी

कृष्ण, बी०

कुन्वी कानन

मेह्यू

मजुमदार, ए० सी०

नेहरू, जवाहरलाल

निवेदिता

'दी सोशल प्रॉब्लेम इन इण्डिया', 'एजुकेशन इन इण्डिया' तथा 'दी इकोनॉमिक बैकग्राउण्ड' पर ऑक्सफर्ड पैपलेट्स

ओ'मैली

पद्मिनी सीतारमैया

रमन, टी० ए०

रोम्यॉ रोलॉ

शादूँलसिंह कबीरवर

स्मिथ, विलफ्रेड केन्टीन

जकरिया

दी टू द्राएडया, दी राइज एण्ड ग्रोथ ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गाँधीज आइडियाज

इण्डिया, ए नेशन, टाऊ इण्डिया रॉट हर फ्रीडम

पाकिस्तान

दी कम्यूनल ट्रेडिंग इन इण्डिया

ए नेशन इन दी मेकिंग

हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, कम्यूनल सटिलमेन्ट

सब्जेक्ट इण्डिया

इण्डियन युमनहुड डुडे

सेन्टेनरी वोल्यूम

मॉडर्न इण्डिया, पॉलिटिकल इण्डिया

मॉडर्न रिलीजस मूवमन्ट्स इन इण्डिया

इनमाइट्स इन्टू मॉडर्न इण्डियन

लेडमार्क्स इन इण्डियन कॉन्स्टीट्यूशनल

एण्ड नेशनल डेवेलपमन्ट

मुस्लिम पॉलिटिक्स

इण्डियन इकोनॉमिक्स

दी प्रॉब्लेम ऑफ माइनोंरिटीज

सिविलाइजेशन ऐट वे

एजुकेशन इन इण्डिया

इण्डियन नेशनल इवॉल्यूशन

आंदोलनवादी, डिस्कवरी ऑफ इण्डिया

दि वेब ऑफ इण्डियन लाइफ

मॉडर्न इण्डिया एण्ड दी वेस्ट

हिस्ट्री ऑफ इण्डियन नेशनल कांग्रेस

इण्डिया

दी प्राफेक्ट्स ऑफ न्यू इण्डिया

नॉन वायलेन्ट नॉन कोआपरेशन

मॉडर्न इस्लाम इन इण्डिया

रिनेसैंट इण्डिया

भारतीय जीवन को समझने में स्वामी रामतीर्थ, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गाँधी की पुस्तकें तथा लेख विचारियों को सहायक सिद्ध होंगे।

भारतवर्ष

का

नागरिक जीवन और प्रशासन

अध्याय १

नागरिक जीवन की सामान्य भूमिका

परिचय— नागरिकता का अर्थ केवल राज के प्रति भक्ति, उसके सदस्य के रूप में अधिकारों का उपभोग तथा कर्तव्यों का पालन ही नहीं है बल्कि समाज के नागरिक और राजनैतिक जीवन में सामान्य तथा बुद्धिपूर्ण योग तथा राष्ट्रीय प्रश्नों के निराकरण में अपना व्यक्तिगत निर्णय भी है। या राज्य के सभी वस्तु सदस्य अपनी सदस्यता से लाभ उठाते हैं तथा राज्य के प्रति अपनी कृतज्ञता भी प्रकट करते हैं लेकिन कुछ थोड़े ही लोग ऐसे हैं जो विभिन्न समस्याओं के निराकरण में अपना योग दे पाते हैं। इसका कारण यह है कि समाज के साधारण नागरिक और राजनैतिक जीवन में भाग लेने का अर्थ है उसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक वातावरण पर प्रभाव डालने वाली दशाओं तथा पद्धतियों का ज्ञान, जो थोड़े ही लोगों के पास होता है। इसलिए इस पुस्तक का उद्देश्य है भारतीय विद्यार्थियों तथा कार्यकर्त्ताओं को उन धारणा तथा पद्धतियों के विषय में थोड़ी जानकारी प्रदान करना जो हमारे नागरिक तथा राजनैतिक जीवन के स्वरूप को स्थिर करते हैं।

इस अध्याय में हम भौगोलिक दशा का, जिसने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, वर्णन करेंगे और साथ ही उस आधारमूल एकता पर भी प्रकाश डालेंगे जिसे जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, रीति रिवाज तथा तौर-तरीकों की विविधता से प्रभावित होने वाले लोग भूल जाते हैं। भारत तथा पाकिस्तान नाम के दो राजनैतिक टुकड़ों में देश का विभाजन हो जाने से हमारा कार्य कठिनतर हो गया है क्योंकि कुछ सिद्धान्त विभाजन के पूर्व वाले पूरे भारत पर ही लागू होते हैं और दोनों राज्यों में से किसी एक पर अलग से घटित करने पर उनकी महत्ता कम हो जाती है। अविभाजित भारत की प्राकृतिक सीमाएँ निश्चिन्त थीं और वह सत्तार के सबसे अच्छे भौगोलिक भू-भाग में गिना जाता था।

भारत तथा पाकिस्तान दोनों की सम्मिलित पूर्वी तथा पश्चिमी सीमायें कृत्रिम, अप्राकृतिक तथा अस्थिर हैं। उनका प्रभाव साम्राज्य के निकट तथा समूचे देश में रहने वाले लोगों, सभी पर पड़ेगा। विभाजन का देश के आर्थिक जीवन पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है और प्रत्येक राज्य के लिए ऐसी समस्याएँ पैदा हो गई हैं जिनको पहिले कर्मा कल्पना भी नहीं थी।

प्राकृतिक दशा— देश के जीवन पर जिन आधारमूल तथ्यों का प्रभाव पड़ता है उनमें उसका बृहत् विस्तार भी है। कुछ तुलनाएँ हमें देश की विस्तार की कल्पना करा देंगी। अविभाजित भारत का क्षेत्रफल ३५,८९,४१० वर्ग मील था जो ग्रेट ब्रिटेन के क्षेत्रफल का त्रिस गुना तथा रूस को निकाल कर सारे यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। यह समुक्त राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के भी तीन-पाँचवें भाग के लगभग है। रूस को छोड़कर कोई भी यूरोपीय देश मद्रास प्रान्त से बड़ा नहीं है तथा हालैंड और स्विटजरलैंड जैसे कुछ छोटे देश तो गोरखपुर जैसे बड़े जिले से भी बड़े नहीं हैं। आप एक रात रेल में यात्रा करने फ्रान्स, इंग्लैंड या इटली की एक ओर से दूसरी ओर जा सकते हैं किन्तु भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में चार-पाँच दिन लग जायेंगे। काश्मीर के सबसे उत्तरी त्रिन्दु से लेकर कुमारी अन्तरीप के सबसे दक्षिणी छोर तक की लम्बाई २००० मील है, आसाम के सबसे पूर्वी स्थान से तिब्बत के सबसे पश्चिमी स्थान तक की चौड़ाई २३०० मील है। उत्तर में देश हिमालय की शृङ्खलाओं से जो टेढ़ी तलवार की भाँति घूमि हुई है, घिरा हुआ है और इस प्रकार उत्तर में पूरी निलेनन्दी-सी हो जाती है। पूर्व तथा पश्चिम में देश का अधिकांश भाग सागर से घिरा हुआ है। उसकी पूर्वी स्थल-सीमा पहाड़ी है जिनमें बहुत ही खाड़े और दुस्तर मार्ग हैं। उसकी पश्चिमोत्तर स्थल सीमा पर भी पहाड़ी शृङ्खलाएँ हैं जिनमें खैबर, कुर्रम, दोची तथा गोमल के प्रसिद्ध दरें हैं जिन्होंने समय-समय पर विदेशी आक्रमणकारियों को देश में आने का मार्ग दिया है। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं का उसके इतिहास पर बड़ा गहरा राजनैतिक प्रभाव पड़ा है। उत्तरी तथा पूर्वी आक्रमणों से अधिकतर भारत मुक्त रहा है। आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर दिशा से ही आये हैं जहाँ पहाड़ी दरें आक्रमण के लिए सरल किन्तु उचाव के लिए दुर्गम हैं। देश के विभाजन से इस स्थिति में बड़ा अन्तर पड़ गया है। पूर्वी पंजाब को पश्चिमी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान से अलग करने वाली कई पहाड़ी दीवार नहीं है। विभाजित भारत की स्थल-सीमाओं की रक्षा का प्रश्न आज पहिले को अपेक्षा कहीं अधिक कठिन हो गया है। परिणामस्वरूप रक्षा की समस्या देश की आर्थिक सामर्थ्य से परे हो गयी है। प्राचीन

* १९४१ की गर्मी में मनीपुर राज्य पर जापानियों का आक्रमण इस नियम का अपवाद है।

काल में भारत समुद्र के रास्ते आक्रमणों से सुरक्षित था, किन्तु जल पर नाव चलाने की कला तथा यूरोपीय राष्ट्रों की सामुद्रिक शक्ति के विकास के साथ-साथ उस पर विभिन्न आक्रमणों को बाढ़-सी आ गयी जिसका अन्त भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना में हुआ।

चारों ओर से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा घिरे इस विस्तृत भू-भाग में पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु तथा भूमि सुलभ है। उत्तर, उत्तर-पूर्व तथा पश्चिमोत्तर के पहाड़ी प्रदेश शीतकाल में बहुत ही ठंडे रहते हैं तथा सूख जल वृष्टि होती है। वहाँ लकड़ी, चाय, ऊन तथा अन्य पहाड़ी वस्तुएँ पैदा होती हैं। सिन्ध, गंगा तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा सींचा हुआ सिन्ध गंगा का मैदान गर्मिया में बहुत गर्म तथा सदियों में ठंडा हो जाता है। यहाँ भी पर्याप्त वर्षा होता है किन्तु पूर्व से पश्चिम ज्यों-ज्यों बढ़ते जाइए वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। इस मैदान की भूमि बहुत उपजाऊ है— शायद ससार में सबसे अधिक। यह मैदान भारत का बखार है, जहाँ गेहूँ, मक्का, जौ, चावल, जूट, अर्पाम, गन्ना तथा अन्य फसलें होती हैं। भारत की दो तिहाई जन-संख्या इसी मैदान में रहती है। इस मैदान के दक्षिण-पश्चिम में राजस्थान का गर्म मैदान है, जहाँ वर्षा की कमी के कारण हरियाली का घोर अभाव है। दक्षिण में दक्षिणी पठार सतपुड़ा तथा विन्ध्य पहाड़ों से उत्तर में तथा पूर्वी तथा पश्चिमी घाटों से पूर्व और पश्चिम में घिरा हुआ है। इस पठार की जलवायु कम विषम किन्तु सिन्ध-गंगा के मैदान से अधिक समशीतोष्ण है। यहाँ की भूमि लाल या काली है किन्तु पर्याप्त उपजाऊ है। पश्चिमी घाट तथा समुद्र के बीच में सेंकरा तटीय भू-भाग है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है और नारियल तथा मसाले इत्यादि की पैदावार होती है। पूर्वी घाट तथा समुद्र के बीच भी एक भू भाग है जो पश्चिमी घाट के भू-भाग से अधिक चौड़ा और उपजाऊ है। इसमें चावल, मक्का तथा अन्य मोटे अनाज होते हैं।

दक्षिणी पठार सिन्ध गंगा के मैदान से नीचे पहाड़ों की एक श्रेणी द्वारा विभाजित है; उसकी भिन्न प्राकृतिक स्थिति का दक्षिण के राजनैतिक इतिहास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है; फिर भी, हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सारा देश भौगोलिक दृष्टि से एक अविभाज्य भूखण्ड है। सतपुड़ा और विन्ध्य पर्वत न तो इतने लम्बे ही हैं न इतने ऊँचे कि उत्तर और दक्षिण भारत के आदान-प्रदान में वे बाधा पहुँचा सके। वे गंगा के उपजाऊ मैदान को दक्षिणी भू भाग से इस प्रकार अलग नहीं करते जैसे हिमालय तिब्बत को भारत से या हिन्दूकुश अफगानिस्तान को अलग कर देता है। यूरोप की भौगोलिक भिन्नता, भारत की भौगोलिक एकता से एकदम विपरीत है। भारत का कोई भी भाग एक दूसरे से उस प्रकार अलग नहीं है जैसे आइबेरिया का डमरू मध्य फ्रान्स से पिरिनीज द्वारा अलग है, जैसे नार्वे स्वीडन शेष प्रमुख भूखण्डों

से समुद्र द्वारा या जिस प्रकार क्रोरेन्थ की शृङ्खला से ग्रीस रलकान से अलग हो गया है। ये प्राकृतिक सीमाएँ यूरोप में विभिन्न राष्ट्राँ के निर्माण का कारण हुई हैं और इस प्रकार इन्होंने यूरोप का एक महाद्वीप बना दिया है, न कि एक देश। भारत में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में यूरोप की भाँति कोई कठिनाई नहीं पड़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि लोगों में कभी कोई मूल भूत विरोध या अन्तर नहीं रहा है और इस लिए एक राष्ट्रीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है। इस प्रकार भौगोलिक एकता देश की एक प्रमुख विशेषता है। इसकी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता का विषय में दूसरे प्रकार में प्रकाश डाला जायगा।

किन्तु, जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है, पाकिस्तान की स्थापना से इस भौगोलिक एकता का विनाश हो चुका है। भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को विदेशी राष्ट्र समझते हैं, मनुष्या और वस्तुओं के आवागमन में वे सभी रुकावटें और कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं जो एक दूसरे से मिलकुल अलग राष्ट्राँ के बीच उठानी पड़ती हैं। भूतकाल में पूर्वी या पश्चिमी पंजाब या पूर्वी या पश्चिमी उगाल के निवासियों में कोई अन्तर नहीं था। वे सभी पंजाबी या उगाली थे। आज उनकी स्वाभाविक एकता तथा मद्भावनाओं का विनाश हो चुका है, पश्चिमी पंजाब के लोगों का पूर्वी पंजाब के निवासियों से अपने को एकदम भिन्न तथा अपने को दूसरे राष्ट्र का नागरिक समझने की सिद्धांती आ रही है। बंगाल का भी वही हाल है। मनुष्य की प्रवृत्तियों ने प्रकृति की विभूतियों को नष्ट करने की टान रक्पी हैं। मनुष्य विजयी होगा या प्रकृति, यह भविष्य के गर्भ में है। विश्वास नहीं होता कि मनुष्य प्रकृति की धारा को सदैव के लिये कैसे बदल देगा।

देश की तटीय रेखा के विषय में भी कुछ शब्द जोड़ देना उपयुक्त होगा। अविभाजित भारत की सामुद्रिक सीमा ५००० मील लम्बी थी। इसका एक छोटा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, फिर भी भारत की सामुद्रिक सीमा पर्याप्त लम्बी है, जो देश के विस्तार की तुलना में छोटी है। समुद्र में खाड़ियों या उससे होकर अन्तर आने के रास्ते बहुत कम हैं और इसी लिए प्राकृतिक और अच्छे बन्दरगाह भी बहुत कम हैं। मम्ई और गोआ, यही दो प्राकृतिक बन्दरगाह हैं। मद्रास और बिजगापट्टम के बन्दरगाह बनाये गये हैं। पूर्वी किनारे पर समुद्र किनारे के निकट बहुत छिछला है, इसलिए बड़े सामुद्रिक जहाजों को किनारे से कुछ दूर ही लगर डालना पड़ता है जिसका सामुद्रिक आवागमन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भौगोलिक-पृष्ठ भूमि के इस बहुत छोटे विवेचन को समाप्त करने से पहले भारत नाम का नव-निमित्त राजनैतिक इकाई की स्थल-सीमाया तथा क्षेत्रफल के विषय में कुछ शब्द जोड़ देना आवश्यक प्रतीत होता है।

पञ्जाब दो भागों में विभाजित हो गया है। रावलपिंडी और मुल्तान का पूरा प्रदेश तथा लाहौर प्रदेश के गुजरानवाला, शेखुपुरा और स्यालकोट जिले, पश्चिमी पञ्जाब सूबे में रखे गये हैं और अत्र यही भू-भाग पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त सिन्ध, बिलोचिस्तान तथा कुछ भारतीय राज्या के साथ पश्चिमी पाकिस्तान बन गया है। अविभाजित पञ्जाब के शेष भाग अर्थात् अमृतसरा और जालन्धर का पूरा प्रदेश तथा लाहौर प्रदेश का अमृतसर जिला पूर्वी पञ्जाब में रखे गये हैं और अब यह मिल कर भारत का एक भाग है। लाहौर प्रदेश के गुरदासपुर और लाहौर जिले, पूर्वा तथा पश्चिमी पञ्जाब के सूबा में विभाजित कर दिये गये हैं। इसी प्रकार अगाल भी, पूर्वी तथा पश्चिमी अगाल के दो भागों में बँट गया है। पूर्वी अगाल में चित्तगाँव और टाका का पूरा प्रदेश तथा रंगपुर, बोगरा, राजशाही, पबना और खुचन जिले सम्मिलित हैं। आसाम के मिचट जिले का एक बड़ा भाग पूर्वी अगाल के नव-निर्मित सूबे में मिला दिया गया है। पश्चिमी अगाल के सूबे में, जो भारतीय संघ का एक भाग है, बर्दवान का पूरा प्रदेश कलकत्ता, २४ परगना, मुर्शिदाबाद और दार्जिलिंग सम्मिलित हैं। नदिया, बैमोर, दिनाजपुर, जलपाईगुडी और मालदा जिले दोनों प्रान्तों में विभाजित कर दिये गये हैं। पाकिस्तान का पूरा क्षेत्रफल लगभग ३६१,२१८ वर्ग मील और भारत का १,०५५,६२१ वर्ग मील है। विभाजन का परिणाम यह हुआ है कि सिन्ध-गंगा का मैदान जो पूर्व में अगाल की खाड़ी से पश्चिम में अफगानिस्तान की सीमा तक २,००० मील से भी अधिक लम्बा था अब दो या तीन भागों में विभाजित हो गया है जिसके पूर्वी तथा पश्चिमी छोर पाकिस्तान में हैं तथा बीच का भाग भारत में रह गया है। गेहूँ के कुछ सर्वोत्तम क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ गये हैं निम्न कारण भारत का खाद्यान्न की कमी पड़ गई है। जूट के क्षेत्र भी पाकिस्तान ही में हैं। इससे कलकत्ते के चूट-उद्योग को बड़ा धक्का लगा है। रुई के लिए भी भारत को पाकिस्तान का मुँह देखना पड़ना है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास थोड़ा या मिल्कुन हा कोयला नहीं है और उससे पास शकर और कपड़े की भी बहुत कमी है। इस प्रकार विभाजन से दोनों देशों का आर्थिक स्थिति बुरा तरह प्रभावित हुई है।

भारत के निवासी— देश का वर्तमान विस्तार इसकी विशाल जनसंख्या का पालन करता है। चान को छोड़ कर सप्ताह के किसी भी देश की जनसंख्या इससे बड़ी नहीं है। संयुक्त-राज्य अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया जैसे देश भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा छोटे हैं। अन्तिम जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार समूचे भारत की जनसंख्या ३८६ करोड़ अनुमान की जाती थी जिसमें से लगभग ३०८ करोड़ भारत में और लगभग ८१ करोड़ पाकिस्तान में है। मनुष्यों के इतने बड़े समुदाय में, जो सारी मानव जाति का १/३ भाग है, जातीय तथा अन्य विविधताएँ अवश्यम्भावी हैं। क्याचिन् रूस को छोड़कर विश्व में कहीं भी इतनी

जातीय विभिन्नता नहीं पायी जाती जितनी भारत में। उत्तर-पश्चिम से उतरने वाली प्रारम्भिक आर्य जातियों से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी से सोलहवीं शताब्दी तक धावा मारने वाले मुस्लिम फिरकों तक, आक्रमणकारियों की अनवरत लहरों ने लोगों के ऊपर अपनी अपनी छाप छोड़ रक्की है। वर्तमान समय में भारत के निवासी निम्न-लिखित जातियों के मिश्रण हैं : द्रविड, भारतीय आर्य, मगोल, सिथियन, तुर्क, पारसी, और, कुछ लोगों के अनुसार, यूनानी भी।

गो यहाँ के जन-समुदाय के किसी भी अंश के लिए जातिगत पवित्रता का दावा नहीं किया जा सकता, फिर भी हम साधारणतया कह सकते हैं कि—

(१) पंजाब, काश्मीर तथा राजस्थान के निवासी भारतीय आर्य हैं। वे उन्हा आर्यों के वंशज हैं जो पश्चिमोत्तर दिशा से देश में सबसे पहले आये और जिन्होंने आदिवासियों को पूर्ण तथा दक्षिण की ओर खदेड़ दिया।

(२) उत्तर-प्रदेश, राजस्थान के कुछ भाग तथा बिहार के निवासी द्रविड आर्य हैं। वे आर्यों तथा द्रविडों के मिश्रण हैं लेकिन आर्यत्व की प्रधानता है।

(३) पंजाब तथा बिहार के कुछ भागों के लोग मगोल द्रविड हैं।

(४) महाराष्ट्र तथा पश्चिमी भारत के दूसरे भागों के लोग सिथियन-द्रविड हैं।

(५) मद्रास, हैदराबाद तथा मध्यभारत के कुछ भागों के लोग प्रधानतया द्रविड हैं।

(६) बिलोचिस्तान तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के बिलोची तथा अफगान, तुर्क ईरानी हैं।

(७) आसाम में मगोल हैं।

(८) आदिवासियों की संख्या २५% लगान है और वे पूरी जन-संख्या के ६% हैं।

आधुनिक युग में यूरोपीय रक्त का भी सम्मिश्रण हुआ है। आंग्ल-भारतीय (Anglo Indian) नाम की एक नई जाति जन गई है। स्पष्ट है कि भारत की मुख्य जातियाँ आर्य, द्रविड तथा मगोल हैं और उनके सम्मिश्रण से अन्य छोटी जातियों की उत्पत्ति हुई है। साधारणतया आर्य ऊँचे तथा स्वच्छ वर्ण के, द्रविड काले तथा गहरे रंग के और मगोल पीले वर्ण, चिपटी नाक तथा गालों की उठी हड्डियों वाले होते हैं। वे वस्त्र तथा भोजन में भी भिन्न होते हैं। लेकिन यह कहा जा सकता है कि भोजन तथा वस्त्र की भिन्नता जातिगत विशेषता से कहीं अधिक जलवायु तथा भूमि पर निर्भर है।

भारतीय राष्ट्र की यह जातीय अनेकता दुःख का कारण नहीं होनी चाहिए, उसके अभाव में हमारी संस्कृति का जो रूप होता, उससे वह आज कहीं अधिक

सम्पन्न, विविध, स्फूर्तिमयी तथा प्रभावोत्पादनी है। सत्कार का कदाचित् हा कोई जन समुदाय है जो जातिगत एकता का दावा कर सके।

सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन या प्रभाव की दृष्टि से भारत-निवासियों की जातीय विभिन्नता से अधिक महत्वपूर्ण उनका धार्मिक विविधता है। अपने इस देश में सत्कार के लगभग सभी प्रमुख धर्मों के अनुयायी हैं। हिन्दू, जो प्राचीन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध (मुख्यतया लका तथा बर्मा में हैं जो भारत के भाग नहीं हैं), जैन और सिक्ख जिनके धर्म मूल वैदिक धर्म की ही शाखाएँ हैं, सभी यहाँ हैं। इनके अतिरिक्त मुसलमान, ईसाई, पारसी तथा यहूदी भी यहाँ हैं। इनके अलावा अन्य जातीय-धर्म भी हैं।

१९५१ का जन गणना के अनुसार अविभाजित भारत में विभिन्न धर्मावलम्बियों की सम्मिलित संख्या निम्नलिखित है ३८,६६,६६,५२३ की सम्पूर्ण जन-संख्या में हिन्दुओं की संख्या २५,४६,३०,५०६ यानी सारी आबादी की ६५.६३%, मुसलमानों की संख्या ६,२०,५८,०६६ यानी पूरी आबादी की २३.८१%, सिक्खों की संख्या ५६,६१,४४७ यानी सम्पूर्ण आबादी की १.४७%, जैनों की संख्या १,४६,२८६ यानी सम्पूर्ण आबादी की ३.७%, बौद्धों की संख्या २,३२,००३, पारसियों की १,१४,८६०, भारतीय ईसाइयों की ६०,४०,६६५ यानी पूरी आबादी की १.६३%, अंग्ल भारतीयों की १,४०,४२२, दूसरे ईसाइयों का १,३५,४६२, वन जातियों की २,५४,४९,४८६ यानी पूरी आबादी का ७.५८%, तथा अन्य धर्मों के अनुयायियों की संख्या सम्पूर्ण जन संख्या की ०.२% है।

२५,४६,३०,५०६ हिन्दुओं में से २०,६१,१७,३०६ सवर्ण हिन्दू हैं और ४,८५,१३,१८० 'अछूत' कहे जाने वाले हैं।

हिन्दुओं का मद्रास (८६.७४ प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (८३.२६ प्रतिशत), मध्य प्रदेश (७६.६२ प्रतिशत), बम्बई (७६.४० प्रतिशत), बिहार (७२.६६ प्रतिशत), तथा उड़ीसा (७८.२८ प्रतिशत) में बहुल्य है। मुसलमान बंगाल (५४.७३ प्रतिशत), तथा पंजाब (५७.६७ प्रतिशत) में बहुसंख्यक थे। सिन्ध (७०.७५ प्रतिशत) तथा पश्चिमोत्तर साम्राज्य में भी (६१.७० प्रतिशत) उनकी संख्या अधिक थी। सिक्ख अधिकतर पंजाब में ही थे। संख्या में कम होते हुए भी उनका महत्त्व अधिक था। विभिन्न प्रान्तों में हिन्दुओं तथा मुसलमानों का यह विभिन्न विभाजन बड़े हा विकट देश व्यापी साम्प्रदायिक प्रश्न का कारण बना। पारसी तथा यहूदी केवल बम्बई नगर में सीमित थे।

विभिन्न धार्मिक विश्वासों तथा सम्प्रदायों का होना अपने तर्क न तो अस्वाभाविक है और न अकल्याणकारी ही। इससे तो धार्मिक अनुभवों की विविधता और

सम्पन्नता तथा दृष्टिकोण की विशालता और सौहार्द के प्रसार का ही अनुमान होता है, किन्तु अपने देश में इन सत्रे बड़े ही अशुभ और विनाशकारी परिणाम हुए हैं। डेढ़ सौ वर्षों में भी अधिक अंग्रेज शासकों का 'विभाजन तथा शासन' (Divide and rule) की नीति से हिन्दुओं, मुसलमानों और सिक्खों के बीच के पृथक्त्व को और बढ़ावा मिला और अतः ही द्वि राष्ट्र के मिद्वान्त (Two nation theory) का उत्पात हुई और देश भारत तथा पाकिस्तान में बँट गया। विभाजन की उलट फेर में जो भयंकर घटनाएँ घटीं उनकी कल्पना भी सम्भव नहीं है वर्णन की कौन कहे? दोनों ही देशों में दोनों धर्मों के अनुयायियों द्वारा एक दूसरे पर अमानुषिक तथा भयंकर अत्याचारों की (मनगढ़त भी) कथाओं द्वारा साम्प्रदायिक भावनाओं को और जल-मिला और इसी कारण पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पञ्जाब में पाशविक क्रूरताओं की बाढ सी आ गई। परिणाम यह हुआ कि बची ही कठिन और विषम परिस्थितियों में एक राष्ट्र और दूसरे राष्ट्र के बीच पूरी पूरी जनसंख्या की अन्तला बदली करनी पड़ी। इस कार्य में लाखों आदमी मरे तथा घायल हुए और मनुष्य के नैतिक स्वभाव का जो हानि हुआ उसका तो अनुमान भी सम्भव नहीं है। लेकिन यहाँ हमारा दोनों देशों की जनसंख्या पर विभाजन के प्रभाव से ही सम्बन्ध है। पश्चिमी पाकिस्तान में हिन्दुओं तथा सिक्खों का बहुत थोड़ा संख्या रह गयी है, वहाँ की पूरी जनसंख्या में उनका अनुपात नगण्य है। उसी प्रकार, पूर्वी पञ्जाब में मुसलमानों की संख्या नाममात्र है। पूर्वी बंगाल से पश्चिमी बंगाल में भी हिन्दू जातियों की संख्या में आये हैं। विभिन्न भारतीय प्रान्तों में मुसलमानों की निश्चित संख्या देना सरल नहीं, किन्तु कुछ प्रान्तों में आज उनकी संख्या विभाजन के पहले की तुलना में कम है। इतना तो सर्वमान्य है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का अनुपात पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं तथा सिक्खों के अनुपात से बहुत अधिक है। पाकिस्तान में साम्प्रदायिक प्रश्न का हल अल्पसंख्यकों के लगभग एकदम निष्कासन द्वारा ही हुआ है। भाग्यवश, भारत में यह स्थिति नहीं है। महात्मा गांधी के प्रभाव से भारत ने अपने लिए एक धर्म निरपेक्ष राज्य का आदर्श अपनाया है और मुसलमानों तथा अन्य धर्मावलम्बियों को उसने न्याय तथा रक्षा का वचन दिया है, और व्यवहार किया है।

व्यवसाय— भारत मुख्यतया गँवों का देश है। इसका अर्थ यह है कि अधिकांश लोगों का व्यवसाय खेती है। अनुमान लगाया गया है कि ७१ प्रतिशत लोग अपनी आविष्कार खेती द्वारा चलाते हैं। हालांकि भारत का संसार के औद्योगिक देशों में आठवाँ नम्बर है, फिर भी सगटित उद्योगों में अब एक प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। लगभग १०% लोग छुटपुट उद्योगों या घरेलू उद्योग-धंधों में, ६ प्रतिशत व्यापार में, दो प्रतिशत यातायात में और केवल एक प्रतिशत लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं। जो लोग देश की दशा सुधारने का काम कर रहे हैं उनके लिए ये बातें बहुत

महत्त्व की हैं। जो योजना कृषि तथा अन्य छोटे उद्योग-धंधों में लगे ग्रामीण लोगों की सहायता नहीं करती वह जनता की दशा में सुधार नहीं कर सकती। केवल उड़े उद्योगों से जन-साधारण की दशा नहीं सुधर सकती।

भाषा— भारत में हमें जाति और धर्म की ही भिन्नता नहीं मिलती बल्कि बोली तथा लिपी जाने वाली भाषाओं में भी यहाँ बड़ी भिन्नता है। लिपी जाने वाली भाषाओं को छोड़कर भी देश में लगभग एक सौ पचास भाषाएँ मिला जाती हैं। यह कोई मिलजुग या आश्चर्यजनक बात नहीं है। इस तथ्य के कई कारण हैं। समय-समय पर यहाँ आने तथा बस जाने वाले विभिन्न जाति-वर्णों के अपने साथ अपनी भाषा भी लाये। परिणामस्वरूप नई-नई और मिश्रित भाषाओं की उत्पत्ति हुई। दूरी के साथ साथ भाषा में भी बदल जाने की प्रवृत्ति होती है। बोली जाने वाली मुख्य भाषाएँ हिन्दी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, तामिल, तेलगू, कनाडी, मलयालम हैं। ये दो प्रमुख वर्गों में रक्की जा सक्ती हैं— भारतीय आर्य तथा द्रविड़। हिन्दी, बंगला, उरिया, मराठी, गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी भारतीय-आर्य हैं और तामिल, तेलगू, कनाडी और मलयालम द्रविड़*। अंग्रेजी, जो ब्रिटिश शासन-काल में राज भाषा थी, अब भी ऊँचे पढ़े-लिखे लोगों द्वारा प्रयुक्त होती है। इन सभी भाषाओं में हिन्दी प्रमुख है क्योंकि अधिकांश लोग उसे बोलते और समझने की वही भाषा है। यह उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, पूर्वाञ्चल तथा राजपूताने के कुछ भागों की भाषा है। बम्बई राज्य के लोगों की भाषा यह नहीं है, फिर भी गुजरात तथा बम्बई प्रान्त के अन्य भागों में लोग इसे समझ सकते हैं। इसे मद्रास तथा दक्षिणी भारत के अन्य लोग नहीं समझ सकते। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद से ही राष्ट्र-भाषा का प्रश्न एक विकट प्रश्न बन गया था। देवनागरी लिपि में लिपी जाने वाली हिन्दी तथा देवनागरी तथा फारसी लिपि में लिपी जाने वाली हिन्दुस्तानी के समर्थकों में इस प्रश्न ने घोर विवाद का रूप धारण कर लिया था। सावधान-परिपक्व ने आगे चलकर इस प्रश्न पर अपना निर्णय दे दिया। नागरी भारत की राष्ट्र-भाषा स्वीकार कर ली गयी।

भाषाओं के विभाजन में एक या दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। भारत के राज्यों (प्रान्तों) का विभाजन भाषा के आधार पर नहीं हुआ है। बम्बई राज्य में तीन और मद्रास राज्य में चार विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। उसी प्रकार मध्य प्रान्त (मध्य प्रदेश) के लगभग कम से कम दो भाषाओं का प्रयोग करने हैं। भाषा के आधार पर प्रांतों अथवा राज्यों के विभाजन की माँग में यह महत्त्वपूर्ण तथ्य है। दूसरी और, यद्यपि कुछ

* पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश में बोली जाने वाला पुराता तथा सिन्ध में बोली जाने वाली सिन्धी की आरंभ में सन्त उपयुक्त होगा। ये आर्य भाषा की ईरानी शाखा में सम्मिलित हैं।

साम्प्रदायिक मनोवृत्ति के लोग हिन्दी को हिन्दुत्व तथा उर्दू को इस्लाम से जोड़ते हैं, पर किसी मनुष्य के धार्मिक विश्वासों और अपने पड़ोसी से विचार विनिमय के लिए प्रयुक्त भाषा में कोई सम्बन्ध नहीं है। उगाली मुसलमान वही उगाला बोलता है जो उसका हिन्दू पड़ोसी, यद्यपि वह भाषा सख्त से निकली हुई है। उसी प्रकार, मद्रास राज्य के मुसलमान भी अपने हिन्दू पड़ोसियों द्वारा व्यवहृत भाषा ही प्रयोग में लाते हैं। यह सत्य पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा सिन्ध के हिन्दुओं के साथ भी लागू होता है। आतीय दृष्टि से भी, उगाली मुसलमान पंजाबी मुसलमान के, जिसकी न तो यह भाषा से परिचित है न परम्परा तथा रीति-रिवाजों से ही, अधिक निकट है। वैश-भूषा, भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज तथा खान-पान के विचार से बंगाल के मुसलमान, मद्रास के मुसलमानों से भिन्न पड़ते हैं, और मद्रास के पंजाब से, इसी प्रकार अन्य भी। इस दृष्टि से भारतवासियों को हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, पारसी, ईसाई इत्यादि न कहकर उगाली, पंजाबी, तामिल, महाराष्ट्री तथा गुजराती इत्यादि कहना अधिक समाचीन होगा। उत्तर-प्रदेश के भूतपूर्व गवर्नर सर हारकाटे बटलर का यह कहना कि 'वर्तमान भारत में विविध का कारण उतना आताय या भाषा सम्बन्धी नहीं है जितना धार्मिक,'^५ ठीक नहीं प्रतीत होता। यह बात तो केवल एक विचार का प्रतिपादक बनने की इच्छा से कही गई है।

भारत की मूलभूत एकता— जाते समय में हमारी स्वतन्त्रता की भावनाओं के कई विदेशी विराधियों का, भारत के महाद्वीप के समान आकार, उसने निवासियों की जातीय विभिन्नता, धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी अन्तर— जिसने उसने निवासियों को अलग कर रक्खा है तथा देश के विभिन्न भागों में प्रचलित विभिन्न रीति रिवाजों की उपस्थिति ने यह अस्वीकार करने का अवसर दिया कि भारत एक देश और एक राष्ट्र है। उन्होंने इसे 'देशों का समूह' तथा 'अनेक छोटे देशों द्वारा निर्मित एक महाद्वीप' के रूप में प्रदर्शित किया। सर जान स्ट्रैची ने एक बार कहा था कि 'यूरोपीय विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक, राजनैतिक या किसी भी प्रकार का एकता से सम्बन्धित भारत नाम का कोई देश न है, न था। विभाजन के पहले हमी में से कुछ लोग बड़े जोर के साथ हिन्दुओं तथा मुसलमानों को भिन्न राष्ट्र के नागरिक कहते थे। वे भारत को एक देश और एक राष्ट्र नहीं मानते थे। इतिहास या तर्क में इस सिद्धान्त के लिए कोई स्थान न होते हुए भी देश की राजनैतिक दशा का विकास इस रूप में हुआ कि कंग्रेस के सामने भारत तथा पाकिस्तान के रूप में देश का विभाजन वीकार कर लेने के अतिरिक्त और कोई मार्ग ही न था। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत एक राष्ट्र और एक देश नहीं था। भारत की मूलभूत एकता बाद विवाद या झगड़े से परे

एक तथ्य है ; किभी भी मानवी निर्णय से इसकी सार्थकता निरर्थक नहीं ठहराई जा सकती। भारत सदैव एक रहा है और भविष्य में फिर वह एक होकर रहेगा।

यह मानना पडेगा कि भारत में जातीय एकता नहीं है। उसके निवासी विभिन्न जातियों के वंशज हैं, जिनमें प्रमुख आर्य, द्रविड़ तथा मंगोल हैं। उममें धार्मिक एकता भी नहीं है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, समार के लगभग सभी धर्मों के अनुयायी इस देश में रहने हैं। देश में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं और बालचाल की भाषाओं की संख्या तो सैकड़ों है। उममें पंजाबी, पगाली, राजपूत तथा मद्रासी जैसे एक दूसरे से भिन्न लोग रहते हैं। उममें ऐसे रीति-रिवाज का प्रचलन है जो किमी भी दो प्रान्तों में एक से नहीं हैं। इस प्रत्यक्ष विभिन्नता से प्रभावित किसी मनुष्य के लिए भारत की सार्वभौम एकता की बात मूर्खतापूर्ण नहीं तो और क्या होगी। हमारी धारणा है कि ऊपर से चाहे जो प्रतीत हो, इस विभिन्नता का भारत की सार्वभौम एकता से विरोध नहीं है।

किसी जाति की एकता उन विभिन्न उद्गमों से जन्म लेती है, जो उसने जीवन में एक दूसरे से इतने मिल गए होते हैं कि अलग नहीं किए जा सकते, फिर भी उनका अपना अस्तित्व और महत्त्व है। इन उद्गमों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं, जातीय, धार्मिक तथा भाषा सम्बन्धी नहीं। ऐसे कई देशों का उदाहरण दिया जा सकता है जिन्होंने जातीय, धार्मिक तथा भाषा-सम्बन्धी विभिन्नता होते हुए भी राष्ट्रीय एकता प्राप्त की है। ग्रीस को ही ले लीजिए। उमके निवासी डेल्ट, सैक्सन, डेन तथा नॉर्गमन हैं। उनके पूर्वजों ने आपस में शतान्दियों तक युद्ध किया और एक दूसरे का विनाश किया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे और 'ट्वीड नदी से भा बढकर उनका विभाजन रक्त की एक गहरी नदी द्वारा हुआ है।' लेकिन आज सैकड़ों वर्षों के युद्ध के परिचात् भी वे एक ही सम्राट् के भक्त हैं। रॉबर्ट ब्रूस और वैलेस आंग्लों के विरुद्ध सदैव वारता से लड़ते रहे किन्तु आज इन वीरों का आंग्लों को भा उतना ही गर्व है जितना स्कोट्लोर्गों को। जर्मनी में रोमन कैथोलिकों और लूथर के अनुयायियों की शत्रुता के सामने तो हिन्दू-मुसलमानों का विरोध नहीं के बराबर है, फिर भी सभी जर्मन, कैथोलिक तथा लूथर के अनुयायी, राष्ट्रीयता की भावना से अनुप्राणित होकर एक शक्तिशाली राष्ट्र के सदस्य बन गए हैं। जातीय, धार्मिक और भाषा सम्बन्धी विरोधों से विनष्ट हो जाने पर भी स्विट्जरलैंड आज एक शक्तिशाली तथा सम्मिलित राष्ट्र का अनुपम उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से हमें एक और उपयुक्त उदाहरण मिलता है कि जातीय तथा धार्मिक एकता किसी भी जाति को राष्ट्र में परिणत करने के लिए अनिवार्य नहीं है। जातीय एकता उसकी शुद्धता पर निर्भर है। समाज-शास्त्र के ज्ञाता बताते हैं कि जातीय शुद्धता आज के समार में स्वयं के सिवाय और कुछ नहीं

है। आज के सभ्य सभ्यता के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन में धर्म काई महत्त्वपूर्ण अंग नहीं रह गया है— धार्मिक सहिष्णुता की इस भावना की ध्वन्यवाद है। इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा में जो सम्भव हुआ है वह भारत के लिए असम्भव नहीं घोषित किया जा सकता। भारतीय एकता प्रिलवाह मान कर केवल इसी लिए नहीं उपेक्षित की जा सकती कि उसमें जातीय एकता का अभाव है, या वहाँ कई भाषाएँ बोली जाती हैं या वहाँ अनेक धार्मिक विश्वास प्रचलित हैं। दूसरी ओर, भारत में एकता के धार्मिक, ऐतिहासिक तथा साम्प्रतिक स्रोतों की कमी नहीं है।

भारत सभ्यता की सबसे अधिक स्पष्ट भौगोलिक इकाइयाँ में से एक है। उसकी प्राकृतिक सीमाएँ— उत्तर, उत्तर पूर्व तथा पश्चिमोत्तर में ऊँचे से ऊँचे पहाड़ तथा घने से घने जंगल, पूर्व तथा पश्चिम में गहरी समुद्र— उसे बड़े ही सुन्दर ढंग से एशिया के अन्य भागों से अलग करता है। भारत तथा तिब्बत और चान के बीच सभी प्रकार के सम्बन्धों में घोर रुकावटें डालने वाले हिमालय की भौति भारत के भली-भाँति सुरक्षित क्षेत्रों के मध्य कोई भी ऐसा दुर्गम पर्वत या गहरी नदी नहीं है जो देश के एक भाग से दूसरे भाग के आवागमन को बन्द कर सके। यातायात के सस्ते साधनों की उपस्थिति तथा प्राकृतिक अडचनों का न होने के कारण देश को नपे हुले भागों में भाँटा जा सकता। जो कुछ पहले कहा जा चुका है, उसे दृष्टि में रखने पर इस विषय पर अधिक जोर देना आवश्यक नहीं है। प्रकृति ने भारत का निर्माण एक अविभाज्य भू-भाग के रूप में किया है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। इस भौगोलिक एकता के एक या दो परिणामों की ओर संकेत किया जा सकता है। यही परिणाम उस ऐतिहासिक सत्य के लिये मुख्यतः उत्तरदायी हैं कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक उसने सभी बड़े शासकों ने सारे देश पर अपना शासन फैलाने का प्रयत्न किया। प्राचीन काल में चन्द्रवर्ती सम्राटों को देश की राजनैतिक एकता का ज्ञान था। मौर्यों, गुप्तों, पटान राजाओं, मुगल बादशाहों तथा अन्त में अंग्रेजों द्वारा स्थापित साम्राज्य, सभी उसी तथ्य की सूचना देते हैं। कोई भी बड़ा राजा देश के किसी भी भाग को अलग या स्वतन्त्र सत्ता मान कर उसे अपनी महत्वाकांक्षा की परिधि के बाहर नहीं मानता था। यूरोप में जैसे स्वतन्त्र राज्य रहे हैं और हैं वैसे भारत में नहीं बन सकते। यूरोप की भौगोलिक स्थिति उसे एक महाद्वीप बना देती है, भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी ऐतिहासिक तथा राजनैतिक एकता का ज्ञान कराती है। हाँ, समय समय पर उसकी सीमा के भीतर स्वतन्त्र राज्य भी रहे हैं।

भौगोलिक एकता के ही कारण देश में आर्थिक एकता भी रही है। ब्रिटिश सरकार के लिये देश के एक भाग को दूसरे भाग से रेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा सभी ऋतुओं में काम आने वाली सड़कों द्वारा जोड़ देना बड़ा सरल कार्य हो गया। वह अर्मा, चीन, तिब्बत तथा अन्य अजोखी देशों से उसी सरलतापूर्वक नहीं मिलाया जा

सका । प्राकृतिक कठिनाइयों अधिकतर अज्ञेय होती हैं । इस तथ्य के तथा देश की ब्रीह तटीय रेखा के कारण चुंगी तथा विनिमय की एक ही नीति देश के लिये अनिवार्य हो जाती है । औद्योगिक दृष्टि से कुछ प्रान्त देश के दूसरे भागों की कमी पूरा कर सकते हैं । और इस प्रकार देश संयुक्त राष्ट्र-अमेरिका की भाँति आत्म-निर्भर बन सकता है

भारत की भौगोलिक तथा ऐतिहासिक एकता से उसकी सांस्कृतिक एकता का उदा घनिष्ठ सम्बन्ध है । सांस्कृतिक एकता का महत्त्व इतना अधिक है कि ओ'मैली (O'Malley) के अनुसार भारत एक संस्कृति का नाम है, किसी जाति या समुदाय का नहीं । "एक उगाली, मद्रासी, या मराठा, एक पञ्जाबी या सिन्धी, या एक मुसलमान और एक हिन्दू, इनमें आपस में चाहे जितनी भिन्नता हो, भारत के सभी निवासियों में जीवन की एक ही व्यापक एकता प्रशिक्षित होती है ।

प्रसिद्ध जाति-शास्त्रवेत्ता (Anthropologist) सर हर्गर्ट रिसेले द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भारत में उन सभी प्राकृतिक, सामाजिक, भाषा-सम्बन्धी, रीति रिवाजों की तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच, जिनसे एक निरीक्षक प्रभावित होता है, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी अतरीय तक नीचे उहती हुई एकता की एक स्पष्ट धारा देगी जा सकती है । एक उगाली, मद्रासी, मराठा, पञ्जाबी तथा उत्तर प्रदेश के एक सभ्रान्त व्यक्ति के बीच अधिक समानता है वनिद्यत इनमें से किसी एक तथा चीन देश के एक चीनी जापान के एक जापानी या अफगानिस्तान के एक पठान के बीच । नीले तथा स्वच्छ जल वाले समुद्रों तथा हिम से ढके हिमालय के बीच रहने वाली सभी जातियाँ, उत्तरी-पूर्वी मंगोल तथा उत्तरी पश्चिमी सेमाइट जातियों की तुलना में साफ अलग हो जाती हैं । भारत की एक विशेषता है जिनमें उन सभी पर अपनी छाप डाली है जो यहाँ आकर जन्म गये हैं चाहे वे किसी भी भू-भाग से क्यों न आये रहे हों । भारत की यह विशेषता सचमुच एक विचित्र चोज है जिसने सृजन में अनेक तन्त्रों ने योग दिया है । उनमें से सत्र से प्रमुख हैं आर्य आदर्श एवं विचारधारा, जिनसे हमारे वर्तमान सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हुआ है । हिन्दू और मुसलमान, ईसाई और पारसी, आर्य और द्रविड, मंगोल तथा सीढ़ियन आदि भारत में रहने वाली सभी जातियों में परिवार के प्रति वही प्रेम, पुत्र की माता पिता के प्रति वही श्रद्धा, माँ तथा नारी के प्रति वही आदर-भाव, सम्प्रतिष्ठित कृत्य-विधानों का पालन-पालन का ही भाव है । जाति-व्यवस्था महत्त्वपूर्ण बात देखी जाती है वह इस तथ्य की स्वीकृति है कि जीवन की प्रवृत्तियों एवं आत्मा के बीच एक नैतिक सर्घर्ष है जिसमें पहले को दूसरे का अनुयायी होना चाहिये । यौन

* मुद्रगत ने जा मीस के विषय में कहा था वही भारत के विषय में भी कहा जा सकता है, अर्थात् "यह एक संस्कृति का नाम है, जाति का नहीं"। —मार्डन इंडिया ऐंड द वेस्ट, प्रष्ठ ६ ।

भारतीय आत्मा की श्रेष्ठता को नहीं स्वीकार करता ? इसी कारण हमारे देश के व्यक्ति नैतिकता एवं अनासक्ति को आसक्ति और अनुराग की तुलना में श्रेष्ठ समझते हैं। कोई कार्य करने के लिये अपने को नैतिक रूप से तैयार पाने पर चाहे परिस्थितियों कितनी भी विकट क्यों न हों, वे कोई बहाना करके उससे बचने का विचार नहीं करते। वे जीवन में सादगी एवं पूरी शक्ति से कार्य करने की भावना का भी बड़ा मूल्यवान् मानते हैं। वे महात्मा गांधी का उनसे राजनैतिक विचारों के लिए नहीं बल्कि उनकी सरलता एवं सत्यता के कारण आदर करते थे। स्वर्गीय श्री एण्ड्रूज का, जो लोगों के प्रेम के कारण दीनबन्धु कहे जाते थे, भारतीय हृदय में अपनी अत्यन्त सरलता एवं सत्यता के ही कारण इतना आदर था।

यहाँ हम यह कहना चाहते हैं कि वर्तमान भारतीय सस्कृति को जिसके कुछ मूल्य ऊपर प्रदर्शित किये जा चुके हैं, हिन्दू सस्कृति नहीं कहना चाहिए। इसका आधार हिन्दू अर्थ है, लेकिन उसका जो रूप आज है, वह हिन्दू, मुस्लिम तथा पश्चिमी सभ्यताओं के सम्मिश्रण का परिणाम है। अपनी उन्नति की चरम सीमा की शताब्दियों में हिन्दू धर्म ने जिस सस्कृति को जन्म दिया वह बाद को उस सस्कृति से बहुत प्रभावित हुई जिसे मुसलमान अपने साथ लाये। हिन्दू तथा मुसलमानों का साथ साथ रह कर एक दूसरे की सस्कृति को कुछ भी प्रदान न करना, समाजशास्त्र के नियमों के घोर विरुद्ध होता। दादू, नानक, कबीर तथा अन्य सन्तों पर इस्लाम के 'एक-ईश्वरवाद' तथा मनुष्य के पारस्परिक भ्रातृ भाव के उदार सिद्धान्तों का स्पष्ट प्रभाव है। अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ को हिन्दू तथा मुस्लिम सभ्यताओं के समन्वय का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। पिछले दो सौ वर्षों से पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क से इसे एक नवीन दिशा मिली है। इन सम्पर्कों से हमारे यहाँ एक नवीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक आग्रति हुई जिसका सर्वोत्कृष्ट व्यक्तीकरण गांधी और टैगोर की शिक्षाओं में हुआ है। सारे भारत को एक बनाने वाली सार्वभौम सस्कृति की धारा पिछली कई शताब्दियों से अनवरत एवं बड़े ही महत्त्वपूर्ण ढङ्ग से बहती चली आ रही है और वह बड़ी शक्तिशालिनी, सम्पन्न एवं विविध है।

देश की जन-सख्या के सभी भागों ने एकस्वर से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की माँग की थी, यह तथ्य हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। राजनैतिक भावनाओं तथा त्याग की एकता ही एक जन समुदाय को राष्ट्र के रूप में परिणत कर देती है। यह अनन्त बड़ा ही आश्चर्यकारी एवं आशापूर्ण है कि सभी प्रकार के लोगों ने राष्ट्र के स्वतन्त्रता का युद्ध कंधे से कंधा मिला कर किया है। देशभक्ति एवं त्याग करने की शक्ति पर किसी एक जाति या गरोह का एकाधिपत्य नहीं है, वह सभी में पाई जाती है। भारत की स्वतन्त्रता सबसे प्रयास का फल है।

ऊपर दिए हुए विचारों से यह स्पष्ट है कि भारत एक देश है और भाषा के साधारण अर्थ के अनुसार भारतवासी एक ही राष्ट्र के नागरिक हैं। कुछ राजनीतिज्ञों

द्वारा समर्थित 'द्वि राष्ट्र मिद्वान्त' सत्य का विरोधी, दुष्टतापूर्ण तथा व्यवहार में हानिकारक सिद्ध हुआ है। यह देश का अकथ हानि पहुँचा भी चुका है। हर्ष का विषय है कि भारत में रहने वाले मुस्लिम नागरिकों का इसमें विश्वास नहीं है और वे उस राज्य के प्रति पूरे स्वामिभक्त हैं जिमने वे सदस्य हैं।

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीयता की भावना भारत में उतनी शक्तिशाली एवं उत्साहपूर्ण नहीं है जितनी यूरोप के देशों में। इसका विकास तो अभी हाल में ही हुआ है— अभी एक शताब्दी भी नहीं हुई अखिल भारतीय कांग्रेस के जन्म के साथ-साथ यह भा अग्रतीर्ण हुई। भूत में इसका उन्नति में कई अड़चनें बाधक रहीं। उनमें से एक थी जनता का राजनैतिक अज्ञान, जो राष्ट्र के उत्थान के लिए कांग्रेस द्वारा किये गये कई राष्ट्रीय आन्दोलनों से कुछ-कुछ हटा है। दूसरी थी साम्राज्यवादी विदेशी शासकों की विभाजन द्वारा शासन की नीति। हिन्दू मुस्लिम विरोध, जिससे भारत की स्वतन्त्रता के विरोधियों ने इतना लाभ उठाया, विभाजन द्वारा शासन करने की इसी नीति का परिणाम है। यह विरोध धार्मिक तो है ही नहीं, सामाजिक या आर्थिक होने की जगह राजनैतिक अधिक है। विभाजन द्वारा लगाई गई अग्नि अब शान्त हो रही है। इस सम्बन्ध में और विचार हम आगे करेंगे।

अध्याय २

भारत का सामाजिक जीवन

सामान्य विशेषताएँ— भारतीय जीवन पर भौगोलिक परिस्थितियों का जो प्रभाव है उन पर विचार करने के बाद, हम अब उस न सामाजिक पहलू पर प्रकाश डालेंगे। आर्थिक, धार्मिक तथा राजनैतिक पहलुओं पर आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा।

शक्ति, धर्म और भाषा की स्पष्ट विविधता न होने हुए भी जिस सर्म्भभौम एकता का अनुभव हम लोगों को हुआ उस न साथ-साथ सति रिवाज, आचार व्यवहार तथा परम्परा की विभिन्नता में भी जीवन की एकता छिपा हुई है। और, यही है देश के सामाजिक जीवन का प्रमुख विशेषता। जिस प्रकार कुछ निरीक्षक मूलभूत एकता नहीं देख पाते या देखकर भी उस पर ज़ार नहीं देते और केवल जातीय तथा अन्य विभिन्नताओं पर ही ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार वे हमारे सामाजिक जीवन का सकार्यता और विभिन्नता से प्रभावित होकर रह जाते हैं, उसने नीचे गहरी हुई एकता तथा एकरसता की धारा का दर्शन नहीं कर पाते। पहले विचार का और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम भारत के भूतपूर्व गवर्नर-जनरल लॉर्ड डफरिन के विचार उद्धृत करते हैं— 'भारतीय जगत की सबसे बड़ी विशेषता है कर्नाचिन्दा प्रचल राजनैतिक समुदायों में उमका विभाजन। ये समुदाय अपने धार्मिक विश्वासों, ऐतिहासिक परम्पराओं, सामाजिक व्यवस्था तथा स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक दूसरे से दो ध्रुवों के समान अलग हैं। एक ओर हिन्दू अपने विभिन्न एवं अनेक देवी देवताओं में विश्वास, मूर्तियों तथा प्रतिमाओं से सुसज्जित मन्दिरों, गाय के प्रति अपने अगाध आस्था, अपने अनुल्लसनीय जाति भेदों तथा विजेताओं के सामने घुम्ने टेक देने की अपनी प्रवृत्ति को लिये पड़ा है, दूसरी ओर है मुसलमानों का एक ईश्वर में विश्वास, उनकी कट्टर धर्मान्धता, पशु शक्ति में आस्था, उनकी सामाजिक एकता तथा उन स्वर्णिम टिना की स्मृति जगदिल्ला के सम्राट बनकर वे हिमालय से कन्याकुमारी तक फैले हुए इस विशाल देश पर शासन करते थे।' यहाँ हमारा काम कारी अतिशक्ति तथा तथा न नृतेपूर्ण प्रदर्शन से भदे गने इस गद्यखण्ड की आलोचनात्मक परग्य तथा उमम छिपे अधूरे सत्य का उद्घाटन करना नहा है। यहाँ हम केवल इतना ही निर्देश कर देना चाहते हैं कि भूतपूर्व गवर्नर जनरल ने लासो गाँवाँ में बसे वास्तविक भारत के हिन्दू-मुसलमानों न प्रापनी सम्भन्धा का भ्रमात्माटक चित्रण किया है। गाँवों के हिन्दू-मुसलमानों के बीच हम इतना अन्तर नहीं पाते जितना लॉर्ड डफरिन ने दिखाया है। वास्तव में इतना अन्तर रह भी कैसे सकता है ?

समाज-शास्त्र के नियमों का इतना भयकर अपतिरेक समय नहीं है। इस सत्य द्वारा समूल पड़न हो जाता है कि भारतीय मुसलमानों में से एक बहुत बड़ी संख्या इस्लाम में दीक्षित हिन्दुओं की ही वंशज है और इन वंशजों में अब भी बहुत से हिन्दू-विचार, हिन्दू रीति-रिवाज और रीति-संहिता के ढंग प्रचलित हैं। बाहरी 'लेविल' के बदल जाने से चरित्र और भावनाएँ कहीं तक परिवर्तित हो जायँगी? धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक जीवन में कुछ विरोधों के होते हुए भी, हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य जातियों जीवन की मूलभूत प्रेरणाओं में एकता ही प्रदर्शित करती है।

हमारे यहाँ हर समुदाय अपने जीवन में धर्म को समान महत्त्व देता है। यह कुछ ऊपरी, साधारण बात नहीं है : इसका कारण वास्तव में भारतीय जीवन की मूलभूत एकता है। भारत में हम धर्म को पश्चिम से अधिक महत्त्व देते हैं ; हम इसे जीवन के किसी विशेष पहलू या क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखते और न किसी विशेष दिन को ही लॉर्ड (ईश्वर) का दिन मानते हैं जैसा कि पश्चिम वाले करते हैं। शैशवावस्था से लेकर मृत्यु तक तथा प्रातः से लेकर रात तक धर्म ही हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक है। प्रत्येक हिन्दू से जीवन में सोलह-संस्कारों की पूर्ति की आशा की जाती है जिनमें अन्नप्रशान, विचारम्भ, मुडन, यज्ञोपवीत और पाणिग्रहण मुख्य हैं। यम नियमों के प्रति भी लोगों की बड़ी आस्था है। माता-पिता का अभिवादन, प्रातः स्नान, प्रार्थना इत्यादि धार्मिक कृत्य समझे जाते हैं। हमारे भोजन वस्त्र, आचार तथा व्यवहारों पर धर्म का गहरा प्रभाव है। धर्म की इस व्यापकता का कारण यह है कि जीवन को चलाते चाली सभी सामाजिक संस्थाओं का आधार धार्मिक है। हिन्दू धर्म तथा इस्लाम दोनों ही सामाजिक तथा दोनों ही धार्मिक हैं। उनकी मूलभूत संस्थाएँ दोनों धार्मिक मूल्यों से अनुपासित एवं प्रतिष्ठित हैं। जीवन के भारतीय दृष्टिकोण में धर्म की प्रधानता का प्रमाण यह है कि राजनैतिक क्षेत्र तक में हमने धार्मिक तथा नैतिक भावनाओं को स्थान दिया है। गांधाजी के नेतृत्व में भारत ने यह विश्वास कर लिया है कि बुरी राजनीति अच्छा धर्म नहीं बन सकती। जीवन और धर्म का अलग-अलग समझने वाले अग्रजों तथा शेष समार का महात्मा गांधी और भारत को समझने तथा उसका समर्थन करने में असफल होने का एक यह भी कारण है।

जीवन की साधारण रूप रेखा में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान नीचे के विचारों से भी प्रदर्शित होगा। भारतीय इतिहास में कदाचिन् ही ऐसा कोई समय रहा होगा जब किसी-किसी रूप में धार्मिक आन्दोलन न हुआ हो। धर्म के सम्बन्ध में ही हिन्दू नेताओं की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ है। पिछली शताब्दी में हुए धार्मिक आन्दोलनों ने ही बाद की राष्ट्रीय जागृति के लिए पथ तैयार किया है। अपने देश में सामाजिक तथा धार्मिक सुधारकों का ध्यान आकर्षित करने वाली विभिन्न सामाजिक समस्याओं के साथ धार्मिक पृष्ठभूमि रही है। बाल-विवाह, विधवा विवाह और अस्पृश्यता-

निवारण जैसे समाज-मुधार के कार्यों के विरोधी तथा समर्थक अपने अपने विचारों की पुष्टि के लिए प्रमुख धार्मिक पुस्तकों का आश्रय लेते हैं। छुआछूत के प्रश्न पर महात्मा गांधी को भी पंडितों से वाद-विवाद करना पड़ा था।

भारत के लोग धर्म पर बहुत जोर देते हैं, इस पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह तो इस सत्य के साथ लिपटी एक स्वाभाविक बात है कि भारत के लोग अनिश्चित काल से आध्यात्मिक आदर्शों की खोज में रहे हैं। जिस प्रकार प्राचीन ग्रीस ने बुद्धि-वैभव का शङ्खनाद किया और इस दिशा में सभ्यता के साहित्य को एक अमूल्य निधि प्रदान की, जिस प्रकार प्राचीन रोम ने नागरिक जीवन की उच्चता का अद्योधोप सुनाया और सभ्यता के सामने राज्य-भक्ति का आदर्श रक्खा, उसी प्रकार प्राचीन भारत ने अपने को आध्यात्मिक आदर्शों की खोज में लगाया और मानव-जाति की सेवा में एक आध्यात्मिक दर्शन की भेंट की। विदेशी शासन के अनैतिक प्रभावाँ के बीच भी हम जीवन के इसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण जिसे हमने अतीत से विरासत के रूप में प्राप्त किया है, धार्मिक रह सके।

माता पिता, गुरुजन और बड़ों के प्रति श्रद्धा, सौजन्य तथा दूसरों के प्रति आदर, अतिथि-सत्कार तथा दानशीलता आदि भारतीय जीवन से सम्बन्धित गुण, सम्पूर्ण जीवन के प्रति व्यापक धार्मिक दृष्टिकोण के परिणाम हैं। हमें आज भी भारतीय राष्ट्र के सभी भागों में ये विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तथा ब्रह्मपुत्र से सिन्धु तक कोई कहीं भी जाय, उसे अतिथि-सत्कार एवं उदारता की समान भावना की आशा रखनी चाहिए।

जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण ने, जिस पर हमने इतना जोर दिया है, एक दूसरे परिणाम पर भी दृष्टि डालनी चाहिए। इस परिणाम के अनुसार हम किसी व्यक्ति का मूल्य उसके भौतिक वैभव से नहीं, उसके चरित्र-धर्म से आँकते हैं। हमारे यहाँ धनी नहीं, गुणवान व्यक्ति का आदर होता आया है। हिन्दुओं में सबसे ऊँचे वर्ण के लोग ब्राह्मण रहे हैं जो धन की नहीं, ज्ञान एवं सत्य की उपासना करते हैं। उसी प्रकार मुसलमान भी सामाजिक वैभव से कहीं अधिक चारित्र्य को महत्त्व प्रदान करते हैं। उनमें सूफियों का बहुत ही अधिक आदर होता है। जहाँ कहीं भी चरित्र तथा अन्य गुण मिलते हैं हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। एक विदेशी भाई यदि वह गुणवान है तो, अपने ही देशवासियों की भाँति हमारा श्रद्धा का पात्र बनता है। स्वर्गीय दीनबन्धु ऐंग्लूज भारतवासियों द्वारा जिस प्रेम तथा आदर के साथ देखे जाते थे, वह इस बात का उदाहरण है।

किन्तु यह बड़े दुःख के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि प्राक्कल विपन्न परिस्थितियों की विवशता से और अधिकतर विदेशी शासन के परिणामस्वरूप

जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भौतिकतावादी दृष्टिकोण हटाता चला जा रहा है। धार्मिक दृष्टिकोण के लुप्त होने का अर्थ है भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अन्त। प्राचीन ग्रीस, मीरिया और यूनान के साथ मृत राष्ट्र न कहला कर भारत के जीवित रहने का यही कारण है कि लगातार आक्रमणों द्वारा उसके राजनैतिक शरीर के विनाश के बाद भी उसके आध्यात्मिक आदर्शों का अन्त नहीं हुआ। लेकिन आज हमारी मास्क्रतिक धारा की गति बहुत ही धीमी हो गई है और यदि हम पश्चिमी भौतिकवाद द्वारा हुए विनाश को रोकने के लिए कदम नहीं उठाते तो हमारी प्राचीन सभ्यता भी अन्य सभ्यताओं का रास्ता पकड़ेगी तथा नव-प्राप्त स्वतन्त्रता के होते हुए भी हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता केवल अतीत की याद दिलाने के लिए रह जायगी।

हो सकता है कुछ ऐसे भी व्यक्ति हों जो धर्म को जीवन और व्यवहार का आधार बनाना निर्गर्क समझें। उनकी धारणा है कि चूंकि धर्म उनके और ईश्वर के बीच एक व्यक्तिगत वस्तु है इसलिए व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक जीवन पर धर्म का प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहिए। उनके अनुसार राजनीति तथा सामाजिक सम्बन्धों पर धर्म के आक्रमण का अर्थ है समाज में वैमनस्य का बीज-बपन और उसका परस्पर-विरोधी टुकड़ों में विभाजन। अपने विचार की पुष्टि में वे हिन्दू-मुसलमानों के बीच के शर्मनाक झगड़ों का उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि धर्म भारत के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन के लिए एक भयङ्कर अभिशाप है। हमारे जीवन तथा व्यवहार को स्थिर करने वाली सामाजिक संस्थाओं तथा नियमों में धार्मिकता का पुट होने के कारण ही हमारा सामाजिक जीवन एक अलग चीज बन गया है। हिन्दू मुसलमान के न साथ भोजन करता है और न उसके साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है। हिन्दू के रस्म-रिवाज और आचार-व्यवहार मुसलमानी रस्म-रिवाज और आचार-व्यवहार से भिन्न हैं; पारसियों के सिक्कों से भिन्न हैं, इत्यादि। इसका परिणाम यह हुआ है, कि विभिन्न समुदायों के त्यौहार भी अलग-अलग हैं। हिन्दू विजयदशमी, दीवाली, जन्माष्टमी, होली और अन्य त्यौहार मानते हैं जब कि मुसलमान ईद, मुहर्रम आदि और ईसाई बड़ा दिन मानते हैं। न केवल उनके त्यौहार ही एक दूसरे से भिन्न हैं बल्कि उन त्यौहारों के मनाने के ढंग भी मूलतया भिन्न हैं। हिन्दू अपने त्यौहारों को मुसलमानों तथा ईसाइयों की तुलना में अधिक व्यक्तिगत ढंग से मनाते हैं। इससे भी दुरी बात तो यह है कि साम्प्रदायिक विरोध के कारण एक जन-समूह दूसरे जन-समूह के त्यौहारों में भाग ही नहीं लेता। आज हमबहुत थोड़े ही मुसलमानों को होली तथा कुछ ही हिन्दुओं का मुहर्रम में भाग लेते देखते हैं। ऐसा कोई राष्ट्रीय त्यौहार नहीं है जिसमें सभी भारतीय भाग लेकर आनन्द मना सकें। राजनीति में धर्म के आ जाने से हमारे राजनैतिक जीवन में विनाशकारी तत्व पैदा हो गये थे। साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र उन्नी जहर का अस्त्र था। आगे बढ़कर सरकारी नौकरियों

और विद्यालयों तक में साम्प्रदायिकता की माँग प्रारम्भ हुई थी। इन तमाम मर्गों का अन्त पाकिस्तान में हुआ। कुछ अशो तक पृथक्त्व हमारे सामाजिक जीवन का एक ऐसी विशेषता है जो और कहीं नहीं पायी जाती। हममें सामाजिक जीवन की यह एकता नहीं है जो फ्रांस, इंग्लैंड तथा जर्मनी जैसे देशों में देखने को मिलती है। और हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह जीवन में धर्म का प्रधानता देने का ही परिणाम है। लेकिन यह करना समीचीन होगा कि ये सब दुष्परिणाम धर्म की प्रधानता देने के कारण नहीं बल्कि धर्म के मूलतत्वों के बजाय उनके बाह्य रूपों को ही प्रधानता देने के कारण हैं। यदि हम धर्म का अर्थ केवल एक ऐसी आन्तरिक भावना से ही जो जीवन का पथ प्रदर्शन करती है और उदात्त गुणों का समावेश करती है, लगाते हैं, और उसके कुछ बाह्य कृत्यों की पूर्ति से नहीं, तो यह असम्भव है कि धर्म कभी भी पूरा और पृथक्त्व को प्रश्रय देगा। धार्मिक भावना की उपस्थिति का कारण नहीं बल्कि उसका मुक्ति पूर्ण व्याख्या के कारण ही हम अनेक परेशानियाँ भेल रहे हैं। आज दुनिया का अपने सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को आध्यात्मिक बनाने की आवश्यकता है। सारी मनुष्य जाति के लिए महात्मा गांधी का यही संदेश है। उनके अनुसार नैतिक और आध्यात्मिक विचारों से विमुक्त होकर राजनीति जीवन का हनन कर डालती है। इसी लिए उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्यपूर्ण उपायों का प्रयोग का आदेश दिया था।

अपने देश का सामाजिक जीवन को प्रवाह तथा दिशा देने वाली सामाजिक संस्थाओं की परीक्षा करने का पहले उसके एक महत्वपूर्ण अंग पर ध्यान देना आवश्यक होगा। भारतीय समाज का निर्माण में व्यक्ति का उतना हाथ नहीं है जितना समुदायों का। कोई व्यक्ति समाज में एक अलग इकाई बनकर नहीं बल्कि परिवार, जाति और ग्राम का सदस्य बनकर रहता है। अतः ही इन समुदायों में ही किमी-न-किसी की सदस्यता के बाहर तो कदाचित् ही कोई रहता रहा हो। सामाजिक संगठन के नाम पर जो कुछ भी प्रतिबंध उस पर लगाये जाते थे उन्हीं के अनुसार उसका विकास होता था। समाज का उस व्यवस्था का बड़ी शक्तिपूर्वक पतन हो रहा है। शासन का वर्तमान रूप जिन सिद्धान्तों पर आधारित है उनसे उस सामाजिक व्यवस्था का भेल नहीं बैठता।

वर्ण-व्यवस्था छुआछूत, परिवार, विवाह, पर्दा तथा धार्मिक कर्मकांड का सतर्कतापूर्ण अध्ययन आवश्यक है। हम उनमें से प्रत्येक का अलग अलग विवेचन कर रहे हैं।

वर्ण-व्यवस्था— वर्ण-व्यवस्था हमारे सामाजिक संघटन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा उसे अन्य समाजों से अलग कर देने वाली विशेषता है। हालाँकि इसका विशेष सम्बन्ध हिन्दू सामाजिक व्यवस्था से है फिर भी इसे भारतीय कहा जा

सकता है क्योंकि मुसलमानों तथा ईसाइयों में भी कुछ-न-कुछ जातीय भेद पाये जाते हैं। इन धर्मों में दीक्षित होने वाले अपने नये चोले में भी पुराने जातीय विभेद लेते गए। इस सन्धा का अध्ययन हम एक परिभाषा से प्रारम्भ करते हैं।

जाति की परिभाषा और उसका स्वरूप— सर एडवर्ड ब्लैट के अनुसार जाति ऐसे लोगों का समूह है या ऐसे समूहों का सम्मिश्रण है जो अपने ही जैसे लोगों में वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। उनका एक ही नाम होता है; सदस्यता परम्परागत होती है; जन्म के साथ ही जाति निश्चित हो जाती है और जन्म ही जाति की सदस्यता का आधार होता है तथा सामाजिक आदान प्रदान के मामलों में जाति के सदस्यों पर कुछ कठोर बन्धन होते हैं। परम्परागत पेशा, गोत्र, या इन दोनों पर बन्धन समान रूप से लागू होते हैं। साधारणतः जाति का अर्थ है लोगों का एक सम्मिलित समुदाय। जाति की यह 'परिभाषा इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया' में दी गई परिभाषा की ही तरह है और अपने देश में जाति की क्रियाशीलता तथा व्यक्तिगत जीवन में उसके महत्वपूर्ण स्थान पर प्रकाश डालती है। इस परिभाषा के अनुसार जाति ऐसे लोगों का समूह है जिसकी सदस्यता जन्म के ही अनुसार निश्चित की जाती है। इसका यह अर्थ है कि वर्तमान जातियाँ परम्परागत हैं। कोई आदमी किसी जाति को चुनता नहीं; वह उसमें पैदा होता है और उसे बदल नहीं सकता। इस बन्धन के कारण यह व्यवस्था स्थावर हो जाती है और इस प्रकार लोग एक समूह से दूसरे समूह में नहीं जा सकते जो कभी-कभी सामाजिक प्रगति तथा न्याय की दृष्टि से बहुत आवश्यक हो सकता है। यह याद रखना चाहिए कि यद्यपि जाति और जन्म बहुत प्राचीन काल से एक दूसरे से बँधे हुए हैं फिर भी यह व्यवस्था अपनी प्रारम्भिक अवस्था में उतनी कठोर नहीं थी जितनी आज है। बहुत ही प्राचीन काल में जाति केवल जन्म पर ही नहीं बल्कि स्वभाव और गुण पर निर्भर थी। ब्राह्मण दूसरी जातियों से सतोगुण, क्षत्रिय रजोगुण और शूद्र तमोगुण के आधार पर अलग समझा जाता था। इस प्रकार वर्तमान व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था से मूल रूप में अलग हो गई है। यही मूलभूत विरोध इसमें आ जाने वाले कई दुर्गुणों एवं अपूर्णताओं का कारण है।

इस परिभाषा के अनुसार, दूसरी ओर, जाति एक ही परम्परागत पेशा मानने वालों का एक समूह है। आधी शताब्दी पहले इस पहलू पर अधिक जोर था, किन्तु आज ऐसी बात नहीं है। एक ही जाति के लोग आज तरह तरह के पेशे कर रहे हैं—कुछ ब्राह्मण पुरोहित हैं, कुछ ज्योतिषी; कुछ जमींदार हैं और कुछ ने सरकारी नौकरियों कर ली हैं या विद्या-बुद्धि के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। दूसरी पेशेवर जातियाँ, जैसे नाई, धोत्रा, जुलाहा, कुम्हार तथा गड़रिये इत्यादि भी केवल अपने परम्परागत पेशे ही नहीं करतीं, बल्कि उनमें से कितने लोग दूसरे पेशे कर लेते हैं। देश में प्रचलित नयी आधिक प्रवृत्तियों का यह प्रभाव हुआ है। लेकिन कुछ समय पहिले, जैसा कि हम परिभाषा से स्पष्ट है, जाति और पेशे में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध था। इस पहलू का

यहाँ एक और अर्थ भी समझ लेना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जातियों की सख्या पेशों की सख्या से कहीं अधिक होनी चाहिए क्योंकि कुछ जातियों के कई टुकड़े हैं। यह स्थिति प्राचीन आदर्श ने विरुद्ध पड़ती है क्योंकि उसने अनुमार ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ये ही चार वर्ण होने चाहिए। आज सब मिलाकर लगभग तान हजार छोटी बड़ी जातियाँ हैं। गुण तथा कर्तव्य के आधार पर समाज का चार प्रमुख भागों में विभाजन ठीक भा है और स्वाभाविक भी। विभाजन की किसी स्वाभाविक रेखा के बिना समाज को निश्चित समूहों में बाँट देना सलत और नियम-विरुद्ध है। खनियों बनियों तथा कायस्थों, जाटों, गुर्जरों तथा त्यागियों, कोलिया तथा डोमों का विभाजन तर्कसंगत नहीं है और न जल्दी समझ में आने वाला है। हर पेशे की अलग जाति बना देना और लुहार, सुनार, बढई, नाई, कसाई आदि का भिन्न-भिन्न जातियों में बाँट देना मूर्खता पूर्ण है। हिन्दू समाज में सघटन का अभाव का कारण जाति का इतने अधिक टुकड़ों में विभाजन ही है जिनका प्राचीन समय में कोई अस्तित्व नहीं था। यह बताना बहुत कठिन है कि विभिन्न जातियाँ और फिर उनमें भी उपजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई।

तीमरे, सर एडवर्ड ब्लॉक द्वारा दी हुई परिभाषा के अनुसार प्रत्येक जाति ऐसे लोगों का एक समूह है जो आपस ही में वैवाहिक सम्बन्ध आदि स्थापित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि एक जाति का सदस्य अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता— एक वैश्य को वैश्य से, ब्राह्मण को ब्राह्मण से, तथा एक कायस्थ को कायस्थ से ही विवाह करना पड़ेगा। यह व्यवस्था अन्तर्जातीय विवाह के विरुद्ध है। इस नियम का बड़ी कड़ाई से पालन होता है, आज भी अन्तर्जातीय विवाहों की सख्या बहुत थोड़ी है।

चौथे, एक सगठित तथा अविभाज्य जनसमूह को भी जाति की संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों की अपेक्षा अपनी जाति के लोगों से अधिक मिलते हैं। एक वैश्य एक ब्राह्मण की बनिस्वत अपनी जाति के एक दूसरे व्यक्ति से अधिक सामान्य अनुभव करेगा। नियम, गति रिवाज तथा आचार-विचार के कारण प्रत्येक जाति का अपना अपना ढंग और नियम होता है और इसी कारण उनका अलग-अलग सघटन भी होता है।

अन्त में, सामाजिक व्यवहार के क्षेत्र में प्रत्येक जाति के अपने सदस्यों पर कुछ बन्धन होते हैं। इन्हीं बन्धनों के अनुसार जाति के लोगों का खान-पान, वेश भूषा, शादी विवाह तथा जीवन के अन्य कार्य चलते हैं।

इस व्यवस्था की कुछ अन्य उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं जिनका ऊपर की परिभाषा में समावेश नहीं है। प्रत्येक जाति अपनी तरफ एक जनतन्त्रात्मक सघटन है। जाति में भाईचारे का नाता है जिसमें सभी बराबर हैं, चाहे वे किसी भी स्थिति के

हैं। व्यक्तिवाद तथा विदेशी शासन के ग्रहितकर प्रभाव के कारण हिन्दू-समाज में ऊँचे स्तर के लोगों में समता तथा भाईचारे की इस भावना का लोप हो गया है, फिर भी, नाचे स्तर के लोगों में, जहाँ जति-पचावतें सभी सदस्यों का बराबर मानती हैं, यह भावना अब भी बाकी है। वैवाहिक भोज तथा अन्य अवसरों पर जाति के लोग बुलाये जाते हैं। बिरादरी के इस तथ्य में ममानता की भावना अब भी बनी हुई है। प्रत्येक जाति में पारस्परिक सद्दानुभूति, सद्भाव तथा मेल जोल की भावना पायी जाती है। विवाह आदि के अवसरों पर बिरादरी के सभी सदस्य एक-दूसरे की सहायता करते हैं। विधवा, अनाथ और अन्य प्रकार के आश्रयहीन तथा अपंग लोग अक्सर जाति द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं। कभी कभी जाति समा योग्य विद्यार्थियों को छात्र वृत्ति इत्यादि भी देती है। पश्चिम में समाज या राज्य से जिन वर्तव्यों की आशा की जाती है वह अपने देश में जाति पूरा करती है।

आज की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करत समय प्राचीन व्यवस्था से उसके अन्तर के कुछ प्रमुख विचार रखे गये हैं। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि मूलरूप में केवल चार ही जातियाँ थीं, जैसे विद्या की दा। उपसना में लगे रहने वाले ब्राह्मण, बाहरी आनमणों से समाज की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, आर्थिक क्षेत्र में प्रभुत्व रखने और धन उत्पन्न करने वाले वैश्य और अन्त में शूद्र जिनका मुख्य कर्त्तव्य था शेष तीन उच्च वर्णों की सेवा। इन प्रकार बुद्धि का प्रयोग करने वाले, लड़ने भिड़ने वाले, धन उत्पन्न करने वाले तथा हर समाज में पाये जाने वाले दास या घरेलू सेवकों की अलग-अलग जातियाँ बन गई थीं। लेकिन आज हिन्दू समाज सैंकड़ों छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया है। इन चार मूल जातियों का विभाजन गुण और स्वभाव की विशेषताओं के आधार पर हुआ था लेकिन आज गुण और जाति में बड़ा भेद है। इन भिन्नताओं में एक विचार और जोड़ा जा सकता है। पहिले, जाति द्वारा मनुष्य के कर्त्तव्यों का निश्चय होता था, उसने अधिकारों का नहीं। विद्या की उपासना करना ब्राह्मणों का कर्त्तव्य या धर्म था। उनके लिए धन या राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने की मनाही थी क्योंकि यह क्रम से वैश्यों तथा क्षत्रियों का कार्य था। उनका जीवन विनम्रता और आत्मसमय का था और इस प्रकार वे जीवन के भौतिक सुखों और वैभवों से दूर रहते थे। इसी प्रकार अन्य वर्णों के कर्त्तव्य भी स्थिर हुए थे। जब तक प्रत्येक जाति अपने धर्म तथा कर्त्तव्यों का पालन करती रही, सब कुछ ठीक था और समाज समृद्धिशाली होता रहा। लेकिन जब ब्राह्मणों ने अपना कर्त्तव्य भुलाकर राजनैतिक शक्ति पाने की चाही और सासारिक उन्नति करने की इच्छा की, क्षत्रिय अपना कर्त्तव्य भुलाकर विद्या के कार्य में लगे गये तथा वैश्य ब्राह्मणों के क्षेत्र में उतरने लगे, तभी से पतन प्रारम्भ हो गया। आज हिन्दू-समाज में हम जो बराइयाँ देख रहे हैं वे जाति प्रथा के कारण नहीं बल्कि उस प्रथा की विकृति के कारण

पैदा हो गई हैं । इस समय वर्ण-व्यवस्था का केवल गहरी ढाँचा रह गया है ; उसकी आत्मा तो समाप्त हो चुकी है ।

इस व्यवस्था की एक और बुराई भी ध्याने देने योग्य है । प्राचीन काल में जाति व्यवस्था आश्रम धर्म नामक एक दूसरी व्यवस्था से सम्बन्धित थी, लेकिन आज वैसी चीज नहीं है । प्राचीन काल के लोगों ने चार वर्णों या जातियों की नहीं बल्कि पूरे वर्णाश्रम की व्यवस्था की थी । जीवन के चार आश्रमों में जाति केवल एक आश्रम के लिए थी । केवल शुद्ध ही जाति-व्यवस्था के नियमों का पालन करने थे, ब्रह्मचारी, गान्धर्वी तथा संन्यासी की कोई जाति नहीं थी । आज जन्म से मृत्यु तक जाति बनी रहती है, इसी के अनुसार मनुष्य के भोजन, विवाह, पेशे, समाज में स्थान आदि सबका निर्णय होता है । यदि आज इस व्यवस्था ने अपनी उपयोगिता खो दी है और यह समाज का फोड़ा बन गया है तो इसका कारण इसका वही विकृत रूप है जिसे इसने अपने लम्बे जीवन में प्राप्त कर लिया है ।

जाति-व्यवस्था के गुण— जाति-व्यवस्था को बुरा बताना तथा भारतीय राष्ट्र की अनेक बुराइयों के लिए इसी को दोषा ठहराना आज एक फैशन बन गया है । यदि यह इतनी ही बुरी चीज होती तो सदियों तक शायद जीवित न रहती और न अपने ऊपर विभिन्न समयों में हुए आघातों का ही सहन कर पाती । जाति ने विलक्षण जीवन शक्ति का परिचय दिया है, इसने उन जन-समूहों में भी प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाया है जिनमें इसका प्रचलन पहले नहीं था । इसलिए स्पष्ट है कि इसमें कुछ अच्छाइयों आवश्यक हैं । •

आर्य जन पश्चिमोत्तर से भारत आये तो उन्हें देश के उन निवासियों से बड़ा सघर्ष करना पड़ा जिन्हें बाद में उन्होंने हराया । अफ्रीका की काली जातियों तथा आस्ट्रेलिया के निवासियों के साथ यूरोपवालों ने जिन तरीकों का अनुसरण किया उस प्रकार के तरीकों का प्रयोग करके हमारे पुरखाने यहाँ के मूलनिवासियों को नहीं निकाला । उन्होंने अपनी समस्याओं के हल का दूसरा ही उपाय निकाला । उन्होंने अनाथों को शूद्र वर्ग में परिणत कर दिया और उन्हें निम्न कार्य सौंप दिये । तीन उच्च वर्णों तथा शूद्रों के बीच के अन्तर का आधार कदाचित् व्यावहारिक ही है । देश के भीतर बाद में आने वाली नस्लों की अलग अलग जातियाँ बना दी गईं । गंगाल के राजवंशी और चांडाल, पंजाब और राजस्थान के जाट और मेव (Meos), उत्तर-प्रदेश के बुन्देल, बम्बई के माहर, मद्रास के नायर तथा देश के कुछ अन्य लोग भी बाहर से आने वाली नस्लों में से हैं जिनकी बाद में अलग-अलग जातियाँ बन गई थीं । हमारे पुरखों को बाहरी नस्लों के सम्बन्ध में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा ।

इन समस्याओं में जाति-व्यवस्था का जन्म हुआ। समस्याओं के हल करने का ऐसा दृष्टि उन सभी तरीकों से अच्छा है जिनका विभिन्न देशों के लोगों ने प्रयोग किया है।

ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के बीच भेद की उत्पत्ति दूसरी चीज है और उसका अर्थ भी दूसरा है। इसका आधार कदाचित् श्रम का विभाजन है जो आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त सुविधाजनक होता है। प्राचीन आदर्शों तथा धार्मिक परम्परा की रक्षा, सर्वोच्च सत्ता व विषय में मत की गंजा और उमर प्रचार करने के लिए ब्राह्मण, शान्त को कर्तव्य मान कर समाज की रक्षा के लिए क्षत्रिय, धन उत्पन्न करने तथा उसका वितरण करने के लिए वैश्य और अन्त में, निम्न जाया के सम्पादन के लिए शूद्र वर्ग की व्यवस्था कर देने से अधिक सामाजिक और क्या चीज हो सकती थी। श्रम का ऐसा विभाजन करने से समाज का संघटन अच्छी प्रकार होता है। इसी सिद्धान्त के कार्यरूप में परिणत होने के कारण कदाचित् विभिन्न पेशेवर जातियों की उत्पत्ति हुई। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का यदि यह विवरण मान्य न भी हो तो भी यह सत्य है कि इन व्यवस्था से आर्थिक क्षेत्र में बड़ी सरलता होती है। किमी भी जाति या परिवार में किमी भी पेशे के परम्परागत जनने से, अनुकूल पारिवारिक वातावरण तथा पिता के स्नेह पूर्ण निरीक्षण में रह कर बच्चे उमर पेशे में कुशलता तथा चतुरता आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि प्राचीन पेशा तथा धर्मों में लगे रहने वाले लोग बड़े हा आश्चर्यजनक हस्त-कौशल का परिचय देते हैं। जाति व्यवस्था ही बहुत सीमा तक भारतीय दम्तकारों द्वारा बनाई वस्तुओं के शतान्धिया तक यूरोप में आदर पाने का कारण रही।

हमारे समाज में जाति-व्यवस्था का एक और अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसने लोगों को अपने परम्परागत पेशा से सतृप्त रखा है और कोई पेशा चुनने के लिए व्यर्थ की माथा-पन्ची से उन्हें बचाया है। खुली प्रतिस्पर्धा (Free Competition) से उत्पन्न हुई सुराहियों पश्चिमी आर्थिक व्यवस्था में स्पष्ट दृष्टिगत हैं और इसी कारण वहाँ समाजवाद तथा कम्युनिज्म की उत्पत्ति हुई। भारत में अभी हाल तक हम इन सुराहियों से अज्ञाते थे। जाति व्यवस्था का भारतीय जनता को यह कोई कम महत्त्व की देन नहीं है।

जाति-व्यवस्था ने ही हिन्दू समाज को इस्लाम के आक्रमणों से बचाया और उसे एकदम समाप्त हो जाने से बचा लिया। इसमें ही हिन्दुओं में यह संघटन दिया जिसने समूची जनता को मजबूत करने से बचा लिया। फारम, अफगानिस्तान,

• 'अलग अलग सांस्कृतिक स्तरों की विभिन्न नस्लों व लोगों को एक ही समाज में सङ्गठित करने वाले दृष्टि का सचमुच बड़ी सरलता मिली और इसका अत्यन्त सुन्दर परिणाम यह हुआ कि देश आपस में लड़ने वाली विभिन्न नस्लों के कारण अनेक दुर्घटना विभाजित होने से रक्षित गया।' —रमन इण्डिया, पृष्ठ २७।

मिस्त्र, सीरिया आदि इस्लाम के बढ़ते तूफान में समाप्त हो जाने वाले देशों के पास रक्षा तथा बचाव के लिए ऐसी कोई सस्था न थी। विभिन्न जातियों के लोग व्यक्तिगत रूप से कोई धर्म भले ही स्वीकार कर ले किन्तु इरादा करके सारी की सारी जाति का धर्म-परिवर्तन करने का प्रयत्न जाति की दृढ़ता के मारे असम्भव हो जाता है। इस बुरी तथा एकदम बेकार बतार्ई जाने वाली व्यवस्था के प्रति हिन्दू बड़े ही क्रुतल हैं। आलोचक यह भूल जाते हैं कि इस व्यवस्था में पारस्परिक सदभाव को प्रश्रय मिलता है तथा आपस में एक समानता के भाव की रक्षा होती है।

जाति-व्यवस्था के दुर्गुण— जाति-व्यवस्था ने हिन्दू-समाज को जहाँ बड़े लाभ पहुँचाये हैं वहीं उससे उत्पन्न हानियाँ ने उसके लाभों को पीका कर दिया है। इसने हमें जो सबसे बड़ी हानि पहुँचाई है वह है हमारी सर्वग्राही राष्ट्रीयता का सर्वनाश। इसी के कारण सामाजिक तथा राजनैतिक विरोधों का सूत्रपात हुआ और इसी लिए हिन्दू और भारतीय राष्ट्र कमजोर हो गये। इसने सामाजिक चेतना को बढ़ा धक्का पहुँचाया है। और इसी लिए मुसलमानों में एकता तथा पारस्परिक सगठन की जो भावना है वह हिन्दुओं में नहीं है।

हमारे सामाजिक जीवन में जो पृथक्त्व है उसकी जिम्मेदार यही व्यवस्था है। एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों में न विवाह करते हैं और न खान पान का सम्बन्ध ही रखते हैं। विभिन्न जातियों के रस्म रिवाजों तथा आचार व्यवहार में बड़ा अन्तर रहता है। परिणाम यह होता है कि किसी भी बाहरी निरोधक की दृष्टि में भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि विभिन्न जातियों का समूह मान दिखलाई देता है। इस प्रकार जाति व्यवस्था द्वारा उत्पन्न विभिन्नता संस्कृति की भीतरी एकता पर परदा डाल देती है।

यदि एक ओर इस व्यवस्था ने लोगों को एक दूसरे से मिलाया है तो दूसरी ओर इसने सामाजिक उन्नति में भयंकर रोड़ा भी घटकिया है। इसी के कारण लोग सकीर्ण विचार के, परिवर्तन के विरोधी तथा पुरानी लकीर के पक्की बन गये हैं। विचारों की यह सकाशता विशेषकर सामाजिक धार्मिक मामलों में देखी जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी विधवा लकड़ी का पुनर्विवाह, या प्रौढता आने तक लड़की का विवाह रोक रखना सरल नहीं है। हर्ष की बात है कि इस विशेष क्षेत्र में रिवाज की कठोरता समाप्त हो रही है। फिर भी, यह सत्य है कि सामाजिक सुधार के रास्ते में जाति अभिशाप बनी हुई है।

इस व्यवस्था ने और भी कई तरह हिन्दू जाति का कमजोर बनाया है। इस्लाम या ईसाई धर्म की तरह हिन्दू धर्म धर्म-परिवर्तन कराने वाला धर्म नहीं है, हालाँकि इसमें आने के लिए मार्ग सपने लिए खुला है। जाति-व्यवस्था के ही कारण हिन्दू धर्म के लिए अपने धर्म में आये लोगों को मिलाना और उन्हें पचाना

कठिन हो जाता है। हिन्दू धर्म में ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें ऐसे लोग मिला दिये जायें। और, बिना किसी जाति में मिलाये वे इसके सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकते। आर्य-समाज में मा, जा हिन्दुत्व का लड़ाका भाग है और जिसमें लोगों को अपने धर्म में मिलाने की भी विशेषता है, यह कमी है। इसके अतिरिक्त विवाहादि के मामले में जाति का बन्धन लग जाने से राष्ट्र की सजीवता का बड़ा धक्का लगा है और दहेज देने की बुरी प्रथा का जन्म हुआ है। यदि एक जाति में पुरुष अधिक हैं और स्त्री कम या स्त्रियाँ अधिक हैं और पुरुष कम, तो एक दूसरे में विवाह करके आपस की कमी पूरी करना असम्भव हो गया है। इसी के कारण कुछ ऊँची जातियाँ शारीरिक श्रम और कुछ पेशों के करने में अपनी मान हानि समझती हैं और इस प्रकार उनकी आर्थिक उन्नति रुक जाती है। ↵

जाति-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह— इसकी बहुत सा बुराईयों का कारण यह है कि अतीत काल में इसके पक्षे जो भावना था वह आज नहीं है। आज जाति व्यवस्था एक तमाशा बन गई है। इसलिए, यदि इसमें विरुद्ध विद्रोह हुए हैं तो आश्चर्य की बात नहीं है। यह विद्रोह अधिकतर उन पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रारम्भ हुआ है जो पश्चिमी विचारों, भावों तथा वहाँ के आदर्शों से प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर जाति व्यवस्था का प्रभाव कम होता जा रहा है जैसा कि नीचे लिखी बातों से स्पष्ट होगा :—

(१) वीले जमाने के निमी भी समय से अधिक आज अन्तर्जातीय विवाह हो रहे हैं। हालाँकि उनकी संख्या अभी बहुत कम है। 'जात-पाँत-तोड़क-मण्डल' नाम की एक संस्था जाति-व्यवस्था के विरुद्ध बड़ा जोरदार प्रचार करती रही है और उसने कई अन्तर्जातीय विवाह भी कराये हैं।

(२) खुले या छिपे रूप से खान-पान का भी बन्धन तोड़ा जा रहा है, लेकिन यह चीज अभी बहुत कम है। पढ़े लिखे व्यक्ति दूसरी जाति के साथ खाना पाने में कोई हिचक नहीं मानते और न नीची जाति के किसी आदमी द्वारा बनाया खाना पाने में ही उन्हें कोई आपत्ति होती है विशेष अवसरों पर अन्तर्जातीय खान-पान भी चलता है।

(३) भोजन, वस्त्र, यात्रा इत्यादि पर बन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं।

(४) एक या दो पाँढी पहिले पेशे तथा जाति के बारे में जितना सकोच था उतना अब नहीं है। अब पुत्र को पिता का ही पेशा अपनाने की आवश्यकता नहीं है; वह अक्सर नये नये क्षेत्रों में जाता है।

(५) देश के कुछ भागों में 'नीची' जातियों अपनी उस नीची स्थिति के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारम्भ कर रही हैं जिसे जाति-व्यवस्था ने दृढ़ कर दिया था। वे

ऊँची जातियों के साथ बराबरी का दावा करने लगी है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वे ऊँची जातियों के सामाजिक रस्म-रिवाजों को भी अपनाने लगी है। पुराने नामों को बदल कर अब वे विभिन्न सम्बोधनों के साथ नये नये नाम भी रखने लगी है।

यह कहा जा सकता है कि बड़े शहरों तथा बड़ी जातियों में अब जाति व्यवस्था प्त्न हो रही है। गाँवों तथा 'नीची' जातियों में अब भी इसका बड़ा जोर है। इसका कारण यह है कि शहरों में रहने वाला पढ़ा-लिखा वर्ग पश्चिम के प्रभाव में आ गया है लेकिन गाँव में अब भी निरक्षरता पैली हुई है और लोगों पर बाहरी दुनिया का अभी बहुत कम प्रभाव पड़ा है।

जाति व्यवस्था की सजीवता— जाति-व्यवस्था के विरुद्ध जो आघात हो रहे हैं वे नये जमाने में अब भी बहुत कमजोर हैं और उनका दायरा सीमित है। भविष्य में जाति का क्या स्वरूप होगा यह कहना कठिन है। इस व्यवस्था ने विचित्र जीवन शक्ति का परिचय दिया है। अतीत में समय-समय पर हुए अपने ऊपर आक्रमणों को इस ने सफलतापूर्वक भेला है। गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था पर सबसे पहला आक्रमण किया था। उनके बहुत बड़े कबीर तथा मानक जैसे साधुओं ने इसके विरुद्ध आवाज बुलन्द की। पिछली शताब्दी में ब्रह्म-समाज, प्रार्थना समाज तथा आर्य-समाज ने इसे निस्तार बताया। इस्लाम और ईसाई धर्म तो पूरे के पूरे इसके विरुद्ध हैं ही। इन आक्रमणों के होते हुए भी जाति अब भी जीवित है। यह सुधारवादी मतां में भी धुस गई है; यहाँ तक कि इस्लाम तथा ईसाई-धर्म भी अप्रभावित नहीं रह सके हैं। इन धर्मों में दांति होने वाले हिन्दू अपने साथ जातीय विभेद भ लेते गये। ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय चरित्र तथा बुद्धि में जाति इतनी गहरी जम गई है कि फ्रान्स की क्रान्ति तथा अभी हाल में हुई रूसी क्रान्ति का प्रभाव भी इसे भारतीय भूमि से निकाल फेंकने में सफल नहीं हो सका है।

जो लोग मानव-स्वभाव को समझते हैं उन्हें यह प्रतीत होगा कि जाति-व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना असम्भव है। जो सम्भव है और जिसके लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए वह है जाति व्यवस्था में सुधार; उसका समूल विनाश नहीं। जो कुछ भी तर्क के विरुद्ध है, उसे छोड़ देना चाहिए, जो मानव-स्वभाव के अनुकूल है, उसे बचाना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि जहाँ कहीं भी कुछ आदमी समूहों में रहने लगेंगे वहाँ किसी न-किसी प्रकार का 'जातीय' भेद-भाष उत्पन्न हो जायगा। इस प्रकार का भेद कहीं भी उत्पन्न हो सकता है। प्लेटो ने, जो संसार के बड़े से बड़े विद्वानों में हुआ है, अपने आदर्श समाज को चार भागों में बाँटा। उसका दैतव्य प्राचीन हिन्दू जाति-व्यवस्था के ही अनुरूप

है। हमें बुराइयों से बचते हुए चार वर्णों में बँटा हुई जाति व्यवस्था को उमने मूलरूप में स्वीकार करना चाहिए। जाति का आधार गुण और कर्म होना चाहिए, केवल परम्परा नहीं, जैसा कि वर्तमान व्यवस्था में है। हम जाति व्यवस्था के विरोधियों से यह पृथक्ना चाहेंगे कि वे इससे स्थान की पूर्ति स्थावर करेंगे और अपने नये समाज को वह किस सिद्धांत पर संगठित करेंगे। जब तक समाज संगठन की नई योजना हमारे सामने नहीं आ जाती तब तक हम इस व्यवस्था का एकदम मिटा देने का अनुरोध नहीं स्वीकार कर सकते।

जातीय पचायतें— जाति-व्यवस्था के एक अप्रिय लक्षण 'छूआछूत' के निरीक्षण से पहले इसके एक महत्वपूर्ण अङ्ग 'जातीय पचायतों' पर प्रकाश डाल देना समीचीन होगा। जातीय अनुशासन तथा उससे नियम-उपनियमों के लागू करने के ये ही कुछ परम्परागत तरीके हैं। एक जाति के सभी मामले जाति की पचायत के सामने पेश किए जाते थे और इसी के द्वारा उनका फैसला होता था। पचायत अपराधी पर जुर्माना कर सकती थी और उसे बिरादरी से भा निकाल सकती थी; वह किसी विवाह को अनुपयुक्त ठहरा सकती थी या किसी स्त्री को पुनर्विवाह की आज्ञा दे सकती थी। अंग्रेजी न्याय-व्यवस्था के विकास ने इस, किसी समय प्रमुख तथा लाभदायक, संस्था को जडा धक्का पहुँचाया। पश्चात्त विचारों का भी इस पर बड़ा बुरा प्रभाव पडा। उँची जातियों के पडे लिखे सदस्या द्वारा तो आजकल जाति पचायतों का निर्णय बहुत कम स्वीकार किया जाता है। सामाजिक तथा व्यक्तिगत मामलों में वे आत्म निर्णय के अधिकार का प्रयोग करते हैं। धान-धान, पेशे तथा सामाजिक सम्बन्धों के मामले में वे जातीय नियमों का खुल्लमखुल्ला उल्लङ्घन करते हैं। किन्तु 'नीची' जातियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जातीय पचायत अब भी जोर रखती है।

छूआछूत

इसकी प्रकृति— छूआछूत की व्यवस्था भी जिसके लिए हिन्दू-धर्म की ठीक-ठीक आलोचना की जाती है, लगभग उतनी ही पुरानी है जितनी जाति-व्यवस्था। जाति-व्यवस्था के प्रमुख चार वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, को छोड़कर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों सहित अनेक छोटी छोटी जातियाँ हैं जो सामूहिक रूप से 'अछूत' या 'जाति-बाहर' मानी जाती हैं। पञ्जाब और उत्तर-प्रदेश में उन्हें भगी, चमार, कोली तथा डोम, बंगाल में नामशूद्र, महाराष्ट्र में माहर, मैसूर में चोक्कलिंग तथा मलाबार में थिया (Thiyya) कहते हैं। अछूतों को कर्मा-कर्मी, किन्तु गलती से, दलित वर्ग भी कहते हैं क्योंकि इस शब्द का अर्थ निम्नृत है और उसमें वे वर्ग भी आ जाते हैं जो अछूत नहीं हैं, जैसे खटिक। दलित वर्ग की अनुमानित जन-संख्या भारत की कुल जन-संख्या की २०% है। महात्मा गाँधी उन्हें 'हरिजन' कहना अधिक पसन्द करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'इश्वर के बन्दे'।

‘अछूत’ से स्पर्श किया हुआ कोई भी व्यक्ति या वस्तु गन्दी समझी जाने लगती है, इसी लिए उन्हें अछूत कहा जाता है। एक सर्वार्थ हिन्दू किसी अछूत का छुआ भोजन या पानी नहीं लेगा और उससे स्पर्श किये जाने पर उसे स्वयं नहाना पड़ेगा या पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करना पड़ेगा। दक्षिण भारत में छूआछूत का अर्थ ‘निकट न ग्राना’ तक हो गया है। वहाँ ऐसी जातियाँ हैं जो सर्वार्थों की दृष्टि में वातावरण तक को गन्दा कर देती हैं, यानी उनकी उपस्थिति कुछ दूर तक वायु को भी दूषित कर देती है, इसलिए वे किसी सर्वार्थ हिन्दू के समीप निश्चित दूरी तक ही आ सकते हैं। इसके अनिश्चित यह दूरी सभी अछूत वर्गों के लिए एक सी नहीं है। कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनकी केवल छाया उस वस्तु को दूषित कर देगी जिस पर वह पड़ती है। कुछ हरिजन किसी उच्च वर्ण के हिन्दू के ६० फीट की सामा के अन्दर नहीं आ सकते। मद्रास के (तनेवल) जिले में एक ऐसा भी वर्ग है जिसके सदस्यों को दिन में बाहर निकलने की आज्ञा ही नहीं है, वे अपने घर से केवल रात में ही बाहर निकल सकते हैं। वे इतने नीचे समझे जाते हैं कि उनका छाया या स्पर्श की तो रात ही क्या, उनका दिग्वाइ पड जाना भी निषिद्ध माना जाता है। इस प्रकार उन्हें छूना या उनसे निकट जाना ही नहीं मना है, बल्कि उन्हें देखना भी मना है। उत्तर भारत में ऐसी भाषणता नहीं है। ऐसी भयकर छूआछूत दक्षिणी भारत तक ही सीमित है। दूसरी दृष्टियों से भी छूआछूत उत्तर भारत में उतनी बीहड़ नहीं है जितनी दक्षिण भारत में। इस्लाम के प्रभाव का भी इस अन्तर से कदाचित् कुछ सम्बन्ध है।

अछूतों की असमर्थताएँ— अछूतों का जीवन कठिन है। उन्हें जीवन में हीनता, दासता, मानसिक तथा नैतिक असमर्थता ही भोगनी है। जिसे वे बड़ा समझते हैं उससे सामने उनका जैसा व्यवहार होता है उसे देखकर यह प्रतीत होगा कि उनमें मनुष्योचित गौरव तथा आत्मसम्मान की भावना है ही नहीं और उन्होंने अपने का मनुष्यतर प्राणियों की श्रेणी में उतार दिया है। उनकी दयनीय दशा तथा पतन की गहराई का अनुमान नीचे दिये हुए दीनानन्द एण्ड्रूज तथा महात्मा गांधी के व्यक्तिगत अनुभवों से किया जा सकता है —

(1) ‘मुझे स्मरण है कि जब मैं मलाबार में एक दीना अछूत स्त्री के पास गया तो मैंने देखा कि अपनी गोद में एक ‘बकाल’ बच्चे को लिये वह अपने दूसरे मरभुखे बच्चे के साथ अपनी भोपड़ी में सिमटी पड़ी थी। मुझे देखते ही वह डरावने स्वर में चिल्ला उठी, हालाँकि मैं भारतीय था, खादी पहने था और मुझे कोई अपसर समझने की गुंजायश नहीं थी। वह इस भय से आक्रांत थी कि मैं उसकी उपस्थिति में अपवित्र हो जाऊँगा और नाराज होकर इससे बढले में उसे सजा दूँगा। मैंने जब उसका भय से अभिभूत चेहरा देखा तो मुझे ऐसा धक्का लगा कि बहुत दिनों तक मुझे उसका वह रूप न भूला।’*

(२) 'सब से अधिक निकट रेलवे स्टेशन के इकतीस मील की दूरी पर जोसपुर में बैठा जम में दीनबन्धु सी० एफ० एरडूज से बातें कर रहा था, तो अपनी आधी झुकी कमर में केवल एक गन्दा चिथड़ा लपेटे एक अछूत हम लोगों के सामने झुका और दूसरी ओर उसने एक तिनका उठा कर अपने मुँह में रख लिया और दोनों हाथों को फैलाकर वह लोट गया । इसने बाद वह उठा; उसने हाथ जोड़े, तिनका मुँह के बाहर निकाला, उसे अपने बाला में लगाया और फिर जाने लगा ।' मुँह में तिनका रखने का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि यह केवल 'महात्मा' का आदर करने के लिए किया गया था । महात्मा जी का सिर शर्म से नीचे झुक गया । 'इस आदर का मूल्य इतना अधिक था कि उसे बर्दाश्त करना मेरे लिए कठिन हो गया मेरी हिन्दू आत्मा को गहरा चोट पहुँची ।'

सर्वार्थ हिन्दुओं की कुछ ऐसी मान्यताएँ तथा रस्म-रिवाज हैं जिन्होंने अछूतों को उनकी इस दयनीय तथा दुःखभरी स्थिति तक पहुँचा दिया है । हम उन्हें अपने मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने देते और न उनकी धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति का हमने कोई प्रयत्न ही किया है । हमने उनकी रहने की जगहों को अपनी बस्ती से दूर कर दिया है । यही नहीं, हम उनके बच्चा को अपने स्कूलों तक भी नहीं घुसने देते । इस तरह तथा अन्य कई रूपा में वे धर्म के इस प्रभाव से दूर रखे जाते हैं जो मनुष्य को सम्भ बनाता है । उच्च वर्णों के निकट सम्पर्क में आने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता । जूटन उठाने के रिवाज तथा मरे जानवरों का मांस खाने की आदत के कारण उनकी दशा और भी दयनीय हो गई है । उनकी गरीबी भी वर्णन के परे है । उनकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि वे सबसे नीचे तथा सबसे कम आमदनी के पेशों में सीमित कर दिये गये हैं । निरक्षरता तथा अन्ध-विश्वास भी उनकी पीस डालने वाली गरीबी के कारण हैं । जिस दशा में रहने के लिए वे बाध्य किये गये हैं उसने विशद चित्रण के लिए उनकी विविध असमर्थताओं का निर्देश आवश्यक है । ये असमर्थताएँ निम्नलिखित चार भागों में विभाजित की जा सकती हैं : सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक ।

सामाजिक असमर्थताएँ— अछूतों की सामाजिक असमर्थताएँ अनेक तथा कई प्रकार की हैं । उनमें से कुछ का विकर हो चुका है, जैसे, उनके रहने के स्थान ऊँची जातियों की बस्तियों से एकदम अलग हैं । उनसे निवास-स्थान गन्दे होते हैं और वहाँ पानी तथा रोशनी का भा कोई उचित प्रबन्ध नहीं रहता । उनके स्पर्श से आदमी तथा वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं, इस मान्यता के कारण उनकी सामाजिक

असमर्थता बहुत बढ़ जाती है और इसका बड़ा भयकर प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि वे सर्वार्थ हिन्दुओं ने कुआँ से पानी नहीं ले सकते, तालाबों में नहा नहीं सकते और अपने बच्चों को स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा के लिए भेज नहीं सकते। शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ जहाँ थोड़ी और सीमित हों उस देश में इस अन्याय की कल्पना सहज ही में की जा सकती है। उनके निरक्षर तथा मूर्ख बने रहने का यह सबसे बड़ा कारण है। अनेक जगहों में गाँवों में उन्हें विवाह के अवसर पर अपने वर-वधू को पालकों में ले जाने की आज्ञा नहीं है, उनकी औरतों को सोने चादी के गहनों का प्रयोग करने की तथा पुरुषों को कमर से ऊपर वस्त्र पहनने की आज्ञा नहीं है। वे वेगार के लिए भी मजबूर किये जाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ भागों में तो उन्हें कुछ सब्जियों पर चलने तक की आज्ञा नहीं है। मद्रास राज्य में एक जिले में कलारों ने कुछ ऐसी आज्ञायें निकाल दी थीं और उनका पालन अछूतों के लिए आवश्यक कर दिया गया था। इन आज्ञायों में यह भी था कि धूप या वर्षा से बचने के लिए वे छाते का प्रयोग न करें और न खाना बनाने के लिए वे मिट्टी के बर्तनों को छोड़कर अन्य बर्तनों का प्रयोग ही करें। ये आज्ञायें १६३०-३१ में निराली गयी थीं।

धार्मिक असमर्थताएँ— इनके अनुसार अछूतों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ने तथा मन्दिरों में घुमने की आज्ञा नहीं है। वे जनेऊ पहनने के भी अधिकारी नहीं हैं। इससे भी बुरी बात तो यह है कि हिन्दू समाज ने उनकी धार्मिक शिक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया है और उनकी आध्यात्मिक दशा की देख-भाल करने के लिए शिक्षक भी नियुक्त नहीं हैं। ईश्वर के इन उपेक्षित तथा परित्यक्त बच्चों की खोज-खबर केवल सन्ध्यासिंघा ने ली है। उनके पतन में धार्मिक असमर्थताओं का कुछ कम हाथ नहीं है। किसी भी अन्य धर्म में इनकी प्रशस्ती की चीज देखने को नहीं मिलेगी। अछूतों को मनुष्य के मूल अधिकारों से भी वञ्चित रखा गया है।

आर्थिक असमर्थताएँ— आर्थिक दृष्टि से भी अछूत सबसे गन्दे तथा सबसे कम लाभ वाले पेशे करने के लिए मध्य किये गये हैं जैसे भण्डू देना तथा चमड़ा साफ करना आदि। गाँवों में उनके पास अपनी भूमि नहीं रहती और भूमि के मालिकों द्वारा वे बहुत कम मजदूरी पर खेत में काम करने के लिए नौकर रख लिये जाते हैं। इस प्रकार वे सबसे नीची आर्थिक मतह पर हैं। उन्हें अधिकतर अन्य पेशों के करने की आज्ञा भी नहीं है और इस तरह उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ और भी भीषण बन गई हैं।

राजनेतिक असमर्थताएँ— क्या इन भीषण बन्धना के बीच रहने वाले किसी आदर्मी से राजनेतिक जीवन में हाथ बटाने की आज्ञा की जा सकती है? पहिले अछूत के लिए ग्राम पंचायत में कोई जगह न था राज्य में भी वह कोई पद नहीं

प्राप्त कर सकता था। प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं की स्थापना के पूर्व सदिया तक वोट देने का ता कोई प्रश्न ही नहीं था।

ऊपर दिये हुए विवेचन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अछूत लोग मानव जाति के सबसे अधिक सताये जाने वाले लोगों में हैं और सर्वर्ण हिन्दू मनुष्यों में सबसे अधिक क्रूर तथा हृदयहीन व्यक्ति हैं। परन्तु कुछ ऐसी बातें हैं जो अछूतों की मुसीबतों तथा परेशानियों को कुछ कम कर देती हैं और यह भी प्रदर्शित करती हैं कि सर्वर्ण हिन्दू उतना हृदयहीन नहीं हैं जितना वह समझा जा सकता है। यदि अछूतों का गन्दी आदतों के कारण वे उन्हें अपने कुओं से पानी नहीं भरने देते थे तो वे पानी के लिए एक ऐसा ढौब भी रखते थे जिसमें से नीची जातियाँ आवश्यकता पर अनुसार पानी ले सकती थीं। यदि परम्परा से अछूत गन्दे पेशे करने के लिए ही बाध रहे तो उन्हें कुछ ऐसे अधिकार भी थे जिन्हें कोई छीन नहीं सकता था। खेत कटने के अवसर पर अछूत करने वाले को अनाज का अपना भाग मिलता था और त्यौहारों के अवसर पर सभी नाच बगम करने वाला को भोजन कराया जाता था। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवस्था को ठीक बतलाने के लिए यह सब कहा जा रहा है। तात्पर्य केवल यह है कि अपनी सेवाओं के बदले अछूतों का समाज ने कुछ न कुछ अधिकार भी दे रखे थे। यह दिखाना भी उचित होगा कि कुछ ऐसे धार्मिक कृत्य हैं जिनका सम्पादन या कभी-कभी प्रारम्भ भी नीची जाति के किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के कई भागों में किसी सर्वर्ण हिन्दू का शव तब तक नहीं जलाया जा सकता जब तक नीच जाति के किसी व्यक्ति द्वारा कृती लकड़ी उपलब्ध न हो जाय। इसी तरह बिना किसी अछूत के अर्घ्य दिए कुछ देवताओं को अर्पण या अर्घ्य नहीं दिया जा सकता। *

अस्वस्थता-निवारण के आन्दोलन— हिन्दु के धवल नाम पर अस्वस्थता सबसे बड़ा फलक है। ईश्वर तथा मानवता के विरुद्ध यह पाप है। समाज का एक अंग इतना अधिक दना दिया गया है कि उसके शरीर का स्पर्श ही अपवित्र बना देता है जिससे छुनकरा पाने के लिये स्नान की आवश्यकता पड़ती है। मानवता के विरुद्ध इससे भी बड़ा पाप हो सकता है। धर्म के नाम पर इस व्यवस्था से चिपने रहना ईश्वर के विरुद्ध पाप है। इस पाप के लिए हिन्दू भरपूर भोग चुके हैं। महात्मा गांधी ने ठीक ही कहा था कि 'अस्वस्थता का पाप के लिए क्या हम भोग नहीं चुके हैं? क्या जैसा हम लोगों ने चाहा है वैसा काम नहीं है? क्या हम लोगों ने डायर तथा आडायर का नृसमता अपने ही भाइयों के साथ नहीं दिखाई है? हम लोगों ने अछूतों का अलग कर रखा है और हमके बदले हम लोग प्रिटिश उपनिवेशों में अलग कर

* अन्य उदाहरणों के लिए देखिए डॉक्टर कुन्नी कानन की 'सिविलाइजेशन एंड वे', अध्याय ५।

दिये गये हैं। हम उन्हें जनता के कुश्रों का उपभोग नहीं करने देते, हम उन्हें खाने के लिए अपना जूठन देते हैं। उनकी परछाई तक हमें अपवित्र कर देती है। यदि अछूत हमारे प्रति ऐसी अप्रिय भाषा का प्रयोग करते हैं जैसी हम अंग्रेजों के प्रति, तो इसमें आश्चर्य क्या है? यन् एक आशाप्रद लक्षण है कि अपने एक अंग के प्रति की गई गलतफहमी की भीषणता हिन्दू समाज समझने लगा है और इस भयानक फोड़े से अपनी रक्षा करने के लिए वह उत्सुक हो गया है। इसके निवारण का अन्दोलन तो अभी हाल ही में शुरू हुआ है। हिन्दुओं की सामाजिक तथा धार्मिक आत्मा इसे बहुत समय तक ईश्वर प्रदत्त विधान मानती रही। नीचता तथा पतन का जीवन बिताने के लिये भारतीय मानवता के एक अंग का लगातार नाश करते जाना बुरा नहीं समझा जाता था। ऐसा जीवन पूर्व जन्म में किये पापों का उपयुक्त दंड समझा जाता था। अछूत भी अपने साथ किये गये व्यवहार में सतुष्ट रहते थे गोया वे इससे अच्छे व्यवहार के अधिकारी ही नहीं थे। लेकिन यह सत्र अच नठल गया है। हिन्दू समाज अतीत में किये गये अपने बुरे कर्मों के प्रायश्चित्त में लगा हुआ है और अछूत अपना जीवन-स्तर तथा समाज में स्थान बढ़ाने में लग गया है।

यद्यपि स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इन दलित वर्गों के उत्थान का सक्रिय प्रयत्न ईसाई पादरियों ने किया जिन्होंने इनके नीच कार्य करके उन्हें हजारों की संख्या में अपने धर्म में दीक्षित कर लिया। ईसाई धर्म में दीक्षित इन व्यक्तियों ने अपनी गन्दी आदतें छोड़ दीं, उन्हें एक नया सम्मान मिला और वे ईसाई समाज के सभ्य सदस्य बन गये। इस दृष्टान्त ने समझदार हिन्दुओं की निद्रा भंग की और अपने पददलित भाइयों की ओर उनकी कर्तव्य बुद्धि जागृत की। आर्य-समाज ने इनके उत्थान का बीजा उठाया और शुद्ध करने के कुछ धार्मिक कृत्यों के परचात् उन्हें अपने समाज में ले लेना प्रारम्भ कर दिया। उगल में ब्रह्म-समाज ने भी उनका जीवन स्तर ऊँचा करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। कई हिन्दू समाज-सुधारकों ने अछूतों की आर्थिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति के लिए 'दलित वर्ग मिशन' स्थापित किये। १९०३ में स्वर्गीय गोपालकृष्ण गोखले की एक वक्तृता में लोगों को इस बदले दृष्टिकोण का परिचय मिला था। अपनी इस वक्तृता में उन्होंने अछूतों की इस व्यवस्था की भर्त्सना की थी और कहा था— 'यह व्यवहार कितना मूर्खतापूर्ण है कि जन्म तक अछूत हमारे धर्म में रहते हैं, हम उन्हें अपने घरों में नहीं आने देते और न उन्हें अपने में मिलने जुलने देते हैं लेकिन अब वे हमारा धर्म छोड़ कर हट कोट पैन्ट पहन कर ईसाई बन जाते हैं, तो हम उनसे हाथ मिलाते हैं और उनका आदर करते हैं।' लेकिन हिन्दू समाज बहुत दिनों तक इस आन्दोलन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता रहा। कई जगहों में तो कहर हिन्दुओं ने इसका सक्रिय विरोध

क्रिया। विरोध की गहराई इस बात से जाँची जा सकती है कि १९१० में जनगणना के समय यह प्रस्ताव रखा गया कि अज्ञातों को हिन्दुओं के साथ नहीं गिनना चाहिए

महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने छूआछूत के निवारण को अपने कार्य-क्रम का एक प्रमुख अङ्ग बनाया। इससे हवा बहुत कुछ बदली। कई बार भाषण करते समय गांधी जी ने यह घोषित किया था कि भारतीयों की राजनैतिक हीनता उनके छूआछूत रूपी पाप का ही परिणाम है और इसी लिए वे अंग्रेजी साम्राज्य में 'बाति-बाहर' सदृश हो गये हैं। उन्होंने लोगों के सामने अपना यह विश्वास अक्सर प्रदर्शित किया था कि जब तक छूआछूत की बला लोगों के बीच से नहीं हट जाती तब तक स्वराज असम्भव है। उनके शब्द हैं कि 'जब हिन्दू जानबूझ कर सच्चे हृदय से, नीति के रूप में नहीं बल्कि आत्म शुद्धि की भावना से, छूआछूत का विचार त्याग देंगे, तो उनका यह कार्य राष्ट्र का उच्चतम कार्य करने की एक नई शक्ति देगा और इसलिए स्वराज की प्राप्ति में सहायक होगा। हममें एकता नहीं है इसलिए हम शक्तिहीन हैं। जब हम इन पाँच करोड़ अज्ञातों को अपना समझेंगे तो एकता का महत्व हमारी समझ में आयेगा। यह एक कार्य शायद हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न को भी मुलभूत देगा, क्योंकि इसमें भी अन्वेषण का विषय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में काम कर रहा है। हिन्दुत्व की रक्षा के लिए यदि इस प्रकार की कृत्रिम दीवार की आवश्यकता है तो वह अन्वेषण ही कमजोर धर्म है। ग्रहमदाबाद में १३ अप्रैल, १९२१, के एक भाषण में गाँधी जी ने कहा था कि अज्ञातों का उद्धार तथा गोमाता की रक्षा ही उनकी प्रबल इच्छाओं में से दो ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें जीवित रख छोड़ा था। 'इन दो इच्छाओं की पूर्ति में ही स्वराज है और मेरा अपना मोक्ष है।' इस बुराई के उन्मूलन में उनके इस अनवरत प्रचार का गहरा असर पड़ा, हिन्दु फिर भी जनता ने वास्तव में इससे विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठाई। इसके लिए और जोरदार कदम उठाने की आवश्यकता थी। १९३० तथा १९३३ के महात्मा जी के दो बड़े उपवासों से यह कमी पूरा हुई। इन उपवासों के प्रभाव से जनता एकदम प्रभावित हो उठी और प्रश्न औद्धिक धरातल से उठ कर भावनात्मक धरातल पर जा पहुँचा। ब्रिटिश भारत में अनेक स्थानों पर अज्ञातों के लिए मन्दिर खोल दिए गए। इसके अतिरिक्त आवनकार तथा अन्य रियासतों ने अज्ञातों सहित सभी जातियों के लिए मन्दिर खुले रहने का आदेश निकाल दिया। सर्वथा हिन्दू इन लोगों की बस्तियाँ में जाकर गलियाँ में भड़कू लगाते तथा उनकी सफाई करते थे, उनके बच्चों को नहलाते थे तथा अन्य रूपों से भी वे उन्हें अपना ही अंग दिखाने की चेष्टा करते थे। बाद में महात्मा जी जब कभी दिल्ली जाते थे तो भगी बान्धनी में ही टहरते थे। इसका भी हिन्दू हृदय तथा मन्तिक पर प्रभाव पड़ा।

इन लोगों की उन्नति तथा छूआछूत को समाप्ति के लिए आन्दोलन अब भी जारी है। इस महान् कार्य में अनेक समितियाँ लगी हुई हैं जिनमें सबसे प्रमुख महात्मा जी द्वारा स्वयं स्थापित की हुई 'हरिजन सेवक सघ' है। दूसरी है पञ्जाब के कुछ प्रमुख आर्य-समाजियों द्वारा चलाई गई 'दलित-उद्धार-सभा'। स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित 'सरवैण्ट्स ऑफ इण्डिया सोसायटी,' स्वर्गीय लाला लाजपतराय द्वारा स्थापित 'सरवैण्ट्स ऑफ दि पीपुल सोसायटी' तथा अन्य कई दलित वर्ग मिशन कार्य कर रहे हैं। इससे अधिक महत्वपूर्ण तो यह है कि अछूता में स्वयं एक चेतना आ गई है और वे अपनी स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं। मद्रास में श्री राजगोपालाचारी के प्रधानमन्त्रित्व में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने 'सिविल डिजेबिलिटीज रिमूवल एक्ट' तथा 'मलाबार रैम्पिल एन्ट्री एक्ट' पास किया था। हाल में ही बम्बई तथा उत्तर-प्रदेश ने एक कानून त्रिकाल दिया था जिसके अनुसार किसी भी रूप में छूआछूत का पालन कानूनी जुर्म टहराया गया था। बम्बई सरकार उत्तर प्रदेश-सरकार से एक कदम इस अर्थ में आगे है कि उसने दिखाई पड़ जाने वाले छूआछूत के विचार तक को जुर्म मान लिया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सविधान ने असृष्टता को किसी भी रूप में जुर्म माना है। छूआछूत द्वारा उत्पन्न हुई किसी भी असमर्थता का प्रयोग एक जुर्म होगा जिस पर कानूनी सजा दी जा सकती है। इस प्रकार इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि जहाँ तक हिन्दू समाज की कानूनी आत्मा का सम्बन्ध है, छूआछूत अब अर्नात की ही चीज कही जा सकती है। यह कहना अभी उपयुक्त न होगा कि यह बुराई अब साररूप में भी अवशेष नहीं है। उद्देश्य तक पहुँचने तथा अछूत वर्ग को अन्य वर्गों के साथ बराबरी का दर्जा दिलाने और उन्हें विशाल हिन्दू समाज के ही सदस्य बनाने में अभी अटूट लगन और अधिक परिश्रम की आवश्यकता है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार हो, इसे महात्मा जी ने अपने जीवन में स्पष्ट कर दिया था। उन्होंने स्वयं एक हरिजन लड़की का अपनी लड़की के सदृश स्वाकार कर लिया और उसका अपने परिवार के ही एक सदस्य के समान पालन-पोषण किया। वह उनके साथ सर्वाङ्ग हिन्दुओं के घर जाती और पूरा आदर पाती। बाद में उन्होंने उसकी एक सर्वर्ण हिन्दू से शादी भी कर दी। हरिजन लड़के-लड़कियों को अपने परिवारों में लेकर और अपने बच्चों के साथ उनका पालन-पोषण करके हम राष्ट्रपिता के पवित्र उदाहरण पर चल सकते हैं। फिर भी, यह एक बड़ा ही साहसपूर्ण कार्य है और सर्वत्र इसका पालन नहीं हो सकता। दूसरी सबसे अच्छी चीज होगी उन्हें घरेलू कामों के लिये नौकर रख लेना, वे खाना बनाने के लिये भी रखे जा सकते हैं। इस प्रकार इस पृष्ठित प्रथा का अन्त अवश्य हो जायगा।

इन सबके अतिरिक्त महात्मा जी ने अछूतों के मन्दिर-प्रवेश पर भी बहुत जोर दिया था। अब डॉ॰ अम्बेदकर की तरह जो मन्दिर प्रवेश को थोड़ा या बिल्कुल ही महत्व

नहीं देते और राजनैतिक अधिकारों को अधिक आवश्यक मानते हैं, वे इस बात को भली प्रकार नहीं समझ पाये कि छुआछूत की समस्या मुख्यतः सामाजिक तथा धार्मिक है, राजनैतिक नहीं। अस्पृश्यता का निवारण तब तक असम्भव है जब तक अछूत लोग रहन-सहन की गन्दी आदतों का परित्याग नहीं करते। उन्हें रहन सहन के साफ सुथरे ढग की ओर आकर्षित करने के लिए मन्दिर प्रवेश से ब्रह्म कर दूसरी कोई चीज नहीं है। वे गन्दे शरीर पर गन्दे कपड़े पहिन कर और शराब में मस्त होकर भगवान की पूजा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वे धर्म के लिये मृत-जीवों का माँस-भक्षण तथा नशीली वस्तुओं का सेवन भी छोड़ सकते हैं। गो अनेक मन्दिरों में हरिजनों के प्रवेश की आज्ञा दे दी गई है फिर भी बट्टर हिन्दुओं को यह माँग अभी तक सहन नहीं हुई है। उनके मन में जो हिचक है उसकी जड़ बहुत गहरी है, उनके विरोध पर विजय पाने में एक या दो पीढ़ियाँ लग सकती हैं। अस्पृश्यता-निवारण के लिए मन्दिर प्रवेश का बहुत ही अधिक मूल्य है। कुछ लोग अन्तर्जातीय तान-पान का भी समर्थन करते हैं। पर यह अनिर्वाय नहीं माना जा सकता और इससे हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में कुछ अधिक सहायता भी नहीं मिलेगी। इसका मूल्य केवल प्रदर्शन या प्रचार के लिए है।

हरिजनों को उन कुओं से पानी लेने की भी आज्ञा नहीं रही है जिनसे सवर्ण हिन्दू पानी लेते हैं। सौभाग्यवश शहरों में यह चीज समाप्त हो रही है और नये सविधान की धाराओं का अधिकाधिक प्रचार होने से यह चीज गाँवों में भी समाप्त हो जायगी।

सवर्ण हिन्दुओं के बच्चों के साथ हरिजन बच्चों को भी स्कूल में पढाने का आन्दोलन धीरे पकड़ता जा रहा है। वे अब दिना रोक-टोक भर्ती किये जा रहे हैं और अनेक जगहों में हरिजनों के लिये अलग स्कूलों की भी स्थापना हुई है। अस्पृश्यता के समूल विनाश तथा सवर्ण हिन्दुओं के समक्ष उन्हें लाने के लिए शिक्षा का प्रचार सबसे अच्छा उपाय है। यह प्रसन्नता का विषय है कि लगभग सभी राज्य-सरकारें हरिजनों में शिक्षा-प्रसार के लिए ध्यानवृत्ति तथा निःशुल्क शिक्षा की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

ये तथा इस प्रसर के अन्य उपाय गवर्नमेन्ट तथा सवर्ण हिन्दुओं द्वारा के लिए सुलभ हैं। इन उपायों को स्वयं हरिजनों का पूरा सहयोग मिलना चाहिए। हरिजनों की कुछ गन्दी तथा नीच आदतें इस मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। वे लोगों को जूटन उड़ाते हैं और उनमें से कुछ मृत-जीवों का माँस भी खाते हैं। उनमें स्वयं ऊँच नीच की भावना है, वे कई टुकड़ों में बैठे हुए हैं। इन भेद भाव में ही अस्पृश्यता का निवास है। अस्पृश्यता के विनाश के लिए इन सबका विनाश आवश्यक है। अप्रैल सन् १९२१ में अहमदाबाद की एक सभी वर्णों की सम्मिलित सभा में हरिजनों को सम्बोधित करते हुए महात्मा जी ने निम्नलिखित शब्द कहे थे : 'आपको अपने

उत्थान के लिये अपने को पवित्र बनाना पड़ेगा। आपको शराब पीने जैसे बुरी आदतों से छुटकारा पाना पड़ेगा आपको आत्म निर्भर बनना पड़ेगा * * * आपको अब नूटन लेने से इनकार कर देना चाहिये, देखने में वह चाहे कितना भी स्वच्छ क्यों न प्रतीत हो। आप बेचल अनाज खीमार करें— यह भी अच्छा अनाज, सड़ा नहीं— और वह भी तभी जब वह उदारतापूर्वक दिया गया हो। मेने जो कुछ आपसे कहा है यदि आप उतना सब कर लगे तो विश्वास मानिये, आपका कल्याण अवश्य होगा— चार पाँच महीनों में नहीं, कुछ ही दिनों में।'

इस बुराई को दूर करने में हमारे म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये सस्थाएँ ग्रहणों की प्रतियोगिता को स्वच्छ और स्वास्थ्य के अनुकूल बनाने तथा उनमें कुएँ खुदवाने के लिये रुपये दे सकती हैं। वे उनकी शिक्षा के लिये रात्रि-स्कूल तथा वाचनालय आदि खुलवा सकता हैं। इन सब के साथ उनकी आर्थिक दशा का भी सुधार होना चाहिये। कुछ ऐसे मार्ग जा उनके लिये अब तक बन्द थे, खुल जाने चाहिएँ, जैसे, पुलिस तथा फौज में भी उनकी भर्ती होनी चाहिये। इस तथा अन्य कई दिशाओं में कई प्रयत्न किये गये हैं और यह आशा की जाती है कि हिन्दुओं की सामाजिक आत्मा, जो महात्मा जी के उपवासों तथा अन्य कार्यों से जाग कर सक्रिय हो चुकी है, पूरी तरह क्रियाशील हो उठेगी और यह उल्लिख्य व्यवस्था कुछ ही दिनों में केवल प्रतीत की ही बन्द रह जायगी।

सम्मिलित परिवार

इसकी प्रकृति— सम्मिलित परिवार भारतीय सामाजिक व्यवस्था की एक बुनियादी विशेषता है, जिसने भारतीय चरित्र तथा जीवन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला है। जाति-व्यवस्था की भाँति यह भी मुख्यत एक हिन्दू मस्था है हालाँकि देश में रहने वाली अन्य धार्मिक जातियों में भी यह व्यवस्था प्रचलित है। सम्मिलित परिवार में पुत्र पश्चिमी देशों की भाँति विवाह के बाद दूसरा परिवार नहीं बनाता बल्कि उसी पैतृक घर में रह कर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उन के दुख-सुख में हाथ बँटाता है। इस प्रकार तीन चार पुश्र्तों के बाद एक ही परिवार बढ़कर एक सम्मिलित बड़ी इकाई बन जाता है। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें सम्मिलित परिवार के सदस्य मिलकर लगभग एक सैंकड़ा हो जाते हैं जिसमें दादा, बाबा, माँ, बाप, चाचा, चाची, भाई, बहन, चचेरे भाई, अवहित भाई और उनके बच्चे, भतीजे, नातिनें और कभी कभी लड़के के लड़के के लड़के तक सम्मिलित रहते हैं। ये सभी एक घर में रहते हैं, एक साथ खाना खाते हैं और जायदाद के सम्मिलित स्वामी बने रहते हैं। केवल यही नहीं कि भोजन तथा जायदाद के मामले में परिवार सम्मिलित रहता हो बल्कि धर्म की दृष्टि से भी वह एक

ही रहता है। परिवार केवल सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से ही एक समुदाय नहीं है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी वह अविभाज्य है जिसमें एक ही धार्मिक कृत्य किये जाते हैं और एक ही देवता की पूजा की जाती है। यही धार्मिक बन्धन परिवार को अन्य सामाजिक तथा आर्थिक समुदायों से अलग रखता है क्योंकि अन्य समुदायों में धर्म की भावना को स्थान नहीं रहता।

यह सम्झना आवश्यक है कि किस अर्थ में सम्मिलित परिवार के सदस्य जायदाद के सम्मिलित स्वामी होते हैं। सबसे पहले, परिवार में जन्म लेने वाले लड़के पैदा होने के साथ ही परिवार की जायदाद के छोटे मालिक बन जाते हैं। दूसरे, इसका अर्थ यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं पैसे का हिसाब अलग नहीं रखता, सबकी कमाई इकट्ठी हो जाती है और इस एकत्रित धन से ही परिवार का पूरा खर्च चलता है। पारिवारिक व्यवस्था की यह विशेषता है कि स्वयं न कमाने वाले सदस्यों के भी वे ही अधिकार होते हैं जो कमाने वाले सदस्यों के, कमाने वाले सदस्यों का कोई विशेष अधिकार नहीं मिलता। जब परिवार टूटता है तो सभी पुरुष-सदस्य कानून के अनुसार जायदाद में अलग अलग हिस्सा ले लेते हैं।

सम्मिलित परिवार की एक और विशेषता का भी जिक्र होना चाहिये। परिवार के सभी सदस्य परिवार के सबसे बड़े सदस्य का आदर करते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह पूरे परिवार की जायदाद की देखभाल के लिए उत्तरदायी है और यह भी देखता है कि कोई सदस्य कोई समाज-विराधी कार्य तो नहीं करता। भारतीय सम्मिलित परिवार की कुछ विशेषताएँ सम्मिलित जायदाद के मामले में स्वयं के किसानों के परिवार से मिलती-जुलती हैं और सामाजिक सम्बन्धों को दृष्टि से प्रान्त के परिवारों से।

परिवार-व्यवस्था की अच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ— भारतीय सम्यता तथा सभ्यता के अलोकनों के लिए इस व्यवस्था का बुरा कहना एक प्रकार की आदत सी बन गयी है। इस व्यवस्था के मूल में किसी समय जो आध्यात्मिक आदर्श तथा उस के अच्छे प्रभाव थे उन्हें न देख सन्ने के कारण वे इसकी बाहरी कमियाँ पर ही अधिक जोर देते हैं। लोग अक्सर यह कह डालते हैं कि सम्मिलित परिवार आलसियों तथा बेकारों के लिए एक प्रकार का पापण गृह बन गया है। मनस्वी सदस्यों के कमाये धन में से हिस्सा पाते रहने के कारण कुछ लोग सामर्थ्यवान होते हुए भी उत्पादन के कार्यों में लगने का प्रयत्न नहीं करते। इस प्रकार ऐसे सदस्यों की आत्मनिर्मिता तथा स्वयं कुछ करने की इच्छा का विनाश हो जाता है और उनमें दूसरों के कष्टों का भार बन कर रहने की भावना पैदा हो जाती है। अपनी कमाई को दूसरों में नौट जाते देख कर काम करने वाले सदस्यों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। थोड़े में, सम्मिलित परिवार के विरुद्ध रखे गये तर्क समाजवाद के विरुद्ध किये गये तर्कों से

मिलते जुनते हैं। हमें इन तर्कों को अधिक महत्व प्रदान करने की आवश्यकता प्रतात नहीं होती क्यों कि वे यह मान कर कहे जाते हैं कि मनुष्य स्वार्थी, आरामतलन और कामचार प्राणी है। यह एक ऐसी मान्यता है जिसकी सचाई पर शका की जा सकती है और जो भी गई है। सच बात तो यह है कि सम्मिलित परिवार केवल उन्हीं सदस्यों को आलसी और आरामतलन बना सकता है जिनमें आत्मसम्मान की भावना नहीं है और जो स्वभावतः मुस्त और काहिल हैं। उसमा उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता जिन्हें काम में आनन्द आता है और जो दूसरों के लिए काम करना पसन्द करते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि यदि एक और परिवार ने सभी सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवार के भांडार से सहायता पाने के अधिकारी हैं तो दूसरी ओर उस भांडार को अपनी शक्ति के अनुसार भरते रहने के लिए वे नैतिक रूप से बाध्य भी हैं। कम्प्यूनिज्म और सम्मिलित परिवार के आदर्श कुछ एक तरह के हैं सबसे योग्यतानुसार लेना ; सबसे आवश्यकतानुसार देना।

दूसरे, यह कहा जाता है कि इस प्रथा से मुकदमेशाली की आदत बढती है। अधिकतर मामलों में बिना कचहरियों में गये जायदाद का बँटवारा आसानी से नहीं हा पाता। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रेंटवारा और रेंटचारे के जाद रेंटवारा कराने के कारण भूमि को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में अलग कर देने का उत्तरदायित्व भी इसी प्रथा के ऊपर है। लेकिन यह दशा तो उम परिवार की भी हा सकती है जा हमारे परिवार से भिन्न है और निम्न सबसे बड़े लडके को ही अधिकार देने की प्रथा नहीं है। अन्त में, इस प्रथा की आलोचना इसलिए भी होती है कि इसमें व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का अवसर नहीं मिलता, परिवार के छोटे सदस्यों को हर मामले में उन्हीं का कहना मानना पडता है, उन्हें अपनी कर्तृत्व-शक्ति के प्रदर्शन का अवसर ही नहीं मिलता। परिवार के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में पति-पत्नी को एक दूसरे के अत्यधिक निकट आने तथा आपस में प्रेम बढाने का अवसर नहीं मिलता जो अलग परिवार की व्यवस्था में सम्भव है।

ऐसे तर्क अधिकतर उन्हीं लोगों द्वारा रखे जाते हैं जो व्यक्तिवाद की भावना से ओतप्रोत हैं और जिन्हें मानव जीवन की ओर नैतिक तथा भावनात्मक दृष्टि से नयी बल्कि आर्थिक दृष्टि से देखने की आदत पड गई है, लेकिन भारत में हमें परिवार के बूट्टे, अपग तथा कम भाग्यवान सदस्या की, केवल कृपा नहीं, बल्कि धार्मिक कृतज्ञता के भाव से, सेवा करने की शिक्षा मिली है। सम्मिलित परिवार एक ऐसी पाठशाला है जहाँ मनुष्य को सबसे पहिले दूसरों की नि स्वार्थ और प्रेमभाव से सेवा करने की शिक्षा मिलती है। यह व्यवस्था व्यक्ति को समुदाय की मलाई के लिए रहने की शिक्षा देती है। इसमें पारस्परिक सम्भाव तथा दूसरों के लिए त्याग करने की भावना का

विक्रम होता है। परिवार में प्रत्येक सदस्य के कम से कम जीवन-निर्वाह का प्रबन्ध हो जाता है, और यही आर्थिक उन्नति की पहली शर्त है। जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं परिवार उनकी देखभाल करता है और वे तब तक दुनिया में नहीं टकेल दिये जाते जब तक वे स्वयं अपने पैरों पर खड़े होने लायक नहीं हो जाते। इसी प्रकार समुक्त परिवार में उन विधवाओं को भी आश्रय मिलता है जो फिर विवाह करके अपनी दयनीय दशा से छुटकारा नहीं पा सकतीं। जिस प्रकार राज्य अपने नौकरों को बुढ़ाई में पेन्शन देता है उसी प्रकार यहाँ भी बूढ़ों तथा दीन-दुखियों की परवरिश हो जाती है। अपङ्ग लोग बेकार होते हुए भी परिवार की आर्थिक व्यवस्था में स्थान पा जाते हैं और उन्हें उनके योग्य कोई काम मिलता रहता है।* समुक्त परिवार की व्यवस्था सामाजिक गुणों के लिए शिक्षण-क्षेत्र, बेकारी की समस्या का हल, अपङ्गों तथा गरीबों को सहायता देने में राज्य की समबद्ध तथा अनाथों और विधवाओं की रक्षा का साधन ही नहीं है बल्कि विपत्ति पडने पर अपने सदस्यों में उनका सामना करने की सामर्थ्य पैदा करना भी इसका बड़ा ही महत्त्वपूर्ण कार्य है। बीमारी की हालत में, घर छोडने या किसी भी अप्रत्याशित विपत्ति के पडने पर परिवार का एक सदस्य अन्य सदस्यों में आवश्यक सहायता तथा सहानुभूति की आशा रखता है। इसी व्यवस्था ने हमारे अनेक राष्ट्रीय कार्यकर्त्ताओं को इस योग्य बनाया है कि वे घरेलू तथा अपनी निजी चिन्ता छोड़ कर राष्ट्र की सेवा कर सकें। यह एक सत्य है कि राष्ट्र के स्वातन्त्र्य-संग्राम में योग देने वाले सैकड़ों देशप्रेमियों के मार्ग में स्त्री-बच्चों तथा भविष्य की बेकारी की चिन्ता ने बड़ी बाधाएँ उत्पन्न की हैं। यदि ये लोग समुक्त परिवार के सदस्य होते तो उन्हें अपने आश्रितों की चिन्ता न सताती और वे देश के प्रति अपने कर्त्तव्य की पूति में पूर्णतः सफल होते। यह व्यवस्था और भी रूपों में लाभदायक सिद्ध हुई है। इसने परम्परागत रीति रिवाजों, मान्यताओं तथा धार्मिक कृत्यों की रक्षा की है। परिवार के छोटे सदस्य बड़े सदस्यों से ट्रेनिङ्ग और शिक्षा प्राप्त करते हैं और इसी प्रकार वे अपने बच्चों को भी दक्ष बना देते हैं। मि० रमन के निम्नलिखित शब्दों द्वारा इस व्यवस्था की उन अश्छाडियों तथा बुरादियों पर अश्छाड प्रकाश पडता है : 'इस व्यवस्था की एक अश्छाड यह भी है कि बृद्धावस्था में लोग सुरक्षित तथा सम्मानपूर्ण जीवन— एक अद्वितीय सुख— का आनन्द लेते हैं जब कि पश्चिम में लोग बृद्धावस्था में अकेलेपन से परेशान होने लगते हैं। पर साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन अश्छाडियों के साथ बुरादियाँ भी लगी हुई हैं। एक ओर यदि परम्परा का रक्षा होती है, तो पुरानी सकीर्णता भी बनी रह जाती है; और यदि आत्मसमय और दूसरा का ध्यान रखने की आदत पडती है तो साथ ही थोडे में संतोष भी मानना पडता है और व्यक्तिगत रूप से धन नहीं इकट्ठु किया जा सकता।

नीमार की देखभाल के लिए यदि लोग तैयार रहते हैं तो साथ ही कोई-न कोई हरदम बीमार भा रहता है। बूढ़ों का आदर अवश्य होता है चाहे जवान मिट्टी में ही क्यों न मिल जायें।*

लेकिन अतीत में इसने लोगों का चाहे जितना फायदा किया हो, आधुनिक परिस्थितियों में परिवार का ढोंचा गिरसक रहा है। व्यक्तिगत भावनाओं तथा बढ़ती हुई व्यक्तिवादिता के साथ इसका मेल नहीं बैठ रहा है। मनस्वी और जवान अलग अलग काम करने अपने लिए अलग धन पैदा करना चाह रहे हैं। जिन आर्थिक परिस्थितियों में बीच यह व्यवस्था विकसित हुई और आज तक निभती रही वे अब बदल चुकी हैं। खेती करने योग्य अन्न ज्यादा जमीन भी नहीं रह गई है और खेती-गृहस्थी से अब उतने लोगों की गुजर भी नहीं हो पाता। अब लोगों को अपनी रोजी कमाने दूर-दूर जाना ही पड़ता है।

विवाह

इसकी प्रकृति— विवाह की व्यवस्था तो सारी मानव जाति में प्रचलित है, इसलिए इसके भारतीय स्वरूप के अध्ययन के निमित्त अलग लिखना कुछ अज्ञात सा लग सकता है। विवाह के विषय में हिन्दुओं की कुछ अलग धारणाएँ हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। बिना उनमें ज्ञान के हिन्दू सामाजिक जीवन में विषय में हमारी दृष्टि अधूरी रह जायगी। मनुष्य जाति की दो प्रथमों परिवार और विवाह, ने हिन्दू सामाजिक जीवन में भिन्न रूप धारण किया है और अपने इसी रूप के कारण हमारा सामाजिक जीवन अन्य देशों के सामाजिक जीवन से अलग हो गया है।

ध्यान देने योग्य पहिली बात यह है कि हिन्दू धर्म वैवाहिक सम्बन्ध का अत्यन्त पवित्र मानता है। विवाह एक धार्मिक कृत्य माना जाता है यानी, दो आत्माओं के भीतरी तथा आध्यात्मिक सम्मिलन का वाहरी रूप। इसी कारण पति या पत्नी को अपने मन से इस धार्मिक बन्धन को तोड़ने की अनुमति नहीं है। हिन्दुओं में तलाक की प्रथा प्रचलित नहीं है। किसी धार्मिक हिन्दू के लिए तलाक का विचार ही घृणास्पद है। इसने विपरीत इस्लाम तथा ईसाई धर्म तलाक की आज्ञा देते हैं। लेकिन यह बड़ी मजेदार बात है कि भारतीय मुसलमान और ईसाई अपने ही धर्म में अनुयायी अन्य देशवासियों के मुकाबिले में इस प्रथा का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं। कई पीढ़ी पहिले जो हिन्दू इन धर्मों में दीक्षित हो गये थे उनके भी वंशजों में आज भी हिन्दू परम्पराएँ प्रबल हैं। विधवा-विवाह की ओर हिन्दुओं की अन्धहीनता का भी यही कारण है। (जाद में इस विषय पर विस्तृत रूप में प्रकाश डाला जायगा।)

हिन्दुओं के विवाह सम्बन्धी विचारों की दूसरी विशेषता यह है कि विवाह करना प्रत्येक हिन्दू स्त्री तथा पुरुष का कर्तव्य समझा जाता है। हिन्दुओं में हमें बहुत कम अविवाहित स्त्री पुरुष मिलेंगे। जो विवाह नहीं करते वे कुछ इसलिए नहीं कि ब्रह्मचर्य को कोई ग्राह्यात्मिक मूल्य प्रदान करते हैं, बल्कि इसलिये कि उन्हें कोई अच्छा विवाह ही नहीं मिलता। अविवाहित जीवन मजबूरी के कारण हाँपता जाता है, खुशी से नहीं। जो लोग विवाह नहीं करते वे धर्म के नाम पर या फिर किसी अन्य उच्च ध्येय की प्राप्ति के लिए समाज से अलग निकल जाते हैं। हिन्दुओं में विवाह सर्वत्र प्रचलित है क्योंकि उनका यह धार्मिक विश्वास है कि जब तक पुत्र के हाथों कुछ विशेष धार्मिक कृत्यों का सम्पादन नहीं हो जाता तब तक उसके मृत पिता की आत्मा को शान्ति नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे धार्मिक कृत्य भी हैं जिन्हें पत्नी की अनुपस्थिति में विधिवत् नहीं पूर्ण किया जा सकता। न तो इस्लाम और न ईसाई धर्म ही विवाह के इस पहलू पर जोर देता है, लेकिन हिन्दुओं की वैवाहिक व्यवस्था में इसका प्रमुख स्थान है।

ध्यान देने योग्य कुछ अन्य पहलू भी हैं। हिन्दुओं में जाति और विवाह का अटूट सम्बन्ध है। स्त्रियों तथा पुरुषों की अपनी ही जाति में शादी होती है। इस नियम की अवहेलना बहुत कम देसने में आती है, हालाँकि अब विवाह आदि में जाति-व्यवस्था का बन्धनों की परवाह न करने का प्रवृत्ति कुछ बढ़ रही है। अन्तर्जातीय विवाह 'अनुलोम' तथा जानीप विवाह 'प्रतिलोम' कहे जाते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखने का बात है कि जाति-व्यवस्था का अन्दर लोग अपने जैसे जन-समुदाय में ही विवाह करते हैं। इस प्रथा के कारण पुरुष तथा स्त्री को अपना जोड़ा चुनने से लिये विस्तृत क्षेत्र नहीं मिलता। हिन्दुओं में 'कौटुंबिक' जैसी कोई चीज नहीं है। साधारणतया जोड़ा चुनने की जिम्मेवारी माता पिता पर छोड़ दी जाती है, लेकिन आजकल माँ बाप लड़के-लड़कियों की भी राय लेने लगे हैं— मुख्यतया उस दशा में जब वे सतान पढ़ाई-लिखाई रहता हैं। अन्तर्जातीय विवाह अब प्रचलित हाते जा रहे हैं और कानून ने भी इसे ठीक मान लिया है।

यह धारणा कि हिन्दू एक से अधिक विवाह करते हैं पश्चिम में बहुत प्रचलित है। ऐसा सचना ठीक नहीं है गो ऐसे हिन्दू हैं जिन्होंने पहली स्त्री के आवित रहते भी दूसरी या तीसरी स्त्री से विवाह कर लिया है। ऐसा विचार इसी कारण फैला हुआ है कि कुछ रईस और राजा महाराजा लोग विवाहित जावन में सर्वेव कुछ न कुछ उच्छ्वल रहे हैं। गो यह बात ठीक है कि बहु विवाह किसी हिन्दू या मुसलमान के लिए मना नहीं है— मुसलमान एक साथ चार स्त्रियों तक रख सकता है— फिर भी अधिकतर लोग एकपत्नीक ही हैं।

वाल विवाह— दूसरी चीज, जिम्मे लिए हिन्दू की पश्चिम वाले आलोचना करते हैं और वह निम्मा ठहराय जाता है, वह है लड़के या लड़कियों का छोटी ही

उम्र में विवाह। साधारणतया लोग का यह धारणा हो गई है कि बाल विवाह हिन्दू-धर्म का अभिन्न अंग है। यह निर्विवाद है कि दस या बीस वर्ष पहिले इस तरह के विवाह आज से कहीं अधिक प्रचलित थे और आज दिन 'शारदा एक्ट' के होते हुए भी ऐसे विवाहों का अभाव नहीं है, परन्तु हिन्दू जाति ने उपयुक्त विधा में काफी सुधार किये हैं और विवाह की उम्र दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन यहाँ इतना कहना आवश्यक है कि बाल-विवाह के प्रति हिन्दू दृष्टिकोण का इसके आलोचकों ने गलत समझा है। यदि इस प्रथा के सम्बन्ध में सभी पहलुओं पर विचार किया जाय तो यह प्रतीत होगा कि यह प्रथा बुरी या अनुचित नहीं थी। इससे ठीक विपरीत यही कहा जायगा कि कुछ समय पहिले जाति का आवश्यकता का अनुरूप ही यह व्यवस्था प्रचलित हुई। बाल विवाह के विरुद्ध एक तर्क यह है कि इससे लड़की जल्दी माँ बन जाती है जिससे उसके शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार सारे राष्ट्र का स्वास्थ्य चौपट होता है। लेकिन आलोचक यह भूल जाता है, या उसे इसका ज्ञान नहीं है, कि अंग्रेजों के आने के पहले जब बाल-विवाह की प्रथा थी तब जाति या देश का स्वास्थ्य नहीं गिरा था। इसका कारण यह था कि उस समय बाल विवाह वह चीज नहीं थी जो उसे आज हम समझ बैठे हैं। दिखावटी विवाह तथा वास्तविक विवाह के बीच में, जिसे गौण विवाह कह सकते हैं, लड़की की उम्र का ख्याल करके कई वर्षों का अन्तर छोड़ दिया जाता था। बंगाल में जब अल्पवयस्क लड़की की शादी हो जाती थी तो उसे हर हालत में पिता के घर में ही रहने की आज्ञा नहीं मिलती थी, बल्कि वह अपने पति के घर में, या और सही रूप में श्वसुर के घर में, लाई जाता थी जहाँ उसे अपने नये घर के रस्म-रिवाज आदि समझाये जाते थे। इस विवाह का अर्थ पति-पत्नी के बीच का सम्बन्ध नहीं होता था, इसका अर्थ केवल इतना था कि लड़का अपने माँ-बाप के घर छोड़कर श्वसुर के घर चली गई। यहाँ उसे अपने पति को जानने का अवसर तक नहीं मिलता था जब तक वह परिवार द्वारा इससे राग्य नहीं समझ ली जाती थी। इस प्रकार बाल विवाह के प्रत्यक्ष दुष्परिणामों से बचने के उपाय काम में लाये जाते थे।^{१६}

बाल विवाह की प्रथा के क्या कारण थे, इसमें अधिक गहराई से उतरने की आवश्यकता नहीं है, हम उनमें से केवल एक पर विचार करेंगे। इस प्रथा के प्रचलित होने का कारण था संयुक्त परिवार की व्यवस्था। अन्तिम रूप में संयुक्त परिवार की समृद्धि और उसका सुख स्त्रियों की ही सद्बुद्धि, सन्तोष, निस्वार्थ भाव, प्रेम और भक्ति पर निर्भर रहती है। इसलिए परिवार की परम्परा और उसके वातावरण के बीच स्त्रियों को पक्की बन जाना चाहिए। वह इस प्रकार पक्की तभी बन सकती है जब लोग ही उम्र में, यानी जब उनका मस्तिष्क सुदुमार, हृदय उदार

और निःस्वार्थ रहे— वे घर में लाई जायँ। लड़कियाँ जब बड़ी उम्र में घर में आती हैं तो उनकी आदतें पहले ही बुरी बन चुकी रहती हैं और उनके स्वभाव का परिष्कार या सुध होना रहता है ही हो सकता है। वे घर के वातावरण में घुल मिल नहीं पाती बल्कि भ्रमण तथा कलह का कारण बन बैठती हैं। समुक्त परिवार में शीघ्र-विवाह की कल्पना पहिले से ही कर ली जाती है। समुक्त परिवार की व्यवस्था के घटने से बाल-विवाह की प्रथा का भी विनाश हो रहा है, पहिली प्रथा न रहे तो दूसरी सुखद नहीं रह सकती क्योंकि समतुलन लाने वाला जो प्रभाव इसे चलाता है तब नहीं रहेगा।

वर्तमान परिस्थितियों में तो बाल-विवाह की प्रथा उड़ी ही विनाशकारिणी होगी। इससे लड़की शीघ्र ही माँ बन जायगी और इस प्रकार माँ तथा बच्चों, दोनों की कम उम्र में मृत्यु-संख्या बढ़ जायगी। इससे लड़की की शारीरिक दशा पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और सारी जाति में पुरुषत्वहीन सन्तानों की वृद्धि होगी। ब्रह्म-समाज, आर्य-समाज तथा गियोसोपिकल सोसायटी, जैसी सुधारवादी संस्थाओं ने कुछ इस प्रथा को नन्द करने का प्रयत्न किया है और साथ ही बदली हुई सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों ने भी इस प्रथा का अन्त करने में मदद दी है। लड़के तथा लड़कियों की शादी उनकी शिक्षा समाप्त होने पर ही करने का अब रिवाज चल पड़ा है। यह सुधार अधिकतर पठे-लिखे लोगों में प्रचलित है। नीचे स्तर के लोगों में भी अब यह प्रथा फैल रही है क्योंकि वे भी तो ऊँची जातियों की ही नकल करते हैं। बाल-विवाह-रोक ऐक्ट के अनुसार, जो शारदा ऐक्ट के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, उम्र की एक निश्चित सीमा से नीचे लड़के-लड़कियों का विवाह करना कानून की दृष्टि में जुर्म है। यह कानून पूरा मुस्लिमों से लागू नहीं किया गया है। जनता के विचार धीरे-धीरे किन्तु वास्तविक रूप में बाल-विवाह की प्रथा के विरुद्ध हो रहे हैं। हिन्दू-समाज अपने को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बनाता जा रहा है।

वैधव्य— हिन्दुओं की वैवाहिक विचार-धारा से सम्बन्धित एक विचित्रता यह भी है कि वे विधवा-विवाह को उचित नहीं समझते। इस प्रथा की बहुत ही अधिक आलोचना की जाती है और पश्चिमी आलोचक तो हमारी विधवाओं के जीवन का बड़ा ही रोमांचकारी चित्र खींचते हैं। इस आलोचना का सामना करने के लिए हमें जबरदस्ती लादे गये वैधव्य तथा अपनी इच्छा से स्वीकृत वैधव्य का अन्तर समझ लेना चाहिए। पहिले प्रकार का वैधव्य हिन्दुत्व पर एक धन्ना है; परिष्कृत विचारधारा ने उसे हेय समझा है और हमारे धर्म में भी इसका आदेश नहीं दिया गया है। अपनी इच्छा के विरुद्ध भी वैधव्य की ज्वाला में दबेले दी गई स्त्रियों का जीवन सचमुच बड़ा दुःखमय होता है। लेकिन वैधव्य का दूसरा रूप प्रशंसा के योग्य है और हिन्दू धर्म ने सत्कार के सामने यह एक बेमिसाल चीज

रखती है। यही 'सतीत्व' है। यह सतीधर्म, जिमका उद्देश्य शुद्ध रूप में आध्यात्मिक है, 'प्रसुद्ध भारत' में इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है 'पति को पत्नी सदैव ईश्वरीय रूप मानती रहती है। पति तथा उसने परिवार के प्रति उसने मिल्य ने कर्तव्य में एक प्रकार की धार्मिक भावना लिपटी रहती है। उनका सारा जीवन ही साधना है। इसी लिए जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वह उसका चित्र पूजा की वेदी पर नहीं रखती बल्कि अन्त स्थित ईश्वर को पूजा जो पति ने जीवनकाल में उसकी पूजा में जरिये की जाती थी, अब प्रत्यक्ष रूप धारण कर लेती है। वह शुद्ध आध्यात्मिक जीवन तथा मनन-चिन्तन के साथ अपने उपास्य देव या आदर्श की पूजा में जीवन निताती है। इस प्रकार वह पत्नी या विधवा के जीवन में कोई अन्तर नहीं महसूस करती।* इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि वास्तव में वैधव्यपूर्ण जीवन दुःख या विपाद का जीवन नहीं है बल्कि एक ऊँची आध्यात्मिक स्वतंत्रता के स्तर पर बन्वन से मुक्ति है। पत्नी के रूप में उसमें जिस भावना का विकास हुआ था वह अब विधवा के रूप में और भी विस्तृत हो जाती है।* कुछ ही विधवाएँ इस आदर्श तक पहुँच जाती हैं, यह कहना कोई तक नहीं है। कोई आदर्श आदर्श नहीं रह जायगा यदि सभी उस तक पहुँच जायें। इस प्रकार के जीवन से हमें यह समझने का अवसर मिलेगा कि विधवा का जीवन सदैव दुःख तथा अवसाद का ही जीवन नहीं है। वैधव्यपूर्ण जीवन नितान्त बुरा नहीं है, बुरा है स्त्री की दृष्टि से विरुद्ध उस पर वैधव्य लादना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारे नेताओं ने विधवाओं की दशा में सुधार के लिए एक पूरा मोर्चा ही तैयार कर रक्खा था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज तथा अन्य सुधारवादी संस्थाओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह को अपने कार्यक्रम में प्रधानता दी है।

जब तक सम्मिलित परिवार की व्यवस्था रही और विधवा को उसने स्वयं या पिता के घर में आश्रय मिला, वह सेवा और भक्ति का जीवन निता सकता थी। समुक्त परिवार की व्यवस्था टूटने से विधवा की मुसीबतें भी बढ़ गईं और आज तो उसका जीवन असह्य हो चला है। उसका साथ लोगों का वास्तविक व्यवहार बदलता जा रहा है। कई जगहों में उसके साथ अच्छा व्यवहार होता है, अनेक परिवारों में विधवा का अत्यधिक आदर है। वह अपनी नम्रता, सेवा तथा आत्म-त्याग से लोगों के आदर का पात्र बन जाती है। कुछ परिवारों में उसकी उपस्थिति लोगों को मुश्किल से बर्दाश्त होती है, और कुछ परिवारों में वह दुर्भाग्य का कारण मानी जाती है और उसकी जिन्दगी जहर का घूँट बन जाती है।

हर्ष का विषय है कि भारतीय स्त्री तथा पुरुष विधवा की महत्ता का आदर करने लगे हैं और अब वे उसने प्रति श्रद्धा का भाव रखना सीख रहे हैं।

भारतीय समाज में नारी का स्थान— किसी समाज की सभ्यता, सस्कृति एवं उसने सामाजिक स्तर की माप उस समाज में स्त्रियों के स्थान से की जा सकती है। भारतीय सामाजिक जीवन तथा सत्थात्रा का वर्णन समाप्त करने के पहिले स्त्रियों के स्थान के सम्बन्ध में कुछ शब्द कह देना उपयुक्त होगा। यह इस कारण और भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि विदेशी निरीक्षकों तथा आलोचकों में इस सम्बन्ध में बड़ा ही गहनत धारणा बना हुई है और वही दशा अपने उन देशवासियों का भी है जो विदेशी विचारा में पले हुए हैं। भारतीय स्त्रियों की हीन दशा से पश्चात्य स्त्रियों की उच्च दशा की तुलना करना ऐसे आलोचकों का आदत हो गई है। काल बुराई की आर हा दृष्टि डालने वाले परिणामी आलोचक हम बाल विवाह, जबरदस्ती लादे हुए वैधव्य तथा पर्दा-प्रथा व कारण अर्थ-सभ्य कहने में नहीं हिचकते। हम बाल विवाह तथा वैधव्य पर विचार कर चुके हैं। इस प्रकार व अन्न में हम पर्दा-प्रथा व विषय में कुछ कहना चाहते हैं। ऊपर हम इस परिणाम पर पहुँच चुके हैं कि जिन आदशा पर हमारा सत्थात्रा की नींव पडा है वे समा सुन्दर हैं, लेकिन परिस्थितियों के साथ उनमें बुराईयाँ घुस गई हैं और इसलिए उनमें सुधार का आवश्यकता है। भारतीयों ने सामाजिक सुधारों के प्रश्न का कभी अवहेलना नहीं की है। स्त्रियों के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है। हमारा आधार स्वस्थ है, किन्तु नई धाराओं एवं बदली हुई परिस्थितियों में सुधार आवश्यक है।

हिन्दू समाज में स्त्रियों का स्तर समय के साथ बदलता रहा है। प्राचीन काल में वे पुरुषों का परावरी करती थीं। प्राचीन हिन्दू नारी पूरी सम्पत्ति की स्वामिनी होती थी, पति महादय बिना उसका राय व उतम हेर फेर नहीं कर सकते थे। वह पूर्ण वयस्क होने पर अपने पति का स्वयं चुनाव करती थी और पति की असामयिक मृत्यु के बाद दूसरा विवाह भी कर सकती थी। उस समय पर्दा नहीं था, स्त्रियाँ स्वतन्त्रतापूर्वक घूमती फिरती थीं। बोया, अपाला, विश्ववरा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी नारियाँ पुरुषों व साथ वाद विवाद में स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लेती थीं और अपनी प्रतिभा से श्रेष्ठ विद्वानों एवं दार्शनिकों को भी चकित कर देती थीं। ऋग्वेद की कुछ ऋचाएँ तो स्त्रियाँ द्वारा ही प्रणीत हैं। प्राचीन आर्य अपनी स्त्रियों का जिनना महत्वपूर्ण स्थान देते थे उतना कोई दूसरी जाति नहीं देती थी। 'भारतीय खड-काव्यों में नारीत्व का जितना सुन्दर चित्रण है, वैसा ससार के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। नारी के ऐसे चित्रों का निर्माण महान् कलाकारों द्वारा हुआ है जिन्होंने उनकी समाप्ति ऐसे महान् चरित्रों के रूप में की है जिनमें मानवता की सबसे अधिक सबल, मधुर, ऊँची तथा श्रदायुक्त भावनाओं का सन्निवेश हुआ है।'^१

^१ एना वेसें 'दि डॉन', अक्टूबर १९०१, पृष्ठ ८२, 'कल्चरल हेरिटेज ग्रॉफ इण्डिया' में उद्धृत, खंड III, पृष्ठ २०।

लेकिन आर्य गंगा की घाटी में जैसे जैसे आगे बढ़ते गये उन्हें आदिवासियों की एक बड़ी सख्या मिलती गई जिनका रूप-रंग भिन्न था और सभ्यता भी भिन्न थी। स्त्रियों को अब पहिले की सी ही स्वतन्त्रता दे देने में वर्ण-संकर का भय होने लगा। इस भय तथा सयुक्त परिवार के विकास के कारण उनका पहले जैसा बराबरी और स्वतन्त्रता का स्थान जाता रहा और वे पुरुष पर निर्भर रहने लगीं। यद्यपि समय समय पर उनकी स्थिति में अन्तर पड़ता रहा किन्तु पहले का-सा दर्जा फिर कभी नहीं मिला। मुसलमानों के युग में स्त्रियों का दशा दयनीय हो गई और लड़कियों की हत्या तथा जौहर की प्रथा प्रचलित हुई, वे जनानखाने के अन्दर पदों में डाल दी गईं। ये दो प्रथाएँ उनकी वर्तमान हीन दशा, शिक्षा की कमी तथा आर्थिक पराधनता के लिए बहुत सीमा तक उत्तरदायी हैं।

स्त्रियों की वर्तमान सामाजिक हीनता का परिचय कई जगहों से मिलता है। उन्हें सदैव दूसरे के ही आसरे रहना पड़ता है। वे लड़का के रूप में पिता पर, पत्नी के रूप में पति पर तथा वृद्धावस्था में लड़का पर निर्भर रहती हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में उन्हें आत्मनिर्णय या अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर नहीं मिलता। स्त्री के लिए विवाह करना आवश्यक है और यही उसकी परतन्त्रता सूचित करता है। यदि पति, सास या परिवार का कोई भी सदस्य उससे साथ कठोर व्यवहार करता है तो हिन्दू धर्म में इसके लिए कोई इलाज नहीं है, उसे चाहे जितनी ताड़ना क्यों न हो। यदि पति उसे छोड़ देता है या बेशर्मी के साथ उसकी उपेक्षा करता है या दूसरी स्त्री से शादी कर लेता है तो भी वह तलाक की माँग नहीं कर सकती और न बेटे सहते जाने के उपाय उसके पास कोई दूसरा चारा ही है। जायदाद पाने के विषय में हिन्दू धर्म के नियम उसके लिए कहीं अधिक कठोर हैं। वह जायदाद की चारिस नहीं बन सकती। एक गये गुजरे पुरुष चारिस को भी लड़की के मुकाबले तरजीह दी जाती है। एक प्रमुख पत्र ने स्त्री की कानूनी स्थिति का इन शब्दों में बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है : 'जन्म लेने पर बला माना जाने वाली तथा जीवन भर किसी पैतृक अधिकार से वंचित रह कर हिन्दू स्त्री से एक निश्चित जीवन निताने की आशा की जाती है। कानूनी अधिकार के रूप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन बना सके, वह सदा परतन्त्र है, चाहे दहेज दिया जाय चाहे नहीं। यह स्पष्ट है कि जायदाद पर मौखिकी हक न देने के लिये हम केवल स्त्री धन के बहाने का सहारा नहीं ले सकते।'* इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए

* कोचीन तथा ट्रावनकोर में स्त्रियों जायदाद की चारिस बन सकती हैं क्योंकि वहाँ मातृ-प्रधान व्यवस्था है।

* एण्ड्रूज द्वारा उद्धृत : 'दि टू इण्डिया', पृष्ठ १२८।

'हिन्दू-स्त्रियों का तलाक देने का अधिकार' तथा 'हिन्दुओं के एक ही विवाह करने का बिल' केन्द्रीय धारा सभा में पेश किये गये थे। आज का हिन्दू कोड बिल सुधारों की पुरानी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है।

भारतीय स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी अवनति पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता प्रत्यक्ष है। उनमें साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही नीचा है— पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं। हर्ष का विषय है कि स्त्रियों की शिक्षा में बराबर उन्नति हो रही है। विभिन्न पराक्षाओं में सम्मिलित होने वाली तथा शिक्षा संस्थाओं में भर्ती होने वाली लड़कियों की संख्या बराबर बढ़ रही है। स्त्री-शिक्षा की ओर लोगों की उत्साहीता तथा शिक्षा में बाधक होने वाली ग्रन्थ प्रथाओं— पर्दा तथा बाल-विवाह— का अन्त हो रहा है। लेकिन अब भी बहुत लम्बी मंजिल तय करनी है।

यद्यपि आजकल वहीं-वहीं स्त्रियों शिक्षक, वकील, प्रैक्टिस और डॉक्टर के रूप में दिखाई पड़ने लगी हैं फिर भी साधारणतया उच्च घरों की स्त्रियों परिवार के कमाने वाले सदस्यों में शामिल नहीं की जातीं। स्त्रियों को नौकरी में लगाना अब भी लोगों को ठीक नहीं जँचता, विशेषतया उँचे वर्ग के हिन्दू तथा मुसलमानों में। इस कारण उनकी पुरुषों पर निर्भरता ज्यों की त्यों बनी रहती है।

कानूनी असमर्थताओं, शिक्षा सम्बन्धी अवनति तथा आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भरता के अतिरिक्त उँहे जीवन में पति चुनने का अधिकार नहीं है और न तो पुरुषों के समान स्वतन्त्र अस्तित्व रखने का ही अधिकार है। इसके साथ साथ उन पर वैधव्य का बोझ लाद दिया जाता है और उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है। जिन विदेशी आलोचकों को भारतीय स्त्रियों की इस दशा का ज्ञान है वे हम पर उनके प्रति अत्यायन कठोर और अनुत्तार व्यंग्य करने तथा उँहे गद्दे में टूटने लाने का अपराध लगाते हैं। उनका ऐसा करना ठीक भी है। लेकिन सत्रातों का ज्ञान किये बिना ऐसा निर्णय दे देना उतावलापन है। शिक्षा का अभाव, अधिकारों की कमी तथा पुरुष पर निर्भर होने के कारण समानता के दर्जे से वंचित रहना— इन तथा ग्रन्थ कमियाँ के हाते हुए भी स्त्री घर की नौकरानी नहीं बल्कि वहाँ की रानी है, घर में उसकी एक अलग शान-दान है। घर में उसका ऐसा स्थान है जिसके लिए यूरोपिय स्त्रियों का ईर्ष्या हो सकती है। जिनका उसकी राय के घर में कोई काम नही हो सकता। लड़के या लड़की की मंगनी या शादी या परिवार के किसी लड़के को शिक्षा पाने के लिए विदेश भेजने की तो बात ही क्या, घर के प्रबन्ध से जिन मामलों का कम घाना-ठ सम्बन्ध रहता है उनमें भी उसका राय का महत्त्व होता है, जैसे जायदाद बचन या खरीदने में, जमीन खरीदने में तथा विभिन्न अवसरों पर मित्रों का पत्रिं जाने वाले उपहार इत्यादि में। पति के प्रति श्रद्धा, बच्चों के प्रति प्यार, दूसरों के लिए अपने

सुखों का त्याग करने की उसकी तत्परता, विनम्रता तथा नैतिक पवित्रता ही उसके कम प्रभाव का सात है। नारी के प्रति महान् आदर का भाव इसी बात से स्पष्ट है। हमारे देश में मॉं को सबसे अधिक आदर प्रदान किया गया है। मॉं का स्थान पिता से, या बेटा तक कि ईश्वर से भी, ऊँचा समझा जाता है। हम अपने देश को भारतमाता कहते हैं। शाश्वत शक्ति या अनादि तेज भी स्त्री के रूप में व्यक्त किया गया है। जहाँ कहीं मा पति पत्नी का नाम साथ-साथ लिया जाता है पत्नी का नाम ही पहले आता है,— जैसे, साताराम, राधाकृष्ण, गौराशंकर आदि। साथ तो यह है कि हमारी सभ्यता और सभ्यता में स्त्री को सर्वश्रेष्ठ स्थान है। परिस्थितियों की उलट-फेर में ही उसे प्राथमिक स्थान मिल गया है जिसे हम नीचा कहते हैं। उसके कार्य का क्षेत्र ही अलग रहा है जिसमें वह सर्वोच्च रहा है। दूसरी ओर मनुष्य का वह क्षेत्र है जिसमें वह अगुआ है। दोनों एक दूसरे के अवरोध या प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि क्रिया ध्वज की पृथि में एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हम मानते हैं कि हमारी व्यवस्था में अनेक सुधार हैं। अन्तर्गत दशक में अनेक दृष्टियों से सुधार की आवश्यकता है, यह निर्दिष्ट है, लेकिन यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि हमारी स्त्रियों का स्थान यूरोपीय स्त्रियों से नीचा है।

पुरुषों तथा स्त्रियों के अधिकारों में समानता नहीं है इसी लिए हम स्त्रियों का स्थान पुरुषों से नीचा समझते हैं। बराबरी—आधिकारों की बराबरी—जैसी कोई चीज भारतीय विचारधारा में ही नहीं पाई जा सकती। कल्याण प्राथमिक लाभों का प्रतिफल लिए एक अवसर प्रदान करने वाली वस्तु के रूप में काई है जहाँ अपने वर्तकों का सम्पादन स्वयं, स्नेहपूर्वक किया जाता है, दूसरों पर अपने अधिकारों का आरोप करने सामरिक सुखों की प्राप्ति के लिए नहीं। हमें दुःख है कि हम तथ्य को हमारे आलोचकों को मूल बात है।

स्त्री-आन्दोलन—पिछले पच्चीस वर्षों से धीरे धीरे किन्तु अनवरत गति से बढ़ते हुए नारी-आन्दोलन की कुछ विवेचना यहाँ अनुपयुक्त न होगी। इन समय तक भारतीय स्त्रियों को अनेक अधिकारों—सामाजिक, कानूनी तथा राजनैतिक—की प्राप्ति हो चुकी है और उनमें पर्याप्त जागरण भी आ गया है।

१९१४-१८ के प्रथम महायुद्ध के बाद नारी आन्दोलन का रूप अखिल भारतीय तथा राजनैतिक हो गया। इस महायुद्ध के पहिले सारा कार्य व्यक्तिगत रूप से या अलग-अलग समितियों द्वारा ही होता था और वह केवल शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रों तक ही सीमित था। यह ध्यान देने की बात है कि भारत में स्त्री आन्दोलन अपना आवेगपूर्ण नहीं रहा जितना यूरोप में, इसका विकास बहुत ही शान्तिपूर्ण रहा है।

चाहे वोट देने का अधिकार लेना हो, प्रतिनिधित्व करने वाली सस्थात्रा का चुनाव लडना हो या पद-प्रथा जैसी कोई हानिकर प्रथा उठानी हो, स्त्रिया को पुरुषा से कभा लडना नहीं पडा है, उन्हें केवल एक बार, दो बार या तीन बार अपनी आवाज बुलन्द करनी पडी है और बडरता की दीवार अपने आप टड गयी है। जिस आसानी के साथ उन्हें अनेक राजनैतिक, कानूनी तथा सामाजिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है तथा मनुष्या के बराबर ही उन्हें जा नागरिक अधिकार मिले हैं वे इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय नारीत्व का कितना आधक आदर करते हैं। उनका सफलता के और भी कारण हैं, कि मु उनका ओर हम यहाँ सतत नहीं कर रहे हैं।

यदि हम स्त्रिया की प्रगति को राजनैतिक, सामाजिक तथा कानूनी, इन तान भागों में विभाजित कर देता हम इस बात का सही सही पता चल जायगा कि पन्चीस वर्षों के थडे समय में ही उन्होंने कितनी प्रगत कर ली है।

राजनैतिक प्रगति— १९२१ के पहिले भारतीय नारियों को वोट देने का अधिकार नहीं था, १९१९ के 'गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट' ने उन्हें वोट का अधिकार नहीं दिया था लेकिन एक्ट के निर्वाचन नियमों ने प्रांतीय धारा-सभा का यह अधिकार दिया था कि यदि वह चहे तो पुरुषा के समान स्त्रिया का भी वोट का अधिकार दे सकती है। बम्बई तथा मद्रास ने इस धारा का लाभ उठाया और १९२१ के पहिले ही स्त्रियों को यह अधिकार दे दिया। १९२३ में उत्तर प्रदेश (तब सयुक्त प्रान्त) ने भी उनकी मरुल की और बंगल, पंजाब तथा मध्य प्रदेश ने भी तान वर्ष बाद उनकी अनुमरण किया। इस सुधार के बाद दस वर्ष के अन्दर ही सारे ब्रिटिश मरत में स्त्रिया का वोट देने का अधिकार दे दिये गये। यह उडा हा महत्वपूर्ण सफलता था लेकिन अभी और कुछ मिलना बाका था। १९२६ में पहिले पहल स्त्रिया को 'विधान सभा' का मेम्बर होना का अधिकार मिला और १९२७ में डा० मुखलक्ष्मी रेडा मद्रास प्रांतीय व्यवस्थापिका काउन्सिल का मेम्बर ननी और एकमत से उसकी उपप्रधान चुनी गई।

१९३५ के 'गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट' ने उनको उन अधिकारों से आग बडकर वहाँ अधिक अधिकार दिये। स्त्रियों का निर्वाचन क्षेत्र काफी विलुत हुआ और बालिग स्त्रिया में से लगभग १०% को वोट देने का अधिकार मिला।

उनके लिए १५ स्थान सघ (६ कौंसिल तथा ९ सभा में) और ४१ प्रांतीय विधान-सभा में रिजर्व कर दिये गये थे। वे साधारण सत्रों का चुनाव भी बडी सफलतापूर्वक लडा और पुरुषा का उन निर्वाचन क्षेत्रों में भी हराया जहा उनकी अधिजाता था। विभिन्न प्रान्तों में स्त्रिया मन्त्रा, पालियामेटरा सेक्रेटरी, उपाध्यक्ष तथा उपसभानेत्रा बना। सविधान परिषद् में भी, जो राष्ट्रीय पालियामेन्ट के रूप में कार्य कर रही थी, दस स्त्रिया थीं। जब १९४७ में भारत को स्वतन्त्रता मिली तब उसने नारिय तथा

स्वातन्त्र्य-युद्ध में भाग लेने वाली स्त्रियों की देन का बड़ा सम्मान किया। श्रीमती सराजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की गवर्नर, राजकुमारी अमृतकुँवर स्वास्थ्य की मन्त्री तथा श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित रूस में भारतीय दूत बना दी गईं। और अब हमारे नये संविधान में तो हर बालिग स्त्री को वोट का अधिकार दिया गया है और स्त्री पुरुष की समानता के सिद्धान्त को स्वीकार किया है।

विधान सभा के बाहर समाज सेवा में भी स्त्रियों ने हाथ पँडाना प्रारम्भ कर दिया है। लगभग सभी बड़ी म्यूनिसिपैलिटियों में सरकार द्वारा नियुक्त या वोट द्वारा चुनी हुई एक या एक से अधिक स्त्रियाँ काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी वे कार्य कर रही हैं। उनके दून अधिकारों से बड़ी अधिक है देश के साधारण राजनैतिक जीवन में उनका सहयोग। १९३१ से ही, जय महात्मा गांधी ने अपना सधिनय श्रवण आन्दोलन प्रारम्भ किया, उन्होंने अपने को हजारों की सख्या में राजनैतिक सग्राम में भोंक दिया है और उसमें अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों से भली प्रकार अवगत होकर बाहर निकली हैं। राष्ट्रीय सग्राम में भाग लेने से अधिक किसी भी चीज ने उनके उत्थान में इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। आन्दोलन में भाग लेने वाली सभी स्त्रियों ने पदों की प्रथा तोड़ दी है और वे मर्दों की बराबरी में आ गईं हैं।

‘विधान सभाओं’ तथा स्थानीय सस्थाओं की स्त्री सदस्यों ने स्त्रियों की स्थिति तथा प्रभाव को ऊँचा बनाने का प्रयत्न किया है। स्वर्गीय आदरणीय सी० एफ० एण्ड्रूज के शब्दों में उनके इन कार्यों का भली भाँति परिचय मिलता है, ‘आश्चर्यजनक परिवर्तनों के लाभकारी प्रभाव से सभी अवगत हैं। दीन, अनाथों, निबल तथा असहायों की सेवा के क्षेत्र में म्यूनिसिपैलिटी का स्तर उच्चतर हो गया है। घरों की गन्दगी के विरुद्ध अद्वितीय तथा कठिन लड़ाई आगे बढ़ती गई और एक के बाद दूसरी सफलता मिलती गई है। घरेलू-विशेषतया बच्चों की- बीमारियों की रोकथाम पहिले से अच्छी हो रही है। उपयुक्त पोषण, उपचार तथा चीर-पाच की सहायता की कमी के कारण जहाँ अत्यधिक बच्चे-कभी कभी मृत्यु भी- होता था वहाँ अब जनता के रूपों की सहायता से अच्छा को अधिक से अधिक सुप्त देने का प्रयत्न हो रहा है।’^१

सामाजिक प्रगति— सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों की उन्नति कम महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में हमके बिना किसी प्रकार की प्रगति का होना असम्भव है क्योंकि सामाजिक तथा राजनैतिक पहलू सिक्के की दो बाजुओं के समान हैं। जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है, स्वतन्त्रता न राष्ट्रीय सग्राम में सक्रिय भाग लेने के कारण बड़े घर की स्त्रियों ने पदों को पाइ पँका। अब वे हजारों की सख्या में राजनैतिक सभाओं तथा जुलूसों में भाग लेती हैं। उनके प्रत्येक कार्य में उनकी मुक्ति की नई

भूलक देखकर कोई भी निरीक्षक प्रभावित होगा। वे पुरानी चीजों को केवल पुराना होने के कारण ही स्वीकार नहीं कर लेतीं। अपने वार्षिक सम्मेलनों में वे साहस के साथ विस्तृत सुधारों की माँग करती हैं। १९३१ के पहिले इन सम्मेलनों के सभापतियों के भाषणों में पर्दा-निवारण, बाल-विवाह-उन्मूलन तथा वैधव्य समाप्ति पर विशेष जोर रहता था। अब वे उन कुरीतियों की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास करने की चिन्ता नहीं करतीं; उनकी दृष्टि अब अधिक आवश्यक विषयों की ओर है। अब वे जायदाद की स्वामिनी बनने तथा तलाक देने के अधिकार की माँग कर रही हैं। वे कानून द्वारा बहु-विवाह तथा दहेज-प्रथा का अन्त और साथ ही साथ बाल-विवाह-कानून की कड़ाई के साथ पाबन्दी चाहती हैं। वे सद्शिक्षा तथा लड़कियों के लिए शिक्षा सम्बन्धी विशेष सुविधाओं की माँग कर रही हैं क्योंकि उनका विचार है कि शिक्षा के प्रसार से अन्य समस्याओं का हल अपने आप हो जायगा।

कानून-सम्बन्धी सुधार— स्त्रियों में उत्पन्न महत्पूर्ण चेतना तथा अनेक दिशाओं में की गई उनकी प्रगति का आभास उन सारे प्रयत्नों द्वारा मिल जाता है जो इधर हाल में कुरीतियों को हटाने के लिए किये गए हैं। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में डाक्टर देशमुख तथा सेठ गोविन्दलाल मोतीलाल द्वारा उपस्थित दो बिलों की ओर सचेत ऊपर हो चुका है। उससे कुछ पहिले १९३७ में हिन्दू स्त्री जायदाद-अधिकार-एक्ट पास हुआ था। विवाह, तलाक, जायदाद का स्वामित्व इत्यादि के विषय में हिन्दू परिवारों में प्रचलित अनिश्चित तथा विरोधात्मक कानूनों पर पुनर्विचार तथा सुधार करने की दृष्टि में भारतीय सरकार ने 'राव कमेटी' नामक एक कमेटी बिठाई। इस कमेटी ने सारे देश का दौरा कर के प्रमाण एकत्रित किये और अपने द्वारा तैयार किये हुए सम्भावित हिन्दू कोड पर जनता की राय ली। इस सम्भावित कोड पर आधारित हिन्दू-कोड-बिल पार्लियामेण्ट के सामने है। इस बिल का तात्पर्य है कुछ परिस्थितियों में तलाक को कानूनी बनाना तथा हिन्दू स्त्रियों को जायदाद की वारिस बनने का अधिकार देना। इन सुझावों का अभी काफी विरोध हो रहा है इसलिए पार्लियामेण्ट इस पूरे प्रश्न पर नये सिरे से विचार कर रही है।

कस्तूरबा स्मारक-निधि— भारतीय स्त्रियों की प्रगति का ऊपर दिया हुआ वर्णन तब तक अगूया रहेगा जब तक उस प्रगति को शक्ति देने वाले 'कस्तूरबा-स्मारक ग्रान्दोलन' की भी थोड़ी बहुत चर्चा न कर दी जाय। १९४२ के ग्रान्दोलन के सिलसिले में ही कस्तूरबा गांधी जी के साथ जेल में नजरबन्द थीं और वहीं फरवरी १९४४ में उनकी मृत्यु हुई। महात्माजी की राय से कस्तूरबा स्मारक निधि के उत्पत्तिकों ने स्त्रियों— विशेषतया ग्रामीण स्त्रियों— की दशा में सुधार के लिए एक अदिल भारतीय सस्था की योजना बनाई। इस योजना का मुख्य अंग है ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक ढंग के अच्छा-खानों तथा उपचार-गृहों से सुवर्जित करना तथा

पूरे देश में स्त्रियों की उन्नति का संदेश ले जाने के लिए सत्रिकाएँ और मन्दिर तैयार करना। कई जगहों में ट्रेनिंग केंद्रों का अलाएँ वैध स्थापित किये गये जहाँ प्राथमिक चिकित्सा, रूग्णा तथा गॉव की देख-भाल की शिक्षा दी जाती थी। इस यात्रा का अच्छी प्रगति हुई है।

अपने देश में स्त्रियों की उन्नति के विषय में दिये हुए वर्णन से यह पता चलता है कि पिछली शताब्दी के आरंभ चरण से, जब उनकी दशा सबसे निचली सीढ़ी पर थी आज तक वे उन्नति की किस सीमा तक पहुँच चुकी हैं। '१९४० ई० तक स्त्रियों की सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक प्रावृष्टा का लहर इतनी ऊँचाई तक उठ चुकी थी कि प्रांतों तथा स्टेटों की 'निधान सभाओं' को मिलाने पर स्त्री-सदस्यों की संख्या अर्ध्नी होती है और इस प्रकार स्त्रियों के राजनैतिक प्रभाव तथा स्थान की दृष्टि से भारत सकार में तामर नम्वर का देश ठहरता है।' उनकी इस अनापी उन्नति का एक कारण यह भी है कि उनकी स्वतन्त्रता तथा उन्नति का आन्दोलन स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय सधाम से मिन गया था। देश का स्वतन्त्रता की प्राप्ति में उतना आधक सहयोग और किमी चीज से नहीं मिला जितना महात्मा गॉधी ने नतृत्व में कार्य करने वाले मुन्दर तथा उदार नारीत्व से।

पिछले चालीस या पैंसठ बरों से भारतीय स्त्रियों ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। व तु अभी यह नहीं बता जा सकता कि विचार, वाणी तथा कार्य में जेन में उन्हें वही सफलता मिली है जा अहरी अनेक देशों की स्त्रियों का मिनर्वा है। उत्तरी भारत में पढाई तथा दाक्षिणी भारत में पुरुष अनुगमन पर जोर तथा अपना अल्प कई बुराद्यों के साथ जाल विवाह की प्रथा में मध्यम तथा ऊँचे वर्ग की स्त्रियाँ को अत्यावश्यक स्वतन्त्रता से वाचत कर रक्ता है। गॉवा में, जहाँ शिक्षा तथा राष्ट्रीयता का प्रभाव अभी नहीं पला है, स्त्रियों की दशा अब भी शोचनीय है।

स्त्री-संस्थाएँ— स्त्री आन्दोलन के इस अध्याय का समाप्त करने से पहिले तान अखिल भारतीय संस्थाओं का आरंभ भी, जो एक-एक काले स्थापित हुईं और अब भी कार्य कर रही हैं, संकत कर दना अनुसुक्त न होगा। सबसे पहली संस्था या भारतीय स्त्री संघठन' नाम की जो १९१७ में स्थापित हुई थी और जिलरी डॉक्टर एनी बसेट प्रेसिडेन्ट थी। इसका उद्देश्य था देश की सारी नारियाँ को पारस्परिक तथा मातृभूमि की सेवा के लिए एकता के सूत्र में जोधना। इसके ही तत्वावधान में दश की प्रसुत चौदह स्त्रियाँ का एक दल, जजरी अगुआ श्रीमती सराजनी नायडू थी, मि० मा-टेम्बू तथा लार्ड चैम्सफार्ड से १९१७ के दिमम्बर में मिला और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन्म-रूग्णा की देख-भाल की मुविधा के साथ पुढियों की बरानरी में स्त्रियाँ को भा वोट देने के अधिकार की माँग की। दूसरी संस्था है १९२५ में

स्थापित 'भारतीय स्त्रियों की राष्ट्रीय कोसिल'। यह सस्था सामाजिक सुधार की योजनाओं तथा कार्यों को व्यवस्थित करने तथा भारताय स्त्रियों को अन्य देशों का स्त्रियों के सम्पर्क में रखने का विशेष प्रयत्न करती है। तारीख है 'अगिल-भारतीय स्त्री सम्मेलन'। १९२६ के अक्तूबर में ठा उद्देश्यों से इसकी स्थापना हुई थी। एक उद्देश्य था उगाल के शिक्षा-उत्सर्पेकर की चुनौती का स्वीकार करना जो उन्होंने देश की स्त्रियों को ठा थी और उन्हे यह मताना कि वह अपनी लडकियाँ के लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहता हैं। दूसरा था देश में काम करने वाली विभिन्न स्त्री सस्थाओं की शक्ति एक ही दिग्दु पर केन्द्रित करना। वर्तमान समय में यह स्त्रियों की सबसे महत्त्वपूर्ण तथा सक्रिय सस्था है और यह उनको अपने विचारों का व्यक्त करने का बड़ा उपयुक्त मन्त्र प्रदान करती है। इसका अधिवेशन साल में किसी एक बड़े शहर में होता है और राजनैतिक विचार-धारा की दृष्टि में यह सस्था बहुत प्रिय बन गई है। यद्यपि इसकी मूल सस्थापिकाओं का विचार स्त्री-शिक्षा के प्रश्न पर ही अधिक ध्यान देने का था किन्तु अपने तीसरे वार्षिक अधिवेशन में सामाजिक सुधार का भी अपने कार्य-क्रम में सम्मिलित करके इसने अपना क्षेत्र और अधिक विस्तृत कर लिया। स्त्री शिक्षा, पुरुषों व समान भेद देने का अधिकार, विनाश की उम्र बढ़ाना, अशुश्रुता निवारण तथा जातीय बन्धना का विनाश, पर्दा-निवारण, जायदाद व वारे में स्त्री-सम्पत्ती काचूनों में सुधार तथा कचून द्वारा बहु विनाश का निषेध— सम्मेलन का ध्यान अर्पित करने वाले ये कुछ प्रमुख विषय हैं। इस सस्था का कार्य प्रत्येक वर्ष विस्तृत होता जा रहा है और यह इस बात का प्रमाण है कि हमारा स्त्री समाज अपने वर्तमान में भी उतना ही अग्रगत है जितना प्राधकारों से और राष्ट्र निर्माण के महान् कार्य में अपना शक्ति के अनुकार मशयग देने के लिए वे पूर्ण रूप से तत्पर हैं। ये सम्मेलन किसी राजनैतिक दल के नहीं होते, सस्था टलगत राजनाति में भाग नहीं लेती किन्तु उन सभी प्रकार के प्रश्नों तथा मामलों पर— राजनैतिक तथा अन्य— विचार करने के लिये स्वतन्त्र है जो विशेषतया स्त्रियों तथा उच्च से सम्बन्ध रखते हैं। विश्व की न्याया शान्ति व लिए इसने भारताय स्वतन्त्रता पर अधिक जोर दिया है। यहाँ उस एवता की भयना पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है जिससे इसके सभी कार्य तथा विचार अनुप्राणित रहे हैं। हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई एवं पारसी स्त्रियाँ में, धर्म और जाति की भावना को परित्राग करके, पारस्परिक सद्भाव उत्पन्न करने तथा उन सभी पर पाश्चात्य स्त्रियों के उदार विचारों की कानई चढाने में इस सस्था का असाधारण सफलता मिली है। भारतीय उन्नत नारी-समाज ने जाति-धर्म, तथा बड़े छोट के भेद छोड़ कर समानता के कार्यों में हाथ डेगाया है और उसे अपनी सानुभूति ठा है।

अगिल भारताय स्त्री-सम्मेलन के समापतियों की और एक दृष्टि डालने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि उसके कार्यों पर सांप्रदायिक या सकीर्ण विचारों का प्रभाव

नहीं पड़ा है। इस सूची में महारानी रबीदा, भोपाल की रगगीया बेगम, रगगीया श्रीमती सरोजनी नायडू, लेडी आर नौलकठ, लेडी अब्दुल कादिर, द्रावननोर की महारानी, मिसेज कजिन, राजकुमारी अमृतकौर, श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय, लेडी रामा राव और श्रीमती अनुसूयाबाई काले सम्मिलित हैं। इस सम्मेलन की सदस्यता २७,००० तक पहुँच चुकी है, इसकी ४० शाखाएँ तथा १६४ प्रशाखाएँ हैं।

मुसलमानों का सामाजिक जीवन

भारत में सामाजिक जीवन धार्मिक विचारा तथा कृत्यों से प्रभावित होता है। अपने धार्मिक आदेशों तथा जीवन के प्रति दृष्टिकोण में हिन्दू धर्म तथा इस्लाम एक दूसरे से अलग पड़ते हैं। इन तथ्यों से यह निर्गम्य किया जा सकता है कि मुसलमाना तथा हिन्दुओं के सामाजिक जीवन में मूलभूत भेदों का होना अनिवार्य है, लेकिन बात वास्तव में ऐसी नहीं है। साथ ही साथ यह भी नहीं कहा जा सकता कि दोनों में कोई अन्तर नहीं है। अन्तर है अवश्य लेकिन दूनों में मूलभूत नहीं हैं कि नीचे बहने वाली एकता की धारा— इस पर पहले अध्याय में प्रकाश डाला जा चुका है— पर परदा पड़ सके। यह कथन कि मुसलमान में जातिगत कोई भेद ही नहीं है, सम्पूर्ण सत्य नहीं है। जैसा कि इस अध्याय में पहिले कहा जा चुका है, अपना धर्म बदल कर मुसलमान बनने वाले हिन्दू अपने नये रूप में जाति व्यवस्था भी लेते गये। शिवा और मुन्त्रियों में बड़ा अन्तर है, इसके अतिरिक्त शैख सैयदों तथा मुगल पठानों के बीच भी बड़ा दीवार है। इन लोगों में अतर्जातीय विवाह नहीं होते। फिर भी, यह मानना पड़ेगा कि भारतीय इस्लाम हिन्दू धर्म से अधिक लोचनान्तरात्मक तथा जाति पॉति के भेद भाव से उससे कहीं कम प्रभावित है। मुसलमानों को अस्पृश्यता का प्रश्न नहीं हल करना है, वे सभी एक ही नर्तन से पानी पी सकते तथा एक ही अगह बैठ कर खा सकते हैं। अपना जोड़ा दू टने के लिये भी उनमें यहाँ कम ग्रन्थन हैं, चचेरे भाइयों तथा बहनान में विवाह काफी प्रचलित है। हालाँकि इस्लाम बहुविवाह की आज्ञा देता है और उसे पसन्द भी करता है, फिर भी भारतीय मुसलमान अतिरिक्त एक ही विवाह करना अच्छा समझते हैं। उनमें भी ऊँचे स्तर के लोग विधवाया का विवाह ठीक नहीं समझते, गा उनके धर्म में विधवा विवाह वर्जित नहीं है। उनमें हिन्दुओं की भाँति विवाह धार्मिक बन्धन नहीं, पारस्परिक लाभ के लिए यह एक सौदा है जो तलाक देकर समाप्त किया जा सकता है। फिर भी तलाक दुष्ट अधिक प्रचलित नहीं है। मुसलमानों की रिश्तों सम्पत्ति की स्वामिना बन सकती हैं और इस प्रकार अपनी हिन्दू नर्तन से वे अच्छी दशा में हैं, लेकिन सब मिलाकर स्त्रियों की मुसलमानों में भी वही दशा है जो हिन्दुओं में। एक बात में तो उनकी हालत हिन्दुओं से भी गयी-गुजरी है ऊँचे स्तर के लोगों में यहाँ पेटों की प्रथा हिन्दुओं से कहा अधिक बढ़ाई के साथ बरती जाती है।

राजनैतिक चेतना से मुसलमानों की स्त्रियों हिन्दू स्त्रियों के मुकाबिले बहुत कम प्रभावित हो पाती हैं ।

सिक्खों, जैनियों तथा अन्य छोटे धार्मिक जन-समुदायों का सामाजिक जीवन हिन्दुओं के सामाजिक जीवन से मिलता-जुलता है । पारसियों का समाज कुछ भिन्न अवश्य है । उनमें जाति-भेद नहीं है और वे अच्छी प्रकार शिक्षित और शिष्ट हैं । उनकी स्त्रियों में पट्टे की प्रथा नहीं है, विवाह भी वे शीघ्र नहीं करते । तलाक की आज्ञा स्त्री तथा पुरुष दोनों को है ।



अध्याय २ का पूरक

कुछ सामाजिक समस्याएँ

परिचयात्मक— अपने देश के सामाजिक जीवन का ऊपर दिया हुआ वर्णन अधूरा रह जायगा अगर उन बड़ी समस्याओं की त्रास सदत— साक्ष्य ही सही— न कर दिया जाय जिनसे हम निवृत्तना है। उसमें से कुछ का, जैसे विधवा विवाह या अछूतोद्धार का सम्बन्ध हमारी उन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं तथा व्यवहारों से है जो हमारे सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन गये हैं। कुछ समस्याओं, जैसे साम्प्रदायिक प्रश्न, का सम्बन्ध हिन्दू-मुसलमानों के बीच के उस अन्तर से है जिसका प्रयोग अंग्रेज शासकों ने अपने 'विभाजन द्वारा शासन' की नीति में किया। कुछ समस्याएँ, जैसे भ्रष्टाचार तथा चोरनाचारी, अभी हाल में उत्पन्न हुई हैं और द्वितीय महायुद्ध के कारण गिरे हुए नैतिक स्तर का ही परिणाम हैं। पछली दो समस्याएँ केवल भारत में ही प्रचलित नहीं हैं, वे लगभग सारी दुनिया में व्याप्त हैं, किंतु यही सोचकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते।

(अ) साम्प्रदायिक प्रश्न— पहिले हम साम्प्रदायिक प्रश्न पर विचार करेंगे। लगभग आधी शताब्दी तक यह बड़ा ही गम्भीर तथा परेशान करने वाला प्रश्न बना रहा और इसी के कारण हम अपने विरोधियों की उपेक्षा और उनका व्यर्थ सहना पड़ा। सौभाग्यवश इसका हल हो-सा गया है और अब यह उतना गहरा तथा चौड़े प्रश्न नहीं रह गया है।

यह समस्या कभी भी शुद्ध रूप से सामाजिक तथा धार्मिक नहीं रही, उसमें राजनैतिक भी शामिल था। यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथा धार्मिक होने की वृत्तिसत यह प्रश्न राजनैतिक अधिक था। यह अधिकतर अंग्रेज वृत्तीतिहों के उन प्रयत्नों का फल था जिन्होंने उन्होंने हिन्दू तथा मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने की नीयत से किया था। एक दूसरे अध्याय में इस प्रश्न के इस पहलू की विस्तृत विवचना होगी यहाँ हम केवल उसने धार्मिक तथा सामाजिक पहलुओं का ही निराकरण करना चाहते हैं।

साम्प्रदायिक प्रश्न के विषय में पहला ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह मुख्यतया हिन्दू मुस्लिम ही प्रश्न था, कभी कभी यह सिक्ख मुस्लिम भी हो जाता और बहुत ही कम अवसरों पर यह हिन्दू सिक्ख प्रश्न बना। हिन्दू ईसाई या मुस्लिम ईसाई भगवत का रूप इसने बहुत ही कम या कभी भी धारण नहीं किया। इस स्थिति से स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक विश्वासों तथा वृत्तियों के भेद के अलावा समस्या की तह में कोई और चीज भी थी। यदि केवल धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों के भेद से ही साम्प्रदायिक विषमता उत्पन्न हुई होता तो वह सिक्खों ईसाइयों तथा मुसलमान

इसाइयों के बीच भी होती। इनके अलावा शिक्षा के प्रसार तथा धार्मिक सहिष्णुता की भावना के, जो वर्तमान युग की एक प्रमुख विशेषता है, प्रसार के कारण इन साम्प्रदायिक झगड़ों में कमी आ जानी चाहिए थी। लेकिन इसने ठीक उलटे हम देखाते हैं कि जैसे-जैसे वर्तमान शताब्दी बीतता गई, हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न तूल पकड़ता गया और इसे सन्से अधिक भड़काने वाले शायद पटे-लिखे व्यक्ति ही थे। यह बड़े मजे की बात है कि साम्प्रदायिक झगड़े तभी उभरते थे जब कोई राजनैतिक सुधार होने वाला होता। राजनैतिक सुधार के कार्यान्वित हो जाने के बाद अपेक्षाकृत शान्ति हो जाती। साम्प्रदायिक संघर्ष अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुँचा जब अंग्रेज सरकार ने भारत को सत्ता हस्तान्तरित करने की घोषणा की। स्वतन्त्रता के प्रभाव से कुछ पहिले ही बलकत्ता तथा नोआखाली के भीषण दंगे हुये। विभाजन के साथ घटने वाली भयंकर घटनाओं के बाद देश में आने वाली साम्प्रदायिक शान्ति इस बात का प्रमाण है कि अंग्रेजी युग में साम्प्रदायिक विरोध धार्मिक या सामाजिक होने से राजनैतिक कहीं अधिक था।

अंग्रेजों की 'विभाजन द्वारा शासन' की नीति का इस समस्या की उत्पत्ति तथा निहली आधी शताब्दी में उसके विपम रूप से निस्सन्देह बहुत गहरा सम्बन्ध था। लेकिन इस सारे बवाल की जिम्मेदारी अंग्रेजों पर ही लाद देना अपने प्रति औदार्य तथा उनके प्रति कठोरता ही होगी। हमें यह मानना पड़ेगा कि दोनों दलों के सामाजिक सम्बन्धों, उनकी शिक्षा तथा जीवन-प्रणाली में ही कुछ ऐसी खराबी था जिसने मक्कार विदेशियों को अच्छी मौका दिया। चौदहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी के बीच के समय में हिन्दू तथा मुसलमानों में पर्याप्त एकता उत्पन्न हो गई थी जिसका स्पष्ट झलक उस समय के साहित्य, संगीत, चित्रकला, वास्तुकला तथा दादू, कबीर, नानक जैसे सन्तों द्वारा किये गये प्रयत्नों में मिलती है। इन सन्तों ने हिन्दू धर्म और इस्लाम, दोनों के तत्वों को मिश्रित करके उसे एक नयी दिशा दी। उन्नीसवीं शताब्दी की जागृति ने इस नयी दिशा को घबका पहुँचाया। हिन्दुओं ने 'वेदा की ओर', 'उपनिषदों की ओर', मुसलमानों ने 'पैगम्बर की ओर' के नारे लगाये और दोनों धर्मों के अनुयायियों का रूप हजारों वर्ष पहिले के महापुरुषों, विभिन्न धार्मिक परम्पराओं तथा रम-रिवाजों की ओर मुड़ गया जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों जीवन के कुछ क्षेत्रों में एक दूसरे से निकलुल अलग हो गये।* जागृति-आन्दोलनों के प्रभाव में पढ़कर हिन्दू तथा मुसलमानों ने उस आपसदारी को छोड़ देना प्रारम्भ कर दिया जिसे दोनों ने एक दूसरे से सीखा था। इस प्रकार दोनों के आपसी सम्पर्क तथा सम्मिलित जीवन का बहुत सी चीजें समाप्त हो गईं। अलग-अलग निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्माण से जागृति द्वारा उत्पन्न परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों को और बढ़ावा मिला। निर्वाचन-क्षेत्रों

की इस व्यवस्था में हिन्दू मुसलमानों को वोट के लिए न केवल एक दूसरे से मिलने की आवश्यकता नहीं थी बल्कि इससे भी बुरी चीज यह हुई कि उसी व्यक्ति के चुने जाने की सम्भावना रहती जो अपनी जाति की भलाई के लिए बातें बना सकता और विरोधी दल की खूब बुराई करता। ऐसे वातावरण में शरारती लोगों को 'मस्जिद के सामने गाना-बजाना', 'पीपल की डाल काटना' या 'गोहत्या' का बहाना लेकर उत्यात मचाने का श्रच्छा अवसर मिलता। यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों जातियों के उच्च तथा मध्यम वर्ग के लोग दंगे, लूट, लड़ाई, छुरेबाजी और निर्दोष स्त्री पुरुषों पर आक्रमण करने में भाग नहीं लेते थे, गुन्डे लोग ही ऐसी चीजों में जो खोलकर भाग लेते। हाँ, पर यह सम्भव हो सकता है कि वे कुछ ऐसे पठे लिखे साम्प्रदायिक लोगों के भडकाने पर ऐसा काम करते रहे जो अपना कोई मतलब साधना चाहते थे।

स्वतन्त्रता के साथ एक नवीन वातावरण की सृष्टि तथा ऐसे लोगों की कमी जो हिन्दू-मुस्लिम विरोध से लाभ उठाना चाहते हैं, इन दो कारणां से अब देश में साम्प्रदायिक एकता की भावना फिर से स्थापित हो गई है। इस तथ्य को दृष्टि में रखने पर अतीत में हुए साम्प्रदायिक भगड़ों के कारणों का विवेचन आवश्यक नहीं प्रतीत होता। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि दोनों जातियों के पारस्परिक सम्बन्ध और गहरे हों, एक दूसरे से सम्पर्क के मौकों में बढ़ती हो और हर व्यक्ति को एक दूसरे के धर्म तथा दर्शन को समझने तथा उसकी प्रशंसा करने के अनेक सुअवसर मिलें। स्वाध्याय मंडल, सब के लिए एक ही राष्ट्रीय त्यौहार, दोनों जातियों के लोगों का एक दूसरे के त्यौहारों में भाग लेना तथा सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों का स्थापना ये कुछ तरीके हैं जिनसे एक दूसरे के अधिक निकट आने के सुअवसर मिल सकते हैं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारी नवीन सरकार ने दोनों जातियां के बीच की खाई को पाटने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए हैं। उदाहरणस्वरूप रेलवे स्टेशनों पर हिन्दू और मुसलमान जलपानगृह अलग अलग नहीं हैं, 'हिन्दू-पानी', 'मुसलमान पानी' की आवाज भी अब नहीं सुनाई पड़ती जिसके शोर के मारे पहिले नाकों दम था। अतीत में ऐसा कोई राष्ट्रीय त्यौहार ही नहीं था जिसे सभी जातियां के लोग मना सकते। 'स्वतन्त्रता दिवस' के रूप में १५ अगस्त, 'राष्ट्र पिता के जन्मदिन' के रूप में २ अक्टूबर, 'राष्ट्रीय तिथि' के रूप में २६ जनवरी तथा अन्य कई महत्वपूर्ण दिन इस कमी की पूर्ति काफी हद तक करते हैं। ये दिन ऐसे हैं जब सभी भारतीय जाति-पाँति, जन्म या धार्मिक विश्वास का भेद छोड़ कर एक दूसरे से मिल कर आनन्द मना सकते हैं। सबसे बड़ी शक्ति, जो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, सभी को एक विशाल राष्ट्र का सदस्य बना सकती है, यह है धर्म-निरपेक्ष भारतीय राज्य का आदर्श जिसमें जाति, धर्म इत्यादि का भेद-भाव त्याग कर सभी के साथ

समान व्यवहार होगा और सभी अपने अधिकारों का परापर उपभोग कर सकेंगे। राष्ट्रीय एकता की भावना को पक्की करने के लिए इस कल्पना के महत्त्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अलग-अलग साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों को तोड़ कर, दस वर्षों तक हरिजनों या पददलित जातियों को छोड़ कर किसी अन्य के लिए स्थान सुरक्षित न करके तथा सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थापना द्वारा सविधान ने इस और एक जोरदार कदम उठाया है। स्वतन्त्रता आने के साथ साथ इन नई शक्तियों के विहीन होने से कोई भी यह आशा कर सकता है कि साम्प्रदायिक समस्या बहुत शीघ्र ही केवल अतीत की बात रह जायगी।

राष्ट्रीय क्षितिज पर काले बादलों का एक टुकड़ा अब भी बाकी है किन्तु यह अब छूटता जा रहा है। मतलब है राष्ट्रीय-स्वयसेवक-संघ के रूप में हिन्दुओं के एक विशिष्ट भाग में साम्प्रदायिक भावना के उदय से। राष्ट्रीय स्वयसेवक-संघ का उदय एक असाधारण अवसर पर और असाधारण तरीके से हुआ। यह उस मुस्लिम साम्प्रदायिकता के जवाब के रूप में बना जिसको अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए प्रथम तथा उत्तेजना दी थी। हिन्दुओं का संगठन करके और उनमें एकता की भावना का विकास करके राष्ट्रीय-स्वयसेवक-संघ ने कुछ अन्धकार भी की है। लेकिन जिस प्रकार मुसलमानों ने पाकिस्तान को अपना घर तथा वहाँ की सरकार को इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुसार चलाने की इच्छा प्रकट की है उसी प्रकार यह संस्था भी भारत को हिन्दुओं का राष्ट्रीय घर तथा वहाँ की सरकार को शुद्ध हिन्दू सरकार बनाना चाहती है। संघ का यह उद्देश्य भारत के 'धर्म-निरपेक्ष राज्य' की घोषणा से बहुत दूर पड़ता है। सचमुच यह एक बड़ा विनाशकारी कदम होगा। राष्ट्रीय-स्वयसेवक-संघ की प्रवृत्तियों तथा कार्यों से उत्पन्न वातावरण ही ३० जनवरी १९४८ को दिल्ली वाले गृहित तथा नीच कार्य के लिए उत्तरदायी है। मातृभूमि के सबसे बड़े पुनः महात्मा गाँधी की हत्या उस समय हुई जब देश को उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। राष्ट्रीय स्वयसेवक-संघ के उद्देश्यों तथा मन्तव्यों के विस्तृत विवेचन का यह उपयुक्त अवसर नहीं है। इसका जिक्र केवल इसलिए किया गया है कि यह साम्प्रदायिकता की ज्वाला को प्रज्वलित रखता है तथा देश में स्थायित्व और व्यवस्था का आगमन कठिन बना देता है। आशा की जाती है कि महात्मा गाँधी के सपनों के 'धर्म-निरपेक्ष भारत' का आदर्श भारतीय शीघ्र अपना लेंगे।

हिन्दू-मुस्लिम एकता और महात्मा गाँधी— महात्मा गाँधी ने अपने कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम एकता को इतना अधिक महत्त्व दिया था कि इस क्षेत्र में उनकी देन के विषय में कुछ शब्द कहना अत्यंत आवश्यक है। विदेशी बंधन में छुटकारा पाने के लिए देश के सामने रखे उनके रक्षात्मक कार्य-क्रम में इस एकता का बड़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसकी प्राप्ति के लिए उनसे नदकर किसी अन्य नेता ने प्रयत्न नहीं किया और यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि इसी की प्राप्ति के लिए

प्रयत्न करते करते उनकी मृत्यु हुई। जब तक वे जीवित रहे, अपने प्रयत्नों में उन्हें आधिक सफलता न मिली, किन्तु, उनके प्रयत्नाने इस समस्या को इसके सफल और अन्तिम हल के बहुत समीप ला दिया। नोआआलाली में उनके नगे पैर भ्रमण तथा वहाँ मुसलमानों के घर जाकर शान्ति के लिए उनकी अधीन ने पाशविकता के तूपान को शान्त कर दिया और स्थिति को और अधिक नाजुक होने से बचा लिया। जब साम्प्रदायिकता व पागलपन ने लाखों मनुष्यों को जड़ बना दिया था और जब देश के धके खुचे भागों में भी इस अग्नि के फैल जाने का डर था, उस समय कलकत्ता और दिल्ली में उनकी उपस्थिति का बिलक्षण प्रभाव पड़ा। मुसलमानों ने यह अनुभव किया, जैसा कि शायद उन्होंने पहिले कभी नहीं किया था, कि गाँधी जी उनके सबसे बड़े मित्र तथा शुभेच्छु थे, और हिन्दुओं ने भी यह समझा कि साम्प्रदायिक धृष्टा तथा विद्वेष से उनका तनिक भी भला नहीं होगा। हालाँकि उनके जीवन तथा मृत्यु से यह साफ पता चलता है कि साम्प्रदायिक शान्ति तथा एकता स्थापित करने का उनका अपना क्या तरीका था, फिर भी साम्प्रदायिक एकता के तात्पर्य तथा उसे सिद्ध करने के उपायों पर उनका अपने शब्द उद्धृत कर देना लाभप्रद होगा। उनके अनुसार, 'हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य का सच्चा गौरव अपने अपने धर्म के प्रति सच्चा रहकर भी एक दूसरे के प्रति सच्चा रहे रहने में है। हमारे समान उद्देश्य, समान गतव्य तथा समान सुख दुःख में है। एक ही उद्देश्य तक पहुँचने के लिए एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे के दुःखों को बँटाने तथा पारस्परिक सद्भाव से ही इसकी सबसे अच्छी वृद्धि होती है। हम सबको एक ही स्थान तक जाना है। हमारी इच्छा है कि हमारा यह महान् देश स्वतन्त्र तथा और भी महान् हो। हमें सुख दुःख में एक दूसरे का हाथ बँटाना है। पारस्परिक सद्भाव की आवश्यकता सभी जातियों के लिए है, और सदैव है। हम शान्ति-पूर्वक नहीं रह सकते यदि हिन्दू मुसलमानों की ईश्वर-उपासना तथा उनके व्यवहारों या रस्म रिवाजों को सहन नहीं कर सकते, या यदि मुसलमान हिन्दुओं की मूर्ति पूजा या गो प्रेम पर उन्नेजित हो उठेंगे। हमारे सभी भगवों की जड़ है एक का दूसरे को जबरदस्ती अपने विचार मनाने की जिद करना।'

(ब) अन्य सामाजिक समस्याएँ— ऐसी समस्याओं की उपस्थिति ने, जो हिन्दू जाति से समय के प्रतिकूल व्यवहार माँगती हैं इसके लिये अनेक समस्याएँ पैदा कर दी हैं। हिन्दू जाति का भविष्य इस पर निर्भर है कि हम इन समस्याओं को कैसे हल कर लेते हैं।

जनगणना की रिपोर्ट में गिनाई गई तीन हजार जातियों तथा उपजातियों ने, जो एक-दूसरे से एकदम अलग हैं, हिन्दू जाति के लिये एक बड़ी भाषण समस्या बना रखी है। इसके कारण हिन्दू समुदाय अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गया है जिससे एक सामाजिक भावना का विकास यदि असम्भव नहीं तो कठिन वा आवश्यक हो

गया है। इन जातियों में आपस में खान पान कम और विवाहादि तो बिल्कुल होते ही नहीं। जो कुछ भी थोड़ा गुप्त आपस में खान-पान तथा विवाहादि होता है वह वर्तमान नियमों के विरुद्ध है और उनके होते हुए भा चल रहा है। इस भेद-भाव को कम करने एकता तथा शक्ति का निर्माण करना ही हिन्दुओं के सामने एक सभ्य से मुख्य प्रश्न है। अपनी समस्या का नाम उतार देना उमर हल बनाने से कहीं आसान है। हिन्दुओं को इस अजीब आपस में छुटकारा दिवाने के लिये क्रान्ति से कम शायद क्रिमी अन्य च न से काम नहीं चलेगा। अमृत्युता के कारण उत्पन्न हुई समस्या भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस अध्याय के प्रारम्भ में ही इस विषय पर पर्याप्त कहा जा चुका है।

भारतीय स्त्रियों की निरक्षरता तथा उमर उल्लेख उनकी पुरुषों की दाम्पत्य एक दूसरी प्रमुख बुराई है जिन्होंने सम्मिलित परिणाम अन्त में बिनाशकारी ही हैं। जब तक स्त्रियाँ निरक्षर हैं, सामाजिक उन्नति अमम्भव है। मनुष्य स्वयं उन्नति भले ही कर ले, पर उमर साथ साथ बिना स्त्रियों की उन्नति के, उसके घरों की दशा में सुधार असम्भव है। स्त्रियों के आगे बड़े बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। यह समय का उज्वल चिह्न है कि राष्ट्रीय उत्थान की लड़ाई में भारतीय स्त्रियों के महत्त्वपूर्ण भाग लेने के कारण अनेक परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन ऐसे हैं जो भविष्य के लिए एक आशा देते हैं। लेकिन ये परिवर्तन केवल शहरों तक ही सीमित हैं, और वहाँ भी समाज के सीमित अंग तक। मध्यम तथा उच्च वर्ग की स्त्रियों की एक उर्ध्व सख्या अब भी जनानखानों में बन्द, पावन्द और अमहाय है। आमाण क्षेत्रों में भी स्त्रियों की दशा पिछड़ी तथा अज्ञानतिशील है। वहाँ उनकी शिक्षा के लिए सुविधाएँ कम या बिल्कुल ही नहीं हैं और प्रामाणिक घरों तक राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव अभी तक नहीं पहुँचा है। इस प्रकार, स्त्री-शिक्षा हमारी सबसे महत्त्वपूर्ण समस्याओं में है। यह वह कुजा है जिससे अनेक दरवाजे खुल सकते हैं।

स्त्रियों की उन्नति के रास्ते में पढ़े की प्रथा भी एक उर्ध्व अडचन है। स्त्री शिक्षा के मार्ग में यह केवल एक उर्ध्व अडचन ही नहीं है बल्कि स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा साधारण ज्ञान पर भी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आन्दोलन ने इस बुराई को बहुत सीमा तक दूर किया है। हजारों स्त्रियाँ लड़ाई में भाग लेने के लिए घर के बन्धन तोड़ कर बाहर निकल आईं। जिस प्रकार वे अपने बन्धनों को तोड़ कर बाहर निकलीं वह हमारे नारीत्व के प्रति एक शुभ देन है। लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रथा का अन्त हो गया। जिस किले को जीतना है उसकी दीवार में अभी एक दरार भर पड़ी है।

सम्पत्ति की स्वामिनी बनने में स्त्रियों की कानूनी असमर्थता के प्रति तथा उनका अन्य सम्बन्धियों के बुरे व्यवहार के प्रति उनकी विवशता उच्च अन्य बुराईयाँ हैं।

जिनका निराकरण अत्यावश्यक है। जैसा कि दूसरे सम्बन्ध में कहा गया है इन असमर्थताओं को दूर करने का प्रयास धारा-सभाओं में पेश किये गये प्रस्तावों द्वारा हो रहा है। पैतृक संपत्ति में स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न कुछ ऐसी विकट समस्याएँ उत्पन्न कर देता है जिनमें हम यहाँ पड़ना नहीं चाहते। इस दिशा में कोई उतावला कदम नहीं उठाना चाहिए।

विवाह सम्बन्धी कुछ परम्पराओं में भी सुधार की आवश्यकता है। बाल विवाह की प्रथा पर पहले ही विचार हो चुका है। सम्मिलित परिवार की प्रथा के कम होने के कारण उसकी स्थिति की आवश्यकता तथा उससे बुरे प्रभावों को रोकने वाली बातें, सभी समाप्त हो गई हैं। जल्दी ही मातृत्व का बोझ सभालने के लिये विवश करने तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने के कारण बाल विवाह की प्रथा ने हिन्दू-समाज को अचिन्त्य हानि पहुँचाई है। कानून द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के प्रयत्न किये गये हैं लेकिन उनमें अधिक सफलता नहीं मिली है। इसे कम हानिकर बनाने के प्रयत्न में विवाह की उम्र पहले दस और फिर बारह कर देने से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। जनता की भावना तथा इसके विरुद्ध उसकी ऊँची आवाज ही इसका एक मात्र इलाज है।

विवाह में दहेज की प्रथा भी एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है। देश तथा समाज के कुछ भागों में यह अन्य भागों की बनिस्वत अधिक व्यापक रूप से प्रचलित है। इस प्रथा के कारण गरीब मों-बाप के लिए लड़की का विवाह कितना कठिन हो जाता है। कभी-कभी ऐसी घटनाएँ भी हुई हैं जब मों-बाप को चिन्ता से मुक्त करने के लिए लड़की ने आत्म हत्या तक कर ली है। यह एक ऐसी बुराई है जिसे कानून द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके विरुद्ध जनता की जोरदार आवाज ही काम दे सकती है।

हिन्दू विधवाओं की यनीय दशा तथा उनकी बड़ी संख्या के— दो करोड़ से घे कुछ ही कम हैं— कारण विधवाओं का पुनर्विवाह भी एक बड़ी और प्रमुख सामाजिक समस्या है। जगन लड़कियों के ऊपर बलपूर्वक लादे गये वैधव्य से अनेक गम्भीर सामाजिक बुराईयाँ उत्पन्न हो गई हैं। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के दिनों से ही धार्मिक सुधारकों ने विधवाओं के पुनर्विवाह पर जोर दिया है और इस विचार का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए अनेक संस्थाओं की सृष्टि हुई है। यह नहीं कि कुछ प्रगति नहीं हुई लेकिन वह बहुत ही कम है। बद्ध तथा सर्कीर्य हिन्दू विचारधारा के लिए विधवा विवाह की बात अब भी धृष्टास्यद ही है।

हालाँकि हिन्दू धर्म तथा इस्लाम दोनों ही एक से अधिक विवाह की आशा देते हैं, फिर भी दोनों धर्मों के अनुयायियों की एक बड़ी संख्या एक ही विवाह करती है। ऊपर के सबके के कुछ दूने-गिने परिवारों तथा शान-शौकत वाले कुछ सीमित

क्षेत्रों में ही बहु विवाह की प्रथा अब भी प्रचलित है। भारतीय जीवन में बहु-विवाह के सामाजिक प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं हैं। फिर भी, यह आवश्यक है कि इस प्रथा का अन्त हो जाय। हिन्दू कोड बिल में ऐसी एक धारा है।

दूसरी प्रथा, जो सौभाग्यवश अब समाप्त कर दी गई है तथा जिसका जिक्र किया जा सकता है, वह है मन्दिरों की सेवा के लिए लड़कियों का दान। गो उनका कार्य मन्दिरों में देवताओं के सामने तथा सामाजिक त्यौहारों तथा उत्सवों के अवसरों पर नाचना गाना था लेकिन इस प्रथा ने एक प्रकार के भयंकर व्यभिचार को जन्म दिया है। जाँच में देवदासी के रूप आनी जाने वाली ऐसी स्त्रियों की संख्या मद्रास में दो लाख से भी अधिक आँकी गई थी। मद्रास प्रान्त की धारा-सभा में डाक्टर मुधुलक्ष्मी ने १९२८ में एक बिल बड़ी सफलता के साथ पेश किया जिसने मन्दिरों में लड़कियाँ अर्पित करने की इस प्रथा का अन्त कर दिया।

हमारे विवाहों तथा त्यौहारों की एक विशेषता है उसका अत्यधिक खर्च जिससे समाज के निम्न स्तर के लोगों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात तो सभी जानते हैं कि हमारी कमाई का एक अच्छा भाग ऐसे उत्सवों में खर्च होता है। अब वह समय है कि उन्हें सरल तथा कम-खर्च बना दिया जाय। समाज के पडे लिखे तथा समझदार सदस्या का यह कर्तव्य है कि वे अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए इस मामले में श्रमगुआ बनें।

भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस ने नशाबन्दी को अपने कार्य-क्रम में प्रमुख स्थान दिया था, और यदि १९३७ में पद स्वीकार करने वाले कांग्रेसी मन्त्रिमंडल कुछ और वर्षों तक बने रहते तो उन्हें अपने प्रयत्नों में उन्नी समय सफलता भी मिलती। शराब पीने की बुरी प्रथा के कारण देश में चाहि-नाहि मची हुई है। मौजूदा प्रान्तीय सरकारों ने एक निश्चित समय के अन्दर पूरी-पूरी नशाबन्दी की नीति अपनाई है।

गर्भ नियंत्रण तथा तलाक के प्रश्न का थोडा वर्णन करके हम प्रमुख सामाजिक समस्याओं की इस छोटी विवेचना को समाप्त कर सकते हैं। गर्भ नियंत्रण का अभी हाल की चीज है और किसी भी संस्था ने इसे अभी व्यवस्थित रूप से नहीं अपनाया है। देश की उन्नति हुई सरीखी तथा आबादी ने इस प्रश्न को विशेष महत्व प्रदान किया है। केवल आबादी रोकने के लिए ही नहीं बल्कि उन ^ग के लिए भी यह उपयोगी बताया जा रहा है जिनका स्वास्थ्य अधिक खर्चे पैदा करने के कारण गिर गया है। कुछ लोग गर्भ नियंत्रण को आवश्यक किन्तु कृत्रिम उपाय ^{उपयोग अनुचित} बता सकते हैं। महात्मा जी ने एक बार इस उद्देश्य को सामने रखकर ^{दम} या कुछ ऐसे ही वर्षों तक विवाहों का रास्ता देने की राय दी थी। इस प्रश्न पर फिर अधिक जोर नहीं दिया गया।

इस्लाम तथा ईसाई धर्म तलाक की आज्ञा देते हैं किन्तु हिन्दू धर्म नहीं। यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करता है या उसकी उपेक्षा करता है तो हिन्दू धर्म में उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी असहाय स्त्रियाँ की सहायता करने तथा हिन्दुआ में एकपत्नीत्व की प्रथा प्रचलित करने के उद्देश्य से कुछ उस्ताही सुधारकों ने हिन्दुआ के बीच भी तलाक प्रचलित करने की राय दी है। बड़ौदा राज्य ने एक तलाक कानून भी पास किया था, किन्तु उसका उपयोग अधिक नहीं हुआ। राष्ट्रीय ससद के सामने यह प्रश्न है, हिन्दू कांड जिल की एक धारा का सम्बन्ध तलाक से है। ऐसे निर्णय के पक्ष में लोगों की राय अधिक नहीं मालूम होती। जीवन के हिन्दू दृष्टिकोण तथा विवाह को एक धार्मिक कृत्य मानने की उसकी कल्पना से इस प्रथा का मेल नहीं खाता। तलाक को प्रश्न देना अपने आदर्शों तथा सस्कृति से अलग जाना होगा।

सामाजिक सुधार और राज्य का कर्तव्य

पिछली लगभग एक शताब्दी से इन तथा अन्य बुराईयों को दूर करने के लिए सुधारवादी संस्थाओं तथा व्यक्तिगत रूप से सुधारकों ने भी अनेक प्रयत्न किये हैं। देश के धार्मिक जीवन पर विचार करते समय उनका वर्णन एक अलग ही अध्याय में होगा। इन प्रयत्नों से सामाजिक सुधार का अर्थ आगे बढ़ा प्रवर्षण है किन्तु वह पढे-लिखे स्तर तक ही सीमित है। उम्र भी कुछ क्षेत्रों में प्राप्त सफलता प्रशंसनीय नहीं है। हालाँकि विवाह की उम्र बढ़ा दी गई है फिर भी ऐसे सम्बन्धों में जाति पंक्ति का विचार किया ही जाता है और इनसे सम्बन्धित उत्सवों में खर्च तथा श्रम भी उसी दिनाशङ्करा रूप से चल रहा है। विधवाओं की संख्या में भी अभी कोई खास कमी नहीं आई है, और अस्पृश्यता का दानव भी अभी अच्छी प्रकार पराजित नहीं हुआ है। जनमत की शिक्षा के द्वारा सुधार करने में देर आवश्यक होती है और वह भी भारत जैसे देशों में जहाँ जनता अशिक्षित और अंधविश्वासी है और उन पर धर्म का पकड़ भी गहरी है। इस कारण कुछ प्रगतिशील सुधारकों ने यह माग रखी है कि व्यक्तिगत रूप से सुधार करने वाले व्यक्तियों तथा सुधारवादी समुदायों के प्रयत्न को सरकार कानून बनाकर आगे बढ़ाये। उनका कहना है कि एक कानून पास करके बाल विवाह, अनेच्छिक वैधर्म्य, दहेज प्रथा तथा द्विपत्नीकरण (bigamy) को ज़ुर्न टहराया जाय जैसे छूआछूत को, र दिया है। यदि सती और लटकियों की हत्या की घृणास्पद प्रथा राज्य द्वारा दण्डनीय नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि वैसा ही कदम छूआछूत तथा अनेच्छिक वैधर्म्य समाप्त करने के लिए भी क्यों न उठाया जाय। सामाजिक सुधार के मामले में तो ब्रिटिश सरकार न डर थी न उधर। आवश्यकता तथा मिद्धान्त दोनों ही कारणों से उसने इन ही हस्तक्षेप न करने की नीति की घोषणा कर दी थी। सिद्धान्त-रूप से यह धार्मिक भावनाओं को ऐसे कार्यों से रोकना नहीं चाहती थी जिसे लोग

अपने धार्मिक अधिकारों पर कुटुंबघात या हस्तक्षेप समझने ह। अक्सर के विचार से वह इन मामलों को कानूनी कार्रगी पर चढ़ाने में हिचकती थी क्योंकि वह जानती थी कि जनता का पक्ष न मिलने से वह चीज परापर निरर्थक पड़ी रहेगी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से १८५६ में पार होए 'विधवा-पुनर्विवाह ऐक्ट' से स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि वह जनता में इस धरणा के विरुद्ध पबता था कि मृत्यु भी वैवाहिक बन्धन का काटने में अममथ है। यही हाल उस ऐक्ट का भी हुआ जिसने १८२५ में जाल-विवाह की बुराया कम करने के लिए पहले रजामन्दी की उम्र (Age of consent) दस वर्ष, फिर बारह वर्ष और अन्त में तेरह कर दी थी। यह कानून केवल जर्जा, बकीर्णों तथा कुछ पढ़े-लिखे लोग तक ही समित रहा, जनता का इससे कोई सम्बन्ध न था। 'जाल-विवाह-नियंत्रण ऐक्ट' तक, जिसके अनुसार १८ वर्ष से कम लडकों तथा १४ वर्ष से कम लडकियाँ का विवाह जुर्म है, निरर्थक सिद्ध हुआ जिसका कारण कुछ यह भी हुआ है कि इसका उस चीज से मेल नहीं खाता जिसे मूर्ख लोग धर्म का उच्चतर सिद्धान्त मानते हैं।

कट्टर तथा संकीर्ण भारतीय विचारधारा ने कानून द्वारा सामाजिक सुधार का विरोध इसलिए भी किया है कि सामाजिक कृत्या के लिए धर्म ने अनुमति प्रदान की है और अङ्गरेज सरकार ने धार्मिक भावनाओं का आदर करने की प्रतिज्ञा की थी। समाज-सुधार के विरोधियों के विक्षिप्त प्रनाप को हमें कोई महत्व नहीं देना चाहिए, राज्य द्वारा बनाये कानूनों का हम केवल इसलिए आदर करते हैं कि धर्म के नाम पर जिन विभिन्न सामाजिक रजम-रिवाजों के बचावे रखने की बात कही जाती है व वास्तव में धर्म द्वारा अनुमोदित नहीं हैं। उदाहरण के लिए, लूयाद्धूत कभी भी धर्म की स्वीकृति नहीं पा सकती। जो धर्म इसे स्वाकार करता है वह धर्म नहीं है। उसी प्रकार जो धर्म अवस्था आने से पहले ही लडकियाँ व विवाह का आशा देता और उसे व्यवहार-रूप में देखना चाहता है तथा जो बाल विधवाओं के दुबारा विवाह में रोड़ा अटकाना चाहता है वह सभ्य समाज द्वारा ग्रहण नहीं हो सकता। हिन्दुत्व के नाम पर इन रीतियों की रक्षा करना असाधारण अनाचार है।

अब देश में उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार शासन कर रही है और इसका व्यवस्थापिका सभाओं में भी जनता द्वारा चुने हुए लोग, जिनका धर्म तथा संस्कृति भी वही है जो जनता की है, कार्य कर रहे हैं, इसलिए समाज-सुधार के कार्यों में सरकार सहायता पर जिमा को आक्षेप करने की गुजायश नहीं है। सामाजिक सुधारक का जब तक सरकारी सहायता नहीं मिलता तब तक सुधार व कामों में मुस्ती रहेगी ह। लेकिन किसी बुराई के विरुद्ध सरकारी कानून बनवाने से पहिले समाज-सुधारक का यह कर्तव्य है कि वह लोक-मत का अपने पक्ष में करे, नहीं तो उसके उद्देश्या की भी वैसी दशा होगी जो अन्धग्रानित्वाण में समाज-सुधार का प्रयत्न करने वाले बादशाह अमानुल्ला की हुई थी। उस सुधारवादा बादशाह की गद्दी से हाथ धोना पडा था।

(स) युद्धोत्तर सामाजिक समस्याएँ— अन्त में नैतिक पतन, घूसखोरी, नफाखोरी तथा चोरबाजारी जैसी कुछ बुराइयों का जिक्र कर देना आवश्यक है जो द्वितीय महायुद्ध की देन हैं और सारे ससार में फैली हुई हैं। यद्यपि भारत युद्ध-स्थल नहीं बना फिर भी उसके ऊपर युद्ध का गहरा प्रभाव पड़ा और वह उस नैतिक पतन से न बच सका जो युद्ध में भौतिक सम्पत्ति के विनाश तथा मानव जीवन एवं मानवी मूल्यों की अत्यधिक उपेक्षा के कारण अवश्यम्भावी सा हो जाता है। युद्ध पर उतारू राष्ट्र की दृष्टि में किसी प्रकार लड़ाई जीतना ही एक उद्देश्य होता है, अन्य चीजें तो इसी मुख्य उद्देश्य की अनुगामिनी हुआ करती हैं। ऐसी परिस्थितियों के बीच सत्य तथा नैतिकता की सन्त-से पहिले हत्या होती है, और इसका प्रभाव लड़ाई समाप्त होने के बहुत दिन बाद तक बना रहता है। आज हमारे देश में भी वही हो रहा है। युद्ध के समय औद्योगिकों, उत्पादकों तथा व्यापारियों ने सरकार तथा जनता को धोखा देकर वर्णनातीत लाभ उठाया है। परिस्थिति की विपमता रोकने के लिये सरकार ने स्त्रियंत्रण की नीति अपनाई जिससे चोरबाजारी, घूसखोरी तथा अन्य प्रकार के नैतिक पतना का प्रारंभ हुआ जो अब भी है। केवल जोरदार भाषा तथा ऊँची आवाज में इन चीजों की बुराई करने से ही उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता। नैतिक नियमों की पुनः स्थापना ही इनसे छुटकारा दिला सकती है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में नैतिकता का उदय नहीं होगा, इन बुराइयों की समाप्ति असम्भव है। सरकार द्वारा अपनाये गए तरीकों को तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक उसे जनता का सहर्ष सक्रिय सहयोग न मिल जाय। बुराइयों के लिये सरकार को कोसने से अच्छा है देश में नैतिक वातावरण की सृष्टि के लिये सचेष्ट होना। हमें यह तय कर लेना चाहिये कि हम किसी काम के लिए न किसी सरकारी नौकर को घूम दें, न स्वयं लें, जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करें जैसा कि भगवान् ने अपने दैवी गीत— भगवद्गीता— में कहा है।

इस सम्बन्ध में उन शरणार्थियों के पुनर्वासन की बीहड़ समस्या का भी निरा-आवश्यक है जिन्हें पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान से अपना घर चार छोड़कर इस देश में उन परिस्थितियों में आना पड़ा जिनका वर्णन दर्द तथा कष्ट की साक्षात् मूर्ति खड़ी कर देता है। विशालता तथा जटिलता में यह समस्या अपना सानी नहीं रखती। स्वयं शरणार्थियों तथा जनता के सहयोग के बिना कोई सरकार इसे हल नहीं कर सकती। इसका विस्तृत वर्णन न यहाँ आवश्यक है न सम्भव, सन्त मान पर्याप्त होगा।

भारत का आर्थिक जीवन

परिचयात्मक— किसी देश में जिन परिस्थितियों के अन्दर धन का उत्पादन, वितरण तथा उपभोग होता है उनका वहाँ के निवासियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और उस देश के नागरिक जीवन का कोई भी विद्यार्थी इस प्रभाव की उपेक्षा नहीं कर सकता। ये परिस्थितियों लोगों के चरित्र का निर्माण करती हैं और उनकी जीवन-पद्धति निश्चित करती हैं। इसलिए हम भारतीयों के आर्थिक जीवन पर एक विहंगम दृष्टि डालेंगे।

भारत में गरीबी— इस विषय में सबसे अधिक ध्यान देने की चीज यह है कि देश की आबादी की एक बड़ी संख्या अपनी जीविना के लिये भूमि पर निर्भर है। सत्तर प्रतिशत से भी अधिक लोग खेती में लगे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि भारत का आर्थिक जीवन मुख्यतया ग्रामीण है, शहरी नहीं। उसके ग्रामीण आर्थिक जीवन की विशेषता है लोगों की भीषण गरीबी। समय-समय पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आँकी गई फ्री आदमी की आमदनी से इस विषय में कोई शका नहीं रह जाती। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने ४२६० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आँका था। डा० राव ६२६० बताते हैं। अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ के सेक्रेटरी प्रोफेसर जे० सी० कुमारप्पा को गुजरात में मातुर तालुका के पचास गाँवों की जाँच से यह पता लगा था कि भारत में औसत आमदनी बहुत ही कम है। १९३१ में विभिन्न देशों में फ्री आदमी आमदनी की नीचे दी हुई संख्याएँ अपनी कहानी स्वयं कहती हैं— संयुक्त राष्ट्र अमेरिका १४०६६०० ; ग्रेट ब्रिटेन ६८०००० ; फ्रान्स ६२१६०० ; जापान २१८६०० ; कैनाडा १६३८६०० ; आस्ट्रेलिया ७५२६०० ; जर्मनी ६०३६०० , भारत ६२६०० ।

यूरोपीय शहरों में भारतीय राजाओं तथा घनिकों के पानी की तरह रुपया बहाने तथा इस बात के बावजूद भी कि भारत कभी रूमाल की रान था जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती थीं, भारतीय जनता की गरीबी एक मान्य तथ्य है। सभी सुधारकों को इस स्थिति पर पहले ध्यान देना चाहिए। पिछली शताब्दी में १८७० के बाद के दस वर्षों में भारतीय सरकार के जन-गणना के डाइरेक्टर सर विलियम हन्टर ने इस कथन की पुष्टि की थी। उनके एक लिखित कथन के अनुसार भारत के २४ करोड़ प्राणियों में ४ करोड़ आदमी इस दयनीय गरीबी में जीते और मर जाते हैं कि उन्हें यह पता नहीं चलता कि भरपेट भोजन किसे कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि देश की एक-पाँचवाँ जन-संख्या भोजन की कमी के कारण स्थायी गरीबी की दशा में रहती थी और इस प्रकार बड़ी मुनीनत से

अधभूली जिन्दगी जिता रही थी। इनके काफी बाद भारत सरकार के एक दूसरे गणना करने वाले विशेषज्ञ सर जर्ज ग्रिगर्सन ने यह लिखा कि देश की आबादी की ४५ प्रतिशत जनता अर्थात् रूप से भोजन पाकर रहती है। दूसरे शब्दों में लगभग दस करोड़ व्यक्ति अत्यधिक दीनता की दशा में रहते थे। पञ्जाब सरकार के एक सदस्य डा० मनोहरलाल ने, जो एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे, १९१६ में लिखा था कि 'गरीबी, पीस डालने वाली गरीबी, हमारी राष्ट्रीय तथा आर्थिक दशा की भीषण विशेषता है, और मेरे विचार से यह जनता के अज्ञान तथा निरक्षरता से भी बढ कर परेशान करने वाली बात है। मानसिक तथा शारीरिक भूष का यह वास्तविक चित्र है। सम्य मानवता न किमी भी अङ्ग का जीवन ऐसा न हागा।'* दक्षिण में कई औसत गाँवों की जाँच पढताल के बाद डाक्टर मैन भी इसी नतीजे पर पहुँचे। इण्डियन मेडिकल सर्विस के अवक श-प्राप्त डाइरेक्टर-जनरल सर जॉन मेगॉ ने यह अनुमान लगाया था कि प्रतिदिन प्रति प्रौढ औसतन साढे तीन ग्रास या दो छूर्को से भी कम दूध तथा एक तोला याना आधा ग्रास मक्खन पाता है। उनके अनुसार इक्कसठ प्रतिशत लोगों को बहुत बुरा पोषण मिलता है।

इस गरीबी के विभिन्न परिणाम हैं। भोजन की कमी ने लोगों की जीवन शक्ति इस हद तक कम कर दी है कि बीमारियों को रोक न सकने के कारण वे अत्यधिक सख्या में महामारियों के शिकार हो जाते हैं; जैसे, १९१८ की इन्फ्लुएन्जा महामारी में तथा बंगाल और निहार आदि की १९४३ तथा १९४४ की महामारिया म लाखों आदमी मर गये। मलेरिया स भी हर साल बहुत अधिक आदमी मर जाते हैं। हर साल लगभग दस लाख आदमी मरते हैं और इससे भी अधिक आदमी बहुत दिनों के लिए बेकाम हो जाते हैं। बीमारी के कारण वे कमजोर, चिड़चिड़े तथा परिश्रम के अयोग्य हो जाते हैं। इसका केवल राष्ट्र की उत्पादन शक्ति पर ही प्रभाव नहीं पढता बल्कि इससे लोगों का इच्छा-शक्ति का भी हास हो जाता है और लोगों का नैतिक स्तर नीचे गिर जाता है। वे विदेशी राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता में नहीं टहर सकते और परिणामस्वरूप समय की दौड में पिछड जाते हैं; इस तरह देश कमजोर तथा पिछडा रहता है। सुधारकों का कार्य कठिन हो जाता है और लोग एक अनैतिक वातावरण में घिरे रहते हैं, गरीब होने के कारण वे उन्नति नहीं कर सकते और उन्नति न करने के कारण वे गरीब बने रहते हैं।

समृद्ध भारत को दीन और भुक्खड बनाने में अनेक बातों का उत्तरदायित्व है। उनमें से सन्ने प्रमुख कदाचित् ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारतीय उद्योगों का विनाश था जिसे इगलैंड की औद्योगिक क्रान्ति ने प्रेरित किया था। कम्पनी ने अपनी राजनैतिक शक्ति का प्रयोग भारत में बनी चीजों का एक भाग से दूसरे भाग में जाना

* एण्ड्रूज द्वारा उद्धृत : 'दी टू इण्डिया', पृष्ठ १५८।

बंद करने में किया, 'उधर इंग्लैंड में तेजी से सस्ती चीजों का बनना प्रारम्भ हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय माल की जगह भारतीय बच्चे माल की माँग बढ़ गयी, और वह भी केवल बाहर ही नहीं बल्कि अपने देश में भी। भारत क रेलवे अधिकारियों द्वारा अपनायी नीति ने इस कार्य में और भी सहायता की। भारत सरकार की व्यापार तथा अदला बदली (Tariff and exchange) की नीति ने भारतीय उद्योगों के विनाश-कार्य को पूरा कर दिया। इन सब बातों का अस्तित्व वर्णन यहाँ अनावश्यक है।

भारतीय उद्योगों के विनाश का एक परिणाम यह हुआ कि भूमि पर निर्भर रहने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई। सैंकड़ों हजारों आदमी जो कपड़ा बनाने सम्बन्धी कातने, बुनने, धोने, रगने, छापने, जैसे काम म, लोहा पिघलाने और लोहे तथा पौलाद के औजार बनाने, कागज बनाने तथा अन्य उद्योगों में लगे हुए थे, कोई दूसरा चारा न रहने पर खेती की ओर मुड़ गये। फिर, लाखों आदमी जो राजाओं व यहाँ तथा अन्य बड़ी जगहों में सिपाही थे, सबवेकार होकर खेती में लग गये। रेल बन जाने से माल के लाने और ले जाने में लगे हुए हजारों आदमियों पर भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। विदेशी व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। इन तमाम उत्पादन क्षेत्रों के विनाश का परिणाम लोगों की गरीबी के सिवाय और क्या हो सकता था ?

१८७२ में २२ करोड़ से १९४१ में ३६ करोड़ आनादी हो जाने के कारण भी भूमि पर भार बहुत अधिक हो गया। पिछले ६० वर्षों में जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वालों की संख्या करीब दुगुनी हो गई है। खेती जैसे सीमित विस्तार वाले काम में जितने ही अधिक आदमी लगेंगे, सीमान्त लाभ उतना ही कम होगा। इस लिए हमारे किसान यदि गरीब हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। सहायक पेशों की कमी तथा वर्ष के कुछ महीनों में बेकारी, देश के अनेक भागों में भूमि का अतिपूर्ण बंदावस्त, भूमि पर भारी कर, किसानों पर भारी बर्ज तथा सूट की उँची दर, मुकदमेवाजी तथा विवाहादि उत्सवों पर बेकार खर्च, हमारे देश की गरीबी का प्रमुख कारण हैं।

गरीबी दूर करने के लिए कुछ मसलाह— भारतीय जनता की गरीबी के प्रमुख कारण ऊपर दिखाये जा चुके हैं। उनमें निम्नलिखित चीजें हैं घरेलू उद्योग-घरों का विनाश, काम तथा रोजगार के उन तमाम रास्तों का बन्द होना जो पहिले लोगों के लिए खुले हुए थे, भूमि पर अत्यधिक भार, आनादी की बढ़ती, खेती का पिछड़ा तरीका और मानसून पर इसकी निर्भरता, भूमि का अतिपूर्ण बंदावस्त, भूमि का छोटो-छोटे टुकड़ों में विभाजन, कर का अत्यधिक भार, मुकदमेवाजी तथा उत्सवों में बेकार खर्च, जनता का अज्ञान तथा निरक्षरता। यदि गरीबी दूर करनी है तो गरीबी लाने वाली चीजें भी दूर होनी चाहिए, जीविका के लिए भूमि पर निर्भर रहने वाली जनता के अनुपात में तो कमी आनी ही चाहिए। इसका अर्थ है नये नये पेशों तथा रोजगार के जरियों की ईशद तथा विकास। हमें लोगों को काम में लगाने के लिए घरेलू

तथा बड़े उद्योग धर्मों का विकास करना चाहिए। स्वतन्त्रता आने के साथ-साथ पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए नये-नये काम खुल गये हैं। देश को अपनी रक्षा के लिए एक बड़ी और सुसज्जित सेना, वैज्ञानिकों तथा कुशल कारीगरों, अध्यापकों, डाक्टरों तथा गाँवों में काम करने के लिए कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। भारत-सरकार द्वारा कुछ समय पहिले बिठाई 'वैज्ञानिक मानव-शक्ति कमेटी' ने यह हिसाब लगाया है कि आनेवाले दूसरे पाँच से दस वर्षों तक भारत को ५०,००० वैज्ञानिक तथा टेक्निकल मानव शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। महात्मा गाँधा द्वारा स्थापित किये 'अखिल भारतीय ग्रामोद्योग' तथा 'अखिल भारतीय चर्खा सभ' मरते हुए घरेलू उद्योग धर्मों को नाशित तथा स्थायी रखने में बड़ा कार्य कर रहे हैं। राज्य को भी उनकी सहायता आवश्यक करनी चाहिए।

जमीन की प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक है। देश का उत्पादन और बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो विनाश आवश्यक भावी है। इसके लिए मानसून की गुलामी से छुट्टी पाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था, खेती के उन्नत तरीकों, जिसमें अच्छे बीज, खाद तथा खेती की उन्नति की अन्य चीजें सम्मिलित हों, छोटे-छोटे भूमि के टुकड़ों की चकबन्दी तथा ग्रामीणों में पारस्परिक सहभाव की भावना के विकास की आवश्यकता है। राज्य सरकारों के विकास बोर्डों द्वारा इस दिशा में काफी काम हो रहा है। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों की चकबन्दी बिना उपयुक्त कानून के नहीं हो सकती। किसी भी राज्य में इस दिशा में प्रयत्न नहीं हुआ है।

बाढ, कीड़े मकोड़ों, टिड्डियों आदि द्वारा खेती का सर्वनाश रोकने का भी प्रयत्न होना चाहिए। सरकार इस दिशा में भी कुछ न कुछ कर रही है।

किसानों को अपनी चीजें बाजार में बेचने की सुविधाएँ मिलनी चाहिए। इसके लिए सहकारी क्रय-विक्रय सोसाइटियों का संगठन होना चाहिए। बस्तुओं को गाँवों से शहरों में ले जाने के लिए यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए।

भूमि की इस व्यवस्था का, जिसने अनुभार जमींदार स्वयं नहीं पैदा करता, बल्कि भूमि किसानों को लगान पर दे देता है, अन्त होना चाहिए। हर्ष का विषय है कि जमींदारी प्रथा का कई प्रान्तों में विनाश हो रहा है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि लोगों का शिक्षित होना अनिवार्य है। लोकतन्त्र का सुचारु रूप से चलाने के लिए ही केवल शिक्षा की आवश्यकता नहीं है; लोगों की आर्थिक दशा में सुधार के लिए भी यह उतनी ही आवश्यक है। इसमें गाँव वालों को स्वयं अपनी सहायता करने में सहायता मिलेगी, इसके अभाव में वे उन चीजों से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सकेंगे जो सरकार उनकी अच्छाई के लिए करना चाहती है। यह उनको मरुदमेवाजी तथा फन्लूपर्ची की आदतों से छुटकारा दिलावेगी। यह भी हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार गाँववालों को साहस बनाने का प्रयत्न कर रही है।

खाद्यान्नों तथा खेती से उत्पन्न होने वाली अन्य चीजों की भीषण महंगाई के कारण खेतिहरों को बहुत लाम पहुँचा है— उनके ऊपर लदा हुआ पुराना कर्ज बहुत अश तक समाप्त हो चुका है। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि यदि चीजों का दाम उस स्तर पर रोक दिया जाय जिस पर किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल जाय, तो यह गरीबों हटाने की ओर एक अच्छा कदम होगा।

राष्ट्रीय धन के स्रोत— (१) खेती— भारत की भूमि उपजाऊ है, उसकी जलवायु अच्छी है, उसके निवासी सीधे, ईमानदार तथा मेहनती हैं और सींची जाने वाली भूमि संसार के किसी भी देश से अधिक है। यह सब होने हुए भी यहाँ प्रति-एकड़ उपज अन्य देशों के मुकाबिले बहुत कम है। रूस, जर्मनी, इङ्ग्लैंड, कनाडा, संयुक्त-राज्य तथा जापान की एक एकड़ भूमि में हमारे देश से कहीं अधिक उपज होती है। इससे भी बुरी चीज यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिए यहाँ कोई प्रयत्न नहीं किया गया। यदि रूस ने प्रति-इकाई भूमि की पैदावार १५ वर्षों में १०० % बढ़ा ली तो कोई कारण नहीं है कि अपने देश में भी हम उन्ही तरह पैदावार क्यों नहीं बढ़ा सकते, विशेषतया जब केन्द्र तथा राज्यों में हमारी राष्ट्रीय सरकार है जो लोगों की भलाई में दिलचस्पी लेती है।

भारतीय खेती में बहुत कमियाँ हैं जिनमें से कुछ तो आदमी की बनाई हुई हैं और कुछ प्राकृतिक। दूसरी ओर में हम वर्षों की अनिश्चित अवस्था, समय तथा उसका असमान वितरण, बाढ़ों, टिड्डियों तथा अन्य कीड़े-मकड़ों की भयकरता तथा लगातार उपयोग के कारण भूमि की खराबी आदि को गिन सकते हैं। पहली ओर में खेतिहर की गराबी तथा उसका अज्ञान, भूमि की वृष्टिपूर्ण व्यवस्था तथा देश के कुछ भागों में जमींदारी, भूमि का अनेक छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजन, लगान तथा कर के रूप में सरकार तथा अन्य चीजों के रूप में जमींदार तथा साहूकार द्वारा किसान के ऊपर लाया गया भार, व्यापार-सम्बन्धी मुविधाओं की कमी, साल के कुछ महीनों में बेकारी तथा अन्य सहायक उद्योगों का अभाव, और इन सबका सम्मिलित परिणाम किसान का पुराना चला आया हुआ कर्ज, सम्मिलित हैं।

इनमें से कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जो दूर न की जा सके; सरकार द्वारा काम में लाई गई सिंचाई की एक मुख्यवस्थित नीति से मानसून पर भरोसा भी छोड़ा जा सकता है; और वैज्ञानिक साधों का प्रयोग करके तथा भूमि को आराम देकर उसकी कमजोरी दूर की जा सकती है। उपयुक्त तरीकों का प्रयोग करके कीड़े-मकड़ों तथा पौधों की बीमारियों द्वारा किया हुआ नुकसान बहुत सीमा तक रोका जा सकता है। इस देश में भी वनस्पति-शास्त्र उतना ही उपयोगी हो सकता है जितना अन्य देशों में। अतीत में गरीब किसान की दशा में सुधार करने की प्रबल इच्छा नहीं थी। केन्द्र तथा राज्यों में लोक प्रिय सरकारों की स्थापना से यह कमी भी दूर हो गई है। केन्द्रीय

तथा राज्य सरकारों ने 'बहु-प्रयोजन-घाटी-योजनाएँ' (Multipurposes River Valley Projects) प्रारम्भ की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य है बाढ़ को रोकना तथा सिंचाई की सुविधा पहुँचाना, खेती तथा उद्योगों के लिये बल विद्युत्-शक्ति पहुँचाना, मछली पकड़ने में आसानी, पानी द्वारा आवागमन, जगलों का विनाश, आदि। इनमें से कुछ प्रमुख हैं :— पश्चिमी बंगाल तथा बिहार में दामोदर घाटी-योजना, उड़ीसा में हीराकुण्ड योजना उत्तर-प्रदेश में रेठ-योजना और मद्रास में तु गभद्रा-योजना। इनमें से कुछ छोटी योजनाएँ हैं जो दो या तीन वर्ष में पूरी हो सकती हैं और अन्य बड़ी हैं जिन्हें पूरा करने में सात वर्ष या उससे भी अधिक समय लग सकता है। पूरा होने पर वे २५ लाख एकड़ भूमि सींचकर तथा पाँच-छः लाख टन अनाज पैदा करके खेती में आश्चर्यजनक उन्नति कर देगी। और साथ ही साथ लगभग एक करोड़ किलोवाट बल विद्युत् भी तैयार होगी। इस प्रकार १० अरब ८० करोड़ रुपये की लागत से १ अरब ३५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष लगान में मिलेंगे।

खेती का विकास करने तथा खेतिहरों की दशा में सुधार करने के लिए कई राज्यों की सरकारों ने जमींदार प्रथा ताड़ने का और कदम उठाया है। मद्रास, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों ने इसके लिये कानून भी लगभग पास कर दिया है। यह बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन है और इससे करोड़ों आदमी प्रभावित होंगे।

(२) पशु-पालन— खेती के बाद किसान की आमदनी का प्रमुख जरिया है पशु पालन। लेकिन भारत में पशुओं की संख्या सबसे अधिक होने के बावजूद यहाँ पशु-पालन सबसे कम है। पशुओं की नस्ल, उनके द्वारा उत्पन्न चाबू, जीने या मरने पर उनके शरीर से मिलने वाली उपयोगी चीजों में अभी सुधार की बहुत गुंजाइश है। पशु-पालन के अनेक उद्योगों के उपयुक्त विकास से, जो अतक अधिष्ठतर अविशमित हैं, काफी सम्पत्ति उत्पन्न की जा सकती है। जनता की हालत में सुधार तथा उनका जीवन स्तर ऊँचा करने के लिये अनेक राज्य-सरकारों ने बड़े हौसले से कार्य क्रम बनाया था। इस प्रगति का निरीक्षण बाद में होगा।

(३) उद्योग धन्धे— भारत के आर्थिक जीवन में खेती तथा पशु पालन के बाद उद्योग-धन्धों का महत्व है। इसकी दो किस्में हैं, पहिली, छोटे पैमाने के या घरेलू, और दूसरी, बड़े पैमाने के या मशीनों द्वारा। भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आगमन से पहिले छोटे पैमाने वाले या घरेलू उद्योग-धन्धों की बड़ी ख्याति मिल चुकी थी। ये उद्योग-धन्धे देश तथा देश के बाहर के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी करते थे। जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, कम्पनी ने जान-बूझ कर उनका विनाश कर दिया। महात्मा गांधी ने उनमें से कुछ की फिर स्थापना के लिए बड़ा प्रयत्न किया। अखिल भारतीय-चर्खा-सघ तथा अखिल-भारतीय-ग्रामायाग-सघ इस दिशा में प्रशसनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितना अनुमान किया जाता था उससे उन्नति

कम हुई है। बड़े पैमाने वाले या मशीनों के उद्योग परिचय की देन हैं इसलिये इनकी उन्नति अभी हाल में हुई है। इनकी उन्नति में कई कारणों से अड़चनें पड़ी हैं जिनमें से प्रमुख थीं, औद्योगिक दृष्टि से आगे बढ़े हुए राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता तथा ब्रिटिश सरकार का उनके प्रति सौतेली माँ का सा व्यवहार। इन उद्योगों में से प्रमुख रई, जूट, चाय, सिल्क और ऊन, लोहा और फौलाद, शक्कर, कागज, शीशा, लाल, चमड़ा, नील, तम्बाकू और काफी हैं। रई की मिलें मुख्यतया बम्बई, अहमदाबाद, शोलापुर, कानपुर, नागपुर तथा मद्रास में हैं। जूट पर बंगाल का एकाधिकार है। सिल्क मैसूर, काश्मीर, तथा बंगाल में उत्पन्न किया जाता है। ऊन की मिलें किन्नी एक क्षेत्र में केन्द्रित या सीमित नहीं हैं। १९३७ में उनकी संख्या ३६ थी। कानपुर की लाल इमली तथा धारीवाल मिलें देश की प्रमुख ऊनी मिलें हैं जिनमें से पहली एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मिल है। ऊनी कपड़ा तथा दरियों बनाना काश्मीर, गढ़वाल तथा हिमालय के अन्य देशों का प्रमुख कुटीर-धन्धा है। चाय मुख्यतया आसाम तथा नीलगिरि पहाड़ों में पैदा होती है। भारत समार की रस्म की ४०% चाय पैदा करता है। काफी के पौधे मुख्यतया दक्षिण में पाये जाते हैं। शक्कर ने, जो रई के बाद प्रमुख उद्योग बन गई है, अभी कुछ ही वर्षों में बड़ी आश्चर्यजनक उन्नति की है। १९४०-४१ में शक्कर की पैदावार में लगी हुई जमीन ४,४०२,०६६ एकड़ थी जिनमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भाग २,५१७,६५४ एकड़, दूसरे नम्बर पर पंजाब ५४६,१७३ एकड़ और इसके नजदीक ही बिहार का ५०८,२०० एकड़ था। १९३६-४० में बिहार का दूसरा और पंजाब का तीसरा नम्बर था। लवाई के बाद से गन्ने की खेती में कमी आ गई है, १९४६-४७ में केवल ४,१०८ हजार एकड़ में ही गन्ने की खेती हुई।

पुराने जमाने में कागज अपने देश में हाथ से ही बनता था। मशीन से बने कागज के आयात के कारण यह उद्योग समाप्त-प्राय हो चुका है। अखिल-भारतीय आमोदाग-संघ इसे पुनर्जीवित करने का प्रयत्न कर रहा है। वर्तमान समय में १६ मिलें हैं जो लगभग ६०,००० टन कागज पैदा करती हैं। विश्वयुद्ध के समय में विदेशों से कागज मगाने की तंगी के कारण इस उद्योग का काफी लाभ पहुँचा था।

भारत विश्व के प्रमुख तम्बाकू-उत्पादक देशों में है। बर्मा के निकल जाने के बाद उसका स्थान समुद्र राज्य अमेरिका के बाद दूसरा है। इसकी खेती का सालाना मूल्य लगभग १८ करोड़ रुपये है। मद्रास प्रमुख तम्बाकू-उत्पादक क्षेत्र है। कुछ वर्षों से तेल उत्पन्न करने वाली मिला का भी विकास हुआ है।

वर्तमान समय में भारत कायला, लोहा, सोना, लाख और शीश पैदा कर रहा है। लोहे तथा फौलाद का सामान जमशेदपुर के 'दादा आयरन एण्ड स्टील'

• ऊपर दी हुई सन्धारण 'इण्डियन स्पर बुक' से ली गई है।

वर्क्स' में तैयार किया जाता है जो इन चीजों के उत्पादन का एशिया में सबसे बड़ा कारखाना है। भारत की धातुओं के धन का तो अभी अधिकतर उपयोग ही नहीं हो रहा है। बड़े तथा छोटे भारतीय उद्योगों का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। हम देश के औद्योगिक जीवन के कुछ पहलुओं पर ही प्रकाश डालेंगे।

औद्योगिक जीवन के कुछ पहलू— इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि विदेशियों का हममें बड़ा हाथ था और अब भी है। भारत के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के मालिक भारतीय नहीं रहे हैं और न उनका संचालन ही भारतीयों द्वारा होता रहा है। बंगाल का जूट-उद्योग मुख्यतया अङ्गरेजों के हाथ में है, लाभ अधिकांश विदेशियों की जेब में जाता है। यह अन्दाज लगाया गया है कि भारतीय मजदूर द्वारा कमाये प्रति बारह रूपयों पर लगभग सौ रूपये एक अङ्गरेज की जेब में आते हैं। यही हाल चाय उद्योग का भी है। देश की अनेक रुई तथा ऊनी मिला म भी विदेशियों का हाथ है। कोलार की सोने की गार्नें एक विदेशी फर्म द्वारा चलाई जाती हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक वैभवों का लाभ अधिकतर गैर भारतीय एजेन्सियाँ ही उठा रही हैं, राष्ट्रीय धन में उनसे कोई अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। स्वतंत्रता मिलने से चीजें कुछ बदल अवश्य गयी हैं, अनेक अङ्गरेजों ने अपना हिस्सा भारतीयों के हाथ बेचकर अपने देश का रास्ता लिया है।

हमारे औद्योगिक व्यवसाय की दूसरी विशेषता श्रम चलिष्णुता है। अपनी औरतों तथा बच्चों को छोड़कर हजारों ग्रामीण बम्बई, अहमदाबाद तथा कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों को दौड़े चले जाते हैं। १९४० में १०,६०० मिलों में काम करने वाले १,८४४,४०० आदमियाँ १,५८८,००० पुरुष २४७,००० स्त्रियाँ तथा बाकी बच्चे थे। ऐसे शहरों में श्रम क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों तथा स्त्रियों की संख्या की असमानता सामाजिक तथा नैतिक अनेक समस्याएँ उत्पन्न करती है। मिल में काम करने वाले मजदूर अपने बाड़ों में बड़ी ही दयनाय दशा में रहते हैं, सभी मिल मालिक अपने मजदूरों को रहने का स्थान तथा अन्य आराम नहीं देते।

तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत में अब भी बहुत सी वस्तुएँ, जैसे भारी रासायनिक पदार्थ, मोटर, रेलवे इंजिन, जहाज, आदि नहीं बनते जिनसे बिना उसका आर्थिक ढाँचा कमजोर तथा टरला बना हुआ है।

इस स्थल पर पश्चिमी दृष्टि पर औद्योगिकीकरण चाहने वाले तथा महात्मा गांधी की राय के अनुसार कुटीर उद्योग-धर्मों की स्थापना चाहने वाले लोगों के बीच वाद विवाद का जिक्र कर देना भी आवश्यक है। पश्चिमी व्यवस्था से प्रभावित लोग शीघ्र औद्योगिकीकरण चाहते हैं, वे भारत का भी ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, जापान तथा संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका की तरह एक विशाल औद्योगिक देश देखना चाहते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग महात्मा गांधी को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं और चुपचाप

पश्चिम की नकल में वे लाभ से अधिक हानि देखते हैं, उनका कहना है कि घरेलू उद्योग-धंधों की स्थापना में ही देश का कल्याण है। ऐसे लोग अपनी बात के पक्ष में अधिकतर निम्नलिखित तर्क रखते हैं— ऊँचे पैमाने पर मशीन वाले उद्योगों की स्थापना से जनता की गरीबी का प्रश्न नहीं हल होता। उनकी आवश्यकता यह है कि साल के उस समय जब खेतों पर कोई काम नहीं रहता, वे अपने घर में ही कुछ उत्पादन कर सकें। यह ध्यान में रखना चाहिए कि खेती में कुछ समय तक मेहनत अधिक रहती है और फिर बाकी साल बिल्कुल काम नहीं रह जाता है। यह विवशतापूर्ण बेकारी साल के छ महीनों से लेकर आठ महीनों तक देखी गई है। यदि हम किसान की दशा में सुधार करना तथा उसकी गरीबी दूर करना चाहते हैं तो इस खाली समय में हमें उसे कुछ न कुछ काम अवश्य देना पड़ेगा। फातना, रस्ती बनाना, डलिया बनाना, कागज बनाना आदि घरेलू उद्योग धंधे प्रत्यक्ष इलाज हैं। अधिक मिला की स्थापना से उसे सहायक पेशे नहा मिल सकेंगे जैसा कि सूत-कताई आदि के द्वारा मिल सकते हैं। और दूसरे मामलों में चाहे गांधी जी के विचार भले ही गलत रहे हैं लेकिन चर्चा चलाने की सिफारिश करते समय उन्होंने भारत की गरीबी की तह तक देख लिया था। चर्चों से चाहे कुछ ही आने प्रतिदिन मिलें तब भी कोई बात नही।”

दूसरा तर्क यह है कि औद्योगीकरण से राष्ट्रीय धन का समान-वितरण न हो सकेगा। किसी देश के साधारण जीवन में आवश्यक तथा महत्वपूर्ण चीज केवल यह देखना ही नहीं है कि कितना राष्ट्रीय धन उत्पन्न किया जाता है बल्कि यह देखना है कि उसका उचित विभाजन भी है या नहीं। प्रोफेसर के० टी० शाह का अनुमान है कि हमारे देश में प्रत्येक सौ रुपयों पर ३३ रुपये कुछ थोड़े से धनिकों तथा जमींदारों को, ३३ रुपये मध्यमवर्ग को और बाकी ३४ रुपये श्रमिकों को मिलते हैं। लेकिन इन ३४ रुपया में हिस्सा लेने वाले श्रमिकों की संख्या बाकी दो श्रेणियों की संख्या की दूनी है। औद्योगीकरण इस असमान विभाजन को और भी असमान बना देगा, इससे भारत की परिश्रम करने वाली तथा भूखी जनता का पेट नहीं भरेगा। घरेलू उद्योग-धंधों का सर्वत्र प्रचार से ही मजदूर उत्पादन के उपायों का मालक रहेगा और अपनी मेहनत का उसे पूरा-पूरा फल मिलेगा। हाथ से कताई-बुनाई का यह पहलू, जो कुटार उद्योग-धंधों का प्रतीक है, समाजवादी तथा गैर समाजवादी दोनों का जँचेगा।

मशीनों से औद्योगीकरण करने के विरुद्ध एक दूसरा तर्क भी है। इंग्लैंड के तैयार माल के लिए भारत सबसे बड़े तथा अच्छे बाजारों में रहा है। इंग्लैंड को यह डर था कि भारत की स्वतन्त्रता से वही उसने माल के लिए बाजार न बन्द

हो जाय। इसी कारण जापान भी चीन के ऊपर अपना पंजा बसना चाहता था। औद्योगिक देशों का जीवन-स्तर इस बात पर निर्भर रहता है कि वे अपना बना हुआ माल दूसरे देशों को बेचते रहे। यदि भारत दूसरा इङ्ग्लैंड या मयुक्त राष्ट्र अमेरिका बन जाय तो अपना फालतू माल बेचने के लिए उसे बाजार कहीं मिलेगा? क्या अपने माल के लिए बाजार तैयार करने में उसे अन्य देशों से ग्वनी लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ेगी? घरेलू बाजार पर्याप्त नहीं होगा चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। भारत तथा मानवता का भला चाहने वालों का प्रश्न के इस पहलू पर विशेष विचार करना चाहिए।

अन्त में, यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि छोटे पैमाने पर घरेलू उद्योग-धंधे बड़े पैमाने पर मशानों की बुगइयों से बरी हैं; जैसे, श्रम का शापण श्रम तथा पूँजी के बाव सपर, गन्दी कोठरियों का जीवन, शहरों में इक्ठु हुए विशाल जन-समूह के जावन के लिए उपयुक्त साधनों की कमी के कारण उनके नैतिक पतन का डर और इन सपके ऊपर सदैव बनी रहने वाली बेमारी से जान बच जायगी।

देश भर में हाथ की कताई और बुनाई तथा कुदोर उद्योग-धन्धों के प्रचार के पक्ष में दिये गये इस तर्क को बड़े बुनियादी तथा प्रमुख उद्योगों, जैसे भारी रसायनों, रेलवे इञ्जिनों, मोटरों तथा जहाजों के निर्माण का विरोधी नहीं समझना चाहिए। समाज-सेवा की दृष्टि से ऐसे उद्योगों को सरकार चला सकती है। उन्हें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए व्यक्तिगत पूँजीपतियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता।

औद्योगीकरण के परिणाम— घरेलू उद्योग धंधों का जो भी लाभ तथा बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण का जो भी दुष्परिणाम हो, बड़ी मशीनों अपने देश में स्थान पा गई हैं। प्रसिद्ध औद्योगिकों ने पन्द्रह वर्षोंय योजना बनाई थी जिसके अनुसार निश्चित समय में प्रत्येक नागरिक की औसत आमदनी बढ़ जायगी। युद्ध के बाद औद्योगीकरण की सरकार ने अपनी योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं का विवेचन अथवा पिछले सौ या ऐसे ही कुछ वर्षों में देश द्वारा की गई औद्योगिक उन्नति का विस्तृत वर्णन करना यहाँ आवश्यक नहीं है। हमारा सम्बन्ध केवल बढ़ते हुए औद्योगीकरण का नागरिक जीवन पर प्रभाव तथा उसके द्वारा उत्पन्न हुई समस्याओं से ही है।

बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, शोलापुर तथा नागपुर जैसे शहरों में औद्योगीकरण के विकास का एक मुख्य परिणाम यह हुआ कि रोजी की खोज में ग्रामीण इन शहरों में आकर भर गये हैं। पिछले पचास वर्षों में औद्योगिक शहरों की आबादी बहुत बढ़ गई है। इससे कई समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं; जैसे, उनके रहने का प्रश्न। बहुत ही गन्दी तथा भीड़-भाड़ वाली जगहों की उत्पत्ति हो गई है। ऐसी जगहों में

पुरखों की सख्या स्त्रिया से कहीं अधिऋ है क्वाकि सभी मनुष्य अपना परिवार साथ नहीं लाते । इस ढर्री असमानता ने एक बहुत गम्भीर नैतिक समस्या को जन्म दिया है । इसका लोगों के स्वास्थ्य तथा चरित्र पर बड़ा बुरा प्रभाव पडा है । हमने उन सामाजिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी तथा वेस्त्ररी दूर करने की योजनाओं का विकास नहीं किया है जो पश्चिम का औद्योगिक सम्यता की एक ग्रग बन गई है । इसका परिणाम यह हुआ है कि औद्योगिक मजदूरा की दशा हमारे देश म उतनी अच्छी नहीं है जितनी पश्चिमी देशों में ।

दूसरा महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ है श्रम-आन्दोलन । मजदूर-सघ ऐसे मजदूरों का समुदाय है जो कार्य की अच्छी दशा तथा अपनी खरीदने की शक्ति के विकास के लिये प्रयत्न करता है । हालाँकि भारत म १८६० म स्थापित होने वाला उम्ई-मजदूर-सघ पहला मजदूर-सघ था, फिर भी मजदूर-आन्दोलन प्रथम महायुद्ध की समाप्ति के बाद से ही ठाक तौर पर प्रारम्भ हुआ । आज भी यह आन्दोलन उतना ही शक्ति-शाली तथा संगठित नहीं है जितना इंगलैड या संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका म है । मजदूरों ने अपने को संगठित करने, कार्य के कम घन्टे तथा सुविधाओं के पाने, डाक्टरी सहायता या बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता प्राप्त करने में अधिक उत्साह नहीं दिखाया है । उनमें उपयुक्त नेतृत्व की भी कमी है । फिर भी, आन्दोलन प्रारम्भ होने के पाँच वर्ष के भीतर यानी १९०६ से १९२३ के बीच देश के विभिन्न भागों में अनेक मजदूर सघों की स्थापना हो गई । व्यक्तिगत सघों से उपयुक्त मेल तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सम्मेलन की वार्षिक बैठकों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए १९२० में राष्ट्रीय आधार पर एक अतिल-भारतीय मजदूर-सघ-कॉंग्रेस की स्थापना हुई । जन कम्यूनिस्टों ने १९२६ में इस पर अधिकार कर लिया तो मजदूर-सघ के श्री एन० एम० बोशी जैसे उदार सदस्यों ने इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन नामक एक नये संगठन की स्थापना की । १९३१ में फिर मतभेद हुआ जिसके परिणामस्वरूप तान स्वतन्त्र संगठन बन गये । एक म कम्यूनिस्ट दल, दूसरे में उदार दल तथा तीसरे में बाका लोग सम्मिलित थे । इन तीनों दलों को एक म मिलाने के कई बार प्रयत्न हुए और कुछ सफलता भी मिली । १९४० में टाना प्रमुख सघों, ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ने अपने को एक उन्दीय सघटन के रूप में मिला देने का निश्चय किया । लेबिन वास्तविक मेल होने के पहिले ही ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में युद्ध के प्रति तटस्थता के प्रश्न का लेकर मतभेद श गरा । परिणाम यह हुआ कि इण्डियन फेडरेशन ऑफ लेबर का जन्म हुआ जिसके सभापति श्री जमनादास मेहता और मंत्री श्री एम० एन० राय हुए । यह संघ दूसरे महायुद्ध म भारतीय मजदूरों का पूरा सहयोग दिलाना न था । भारत म ट्रेड यूनियन का अन्तिम विकास इण्डियन नेशनल ट्रेड

यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना के रूप में हुआ है। देश की कॉंग्रेस सरकारों का इसे सक्रिय सहयोग प्राप्त है।

औद्योगिक विकास का तीसरा परिणाम हुआ है भारतीय सरकार द्वारा मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए अनेक कानूनों का पास करना। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में श्रम का प्रतिनिधित्व भी है। उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में तीन श्रम-निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य श्री राजाराम शास्त्री, श्री हरिहरनाथ शास्त्री तथा श्री बी० के० मुकर्जी हैं।

मजदूर-संघों की माँगों— ट्रेड यूनियनों के विकास से अपने देश में मजदूरों ने अनेक माँगें करनी प्रारम्भ कर दी हैं। अधिक से अधिक ४८ घंटों का हफ्ता निश्चित करना, न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना, मासिक मजदूरी-प्रथा की स्थापना, साल में कुछ समय के लिये आकस्मिक तथा मैडिकल छुट्टा की व्यवस्था करना, रहने-योग्य घरों की व्यवस्था करना, बीमारी, बेकारी तथा बुढ़ापे के लिए बीमा, चोट तथा घातक घटनाओं के लिए हर्जाना पाना, बच्चा पैदा होने के सिलसिले में औरतों को तनख्वाह के साथ दो महीने की छुट्टी, श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य प्रारम्भिक तथा औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था तथा मजदूर छिपों के लिए अच्छाखानों तथा सेवागृहों की व्यवस्था करना— ये उनकी प्रधान माँगें हैं। स्त्रियों को खानों में जमीन के अन्दर काम करने की मनाही तथा बच्चों की काम करने की उम्र १२ से १४ वर्ष कर देने की माँग भी वे करते हैं। इङ्ग्लैंड जैसे आगे बढ़े हुए देशों में पाई जाने वाली मजदूरों की भलाई की योजनाओं के लिए भी वे जोर देते हैं।

व्यापार— भारतीय-व्यापार के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कहना आवश्यक है। यह दो प्रकार का है, देश के भीतर का तथा बाहरी देशों से। और खेतिहर देशों की तरह हमारे यहाँ भी भीतरी व्यापार बाहरी से अधिक महत्व रखता है, लेकिन दुर्भाग्यवश रेलवे की भाड़े-सम्बन्धी नीति तथा सिक्का, बैंकिंग तथा इन्श्योरेंस की व्यवस्था विदेशी व्यापार की आवश्यकताओं के ही अनुकूल रही है। भारत को एक खेतिहर देश मानकर ही उसके विदेशी व्यापार का रूप निश्चित होता रहा है हालाँकि यह विश्व में आठवें नम्बर का औद्योगिक देश माना जाता है और १९४०-४४ की लड़ाई की माँगों के कारण उसके स्थायी उद्योगों में नवीन तथा विभिन्न कार्य क्रमों का समावेश हुआ है। भारत कच्चा माल जैसे रुई, जूट, चमड़ा, खाल, तिलहन, चाय इत्यादि बाहर भेजता है। वह पूर्वी अफ्रीका तथा अन्य देशों को कुछ सूती कपड़े भी भेजता है। वह तैयार तथा अधबनी चीजें बाहर से मँगाता है। कुछ वर्षों पहिले उसके आयात का मुख्य अङ्ग लकाशायर की सूती चीजें थीं। सूती कपड़ों के अलावा वह मोटर, रेलवे इंजिन, मशीन, कागज, टिन में बन्द खाना,

सूत, तेल, धातुएँ और कच्ची धातुएँ, रसायन, रंगने तथा चमड़ा कमाने की चीजें, औजार, कृत्रिम सिल्क, शरान, कच्चा और तैयार ऊन, छापने की चीजें तथा अन्य कई चीजें बाहर से मगवाता है। अर्थात् में वह आयात से अधिक निर्यात करता था, और व्यापार का सतुनन अधिकतर उसके पक्ष में रहता था। उसे घरेलू महसूल, विदेशी लागत पर सूद तथा बड़ाज का महसूल देना पड़ता था जिसे वह अधिक निर्यात करके या अधिक आयात करके चुका देता था। बने माल के आयात तथा कच्चे माल के निर्यात दोनों की दृष्टि से ब्रिटेन उसका अनेला सबसे बड़ा ग्राहक था। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत शीघ्र बदल रही हैं, इधर हमारा आयात निर्यात से वहीं अधिक रहा है जिसका प्रमुख कारण राज्याओं का आयात ही है। अब यह स्थिति मुघर रही है।

यह भी ध्यान देने की बात है कि हमारा आयात तथा निर्यात-सम्बन्धी व्यापार अधिकतर यूरोपियनों के ही हाथ में था। विदेशों में स्थित बड़े बड़े व्यापारिक फर्मों से जो विभिन्न देशों से माल मँगाते और उन्हें स्थानीय व्यापारियों के हाथ बेच देते थे। वे भारत का कच्चा माल खरीदते और उसे बेचते थे। इन कम्पनियों द्वारा लगाई लागत इतनी अधिक रहती और उनका संगठन इतना तगड़ा पड़ता कि भारतीय फर्मों के लिए प्रतियोगिता में उनसे बढ जाना खिलवाड़ नहीं था। व्यापार में रुखा लगाने का काम पहिले और अधिकतर यूरोपीय बैंक ही करते थे जो भारतीय फर्मों के मुकाबिले यूरोपीय का स्वभावतः पक्षपात करते थे। लेकिन अब भारतीयों ने विदेशियों से आयात तथा निर्यात-सम्बन्धी व्यापार प्रायः ले लिया है।

देश के विभाजन का उमड़ी आर्थिक दशा पर प्रभाव— देश का भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन हो जाने से उमड़ी आर्थिक व्यवस्था पर, जिसका विकास अगरेजों ने देश को एक मानकर किया था, बड़ा जुग प्रभाव पड़ा। इसने दोनों राज्यों को पहिले की अपेक्षा वहीं कम आत्म-निर्भर बना दिया है। भारतीय सब म खाद्यान्नों की कमी है, उसे मङ्गल मुद्रा क्षेत्रों से खाद्य-पदार्थ मँगाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है। यह रुखा औद्योगिक सामानों के खरीदने में व्यय किया जा सकता था। भारत में रुई तथा जूट की भी कमी है, उमकी सूती मिला को पाकिस्तान तथा अन्य देशों की रुई पर निर्भर रहना पड़ता है और उमकी जूट-मिलों अधिकतर बेकार पड़ी रहें यदि वह पूर्ण पाकिस्तान से कच्चा जूट न मगाये। चश्मानी नमक भी अधिकांश उमकी क्षेत्रों से आया करता था जो अब पाकिस्तान में पड़ गये हैं। दूसरी तरफ, अविभाजित भारत में पञ्ज, पश्चिमोत्तर प्रदेश, धिलोचिन्तान तथा पूर्वी बंगाल में रखने वाले सूती माल, शक्कर, कोयला, चाय इत्यादि का अधिकांश उन पैकगिया तथा राजानों से आता था जो अब भारतीय सब में हैं। यदि पाकिस्तान इन वस्तुओं की प्राप्ति का प्रबन्ध दूसरे देश से कर लेता है तो भारत का अपने माल के लिए दूसरे बाजार ढूँढने पड़ेंगे।

इस प्रकार, विभाजन ने दोनों राज्यों को कमनोर तथा आर्थिक दृष्टि से पहिले की अपेक्षा कम स्वावलम्बी बना दिया है।

विभाजन ने लागू आदिमियों की अपना घर चार भी छोड़ने के लिए विवश कर दिया जिससे वे ऐसी आर्थिक कठिनाईयों में पड़ गये हैं कि तनाही आ गई है। शरणार्थियों की व्यवस्था तथा उनके पुनर्वासन का प्रश्न भारत पर एक बोझ बन गया है, इसका ठीक प्रकार से हल होने में बहुत समय लगेगा। इन सब में आर्थिक दृष्टि से हो रहे विनाश का अंदाज लगाना कठिन है।

आवागमन— चूँकि आवागमन के साधनों की उपस्थिति तथा उनका विकास से देश के अन्दरूनी व्यापार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है इसलिए भारत में आवागमन की व्यवस्था पर भी कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है। अपने देश में मल तथा आदिमियों का आवागमन का मुख्य साधन रेल है और इसके बाद मोटर बसों का नम्बर आता है। त्रेलगाडियों, खच्चर, ऊँट तथा अन्य बाधक होने के ज्ञानवर बाद में आते हैं। पहाड़ी रास्तों पर जहाँ मोटर जाने के लिए रास्ता नहीं है, खच्चर तथा गादमी ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाते हैं। इनके आतङ्क नाव द्वारा माल ढोने तथा लोगों के अने-जाने के लिए नदियों तथा नहरों प्रयोग में आती हैं। हाल में आकाश मार्ग द्वारा भी आवागमन होने लगा है। अब युद्धोत्तर काल में हवाई आवागमन में बहुत विकास होने की संभावना है।

अविभाजित भारत में रेलवे का लम्बा चौड़ा जाल था जो देश के विभिन्न भागों को मिलाये हुए था। उत्तरी प्रांतों में दाक्षिणी प्रांतों की अपेक्षा रेल का व्यवस्था अच्छी थी। ३१ मार्च, १९४६, को रेलवे की कुल लम्बाई ४०,५१८ मील थी, जिसमें २०,६८७ मील ब्राड गेज, १६,००४ मील माटर तथा ३,८२७ मील नैरो गेज थी। ओ० टी० आर०, बंगाल और आसाम रेलवे, बंगाल नागपुर रेलवे, ईस्ट इण्डियन रेलवे एन० डब्ल्यू० आर० जी० आई० पी० रेलवे, वी० वी० एण्ड सी० आई० आर०, और एम० एण्ड एस० एम० आर० प्रमुख रेलवे थीं। विभाजन का रेलवे व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। जिन रेलों पर प्रभाव पड़ा है वे एन० डब्ल्यू० रेलवे और वी० ए० रेलवे हैं। पंजाब, सिंध तथा पश्चिमोत्तर में चलने वाली एन० डब्ल्यू० रेलवे के कुछ भाग तथा पूर्वा पाकिस्तान में चलने वाली वी० ए० रेलवे का कुछ भाग पाकिस्तान को दे दिया गया और शेष भारत में रहा। एन० डब्ल्यू० रेलवे के उस भाग को जो पूर्वी पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के एक भाग में आ जाता है, ई० पी० रेलवे बना दिया गया है। ये सभी लाइन ब्रिटिश लागत तथा ग्रेट ब्रिटेन की कम्पनियों द्वारा बनी थीं और उन्हें भारतीय सरकार ने पूर्व

* १९४३-४४ के अन्त में कुल लम्बाई ४०,५२५ मील थी तथा १९३६-३७ के अन्त में ४३,१२८ मील थी।

निश्चित लाभ दिया था। बहुत दिनों तक सरकार ने इन कम्पनियों को इन लाइनों का मालिक बने रहने तथा उनका बन्दोस्त करने दिया, लेकिन बाद में इसने उन्हें अपने स्वामित्व में ले लेने की नीति अपनाई और कुछ का बन्दोस्त भी अपने हाथ में ले लिया। अभी हाल तक कई रेलों की मालिक सरकार थी लेकिन बन्दोस्त कम्पनी करती थी और कुछ की मालिक भी कम्पनियाँ थीं और इतना भी यही करती थीं। लेकिन अब कम्पनी का बन्दोस्त प्रायः समाप्त हो गया है और भारत की लगभग सभी रेलों के प्रबन्ध का अधिकार तथा स्वामित्व राज्य के हाथ में आ गया है। ग्रामाभ्युदय रेलवे, ३० मी० एण्ड सी० आई० ग्राम० तथा ३० एण्ड एन० डब्ल्यू० ग्राम० का प्रबन्ध सरकार ने सबसे बाद में अपने हाथ में लिया। बहुत दिनों तक रेलें नुकसान पर चलती रहीं, लेकिन १९०० के बाद वे लाभ दिखाने लगीं। कभी-कभी तभी कभी अबसर आ जात और रिजर्व फण्ड से अधिक धन निकाल लेना पड़ता। पिछले पन्द्रह वर्षों में रेलों ने केन्द्रीय बजट में बहुत अच्छा लाभ दिखाया है। यहाँ यह कहा जा सकता है कि उड़ीसा, जोधपुर, बीकानेर तथा हैदराबाद रियासतों में वही की रेलें थी जिन्हें अधिकतर रियासतों की सरकारों ने ही बनवाया था। अब भारत भर की रेलें सब-सरकार की हैं।

देश के आर्थिक जीवन पर रेलों के प्रभाव के विषय में भी कुछ बातें कही जा सकती हैं। रेलों के विकास से माल एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जा सकता है और इससे आन्तरिक व्यापार का भी बड़ी सहायता मिली है लेकिन पानी के रास्ता के, जिनकी लम्बाई २६०० मील है, प्रयोग तथा विकास पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। कभी कभी किराये की प्रतिभागिता चला कर रेलवे ने उन्हें जान-बूझ कर चौपट कर दिया है। दूसरे, बन्दरगाहों से लाकर तथा वहाँ माल पहुँचा कर इसने भारतीय हिता का नुकसान ही पहुँचाया है। इसका परिणाम हुआ है देश के कच्चे माल का निर्यात तथा बाहर के तैयार माल का आयात। अतः में, यह कहा जा सकता है कि रेलों में भारतीय पूँजी लगाने का बहुत कम मौका था। बॉन्ड लेने वाले विदेशियों का लाभ तथा बोनस का रूप में राष्ट्र की अत्यधिक धन देना पड़ा है।

रेलों के जाल के अतिरिक्त भारत में सड़कों की भी बड़ी लम्बी-चौड़ी व्यवस्था है। इसमें चार ट्रंक सड़कें तथा अनेक सहायक सड़कें सम्मिलित हैं जिनकी कुल लम्बाई ६४,००० मील है। ट्रंक-सड़कों की लम्बाई ५,००० मील है। ये सड़कें निम्नलिखित हैं (I) कलकत्ता से लैबर तक ग्रैंड ट्रंक रोड, (II) कलकत्ता का मद्रास से मिलाने वाली सड़क, (III) मद्रास को बम्बई से मिलाने वाली सड़क, (IV) बम्बई का दिल्ली से मिलाने वाली सड़क। ये सड़कें बहुत दिनों से हैं और उनका साथ भारतीय इतिहास का गहरा सम्बन्ध है। इन ट्रंक तथा सहायक सड़कों के थलावा बहुत सी कच्ची सड़कें भी हैं। राजपूताना, सिंध, पंजाब के कुछ भागों, उड़ीसा तथा बंगाल में उतनी अच्छी सड़कें नहीं हैं जितनी देश के अन्य भागों में। गाँवाँ का

एक दूसरे से तथा निकट शहरों से मिचाने वाली पक्की सड़कों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल ले आने ले जाने में बड़ी आसानी हो गई है। देश में हवाई यात्रा भी प्रारम्भ हो गई है। दिल्ली, कराची, मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बीच बराबर हवाई यात्रा होती है। हवाई जहाज से डाक तथा आदमों दोनों आते जाते हैं। इधर हवाई यात्रा की और भी अधिक उन्नति हुई है।

बेकारी— देश के आर्थिक जीवन का यह छोग विवेचन समाप्त करने के पहिले देश में बेकारी की समस्या तथा ग्रामोत्थान आन्दोलन पर भी प्रकाश डालना उपयुक्त होगा।

ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे देशों में हम अक्सर बेकारी की समस्या सुनते हैं। लेकिन हमारे देश में उसका रूप अन्य देशों से भिन्न है। यहाँ बेकारी की समस्या औद्योगिक होती है, यानी सगठित उद्योगों में औद्योगिक मजदूरों की बेकारी की समस्या। इस प्रकार की बेकारी, जो किसी न किसी रूप में विद्यमान है, फिर भी यहाँ के लिए कोई गम्भीर समस्या नहीं है क्योंकि भारत अभी औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त रूप से आगे नहीं बढ़ा है। शान्ति के समय में काम करने वालों की कमी की शिकायत होती है, बेकारी की नहीं। जो बेकारी हमारे लिए समस्या बन गई, वह ग्रामीण तथा मध्यवर्गीय है। गाँवों की बेकारी के विषय में हमें अधिक नहीं कहना है, हम यह पहले ही कह चुके हैं कि किसान को साल भर फँसाये रखने के लिए खेती पर पर्याप्त काम नहीं मिलता और परिणामस्वरूप उसे साल में छह महानों विवश होकर बेकार रहना पड़ता है। खेती के सहायक धन्धों के रूप में घरेलू उद्योग धन्धों की स्थापना ही इसका एकमात्र इलाज है। अबिल भारतीय-ग्रामोद्योग-संघ तथा ग्रामोत्थान आन्दोलन, दोनों का यही उद्देश्य है। अकाल के दिनों में समस्या और भी गम्भीर हो जाती है। खेती के काम में आने वाले क्षेत्रफल के ८४% भाग को सिंचने का कोई प्रयत्न नहीं है, वह केवल मानसून पर निर्भर रहता है। इसलिए जिन वर्ष वर्षा नहीं हुई, या कम हुई या बहुत अधिक हुई, उस साल अकाल की सम्भावना बढ़ जाती है। इन चीजों से बचने के लिए बचाव के तरीके ऋष्योग में लाये जायें। जहाँ नहर से सिंचाई नहीं हो सक्ती ट्यूबवैल खोदे जायें, वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए बड़े-बड़े तालाब खोदे जायें जिनमें इकट्ठा पानी बाद में सिंचाई के काम आ सकता है तथा जाड़ का पानी राकने के लिए नदियों में बाँध खोदे जायें। अकाल के समय सहायता पहुँचाने का कार्य तुरन्त प्रारम्भ हो जाना चाहिए। ऐसे समय पर सबसे अच्छी चीज होगी किसान को कोई ऐसा पेशा देना जिस पर वह निर्भर रह सके। इसका अर्थ फिर वही घरेलू उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देना ही होता है। इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि भारत का कल्याण छोटे पैमाने पर चलाये गये उद्योगों पर बड़ी-बड़ी औद्योगिक योजनाओं की अपेक्षा अधिक निर्भर है।

मध्यवर्गीय बेकारी ने ग्रामीण बेकारी की अपेक्षा लोगों का ध्यान अधिक आकर्षित किया है। मध्यवर्गीय बेकारी की समुचित परिभाषा आसान नहीं है। इस बेकारी का साधारणतः यही अर्थ समझा जाता है कि खाते-पीते घरों के नवजवान, जो हाई स्कूल या कॉलेज की शिक्षा प्राप्त कर चुकते हैं, जीविका के साधन के लिए शारीरिक श्रम के बदले कोई अन्य नौकरी ढूँढते हैं जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती। यह सभी स्वीकार करेंगे कि मध्यवर्ग में बेकारी सर्व-व्याप्त है और यह एक गम्भीर समस्या बन गई है। कई प्रांतों में पड़े-लिखे लोगों के बीच बेकारी की जाँच करने तथा उसका उपाय बताने के लिए कमेटियाँ बिठाई गई थीं। अपने ही प्रांत में सरकार ने १९३५ में सर तेजबहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी बिठाई थी। इन सभी कमेटियों ने अपनी रिपोर्टों में मध्यवर्गीय बेकारी की गम्भीरता स्वीकार की थी। मद्रास कमेटी के सुझाने पर मद्रास-सरकार ने ३५ रु० महीने पर दो खाली की गई जगहों के लिए अर्जियाँ माँगी। एक जगह पी० डब्ल्यू० डी० में थी और दूसरी व्यापारिक फर्म में। पहली के लिए ६६६ तथा दूसरी के लिए ७८७ अर्जियाँ आईं। इन सख्याओं से बेकारी की भीषणता का अन्दाज लगाया जा सकता है।

पड़े-लिखे लोगों की इतनी बड़ी बेकार सख्या एक बड़ा सामाजिक तथा राजनैतिक अभिशाप है। व्यक्तिगत रूप से लोगों की परेशानी तथा कष्ट बढ़ाने के अलावा इससे समाज का नैतिक स्तर गिर जाता है जिसका सम्मिलित प्रभाव बड़ा गम्भीर हो सकता है। क्षोभ की अग्नि में जलने वाले, असन्तुष्ट और बेकार नवान सरकार के लिए भी एक पतरा बन सकते हैं।

पड़े-लिखे नवजवानों की इतने ऊँचे परिमाण में बेकारी के अनेक कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि स्कूलों, कॉलेजों तथा यूनिवर्सिटियों से निकले हुए विद्यार्थियों की सख्या बहुत बढ़ गई है और उसी हिसाब से नौकरियों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पड़े-लिखे नवजवान खपत से अधिक तैयार हो रहे हैं। माँग से अधिक पूर्ति की यह अधिकता दो परिस्थितियों के कारण है। उनमें एक है स्कूलों, कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा की प्रणाली। विदेशी शासकों तथा जनता के बीच काम करने वाले क्लर्कों के उत्पादन के लिए ही ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। हमारे स्कूल तथा कॉलेजों से निकले हुए विद्यार्थी क्लर्कों के काम के लिए ही उपयुक्त होते हैं। चूँकि ऐसे काम सीमित ही हैं इसलिए बेकारी बढ़ने में कोई आश्चर्य नहीं। इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहिए कि हमारी शिक्षा प्रणाली लोगों के दिलों में शारीरिक श्रम के प्रति एक प्रकार की घृणा उत्पन्न कर देती है। किसानों, बूढ़े तथा लोहारों के शिक्षा प्राप्त लड़के नौकरी की तलाश में मारे-मारे फिर करते हैं जब कि वे अपने माता-पिता की सहायता करके अधिक उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी चीज है पड़े लिखे लोगों के लिए कार्यों की कमी। 'इंजिनैटिंग मैनो, जल सेना तथा सिविल सर्विसों को छोड़कर १६,००० पेशे हैं, किन्तु भारत में

कदाचित् ४० से भी कम हैं।* उद्योगों के विक्रम से हमारे जमाना को काम के नये नये क्षेत्र उभरने हाने। कुछ श्राद्धियों के कुछ पेशे स्वीकार करने में जातिगत विचार भी बाधक होते हैं। किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का लडका चमड़े का काम या मुर्गी पालने का काम कभी न करेगा। जाति-अवस्था के बन्धनों में ढीलापन आने के कारण ऐसी श्रद्धा करने कम होती जा रही हैं, लेकिन अभी वे हैं अग्रश्य।

ऊपर वर्णित विभिन्न कमेटियों ने अनेक प्रातों की सरकारों को पढे लिखे लोगों की बेकारी दूर करने के लिए कुछ सुझाव बताये थे, जैसे, नौकर रखने वाले तथा नौकरी चाहने वाला को मिला देने के लिए एम्प्लॉयमेंट बोर्डों (Employment Boards) की स्थापना, बेकारी तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम के विभिन्न क्षेत्रों के विषय में श्रॉकडे तथा जनकारी प्राप्त करना और पढे-लिखे लोगों का ध्यान खेती की श्रार मोडना। कुछ लोगों ने ऊँची शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाओं में तथा यूनिवर्सिटी-परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कमी करने की भी सलाह दी है। इन सलाहों में से अनेक तो दलाज नहीं उलिक उठाना मात्रा है। नौकरी बोर्डों की स्थापना तथा बेकारी सम्बन्धी श्रॉकडा का जॉच से बेकारी कुछ खास सीमा तक कम नहीं होगी। सत्य यह है कि जन तक मूलभूत कारणों का नहीं हटाया जाता, बुराई ठीक प्रकार से नहीं मिट ई जा सकता। अब तक वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन करके उमे लोगों की सामाजिक तथा अर्थिक आवश्यकताओं के साथ सम्बन्धित नहीं किया जाता, वर्तमान दशा में किसी मन्त्रपूर्ण सुधार की आशा नहीं की जा सकती। इसके लिए आवश्यक है मशरमा गाँधी द्वारा चलाई हुई प्रसिद्ध वर्धा शिक्षा-योजना की कार्य रूप में परिणति। यदि पढे-लिखे लोगों की बेकारी कम करनी है तो वर्तमान शिक्षा का विशुद्ध साहित्यिक आधार हटाना पडेगा; शारीरिक-श्रम टिमागी धर्म से कम महत्वपूर्ण है, अथवा सरकारी नौकरी ही जीवन का सबसे ऊँचा ध्येय है, इन तथा ऐसी धारणाओं का अन्त करना होगा। दूसरे, नए-नए पेशे तथा कार्य के विभिन्न क्षेत्रों का निर्माण करना चाहिए। इसका अर्थ है विभिन्न घरेलू तथा मशीनी उद्योगों का प्रारम्भ। हमारे हजारों श्राद्धियों को काम देने के लिए भारत की अपनी जल सेना तथा व्यापारिक जहाजी बेडा होना चाहिए, सेना में देश की आगारी के सभी श्रशों को नौकरी मिलनी चाहिए और पुरानी ब्रिटिश सरकार के अनुसार कुछ लडाकू जातियों के लिए ही स्थान सुरक्षित नहीं रखना चाहिए। बिना इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बुराई का आमूल उन्मूलन सम्भव नहीं।

हम उस सलाह के तनिक भी पत्त में नहीं हैं जिसके अनुसार ऊँची शिक्षा केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो उसके लिए खर्च कर सकते हैं या जो परीक्षाओं

में बहुत अच्छे नम्रर पाते हैं। ऊँचा शिक्षा का दाप नहीं है; दाप है उसकी व्यवस्था में। उँची शिक्षा प्राप्ति में अबचन ढालने से अच्छा है उसकी व्यवस्था में परिवर्तन करना। लेकिन लडकों के माता पिता तथा अभिभावकों को यह समझने में कोई हर्ज नहीं है कि सरकारी तथा अन्य नौकरियों सीमित हैं। इसलिए उन्हें अपने लडकों तथा वाटों को अन्य पेशा के लिए तैयार करना चाहिए। फिलहाल सप्रू कर्मेणों का यन् मुभ्रव कि सरकार तथा अन्य स्थानीय सस्थाओं को पढे लिखे लोगों की माँग मडानी चाहिए, कार्य रूप म परिणत होना चाहिए। उदाहरण के लिए पुलिस तथा फौजी विभागा की नौकरियों के लिए सरनार शिक्षा-सम्बन्धी किसी कम से कम योग्यता पर जोर दे सकती है। इनी प्रकार म्यूनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट जोर्ड भी मेडिकल-याग्यता से सम्पन्न जनानों को अपनी स्यास्थ्य-सम्बन्धी योननाओं में काम दे सन्ने हैं। नये शाने वाला को भा र्शम्र अवसर देने के लिए पे-शन की उम्र घटाई जा सकती है। लेकिन ये सब केवल हल्के उपाय हैं, इन्से समस्या के किनारे का ही स्पर्श होता है। समस्या का वास्तविक तथा स्थायी हल तो शिक्षा-व्यवस्था में आमूल परिवर्तन तथा नये नये उद्याग धधों के विनास से ही सम्भव है।

गाँवों का विनास— अग्नेजा राज का हमारे गाँवों पर सजसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ा है। निछले डेढ सौ या उससे भा अधिक बपों से उनकी बुरा तरद उपेक्षा हुई है। अपनी स्थानीय सस्थाओं तथा घरेलू-उद्याग-धधों क विनाश क वाद, उन्हें बष्ट तथा अज्ञान से निकालने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ। महात्मा गाँधा ही पहले व्यक्ति थे जि हे उनकी दीन दशा का ज्ञान हुआ और उनकी दशा म सुधार के लिए उन्होंने अपने मन में ठान ला। उन्होंने देश का चरों का सदेश दिया और पुगने उद्योग-धधों का पुनर्जीवन करने के लिए अतिल भारतीय ग्रामोद्योग सध की स्थापना की। उनके प्रयत्नाने भारतीय सरकार को अपनी आलस्य-निद्रा से बगाया और उसे उन ग्रामवासियों की और वर्सव्य भावना से डेरित किया जिनसे वह लगान का अधिक हिस्सा पाती है। १९३४-३५ में सरकार ने गाँवाँ के विनास क लिए एक करोड रुपया विभिन्न प्रान्तों में बाँट दिया और उन्हें भी अपना शक्ति क अनुमार इस रुपये में अपना पन्ड शामिल करने का आदेश दिया। इस प्रकार ग्रामोत्थान आन्दोलन प्रारम्भ हुआ चिनने प्रान्तों में कांग्रेस मन्निमडला के स्थापित होने तथा कार्य करने के थडे ही समय में प्रशसनीय प्रगति की है। यदि ये मन्निमडल बुद्ध और समय तक अपने पदों पर आसीन रहते तो ग्रामीण जनता र्थ। दशा में बहुत काफी सुधार हो गया होता। जय से ये मौजूदा मन्निमडल दने हैं तर से पुराना कार्य क्रम फिर जारी है। उत्तर प्रदेश में इस आन्दोलन के रूप का हम एक छोटा निवेचन करेंगे।

केन्द्रीय सरकार के पन्द्रह लाख रुपयों में एक लाख रुपये प्रति वर्ष मिला कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाँवों के पुनर्निर्माण की एक पंचवर्षीय योजना बनाई। इस योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में (नैनीताल, अलमोडा तथा गढ़वाल, तीन पहाड़ी जिले छोड़ कर) ७२ गाँव चुन लिये गये और उनमें कार्य प्रारम्भ हो गया। ये गाँव छः समूहों में विभाजित कर दिये गये जिनमें से प्रत्येक समूह एक सुपरवाइजर की देख रेख में काम करता था। यह सुपरवाइजर पूरे जिले के इन्स्पेक्टर के आदेशानुसार कार्य करता था। पूरा स्टेट जिले के कलक्टर के कंट्रोल में था। वह स्वयं किसी एक डिप्टी कलक्टर के जरिये अपना कार्य करता। अधिकारियों को सहायता पहुँचाने के लिए कलक्टर द्वारा नियुक्त किये हुए सरकारी नौकरों तथा गैर सरकारी नौकरों की एक कमेटी बिठाई गई। जब १९३७ में कांग्रेस ने कार्य भार ग्रहण किया, तो यह पूरी योजना काम में लाई जाने लगी।

कांग्रेस मंत्रिमण्डलों को शीघ्र ही यह ज्ञान हो गया कि आन्दोलन का जनता पर कोई उत्साहजनक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें अधिकतर सरकारी लोग थे और गैर सरकारी लोगों से सहायता लेने की बहुत कम कोशिश थी। यह तर्क भी रक्खा गया कि योजना का कार्य यदि सुचारु रूप से चले तो भी प्रान्त के लगभग एक लाख गाँवों के लिये कुछ सार्थक काम करने में कई पुरत लग जायेंगे। इसलिये मंत्रिमण्डल ने पूरी योजना को एक नया ही रूप देना तय किया। इस नयी स्कीम ने जल्दी-जल्दी कदम बढ़ाना तथा गाँवों की जनता का भी उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त करना तय किया क्योंकि बिना इनके प्रामोत्थान का कोई भी आन्दोलन सार्थक नहीं हो सकता।

नई योजना का मुख्य तत्व है उन्नत जीवन के लिए प्रत्येक गाँव का सहकारी-समिति के रूप में संगठन। यह समिति सहकारी समिति-ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हो जायगी और गाँव के सभी बालिग सदस्यों को इसमें शामिल होने का अधिकार रहेगा। इसमें गाँव के सभी परिवारों, जाति तथा स्तर के प्रतिनिधि रहेंगे। १९३६ के अक्टूबर का अन्त होने-हाते पूरे प्रान्त में ऐसी ४००० से अधिक समितियों की स्थापना हो गई। प्रत्येक समिति की एक निश्चित समय पर मीटिंग होती और अपनी कार्यकारिणी के लिए यह एक पचायत का चुनाव करती। इस पचायत में लगभग एक दर्जन सदस्य रहते और उसमें एक या एक से अधिक हरिजन भी सम्मिलित रहते।

प्रत्येक गाँव या कुछ गाँवों के समूह में एक पचायतघर बनाने के लिये भी ग्रामीण उत्साहित किये गये। इसमें गाँव सभा तथा पचायत की मीटिंग होती और इसी में गाँव का स्कूल, पुस्तकालय तथा अध्ययन-शाला भी रहती। इसने एक भाग में बीज, खेती के उपयोग में आने वाली अन्य चीजें तथा गाँवों में बाँटने के लिए दवा इत्यादि भी रक्खी रहती। एक साल में प्रान्त भर में २०० से भी अधिक पचायतघर बन

गये और लगभग दूतने ही बन रहे थे। इन्हें बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम वासी अपनी शक्ति के अनुसार सहयोग देता, कोई-कोई एक या दो दिन तक मुक्त काम कर देते। खर्च का कुछ भाग सरकार भी देती। उन्नत जीवन के रूप में गाँव की जनता का संगठन तथा पचासतघर ही ऐसे केन्द्र थे जिनके चारों ओर कांग्रेस मंत्रिमण्डलों द्वारा तैयार की हुई ग्रामोत्थान की योजना काम करती।

इस योजना के प्रचार तथा उसे ग्रामे बढ़ाने के लिए एक साधन की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए पूरे प्रान्त का एक रूरल डेवेलपमेन्ट अफसर नियुक्त किया गया। अनेक डिवाजनल सुपरिन्टेन्डेन्टों तथा जिला-इन्स्पेक्टरों की भी नियुक्ति हुई। प्रत्येक जिले में पुनर्निर्माण का कार्य प्रारम्भ किये जाने वाले गाँवों की संख्या बढ़ाकर ३०० कर दी गई। ये गाँव २० केन्द्रों में एकत्रित किये गये और प्रत्येक केन्द्र एक संगठन-कर्त्ता की देखभाल में रख दिया गया। इस कार्यकारिणी के अतिरिक्त एक प्रान्तीय रूरल डेवेलपमेन्ट-बोर्ड की भी स्थापना हुई। विभिन्न विभागों, जैसे, औद्योगिक विभाग, जन-स्वास्थ्य-विभाग तथा कृषि-विभाग, के प्रमुखों का ग्राम-विकास से निकट सम्बन्ध रहना और ईप-कमिश्नर इस बोर्ड के विना पद के मेम्बर रहते। प्रत्येक डिवाजन से ग्राम-विकास में दिलचस्पी रखने वाले गैर-सरकारी लोग भी इसमें नियुक्त किये जाने। प्रान्तीय विधान-सभा का भी इसके लिए सात सदस्य चुनने का आदेश दिया गया, जिसमें पाँच सदस्य बड़ी सभा अर्थात् एसेम्बली के तथा दो छोटी सभा अर्थात् कौंसिल के सम्मिलित थे। प्रत्येक जिले में गैर-सरकारियों को मिला कर एक जिला ग्राम-विकास सच का नियुक्ति हुई। यह जिले के ग्रामोत्थान-कार्य की देख-रेख में रखा गया। इस प्रकार प्रान्त भर में सचों का एक जाल सा बिछ गया। ग्राम-वामियों की कल्याण जाग उठी और उनका उत्साह काम में लगा दिया गया। काम काफ़ी अच्छा हुआ तथा और हाने की आशा था किन्तु कुछ समय बाद कांग्रेस मंत्रिमण्डल अपने पदा से हट गये और यह कार्य रुक गया। इन सचों द्वारा सम्पादित कार्य का बणन नीचे दिया जा रहा है।

एक संगठनकर्त्ता की देख रेख में रहनेवाले प्रत्येक केन्द्र में एक बीज-गोदाम रहता था। दो वर्षों में ऐसे ३८० बीज गोदाम स्थापित हो गये। इनका काम ग्रामवासियों को अच्छा बीज देना था। १९३६-४० में सरकार ने बीज-गोदामों के निर्माण के लिए अपने बजट से २५ लाख रुपये देने का निश्चय किया था। दो वर्षों में सवाई के आधार पर ६१ लाख मन रसी तथा एक लाख मन के लगभग सर्राफ़ के बीज बाँटे गये। अच्छे बीज बाने, खेतों के अच्छे तरीका का प्रयोग करने तथा अच्छी खादों तथा उपज बढ़ाने वाली अन्य चीजों के प्रयोग के लिए दो लाख से भी अधिक प्रदर्शन किये गये थे। अच्छे साँवों का खरीदने तथा रखने के लिए पर्याप्त रकम अलग रख लिया गया। पत्तों का उत्पादन तथा निर्यात करने के लिए

कलम पोंटा गयी। जलाने के लिए ईंधन तथा चारा बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किया गया। खाद के लिए गोबर बचाने की दृष्टि से पेड़ लगाये गये। जनकी लफ्डी जलाने के काम में लाई जा सकता थी।

जहाँ तक खेती के विकास का सम्बन्ध है, इस वर्षान से ग्राम विकास-विभाग के कार्यों का पता चलता है। ग्रामोद्याग का भी इसने उपेक्षा नहीं की। उन्नाव तथा फैजाबाद में उद्योगों की शिक्षा के लिए टा केटर गोलो गये गये जिनमें कातने-बुनने, तेल निकालने, ष्टईगिरा तथा कागज बनाने की शिक्षा दी जाती। ६६ कताई के स्कूल खोलने के लिए कताई मध का तेईस हजार से भी अधिक रुपये दिये गये।

ग्राम विकास क्षेत्रों में ग्रामवासियों का चिकित्सा सम्बन्धा सहायता देने के लिए सरकार ने २०० आयुर्वेदाय तथा यूनानी दवागाने खोले जिनमें नुग्य वैद्य तथा हहाम रखे गये। कई जगहों पर प्राय चिकित्सा-कन्द्र भी खोले गये। जच्चा-रत्नों तथा बच्चों का देखभाल के लिए भी कन्द्र खोले गये और दार्थों को आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली पर शिक्षा देने का भी प्रयत्न किया गया। शिक्षा के विकास का भी कार्य प्रारम्भ किया गया। एक शिक्षा प्रसार अपसर की नियुक्ति हुई और पूरे खे में साक्षरता दिवस मनाने का प्रबन्ध हुआ। यह अपसर एक समय ७६८ पुस्तकालयों तथा ३६०० वाचनालयों का देखभाल करता था। एक वर्ष में खे में लगभग ८ लाख अस्सी हजार व्याक्त्यों का लम्बना-पढना सिखाया गया। लडकों तथा लडकियों दोनों की शिक्षा के लिए ग्राम विकास विभाग के स्कूल अब भी चल रहे हैं। प्रोपैगण्डा तथा प्रचार की दृष्टि से वादस्कोप, ग्रामोफोन रेकार्डों तथा गॉन वाला के लिए अन्य रुचिकर चीजों की भी व्यवस्था की गई। लखनऊ के चारों ओर उपयुक्त स्थानों पर ५० रेडियो सेटा की स्थापना हुई, लखनऊ में प्रसारित किया हुआ ग्रामीण कार्यक्रम सुनने के लिए वहाँ ग्रामीण रोज इकट्ठा होते हैं। इस विभाग ने 'जल' नामक एक पत्रिका भी निकाली जो ग्रामीण पुस्तकालयों तथा सस्थाओं द्वारादि में बॉगी जाती। ग्रामीणों के शारीरिक विकास के लिए शरीर शिक्षा क्लबों की भी स्थापना हुई। आर्य-जीवन के सुधार के लिए इन विभिन्न प्रकारों से प्रयत्न किये गये।

ग्रामीण विकास १९४७ के बाद— युद्धकाल में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल द्वारा सोचा हुआ ग्राम विकास का कार्य और आगे न बढ़ सका, कांग्रेस सरकार के इस्तीफा दे देने से कोई प्रेरणा तथा उत्साह ही शेष न रहा। १९४७ में जब कांग्रेस का फिर शक्ति मिली तो इस क्षेत्र में फिर से जान आई। पिछले ढाई वर्षों में काफी काम हुआ है, विकास-विभाग में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसे आजकल सम्मिलित-विकास विभाग कहते हैं। इसका एक कार्य है जनता की दशा सुधार में लगे हुए विभिन्न विभागों— खेती-विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारी-विभाग, शिक्षा-विभाग तथा उद्योग-विभाग— के कार्यों तथा योजनाओं की

मिलाकर ले चलना। एक विकास-कौंसिल की भी, जो मंत्रिमंडल की कोऑर्डिनेशन सब-कमेटी है, स्थापना हुई है जो इसकी योजना तथा कार्य-नीति पर निर्णय करती है। प्रधान मंत्री ही इसका चेयरमैन होता है। एक ग्रान्तीय-विकास-बोर्ड भी है जिसमें ३२ मेम्बर हैं। इसके कार्य हैं— (i) विकास-योजनाओं का निरीक्षण तथा उन्हें अच्छी से अच्छी तरह चलाने का उपाय सुझाना, (ii) नई योजनाएँ तैयार करना, (iii) विभिन्न विकास-योजनाओं का एकीकरण करने के उपाय बतलाना, तथा (iv) विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विषय में जानकारी रखना। प्रधान मंत्री के समागतित्व में इस बोर्ड की साल में तीन मीटिंगें होती हैं।

इस विभाग तथा विकास-कमिश्न की ग्राम-सम्बन्धी योजनाओं को चलाने वाली व्यवस्था में भी आमूल-परिवर्तन हुए हैं। जिले कई भागों में बाँट दिये गये हैं और प्रत्येक भाग का एक निराक्षर रक्खा गया है। मौजूदा निराक्षरों तथा अन्य कार्य-कर्ताओं के लिए टा मशिन के रिफ्रेशर क्लास की व्यवस्था की गई है, तथा क्षेत्रों के 'डेवलपमेंट यूनिट्स' द्वारा चुने हुए सेक्रेटारियों के लिए तीन महीने के रिफ्रेशर कोर्स की। इस व्यवस्था के पाछे कल्पना यह है कि ग्राम नेता ग्रामवासियों में से ही पैदा हों। प्रयोग की दृष्टि से छः जिलों का विकास-कार्य उन विकास-अफसरों की देख-रेख में रक्खा गया जिन्हें खेती, सड़क़ारी तथा पशु-धन विभाग के कार्यों की विशेष ट्रेनिङ दी गई थी। चुने हुए क्षेत्रों में अधिक से अधिक काम करने के लिए विशेषज्ञों का एक समिति नियुक्त की गई है। इसमें अमेरिकन प्रणाली पर ट्रेनिंग पाया हुआ एक ग्राम्य ज्ञान-विशेषज्ञ भी सम्मिलित है जिसका काम है गाँव-नियामितों के बीच कार्य करने का उचित ढंग निकालना। ग्रामवासियों की आवश्यकताएँ जानने, उन्हें विकास की योजनाएँ समझाने तथा उनका उपयुक्त सहयोग प्राप्त करने के लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष विकास-संगठनकर्ता भी नियुक्त किये गये। उनमें से प्रत्येक के जिम्मे आठ गाँवों का एक समूह है। प्रत्येक जिले का एक विकास-सर है जो प्रादेशिक अधिकारियों की देख-रेख तथा सुझाव के अनुसार अपना कार्य करता है।

विकास-विभाग के अन्तर्गत किया जाने वाला कार्य विभिन्न प्रकार का है। बीज-गोदामों का निर्माण, अच्छे बीज बाँटना, तरकारियों तथा फल वाले पेड़ों के बीज तथा फल बाँटना, खाद तथा खेती बढ़ाने वाली अन्य चीजें बाँटना, गन्ने तथा गुड़ का विकास करना, चाबों का मड़ा कर खाद बनाने के लिये गड़्डे बनाना, गावों तथा बैलों की नस्लों में सुधार करना, पहाड़ी, ऊसर तथा अन्य प्रकार की भूमि की व्यवस्था करना : ग्राम विकास की योजना में ये तथा अन्य कई चीजें सम्मिलित हैं। प्रत्यक्ष है कि इस क्षेत्र में जितनी ही उन्नति होगी उसी के अनुसार ग्रामवासियों की शरीरी तथा दैनिक दृष्टा में भी सुधार होगा।

अध्याय ४

भारत का धार्मिक जीवन

हमारे जीवन में धर्म का स्थान— हमारे देश में धर्म का अत्यधिक महत्व है, किसी भी देश में धर्म का जीवन पर इतना अधिक प्रभाव नहीं है जितना भारत में। जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, धर्म मनुष्य के पूरे जीवन को अनुप्राणित करता है, यहाँ तक कि इसी के अनुसार उसका खान-पान, शादी-विवाह, रहन-सहन, सभी निर्धारित होता है। अपने पब्लिसिया, राज्य तथा मानवता तक स यही सम्बन्ध निश्चित करता है। इन सबका कारण यही है कि जाति-प्रथा, विवाह तथा अन्य सामाजिक रीति-रिवाजों के साथ धार्मिक भावना लिपटी हुई है। यह सिद्धान्त हिन्दू तथा मुसलमानों, दोनों पर लागू होता है। हिन्दुओं का सामाजिक व्यवहार शास्त्रों पर आधारित है, मुसलमानों का कुरान तथा हदीस पर। यह ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे देश में सामाजिक सुधार की धारा सदैव धार्मिक सुधार से मिलकर चली है, हमारे सबसे बड़े समाज सुधारक धार्मिक सुधारक भा रहे हैं। पिछली शताब्दी के धार्मिक सुधार आन्दोलनों ने ही आज दृष्टिगत होने वाली राजनैतिक चेतना की पृष्ठ-भूमि तैयार की है। यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि शक्ति तथा जोश प्राप्त करने के लिए किसी आन्दोलन का आधार धार्मिक ही होना चाहिए। 'भारतीय हृदय धर्म से इस प्रकार मिला हुआ है कि धार्मिक शब्द से ही यह पूरी तरह घबकने लगता है और वहाँ से श्रद्धापूर्ण लहरें प्रवाहित होने लगती हैं।' * इसलिए इस देश में पाये जाने वाले धर्मों की कुछ विस्तृत परीक्षा तथा पिछली शताब्दी में हुए धार्मिक सुधार के आन्दोलनों का अध्ययन करना आवश्यक है।

हिन्दुत्व

इसकी महत्ता— हिन्दू धर्म समस्त के प्रमुख धर्मों में से है। मनुष्य जाति का लगभग १/३ भाग इसका अनुयायी है जिसमें से अधिकांश लोग भारत में पाये जाते हैं। हिन्दू धर्म का प्रभाव उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो हिन्दू कहलाते हैं, वह और आगे भी जाता है। भारतवासियों के आत्मिक तथा चारित्रिक विकास में इसका प्रमुख हाथ रहा है।

इसकी परिभाषा— हिन्दू धर्म की ठीक परिभाषा देना बड़ा कठिन है। इसका कारण यह है कि यह कोई विशिष्ट धार्मिक विश्वास न होकर जीवन का एक ढंग है, परिणाम नहीं, बल्कि एक प्रणाली है। इस्लाम या ईसाई धर्म की भाँति यह एक सीमित धर्म नहीं है और अन्य धर्मों की भाँति इसकी उत्पत्ति किसी एक स्थापक

द्वारा नहीं हुई है। इसलिए सिद्धान्तों का कोई ऐसा समूह नहीं है जिसे मानना प्रत्येक हिन्दू के लिए आवश्यक हो। ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास भी आवश्यक नहीं है; हिन्दू धर्म में अनेक नास्तिक हुए हैं। हालाँकि वेद हिन्दुओं के धार्मिक ग्रन्थ हैं, फिर भी उनकी पवित्रता तथा पूर्णता पर विश्वास करना किसी हिन्दू के लिए अनिवार्य नहीं है। अग्ने को हिन्दू कहने वाले सभी लोग का शायद ही कोई समान धार्मिक विश्वास हो। दूसरे धर्म से हिन्दू धर्म का भिन्न करने वाला कोई निश्चित धार्मिक विश्वास नही है। हिन्दू धर्म क तत्त्व का कुछ वाक्या म सामित कर देना असम्भन है।

हिन्दू धर्म आध्यात्मिक अनुभूति के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है; किसी निश्चित रहस्योद्घाटन के रूप में नहीं। वर्तमान समय के सबसे बड़े समीक्षक सर राधाकृष्णन के शब्दों में 'चिन्तन के रूप से उठकर यह जीवन को एक प्रणाली है। यह धार्मिक कृत्या पर नहीं, बल्कि जीवन के प्रति आध्यात्मिक तथा नैतिक दृष्टि पर अधिक ज़ार देता है। यह उन सब लोगों को भाईचारा है जो सत्य के अनुयायी तथा अन्वेषक हैं।' उनके अनुसार हिन्दू धर्म किसी एक निश्चित धर्म में नहीं बल्कि आध्यात्मिक सत्या की खोज में एकता हुई है। यह सर्वाङ्गण तथा सकलनकर्ता है। इसने प्रलपूर्वक बुद्धि का द्वार कभी भी बन्द नहीं किया है, क्योंकि आत्मा के राज्य में यह मेरे-तेरे के भेद में विश्वास नही करता।

यह स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं कि हिन्दू धर्म का जीवन की एक प्रणाली कहने से हमारा क्या तात्पर्य है। हिन्दू धर्म का यह विश्वास है कि मनुष्य की एक मूलभूत प्रकृति है जिसके कारण ससार की अन्य वस्तुओं से उसकी एक अलग सत्ता है। यह एक रूह, सोल या आत्मा है। यह सोल या आत्मा दैविक है, यह परमात्मा से, जो विश्वात्मा है, अलग या भिन्न नहीं है, उसका एक अङ्ग है। हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य दैवी शक्ति का ग्रहण है, उसे पापी बहना ठीक नहीं। लेकिन यह दैवी शक्ति हमारे अन्तर में निवास करती है, यह सदैव दृष्टिगत नहीं होती। जब तक हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है हम इसकी अनुभूति नहीं कर सकते। जिस क्षण मनुष्य के अन्दर से सभी गन्दगी निकल जाती है उसकी दैविकता चमकने लगती है। हमारे जीवन का उद्देश्य इस दैविकता का टपने वाली सभी अशुद्धताओं से छुटकारा पाना तथा सर्वोच्च सत्ता या परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव करना है। एक धर्म के रूप में हिन्दू धर्म इस तथ्य पर ज़ार देता है कि अहं ब्रह्मास्मि (मैं ही ब्रह्म हूँ) या तनु त्व असि (तू ही यह है) ही सबसे ऊँचा आध्यात्मिक सत्य है। इस सत्य की प्राप्ति दार्शनिक तर्कों या केवल दिमागी कसरत से नहीं हो सकती, उस सर्वोच्च सत्ता की अनुभूति में ही इस सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। हिन्दू धर्म के

अनुसार धर्म एक अनुभूति है और स्वामी विवेकानन्द की परिभाषा के अनुसार यह उस दैविकता की अनुभूति है जो मनुष्य में पहले से ही मौजूद है। आध्यात्मिक सत्यों की अनुभूति उसी सीमा तक हो सकती है, जहाँ तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं; वे आत्मा की चीज हैं दिमागी कपड़ों की नहीं। आध्यात्मिक सत्यों पर अधिक जोर देना ही यह बताता है कि हिन्दू धर्म इस्लाम या ईसाई धर्म की तरह एक विशिष्ट धर्म क्यों नहीं है।

आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति के लिए किसी व्यक्ति को अपने मन को साधना पड़ेगा। जो व्यक्ति इन्द्रियों के सुप्तों में लीन है वह सच्चा धार्मिक नहीं हो सकता। जब तक हम भोग, लालच, क्रोध, घृणा, घमण्ड तथा स्वार्थ में पड़े रहेंगे तब तक हम किसी भी आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति नहीं कर सकते। इसी कारण सत्य की खोज करनेवालों के लिए हिन्दू धर्म मॉस, मंदिर तथा मादक द्रव्यों को वर्जित करता है। उपनिषदों ने कहा है : 'आत्मा की प्राप्ति सत्य, तपस्या, सम्यक् ज्ञान तथा आत्म-सयम से होती है।' आत्म-रूयम तथा भावों की शुद्धता पर विशेष जोर है। भावों के सम्यक् परिष्कार के लिए आहिंसा का पालन भी अत्यावश्यक बताया गया है। इस विषय में रमणीय सी० एफ० एण्ड्रूज ने लिखा था : 'यह हिन्दू-भारत की ही विशेषता है— ससार के किसी अन्य देश की नहीं— कि छोटे जानवरों, विशेषकर चिड़ियाँ तथा गिलहरियाँ, ने मानव जाति के डर को, तथा उस डर से पैदा होने वाली अशेष प्रताड़ना को भुला दिया है। उद्यानों तथा बागों में और यहाँ तक कि खुली सड़कों पर ये छोटे-छोटे जानवर इतने निडर हो गये हैं कि वे किसी बिम्बी के पैरों तथा मिर के पास मनुष्य के दयालु स्वभाव पर पूरा विश्वास करके पर पड़पड़ाने या घूमने लगते हैं। जब मैं यह अध्याय लिख रहा था उसी दिन सवेरे मैं बरामदे में बैठा था और एक गिलहरी आकर मेरे चारों ओर खेलने लगी। वह तनिक भी भय खाये बिना मेरे पैरों पर चढ़कर कूदने लगी। मनुष्य तथा प्रकृति के बीच यह सामञ्जस्य सदियों में आकर सम्भव हुआ है।'*

जीवन की एक प्रणाली के रूप में हिन्दू-धर्म की एक और विशेषता की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इसके अनुसार सत्य के एक तथा अविभाजित होने पर भी अनेक रूप हैं और विभिन्न दृष्टिकोणों से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए सत्य के ऊपर एकाधिकार का इसने कभी भी दावा नहीं किया है और सदैव माना है कि दुनिया के विभिन्न धर्मों में सत्य का कोई-न कोई अंश निहित अवश्य है। ऐसी भावना के कारण ही हिन्दू धर्म मदैः सहिष्णु रहा है। धार्मिक अत्याचारों ने हिन्दू-इतिहास को कभी भी गन्दा नहीं किया है।

हालाँकि हिन्दू-धर्म के कई भा ऐमे सिद्धान्त नहीं है निरन्तर मानना प्रत्येक हिन्दू के लिए आवश्यक है, फिर भी कुछ विश्वास हिन्दू धर्म का विशेषता है और इसलिए वे इस धर्म के मूलतत्त्व माने जा सकते हैं। सर्वोच्च आत्मा या परमात्मा पर विश्वास करने तथा मानव-आत्मा का उसका ही एक रूप मानने न अतिरिक्त हिन्दू वेदों का दैविकता तथा पूर्णता और उपनिषदों की पवित्रता पर विश्वास करते हैं। वे अवतारवाद तथा पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। कर्मवाद में भी उनका पूरा विश्वास है जिमने अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का अच्छा या बुरा फल भागना पड़ता है। हिन्दू-धर्म में अनुसार आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, यह एक शरीर से दूसरा शरीर उसा प्रकार धारण कर लेता है जिम प्रकार गन्दा हाने पर हम एक कपड़ा उतार कर दूसरा पहन लेते हैं। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा जन्म-मरण के बन्धन से छूट कर परमात्मा के साथ मिल नहीं जाती या मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेता। हिन्दू-धर्म का यह भी विश्वास है कि इन्द्रियों द्वारा दृष्टिगत तथा अनुभूत ज्ञान वास्तविक नहीं है आध्यात्मिक जगत के सामने इसकी वास्तविकता धारणामात्र है और गाय के प्रति पूज्य भाव प्रत्येक प्राणा का धर्म है। वर्षाश्रम-व्रत-या या जाति-प्रथा, मनुष्य के जीवन का चार भागों में विभाजन, वैवाहिक सम्बन्ध का पवित्र रूप तथा सम्मिलित परिवार की प्रथा भी इसको अन्य धर्मों से अलग करती है। मूलमित्राह अनिवार्य वैधव्य तथा छूआछूत की भावना इसके मूलतत्त्वों में नही है, ये तो ऐसी बुराइयाँ हैं जा हिन्दू धर्म के पतन के समय उसमें स्थान पा गईं।

साधारणतया लोग हिन्दू-धर्म तथा गाय के प्रति श्रद्धा में बड़ा गहरा सम्बन्ध मानते हैं। इसलिए इस विषय पर कुछ शब्द कह देना आवश्यक है। इस विषय पर महात्मा गाँधी के शब्द उद्धृत करना बहुत उपयुक्त होगा। वह लिखते हैं : 'मेरी दृष्टि में गाय की रक्षा मानव के विनाश के सबसे आश्चर्यजनक सिद्धान्तों में से एक है, क्योंकि यह मानव का अपने वर्ग के उस पार ले जाती है। मेरे लिए गाय का अर्थ है समस्त पाशविक समार। गाय के ही द्वारा मनुष्य समस्त प्राणियों से अपनी एकता का अनुभव कर सकता है। गाय को कौनो धार्मिक महत्त्व मित्रा है, इसका कारण स्पष्ट है। भारत में गाय सबसे अच्छी साथी थी, वह समृद्धि की जननी था। वह कमल दूध ही नहीं देती था, वृषि कर्म भी उसी पर अवलम्बित था। गाय का करुणा की एक उद्गार है। इस सौम्य प्राणी में करुणा दीप्त पड़ता है। यह लागा भारतीयों के लिए माँ के सदृश है। गाय की रक्षा का अर्थ है ईश्वर की सारी मूक सृष्टि की रक्षा . . . गाय की रक्षा हिन्दुत्व का विश्व को एक देन है; और जब तक गाय की रक्षा करने वाले हिन्दू रहेंगे, हिन्दू-धर्म रहेगा।'

हिन्दू धर्म के विषय में एक उन्नत धारणा का भी निराकरण आवश्यक है। लोगों को साधारणतया यह विश्वास है कि यह एक से अधिक देवताओं में विश्वास

करता है। लेकिन यह भावना सर्वोश सदा नहीं है। यह सत्य है कि हिन्दू-धर्म में अनेक देवी-देवता हैं और प्रत्येक हिन्दू अपनी इच्छा के अनुकूल देवता की पूजा करने के लिए स्वतन्त्र है। हिन्दू धर्म के सर्वप्रचलित देवता निम्नलिखित हैं :— रक्षा करने वाले विष्णु, विनाश के अधिष्ठाता शिव, सृष्टि-कर्त्ता ब्रह्मा, निद्या की देवी सरस्वती, सम्पत्ति की देवी लक्ष्मी, शक्ति की देवी काली, बुद्धि के देवता गणेश, वर्षा के देवता इन्द्र, जल-देवता वरुण और प्रकाश के देवता सूर्य। पूजा के लिए प्रत्येक हिन्दू स्त्री-पुरुष इनमें से किसी को चुन लेता है। ईश्वर के उस अवतारों में से राम और कृष्ण के प्रति लोगों की सबसे अधिक श्रद्धा है। लेकिन विभिन्न देवी-देवताओं का कोई अलग अस्तित्व नहीं है; वे एक ही सर्वोच्च शक्ति के विभिन्न रूप हैं। उपनिषदों ने कहा है, 'ईश्वर केवल एक है जिसे लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं।' अज्ञान के कारण ही हिन्दू-धर्म के बहु विश्वासी होने की भावना उठती है। मूर्ति-पूजा के विषय में भी वैसा ही गलत धारणा है। यह कहा जाता है कि हिन्दू लोग मूर्ति की ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं। यह धारणा गलत है। कोई हिन्दू मूर्ति को ईश्वर नहीं मानता, वह तो उसे पूजा में सहायक के रूप में ही मानता है। ध्यान की एकाग्रता के लिए अविकसित बुद्धि को किसी प्रत्यक्ष प्रतीक की आवश्यकता पड़ती है; मूर्तियाँ ध्यान में ऐसी ही सहायक हैं। इन प्रकार मूर्तिपूजा मानव की कमजोरी के लिए एक चहाजा ही है। इसमें कोई पाप नहीं है। हिन्दू-धर्म का सौन्दर्य तो इस बात में है कि प्रत्येक व्यक्ति के आध्यात्मिक स्तर के लिए इसमें कोई न कोई चीज है। यह एक सरिता के सदृश है जिसने छिड़ले जल में एकबालक भी स्नान कर सकता है और जिसकी ग्रथाह गहराई में तैरना बड़े बड़े तैराकों के लिए भी दुरूह है।

भारत के दो अन्य बड़े धर्मों — जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म — के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म तो अपने जन्म देने वाले देश में समाप्त-प्राय है; उसके अनुयायी लका, बर्मा, चीन और जापान में पाये जाते हैं। अपने देश में जैनों की पर्याप्त संख्या है लेकिन वे भी हिन्दू ही हैं। वे हिन्दुओं के एक भाग माने जा सकते हैं। भारत के एक अन्य बड़े धर्म — इस्लाम — का विवेचन करने से पहले हिन्दू धर्म में सुधार के लिए पिछली शताब्दी में हुए आन्दोलनों का कुछ विस्तृत विवेचन आवश्यक है।

धार्मिक सुधार-आन्दोलन— ब्रह्म समाज, आर्य-समाज, थियोसॉफिकल सोसायटी तथा रामकृष्ण सेवा आश्रम, हिन्दू धर्म के प्रमुख सुधार आन्दोलन हैं। ये सुधार-आन्दोलन हिन्दुओं की आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक जागृति के प्रतीक हैं और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना में बड़ा योग दिया है। इन सुधार-आन्दोलनों की वास्तविक महत्ता समझने के लिए यह ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि १८२८ में ब्रह्म-

समाज की स्थापना से पहिले भारत के राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक जीवन का पतन हो गया था। यह समय भारतीय इतिहास का ग्रन्थकार-युग कहा जा सकता है जब हिन्दू धर्म की वह सजीवता लगभग समाप्त हो गई थी जिसने अतीत में एक शानदार तथा वैभवपूर्ण सभ्यता को जन्म दिया था। भारतवासी उपनिषदा तथा वेदान्त के पुनीत सत्या को भूल गये थे, उनकी आध्यात्मिक भावनाओं का शुद्ध धार्मिक क्रिया-कलापों ने स्थान ले लिया था। एक ईश्वर की उपासना छोड़कर हिन्दू अनेक देवी देवताओं की पूजा में लग गये थे और निराधार ब्रह्म के चिन्तन का स्थान निम्न कोटि की मूर्ति-पूजा ने ले लिया था। सती प्रथा, अग्निवार्य वैधव्य, छूआछूत, बाल-हत्या, सकीर्ण जाति प्रथा जैसा अनेक बुराईयों समाज के शरीर को खोजला बना रही थीं। राजनैतिक दृष्टि से भारत चालबाज ब्रिटिश कूटनीतिज्ञता के नीचे दबा पड़ा था। सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत पश्चिमी विजेताओं की बाहर से ऊँची दिखाई पड़ने वाली सभ्यता के सामने मुक जना खड़ा था। राजनैतिक शक्ति के हास के कारण भारत वासियों का भातरी सगठन तो गायब ही हो रहा था, पश्चिमी शिक्षा ने इसे और भी गड्ढे में डूबल दिया। पडे लिखे भारतीय पश्चिम के भौतिकवाद से प्रभावित होने लगे, भारत का सांस्कृतिक परम्परा का स्थान उनके हृदय से हटने लगा। ईसाई पादरी हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों तथा कर्म कांडों का खूब बुराई करके अपने धर्म की महत्ता प्रदर्शित करते जिससे भारत की मोला भाली जनता और भी बहकावे में आती चली जा रहा थी। देश में अंग्रेजों के ही सर्वेसर्वा होने से उन्हें अपने कार्य में और भी सहायता मिलती। हिन्दू-धर्म के दुर्गम बडे ही जोर का धक्का लगा और ऐसा प्रतीत होता था कि वह गिरने ही वाला है। हिन्दुओं का सांस्कृतिक जीवन लुप्तप्राय हो चुका था। लेकिन इस समय एक विचित्र घटना हुई। जगल में राजा राममोहन राय, काठियावाड़ में स्थानीय दशानन्द सरस्वती, मद्रास में मिसेन एनी बेसेंट और जगल में श्री रामकृष्ण परमहंस जैसी विभूतियों ने आगे कदम उठाकर डगमगाती दशा में हिन्दू-धर्म की नाव थाम ली। भारत के पैर फिर जम गये, उसकी प्रसुप्त सजीवता फिर जागृत हो गई। धारे धीरे किन्तु अविराम गति से वह आगे बढ़ने लगा और बहुत दिनों तक अपने ऊपर जादू करने वाले पश्चिमी जगत को वह फिर वही सदेश देने लायक हो गया है जिसकी उसे अत्यधिक आवश्यकता है। महात्मा गांधी की शिक्षाओं में भारतीय बुद्धि-वैभवं ने मूलतत्त्व भरे पडे हैं। पश्चिम के समझदार व्यक्ति प्रकाश तथा पथ प्रदर्शन के लिए गांधी जी तथा उनके सदेश का आर देखने लगे।

ब्रह्म समाज—मुधार-आन्दोलनों में सबसे पहला ब्रह्मसमाज था जिसकी स्थापना १८२८ में राजा राममोहन राय (१७७५-१८३३) ने की थी। राजा राममोहन राय आधुनिक भारत के सामाजिक तथा धार्मिक मुधारकों और देशभक्तों में न केवल प्रथम बलिष्ठ उच्च कोटि के मुधारक थे—उनका जन्म एक पुराने तथा कट्टर ब्राह्मण परिवार में

हुआ था। उनकी शिक्षा पढ़ने में हुई जो उस समय मुसलमानी शिक्षा और सस्कृति का एक केन्द्र था। उनके तिब्बत जाने के अवसर में भी सूचना मिचनी है। भारत में कुछ समय तक उधर-उधर घूमने के बाद वे सस्कृत तथा हिन्दू शास्त्रों के अध्ययन के लिए बनारस में गये। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी करते समय वे ईसाई पादरियों के सम्पर्क में आये। बहुत हिन्दू परम्पराओं में प्रारम्भिक जीवन बिताने, हिन्दू शास्त्रों मुसलमानी तथा ईसाई धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से उनका दृष्टिकोण विस्तृत और आधुनिक हो गया। उन्होंने यह महसूस किया कि ईसाई पादरियों तथा अन्य बुद्धिवादी नास्तिकों की आलोचना का सामना करने के लिए हिन्दू-धर्म में कुछ सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार उन्हें अपने जीवन के ध्येय का बोध हुआ। उनका ध्येय अपने देशवासियों को प्राचीन हिन्दू धर्म की पवित्रता का और लौटाने का अतिरिक्त और कुछ न था। इस उद्देश की पूर्ति के लिए वे कलकत्ता में बस गये और अपने चारों ओर उन्होंने कुछ उदार विचारों के व्यक्तियों को भी एकत्रित कर लिया जो हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन के लिए प्रति सप्ताह मिला करते। उन्होंने अपनी टिपण्णी के साथ बंगला में कुछ उपनिषदों तथा वेदान्त सूत्रों का प्रकाशन भी किया। हिन्दू धर्म के मूल सत्तों तथा उसकी कभी भी समाप्त न हो सकने वाली मास्कृतिक निधि के प्रति उनके हृदय में बड़ा आदर तथा श्रद्धा थी लेकिन मूर्तिपूजा तथा भदे राति-रिवाजों, जैसे बाल-विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह तथा छुआछूत के वे कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि उस समय जंगल में मान्य हिन्दू धर्म पवित्र न रह कर अनेक अन्ध-विश्वासों का घर बन गया था, और उन अन्धविश्वासों को इनकाल जादू करना अत्यावश्यक था। उन्होंने अपने देशवासियों को उपनिषदों में निहित सत्या से परिचित होने का आदेश दिया। वे सत्य या तो लोग भूल गये थे या केवल कुछ ही व्यक्तियों को ज्ञात थे।

१८२८ में उन्होंने तथा उनके कुछ साथियों ने ब्रह्म समाज के रूप में एक ऐसे सगठन की नींव डाली जो आगे चलकर बहुत प्रभावशाली हुआ। इस सगठन के अनुसार ईश्वर रूपवान्, अनन्त, अनादि तथा शाश्वत सत्ता है और यही सत्ता सृष्टि का निर्माता तथा विनाश करती है। इसकी पूजा तथा उपासना के लिए 'समाज' का पल्ला मन्दिर १८३० में खोला गया। यह ध्यान में रखने की बात है कि इस अनन्त तथा सर्वोच्च सत्ता की किसी नाम या पहचान द्वारा उपासना नहीं जाती थी। मन्दिर में न कोई भूति करती जाती और न कोई बलिदान ही चढ़ाया जाता। मन्दिर के भित्ति किसी भी धर्म में मानी गई पवित्र कोई भी चीज न घुसा की दृष्टि से देखी जाती और न उसका बुराई ही की जाती। जाति पॉति वर्ण, धर्म इत्यादि किसी भी चीज का भेद-भाव न करने हुए मन्दिर सत्रके लिए समान रूप से खुला रहता। इससे यह प्रदर्शित होता है कि राजा राममोहन राय अपने 'समाज' को सहिष्णु बनाना चाहते थे जिससे पवित्रता, कष्टा, उदारता आदि गुणों और सभी धर्मावलम्बियों के साथ मेल जोल की

भावना का विकास हो। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि अपने धार्मिक उपदेशों में वे उगनिपटों के दर्शन तथा इस्लाम की ईश्वर की एकात्मवादिता का बहुत दृढ़ तक समन्वय कर सके।

राजा राममोहन राय केवल एक धार्मिक सुधारक ही नहीं थे, बल्कि सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के लिए भा उन्होंने उबड़ा कठिन परिश्रम किया। उनका ब्रह्म समाज स्त्रियों को सभी प्रकार की सामाजिक असमानता से ऊपर उठाने का प्रयत्न करता था तथा बाल विवाह, इच्छा विरुद्ध वैध-य तथा ह्युआछुत के विरुद्ध था। बाद में उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध भी लड़ाई छेड़ दी। हिन्दू-धर्म के सभी विभागों में ब्रह्मसमाज ही जाति का सबसे कम विचार रखने हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजा साहब पश्चिमी शिक्षा का पक्ष लेते थे। वे अपने देशवासियों को पश्चिमी विज्ञान का शिक्षा देना चाहते थे क्योंकि उनका विचार था कि यूरोपवासियों की उन्नत दशा का कारण उनकी विज्ञान में उन्नत ही है। वे उन व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने १८१६ में हिन्दू कॉलेज की स्थापना कराई। उन्होंने अंग्रेज पादरी अलेग्जेन्डर डफ को १८३० में अपना अंग्रेजी स्कूल प्रारम्भ करने में भी सहायता पहुँचाई। भारतवासियों के लिए स्वतन्त्रता तथा समानता की माँग करने में व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से उन्होंने अपने को एक देशभक्त राजनीतिज्ञ भी प्रदर्शित किया। राजा राममोहन राय की महानता इस बात में नहीं है कि अपने जीवन-काल में उन्हें कितनी सफलता मिली बल्कि इस बात में है कि सामाजिक, धार्मिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक सुधारों का पारस्परिक सम्बन्ध समझने वाले वे पहले भारतीय थे।

स्थापना करने वाले राजा राममोहन राय जैसे महान् व्यक्तित्व के होते हुए भी ब्रह्म-समाज कई अधिक उन्नत न कर सका। बंगाल के पठे-लिखे लोगों पर यह कोई बहुत गहरा प्रभाव न डाल सका। दिल्ली के बादशाह का संदेश लेकर वह इंग्लैंड गये और वहाँ १८३३ में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लोगों ने ब्रह्म समाज की ओर अधिक ध्यान न दिया। १८४२ में खीन्द्रनाथ टाकुर के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ टाकुर ने अपने साधु-जावन तथा महान् सगठन-शक्ति द्वारा इसमें फिर स सजायता ला दी। तब तक, जब तक वे इस संस्था के अगुआ रहे, 'समाज' का चरचर उन्नति होती रही, बंगाल के अनेक भागों तथा जाहर भा इसकी अनेक शाखाओं की स्थापना हुई। उन्होंने इसमें कुछ कर्म-कारण्ड का भी समावेश किया। वे ईनामसह से भा इतने प्रभावित नहीं थे जिन्होंने राजा राममोहन राय।

१८५२ में एक दूसरे महान् व्यक्ति, केशवचन्द्र सेन, भा ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गये और शीघ्र ही वे इससे अन्यतम व्यक्तियों में हो गये। देवेन्द्रनाथ टाकुर ने उन्हें अपने सहायक के रूप में रख लिया और चौबीस वर्ष की अवस्था में ही वे 'आचार्य' पदवी से विभूषित होकर समाज के धर्माचार्य बन गये। उन्होंने एक प्रकार का युवक-

आन्दोलन प्रारम्भ करके ब्रह्म समाज में एक नई शक्ति तथा सजीवता ला दी। अनेक नवजवान तथा कॉलिजों के विद्यार्थी इस आन्दोलन की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने प्रसिद्ध पत्र 'दि इण्डियन मिरर' की स्थापना की जो 'हिन्दू पैट्रियट' व साथ देश में सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों का उच्च शक्तिशाली समर्थक बन गया। लेकिन वे देवेन्द्रनाथ की पढी, परम्परा तथा स्तर से अलग आदमी थे और उन पर ईसाई प्रभावों की अधिक छाप थी। वे संस्कृत नहीं जानते थे और एक अंग्रेजी स्कूल में उनकी शिक्षा भी हुई थी। इसलिए वे अपने पहिले के लोगों की अपेक्षा हिन्दू धर्म से कम प्रभावित हुए। 'वे ईसामसीह के संदेश से बहुत प्रभावित थे और ब्रह्म समाज तथा हिन्दुस्तान के प्रभावशाली लोगों के एक समूह में उनके संदेश का फैलाना उनके जीवन का एक ध्येय बन गया था।'* इस कारण तथा अन्य कई बातों में मतभेद होने से इनमें तथा देवेन्द्रनाथ में कुछ मनमुटाव हो गया जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने समाज से अलग होकर 'भारतीय ब्रह्म समाज' नामक एक संस्था की नींव डाली जो 'आदि ब्रह्मसमाज' कहलाने वाली मूल संस्था से अलग थी। आपस में मन मुटाव पैदा करने वाली केशव ने केवल यही चीज नहीं की। आपसी विरोध की इससे भी बड़ी चीज तो १८७८ में उत्पन्न हुई जब उन्होंने अपनी लड़की का विवाह कच्छु बिहार के राजकुमार से करने की अनुमति दे दी। ब्रह्मसमाजी विवाह के कानून की दृष्टि में लड़का और लड़की दोनों की उम्र कम थी। उनके समाज से कई प्रभावशाली व्यक्ति अलग हो गये और उन्होंने 'साधारण ब्रह्मसमाज' की नींव डाली। केशव ने अपने अनुयायियों को एक नये रूप में संगठित किया और उस संगठन का नाम 'नव विधान' रखा। १८८४ में उनकी मृत्यु हो गई।

१८७८ से ब्रह्मसमाज की तीन शाखाएँ हो गईं। 'आदि ब्रह्मसमाज', जिससे टगोर परिवार सम्बन्धित है, सबसे छोटा संगठन है और इस पर ईसाइयत का भी सबसे कम प्रभाव है। 'नव विधान' ईसाइयत से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। 'साधारण समाज' ही सबसे अधिक प्रभावशाली तथा नियामक शाखा है।

हालाँकि केशवचन्द्र सेन की अध्यक्षता में जगल के बाहर भी ब्रह्मसमाज की कुछ शाखाएँ प्रारम्भ की गईं— १८६६ में उत्तर प्रदेश (सयुक्त प्रान्त) में दो तथा मद्रास तथा पंजाब में एक-एक थीं— फिर भी, यह आन्दोलन कभी भी अखिल भारतीय रूप आस्था न कर सका, राज्ज भी यह देखना चाहता था कि यह आन्दोलन ही, और नहीं भी इसकी सदस्यता कुछ बड़ी नहीं है, पढ़े लिखे परिवारों तक ही सीमित है। आर्य समाज की तरह यह कभी भी व्यापक तथा प्रभावशाली नहीं रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रारम्भ से ही इस पर ईसाइयत की कुछ अधिक छाप रही है। राजा राममोहन राय प्रोटेस्टेंट धर्म से बराबर मिसालें लेते थे, और, जैसा कि पहले

* रोम्या रोलों : प्राफेट ऑफ न्यू इण्डिया, पृष्ठ ७६।

कहा जा चुका है, केशवचन्द्र अपने समाज में ईसामसीह को सामने लाना चाहते थे। इसने सामाजिक रीति रिवाज पर भी पश्चात्य तरीकों का काफी प्रभाव है। ईसाई धर्म की भावनाओं पर अधिक जोर देने के कारण यह हिन्दू परम्परा क अनुकूल न रहा। इसने अतिरिक्त इस आन्दोलन में भावना के वैभव की कमी था जिसके रहने से पगाली हृदय में सहानुभूति की उत्पत्ति हो सकती थी। इसने सिद्धान्त बौद्धिक रूप से दृष्टे ऊँचे थे कि साधारण जनता की वहाँ तक पहुँच न हो सकती थी। फिर भी, इसने हिन्दू धर्म की बड़ी सेवा की। इसने उन हजारों नवजवानों को बचा लिया जो ईसाइयत तथा नास्तिकता के प्रभाव में आ चुके थे। इसने उन लोगों के लिए भी एक स्थान खोज निकाला जो अपने तथा अन्य हिन्दू भाइयों के बीच एक ब्रह्मण्य का अनुभव करते थे। इससे भी महत्वपूर्ण कार्य इसने यह किया कि यह उन तमाम धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक आन्दोलनों का प्रारम्भ बिन्दु बना जिन्होंने पिछले सौ या उससे भी अधिक वर्षों से सारे भारत को प्रभावित किया है। इसने शिक्षा सम्बन्धी उन्नति तथा सामाजिक सुधार-आन्दोलनों को बढ़ा योग दिया है, विशेषतः पगाल में। वहाँ इसने अन्धविश्वास-पूर्ण कट्टरता के किले को बुरी तरह हिलाया। इसकी सबसे बड़ी सफलता यह भी रही कि पठे लिखे मध्यमवर्ग के परिवारों की स्त्रियों को इसने समाज में बड़ा ऊँचा दर्जा दिला दिया। स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए इसने बड़ा काम किया है।

इस भाग को समाप्त कर देने के पहिले, यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इससे सम्बन्ध बम्बई में प्रचलित प्रार्थना-समाज का भी कुछ उल्लेख कर दिया जाय। केशवचन्द्र सेन के बम्बई शहर में आगमन के तीन वर्ष बाद इसकी १८६७ में स्थापना हुई और १८६८ में उनसे पुनरागमन से इसको बड़ा बल मिला। इसने मूल सिद्धान्त अपने मोटे रूप में ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों के ही अनुरूप हैं। इसका एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास है जिसका उपासना से इस ससार तथा इसने बाट के जीवन में सुख तथा शान्ति मिलती है। मूर्तिपूजा को यह दैविक पूजा का वास्तविक रूप नहीं मानता। इस प्रकार यह ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और हिन्दू शास्त्रों से प्रेरणा ग्रहण करता है। सामाजिक सुधार में भी इसने बड़ी दिलचस्पी थी। इसने जाति प्रथा, बाल विवाह दूर, करने तथा विधवा-विवाह और स्त्री शिक्षा की प्रगति के लिए बड़ा प्रयत्न किया था। लेकिन ब्रह्म-समाज की तरह यह मूर्तिपूजा तथा जाति प्रथा का कट्टर विरोधा नहीं रहा। स्वर्गीय महादेव गाविन्द रानाडे, सर आर० जी० भण्डारकर तथा सर नारायण चन्दावरकर इसने सदस्यां में से थे। हालाँकि इसका सदस्यता बढ़ा नहीं थी, फिर भी बम्बई प्रेसिडेन्सी में सामाजिक सुधार-आन्दोलन में इसने बड़ा काम दिया और साथ ही अपने शिक्षा सम्बन्धी तथा अन्य कार्यों से इसने भारतीय राष्ट्रीयता के रूप निर्माण में भी बड़ी सहायता दी।

आर्य समाज— भारतीय जायति मे महत्त्वपूर्ण योग देने वाला दूसरा धार्मिक सुधार-आन्दोलन आर्य समाज है। वर्तमान हिन्दू-धर्म में यह सबसे बड़ा तथा सभसे अधिक प्रभावशाली आन्दोलन है। मनुष्यो म एक सभसे अधिक वीर तथा सौम्य व्यक्ति स्वामी दयानन्द सरस्वती इसके सस्थापक थे। उनमे सिंह का साहस और त्रियाशील विचार शक्ति तथा नेत्रुत्व की प्रतिभा का अद्भुत सम्मिश्रण था। ब्रह्म-समाज के नेताओं से वे कई बातों म भिन्न थे। आर्य-समाज के रूप मे यह भिन्नता है। राजा राममोहन राय तथा केशवचन्द्र दोनों पर ही पश्चिमी विचारों का प्रभाव था— एक पर अधिक और दूसरे पर कम। इस कारण ब्रह्म समाज में ईसाइयत आ गई थी। स्वामी दयानन्द सरस्वती अ प्रे जी नही जानते थे और ईसाइयत का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन वे सस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। पढे-लिखे जवानों का पश्चिमी सस्कृति तथा विचारों से प्रभावित होते देख उन्हें भयान दुःख होता, इस्लाम तथा ईसाई धर्म का भी हिन्दुत्व पर हावी होना उनके लिए बड़ा कष्टदायक था। वे इन सब चीजों को एकदम रोक देना तथा हिन्दू-धर्म में भी सुधार करना चाहते थे। चूँकि स्वामी दयानन्द सरस्वती आर्य समाज के आदि-प्रवर्तक हैं इसलिए उनके कार्यों तथा उपदेशों को ठाक समझने के लिए उनके जीवन का कुछ अदर्शन अनिवार्य है।

मूलशकर का— यही स्वामी दयानन्द का वास्तविक नाम था— जन्म गुजरात के भौर्वी राज्य के एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार मे हुआ था। इसी भाग में आधी शताब्दी बाद भारत के एक दूसरे महान् व्यक्ति महात्मा गोंधी का जन्म हुआ। उनके पिता धार्मिक रूप से तथा यों भी जीवन मे बड़े कट्टर व्यक्ति थे। मूलशकर को उनसे अजेय इच्छाशक्ति विगत मे मिली थी। शिवरात्रि के दिन उपवास, रात्रि-जागरण, चूहे का शिवलिंग पर चढाया पदार्थ खाना तथा उस पर इधर-उधर दौड़ना— इन सबकी गाथा बताने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, यह प्रत्येक हिन्दू-घर मे प्रचलित है। महत्त्व की चीज तो यह है कि इसका मूलशकर के जिज्ञासु तथा कोमल हृदय पर क्या प्रभाव पडा। इसने उनके विचारों की धारा ही बदल दी और उन्हें मूर्ति-पूजा की वास्तविकता पर सन्देह उत्पन्न कर दिया। इसके कुछ वर्ष बाद ही उनकी बहन तथा चाचा की मृत्यु ने उन्हें जीवन की सार्थकता पर विचार करने के लिए बाध्य किया। उनके माता पिता ने सोचा कि विवाह उनके अव्यवस्थित मस्तिष्क तथा दुखित हृदय के लिए औपधि का कार्य करेगा, इसलिए उन्होंने उनका विवाह करना निश्चय किया। लेकिन विवाह से बचने के लिए मूलशकर ने घर छोड़-दिया और पन्द्रह वर्षों तक वे धार्मिक मत्त्व की खोज में अविश्रान्त परिश्रम करते रहे। उन्होंने पहिले एक ब्रह्मचारा का वेप तथा जीवन अपनाया, फिर वे वेदान्त मे दीक्षित हुए, श्रौणियों की खोज मे इधर-उधर घूमते रहे और अन्त में मथुरा में आकर स्वामी विरजानन्द के शिष्य के रूप में उन्होंने श्रष्टाध्यायी, महाभाष्य

तथा वेदान्त मूर्तों का सम्यक् अध्ययन किया। गुरु की शिष्यता में तीन साल तक रहने के पश्चात्, सद्गुरुओं के प्रचार तथा मिथ्या धार्मिक विचारों के विनाश की प्रतिज्ञा करके उन्होंने गुरु से विदा ली। स्वामी दयानन्द ने अपने गुरु द्वारा दिये गये आदेश का पालन श्लाघ्य साहस तथा उत्साह के साथ किया। अपना शेष जीवन उन्होंने देश भर में घूमने, पढ़ितों, मौलवियों तथा ईसाई पादरियों से ग्रहण करने में बिताया। बीच-बीच में वे सार्वजनिक जीवन से हटकर चिन्तन तथा चारित्र्य को दृढतर बनाने के लिए वहीं चले जाते। अपने उपदेशों में उनका इतनी सफलता मिली कि पाँच वर्षों में ही उत्तरी भारत की हवा ब्रल गई। अपने उपदेशात्मक भ्रमण के ही सिलसिले में उनकी कलकत्ता में केशवचन्द्र सेन, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट हुई। स्वामी जी ने इन लोगों का भी मूर्तिपूजा तथा विभिन्न देवताओं में विश्वास के विरुद्ध युद्ध करने में अपना साथी पाया। लेकिन स्वामी जी का ब्रह्म-समाज के नेताओं से कोई सम्झौता नहीं हुआ क्योंकि इन नेताओं पर ईसाई धर्म का अधिक प्रभाव पड़ा था। उनकी राष्ट्रीय तथा भारतीय आस्तिकता केवल वेदा से ही उद्भूत हुई थी, उन लोगों के विश्वासों के साथ इसका मेल नहीं खाता था क्योंकि उन विश्वासों में वेदों की पूर्णता तथा पुनर्जन्म के सिद्धान्त पर भी संदेह करने के लिए स्थान था। लेकिन ब्रह्म समाज के नेताओं से सम्पर्क का एक अच्छा परिणाम हुआ। स्वामी दयानन्द ने सन्तुष्ट छोड़कर जनता के सामने हिन्दा में भाषण देना प्रारम्भ कर दिया। शिवासाफिक्ल सासायटा का मैडम ब्लैवुस्की तथा कर्नल अलकाट से भी उनका सम्पर्क हुआ लेकिन ईश्वर के रूप में विषय में उन लोगों से मतभेद ही गया। १८८३ में अजमेर में उनका मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि किसी ऐसे महाराजा की वेश्या ने, जिसको उन्होंने बुरी तरह डोया था, उन्हें विष दिलवा दिया।

स्वामी दयानन्द केवल सत्य की खोज करने वाले ही नहीं, एक महान् देशभक्त भी थे। वे अपनी मातृभूमि के लिए अनेक मुनहले सने देवने थे। उनका मस्तिष्क में एक ऐसे भारत का कल्पना थी जिसमें अंधविश्वास, इच्छा विरुद्ध वैधव्य तथा मूर्तिपूजा न हो, जिसके निवासी केवल एक ईश्वर की उपासना में विश्वास करते हों, जो सगठित हों, जो स्वतंत्र हों और जो उसके प्राचान वैभव को फिर लौट सकें। उन्होंने यह बताया कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन समाज में प्रचलित मिथ्या विश्वासों का निवारण तथा पढ़े-लिखे जनानों के ऊपर पश्चिम के प्रभाव का अन्त करना था। इस काम के लिए उन्होंने वेदों के प्रचार को अपना माध्यम बनाया। उन्होंने अपने देशवासियों को मानव जाति के इस सर्वप्रथम शास्त्र का अपना पथ-प्रदर्शक बनाने का आदेश दिया और इस प्रकार हिन्दू-धर्म को एक नवानता प्रदान की। उन्होंने यह शिक्षा दी कि वेद ईश्वर की वाणी हैं, इसलिए नृतियों से परे हैं। वे धार्मिक ही नहीं अपितु वैज्ञानिक सत्तों के भी स्रोत हैं। उन्होंने वेदों के अर्थ का एक नया ही ढंग निकाला, उनका

अनुनाद किया तथा उन पर भाष्य लिखा। उन्होंने इस बात की चेष्टा की कि वेदों का अध्ययन करने तथा उनसे लाभ उठाने का मार्ग सभी के लिए खुला रहना चाहिये। उन्होंने अछूतों आदि सभी मनुष्यों के लिए वेदाध्ययन का मार्ग खोल दिया जो ब्राह्मणों की धार्मिक कट्टरता के विरुद्ध विद्रोह था। दूसरे धर्मानुयायियों, विशेषकर मनातनी पंडितों, के साथ अनेक शास्त्रार्थों में स्वामी जी ने यह सिद्ध किया कि मूर्ति पूजा तथा विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा का वेदों में विधान नहीं है, वहाँ तो केवल एक ही निराकार सर्वोच्च सत्ता की उपासना का विधान है। उनका यह भी उपदेश था कि हजारों जातियों तथा उपजातियों के साथ केवल परम्परा पर निश्चित की जाने वाली जाति-प्रथा वेदों की शिक्षा के विपरीत है। वेदों में तो केवल गुण तथा चरित्र के आधार पर समाज के चार वर्गों में विभाजन की व्यवस्था है। स्त्रियों की दयनीय दशा ने भी उनकी दयालु आत्मा को स्पर्श किया। उन्होंने उनकी दशा में सुधार के लिए यश प्रयत्न किया और यह प्रदर्शित किया कि बाल-विवाह, इच्छा-विरुद्ध वैधव्य और स्त्रियों की हेय दशा वैदिक धर्म के विरुद्ध है। वेदों की कल्पना के अनुसार वयस्क स्त्री तथा पुरुष के बीच का वैवाहिक सम्बन्ध एक धार्मिक बन्धन है। वेद स्त्री को जीवन के प्रत्येक क्षण में पुरुष की दैनिक सहायिता मानते हैं। अछूतों के सम्बन्ध में भी स्वामी जी ने कम साहस का परिचय नहीं दिया। उनके स्वत्वों तथा अधिकारों का उनसे नन्दनर कोई समर्थक नहीं हुआ है। उन्होंने आर्य समाज का द्वार उनके लिए खोल दिया और उन्हें हिन्दू समाज का सम्मानित सदस्य बना दिया।

भारत का पुनरुद्धार करने के लिए स्वामी दयानन्द ने १८७५ में बम्बई में आर्य-समाज की स्थापना की। कुछ वर्षों बाद उन्होंने लहौर में भी इससे एक शाखा खोली जो उनके कार्य का मन्द्र बन गई। आज समाज की सारे भारत में शाखाएँ हैं। पञ्जाब में सात सौ से भी अधिक, उत्तर प्रदेश में चार सौ से कुछ कम और राजस्थान में लगभग सौ आर्य समाज हैं। उर्मा, स्याम, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, भारीशस, फीजी द्वीपसमूह तथा अन्य जगहों में भी 'समाज' के केन्द्र हैं। आर्य-समाज ने धर्मोपदेशका का बाहर भेजने तथा गैर हिन्दुओं का भी हिन्दू-धर्म में सम्मिलित कर लेने का प्राचीन प्रणाली का पुनर्जीवित किया है। जिस यह मिथ्या समझता है उन विश्वासों के प्रति अपने कट्टर दृष्टिकोण तथा दूसरों को अपने धर्म में दीक्षित करने वाले अपने कार्यों के कारण आर्य समाज को कभी-कभी 'Church Militant' तथा 'Aggressive Hinduism' भी कहा गया है।

अपने जीवन के सत्तर वर्षों में आर्य-समाज को अनेक सफलताएँ मिली हैं। इसने विशेषतः सिन्ध गंगा के मैदान में जन-ग्रान्दोलन का रूप धारण कर लिया है। जो भी लाग इससे प्रभावित हुए हैं उनमें एक नया जोश तथा जीवन आ गया है। लाग ने अपनी अकर्मण्यता तथा जीवन के मूल्यों

की दुर्बल मान्यताओं का निकाल फेंका है। उनका स्वयं अपने म तथा धर्म म विश्वास दृढ़तर हो गया है। अपने विश्वास की रक्षा के लिए एक आर्य समाजो जीवन भी दे सकता है और अन्य धर्मावलम्बियों की चुनौता स्वीकार करने के लिए सदैव कटिबद्ध रहता है। समाज की स्थापना के पहिले साधारण हिन्दू दूसरा द्वारा की गई अपने धर्म की निन्दा तथा बुराई को चुनचाप सह लेता था, आर्य समाज ने उसको एक नवीन तेज और स्फूर्ति दी है।

आर्य-समाज के कार्यों का विभाजन चार भागों म दो सजता है धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा-सम्बन्धी तथा राजनैतिक।

(अ) धार्मिक कार्य— धर्म के क्षेत्र में आर्य समाज की प्रमुख सफलता हिन्दू-धर्म को एक नया 'स्वरूप' देने में है। यह हिन्दुओं का पुराण आदि को अपने धार्मिक विश्वास की खात पुस्तकें मानने के लिए मना करता तथा केवल वेदा को ही उसको आधार-शिला बनाने का आदेश देता है। इस प्रकार उसने हिन्दू-धर्म को उन तमाम मिथ्या विश्वासों से मुक्त करने के लिए प्रशसनीय प्रयत्न किया है जा उसके पतन काल में उसमें धर कर गये थे। यह अनेक देवी देवताओं में विश्वास, मूर्ति-पूजा, छूआछूत, इच्छा विरुद्ध वैधय, बाल-विवाह, परम्परागत जाति व्यवस्था तथा उन तमाम कुरीतिया तथा विश्वासों की भर्त्सना करता है जो विवृत हिन्दू धर्म म धार्मिक पुस्तकों को अपना आधार बनाकर धर कर गये थे। इस दृष्टि से यह ब्रह्म समाज से मिलता जुलता है। लेकिन ब्रह्म समाज जहाँ पुराणादि ग्रन्थों का विरोध तर्क के आधार पर करता था, वहाँ आर्यसमाज वेदों की शरण लेता है और उन ग्रन्थों का वेद म कोई वर्णन न होने की बात कहता है। सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं तक पहुँचने का यह दृष्टि अधिक भारतीय है और इसी लिए आर्य समाज, ब्रह्म समाज की अपेक्षा जनता म अधिक प्रचलित हुआ। आर्य-समाज के निर्मललिखित दस प्रमुख नियम हैं—

(१) परमात्मा ही सभी शुद्ध ज्ञान तथा इस ज्ञान द्वारा जानी जा सकने वाली सभी चीजों का प्रमुख कारण है।

(२) ईश्वर सच्चिदानन्द है— वह शाश्वत, ज्ञान-मूर्ति तथा आनन्दकारी है। वह निराकार, सर्वशक्तिमान, न्याय-रूप, दयालु, अजन्मा, अनादि अनन्त, अमर, अभय, मन्त्र पराक्रम, सबका स्वामी, सृष्टि का उत्पत्ति का कारण तथा उसका पालन करने वाला है। केवल उसी की उपासना श्रेय है।

(३) वेद ही सत्य ज्ञान के आदि स्रोत हैं। उन्हें पढ़ना-पढ़ाना, सुनना-सुनाना प्रत्येक आर्य का कर्त्तव्य है।

(४) जिता को सत्य का स्वीकृति और असत्य की अस्वीकृति के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए।

(५) प्रत्येक चीज धर्मानुसार अर्थात् सही और गलत का ध्यान रखकर करनी चाहिए।

(६) 'समाज' का प्रमुख ध्येय मानव-जाति की शारीरिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक दशा में सुधार करके ससार की सेवा करना है।

(७) पारस्परिक व्यवहार का आधार प्रेम, न्याय तथा धर्म होना चाहिए।

(८) विद्या के प्रसार तथा प्रविद्या के निवारण के लिये सबको प्रयत्नशील रहना चाहिए।

(९) अपनी ही भलाई से किसी को सतुष्ट नहीं रहना चाहिए बल्कि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई देखनी चाहिए।

(१०) पूरे समाज पर प्रभाव डालने वाली भलाई की रचना में अड़गा नही डालना चाहिए, बल्कि पूर्ण रूप से व्यक्तिगत मामलों में सबको समान रूप से स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए।

इन सब बातों में पुनर्जन्म पर विश्वास, कर्मवाद का सिद्धान्त, निर्वाण अर्थात् मोक्ष की कल्पना भी जोड़ी जा सकती हैं। यह ध्यान में रखना चाहिए कि भक्ता तथा ईश्वर के बीच आर्य-समाज किसी भाष्य की आवश्यकता नहीं मानता। हिन्दू धर्म में ब्राह्मणों तथा ईसाई धर्म में पादरियों की तरह इसमें कोई पुजारी वर्ग नहीं है।

आर्य-समाज ने केवल हिन्दू धर्म का एक उदार तथा विस्तृत अर्थ किया तथा विदेशी सभ्यताओं पर इसकी श्रेष्ठता ही नहीं सिद्ध की है बल्कि इस्लाम तथा ईसाई धर्म में जाने वाले हिन्दुओं के प्रवाह को भी रोक रखा है। इतना ही नहीं, यह और आगे भा गया है, इसने हिन्दू धर्म का दरवाजा अन्य धर्मावलम्बियों के लिए खोल दिया है। १९५० में आर्य-समाज ने १९९३ गैर-हिन्दुओं को अपने धर्म में दीक्षित किया। जैसा कि ऊपर प्रदर्शित किया जा चुका है, आर्य-समाज ने बाहरी देशों का धर्म-दूत भेजने की प्राचीन-प्रणाली को फिर से प्रचालित किया। इसने लाखों श्रद्धुता का यज्ञोपवीत किया और उन्हें हिन्दू समाज का एक अभिन्न अङ्ग बना दिया।

सच्चे में, 'समाज' के धार्मिक क्षेत्र में निम्नलिखित उद्देश्य हैं : हिन्दुओं के धार्मिक विश्वास में परिवर्तन, वैदिक धर्म तथा आर्य सभ्यता के बारे में सच्चे ज्ञान का प्रसार और हिन्दू-समाज को उन बुराइयों से मुक्त करना जो इसकी जड़ें गोलती कर रही हैं।

(ब) सामाजिक कार्य— आर्य-समाज के कार्य-क्रम में सामाजिक सुधार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 'समाज' ने परम्परागत जाति-अवस्था का विरोध किया है। इसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र— इन चार वर्णों का विभाजन गुण तथा कर्म के आधार पर होना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। यह वेदों में

वर्णित वर्गों की व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता है। इस क्षेत्र में अधिक सफलता नहीं मिली है, आर्य-समाज के सदस्यों की एक बड़ी संख्या भी जाति-पाँति के बन्धनों से उतनी ही ग्रही है जितने अन्य हिन्दू। फिर भी, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दू मस्तिष्क से जाति-व्यवस्था की पन्ड डीली पडती जा रही है। इसका कुछ अंशों में श्रेय आर्य समाज को मिलना चाहिए। कुछ आर्य-समाजों 'जाति-पाँति-तोड़क-मण्डल' चला रहे हैं। 'समाज' जाल तथा वेमेल विवाह का भी बुरा बतलाता है। इसने लड़कों के विवाह की उम्र कम से कम नईस तथा लड़कियों की सोलह वर्ष निश्चित की है। विधवा विवाह तथा स्त्रियों की साधारण दशा में उन्नति के लिए भी काफी काम किया है। विवाह-सम्बन्धी रीति-रिवाजों तथा अन्य सामाजिक बुराइयों के निराकरण की भी इसने उपेक्षा नहीं की है।

लेकिन आर्य समाज के सामाजिक सुधार के कार्यों में अछूतों का उद्धार ही प्रमुख है। इन जात की धारणा करके कि किसी व्यक्ति का सामाजिक स्थान उसके कर्म पर निर्भर है, जन्म पर नहीं, इसने अस्पृश्यता का उखाड़ना पहुँचाया। १९०८ में दलित जातियों के उद्धार के लिए एक सक्रिय आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। वर्तमान समय में 'दयानन्द दलित-उद्धार मण्डल' इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। दुखी मानवता की सेवा में भी 'समाज' पीछे नहीं रहा है। ईसाई मिशनरों के सेवा-कार्यों से प्रभावित होकर, आर्य समाज ही प्रथम शुद्ध भारतीय संस्था थी जिन्होंने अनाथालयों तथा विधवाश्रमों की स्थापना की। अकाल-पीडित क्षेत्रों में सेवा-कार्य के लिए गैर-मरकररी रूप से आन्दोलन प्रारम्भ करने वाली यह पहली गैर-ईसाई संस्था भी थी। आज देश भर में आर्य-समाज के सदस्यों द्वारा संगठित तथा चलाई जाने वाली सामाजिक सेवा संस्थाओं का एक जाल सा निझा हुआ है।

(स) शिक्षा सम्बन्धी कार्य— देश में आर्य-समाज प्रमुख शिक्षण संस्था है। किसी भी अन्य संगठन के हाथ में इतनी शिक्षण संस्थाएँ नहीं हैं जितनी इसने। पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में अनेक डी० ए० बी० कॉलेज तथा स्कूल हैं जहाँ विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा दी जाती है। इन शिक्षण-संस्थाओं में लाहौर की एक शिक्षण संस्था सबसे प्रमुख थी। १८८२ में महर्षि स्वामी दयानन्द के स्मारक के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने के कारण यह संस्था नन्द हो गई। इसका स्थान डा० ए० बी० कॉलेज जालन्धर, ने ले लिया है। उत्तर प्रदेश के डा० ए० बी० कॉलेजों में सबसे प्रमुख कानपुर है। इन डी० ए० बी० कॉलेजों के साथ-साथ चलनेवाले अनेक हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूल हैं। दलित वर्गों के लिए विशेष रूप से चलनेवाले दिन स्कूल तथा रात्रि-स्कूल हैं। लड़कियों की शिक्षा की ओर भी समुचित ध्यान दिया गया है। लगभग सभी बड़े नगरों में कन्या पाठशालाएँ हैं जिनमें जालन्धर का कन्या महाविद्यालय प्रमुख है। कागड़ी (हरिद्वार) के प्रसिद्ध गुरुकुल का भी उल्लेख आवश्यक है जहाँ पच्चे सात वर्ष

की अत्यावस्था में भर्ती होते और पच्चीस वर्ष की उम्र तक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इतने वर्षों तक ये लड़के अपने गुरुओं के साथ रहते और सादगी तथा ब्रह्मचर्य-पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अनुशासन उबा कड़ा रहता है। यहाँ हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा देने की एक अलग प्रणाली है, हालाँकि अंग्रेजी तथा अन्य आधुनिक विज्ञानों की भी शिक्षा होती है। गुरुकुल की स्थापना महात्मा सुशीराम ने की थी जो बाद में स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। 'समाज' ने हिन्दी के पक्ष में भी आरदार प्रचार किया है। 'समाज' द्वारा ही प्रोत्साहन दिये जाने पर हिन्दी के जानकारों की संख्या काफी बढ़ गई है।

(द) राजनैतिक कार्य— आर्य-समाज मुख्य रूप से हिन्दू सुधार-आन्दोलन ही है, राजनैतिक संगठन नहीं। लेकिन राष्ट्र की राजनैतिक चेतना में इसका बड़ा हाथ रहा है। यह मातृभूमि के प्रति गौरव भक्ति तथा अपने में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करता है और साथ ही साथ दृढ़ चरित्र तथा स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। इसके सदस्यों में क्रिमी प्रणाली की हीनता की भावना नहीं देखी जाती। इन कारणों से यह यदि विदेशी सरकार की दृष्टि में पर्यक्ता रहा तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। यह भी ध्यान में रखना अत्यावश्यक है कि स्वामी दयानन्द ने ही पहले पहल स्वदेशी मन्त्र की दावा दी और पश्चिमी विचारों तथा आदर्शों के प्रति अंध-विश्वास के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ किया। कांग्रेस के राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम के बहुत से अंगों को प्रस्थापित करने का श्रेय इसी का है। इसने राष्ट्र को स्वर्गीय लाला लाजपत राय तथा स्वामी श्रद्धानन्द जैसे अनेक अगुआ राजनीतिज्ञ भी प्रदान किये हैं।

'दी बहचरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया' नामक पुस्तक के एक लेख में स्वामी निवेदानन्द ने आर्य-समाज की सफलताओं का निम्नलिखित शब्दों में वर्णन किया है : वेदों के प्रति एकगामी दृष्टिकोण के कारण आर्य-समाज में चाहे जो बुराइयाँ आ गई हों, फिर भी, इस आन्दोलन ने लोगों में हिन्दुत्व का एक नया मंत्र फूँक दिया और इसी कारण हिन्दू जाति में यह इतना प्रिय बना। इसके अतिरिक्त, मूर्ति-पूजा का खडन करके इसने आधुनिक बुद्धिवादी लोगों के विचारों का भी स्पर्श किया। मूर्तिपूजा के स्थान पर वैदिक यज्ञादि के स्थान पर आर्य-समाज में कुछ नए नए उपाय आकर्षण उत्पन्न कर दिया। अन्त में, सामाजिक रीति रिवाजों का शीघ्र परिवर्तन तो युग की माँग थी। इन मंत्र चीजों ने मिलकर आर्य-समाज के धर्म परिवर्तन के प्रयत्नों को भी सफलता प्रदान की। सारे उत्तरी भारत, विशेषतः पंजाब, में यह नया विश्वास दावाग्नि के सदृश फैला और कुछ ही वर्षों में इसने कई लाख व्यक्तियों को अपने सिद्धांतों में दीक्षित कर लिया। इस प्रकार आर्य-समाज ने काफी बृहत् क्षेत्र

से विदेशी सभ्यता के विनाशकारी प्रभावों को समाप्त किया और देश के सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण तपल अध्याय जोड़ा।*

थियोसॉफिकल सोसायटी— मेडम ब्लैन्टस्की नामक एक सभ्रान्त रूसी महिला तथा अमेरिकी सेना के हेनरी स्टील ग्रालकाट नामक एक कर्नल ने १८७५ में न्यूयार्क में इसकी स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसायटी का हिन्दू सुधार-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध न था। सृष्टि, मनुष्य तथा उसके अन्तिम लक्ष्य के विषय में कुछ तथ्यों तथा उन पर आधारित जीवन की एक विशिष्ट प्रणाली का प्रचार ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका यहाँ वर्णन इसलिए आवश्यक है कि इसने पढे लिखे हिन्दुओं का अपने साहित्य तथा धर्म में विश्वास पुनर्जीवित किया और ईसाइयत तथा भौतिकता के प्रभाव तथा उनकी धारा को दक्षिण में रोکنे का वही कार्य किया जो आर्य-समाज ने उत्तरी भारत में। इसके सस्थापकों को इस देश में आने के लिए स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आमन्त्रित किया। वे १६ फरवरी १८७६ म बम्बई में उतरे। कर्नल ग्रालकाट ने देश के अनेक भागों में दौरा करके भाषण दिये जिनमें उन्होंने हिन्दुओं का अपनी दस दशकों और ध्यान दिलाया और 'उन्हें गौरवपूर्ण प्राचीन हिन्दू धर्म को उन तमाम बुराईया से अलग करने का आदेश दिया जा इसकी सजीवता को नष्ट किये डाल रही थी।' हिन्दू धर्म के अध्पन के लिए भी उन्होंने अनेक सस्थाओं की स्थापना की। हिन्दुस्तान में काम करने के लिए सोसायटी का प्रमुख स्थान उन्होंने १८८२ में न्यू-यार्क से हटाकर अदयाड, मद्रास म कर दिया। उनके कार्य का प्रमुख ध्येय था भारतीयों को अपने राष्ट्रीय धर्म का आदर करना निम्नाना। सरकारी शिक्षण सस्थाओं तथा ईसाई पादरियों द्वारा दों गई अधार्मिक (Non religious) तथा राष्ट्र-विरुद्ध शिक्षा हिन्दुओं के राष्ट्रीय धर्म का नाश कर रही थी। सर हेनरी ग्रालकाट ने इसका बड़ा विरोध किया।

ग्रायलैंड की प्रतिभाशालिनी महिला एनी बेसेंट ने धार्मिक जाग्रति का कार्य उत्साह के साथ चालू रक्ता। थियोसॉफिकल सोसायटी के एक सदस्य की हैसियत में वे भारत में १८६३ में आई और बाद म वे सोसायटी की प्रेसिडेंट बन गईं। वे प्रत्येक दृष्टि से हिन्दू बन गईं और हिन्दू तथा गैर हिन्दू, सभी प्रकार के आलोचकों द्वारा व्यर्थ बताये जाने वाले अनेक हिन्दू रीति रिवाजों के भी पक्ष में बड़े उत्साहपूर्ण तथा वैज्ञानिक तर्क रखने लगीं। उन्होंने बेटों तथा उपनिषदों म अपने विश्वास तथा हिन्दू सस्कृति की पाश्चात्य सस्कृति के मुकाबले उच्चता की स्पष्ट घोषणा कर दी। उन्होंने मूर्ति-पूजा का भी समर्थन किया जिसे ब्रह्म समाज तथा आर्य-समाज ने निकृष्ट बताया था, उन्होंने जाति-व्यवस्था का, उसने मूल रूप म, पक्ष लिया और सती-प्रथा

* 'कल्चरल हेरिटेज ऑफ इण्डिया', एण्ड II, पृष्ठ १४७।

† एनी बेसेंट - इण्डिया— ए नेशन, पृष्ठ ८५।

तक का भा समर्थन किया लेकिन तभी जब मिथवा स्वयं अपनी इच्छा से सती होना चाहती हो। यह कहा जा सकता है कि ऐनी बेसेन्ट की अध्यक्षता में भारत में थियोसॉफि हिन्दू-जायति की प्रवृत्ति बन गई। सर वैलेन्टाइन चिरोल ने अपने 'इण्डियन अनरेस्ट' में इस प्रकार लिखा है 'मद्रास ब्लैवट्स्की तथा कर्नल ग्रालकोट ने नेतृत्व में थियोसॉफिस्टों के आगमन ने हिन्दू जायति को एक नई शक्ति दी और किसी भी हिन्दू ने इस आन्दोलन को सगठित तथा व्यवस्थित करने के लिए उतना कार्य नहीं किया जितना ऐनी बेसेन्ट ने। उन्होंने सेण्ट्रल हिन्दू कॉलिज बनारस तथा मद्रास के निकट ग्रदयार वाली थियोसॉफिकल सस्था द्वारा पाश्चात्य भौतिक मन्थता के समस्त हिन्दू धर्म की उच्चता की स्पष्ट रूप से धारणा कर दी है। हिन्दुओं का हमारी सन्धता की ओर से मुँह मोड़ लेना तक क्या आश्चर्यजनक है जब एक प्रखर बुद्धि तथा अद्वितीय वाक्शक्ति सम्पन्ना यूरोपीय महिला आकर उन्हें यह बताती है कि सर्वोच्च ज्ञान की कुंजी उन्हें के पास है और सदैव से रही है, उनके देवता, उनका दर्शन तथा उनका नैतिकता, व्यवहार की उससे ऊँची भूमि पर है जहाँ तक पश्चिम कभी पहुँचा है।'

ऐनी बेसेन्ट की एक सत्रसे बड़ी सफलता सेण्ट्रल हिन्दू स्कूल तथा सेण्ट्रल हिन्दू कॉलिज की बनारस में स्थापना थी जो अब बृहद् हिन्दू विश्वविद्यालय बन गया है। उन्होंने सामाजिक सुधारों की भी अवहेलना नहीं की। उनके सेण्ट्रल हिन्दू हाई स्कूल में विवाहित लड़कों की भरती नहीं होती थी। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने अपने साथ काम करने वालों तथा सच्चे अनुयायियों से अपनी लड़कियों की छोटी अवस्था में विवाह न करने की प्रतिज्ञा करा ली थी। उन्होंने इंग्लैंड तथा अन्य देशों तक सामुद्रिक यात्रा करने वाले भारतवासी हिन्दुओं का जाति में सम्मिलित कर लेने का प्रबन्ध भी किया। अतः में उन्होंने 'इण्डियन होम रुल' आन्दोलन सगठित किया और इस सम्बन्ध में उन्होंने सजा भी काटी। १९१८ में वे कॉंग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी चुनी गईं। हिन्दू-शास्त्रों का अनुवाद साहित्य प्रकाशन करके थियोसॉफिकल सामायटी ने हिन्दू धर्म की बड़ी सेवा की और इस प्रकार पढ़े-लिखे हिन्दुओं का अपने धर्म से परिचित करने के लिए इसने बड़ा काम किया। हिन्दू समाज पर प्रभाव की दृष्टि से यह अन्य मुबार आन्दोलनों से मिलता-जुलता नहीं है। लेकिन सामाजिक रीति-रिवाजों से ग्रामूल परिवर्तन के पक्ष में वह नहीं थी। यह भा ध्यान देने की बात है कि सत्तार के सभी प्रमुख धर्मों के प्रति सहिष्णुता तथा उनमें तत्वों को स्वीकार करने की अपनी नाति के कारण भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों में एकता लाने के लिए थियोसॉफिकल सामायटी की स्थिति बहुत अच्छी है।

रामकृष्ण सेवा आश्रम— ब्रह्म-समाज तथा आर्य समाज की उत्पत्ति हिन्दू-धर्म में इतिहास की एक नया स्थिति में हुई थी। उन्होंने तथा थियोसॉफिकल

सोसायटी ने मिलकर घटनाओं के प्रवाह को रोका और ईसाइयत तथा पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव को आगे न बढ़ने दिया। उन्होंने हिन्दुओं को अपने धार्मिक उपदेशों को एक नवीन प्रकाश में देखने तथा उनकी प्रशंसा करने योग्य बनाया। इस प्रकार उन्होंने हिन्दू-धर्म पर अन्य धर्मों की सांस्कृतिक विजय को रोका। लेकिन उन्हें पूर्ण हिन्दू-जागृति का श्रेय नहीं मिल सकता क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने हिन्दू धर्म के कुछ विशेष पहलुओं तथा तत्वों पर जोर दिया और अन्य पहलुओं को व्यर्थ या अन्धविश्वास बताकर उनकी उपेक्षा की। उदाहरण के लिए, भाक्त या श्रद्धा को, जो हिन्दू-धर्म का एक प्रमुख अङ्ग है, उनकी जीवन प्रणाली में कोई स्थान नहीं मिलता। मूर्तिपूजा का प्रमुख उद्देश्य भी वे न समझ सके। इसका परिणाम यह हुआ कि 'वे हिन्दू-महर्षियों द्वारा सैकड़ों शताब्दियों में बनाये गये आदर्शों तथा विचारों की बृहत् तथा गौरवपूर्ण परम्परा की महत्ता का अनुमान तथा उसका पूर्ण अवलोकन न कर सके। यह कभी श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा पूरी की गई जिनके जीवन तथा संदेश में हिन्दुत्व की पूर्ण आध्यात्मिक जागृति निहित है। वह हिन्दू समाज ने समझ गहन अर्थात्पूर्ण अद्वितीय जीवन के साथ अवतीर्ण हुए, हिन्दू धर्म ने प्रति उनकी दृष्टि बड़ी ही उदात्त तथा विश्लेषणपूर्ण थी तथा हिन्दू शास्त्रों ने सभी विचारों और आदर्शों की उनकी विवेचना बड़ी ही सरल तथा प्रभावशालिनी थी। उन्होंने धर्म के सर्वोच्च तत्वों का साक्षात्कार अपने जीवन ही में कर लिया था और यह प्रदर्शित भी कर दिया कि ईश्वर की प्राप्ति उन परम्परागत हिन्दू रीति-रिवाजों के अपनाने से हो सकती है जिनको ईसाई पादरियों ने अन्ध-विश्वास बता कर व्यर्थ सिद्ध करने की चेष्टा की थी। अब हिन्दू इस बात का दावा कर सकते थे कि उनका धर्म पूर्ण था और उन्हें किसी विदेशी धर्म की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार उन्होंने परम्परागत विश्वास में, उसकी तमाम मान्यताओं के साथ, एक बड़ी शक्तिपूर्ण चेतना ला दी। इस चेतना ने यह प्रदर्शित किया कि राजनैतिक क्षेत्र में भी भारतीय स्वयं अपनी दशा की देख-भाल कर सकते हैं, विदेशियों का इसमें हाथ डालने की तनिक भी आवश्यकता नहीं।

श्री रामकृष्ण परमहंस भी राजा राममोहन राय तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती की भाँति एक ब्राह्मण थे किन्तु उनमें इन लोगों की-सी विद्वत्ता तथा वक्तृता-शक्ति नहीं थी। उनमें अन्य दृष्टियों से भी इन लोगों से असमानता थी। वे किसी ज्ञान में एकदम परिवर्तन के पक्ष में न थे और पुराने रीति-रिवाजों की बुराई नहीं करते थे। यद्यपि वे मुश्किल से मात्सर कहे जा सकते थे, फिर भी नरेन्द्रनाथ जैसे कॉलेज के विद्यार्थी, जो बाद में स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके पास आते और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते। विचार-क्षेत्र में केशवचन्द्र सेन तथा

वकिमचन्द्र चटर्जी जैसे नेताओं ने भी उनकी महानता स्वीकार की। हालाँकि उन्होंने किसी संस्था तथा समाज की स्थापना नहीं की फिर भी उन्होंने एक पूरी पाँढी को प्रेरित किया। १८८६ में उनकी मृत्यु के बाद, स्वामी विवेकानन्द के नेतृत्व में, उनके लगभग एक दर्जन शिष्यों ने एक संस्था की स्थापना की जिसे 'रामकृष्ण सेवा-आश्रम' कहते हैं। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य तथा सादगी का व्रत लिया और चिन्तन तथा गरबो की सेवा के लिए अपना सारा जीवन उत्सर्ग कर दिया।

श्री रामकृष्ण ने हिन्दू धर्म में एक पूर्ण आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की, लेकिन उनका जीवन तथा उनकी अनुभूतियों इमसे भी महान् सत्य की प्रत्यक्ष उदाहरण थीं। उन्होंने हिन्दू धर्म द्वारा बताये ईश्वर के साक्षात्कार के विभिन्न उपायों का अद्वितीय सफलता के साथ प्रयोग किया; जैसे, देवी माता के रूप में काली की पूजा, निराकार तथा निर्गुण ब्रह्म का चिन्तन तथा निर्विकल्प समाधि। वे इसी नर्ताजे पर पहुँचे थे कि ये सब रास्ते केवल एक ही गतव्य अर्थात् ईश्वर-साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। उनका यह पक्का विश्वास था कि एक ही ईश्वर की हिन्दू ईश्वर या परमात्मा, मुसलमान अल्लाह, ईसाई गॉड तथा अन्य धर्मावलम्बी ऐसे ही दूसरे नामों से उपासना करते हैं। वह कभी कभी इस प्रकार कहा करते थे कि : मैंने हिन्दू, इस्लाम तथा ईसाई सभी धर्मों का अभ्यास किया है तथा हिन्दू धर्म की विभिन्न उपशाखाओं के विभिन्न मार्गों का भी अवलम्बन किया है। मैंने यह अनुभव किया है कि एक ही स्थान की ओर लोग विभिन्न मार्गों से अपना कदम बढ़ा रहे हैं। मैं जहाँ कहीं भी देखता हूँ मुझे हिन्दू, मुसलमान, ब्रह्मसमाजी, वैष्णव तथा अन्य धर्मावलम्बी आपस में लड़ते दिनाई पड़ते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोच पाते कि जिसे वे कृष्ण कहते हैं वही शिव भी कहलाता है; उसे शक्ति, ईसा तथा अल्लाह भी कहते हैं— एक ही राम को हजारों नामों से जाना जाता है।'

जिस प्रकार स्वामी विरजानन्द ने अपने शिष्य स्वामी दयानन्द सरस्वती से ज्ञान का प्रचार करने तथा लोगों को वेदों की ओर ले आने का प्रतिज्ञा कराई थी, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य विवेकानन्द को मानवता की सेवा करने तथा सार्वभौम धर्म का प्रचार करने का भार सौंपा। उन्होंने विवेकानन्द को यह उपदेश दिया कि स्वार्थ के बशीभूत होकर अपने मोक्ष के लिए ही प्रयत्नशील होना ठीक नहीं। विवेकानन्द तथा उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण सेवा-आश्रम, श्री रामकृष्ण के संदेश को भारत तथा शेष दुनिया में फैलाने के माध्यम बने। यहाँ इसका जिक्र किया जा सकता है कि अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहिले श्री रामकृष्ण ने केवल स्वामी विवेकानन्द के साथ रहने की इच्छा प्रकट की और उन्हें एक प्रकार की आध्यात्मिक चेतना में परिवेष्टित करते हुए बोले : 'आज मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया है और मैं अब केवल एक अकिंचन पर्वार रह गया हूँ। इस शक्ति से

तुम समार का बहुत भला कर सोगे और जब तक तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति न हो जायगी, तुम इस समार को नहीं छोडोगे ।'

स्वामी विवेकानन्द के अमेरिका जाने, १८९३ में शिकागो में हुए विश्व-धर्म-सम्मेलन में उनके भाग लेने, और वहाँ पर हिन्दू-धर्म के पक्ष में लोगों की चक्ति करने वाला भाषण देने, अमेरिका तथा इंग्लैंड में अनेक वेदान्त केन्द्रों की स्थापना करने, उनकी विजयपूर्ण वापसी, उनका अमेरिका तथा इंग्लैंड का दुबारा भ्रमण तथा भारत लौटने पर उनके वाट के कार्यों की चर्चा अदलचस्प कहानी है, लेकिन उसे यहाँ सुनाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा यहाँ सम्बन्ध केवल उस व्यवहारिक वेदान्त तथा हिन्दू धर्म की उन सभी अख्यादियों से है जिनके पुनरुद्धार तथा प्रचार के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। उनके अनुसार वह धर्म व्यर्थ है जो अपने अनुयायियों को स्थिति की गर्भारता का सामना करने के योग्य नहीं बनाता। रुद्धेप में, उन्होंने हिन्दू धर्म को प्रगतिशील तथा आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। इसके लिए उन्होंने उपनिषदों के पुनर्निर्माण तथा वेदान्त के विचारों तथा आदर्शों को नित्यप्रति के जीवन में उतारने का आदेश दिया। अपने भाषणों में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार वेदान्ती विचार लोगों में नवीन जीवन का संचार तथा उनके विचारों को उदात्त बना सकते हैं। वेदान्ती आदर्शों के प्रचार तथा उन्हें वास्तविक जीवन में उतारने के लिए उन्होंने रामकृष्ण सेवाश्रम की स्थापना की। यह एक स्थायी संस्था बनाई गई जिसमें दीक्षा पाये हुए सन्ध्य अपने जीवन तथा उपदेशों, दोनों से, उनके आध्यात्मिक आदर्शों को प्रज्वलित करते हैं। अपनी उत्तेजक तथा प्रभावशालिनी वक्तृता द्वारा तथा अपने गुरु श्री रामकृष्ण की इच्छा का स्मरण दिलाकर उन्होंने अपने शिष्य भाइयों को एकांगी तथा केवल अपने हित के लिए की गई उपासना की निकृष्टता बताई और उन्हें सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा : 'ईश्वर की खोज में तुम कहाँ जाते हो ? क्या पीड़ित, कमजोर और निधन मनुष्य स्वयं देवता नहीं हैं ? उनकी ही पूजा क्यों नहीं करते ? गङ्गा के किनारे कुआँ खोदने क्यों जाते हो ? इन्हीं लोगों को अपना ईश्वर मानो— उनके ही विषय में साधो, काम करो, उनकी ही अनवरत उपासना करो ; प्रभु तुम्हें मार्ग दिखायेंगे ।'

अपने अङ्गरेज तथा अमरीकी शिष्यों द्वारा एकत्रित रुपये की सहायता से स्वामी विवेकानन्द ने १८९६ में कलकत्ता के निकट वेलूर नामक स्थान

* इसमें दिलचस्पी लेने वाले विद्यार्थी को 'कल्चरल हेरीटेज ऑफ इण्डिया' खण्ड २ का अन्तिम अध्याय तथा रोम्या रोला की 'दी प्राइमेट्स ऑफ न्यू इण्डिया' नामक पुस्तक देखनी चाहिए।

पर एक मठ बनवाया। यह रामकृष्ण सेवा आश्रम का प्रधान केन्द्र है। ब्रह्ममोक्षा निले म मायावती नामक स्थान पर तथा दक्षिण में बंगलार में भी मठ हैं तथा अन्य जगहों पर भी मठ की शालाएँ हैं। सेवा-आश्रम ने भारत, जर्मा, लद्दा, मलाया के सब राज्या, तथा अमेरिका और यूरोप के अनेक स्थानों पर जन सेवा सस्थाएँ खोला है। सेवा आश्रम शिक्षा तथा जन सेवा के कामों में लगा रहता है और कुछ ऊँचे स्तर की पत्रिकाएँ भी प्रकाशित करता है जिनमें 'प्रबुद्ध भारत' सबसे अधिक प्रसिद्ध है।

कुछ छोटे आन्दोलन— ऊपर वर्णित चार बड़े सुधार-आन्दोलनों ने हिन्दू-जायति न लिए महान् कार्य किया। उन्होंने हिन्दू धर्म की शाश्वत आत्मा की पुन खोज तथा राष्ट्रीय आत्म-निर्भरता की भावना में प्रसार में बड़ा योग दिया। हिन्दू धर्म में आज नवीन जीवनी-शक्ति आ गई है, यह मन-मत्तान्तरो के भ्रगडे तथा पुत्र रियों की शक्ति से मुक्त हो चुका है। इसने पश्चिम के सपर्क से बहुत लाभ उठाया है, और स्वामी विवेकानन्द तथा स्वामी रामतीर्थ जैसे अपने सदेश वाहकों द्वारा हमने ससार को अपने व्यवहारिक वेदान्त का सदेश भी दिया है। हिन्दू धर्म में कुछ छोटे आन्दोलन भी हुए हैं जिनका सक्षिप्त वर्णन यहाँ आवश्यक है। उनमें से एक राधास्वामी सत्सग है। यह हिन्दू सुधार आन्दोलन नहीं है जो ब्रह्म-समाज तथा आर्य समाज की भाँति सामाजिक या धार्मिक बुरादियों के निराकरण के लिए प्रयत्नशील हो, बल्कि अपने गुरु द्वारा बताये 'सूरत सवद योग' के अनुसार चन कर जीवन तथा मरण के बन्धन से मुक्त होने के लिए कुछ प्रयत्नशील लोगों का एक समुदाय है। इसका प्रधान केन्द्र दयाल बाग, आगरा में है। दयाल बाग ५०० एकड़ भूमि का एक छोटा सा उपनिवेश है जिनकी आनादी कुछ हजार है। इसमें एक अच्छा डिग्री कॉलिज, एक औद्योगिक तथा रासायनिक कारखाना तथा स्कूल और एक बड़ा ही सुन्दर डेवरी फार्म है। बनारस, इलाहाबाद तथा व्यास पर भी सत्सग की शालाएँ हैं जो अत्र आगरा के केन्द्र के आधीन नहीं हैं।

यह हिन्दू धर्म, इस्लाम तथा ईसाई धर्म का प्रतिद्वन्द्वी या उनका समकक्ष धर्म नहीं है। यह एक ऐसी पाठशाला है जो 'सूरत सवद योग' की शिक्षा तथा उपदेश देती है। इस योग का अर्थ है ध्यान की एकाग्रता तथा कुछ ऐसे शब्दों का दोहराना जो केवल जिज्ञासु के ही कानों में बड़े जा सकते हैं। इस योग का अभ्यास किसी भी जगह किया जा सकता है। भक्त लोग अपने मासिक सत्सग के लिए केन्द्र पर एकत्रित होते हैं। अन्य दिनों उनसे अपने ही स्थान पर ध्यान तथा चिन्तन की आशा की जाती है। किसी व्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मत्र पाने के बाद वह अपने पहिले के धार्मिक विश्वासों को त्याग दे। कोई मुसलमान

या ईसाई सत्संगी बनने के वाद भी मुसलमान या ईसाई रह सकता है। इीलिए इसकी सदस्यता आसान हो गई है। राधा-स्वामियों से अपना घर छोड़ देने तथा साधू बन जाने की आशा नहीं की जाती; यहाँ तक कि गुह्यों के भी परिवार हो सकते हैं।

इस धर्म में गुरु की बड़ी महत्ता है। वह जिनानु के ज्ञान का केवल स्रोत ही नहीं बल्कि उसके मोक्ष का आधार भी है। आत्मा के अपने ध्येय तक पहुँचने के रास्ते में गुरु का पथ प्रदर्शन अनिवार्य है। इस धर्म का मूल तत्व है गुरु म असीम श्रद्धा तथा भक्ति। मानाहार, नशीली चीजों का सेवन तथा आत्मा की उन्नति में बाधा बनने वाली सभी चीजें त्याग्य गताई गई हैं। सक्रिय राजनीति में भाग, उचित बातों में प्रमाद तथा व्यर्थ बकवास की भी निन्दा की गई है। अहिंसा के पालन पर भी यह बड़ा जोर देता है। अपने समूह के भीतर लोगों में बड़ी मित्रता की भावना है; प्रत्येक सत्संगी दूसरे सदस्य का जाति या अन्य भेदा का तनिक भी विचार न्यिे हुए, एक भाई की दृष्टि से देखता है। इन लोगों में अन्नर्वातीय विवाह भी काफी प्रचलित हो रहा है। इस प्रकार सत्संग जाति समस्या का धीरे-धीरे निराकरण कर रहा है। इस की सदस्यता बहुत शीघ्रता पूर्वक बढ़ रही है। यह पञ्जाब, यू० पी० तथा बिहार में अधिक प्रचलित है। इस श्रौर ध्यान दिलाया जा सकता है कि मोक्ष प्राप्ति के लिये सत्संग सबसे छोटा तथा आसान मार्ग बताने की दामो भरता है। उनकी सामूहिक उपासना में गुरु नानक, कर्बार तथा दादू के वचन अक्षर सुनाये जाते हैं।

पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा स्थापित किया हुआ देव-समाज एक दूसरा लडु-आन्दोलन है। पंडित अग्निहोत्री पहिले वेदान्ती दृष्टिकोण के अनुसार निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। लेकिन शीघ्र ही उनका विचार ब्रह्मसमाजी विचार धारा के साकार ईश्वर की श्रौर घूम गया। ब्रह्मसमाज में उनकी उन्नति शीघ्र हुई। वह साधारण ब्रह्मसमाज के सर्वप्रथम प्रचारकों में से थे, जिस कार्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सन्यास ले लिया। लेकिन उन्हें इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य करना था। वह ब्रह्मसमाज से अलग हो गये, एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की श्रौर अपने को विशिष्ट गुरु तथा मनीहा बनाकर देव समाज का संगठन किया। गुरु सिद्धान्तों तथा ब्रह्मसमाज में केवल इतना ही अन्तर है कि यह एक सर्वभौम सन्देश का दामो है। यह सम्प्रदाय जाति-व्यवस्था को पापपूर्ण बताता है और अपना दरवाजा सभी के लिए खुला रखता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि १९२६ में अपनी मृत्यु के पहले पंडित अग्निहोत्री ने ईश्वर में विश्वास करना छोड़ दिया था और देव समाज अनीश्वरवादी बन गया था।

हिन्दू महासभा— इस स्थान पर हिन्दुओं की एक हिन्दू महासभा नामक प्रसिद्ध सस्था के बारे में कुछ शब्द लिखने आवश्यक प्रतीत होते हैं। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन अपने जीवन के पच्चीस वर्षों तक यह कोई अधिक क्रियाशील सस्था

नहीं रही। इस सस्था को अपनी स्थिति के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा जिसका कुछ कारण यह था कि लोग हमने प्रति उदासीन थे। लेकिन उससे भा बड़ा कारण यह था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोगों के हृदय में घर कर लिया था। परन्तु जैसे जैसे समय बीतता गया, हिन्दू नेताओं तथा जनता में साम्प्रदायिकता की भावना जड़ पकड़ती गई क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम अनेक दंगों में मुसलमान नाबी मार ले जाते थे। साथ ही साथ मुसलमानों तथा ईसाइयों का हिन्दुओं को अपने धर्म में दीक्षित कर लेना भी इस भावना के विकास में सहायक बना। माल्टे मिन्टो तथा मान्ग्यू चेम्सफर्ड सुधारों के अन्तर्गत मुसलमानों को अधिक सुविधाएँ मिलने के कारण भी हिन्दुओं को यह शिक्षा मिला कि भविष्य में अपनी मर्गों की पूर्ति के लिए उन्हें सगठित हो जाना चाहिए। सक्षेप में यह कहा जा सकता है कि मुसलमानों की बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया के रूप में उत्तर में हिन्दू महासभा का शक्ति तथा प्रभाव दोनों में वृद्धि हुई। फिर भी, यह हिन्दुओं में उतनी शक्ति शालिनी तथा प्रभाव शालिनी न हा सकी जितनी मुस्लिम लीग मुसलमानों में। इसका कारण यह था कि एक तो कांग्रेस इसको प्रशय नहीं देती थी, दूसरे १९४० तक पन्दीय सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए अंग्रेजी सरकार ने इसे एक प्रभावशाली सगठन मानना अस्वीकार कर दिया था।

हिन्दू महासभा का उद्देश्य है हिन्दू-हितों की-रक्षा तथा उन सभी चीजों के लिए प्रयत्नशील होना जो हिन्दू जाति की महानता तथा गौरव का कारण बन सकती हैं। इस प्रकार यह शुद्ध धार्मिक सुधार आन्दोलन नहीं है बल्कि राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। सभा सभा वर्गों व हिन्दुओं को एक मंच पर सगठित करती है ताकि वे साम्प्रदायिक दंगों में या अहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़े अपनी रक्षा स्वयं कर सकें। यह उन्हें भी वापस लाने का दावा करती है जिन्होंने हिन्दू धर्म छोड़ दिया है तथा अन्य धर्मों से भी अपने धर्म में आने वालों का यह स्वागत करती है। इस प्रकार सगठन और शुद्ध हिन्दू महासभा के प्रारम्भिक उद्देश्यों में माने जा सकते हैं। यह सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों की भी अवहेलना नहीं करती। छुआछूत दूर करना चाहती है तथा दलित जातियों का दशा में सुधार के लिए प्रयत्नशील है। इसने उद्देश्यों में हिन्दू नारी आदर्शों की जायति तथा उसका विकास, गाय की रक्षा करना, हिन्दुओं की शारीरिक दशा में सुधार तथा उनमें वीरता भर देना, अनाथ स्त्रियों के लिए अनाथाश्रमा तथा विधवा-श्रमों की स्थापना, हिन्दुओं के धार्मिक, शिक्षा सम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों तथा अन्य हितों की रक्षा और साथ ही साथ हिन्दुओं तथा गैरहिन्दुओं के बीच सद्भाव उत्पन्न करना है। इसने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयत्न किया है। भारत में उत्पन्न सभी

धर्म के अनुयायियों को 'हिन्दू' नाम की परिभाषा के अन्दर रखकर इसने बौद्धों, सिक्खों तथा अन्य वर्गों को भी अपने में सम्मिलित कर लिया है और इस प्रकार अखिल एशियाटिक आन्दोलन को जन्म दिया है। स्वर्गीय लाला लानपत राय स्वामी श्रद्धानन्द तथा स्वर्गीय पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रेरकों में से थे। स्वर्गीय भाई परमानन्द, स्वर्गीय डा० मुजे श्री सावरकर जी हमारे नेताओं में से थे। डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी इससे नेता थे परन्तु अब वे इससे अलग हो गये हैं।

यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि हिन्दू महासभा ने अनेक बार राजनैतिक प्रश्नों पर भी अपनी मत प्रकट किया तथा केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए चुनाव भी लड़ा है। लेकिन अखिल भारत,य काँग्रेस के सामने उसे हार खानी पड़ी है। इसने भारत तथा पाकिस्तान में देश के विभाजन का बड़ा विरोध किया और हिन्दुओं को १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्रता दिवस न मनाने की भी सलाह दी, लेकिन उस अर्पण पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार का नीति का इसने सक्रिय विरोध प्रारम्भ किया लेकिन उसे इसमें मुँह का खानी पड़ी। ३० जनवरी १९४८ को महात्मा गांधी की हत्या के बाद, महासभा पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया और इसके कई नेता गिरफ्तार कर लिये गये। वे बाद में छोड़ दिये गये। 'सभा' प्रत्यक्ष साम्प्रदायिक नीतियों द्वारा जनता का मन मोड़ना चाहता है लेकिन उसे इसमें अभी तक सफलता नहीं मिली है।

कुछ प्रमुख व्यक्ति— राजा राममोहन राय, देवेन्द्रनाथ टैगोर, केशवचन्द्र सेन, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द तथा मिसेज ऐना बेसेंट के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों में उड़ा योग दिया है, यद्यपि उन्होंने किसी सम्प्रदाय या सस्था की स्थापना नहीं की। ऐसे लोगों में स्वामी रामतीर्थ, रामाडे, गोखले, तिलक, टैगोर तथा गांधी जी के पुण्य नाम सम्मिलित हैं।

स्वामी रामतार्थ भारत के साधु-कवि तथा हंसमुख दार्शनिक थे। यह पञ्जाब के एक गराब ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए थे और गणित में एम० ए० की उपाधि लेने के बाद उन्होंने लाहौर के एफ० सी० कॉलेज में प्रोफेसरी कर ली। लाहौर में स्वामी विवेकानन्द के आगमन ने उनकी जीवन दिशा बदल दी। उनसे आदेश से उन्हें सन्यासी बनने तथा पश्चिम और अपने देश में व्यावहारिक वेदान्त प्रचार की प्रेरणा मिली। उन्होंने ससार छोड़ दिया और हिमालय में जाकर ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। उन्होंने जापान, अमेरिका तथा यूरोप का भ्रमण किया और व्यावहारिक वेदान्त पर भाषण दिये। उन्होंने शिष्य नहीं बनाये। भारतवर्ष के प्रति उनका प्रेम था और व्यावहारिक वेदान्त की उपेक्षा को ही वह

इसके पतन का कारण मानते थे। १९०६ म ३३ वर्ष की अवस्था म ही ऋषिकेश क समाज गंगा की प्रचण्ड धारा म वह विलीन हो गये।

महादेव गोविन्द रानडे, जो बाद में बम्बई हाई कोर्ट के जज बने, पार्श्वमी भारत के प्रमुख समाज-सुधारकों में थे। श्री बहराम जी मलामारी तथा अन्य लोगों क साथ उन्होंने अवधवा विवाह का पद लिया और १८६१ म 'विधवा पुनविवाह सघ' की स्थापना की। एक मराठी साप्ताहिक पत्र मे लेख लिख कर उन्होंने लोगों से समाज सुधार के कार्य करने की अपील की। उन्होंने समाज-सुधार सम्मेलन का आयोजन किया जिसका अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ होता था और इसमें वह जब तक जीवित रहे, बराबर भाग लेते रहे। शिक्षा क्षेत्र मे भी उनके कार्यों का अच्छा प्रभाव पडा। उनके ही प्रयत्नों के कारण 'दक्षिण-शिक्षा-संस्था' की स्थापना हुई जो आजकल पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज और सागली के विलिंगडन कॉलेज को जो बम्बई प्रान्त के दो प्रमुख कॉलेजों में से हैं चला रही है।

गोपाल कृष्ण गोखले, रानडे के शिष्य थे लेकिन कुछ बातों में वह उनसे भा बढ गए। उनकी सबसे बड़ी देन 'सरवैण्ट्स आफ़ डाड्या सोसायटी' है जिसकी उन्होंने १९०५ म स्थापना की। इसका उद्देश्य राष्ट्र सेवियों को ट्रेनिङ देना तथा वैधानिक रूप से भारतीयों के हितों की रक्षा करना है। यद्यपि इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य राजनैतिक है फिर भी, इसने सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों पर बड़ा जोर दिया है और दलित वर्गों की उन्नति का भा सदैव ध्यान रखता है। इसके कुछ सदस्यों ने पूना सेवा सदन, उत्तर प्रदेश सेवा समिति, भील सेवा-समिति तथा बम्बई और मद्रास-सोशल-सर्विस लीगों की स्थापना की है। उन सदस्यों म से एक श्री टक्कर बापा का हरिजन सेवक सघ से घनिष्ठ सम्बन्ध है। पिछले कुछ वर्षों से इसने अनेक सदस्यों ने ग्रामीण-शिक्षा तथा पुनर्निर्माण की ओर ध्यान दिया है। यह संस्था तीन पत्रों का परिचालन करती है तथा सामयिक समस्याओं पर अरार बहोटा छोटो छोटो पुस्तिकाओं का प्रकाशन करती रहती है।

बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोग श्रद्धा के कारण लोकमान्य कहते हैं, एक सच्चे देश प्रेमी थे। महात्मा गाँधी का छोड़ कर किसी अन्य व्यक्ति ने राष्ट्रीय चेतना म उतना योग नहीं दिया है जितना उन्होंने। लेकिन यहाँ हमारा सम्बन्ध उनकी राजनैतिक कार्यवाहियों से नहीं है, हमारा विशेष सम्बन्ध तो उनकी हिन्दू धर्म को देन से है। वह संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान तथा हिन्दू-साहित्य के पूर्ण ज्ञाता थे। उनका भगवद् गीता पर भाष्य अद्वितीय पुस्तक है जिसके अध्ययन ने लाखों व्यक्तियों को प्रभावित किया है। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में वह कुछ सकीर्ण विचारों के थे।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर वर्तमान पीढ़ी के एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने कविताओं, गीतों, उपदेशों तथा लेखों द्वारा उपनिषद्-साहित्य का अमृत-पान कराया है।

उन्होंने हिन्दुत्व का उदात्त अर्थ समझाया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता में महात्मा गांधी के निकट वही पहुँच सकते हैं। वह एक ब्रह्मसमाजी परिवार में उत्पन्न हुए और अपने पिता देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित आदि ब्रह्मसमाज से उनका बहुत दिनों तक सम्बन्ध रहा। वह साधारण ब्रह्मसमाज के भी सम्मानित सदस्य रहे थे। लेकिन बाद में उनके विचार ब्रह्मसमाज की परिधि से आगे बढ़ गये। यह कहा जा सकता है कि उन्होंने एक ऐसे उदात्त तथा परिष्कृत हिन्दू धर्म का प्रतिनिधित्व किया जो परम्परागत जाति व्यवस्था, छुआछूत, बाल-विवाह तथा आरोपित वैषम्य जैसी प्रक्रियावादी तथा अन्ध-विश्वासपूर्ण बुराइयों से पूर्णतया मुक्त था। बोलपुर, बंगाल के विश्वभारती विश्व-विद्यालय में उन्होंने अपने विचारों को मूर्त कर दिया है।

देश के धार्मिक तथा राजनैतिक जीवन में ऊपर वर्णित सभी व्यक्तियों ने जो कुछ भी योग दिया है, महात्मा गांधी के कार्यों के समक्ष वह नगण्य प्रतीत होता है। राजनैतिक क्षेत्र में उनके कार्यों को बताने का यहाँ अवसर नहीं है। उनके विचारों तथा कार्यों द्वारा हुए लोगों के सामाजिक तथा धार्मिक जीवन में परिवर्तन के सक्षिप्त विवरण तक ही हम अपने को सीमित रखेंगे। वह उतने ही बड़े सामाजिक तथा धार्मिक नेता भी हुए हैं जितने बड़े राजनैतिक एवं योद्धा नेता। अपने ही शब्दों के अनुसार वह सनातन धर्म या कट्टर हिन्दू-धर्म के अनुयायी थे। लेकिन उन्होंने इसकी मूल शिक्षाओं का अपना स्वतंत्र अर्थ निराला है। हिन्दू-धर्म में वह जो सुधार करना चाहते थे हम उनको उम परिभाषा से जान सकते हैं जोकि उन्होंने इसके मूल सिद्धान्तों के बारे में की। उदाहरण के लिए वेदों, शास्त्रों तथा हिन्दू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में विश्वास रखते हुए भी वे उनकी हर एक बात पर चलना अनिवार्य नहीं समझते थे। उनका कथन है— 'जो नैतिकता के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है, जो सगत तर्क के विरुद्ध है, वह शास्त्रिय नहीं है, चाहे वह कितनी ही पुरानी बात क्यों न हो।' * यदि छुआछूत, आरोपित वैषम्य तथा बाल-विवाह नैतिकता तथा तर्क के विरुद्ध हैं तो वे ठीक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने इन तथा अन्य बुराइयों को समाप्त करने के लिए बड़ा प्रयत्न किया है। आज कल की जाति की नकीर्णता और बाहुल्यता तर्क के विरुद्ध हैं, इसलिए वह इसके भी विरोधी थे। लेकिन चूँकि चार मूल बर्णों की उत्पत्ति अर्थात् नैतिक तथा शलत नहीं है, इसलिए वह इसमें विश्वास करते थे। अपने अनुसार वर्णव्यवस्था कर्तव्यों के पालन का ही आदेश देती है, अधिकार नहीं देती; इसलिए एक जाति के दूसरी जाति पर अधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने अन्तर्जातियों में खानपान के प्रश्न को प्रचार का विषय नहीं मनाया, लेकिन वह यह भी नहीं स्वीकार करते थे कि इससे मनुष्य की जाति भ्रष्ट हो जाती है। वास्तव में उनके सामने मनुष्य और मनुष्य में भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता था। वह दिनों को अधिक से अधिक

स्वतंत्रता देना चाहते थे तथा जिसा ब्राल-विधवा की कल्पना से ही काँप उठते थे। वह देवदासी प्रथा तथा धर्म के नाम पर जानवरों का बलि का उका विराध करते थे। उनका ऐस विचार का परिणाम है उदार तथा सचेत हिन्दुत्व का जनना। गांधी का अनुसार कटर हिन्दू धम स्थिर, जावन-शून्य तथा अगतिशील बन गया है, क्योंकि हम अत्र स्वयं थक गये हैं। उन्होंने इसम पर से जानन भर दिया और हमम गति पैदा कर दा। उनका लिए हिन्दू धर्म सत्य की सतत गान है, वह स्वयं सत्य को लाज करते थे और उसे मानवता की सेवा के लिए प्रयाग म लात थे। सत्य, सेवा, प्रेम या अहिंसा, यही उनका धर्म था।

राजनीति में भा धर्म का स्थान देकर उन्होंने इसे पवित्र बनाया तथा इसे ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया। उनका लिए धर्म से अलग राजनीति कोई अर्थ नहीं रखती थी। 'धर्म से अलग राजनीति मोत का फन्दा है क्योंकि यह आत्मा का हनन कर डालती है।' यही उनका मानवता का सदेश है। यह ध्यान न रखना चाहिये कि उनका सदेश सार्वभौम है, भारत में तथा भारतीय राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ व बीच प्रचारित होने पर भा वह सारी मानव जाति पर लागू होता है।

सिक्ख-सम्प्रदाय— राजा राममाहन राय से तीन सौ तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती से साढ़े तीन सौ वर्षों से भी अधिक पहिले गुरु नानक (१४६९-१५३८) न उस समय के हिन्दू या ब्राह्मण धर्म के क्रिया कलापो, अन्धविश्वासों तथा अमथ्या राति रिवाजों का बड़ा विराध किया था। वह लाहौर के निकट एक खत्री परिवार म उत्पन्न हुए थे। अग्ने बचपन म उन्होंने सस्कृत, हिन्दी तथा फारसी सासी और कबीर तथा अन्य साधुओं की शिक्षाओं से वह बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दक्षिण का यात्रा की और वह वहाँ के वेदान्त दर्शन के सम्पर्क में आये। उन्होंने ब्रगदाद, मक्का तथा मुस्लिम सभ्यता के अत्र केन्द्रों की भी यात्रा की और इस्लाम की रहस्य भावना से भी परिचय प्राप्त कर लिया। उनकी शिक्षाओं पर इन सब का प्रभाव दृष्टिगत होता है। उन्होंने जाति तथा ब्राह्मणों की अग्र पदवी मानना अस्वीकार कर दिया, मूर्ति-पूजा तथा तीथा को निन्दा की और हृदय की स्वच्छता पर अधिक जोर दिया। उन्होंने केवल रूप तथा क्रिया-कलापों पर भार देना बन्द कर देने का प्रयत्न किया, क्योंकि इनसे लोगो म विभाजन और लड़ाई-भगड़ा होता है। उन्होंने पुनर्जन्म का सिद्धान्त स्वीकार किया, लेकिन अतारवाद म अपना विश्वास नहीं प्रकट किया। वह एक ईश्वर में विश्वास करते थे जो हिन्दू मुसलमान, ईसाई तथा अन्य सभी का ईश्वर है। उन्होंने तस्पा की सराहना नहीं की और अपने अनुयायियों को अपने-अपने कामों म लगे रहने की सलाह दा। वह हिन्दू तथा मुसलमान दोनों म प्रसिद्ध हुए और दाना धर्मों के लोग उनका अनुयाया बनने लगे। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु क बाद हिन्दू तथा मुसलमान दाना ने अपने-अपने धर्म क अनुसार उनका शरार का क्रिया-कर्म करना चाहा। लेकिन जब उनका कफन उठाया गया तो उसका

नाचे केवल कुछ फूल मिले। कपड़ा टा भागो म विभाजित कर दिया गया, एक को हिन्दुआ ने जना दिया, दूसरे का मुसलमानों ने गाड़ दिया। उनके अनुयायी सिक्ख कहलाने लगे। उनके बाद नौ गुरु और हुए जिनम अन्तिम गुरु गोविन्दसिंह थ। उन्होंने ही इम शान्तिप्रिय जाति को लडाका जानि रना दिया। पाँचवे गुरु द्वारा सम्पादित 'शास्त्रि ग्रन्थ' म भा उन्होंने कुछ नई चाजे जोड़ीं जिससे 'ग्रन्थ साहब' नामक सिक्खों की धार्मिक पुस्तक का निर्माण हुआ। गुरु गोविन्दसिंह ने किसी को अपना उत्तगाधिनारी निश्चित नहीं किया बल्कि सिक्खों से अपने बाद 'ग्रन्थ साहब' का ही गुरु मानने क लिये कहा। इसस कोई यह आसानी से समझ सकता है कि सिक्ख सम्प्रदाय म इस पुस्तक का क्या स्थान है। गुरु गोविन्दसिंह ने सिक्खा में खालसा सम्प्रदाय भा चलाया जा ईसाई धर्म की तरह ग्रन्थ धर्मों से अपने धर्म में आये लागों का स्वाकार करता है। आज सिक्ख सम्प्रदाय दूसरा को अपने धर्म म परिर्वर्तित करने वाला सम्प्रदाय है। पश्चिमोत्तर भारत म इसने लोगों के जीवन पर उड़ा प्रभाव डाला है।

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट होगा कि सिक्ख सम्प्रदाय एक हिन्दू धर्म सुधार आन्दोलन थ जो ब्रह्मसमाज तथा आर्य समाज की अपेक्षा बहुत पहिले प्रारम्भ हुआ। गुरु नानक ने किमा नये धर्म की शिदा नहीं दी, उन्होंने केवल उम समय प्रचलित धर्मों की आलाचना क और उनमें सुधार म प्रयत्न किया। 'सिक्ख-धर्म हिन्दू धर्म से अलग कोई धर्म नहीं है, यह इस बात से भी स्पष्ट हा जाता है कि सुधार की भावना कमजोर पडने पर, सिक्ख हिन्दू धर्म क जिया कलापो तथा राति-रिक्खजों की ओर मुड पडे। उनमे जाति व्यवस्था फिर से चला आई और मूर्तिया को उनके घरा तथा मन्दिरों तक में स्थान मिल गया।' वर्तमान समय म सिक्खों म एक ऐसा शक्तिशाली भाग है जा सिक्ख-धर्म का प्रमुख भारताय बर्मों म एक स्वतन्त्र अस्तित्व उतलाता है। सिक्ख अधिकतर पंजाब तथा पुलकिया रियासतों म पाये जाते है। उनका सर्या ५७ लाख से कुछ कम है। उनका मुख्य केन्द्र अमृतसर में है जहाँ उनका प्रतिद्ध सुवर्ण मन्दिर स्थित है। अपने को एक स्वतन्त्र धार्मिक जाति घोषित करके उन्हाने अलग साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की माँग म की है जिनमे अभा हाल हा म पंजाब म एक काटन समस्या उपस्थित कर दी थी।

स्वामी दयानन्द द्वारा लाहौर म आर्य समाज की एक शाखा स्थापित हाने से सारे पंजाब म सुधारों की एक लहर सी आ गई, सिक्ख भी इससे अछूते न रहे। १९०५ में हा उन्हाने सुवर्ण मन्दिर की मूर्तियाँ बाहर फेंक

दी। बाद में, अपने मठों तथा गुरुद्वारों में सुधार करने की इच्छा में उन्होंने एक शक्तिशाली आन्दोलन प्रारम्भ किया जिसके सिलसिले में अंग्रेज सरकार से उनका झगड़ा हो गया और विवश होकर उन्हें महात्मा गाँधी के अहिंसात्मक विरोध की शरण लेनी पड़ी। शिक्षा की भाँति उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षण-संस्था अमृतसर का खालसा कालेज है। पूरे पंजाब में उन्होंने स्कूलों का एक जाल बिछा दिया है। सामाजिक सुधार का कार्य हिन्दू समाज सुधारकों द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर हो रहा है। वे अपने अन्दर घुसे हुए जाति पात के भेद का हटाना चाहते हैं, वे विधवा-विवाह एवं मदिरा-निषेध व पदपाती तथा तबाह की उम्र बढ़ाने व इच्छुक हैं।

भारत में इस्लाम

हिन्दू-धर्म व बाद इस्लाम व भारत में सबसे अधिक अनुयायी हैं। इस्लाम की उत्पत्ति इस देश में नहीं हुई बल्कि मर्यादायु मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा यह देश में लाया गया। इसकी स्थापना मुहम्मद साहब ने की। इसके सिद्धान्त तथा शिक्षाएँ कुरान में संगृहीत हैं। मुसलमान कुरान को ईश्वर द्वारा अपने महान् पैगम्बर को दिया गया सन्देश मानते हैं। इस्लाम का एक ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। और यह मूर्तिपूजा का हर रूप में कट्टर विरोध करता है। मुहम्मद साहब के अनुयायियों में पारस्परिक भ्रातृभाव और समता पर इस्लाम विशेष जोर देता है। इस्लाम जाति भेद में विश्वास नहीं रखता और अपने सभी अनुयायियों को विश्वास तथा प्रार्थनामय जीवन का शिक्षा देता है। यह ईश्वर तथा भक्ता व बीच किसी पुजारी वर्ग की आवश्यकता नहीं समझता और यह विश्वास रखता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर तक अपने आप पहुँच सकता है। इस्लाम के कुछ विशिष्ट सिद्धान्त तथा आचार व्यवहार के कुछ निश्चित नियम हैं जिनका पालन प्रत्येक मुसलमान के लिये अनिवार्य है। कलमे का पाठ, दिन में पाँच बार नमाज, रमजान के दिनों में उपवास, भिक्षादान तथा हज करना— मुसलमानों के ये कुछ आवश्यक कर्तव्यों में से हैं। इस्लाम विचार तथा आत्मा की स्वतन्त्रता को प्रश्रय नहीं देता। इस दृष्टि से यह हिन्दू-धर्म के विपरीत है। सैकड़ों वर्षों के विकास का फल होने के कारण हिन्दू धर्म को कुछ थोड़े से सिद्धान्तों या क्रिया कलापों में नहीं बाँधा जा सकता। लेकिन एक ही मस्तिष्क की उपज होने व कारण इस्लाम एक साम्प्रदायिक धर्म है और इस लिए इसके अनुयायियों का अपने विशिष्ट धार्मिक सिद्धान्तों में विश्वास रखना अनिवार्य है। कभी कभी यह भी कहा जाता है कि हिन्दू धर्म मूर्तिपूजक तथा अनेक देवी देवताओं का पूजक है, और इस्लाम मूर्ति विध्वंसक तथा कट्टर रूप से एक ईश्वर विश्वासी है। हिन्दू धर्म मूर्तिपूजक है, अवश्य है, लेकिन कबल उन्हीं व लिए जिनका मानसिक तथा बौद्धिक घरातल

ऊँचा नहीं है। मूर्तिपूजा को वह न पूजा का सर्वोच्च रूप ही मानता है और न ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवश्यक ही। अपने उच्चतर रूप में हिन्दू धर्म एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। इतना ही नहीं, इस्लाम तथा ईसाई-धर्म से वह एक कदम और आगे बढ़ जाता है क्योंकि वह किसी व्यक्तिगत ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। दोनों धर्मों की पारस्परिक भिन्नता के सम्बन्ध में और कठना आवश्यक नहीं है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि भारत में इस्लाम हिन्दू-विश्वासों तथा निया-कलापा से प्रभावित हुआ है। यह सत्य है कि विजेता के रूप में आने वाले मुसलमानों ने जान बूझ कर हिन्दुत्व से कोई चीज नहीं ली। फिर भी, यह स्वाकार करना पड़ेगा कि हिन्दुओं के सम्पर्क से केवल साधारण व्याक्त ही नहीं बल्कि विद्वान मुसलमान भी बहुत सीमा तक प्रभावित हुए हैं। 'शिया लाग मुन्निया की अनिस्वत हिन्दुआ के अधिक निकर है। खोजा लोगा का, जिनके धार्मिक सिद्धान्त वैष्णव तथा शिया सिद्धान्तों के मिश्रण से बने हैं, यह विश्वास है कि अली विष्णु के दसवें अवतार हैं। सूफी धर्म ग्रहैत वेदान्त से मिलता जुलता है। यह ग्रहैत पूर्ण सत्ता में विश्वास रखता है तथा अगत का प्रकाश स्वरूप ईश्वर का प्रतिबिम्ब मानता है। सूफी लोग मांस भक्षण नहीं करते हैं, और पुनर्जन्म तथा अवतारवाद में विश्वास करते हैं। इस्लाम की धार्मिक कट्टरता का भारत में निस्सन्देह हास हुआ है।'

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि, जैसा कि पहिले के पृष्ठा में अनेक बार कहा जा चुका है, इस्लाम में परिवर्तित हो जाने वाले हिन्दू अपने साथ हिन्दू रीति रिवाज, परम्पराएँ तथा सामाजिक व्यवस्थाएँ, जैसे सयुक्त परिवार प्रथा, आरापित वैधव्य, जातीय भेद और पुजारियाँ का क्रिया-कलाप तक, लेते गये। इस प्रकार उन्होंने दोनों धर्मों का अन्तर बहुत कम कर दिया।

हिन्दुत्व तथा इस्लाम का सर्वोत्कृष्ट मिश्रण उस धर्म में पाया जाता है जिसे स्थापित करने की चेष्टा अकबर ने की। कबीर, नानक तथा टाडू जैसे सन्तों की शिक्षाओं में भी दोनों के मिलन का रूप देखने को मिलता है। दोनों धर्मों में अन्तर है अवश्य, लेकिन इतना महान नहीं जितना कभी-कभी मान लिया जाता है। टारा शिकोह ने अपने ग्रन्थ में यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच अन्तर केवल भाषा तथा अभिव्यक्ति का है। इस कथन में बहुत कुछ सत्य है। दोनों जातियों में भगडे का मुख्य कारण धार्मिक नहीं बल्कि राजनैतिक है। कुछ स्वार्थी लोग इसे धार्मिक रंग में रंग देते हैं केवल अपना मतलब साधने के लिए। इसके विषय में दूसरे अध्याय में बात में चर्चा होगी। यहाँ हमारा अधिक सम्बन्ध मुस्लिम सुधार आन्दोलनों से है।

मुस्लिम सुधार-आन्दोलन— उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारतवर्ष मुसलमान नीची और गिरा दशा में थे। महान मुगल साम्राज्य हिल रहा था, शक्ति धारे धारे अंग्रेजों के हाथ प्राती जा रही थी। राजनैतिक शक्ति तथा सम्मान के ह्रास से सर्वत्र-व्यापी पतन प्रारम्भ हो गया था। शासकों द्वारा दी गई शिक्षा से लाभ न उठा सकने के कारण मुसलमानों की दशा और गिर गई। इस प्रकार शिक्षा में मुसलमान पिछड़ गये, निरक्षरता का प्रतिशत उन में अन्य जातियों की अपेक्षा बढ़ गया। मानसिक क्षेत्र में जो उच्च स्तर वह प्राप्त कर पाये थे उसमें कमी आ गई। धार्मिक क्षेत्र में भी उन पर अन्य धर्मावलम्बियों के सामूहिक धर्म परिवर्तन का प्रभाव पड़ा। धर्म परिवर्तित किये जाने वाले हिन्दुओं ने मुसलमान सन्तों की हिन्दू देवताओं के समान पूजा प्रारम्भ कर दी। इस्लाम में मूर्ति-पूजा ने भी स्थान पा लिया। मुहम्मद के जलूस हिन्दू-स्योहारों की रथ यात्रा का रूप धारण करने लगे। इस प्रकार इस्लाम में सुधार की आवश्यकता पड़ी और कुछ आन्दोलन प्रारम्भ भी हुए। लेकिन उनमें से अनेक उन हिन्दू आन्दोलनों से बहुत भिन्न थे जिनके विषय में हम जान चुके हैं। ये आन्दोलन उतने प्रगतिशील न थे जितने वे थे, लेकिन इनमें से एक बहुत आगे बढ़ा जिसका मुसलमानों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। यह सर सैयद अहमद खा (१८१७-१८६८) के नाम से सम्बन्धित है। ये अपने समय के एक सबसे बड़े मुसलमान तथा एक महान् सामाजिक तथा धार्मिक सुधारक थे।

अलीगढ़ आन्दोलन— सर सैयद अहमद ने इस बात का बड़ा प्रयत्न किया कि अंग्रेज सरकार व दिला से यह बात निकल जाय कि १८५७ व सिपाही विद्रोह के लिये मुसलमान ही उत्तरदायी हैं। और इस प्रयत्न में उन्हें सफलता भी मिली। वह अपनी जाति में आत्म-विश्वास तथा सतत प्रयत्न की भावना भी भरना चाहते थे और उसे इस्लाम की प्रारम्भिक सादगी को और ले जाना चाहते थे। अपनी जाति की सभी दुःहाइयों दूर करने के लिए उन्होंने पश्चिमी शिक्षा का आवश्यक बताया जिसके प्रति मुल्नाओं, मौलवियों तथा पुरानी परम्परा में पले लोगों का बड़ा विरोध था। उन्होंने इन लोगों की धारणा का खून डट कर सामना किया और लोगों को यह समझाया कि पश्चिमी शिक्षा से इस्लाम व सिद्धान्तों पर कुछ भा चोट न पहुँचेगी। उन्होंने लोगों का बतलाया कि पैगम्बर मुहम्मद ने स्वयं कहा था कि 'शान के लिए चीन की दीवाल तक भी चले जाओ।' उनकी यह पक्की धारणा बन गई कि अंग्रेजों से मेल जाऊ करने तथा शिक्षा की पश्चिमी प्रणाली अपनाने में ही उनकी जाति का भला है। उन्होंने लोगों को यह भी समझाया कि मुसलमानों का यूरोपियनों व साथ बैठ कर खाने में कोई हर्ज नहीं है, बसतें भोजन त्याज्य न हो। उन्होंने स्वयं रहन सहन का पश्चिमी तरीका अपनाया, वह यूरोपियनों को अपने घर आमन्त्रित करते और स्वयं उनका आतिथ्य स्वीकार करते। अपने ऐसे

विचारों के कारण उनकी निन्दा भी होती लेकिन अन्त में उनकी विजय हुई और अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में तो वे मुस्लिम विचारधारा पर बड़ा प्रभाव रखने लगे थे। अपने ही जैसे विचारों वाले अपने कुछ मित्रों के साथ उन्होंने अलीगढ़ में एम० ए० आ० कॉलेज का स्थापना की जो अब प्रसिद्ध मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया है। भारत की यह प्रमुख मुस्लिम शिक्षण-संस्था है जिसका भारत के विभिन्न भागों से आने वाले मुस्लिम विद्यार्थियों की विचारधारा तथा चरित्र मोड़ने तथा दालने में बड़ा हाथ रहा है। सर सैयद ने एक प्रसिद्ध कार्य यह भी किया कि उन्होंने मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन की बुनियाद डाली। इसका अधिवेशन प्रति वर्ष किसी बड़े शहर में होता है। मुसलमानों के बीच शिक्षा-प्रसार में इसने बड़ी सहायता पहुँचाई है।

अन्य आन्दोलन— ईसाई पादरियों तथा आर्य समाज के कार्यों में सन्निहित चुनौती स्वीकार करने के लिए १८८५ में लाहौर में अन्जुमन ए हिमायत-ए इस्लाम यानी इस्लाम रक्षा-संस्था की स्थापना हुई। मुसलमान लड़के तथा लड़कियों की उपयुक्त शिक्षा जो उन्हें अपना धर्म छोड़ने से बचा सके, मुसलमान अनाथों की देख-रेख तथा शिक्षा का प्रबन्ध इस्लाम के विरुद्ध की गई आलोचनाओं का उत्तर देना तथा मुसलमानों की सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक उन्नति करना— ये इसके उद्देश्य हैं। इस संस्था में सम्बन्धित अनेक हाई स्कूल तथा मिडिल स्कूल हैं और लाहौर में एक कॉलेज भी है।

अरबी भाषा की शिक्षा देने वाले स्कूलों में शिक्षा सुधार करने, सामाजिक सुधार को गति देने तथा धार्मिक भ्रमों को दवाने के लिए १८६४ में लखनऊ में नदवात-उल-उलेमा नामक एक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने एक धार्मिक स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में आधुनिक प्रणाली पर शिक्षा होती है।

कादियान क मिर्जा गुलाम अहमद (१८३६-१९०८) द्वाग चलाये आन्दोलन का भी वर्णन आवश्यक है। मिर्जा साहब अपने को एक ईसाई मसीहा, मुसलमानी महदी तथा विष्णु का अन्तिम अवतार कहते थे। उनका कहना था कि उनका जन्म केवल इस्लाम में ही सुधार करने के लिए नहीं अपितु हिन्दू तथा ईसाई धर्मों को भी पुनर्जीवित करने के लिए हुआ है। पञ्जाब के मुसलमानों में उनके अनुयायी पाये जाते हैं। न हिन्दू ही उन्हें अपना अवतार मानते हैं और न ईसाई मसीहा।

ये सब मुस्लिम आन्दोलन मुख्यतः धार्मिक थे। फिर भी उन्होंने सामाजिक सुधार के प्रश्न की उपेक्षा नहीं की है। मुस्लिम स्त्रियों में अधिक प्रचलित पर्दा प्रथा का भी उन्होंने बड़ा विरोध किया है क्योंकि यही प्रथा मुसलमान स्त्रियों की अपेक्षाकृत पिछड़ी दशा का कारण है। अब्दुल हलीम शरर, इलाहाबाद के खान बहादुर सैयद अकबर हुसेन तथा सर मुहम्मद इकबाल पर्दा-प्रथा के कट्टर आलोचकों में

रहे हैं। विवाह सम्बन्धी मामलों में भी पर्याप्त उन्नति हुई है। विवाह की उम्र बढ़ गयी है, बहु-विवाह की प्रथा भी बहुत कम रह गई है। पर धनी वर्ग में चचेरे भाई बहनों में विवाह की प्रथा अब भी बहुत प्रचलित है। लेकिन निम्न वर्ग में कुछ महत्त्वपूर्ण सुधार अवश्य हुए हैं। ग्राम दूल्हा दूल्हिन को जो कुछ भी देता है वह उसकी सम्पत्ति समझी जाती है, परिवार की नहीं। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि अपने हिन्दू माथियों की तरह पढ़े लिखे मुसलमान नौजवान का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी कम धार्मिक हाता चला जा रहा है। देश में प्रचलित पाश्चात्य शिक्षा का यह अनिवार्य परिणाम है।

उम्र समय के धार्मिक-सामाजिक या दोषनाका भी दर्शन यहाँ उपयुक्त होगा। ये आन्दोलन मुख्यतः मुसलमानों तक ही सीमित हैं लेकिन उनका राजनैतिक प्रभाव भी नगण्य नहीं रहा है। ये आन्दोलन खुदाई खिदमतगार तथा राकफार सस्थाओं की उपज हैं।

खुदाई खिदमतगार— खुदाई खिदमतगार आन्दोलन के जन-मदाता खान अब्दुल गफ्फार खाँ हैं जो अपने सरल, सच्चे तथा अत्यधिक धार्मिक स्वभाव के कारण 'सीमाप्रान्त के गोंध' कहे जाते हैं। प्रारम्भ में यह आन्दोलन उन सामाजिक बुराईयों का निकाल पेंकने के लिए प्रयत्नशील रहा, जिन्होंने पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा कन्नौली इलाकों के लोगों को इतना पछड़ा, गरीब तथा अगतिशील बना दिया था। पहिले उन लोगों में आपस में बड़ी फूट थी, अन्तर्जातीय स्वर्घा के कारण कभी कभी खून खराबी तथा तबाही टा देने वाले झगड़े हा जाते थे। वे आपस में लड़ते रहते और पारस्परिक उन्नति के लिए कभी भी एक साथ सगठित होकर न रहते। परिष्कारमय रूप से गरीब, निरक्षर तथा अ-वविश्वासी बने रहकर कठिनातापूर्वक जीवन बिताते रहे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ ने यह सब देखा और अपने लोगों के प्रति गहरे प्रेम ने उन्हें उनकी दशा में सुधार के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ करने की प्रेरणा दी। उन्होंने गाँव गाँव घूमकर यह प्रचार किया कि वे सब लाग भाई भाई हैं और उनको मिल जुलकर और सेवा भाव से रहना चाहिए। उनका नेतृत्व में ही उज्जु तथा लडाकु पठान जाति ने पारस्परिक सहायता, सहकारिता, क्षमा तथा प्रेम का पाठ साखा है। खा साहब ने अहिंसा का मन्त्र अपनाया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इण्डियन नेशनल कांग्रेस द्वारा सगठित अनेक सविनय अवज्ञा-आन्दोलनों ने अबसर पर खूँसार पठान जाति ने अहिंसा का बड़ा सुन्दर परिचय दिया है। खुदाई खिदमतगारों ने अपने को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिये क्योंकि वे जानते थे कि बिना पूरे भारत की सहायता पाये उनकी समस्या नहा हल हो सकती। उन्होंने देखा कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वतन्त्रता आवश्यक है और स्वतन्त्रता तब तक नहीं मिल सकती जब तक उसके लिए प्रयत्नशील सभी लोगों से

एका न कर लिया जाय। सीमाप्रान्त की पाकिस्तानी सरकार ने इस आन्दोलन को सख्ती से दबा दिया और आजकल खान साहब और उनके साथ जेलों में बन्द हैं।

खाकसार— खाकसार आन्दोलन कुछ दूसरी ही तरह शुरू हुआ। इसके संस्थापक इनायत उल्लाह खां थे जो अल्लामा मशरकी के नाम में अधिक प्रसिद्ध हुए। वह पञ्जाब यूनिवर्सिटी के एक मेधावी एम० ए०, तथा कैम्ब्रिज के एक प्रतिभाशाली छात्र रह चुके थे और कुछ समय तक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी भी की थी। उन्होंने १९२१ के खिलाफत आन्दोलन का उतार-चढ़ाव देखा था तथा अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन के तुरन्त बाद हुए हिन्दू मुसलिम दंगे का भी उनको अनुभव था। उन्होंने यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय संग्राम की एक प्रमुख दुर्गति थी कमजोर तथा प्रभावहीन भावुकता। उनके अनुसार राष्ट्र की एकता तथा कुछ ऐसे परिश्रमशील व्यक्तियों की सबसे अधिक आवश्यकता थी जो हुकम का भली भौति तथा बिना हिचक के पालन कर सके। चूंकि जाति-भेद इत्यादि का भेद भाव किये बिना सामाजिक सेवा व कार्य-क्रम से ही सबसे अच्छी प्रकार एकता तथा अर्ध-सैनिक ढंग से परेड तथा टिल से ही शारीरिक परिश्रमशीलता लाई जा सकती है, इसलिए उन्होंने खाकसार आन्दोलन प्रारम्भ किया। यह आन्दोलन पौबी शिक्षा तथा सामाजिक सेवा पर अधिक जार देता है और इसने अनेक लम्बे और चौड़े तथा आकर्षक तौर-तरीके भी निकाल लिये। इस संगठन के सदस्य अपनी वचित्रे वर्दी में सध्या समय एकत्रित होते और एक घंटे या ऐसे ही समय एक पौबी परेड करते। प्रत्येक खाकसार आन्दोलन व प्रतीकस्वरूप एक पावबा या रेलवा लिये रूढ़ता। आन्दोलन का अनुशासन बड़ा ही कठिन था, इसने कुछ उच्च अधिकारियों को भी साधारण नियमों के उल्लंघन के लिए सजा भुगतनी पड़ी थी। देश के विभाजन के साथ इस आन्दोलन का अन्त हो गया।

इस आन्दोलन का कोई निश्चित लक्ष्य न था। इसने नेता अल्लामा मशरकी ने एक बार अपने पत्र 'दी लाइट' में इस प्रकार लिखा कि वह केवल, ईंटे, चूना तथा गारा एकत्रित करने में लगे हुए थे क्योंकि पहिले से ही तैयार इमागत की बात करना असंगत होता। उन्होंने यह भी लिखा कि उनके खाकसारों को 'यह नहीं मालूम कि वह किस चीज के लिये प्रयत्नशील है। उसे तो हुकम पर मरना है।' अपने कार्यों तथा संगठन में यह प्रमुग्धता मस्तिम था, हालाँकि इसमें कुछ गैर-मुस्लिम सदस्य भी थे।

यह आन्दोलन १९३१ में सगठित हुआ था। प्रारम्भिक एक या दो वर्षों तक यह बिना किसी से झगडा किए उन्नति करता रहा। लेकिन बाद में मौलानाओं का विरोध करके इसने उनका दुश्मनी मोल ले ली। उनकी दुश्मनी का इस पर कोई खास प्रभाव न पड़ा और इसका शक्ति तथा प्रभाव बढ़ता ही रहा। बहुत लोगों का

विश्वास था कि ग्रभेज सरकार इसका साथ देता थी। १९३६ में इसका सयुक्त प्रान्त की सरकार से भगडा हो गया क्योंकि वह पञ्जाब से एक बेल्जा-लैम टुकड़ी को शिया मुन्ना भगडे में बीच बिचाव करने लखनऊ जाने देने से राक रही था। कुछ महीने बाद खाकसारी ने अपने ऊपर लगाये पञ्जाब सरकार के प्रतिबन्ध का विरोध किया और पुलिस से उनका भगडा हो गया। पुलिस ने गोली चलाई जिससे अनेक लोगों की मृत्यु हो गई। लाहौर वाली घटना पूरे प्रान्त में किये जाने वाले पड़्यन्त्र का का हा एक ग्रग था जिसकी तैयारियों का सरकार के खुपिया विभाग ने पकड लिया था।† इसका नेता गिरफ्तार कर लिया गया और तीन साल तक जेल में बन्द रखा गया। वह तभी छोडा गया जब उसने जेल से एक घोषणा प्रकाशित करवा कर अपने अनुयायियों को अपनी वर्दा पहिनने, बेल्जा या अन्य कोई हथियार लेकर चलने, पीडी परेड तथा ड्रिल छाड देने के लिए कहा। वर्तमान समय में इस आन्दोलन का अस्तित्व नहीं है।

हिन्दुत्व तथा इस्लाम का पारस्परिक प्रभाव

हमने कई बार इस बात पर ध्यान दिलाया है कि भारत में इस्लाम हिन्दू विचारों तथा क्रिया कलापों से प्रभावित हुआ है। अपनी रहन सहन में एक मुसलमान न केवल तुर्क या अरब की अपेक्षा अपने हिन्दू पड़ोसी से अधिक निकट है। इसके दो कारण हैं। भारतीय मुसलमानों का एक बड़ा भाग मूलतः हिन्दू है। मुसलमान बनने से हिन्दुओं ने अपने पहिले से रीत रिवाजों तथा क्रिया कलापों को छोडा नही है। कारण यह दुश्मनों के जाति भेद ही की तरह मुसलमानों में भी भेद भाव, सयुक्त परिवार, विधवाओं से पुनर्विवाह की और अस्वीकृति की भावना, मूर्तिपूजा साधुओं पीरों की पूजा, रथयात्रा की तरह मुहर्रम का जलूस, सगुन तथा जादू टाने पर विश्वास पाया जाता है, जो कुरान की शिक्षाओं के विरुद्ध हैं। जन्म, मृत्यु तथा विवाहादि के अनुसार पर मुस्लिम-राजपूत और मुस्लिम जात, अपने क्रिया कलापों की पूति में हिन्दू रस्मों को भी शामिल कर लेते हैं। गावों में मुसलमान भी विपत्ति के अघसर पर स्थानीय देवी देवताओं की तुष्टि करते हैं। इसका दूसरा कारण इस सिद्धान्त में निहित है कि जब एक विजित जाति गुलाम बना कर पौर्जा शासन में रक्खी जाता है तो उसकी सभ्यता का प्रभाव-विजेता जाति पर पडता है।* वही चीज भारत में भी हुई। यहाँ पर इस कार्य के ऊपर वर्णित तथ्य से और भी सहायता मिली। यहाँ यह बतलाना भी अनुपयुक्त न होगा कि अलबरूनी जैसे मुसलमान विद्वानों ने सस्कृत पर अधिकार प्राप्त करके अनेक सस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया जिससे विज्ञान तथा दर्शन के क्षेत्र में हिन्दुओं की अनेक चीजों का बाहर प्रचार हुआ।

† देखिये विल्फ्रेड कैन्टान स्मिथ • मार्डन इस्लाम इन इण्डिया, पृष्ठ २८१।

* ग्रो मैली मार्डन इण्डिया एण्ड दी वेस्ट, पृष्ठ ६।

वर्ष तक हाथ न डालने की प्रतिज्ञा करवायी और अपना समय घटनाओं की धारा से परिचय प्राप्त करने में बिताने का आदेश दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी एक वामपक्षीय नेता होने के बजाय नरम प्रकृति के व्यक्ति थे। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि उन्हीं के प्रभाव के कारण १९१६ में होने वाले कांग्रेस के श्रमृतसर अधिवेशन के प्रस्ताव में शान्ति एवं सयम की भावना का समावेश हुआ, गो कि श्रमृतसर के जलियाँवाला बाग में स्त्री-पुरुषों तथा बच्चों की निर्मम हत्या, उसी वर्ष के अप्रैल में जनरल डायर द्वारा शहर निवासियों पर की गई ज्यादतियों तथा पञ्जाब में मार्शल लॉ के विरुद्ध लोगों में बढ़ा हुआ ह्योम एवं असन्तोष व्याप्त था। मान्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधार-योजनाओं के निराशाजनक और अनुपयुक्त होने पर भी उत्तरदायी सरकार की शीघ्र स्थापना के लिए कांग्रेस ने उन्हें स्वीकार कर लिया। ऐसे गम्भीर तथा उदारवादी नेता को भी असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाना पड़ा तथा औपनिवेशिक पद की माँग के स्थान पर कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज बनाना पड़ा— यह भारत सरकार की काला करतूतों पर दुःखद आलोचना ही नहीं बल्कि समय के प्रवाह में एक नये परिवर्तन का चिह्न भी है। हमारा सम्बन्ध इन घटनाओं से है जो उन परिवर्तनों का कारण बनीं जिनकी इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सस्थापकों ने कल्पना भी नहीं की थी।

पञ्जाब में हुए अत्याचारों के प्रति भारत तथा ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के रुख तथा जनरल डायर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई बहस ने महात्मा गांधी की आँखें खोल दीं और उन्हें सहयोगी से असहयोगी बना दिया। १९१७ में महायुद्ध समाप्त होने से पहिले ही भारत सरकार ने रौलट कमेटी नियुक्त की जिसका कार्य देश के अन्तिकारी आन्दोलन से सम्बन्धित पड़्यन्त्रों की जाँच करना और उनके अन्त करने के लिए सरकार को उपयुक्त उपाय सुझाना था। इस कमेटी ने १९१८ की जनवरी में अपना कार्य प्रारम्भ किया और उसी वर्ष के अप्रैल के मध्य में अपनी रिपोर्ट दे दी। स्पष्ट स्थिति का सामना करने के लिए दो प्रकार के कानून बनाने की सलाह दी। इस सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने दो बिल तैयार कराये और व्यापक तथा विधान सभा के गैर-सरकारी विरोध के बावजूद भी उन्हें विधान सभा से पास करा दिया। इन दोनों बिलों द्वारा आतङ्कवादी जन-आन्दोलनों को कुचलने के लिए सरकार को बहुत अधिक अधिकार दिये गये। राइट ऑनरेबिल श्री० श्रीनिवास शास्त्री जैसे उदारवादी नेता ने भी लोगों की भावनाओं के विरुद्ध ऐसे बड़े कानून के भयानक परिणामों के सम्बन्ध में सरकार का चेतावनी दी। दाक्षिण्य किमी भी घटना ने कांग्रेस की नीति तथा रुख में इतना परिवर्तन नहीं किया जितना सारे राष्ट्र के विरोध करने पर भी रौलट बिलों की सरकार द्वारा स्वीकृति ने। भारत सरकार की ऐंठ से महात्मा गांधी बहुत चिन्तित हुए। वे उस समय रौलट बिलों के ऐंठ बनने पर उसके विरुद्ध किमी प्रकार का सत्याग्रह ठानने की चिन्ता में थे। उनके मन में यह विचार आया कि एक निर्दिष्ट दिन को सारे देश में हड़ताल

मनायी जाय और वह दिन उपवास और ईश्वर-प्रार्थना में बिताया जाय । १९१६ के मार्च की तीस तारीख इस कार्य के लिये निश्चित की गयी लेकिन वाट में बदल कर छु अग्रेल कर दी गयी । कुछ शहरों में तीस मार्च को ही हडताल मनायी गयी । दिल्ली में पुलिस ने एक ऐसी भीड़ पर गोली भी चलायी जो एकजित होकर रेलवे जलपान-घड़ों को बन्द करने पर जोर दे रही थी । ६ अग्रेल की हडताल के बाद महात्मा गांधी ने कुछ स्थानीय नेताओं की प्रार्थना पर दिल्ली जाना स्वीकार कर लिया लेकिन दिल्ली के रास्ते में ही वे पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिये गये और कुछ पुलिस रजकों के साथ बम्बई भेज दिये गये । उनकी गिरफ्तारी का समाचार दावाग्नि के समान फैल गया और कुछ स्थानों पर उत्पात भी मचा । लेकिन सरकार ने उन्हें ह्वाब दिया और इस प्रकार शान्ति स्थापित हो गयी । सर माइकेल ओडायर द्वारा शासित पंजाब में कुछ जनप्रिय नेताओं को कैद तथा निहस्त्री जनता पर गोली चलाने के कारण लाहौर तथा अमृतसर में बड़ी सनसनी पैली । अमृतसर की घटनाएँ दिल को दहला देने वाली हुईं । पुलिस द्वारा १० अग्रेल की निहस्त्री भीड़ पर गोली वर्षा का विरोध करने के लिए अमृतसर के लोगों ने जलियावाला बाग में ११ अग्रेल को एक सभा की । उन्हें जनरल डायर द्वारा शहर की सभी सभाओं पर लगाये प्रतिबन्ध का ज्ञान नहीं था । सभा जब होने जा रही थी तो जनरल डायर ने उसे रोकने का कोई भी प्रबन्ध नहीं किया , लेकिन इसके प्रारम्भ हो जाने पर वह उस स्थान पर इथियारबन्द फौजी टुकड़ियों के साथ पहुँचा और अपने सिपाहियों के तब तक गोली चलाने का आदेश दिया जब तक कारतूस खत्म न हो जायें । पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों की यह निर्मम हत्या केवल एँठ में कर दी गयी , उसके लिए देश की जनता की ओर से कई उत्तेजना नहीं दी गयी थी । जनरल डायर ने मृतकों एवं घायलों को उसी स्थान पर पड़ा रहने दिया जैसे उनके विषय में तनिक भी चिन्ता करना उसका कर्त्तव्य ही नहीं था । पंजाब में कासूर तथा गुजराणवाला में भी दुर्घटनाएँ घटीं जिसके परिणामस्वरूप लाहौर, अमृतसर, गुजराणवाला जिलों में फौजी कानून लागू कर दिया गया और वह ११ जून तक बरकला गया । फौजी कानून का कड़ाई की ओर सकत करना यहाँ आवश्यक नहीं है । लूट-मार, कैद, कोड़ेबाजों तथा अत्याचार का जो दृश्य उपस्थित किया गया उसके वर्णन के लिए यहाँ स्थान नहीं है ।

इन घटनाओं का पता चलने पर लोगों में बड़ा खोब पैला और उन्होंने इन भयानक तथा अमानुषक कार्यों के लिए उत्तरदायी लोगों को दण्ड देने की माँग की । गवर्नमट ने इन घटनाओं की जाँच के लिये एक कमेटी बिठायी । लेकिन इस कमेटी का कार्य प्रारम्भ होने के पहले ही सरकार ने अपराधी अपसरों को बचाव के लिए एक इन्डेमिटी बिल पास कर दिया जिससे उन्हें छूट दे दी गया । कमेटी की रिपोर्ट घटनाओं पर प्रायः पर्दा डालने वाली ही रही । इससे देश का क्रोध और

भी बढ़ गया। सरकार ने सर माइकेल ओडायर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की और केवल जनरल डायर को 'निर्णय की भूल' के लिए उत्तरदायी बताकर नौकरी से हटा दिया। ऐसे उत्तरदायित्वहीन कार्यों से यह स्पष्ट हो गया कि इंग्लैंड तथा भारत की सरकार को पञ्जाब की भयंकर भूला के लिए कोई अपसोस न हुआ। महात्मा गाँधी ने यह सोचा कि ऐसी भयंकर भूला का पक्ष लेने वाली सरकार अवश्य ही स्वभावतः शैतानी है और इसलिए उन्होंने अपने को इस सरकार से हर प्रकार अलग कर लेने का निश्चय किया। वह बुराई का कभी भी पक्ष नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने सरकार से असहयोग प्रारम्भ कर दिया। एक स्कीम बनाकर उन्होंने राष्ट्र को सरकार से तब तक असहयोग करने का आदेश दिया जब तक पञ्जाब की भूला में सुधार तथा देश में स्वराज की स्थापना न हो जाय। लाला लाजपत राय के समापत्तिय म कांग्रेस का कलकत्ता-अधिवेशन १९२० की सितम्बर के पहले सप्ताह में हुआ। कांग्रेस के इसी विशेष अधिवेशन के अवसर पर गाँधी जी ने अपनी योजना लोगों के सामने रखी। इस अधिवेशन के अवसर पर विभिन्न प्रान्तों के मुसलमान भा अधिकांश सख्या में एकत्रित हुए थे। उन्होंने आन्दोलन में अपना सहयोग देने का निश्चय किया क्योंकि खिलाफत के प्रश्न पर उन्हें भी सरकार के खिलाफ अनेक आशकायें थीं। असहयोग के सम्बन्ध में गाँधी जी ने जो प्रस्ताव रक्खा उसे लगभग आठ सौ न अल्पमत न विरुद्ध दो हजार न बहुमत ने स्वीकार किया। यह प्रस्ताव पूरा उद्धृत करने योग्य है, क्योंकि इसी से कांग्रेस की नीति एवं कार्यक्रम एक नयी महिम प्रारम्भ होता है। प्रस्ताव इस प्रकार है

‘खिलाफत के प्रश्न पर भारत तथा ब्रिटेन दोनों की सरकारें भारतीय मुसलमानों के प्रति अपने कर्त्तव्य म असफल रहा हैं। प्रधान मन्त्री ने उनसे की हुई प्रतिज्ञा को जान भूल कर तोड़ा है। प्रत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का कर्त्तव्य है कि वह अपने मुसलमान भाई का उसने धार्मिक सङ्कट में हर प्रकार सहायता करे। १९१६ की अप्रैल वाली घटनाओं के सम्बन्ध में ऊपर उतायी गयी सरकारों ने अत्यधिक उपेक्षा प्रदर्शित का है या उन्हें धार असफलता मिली है। इन सरकारों ने पञ्जाब के निरीह लोगों की रक्षा तथा उन्हें प्रति अनुमानापक व्यवहार करने वाले अपसरों की सजा न सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। जो अधिकतर सरकारा अपराधों का उत्तरदायित्व सर माइकेल ओडायर के ऊपर है और अपने शासन में रहने वाली प्रजा न कर्म न प्राप्त उसने धार उपेक्षा भा दिजायी, लेकिन फिर भी वह साफ, बरी कर दिया गया। 'हाउस आफ कॉमन्स', विशेषतः 'हाउस आफ लार्ड्स' में हुई बहस म भारताप्रा के प्रात तानक भा सहानुभूति नहीं दिजायी गयी, उल्टे पंजाब में फैले व्यग्रनियत यातक तथा मयानक कृत्यों का ही पक्ष लिया गया। खिलाफत तथा पञ्जाब के मामलों के सम्बन्ध म वाइसराय का हाल की बातें इस तथ्य को प्रमाणित करती हैं कि उन्हें तनिक भी अपसोस नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर कांग्रेस

की यह राय है कि इन दो भयंकर अत्याचारों का जत्र तक निराकरण न हो जाय तब तक भारत के लोगों को सन्तुष्ट नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा तथा ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति का रोकने के लिये स्वराज की स्थापना ही एक उपाय है।'

'कांग्रेस का आगे यह विचार है कि अधिकाधिक अहिंसात्मक असहयोग को अपनाते और उसे कार्यान्वित करने के अतिरिक्त भारतीयों के सामने और कोई मार्ग नहीं है। यह मार्ग तब तक अपनाया जाय जब तक अत्याचार की स्थिति में सुधार तथा स्वराज की स्थापना न हो जाय।'

'जनमत को मोड़ने तथा उसका अब तक प्रतिनिधित्व करने में जिन वर्गों का हाथ रहा है उन्हीं को सभ्य से पहिले आन्दोलन प्रारम्भ करना चाहिये। सरकार अपना प्रभाव लोगों पर खिताबों तथा अन्य प्रकार के सम्मानों, शिद्दण सस्थाओं, कचहरियों तथा व्यवस्थापिका सभाओं द्वारा स्थापित करती है। आन्दोलन की वर्तमान स्थिति में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उतना ही खतरा उठाया जाय तथा उतना ही त्याग किया जाय जितना अनिवार्य हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखाकर कांग्रेस की निम्नलिखित निश्चित रायें हैं

(क) उपाधियों, अवैतनिक पदों का त्याग तथा स्थानीय सस्थाओं के पदों से इस्तीफा।

(ख) सरकारी उत्सवों, दरबारों तथा सरकारी अपसरों द्वारा किये गये श्रद्ध-सरकारी उत्सवों में भाग न लेना। सरकारी अपसरों के आदर में किये गये उत्सवों में भी सम्मिलित न होना।

(ग) लड़कों को स्कूलों तथा कॉलेजों से धीरे-धीरे हटा लेना तथा विभिन्न प्रान्तों में राष्ट्रीय स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना।

(घ) यकीलों तथा मुक्किलों द्वारा अंग्रेजी कचहरियों का धीरे-धीरे परित्याग तथा भगदड़ आपस में ही तय कर लेने के लिए पंचायतों की स्थापना।

(ङ) मेसोपोटामिया में काम करने से पौजी आदिमियों, क्लकों तथा मजदूर वर्ग के लोगों का इन्कार।

(च) उम्मीदवारों का नई कौमिलों के चुनाव से अपने को हटा लेना तथा वोट देने वालों का उस व्यक्ति को वोट देने से इन्कार जो कांग्रेस की राय न होने पर भी चुनाव के लिये रज्जा होता है।

(छ) विदेशी माल का पूर्ण बहिष्कार।'

'असहयोग आन्दोलन लोगों को अनुशासन एवं आत्म-त्याग की शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ किया जा रहा है क्योंकि बिना इन गुणों के कोई भी राष्ट्र सच्ची उन्नति नहीं कर सकता। असहयोग के पहले चरण में प्रत्येक स्त्री-पुरुष तथा बच्चे को इस प्रकार के अनुशासन एवं आत्म-त्याग का अवसर मिलना चाहिए।

जहा तक इन चीजों का सम्बन्ध है कांग्रेस की राय है कि सूती मालों के सम्बन्ध में स्वदेशी का पूर्ण रूप से व्यवहार किया जाय । चू कि देशी-सम्पत्ति तथा देशी प्रबन्ध वाली भारत की वर्तमान मिलें देश की आवश्यकता के लिये पूरा सूत तथा कपडा तैयार नहीं कर पा रही हैं और भविष्य में बहुत दिनों तक वे ऐसा नहीं कर पायेगी, इसलिए कांग्रेस की यह राय है कि अधिक से अधिक उत्पादन के लिए प्रत्येक घर में सूत काता जाय और उन जुलाहों तथा बुनकरों को फिर से काम में लगाया जाय जिन्होंने प्रेरणा के अभाव में अपने प्राचीन और गौरवपूर्ण पेशे का परित्याग कर दिया है ।'

असहयोग के सम्बन्ध में इस प्रसिद्ध प्रस्ताव से राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में एक नवीन युग प्रारम्भ होता है । इस प्रस्ताव ने राजनैतिक विरोध के स्थापित तथा पुराने ढंग के प्रति लोगों का दृष्टिकोण ही बदल दिया । १९२० की दिसम्बर में कांग्रेस के नागपुर-अधिवेशन में यह प्रस्ताव और भी पक्का कर दिया गया । इस अधिवेशन में लगभग बीस हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । देशान्धु चित्तरजनदास तथा लाजपत राय जैसे नेताओं ने कलकत्ते में असहयोग का विरोध किया था लेकिन नागपुर में वे उसके समर्थक बन गये । कांग्रेस की आत्म-त्याग की पुकार का लोगों ने अपूर्व और शानदार ढंग से उत्तर दिया । आन्दोलन में भाग लेने के कारण बीस हजार व्यक्तियों ने प्रसन्नतापूर्वक जेल-जीवन का कष्ट भेला । सैकड़ों व्यक्तियों ने अपनी उपाधियाँ और स्त्रिताव त्याग दिये और इसके कई गुना अधिक लोगों ने कचहरियों में अपनी बकालत छोड़ दी । हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज त्याग दिये और देशभर में अनेक राष्ट्रीय-संस्थानों की स्थापना हो गयी । इन संस्थाओं में अलीगढ़ का राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ तथा तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ के नाम उल्लेखनीय हैं । १९२१ के पूरे वर्ष तक आन्दोलन जितनी सफलता के साथ आगे बढ़ा उतनी सफलता की आशा इसके कट्टर समर्थकों को भी न थी । धारदोली तालुका में महात्मा जी करवन्दी का आन्दोलन सगठित कर रहे थे । इन सबसे ब्रिटिश-सरकार की नींव हिल उठी ; स्वराज सामने दिखाई देने लगा । लेकिन इसी मनोवैज्ञानिक अवसर पर मलाबार में मोपला दंगा प्रारम्भ हो गया जिसमें हिन्दुओं पर वर्षानातील अत्याचार हुआ । हिन्दू-मुस्लिम एकता पर यह बहुत बड़ा आघात था । यह एकता ही तो उस वर्ष के अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन का प्रमुख स्तम्भ थी । वेल्स के राजकुमार के भारत आगमन के अवसर पर बम्बई में बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गयी । इससे भी बुरी बात यह हुई कि उन्मत्त जनता ने चौरी-चौरा की चीकी में आग लगा दी और वहाँ पुलिस के अनेक व्यक्तियों की हत्या हो गयी । महात्मा जी ने देखा कि आन्दोलन का अहिंसात्मक रूप समाप्त हो रहा है, इसलिए उन्होंने इसे तुरन्त बन्द कर देने की आज्ञा दे दी । इस पर उनके निकट अनुयायियों को बड़ा दुःख भी हुआ । उन्होंने कांग्रेस के वे सभी कार्य बन्द कर दिये जिनसे जेल जाने की आवश्यकता पड़ती । सरकार ने इस

अवसर से लाभ उठाया, उसने गाँधी जी को कैद करके उन पर मुकदमा चलाया और मार्च १९२२ में उन्हें छह वर्ष की सजा दे दी।

महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलने वाला असहयोग का पहला आन्दोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा। ब्रिटिश सरकार हिल तो गई लेकिन गिरी नहीं। फिर भी आन्दोलन एकदम निष्फल नहीं रहा। इसमें राजनैतिक विरोध को उस स्तर तक पहुँचा दिया जिसका पहिले किसी ने कल्पना भी न की थी, इसने कांग्रेस आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बना दिया तथा स्वराज का सन्देश समाज के निम्न स्तर तक पहुँचा दिया। इसने एक और दिशा में भी अच्छा परिणाम दिया। नौकरशाही ने पहली बार इस बात की आवश्यकता समझी कि नरम दिल के राजनीतियों की शुभेच्छाओं का अतना मूल्य है। इसने उनका सहयोग पाने के लिए अपना पूरा प्रयत्न लगा दिया और मान्डरोर्ड सुधारों का दस दह से लागू किया कि बैसा बड़ दूसरा स्थिति में कभी न करती।

अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन की बाह्य असफलता से कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने नई विधान-सभाओं के लगातार बहिष्कार की नीति का विरोध प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस के भीतर ही सी० आर० टाम तथा मोतीलाल नेहरू ने एक काँग्रेस प्रवेश पार्टी की स्थापना की। एकीकृत अजमलपूरा तथा विठ्ठलभाई पटेल ने भी इसे अपना सहयोग दिया। यह स्वराज-पार्टी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका उद्देश्य था अहमदाबाद की नीति द्वारा विधान को अन्दर ही अन्दर ताड़ देना और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रीय माँग स्वीकार करने के लिए विवश कर देना। गाँधी जी के बड़े अनुयायियों ने कौंसिल में घुसने का विरोध किया। ऐसे लोगों को लोग अपरिवर्तनवादी (No changers) कहते, डा० अमरी तथा श्री राजगोपालाचारी इनके अनुयायी थे। बड़ी काठनायियों के बाद कौंसिल में घुसने की इच्छा रखने वाले दल (Council Entry Party) की विजय हुई। विधान सभाओं के चुनावों में काफी डटा-डटी रही, लेकिन इण्डियन नेशनल कांग्रेस की ओर से खड़ी स्वराज पार्टी की अनेक प्राप्ति में विजय हुई। बंगाल तथा मध्य प्रान्त में स्वराज पार्टी के लोग काफी सख्या में सफल हुए। उनकी सख्या इतनी थी कि सविधान का चलना असम्भव हो गया। लेकिन अहमदाबाद की चालों से नौकरशाही डिग न सकी। केन्द्रीय विधान-सभा में भी स्वराज-पार्टी कुछ अधिक न कर सकी। भारत के लिए एक सविधान बनाने के उद्देश्य से इसने एक गोल मेज सम्मेलन की माँग की जिसे लॉर्ड रीडिंग की सरकार ने अस्वाकृत कर दिया। १९२० के चुनाव में स्वराज पार्टी को बड़ा धक्का सहना पड़ा जिसका कारण इसका सदस्यों की सख्या कम हो गयी। भारत के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने में कौंसिलों में घुसने का कार्यक्रम असफल रहा और परिस्थितियों ने उसे पुराने कार्यक्रम की ओर लौटने

क लिए विवश कर दिया। इस पुराने कार्य क्रम का उद्देश्य तैयारी करते रहना और आवश्यकता पड़ने पर खूब अधिक सख्त में सविनय अवज्ञा करना था। फिर भी स्वराज-पार्टी को एक सफलता मिली। नरम दल वाला तथा नौकरशाही ने नये विधान की प्रशंसा का जो पुल बाँध रखा था उसे इसने नष्ट कर दिया। इसने उदारवादियों अर्थात् नरम दल वालों को विधान-सभाया से अलग कर दिया और नौकरशाही के इस कथन को अमत्य सिद्ध कर दिया कि वह देश पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन कर रहा था।

साइमन कमीशन— स्वराज पार्टी द्वारा तैयार किया हुआ कैमिल-मोर्चा अब पुराना पड़ चुका था और इण्डियन नेशनल कांग्रेस के पास ऐसा कोई प्रेरणाशील एवं उस्ताहवर्धक कार्यक्रम न था जिसे वह देश के मामने रख सकता। इसी समय ब्रिटिश सरकार ने स्वयं देशव्यापी आन्दोलन के लिए राजनीतिज्ञों को एक अच्छा अवसर प्रदान किया। एक रॉयल कमीशन की, जो नये विधान के कार्यों की जाँच करके पार्लियामेंट में रिपोर्ट पेश करता, नियुक्ति के लिए दस वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बदले, इंग्लैंड की सरकार ने उसे १९२७ में ही भेजने की घोषणा कर दी। साइमन कमीशन— यही उस कमीशन का नाम था— सन्मुख २ फरवरी १९२८ को बम्बई पहुँचा। इस कमीशन का अरिबल-भारतीय हडताल द्वारा स्वागत हुआ। यह कमीशन जहाँ कहीं भी जाता वहाँ हडताल होती काले झंडे का प्रदर्शन होता और 'साइमन लौट जाओ' का नारा लगाया जाता। सभा मतों के लोगों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, यहाँ तक कि उन्द्राय तथा प्रान्तीय विधान-सभायाँ ने भी उससे सहयोग नहीं किया। केवल मद्रास की अस्टिस पार्टी तथा कुछ मुस्लिम सस्थाओं ने इसका स्वागत किया। इस प्रतिरोध का कारण यह था कि कमीशन में केवल अंग्रेजों की नियुक्ति की गयी थी, भारतीय कोई था ही नहीं। कमीशन की सदस्यता से भारतीयों को अलग रखने में उनकी राष्ट्रीय सम्मान की भावना को बड़ा धक्का लगा जिसे कोई भी देशभक्त भारतीय सहन नहीं कर सकता था। साइमन कमीशन के बहिष्कार ने देश में बड़ी उथल-पुथल मचा दी। ब्रिटिश सरकार ने आतङ्क तथा जोर-जबरदस्ता का दम अरत्वार किया। काले झंडे के प्रदर्शनकारियों को तितर तितर करने के लिए पुलिस अक्सर लाठी का प्रयोग करती। लाठी म लाला लाक्षपतराय ऐसे ही एक उल्लू के अगुआ थे। उन पर ऊपर निर्लज्जतापूर्वक लाठी तथा डडों की वर्षा की गयी। यह विश्वास किया जाता था और ब्रिटिश-सरकार पर यह आरोप भी किया गया कि इसी घातक हमले के कारण उनकी शीघ्र मृत्यु हो गयी। लोकन सरकार ने इस मामले में कोई जाँच नहीं की। लखनऊ में अवाहरलाल नेहरू तथा गोविन्दवल्लभ पन्त जैसे मान्य नेताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया। पुलिस के इस कर्ताव से लोगों में बड़ा दोष पैदा और इसी लिए कुछ आतङ्कवादी घटनाएँ भी घटीं।

नेहरू-रिपोर्ट— लॉर्ड बर्केनहेड ने, जो उस समय भारत-मंत्री थे, रॉयल कमीशन में भारतीयों को न रखने का कारण यह बताया कि उनमें परस्पर मेल न था। उन्होंने उन्हें एक सर्वमान्य विधान बनाने तथा उसे पार्लियामेंट के सामने रखने की चुनौती दी। भारत के राजनैतिक नेताओं ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक अर्रॉल-पार्टीज कान्फ्रेंस सगठित की जिसकी बैठकें उस समय हुईं जब साइमन कमीशन देश में दौरा कर रहा था। सर्वदल सम्मेलन ने विधान के निर्माण के लिए प० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक उप-समिति नियुक्त की। महीनों के परिश्रम के बाद नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की जो इतिहास में 'नेहरू-रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। इसने भारत के लिए औपनिवेशिक आधार पर एक विधान तैयार किया। १९२८ में कांग्रेस के कलकत्ता-अधिवेशन ने इस रिपोर्ट पर विचार किया। इस अधिवेशन में भारत के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता चाहने वालों तथा औपनिवेशिक पद के समर्थकों के बीच खूब वाद-विवाद हुआ। पहले दल के नेता ये प० जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचन्द्र बोस तथा दूसरे दल के नेता प० मोतीलाल नेहरू थे जो उस अधिवेशन के सभापति थे। महात्मा गाँधी ने मेल के लिए एक प्रस्ताव पेश किया जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव इस प्रकार है :

'सर्वदल समिति की रिपोर्ट द्वारा पेश किये हुए विधान पर विचार करने के पश्चात् कांग्रेस उसका स्वागत करती है क्योंकि भारत की राजनैतिक तथा साम्प्रदायिक समस्याओं के हल के लिए यह एक महान् देन है। मुसलमों पर एकमत होने के लिए कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देती है। मद्रास-कांग्रेस के अचर पर पास किये हुए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को ही मानने के साथ साथ कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्मित विधान को राजनैतिक प्रगति में एक महान् कदम के रूप में स्वीकार करती है; विशेषतः इसलिए कि देश की प्रमुख पार्टियों के बीच वह सबसे अधिक समझौते का प्रतिनिधित्व करता है।

'यदि यह विधान दिसम्बर १९२९ या उससे पहिले स्वीकार नहीं किया जाता तो कांग्रेस उसे मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगी और यह भी घोषित किया जाता है कि यदि ब्रिटिश पार्लियामेंट इस तारीख तक विधान को स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस अहिंसात्मक असहयोग फिर प्रारम्भ कर देगी जिसके अनुसार देश सरकार को कर या अन्य किसी प्रकार का सहायता देना बन्द कर देगा।'

१९३० या उसके बाद वाले वर्षों में जो घटनाएँ हुईं वे इस प्रस्ताव के अत्यधिक महत्त्व की प्रमाण हैं। सरकार पर भी इसका कुछ प्रभाव पड़ा। भारतीय मामलों पर विचार-विमर्श करने तथा यहाँ के राजनैतिक मतों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के दृष्टिकोणों को अंग्रेजी सरकार के सामने रखने के लिए लॉर्ड इरविन, उस समय के गवर्नर-जनरल, जून के अन्त में इंग्लैंड गये। वे अक्टूबर २५ को लौट आये और सम्राट् की सरकार की ओर से उन्होंने ३१ अक्टूबर को एक घोषणा की। सम्पूर्ण घोषणा को यहाँ उद्धृत नहीं किया जा सकता। हम इसकी केवल प्रमुख

विशेषताएँ बतायेगे और इसकी प्रतिक्रिया का निरीक्षण करेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि ब्रिटेन तथा भारत की सरकार ने भारत का औपनिवेशिक पद देने का निश्चय किया। घोषणा के अन्तिम शब्द ये थे : "सम्राट् की सरकार की ओर से मुझे यह स्पष्ट करने का पूरा अधिकार मिला है कि उसके निर्णय के अनुसार १९१७ की घोषणा में यह स्पष्ट है कि भारत की संविधानिक प्रगति का उद्देश्य औपनिवेशिक पद की प्राप्ति है।" इसकी दूसरी विशेषता यह थी कि सादमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद लन्दन में एक गोलमेज-कान्फ्रेंस की व्यवस्था की गयी जिसमें सादमन कमीशन तथा भारत की वैधानिक समस्या के विषय में अन्य प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए सम्राट् की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ भारतीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित होते। घोषणा का उपयुक्त अर्थ नीचे है : रॉयल कमीशन के चेयरमैन ने यह मुझव दिया कि "आवश्यकता इस बात की है कि एक सम्मेलन बुलाया जाय जिसमें सम्राट् की सरकार ब्रिटिश-भारत तथा रियासतों, दोनों के प्रतिनिधियों से अंतिम प्रस्तावों में अधिक से अधिक समझौते के निमित्त मिले। सम्राट् की सरकार का यह कर्तव्य होगा कि इन प्रस्तावों को वह पार्लियामेंट के सामने पेश करे।" कांग्रेस नेताओं ने तुरन्त ही दिल्ली में एक सभा बुलायी जिसमें उन्होंने अन्य राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को भी आमन्त्रित किया। इस सम्मिलित सभा ने घोषणा पर विचार किया और बहुत सोच-विचार के बाद एक वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें प्रस्तावकों ने उस सद्भाव का प्रशंसा की जिस पर घोषणा अवलम्बित थी। उन्होंने भारतीय जन-मत को सतुष्ट करने के ब्रिटिश-सरकार के उद्देश्य की बड़ी प्रशंसा की और अपनी यह इच्छा भी प्रकट की कि देश के लिए औपनिवेशिक पद की स्थापना के प्रयत्न में वे सम्राट् की सरकार को पूरा सहयोग देगे। उन्होंने सम्भावित कान्फ्रेंस की सफलता के लिए कुछ मुझव भी पेश किये जिसमें राजनैतिक बन्धियों की मुक्ति भी थी। उनके विचार से कान्फ्रेंस का उद्देश्य औपनिवेशिक पद के लिए समय निश्चित करना नहीं बल्कि भारत के औपनिवेशिक विधान के लिए योजना बनाना था। वक्तव्य के अन्त में निम्नलिखित शब्द थे : 'जनता को यह अनुभव कराना हम बहुत आवश्यक समझते हैं कि आज से एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ है और नया विधान इस तथ्य का प्रमाण होगा। अन्त में, कान्फ्रेंस की सफलता के लिए हम यह आवश्यक समझते हैं कि वह शीघ्रातिशय बुलायी जाय।'

पूर्ण स्वराज— नेताओं की घोषणा के उत्तर में तथा स्थिति की स्पष्टता के लिए ब्रिटिश भारत की सरकार ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में जाने से पहिले महात्मा गांधी तथा प० मोतीलाल नेहरू ने वाइसराय से मिल लेना उचित समझा ताकि उनकी घोषणा का वास्तविक अर्थ स्पष्ट हो जाय।

लॉर्ड इरविन उन्हें यह विश्वास नहीं दिला सके कि लन्दन में होने वाली सम्भावित कांग्रेस का उद्देश्य भारत के लिए औपनिवेशिक विधान बनाना था। 'भारत की' वैधानिक प्रगति का स्वाभाविक परिणाम औपनिवेशिक पद की प्राप्ति है— घोषणा के इस तथ्य से अधिक वे कुछ न कह सके। गोलमेज सम्मेलन में भारतीय नेताओं का औपनिवेशिक पद-प्रदान की प्रतिज्ञा के साथ निमन्त्रित करने में उन्होंने अपने को असमर्थ पाया। इस प्रकार ये दोनों बड़े नेता खाली हाथ लाहौर लौट आये। इन परिस्थितियों के बीच— पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित करने तथा कलकत्ता-अधिवेशन के प्रस्ताव की शर्तों के अनुसार नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने के अलावा कांग्रेस के पास और कोई चारा ही न रह गया। स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में लाहौर में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसने निम्नलिखित प्रमुख वाक्य हैं 'स्वराज की मांग के सम्बन्ध में समझौते के लिए वाइसरय द्वारा किये गये प्रयत्नों की कांग्रेस प्रशंसा करती है। तब से अब तक जो कुछ हुआ है उसे तथा महात्मा गांधी, प० मोतीलाल नेहरू, अन्य नेताओं तथा वाइसरय की मुलाक़ात के परिणाम पर विचार करने के पश्चात् कांग्रेस की यह राय है कि वर्तमान परिस्थितियों में सम्भावित गोल मेज का फ़ोर्स में अपने प्रतिनिधि भेजने से कांग्रेस को कोई लाभ न होगा। कांग्रेस यह घोषित करती है कि कांग्रेस-विधान के पहले अनुच्छेद में प्रयुक्त 'स्वराज' शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतन्त्रता होगा और यह आशा करती है कि अब से सभी कांग्रेसजन भारत के लिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति पर ही अपनी पूरी शक्ति केन्द्रित करेंगे। यह कांग्रेस अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी को यह अधिकार देती है कि वह अनिवार्यक समझे सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दे जिसमें किसी प्रकार का न देने का कार्य क्रम भी सम्मिलित है। उसको यह अधिकार भी दिया गया कि इस आन्दोलन को वह निश्चित स्थानों या पूरे देश में उन सावधानियों के साथ प्रारम्भ करे जिन्हें वह आवश्यक समझे।' इस प्रकार स्वराज्य-प्राप्ति के लिए दूसरे महान् राष्ट्रीय आन्दोलन की वृष्टभूमि तैयार की गयी। यह आन्दोलन महात्मा गाँधी के नेतृत्व में पूर्ण अहिंसात्मक रूप से प्रारम्भ किया गया। सबसे पहले १९३० की २६ जनवरी को स्वतन्त्रता दिवस मनाया जाना था जिसमें कांग्रेस की बर्किङ्ग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रतिज्ञाएँ दुहरायी गयीं। सारे देश के विभिन्न शहरों तथा गाँवों में भी प्रतिज्ञाएँ दुहरायी गयीं। इस प्रतिज्ञा का यहाँ विस्तृत वर्णन आवश्यक नहीं है। इतना ही कह देना पर्याप्त है कि ससार के अन्य राष्ट्रों की भाँति स्वतन्त्रता के उपभोग का भारतीयों को भी अधिकार है। उन्हें भी अपने परिश्रम का फल चराने तथा अपने सर्वोत्तम विनास का अवसर मिलना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी इस प्रतिज्ञा द्वारा लोगों को उस विदेशी शासन के अन्त का आदेश दिया जो राष्ट्र को अगस्तित हानि पहुँचा रहा था। इसने सरकारी कर या अन्य

किसी भी प्रकार की सहायता न देने का भी आदेश दिया। १९३० से हर वर्ष की २६ जनवरी को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया जाता है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन— ० मार्च १९३० को महात्मा गाँधी ने लार्ड इरविन को अपना ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने साबरमती आश्रम के अपने कुछ साथियों के साथ नमक-कानून तोड़ कर सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने की सूचना दी। पत्र में उन्होंने ब्रिटिश राज को एक बला मानने के कारण भी बताया। पत्रवाहक महात्मा जी के एक अंग्रेज मित्र श्री रेजीनल्ड रानाल्ड्स थे १२ मार्च को गाँधी जी डाड़ी में नमक कानून तोड़ने के लिए अहमदाबाद से रवाना हुए। महात्मा जी के साथ ७५ आश्रमवासी थे। वे जगह जगह रुक कर लोगों का अपना सन्देश सुनाते। डाड़ी की यह यात्रा बहुत प्रसिद्ध हो गयी है और इस यात्रा के पहले, साथ तथा बाद के दृश्य इतने भव्य, जोशीले एवं प्रभावशाली थे कि वे वर्णनातीत हैं। 'मानव जाति के इतिहास में देश-प्रेम की लहर उतनी तीव्र कभी भी नहीं उठी थी, जितनी इस महान् अवसर पर। भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में यह घटना एक महान् आन्दोलन के प्रारम्भ के रूप में प्रसिद्ध रहेगी।' 'बॉम्बे मनिक्ल' ने ये शब्द डॉ. डी. मार्च के सम्बन्ध में लिखे थे।

२४ दिन की यात्रा के बाद महात्मा गाँधी ५वीं अप्रैल को डाँडी पहुँचे और समुद्र के किनारे से कुछ नमक इकट्ठा करके उन्होंने नमक कानून भंग किया। बस क्या था। सारे देश में नमक कानून तोड़ने की धूम मच गयी जिसमें हजारों गाँवाँ और शहरों में रहने वाले भारतीयों ने योग दिया। यहाँ हमारा उद्देश्य पाठकों का धरसाना तथा नमक के अन्य गोदामों पर अहिंसामयक बालटियगों के धावे, उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस की ज्यादतियों तथा अनेक नेताओं की गिरफ्तारी का इतिहास बताना नहीं है। सारा देश एक प्रकार से धधक-सा उठा और यह आन्दोलन दूर-दूर तक इस प्रकार फैल गया जैसे वृद्धीन मैदान में केवल पत्तियों की आग फैल जाती है। महात्मा गाँधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस की वरिष्ठ कमिटी ने शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़े के विक्रय पर प्रतिबन्ध जगल सम्बन्धी कानूनों की अस्वीकृति तथा कर न देने की नीति अपनायी। आन्दोलन दमाने के लिए लार्ड इरविन का सरकार ने लगभग एक दर्जन आर्डिनेंस पास किये। भारी जुर्माने तथा कैद की सजाएँ पिलवाइ सी बन गयी। लगभग साठ हजार स्त्री पुरुष जेल के अन्दर बन्द कर दिये गये, अनेक स्थानों पर पुलिस की गोली चलने के कारण सैकड़ों व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और इससे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों तथा कानून का विरोध करने वाली जनता से निवटने के लिए पुलिस न लाठियों का अस्त्र प्रयोग किया। लेकिन पाशचिन् शक्ति के आगे राष्ट्रीय भारत झुका नहीं, आन्दोलन दमाने के लिए पुलिस हिंसात्मक उपायों का जितना ही प्रयोग करता, आन्दोलनकारियों का उतनी ही अधिक शक्ति मिलती। वेद मिलार, जॉर्ज

म्लोकाभ्य तथा ब्रेल्लसपोर्ट जैसे विदेशी सर द्वाताआ ने अपने पत्रों को जो रिपोर्टें मेजी वे भारत के लोगों द्वारा प्रदर्शित आश्चर्यजनक प्रतिरोध शक्ति की ज्वलन्त प्रमाण हैं। उस जादूगर महात्मा गाँधी ने निर्भीक हठिओं में भी नयी जान फूँक दी। भारतीय स्वातन्त्र्य के युद्ध में भारतीय न्त्रियाँ द्वारा लिये भाग पर भी कुछ कहना अत्यावश्यक है। विदेशी कपड़ों के अहिंकार में इतनी अधिक सफलता केवल इसी लिए मिली कि विदेशी कपड़ों के परीदारों से अपाल करने का देश सेविकाओं का दग उडा ही मौम्य एव हृदय-हारी था। उनसे कम भी केसरिया रंग के होने वनसे त्याग तथा वैराग्य का उदेश्य मिलता। विदेशी कपड़ों के व्यापारी प्रशास के पात्र हैं क्योंकि अपनी हानि को उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सहन किया।

गोलमेज कांफ्रेंस— ऊपर यह कहा जा चुका है कि सम्भावित गोलमेज कांफ्रेंस के सम्बन्ध में वाट्सराय ने यह विश्वास दिलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की कि वहाँ भारत के लिए एक औपनिवेशिक विधान का निर्माण होगा, कांग्रेस ने इसलिए उसमें भाग न लेना निश्चित किया। वाट्सराय की घोषणा के बाद जा सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशित किया गया उसकी शर्तों पर कोई आश्वासन न पाने पर भी नरम दल के नेताओं ने लन्दन जाना निश्चित किया। सरकार ने कांग्रेस को भी समझाने का प्रयत्न किया। जन सविनय अवज्ञा आन्दोलन अपनी पूरी गति में था, सरकार ने अपने तथा कांग्रेस के बीच समझौते का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन कांग्रेस की माँगें स्वीकृत न होने के कारण ये प्रयत्न असफल रहे। इस प्रकार १२ नवम्बर १९३० में आरम्भ होने वाली गोलमेज कांफ्रेंस में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व न हुआ। कार्यवाही में भाग लेने वाले ८६ व्याक्त्यों में १३ तो तीनों ब्रिटिश राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि, भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले १६ भारतीय राजे तथा ५७ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे। भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल में देश के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे, विभिन्न साम्प्रदायिक तथा वर्गगत हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसके सभी सदस्य वाट्सराय द्वारा नियुक्त थे। इनकी नियुक्ति में केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारासभाओं की भी राय न ली गयी थी। 'सेण्ट जेम्स के राजमहल में राजे-महाराजे, अछूत, हिंदू, मल्लमान, सिक्ख, ईसाई, जमींदारों तथा व्यापार-समूहों के प्रतिनिधि, सभी एकत्रित हुए लेकिन भारतमाता के प्रतिनिधि वहाँ न थे।' भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों को चुनने के इस दग का कांफ्रेंस के कार्यों पर प्रभाव अवश्य पडता। भारतीय स्वतन्त्रता के हितों का ध्यान रखने के बदले दूसरे विभिन्न हितों का ध्यान रक्ता गया था। भारत के भविष्य का प्रश्न ब्रिटिश सरकार के हाथों में छोड़ दिया गया था।

गोलमेज कांफ्रेंस का पहला अधिवेशन १९ जनवरी १९३१ को समाप्त हुआ। इस अधिवेशन में भारत की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर

सम-शासन का सिद्धान्त सबसे अधिक उपयुक्त समझा गया। प्रान्तीय क्षेत्र में मन्त्रित्व-सम्बन्धी उत्तरदायित्व (ministerial responsibility) तथा कुछ अभिरक्षण (reservations) तथा सुरक्षण (safeguards) के साथ केन्द्र में द्वैध शासन का सिद्धान्त निश्चित किया गया। भारत के लिए सम्भावित विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने निम्नलिखित घोषणा की :

“सम्राट् की सरकार का दृष्टिकोण यह है कि भारत की सरकार का उत्तरदायित्व प्रान्तीय तथा केन्द्रीय विधान सभाओं पर होना चाहिये; साथ ही साथ अन्तरिम समय में कुछ कर्तव्यों को पूरा करने तथा कुछ विशेष परिस्थितियों से निबटने के लिए भी एक वैधानिक धारा होनी चाहिए। अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा स्वतन्त्रता की रक्षा का भी पूरा प्रयत्न रहना चाहिये।

“अन्तरिम समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बनायी गयी कानून सचिवालय के सम्बन्ध में सम्राट् की सरकार का यह देखना पहला कर्तव्य होगा कि सुरक्षित शक्ति (Reserved Powers) की योजना इस दृष्टि से की जाय कि नये विधान द्वारा अपनी सरकार का भार स्वयं लेने की प्रगति में कोई अड़चन न पड़े।”

उन्होंने आगे यह भी कहा कि “वर्तमान समय में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में लगे व्यक्तियों से वाइसराय की अपील का यदि कोई अनुकूल उत्तर मिलेगा तो उनकी सेवाओं से लाभ उठाने के लिये कार्रवाई की जायगी।”

ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री की उपरोक्त घोषणा पर महात्मा गान्धी तथा वर्किंग कमेटी के सदस्यों को अच्छी प्रतिक्रिया से विचार-विनिमय करने के लिए वाइसराय ने वर्किंग कमेटी पर लगाया गया प्रतिबन्ध हटा लिया और उसके सदस्यों का मुक्ति की आज्ञा दे दी। वे १९३१ की २६ जनवरी को छोड़ दिये गये। वाइसराय से समझौता करने के लिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने महात्मा गान्धी को एक राजदूत के अधिकार दे दिये। महात्मा जो वाइसराय के साथ समझौते के कार्य में लग गये जो काफी दिनों तक चलता रहा। अन्त में उन लोगों ने एक पैक्ट बनाया जिस पर पाँच मार्च को हस्ताक्षर किये गये। इसके विस्तृत वर्णन में हमें नहीं पडना है। केवल इतना बतला देना पर्याप्त है कि इस समझौते के परिणामस्वरूप कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया और उसने द्वितीय गोलमेज कांग्रेस में सम्मिलित होने का निश्चय किया। इससे कांग्रेस की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में सचमुच वृद्धि हुई और सविनय अवज्ञा आन्दोलन की अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण सारे राष्ट्र का नैतिक उत्थान हुआ। दुसरे इस बात का है कि पंडित मोतीलाल नेहरू की, जिन्होंने स्वतंत्र्य संग्राम में महत्वपूर्ण भाग लिया था, समझौता होने से पहले ही मृत्यु हो गयी।

भारत के वाइसराय के रूप में लार्ड इरविन केवल दूम्रे वर्ष तक रह गये होते और इंग्लैंड की सरकार में यदि कोई परिवर्तन न हुआ होता तो बहुत सम्भव था कि महात्मा गांधी तथा लार्ड इरविन में हुए समझौते से भारत तथा इंग्लैंड के बीच स्थायी सहानुभूति उत्पन्न हो गयी होती और भारत की वैधानिकसमस्या का हल भी भारत के ही अनुकूल हो गया होता। लेकिन लार्ड इरविन की जगह पर लार्ड वेलिंगटन भारत के वाइसराय हुए और इंग्लैंड में एक अनुदार अर्थात् कजर्वेटिव सरकार बन गयी। मि० वेजुड वेन की जगह सर सैमुअल होर भारत-मंत्री बने। इन परिवर्तनों ने दोनो देशों की परिस्थितियों में बड़ा अन्तर उपस्थित कर दिया। भारत में कांग्रेस के लोगों की यह शिकायत थी कि सरकारी अधिकारी गांधी इरविन समझौते की शर्तों का पालन नहीं करते। नये वाइसराय महात्मा जी के अनुकूल न पड़े। परिस्थितियों की विषमता तथा सफलता की आशा न होते हुए भी दूसरी गोलमेज कान्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए महात्मा जी २६ अगस्त १९३१ को इंग्लैंड के लिये रवाना हुए।

द्वितीय गोलमेज कान्फ्रेंस— गोलमेज कान्फ्रेंस का दूसरा अधिवेशन १४ सितम्बर तथा पत्नी दिसम्बर १९३१ के बीच उस समय हुआ जो ग्रेट-ब्रिटेन के इतिहास में बड़ा ही विषम काल था। मजदूर सरकार ने हस्तीया दे दिया था; उसकी जगह राष्ट्रीय सरकार ने ले ली थी जिसकी रुझान टोरियों की ओर अधिक थी। अक्टूबर १९३१ के साधारण चुनाव के कारण 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में अनुदार तत्व बड़ा प्रभावशाली बन गया। ये परिवर्तन भारतीय दृष्टि से एकदम प्रतिकूल पड़ गये, भारत से सहानुभूति रखने वाले सदस्य पक्षे पड़ गये और इसका विरोध करने वाले लोग प्रभावशाली बन गये। जो प्रयाह पहिले अधिवेशन में व्याप्त रहता था वह अब दूसरे में न था, ब्रिटिश प्रतिनिधियों का रुत एकदम बदल गया था। इन्ही प्रतिकूल परिस्थितियों में महात्मा गांधी ने कान्फ्रेंस की कार्यवाही में भाग लिया।

कान्फ्रेंस का प्रमुख उद्देश्य इंग्लैंड तथा भारत के बीच के झगड़े का निपटारा और भारत की वैधानिक समस्या का एक हल निकालना था। चीजें कुछ इस प्रकार गढ़ी गयी थीं कि साम्प्रदायिक समस्या रास्ते में अवश्य आ जाय। वैधानिक समस्या का तो अलग छेड़ दिया गया और भारतीय भाँगी को अनुपयुक्त टहराने के लिए एक छोटी समस्या को प्रधानता दी गयी। महात्मा गाँधी साम्प्रदायिक समस्या मुलभूत पर तुले हुए थे, या फिर उसे भविष्य के लिए टाल देना चाहते थे ताकि भारतीय प्रतिनिधि-मंडल अड़चनों को हटाकर स्वयं-प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर सकता। लेकिन उनके प्रयत्न असफल रहे। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का निर्वाचन ही इस प्रकार किया गया था कि साम्प्रदायिक समस्या का हल असम्भव बन गया। इसमें ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित थे जिनका काम ही साम्प्रदायिक विरोध करना था। जो

व्यक्ति साम्प्रदायिक समस्या की ओर तर्कसंगत रूप रख सकते तथा उसके निराकरण के लिए जी-जान से प्रयत्न कर सकते थे, कांग्रेस में उनकी कभी नियुक्ति ही नहीं हुई। डॉ० अन्वारी जैसे व्यक्तियों को इसमें सम्मिलित करने के प्रयत्न असफल रहे। विभाजन द्वारा शासन करने की नीति रखने वाले ब्रिटिश राजनीतिज्ञ पीछे से अडगा-लगा रहे थे और इसलिए साम्प्रदायिक समस्या का हल और भी कठिन हो गया। विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा की गयी माँगों का आपस में मेल नहीं बैठता था। पंजाब और बंगाल में मुसलमान अपना बहुमत तथा उन प्रान्तों में सख्या से अधिक स्थान (Excessive Weightage) चाहते थे जिनमें वे अल्पसंख्यक थे। वे केंद्र में एक-तिहाई प्रतिनिधित्व भी चाहते थे। सिक्ख पंजाब में उसी प्रकार सख्या से अधिक स्थान (Weightage) चाहते थे जिस प्रकार मुसलमानों को आसाम, उड़ीसा, उत्तर-प्रदेश तथा मद्रास में मिला था। 'वेतेज' के लिए सिक्खों के दावे तथा हिन्दुओं के अधिकारों के साथ मुसलमानों को पंजाब में बहुमत देना असम्भव था। उसी प्रकार मुसलमानों की बंगाल में पूरे बहुमत की माँग के साथ यूरोपियनों के 'वेतेज' का मेल नहीं बैठता था। दलित वर्गों ने भी दूसरों की देखादेखी अपने लिए अलग प्रतिनिधित्व की माँग की। ऐसा वातावरण जिसमें राष्ट्रीय हितों का ध्यान न रख कर सभी अपने-अपने लिए अधिक से अधिक अधिकारों की माँग करते हों, ऐसी कठिन समस्याओं के हल के अनुकूल नहीं पड़ता। यदि महात्मा गांधी अपने प्रयत्नों में असफल रहे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मुस्लिम सदस्यों की इस जिद ने कि बिना अपनी माँगों की पूर्ति के वे वैधानिक वाद विवाद में भाग न लेंगे, और भी अडगा लगा दिया। मुसलमानों ने प्रतिनिध्यावादी ब्रिटिश हितों के साथ मेल कर लिया जिसका अंत शपारतभरी अल्पसंख्यकों की सन्धि (Minorities Pact) में हुआ। लॉयलिस्टों (Loyalists) की एक गुप्त गश्ती चिट्ठी से, जिसमें ब्रिटिश हितों के भारतीय प्रतिनिधि मि० बेथल की भी राय सम्मिलित थी, नीचे एक अश उद्धृत किया जा रहा है जो उस शर्मनाक तरीके पर प्रकाश डालता है जिससे गोलमेन कांग्रेस में साम्प्रदायिक समस्या सुलझाने के प्रयास में राडे अटकवाये जा रहे थे। 'मुसलमानों का गुट बढ़ा ही पक्का और जोशीला था . . . उन्होंने अपना काम करने में बड़ी चतुरता दिखायी। उन्होंने हमें पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया और उसे अच्छी प्रसार निभाया भी। इसके बदले में उन्होंने हमसे उनकी बंगाल में आर्थिक दीनता न भूलने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्होंने हमसे यूरोपियन फर्मों में भी स्थान दिलाने की प्रार्थना की ताकि आर्थिक दशा में सुधार करके वे अपनी जाति को मजबूत बना सकें। चुनाव के बाद सरकार के दाहिने पक्ष ने कांग्रेस समाप्त करके कांग्रेस से लड़ने का निश्चय लिया। इसलिए जो मुसलमान केंद्र में उत्तरदायित्व नहीं चाहते थे उन्हें नहीं

प्रसन्नता हुई हमने अपने मन में सोच लिया था कि कांग्रेस से युद्ध अनिवार्य है, हमने यह अनुभव किया कि स्वयं जितना शीघ्र हो उतना ही अच्छा है लेकिन हमने यह भी सोच लिया था कि शानदार विजय के लिए हम सभी सम्भव मित्रों का अपनी ओर कर लेना चाहिए। मुसलमान तो हमारी ओर थे ही। इससे अतिरिक्त अल्पसंख्यक सचि तथा गवर्नमेन्ट की सामान्य रुझान ने यह आश्वासन दे ही दिया था। राजे तथा अल्पसंख्यक भी हमारी ओर थे मुसलमान यूरोपियों के पक्ष में मन गये हैं। वे अपनी स्थिति से स्तुष्ट हैं और हमारे साथ काम करने के लिए प्रस्तुत हैं। यदि मुसलमान प्रतिनिधियों का दूसरा दल आमन्त्रित किया गया होता तो ऐसा गैठन घन असम्भव था। इन चालाकियों का अंतिम परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक उपसमिति साम्प्रदायिक समस्या मुलभूतने में असफल रही। यह मामला प्रधान मन्त्री के हाथ में छोड़ दिया गया। गवर्नमेन्ट ने इस समस्या का निराकरण साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) के रूप में किया। साम्प्रदायिक निर्णय कुछ वर्गों के एकदम अनुकूल था और कुछ के एकदम प्रतिकूल। इसका विस्तृत विवेचन अन्य बातों के सम्बन्ध में होगा।

दिल्ली के पारस्परिक समझौते का ही स्थायी समझौते का रूप देने महात्मा जी इङ्गलैंड गये थे। वे असफल रहे। परिस्थितियाँ उनके मुकामिले अधिक शक्तिशालिनी सिद्ध हुईं। अपने स्वास्थ्य में सुधार के लिए वे इङ्गलैंड में एक महीने या उससे भी अधिक दिनों तक रुकना चाहते थे। लेकिन भारत में काम करने वाले उनके साथियों ने उन्हें शीघ्र ही बुला लिया क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ विपन्नतर होती जा रही थीं। अपनी योग्यता समाप्त कर महात्मा जी शीघ्र ही खाली हाथ भारत लौट आये।

तृतीय अहिंसात्मक प्रतिरोध (Third Struggle)— महात्मा जी ने इंग्लैंड में जो कुछ भी देखा और अनुभव किया उसके उन्होंने यह धारणा बना ली कि ब्रिटिश-सरकार तथा कांग्रेस के रास्ते मिला है। जब वे २८ दिसम्बर १९३१ को बम्बई में उतरे तो उन्हें लार्ड विलिंगडन की सरकार द्वारा उपस्थित की हुई एक भद्दी परिस्थिति का सामना करना पड़ा। बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में दमन चल रहा था। महात्मा गाँधी से मिलने बम्बई जाते समय खान अब्दुल गफ्फार खॉं, पं० जवाहरलाल नेहरू तथा शेरवानी साहब गिरफ्तार कर लिये गये। स्थिति पर विचार करने तथा कठिनाइयों के मध्य एक रास्ता निकालने के ध्येय से महात्मा गाँधी ने दादरराय से मुलाकात करना चाहा लेकिन सरकार ने तो दिल्ली के समझौते को बेकार करने तथा कांग्रेस के साथ मुलह न करने की ठान रखी थी, इस

* 'नॉन-नॉयलेट नान कोऑपरेशन' में सरदार शार्दूलसिंह कर्वाडकर द्वारा उद्धृत, पृष्ठ २४६।

लिए मुलाकात पर अपमानपूर्ण शर्तें लाद दी गयीं। मुलाकात की सुविधा देने से पहिले सरकार ने महात्मा जी को सहयोगियों से सम्पर्क तोड़ देने की आज्ञा दी। यदि महात्माजी इस शर्त को स्वीकार कर भी लेते तब भी, शान्ति स्थापित करने के लिए सरकार ने जिस उपाय से काम लिया था उस पर कोई विचार विनिमय न हो सकता था। सरकार कांग्रेस को एक पाठ पढ़ाने पर तुल गयी थी। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस की बर्किङ्ग कमेटी ने एक लम्बा प्रस्ताव पास किया जिसमें राष्ट्र को सविनय अवज्ञा आन्दोलन तब तक जारी रखने का आदेश दिया गया जब तक उनकी माँगों का सरकार कोई उपयुक्त उत्तर न दे दे। इन माँगों के उत्तर में अनेक आर्डिनेन्स जारी कर दिये गये। ये आर्डिनेन्स उसी समय से बन कर तैयार रखे थे जब लंदन में गोल मेज कांग्रेस हो रही थी। महात्मा गाँधी, बर्किङ्ग कमेटी के सदस्य, तथा अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए गये और बिना मुकदमा चलाये जेल में बन्द कर दिये गये। सविनय अवज्ञा आन्दोलन से निवृत्तने के लिए लॉर्ड विलिंगडन की सरकार ने नयी चालों का प्रयोग किया। सरकार ने पहिला चार किया और आन्दोलन के प्रारम्भ से ही इसने उडा कडा रुख धारण कर लिया। कांग्रेस कमेटियों प्रत्येक प्रान्त में गैर कानूनी घोषित कर दी गयीं और उनके नेता गिरफ्तार कर लिए गये। कांग्रेस-आश्रमों तथा दफ्तरो पर सरकार ने अधिकार जमा लिया और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली गयी। डाकघरों तथा तारघरों का प्रयोग कांग्रेस के लिए रोक दिया गया और प्रेम पर बहुत मरत बर्खाई कर दी गयी। सरकार का इरादा केवल कांग्रेस-संगठन को तोड़ने तथा आन्दोलन को दबाने का ही न था, वह जनता को भी आतंकित तथा पतित कर देना चाहता था। इस उद्देश्य से अनेक बस्तियों पर सामूहिक रूप से जुर्माना लाद दिया गया और लोगों को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों सहन करने के लिए विवश किया गया। कहा जाता है कि लॉर्ड विलिंगडन ने कांग्रेस को छः सप्ताह के भीतर ही कुचल डालने की गवोक्ति की थी। फिर भी, यह आन्दोलन डेढ़ वर्ष तक चलता रहा। भारतीयों को इस बात का श्रेय है कि तमाम ज्यादतियों के बावजूद भी उन्होंने हिंसात्मक उपायों का प्रयोग नहीं किया। समाचार-पत्रों पर प्रतिबन्ध लग जाने के कारण कांग्रेस ने जुलेटिनो तथा रेडिया का सहारा लिया और एक जगह से दूसरी जगह तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में खबरें भेजने के लिए स्वयं प्रबन्ध किया। विदेशी कपड़ों तथा ब्रिटिश माल के बहिष्कार पर कांग्रेस ने अधिक जोर दिया और इसमें उसे महत्वपूर्ण सफलता मिली। कांग्रेस का अधिवेशन अपने स्वाभाविक रूप में करने की सरकार ने आज्ञा न दी इसलिए १९३२ तथा १९३३ के कांग्रेस-अधिवेशन क्रम से दिल्ली तथा कलकत्ता में हुए। इस तीसरे मोर्चे में लोगों ने जितना कष्ट तथा परेशानियाँ सहन कीं, वे दिल्ली सभी लडाइयों से भूट गयीं। अनुमान किया जाता है कि लगभग एक लाख व्यक्तियों ने गिरफ्तारी तथा सजा काटी। लोग पर व्यक्तिगत रूप से भी बहुत अधिक जुर्माना लाद दिया गया, कभी कभी तो इन जुर्मानों की

सख्या चार या पाँच अंकों में होती। पाशविक तथा आत्मिक शक्तियों के बीच की लड़ाई का विस्तृत वर्णन आवश्यक नहीं है। एक ओर भा अत्याचार तथा पाशविकता का व्यंग्यात्मक कठोर अट्टहास, दूसरी ओर त्याग और कष्ट-सहन की चरम सीमा।

भारत में जब अहिंसात्मक प्रतिरोध चल ही रहा था, १७ अगस्त १९३२ को ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने साम्प्रदायिक समस्या पर अपने निर्णय का घोषणा की। इस घोषणा की अनेक आपत्तिजनक बातों में एक बात यह भी थी कि इंगलैंड के अधिकारियों को महात्मा जी की चेतावनी के बावजूद भी इसने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की व्यवस्था की। महात्मा जी की चेतावनी पर कोई ध्यान न दिया गया। दलित वर्गों को हिन्दू समाज से अलग करने के इस प्रयत्न पर महात्मा जी ने मृत्युपर्यन्त उपवास आरम्भ कर दिया। ब्रिटिश-सरकार निर्णय की शर्तों को तब तक नहीं बदल सकती थी जब तक इससे सम्बन्ध रखने वाली पार्टियों में समझौता न हो जाय। उपवास के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध 'पूना पैक्ट' बना जिसमें सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों के साथ-साथ दलित वर्गों की सीटें दोहरे चुनाव की व्यवस्था के साथ सुरक्षित कर दी गयीं। समझौते के विस्तार में जाना इस अवसर पर आवश्यक नहीं है। इस बात का यहाँ इसलिए जिक्र कर दिया गया है कि इसी से १९३३ में गाँधी जी को २१ दिन के उपवास की प्रेरणा हुई। अपनी तथा अपने साथियों की शुद्धता और हरिजनों की भलाई के कार्य में सतत सतर्कता तथा जागरूकता के लिए ही गाँधी जी ने यह उपवास किया। उपवास ८ मई को प्रारम्भ हुआ और उसी दिन महात्मा जी बिना शर्त के रिहा कर दिये गये। गाँधी जी ने उस समय के कांग्रेस समापति को सविनय अवज्ञा आन्दोलन छः सप्ताह तक रोक देने की सलाह दी और सरकार से राजनैतिक बन्धियों को छोड़ देने की प्रार्थना की। आन्दोलन पहले छः सप्ताह के लिए और इसके बाद फिर छः सप्ताह के लिए रोक गया लेकिन सरकार ने राजनैतिक बन्धियों को तब तक न छोड़ने का निश्चय किया जब तक आन्दोलन पूर्ण रूप से स्थगित न कर दिया जाय। आन्दोलन को केवल कुछ दिनों के लिए रोक देने से ही सरकार को सन्तोष न हुआ। २४ जुलाई को गाँधी जी ने उस समय कार्यभार सभालाने वाले कांग्रेस समापति को सामूहिक के स्थान पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने की सलाह दी। उन्होंने स्वयं अपना साबरमती आश्रम बन्द कर दिया और खैरा जिले के रास नामक गाँव में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने का निश्चय किया। उन्होंने अन्य लोगों को भी ऐसा ही करने का आदेश दिया। वे गिरफ्तार कर लिये गये और एक साल के लिए यरवदा जेल में डाल दिये गए। लेकिन २३ अगस्त को वे स्वास्थ्य-सम्बन्धी कारणों से रिहा कर दिये गए। गिरफ्तारी, उपवास, रिहाई, और फिर गिरफ्तारी के इस भ्रमले की प्रतिष्ठा-विरुद्ध समझकर उन्होंने नैतिक कारणों से राजनैतिक कार्यों से अलग रहना तथा अपनी शक्ति एवं समय को सामाजिक, विशेषतः हरिजन-कार्यों में लगाने का निश्चय किया।

हरिजन सेवा से प्रेरित होकर उन्होंने सारे देश का दौरा किया। बिहार का भयकर भूकंप उन्हें उस प्रान्त में खींच ले गया। वहाँ अपने सहयोगियों से उन्होंने खूब विचार-विनिमय किया। इस बातचीत, हृदय मथन तथा ईश्वर के आह्वान के परिणामस्वरूप वे इस नतीजे पर पहुँचे कि संविनय अवज्ञा की सारी जिम्मेदारी उन्हें अपने ऊपर ले लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने राष्ट्र को व्यक्तिगत संविनय अवज्ञा बंद करने का आदेश दिया।

इसी बीच कुछ कांग्रेसजन इस विचार के हो रहे थे कि उस समय वर्तमान परिस्थितियों के बीच काउन्सिल-प्रवेश (Council Entry) का कार्य क्रम उपयुक्त पड़ता। शीघ्र ही होने वाला चुनाव लड़ने के लिए पुरानी स्वराज-पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया।

तीसरी गोलमेज कांफ्रेंस— सर सैमुएल होर, उस समय के भारत मंत्री, गोलमेज कांफ्रेंस का कोई और अधिवेशन करने के पक्ष में थे। वे स्पष्टमन कमीशन योजना के अनुसार भारतीयों का आमन्त्रित करके उनका मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने रखवाना चाहते थे। यही कमेटी भारत का भविष्य निश्चित करती। उदारवादियों का प्रसन्न करने के लिए यह विचार स्थगित कर दिया गया क्योंकि उन्हें यह पसन्द न था। दृष्टा न होते हुए भी तीसरा अधिवेशन १७ नवम्बर से २४ दिसम्बर १९३२ तक किया गया। चूँकि कांग्रेस अहिंसात्मक प्रतिरोध में लगी थी इसलिए उसका प्रतिनिधित्व न हुआ। ब्रिटिश मजदूर-दल ने भी इसमें भाग लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि इसके द्वारा नियुक्त सदस्य— मि० वेजबुड बेन तथा प्रोफेसर लीज स्मिथ— ब्रिटिश सरकार को इसलिये अस्वीकार थे क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे ब्रिटिश प्रतिनिधि मण्डल में फूट न पैदा कर दें। पहिले की भाँति भारत से केवल सरकार^{की} विश्वस्त आदमी बुलाये गये। यहाँ तक कि हिन्दू महासभा द्वारा चुने सदस्यों तथा लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट को भी आमन्त्रित नहीं किया गया। कांफ्रेंस ने तीन प्रमुख समस्याओं पर विचार किया। ये समस्याएँ थीं— सरक्षणे, तथा वे शर्तें जिनके अनुसार भारतीय रियासत सब में सम्मिलित होती तथा बची शक्तियों (Residuary Power) का बँटवारा (Allocation)। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि-मंडल ने तबधान में एक अधिकार-पत्र (Bill of Rights) भी सम्मिलित करना चाहा लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया।

अधिवेशन की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र के रूप में अपनी योजनाएँ प्रकाशित कीं। ये योजनाएँ भारतीय माँगों में बहुत कम पड़ीं, यहाँ तक कि नरम दल का भी उनसे सन्तोष न हुआ। जिन अधिकारों की प्राप्ति से एक देश को स्वतंत्र राष्ट्र कहा जा सकता है वे सभी गवर्नर जनरल

के लिए सुरक्षित रखे गये, विदेशी सम्बन्ध तथा रक्षा-विभाग से जन प्रिय मन्त्रियों का कोई सम्बन्ध न रखा गया। सरकार की योजनाएँ असतोषजनक तथा निराशा प्रद ता थीं ही, बिल के रूप में जब वे सयुक्त पार्लियामेंटरी कमेटी तथा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखी गयीं तो इन सभाओं ने उनमें और भी कमी कर दी। यह सन पार्लियामेंट के अनुदार (Die Hard) दल को प्रसन्न करने के लिए ही किया गया था। १९२८ में साइमन कमीशन की स्थापना से लेकर पार्लियामेंट में बिल पर वाद-विवाद होने तक चलने वाले इस लम्बे मामले का अन्त हुआ १९२५ के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट के रूप में। इस ऐक्ट का विस्तृत विवेचन इस पुस्तक के दूसरे भाग में है।

अप्रैल १९३४ में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की बन्दी से १९४० तक का समय जब कि देश को महायुद्ध में लींचने के कारण कांग्रेस ने इस्तीफे दिये, एक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अवधि में कांग्रेस की नाति में आमूल परिवर्तन हुआ। यह था कि १९३७ में उद्घाटित नये विधान के अन्तर्गत उसने पद स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस कार्यो के विकास की इस नयी महिम का वर्णन करने से पहिले पुनर्जीवित स्वराज-पार्थी के जीवन की और सक्षिप्त सकेत करना उच्युक्त जँवता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि १९३३ के अप्रैल के अन्त में होने वाले केन्द्रीय विधान-सभा के चुनाव में भाग लेने के लिए गांधी जी ने कांग्रेसियों के एक दल को अपनी शुभेच्छाएँ दी थीं। कांग्रेस ने लगभग सभी साधारण सीटों के चुनाव में भाग लिया और उसे अद्वितीय सफलता मिली। पञ्जाब को छोड़ कर उसने लगभग सभी प्रान्तों के चुनाव में विजय प्राप्त की। दक्षिण भारत में वाणियर की सीट के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता रही। सर पण्णुत्तम चेट्टी, जो छोटावा से लौटने के बाद केन्द्रीय विधान सभा के सभापति चुने गये थे, तथा श्रीयुत वैकटचालम चेट्टी— इन दो उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता थी। सर पण्णुत्तम चेट्टी के पक्ष में भारत तथा मद्रास की सरकारें थीं, मद्रास-सरकार के भूतपूर्व गृहमन्त्री सर मोहम्मद ओसमान तथा प्रधान मन्त्री के रूप में वीविलो के राजा— यही दो व्यक्ति उनके चुनाव-घोषणापत्र के प्रथम समर्थकों में से थे। श्री वैकटचालम चेट्टी के पक्ष में कांग्रेस थी। यह प्रतियोगिता कांग्रेस तथा सरकार यानी ब्रिटेन तथा भारत के बीच थी। निर्वाचन-क्षेत्र था ता छोटा ही लेकिन उसमें पढ़े लिखे समभदार लोग अधिक थे। यह चुनाव देश में और जगहों के चुनावों से पहले रखा गया। आशा यह थी कि इसका अन्य चुनावों पर भी प्रभाव पड़ेगा। अनेक दृष्टियों से यह एक परीक्षात्मक प्रतियोगिता थी। जिस इण्डियन नेशनल कांग्रेस को लॉर्ड विलिंगटन ने अपने दमन कार्यो द्वारा सदैव के लिए समाप्त कर देने की आशा की थी, वह सजीव और शक्तिशालिनी निकली, इसके उम्मीदवार ने सरकारी उम्मादवार का वोटों की क्रापी शब्द्धी सख्य से हराया।

व्यवस्थापिका सभा में भी कांग्रेस का काम काफी अच्छा रहा। असम्वली के अन्य प्रगतिशील तत्वों की सहायता से उसने सरकार को कई बार हरया।

१९३७ का चुनाव और उसके बाद— नये विधान के अन्तर्गत प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव में भी खूब जम्बर भाग लेने का कांग्रेस ने निश्चय किया। देश का गतिविधि का भली प्रकार जानने वाले नेताओं का यह विश्वास था कि चुनाव में जीत कांग्रेस की ही होगी जो नौकरशाही को इस पर विश्वास न था। उस वर्ष के कांग्रेस-राष्ट्रपति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश का तूफानी दौर किया और शहरों, गाँवों, खुले मैदान में तथा सड़कों के किनारे अगणित सभाओं में भाषण किये। लोगों में जोश तथा उत्साह की कमी न थी। स्वराज का संदेश देश के कोने कोने में पहुँचाया गया। विधान-सभाओं के चुनाव में इससे पहिले इतनी दिलचस्पी कभी भी न दिखायी दी थी। सारे भारत में कांग्रेस को जो अभूतपूर्व सफलता मिली उससे उसने विरोधियों विशेषतः ब्रिटिश सरकार के आक्षेप भूठे सिद्ध हुए। ब्रिटिश भारत के ग्यारह प्रान्तों में कांग्रेस का बहुमत निकला। दो प्रान्तों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी अवश्य रही किन्तु उसका पूर्ण बहुमत नहीं था। केवल बंगाल तथा पंजाब में कांग्रेस कमजोर रही। यह ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस का उद्देश्य नये विधान का अमल में लाना नहीं अपितु दूसरों को इसे उस दृष्टि से कार्य-रूप में परिणत करने से रोकना था जिस दृष्टि से ब्रिटिश सरकार चाहती थी। कांग्रेस का उद्देश्य था विधान की कमर तोड़ देना।

निर्वाचन की लड़ाई तथा जीत के बाद विधान को तोड़ने के दृष्ट पर बड़ा वाद-विवाद हुआ। कुछ लोग पद स्वीकार करने सरकार के भीतर घुसकर लड़ाई के पक्ष में थे और कुछ लोग कांग्रेस को पद-स्वीकृति की सलाह न देकर उसे बाहर ही रखना चाहते थे ताकि वह दूसरों को विधान चलाने से रोक सके। महात्मा गांधी ने इस झगड़े में बीच-बचाव किया और कांग्रेस को पद स्वीकृति की सलाह दी बशर्ते के दिन-प्रति दिन के शासन में गवर्नर अपनी विशेष शक्तियों (Special powers) का प्रयोग न करें। प्रारम्भ में तो यह आश्वासन नहीं दिया गया लेकिन कई महीने की प्रतीक्षा के बाद गवर्नर जनरल ने एक घोषणा की जिसमें कांग्रेस की माँग-अप्रयत्न रूप से स्वीकार की गयी। ग्यारह में आठ प्रान्तों में कांग्रेस ने जुलाई १९३७ में मन्त्रिमण्डल बना लिये। सिन्ध के मन्त्रिमण्डल-निर्माण में भी कांग्रेस का हाथ रहा। दृष्टा होने पर वह बंगाल में भी महत्वपूर्ण भाग ले सकती थी। केवल पंजाब में कांग्रेस की उपेक्षा अवश्य हुई। शासन चलाना कांग्रेस के लिए एक नया अनुभव था फिर भी इसने यह कार्य अच्छी प्रकार निभाया। इसने जनता को आत्म-सम्मान तथा आत्म विश्वास की एक नयी भावना दी। जब मुस्लिम लीग ने यह शिकायत की कि दो वर्षों के कांग्रेसी शासन में अल्पसंख्यकों पर बड़ी ज्यादतियों की गयी थीं तो उनसे सम्बन्ध रखने वाले प्रान्तीय गवर्नरों ने कांग्रेसी मन्त्रियों के काम करने के शानदार और कुशल तरीके की

बड़ी प्रशंसा की। लेकिन यूरोप में द्वितीय महायुद्ध की घोषणा के साथ-साथ भारतीय नेतृत्व में चलने वाला यह प्रगतिशील शासन १९३९ के अन्त में एकाएक समाप्त हो गया। लड़ाई में सहयोग के प्रश्न की लेकर कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया। इन मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफा देने के कारणों तथा परिणाम का विवेचन विस्तृत रूप से हाना चाहिये।

यूरोपीय महायुद्ध और उसके बाद— महायुद्ध का धक्का जैसे ही इङ्गलैंड पहुँचा, चैम्बरलेन की सरकार ने भारत के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा ब्रिटिश-सरकार ने उसके साथ अतीत में अनेक बार किया था। अगस्त में भारतीय पौजें ईजिप्ट, अदन तथा सिंगापुर-भेड़ दी गयीं। चीजों को गुप्त रखने की आवश्यकता थी इसलिए बोट, वाद विवाद तथा भारतीय जनता के किसी भी प्रतिनिधि की राय लिये बिना अधिकारियों ने अपने इच्छानुसार कार्य किया। सरकार ने भारतीय सिपाहियों को सतार में उसी प्रकार घुमाया जिस प्रकार शतरंज के खेल में प्यादों को श्वर उधर घुमाया जाता है हालाँकि इस लड़ाई से भारतीयों का कोई विशेष सम्बन्ध न था। उसी प्रकार विधान सभाओं की सलाह लिये बिना ही वाइसराय ने भारत को मित्र-राष्ट्रों के पक्ष में घोषित कर दिया। इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रूप में राष्ट्रीय भारत ने उसकी राय के बिना कार्य करने के इस दग का बड़ा विरोध किया क्योंकि यह चीज उसके आत्म-भौरव व विरुद्ध पड़ती थी। कांग्रेस ने यह घोषित कर दिया कि लड़ाई या शान्ति के मामले में कोई भी विदेशी सत्ता अपना निर्णय भारत पर नहीं लाद सकती। मानवता के भविष्य के लिए सम्राट ने भारत को महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिए आमन्त्रित किया। नात्सीवाद तथा फासिस्ट-वाद का विरोध करते हुए भी भारतीय राष्ट्र ने इस निमन्त्रण का बहुत सकोच के साथ और कटु उत्तर दिया। देश ने ऐसे ही एक निमन्त्रण का १९१४ में जो उत्तर दिया था वह बड़ा ही सहानुभूति एवं सौहार्दपूर्ण था। लॉर्ड रोडिग तथा लॉर्ड विलिंगडन ने राष्ट्रीय आन्दोलन को जिस दग से कुचलने का प्रयत्न किया था तथा इगलैंड की सरकार ने भारतीय समस्या को गोलमेज़ काफ़ेन्स से पहिले तथा बाद में जिस रूप से मुलभ्रने का प्रयास किया था, उसका परिणाम अथ स्पष्ट हुआ। भारत के परतन्त्र होते हुए नेशनल कांग्रेस दूसरों की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने के लिए प्रस्तुत न थी। लेकिन देश के राजनैतिक नेताओं ने ग्रेट ब्रिटेन की मुसौबत से नीचतापूर्ण लाभ न उठाने तथा लड़ाई के प्रयत्नों का विरोध करके देश में इतनी जल्दी राजनैतिक उथल-पुथल न मचाने का निश्चय किया। कांग्रेस ने अपने सदस्यों की केन्द्रीय विधान सभा से इरा लिया। बाद में इसने ब्रिटिश सरकार से युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए कहा और उसे उसके प्रयत्नों में पूरे सहयोग का आश्वासन भी दिया यदि लड़ाई का उद्देश्य लोकतन्त्र तथा लोकतन्त्र पर आधारित व्यवस्था का रक्षा करना हो। लेकिन यदि युद्ध साम्राज्यवादी उद्देश्यों से प्रेरित हो तो इसने इससे

अपने हर प्रकार के सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा कर दी। भारत ही सारी समस्याओं का केन्द्र बना दिया गया। यदि ग्रेट ब्रिटेन जर्मनी के साथ लोकतन्त्र के सिद्धान्तों की रक्षा के लिए लड़ रहा था तो उसे भारत में पूर्ण लोकतन्त्र की स्थापना के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिये था। इसका यह अर्थ नहीं कि कांग्रेस भारत के लिये युद्ध के दौरान में ही एकनये विधान की मांग कर रही थी, हालाँकि यह चीज कोई अत्यावहारिक न समझी जाती। कांग्रेस की वास्तविक इच्छा यह थी कि एक संविधान परिषद् की सहायता से अपना विधान स्वयं बनाने के भारतीय जनता के अधिकार को सरकार स्वीकार करे। लेकिन इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सरकार की केवल प्रतिज्ञाओं से ही भारत सतुष्ट नहीं होगा, इसकी माँग थी कि अपने वादों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए सरकार निकट भविष्य में ही कोई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये। भारतीय लोगों को अपनी प्रतिज्ञाओं की सत्यता का विश्वास दिलाने के लिए सरकार एक काम यह कर सकती थी कि वह केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर देती। १९३६ के सितम्बर के मध्य में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने अपने लम्बे, स्पष्ट तथा गौरवपूर्ण प्रस्ताव में इन माँगों को स्पष्ट किया।

ब्रिटिश-सरकार युद्ध-सम्बन्धी अपने उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा से बचना चाहती थी। ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने एक बार यह घोषणा की कि युद्ध-सम्बन्धी उनका फिलहाल उद्देश्य था अपनी रक्षा। मंत्रिमण्डल के दूसरे मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन का उद्देश्य लड़ाई जीतना था। मि० विन्स्टन चर्चिल ने अपने एक वाद के वक्तव्य में इस बात पर जोर दिया कि अतलान्तक घोषणा भारत पर लागू न होगी और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि वे सम्राट् के प्रधान मंत्री इसलिए नहीं बने थे कि सम्राज्य का खाल्ना कर डालें। इन बातों से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार भारत को वह स्वतन्त्रता देने के लिए प्रस्तुत नहीं थी जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार था तथा जिसकी प्राप्ति के लिए उसने सैकड़ों सपूता ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी तथा हजारों पुत्रों एवं पुत्रियों ने हर प्रकार के कष्टों तथा दुःखों का सामना किया था। वाइसराय महोदय ने एक पूर्वगामी वायसराय की घोषणा उद्धृत की जिसमें यह कहा गया था कि 'भारतीय प्रगति का मुख्य उद्देश्य था श्रौपनिवेशिक पद की प्राप्ति।' कांग्रेस की इस मांग पर कि अपने लोकतन्त्र प्रेम का ब्रिटेन सक्रिय रूप में प्रमाणित करे वायसराय ने एक मन्त्रणा-मडल जिससे वह समय समय पर लड़ाई के सम्बन्ध में बात कर लेते, बनाने की प्रतिज्ञा की। १९३६ में १७ अक्टूबर को प्रकाशित एक श्वेत-पत्र में सरकार ने अपनी भारत-सम्बन्धी नीति स्पष्ट की। कांग्रेस को इससे सतोष न मिल सका। यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा करना विलुप्त नहीं था और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को शासन का अधिकार देने के लिए प्रस्तुत नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस को अपने मन्त्रिमण्डलों से इस्तीफा देने के

लिए कहना आवश्यक हो गया। अपनी मागों तथा अधिकारों की कुछ चिन्ता न करके ही वह सरकार का साथ दे सकती थी। वह पदासीन भी नहीं रह सकती थी क्योंकि इसका अर्थ होता सरकार की उसके युद्ध-प्रयत्नों में सहायता। इसलिए कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों ने अक्टूबर १९३६ में इस्ताफा दे दिया। इस बार गवर्नरों ने अल्पसंख्यकों की सहायता से सरकार बनाने का प्रयत्न नहीं किया, और ऐक्ट की धारा ६३ के अनुसार विधान को स्थगित कर दिया और हाईकोर्ट के अधिकार को छोड़ कर सारे अधिकार स्वयं ले लिये। कुछ समय बाद दो या तीन प्रान्तों में से विधान को स्थगित करने की घोषणा उठा ली गयी और कम से कम दिखाने के लिए, विधान फिर से लागू हो गया। जाकी प्रान्तों में सलाहकारों की सहायता से गवर्नरों ने शासन स्वरूप चलाया

कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों के इस्तीफे के बाद लगभग एक वर्ष व्यतीत हो गया लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ। वर्ष के लगभग बीच में एक महत्वपूर्ण घटना अवश्य हुई। नावें, हॉलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस के पतन से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को एक प्रस्ताव पास करने के लिए प्रेरित किया जिसके अनुसार ब्रिटेन को युद्धकालीन सहायता की घोषणा की गयी। सहयोग की शर्त यह थी कि भारत-सरकार को भारतवासियों के समस्त उत्तरदायी जना दिया। जाय दूसरे शब्दों में कांग्रेस ने यह माँग की कि भारत सरकार १९१६ के ऐक्ट के अनुसार बने केन्द्रीय विधान मंडल (इसके सरकारी तथा नामजद सदस्यों को छोड़ कर) के प्रति कानून में नहीं तो व्यवहार में उत्तरदायी हो। यह स्मरण रहे कि पूना-अधिवेशन में पास किया यह प्रस्ताव कांग्रेस की शान्ति तथा उसके अहिंसात्मक सिद्धान्तों के विरुद्ध पड़ता था फिर भी उसने सरकार के प्रति रियायत की और प्रस्ताव का पास किया। ब्रिटेन का पक्ष करने वाले 'स्ट्रट्समैन' जैसे समाचार-पत्र ने भी इस प्रस्ताव में कोई अव्यावहारिक तथा खतरनाक चीज न देखी और उसने यह विचार प्रकट किये कि 'इस प्रस्ताव की अस्वीकृति से विनाशकारी राजनीतिज्ञता का परिचय मिलेगा जो समय के अनुकूल नहीं है।' सरकार ने कांग्रेस की इस उदारता का उत्तर अग्रस्त योजना के रूप में दिया। इस योजना ने वाइसराय को अपनी कार्यपालिका में कुछ भारतीयों को आमन्त्रित करने, तथा एक युद्ध सलाहकार समिति (War Advisory Council), जिसमें भारतीय राज्यों तथा राष्ट्रीय जीवन के अन्य हितों के भी प्रतिनिधि रहते, नियुक्त करने का अधिकार दिया। इस योजना ने औपनिवेशिक-पद प्रदान करने की प्रतिज्ञा भी दुइरायी और साथ ही साथ इस बात पर भी जार दिया कि 'सम्राट की सरकार की यह उम्मत इच्छा है कि युद्ध के पश्चात् राष्ट्रीय जीवन के प्रधान तत्वों के प्रतिनिधियों की एक समिति बना ली जाय जिसका कार्य होगा नये विधान की रूपरेखा का निर्माण। इसके अतिरिक्त, अपनी शक्ति के अनुसार सरकार सभी उपयुक्त मामलों के निर्णय में भी शीघ्रता करेगी।' योजना का प्रथम भाग, जिसमें भारतीयों के कार्य-

पालिका में सम्मिलित करने की बात कही गयी थी, कांग्रेस को कुछ सीमा तक लाभप्रद अवश्य था, लेकिन यह शक्ति (Power) की उम वास्तविक प्राप्ति से बहुत हलकी चीज थी जिसकी कांग्रेस जरा-जरा माँग करती चली गयी थी। उसके दूसरे भाग का अर्थ या तो विधान परिषद् की स्थापना होता या एक दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पहले अर्थ से कांग्रेस को सतोष हो सकता था, दूसरे से कदाचित् नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अग्रस्त-योजना को इसलिए अस्वीकृत नहीं किया कि वह समय की माँग के प्रतिभूल थी बल्कि इसका कारण निम्नलिखित शब्दा में छिपा कटु व्यंग्य था

‘यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भारत की सुख शान्ति के लिए वह (ब्रिटिश सरकार) अपने उत्तरदायित्वों को किसी ऐसी सरकार के हाथ में नहीं देना चाहती जिसे भारत के राष्ट्रीय जीवन के बड़े तथा शक्तिशाली तत्व स्वीकार न करते हों। और वह किसी तत्व को ऐसी सरकार की सत्ता मानने के लिए विवश भी करने के लिए प्रस्तुत नहीं है।’

सीधी तथा सरल भाषा में इन वाक्यों का अर्थ यह है कि मुसलमान तथा दलित वर्ग जैसे अल्पसंख्यकों को वीटो पावर (Vetong power) दे दिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर इन अल्पसंख्यकों तथा ग्रेट ब्रिटेन के कट्टर मतवालों (die hards) के बीच गैट-बन्धन की याद आने पर इस सद्भाव का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। सरकार की इस घोषणा ने ग्रेट ब्रिटेन के राजाओं के प्रति उत्तरदायित्व का भी जिक्र किया। १९४० में १८ से २३ अगस्त तक होने वाला बर्किंगहम कांग्रेस की वर्धा मीटिंग में अग्रस्त योजना पर विचार किया गया और वह अस्वीकार कर दी गयी क्योंकि इसके तत्वों तथा ब्रिटिश सरकार की ओर से किये गये भाषणों से यह स्पष्ट हो जाता था कि ब्रिटिश सरकार भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों को राजसत्ता देने के पक्ष में नहीं थी। कांग्रेस ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया कि भारत की सविधानिक प्रगति में अल्पसंख्यकों का प्रश्न एक अत्यन्त कठिन समस्या बना दिया गया। यह समस्या एक ऐसा अजगर थी जो शेष सभी राजनैतिक समस्याओं को दबड़प जाती।

इस अग्रस्त योजना के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप महात्मा जी को सविनय अवज्ञा प्रारम्भ करने का अधिकार दिया गया। धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध जीवन मरण की इस लड़ाई में गांधी जी ने ब्रिटेन को द्रोण वश परेशान न करना चाहिए और साथ ही उन्होंने सत्तर के सामने यह घोषित भी कर दिया कि भारत स्वेच्छा से ब्रिटेन की सहायता नहीं कर रहा है बल्कि वह अपने लिए स्वतन्त्रता का इच्छुक है। उन्होंने सविनय अवज्ञा को अपने द्वारा चुने हुए कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रखा। उनकी आज्ञा के अनुसार कांग्रेस के सभी प्रान्तीय तथा स्थानीय नेताओं, विधान मंडल के सदस्यों, प्रान्तीय, जिले तथा शहर की कांग्रेस कमेटियों के सभापतियों तथा सदस्यों ने

लड़ाई के विरुद्ध भाषण करने का सूचना देकर जेल जाना प्रारम्भ कर दिया। स्वतन्त्र भाषण के अधिकार का उपभोग करने के कारण १२ ००० व्यक्ति उस लड़ाई के बीच जेल भेज दिये गये जो स्वतन्त्रता के लिए लड़ी कही जा रही थी। महात्मा जी ने सामूहिक सविनय अवज्ञा प्रारम्भ नहीं की क्योंकि वे सुमीत्रत के समय सरकार के ऊपर कोई कड़ा प्रहार न करना चाहते थे।

जब यह महत्त्वपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, तो वाइसराय ने अपनी कार्यपालिका समिति विस्तृत कर दी और एक युद्ध-सलाहकार मंडल (War Advisory Board) की भी स्थापना की। भारतीय सदस्यों ने, जिनका अब कार्यपालिका में बहुमत था (यह ध्यान में रखना चाहिए कि उनके हाथ में कोई महत्त्वपूर्ण विभाग न था) सविनय-अवज्ञा कैदियों का १९४१ के दसम्बर में ही छुड़ा लिया। कांग्रेस ने कुछ शताब्दों के साथ भारत की रक्षा में भी भाग लेना चाहा। इस प्रकार उसने अन्य समझौतों के लिए भी रास्ता खुला रखा। लेकिन सरकार अपनी अग्रगण्य-योजना के आगे न बढ़ी इसलिए उसके तथा कांग्रेस के बीच खाई बनी ही रही।

क्रिप्स मिशन और उसके बाद— निगापुर, मलाया तथा रगून का जापानियों द्वारा पतन और बर्मा की निश्चित पराजय ने सम्राट की सरकार को इस बात की आवश्यकता स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया कि वह भारत को सन्तुष्ट करे जिससे भारतीय जीवन की सभी शक्तियों का उपयोग जापानी खतरे के विरुद्ध हो। इसलिए उसने इस देश में सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा क्योंकि कांग्रेस में उनके अनेक मित्र थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स मित्रता का एक सन्देश तथा भारत की सर्वाधिक सम्मत्तियों का अपनी सरकार द्वारा प्रस्तुत दल लेकर आये। उनके द्वारा सामने रखी गयी योजनाओं के दो प्रमुख भाग थे— पहला भाग भविष्य से सम्बन्धित था और दूसरा वर्तमान से। भविष्य से सम्बन्ध रखने वाली योजनाएँ काफी लम्बी तथा स्पष्ट थीं। अतीत में सरकार ने भारत को जो कुछ भी दिया था उससे इनका रूप काफी आगे बढ़ा-चढ़ा था। इन योजनाओं में वास्तव में वह सब कुछ निहित था जिसकी कांग्रेस पिछले अनेक वर्षों से माँग करती चली आ रही थी। लेकिन कांग्रेस को सन्निकट वर्तमान में अधिक दिलचस्पी थी इसलिए उसने सर स्टैफर्ड क्रिप्स के साथ उसी के सम्बन्ध में समझौता प्रारम्भ किया। योजना का यह भाग गोल मंगोल था और वह कांग्रेस की माँगों के तर्जिक भी अनुकूल न था। योजना के पहले भाग की अनुपयुक्तता के कारण ही कांग्रेस ने सारी स्टैफर्ड स्कीम अस्वीकृत कर दी। अभिगम्यवश ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने योजनाओं का अपरिवर्तनशील बना दिया था और उसने यह कहा कि भारत उन्हें या तो पूरा स्वीकार करे या पूरा अस्वीकार। कुछ छोटी-छोटी बातों को छोड़कर योजना में और कोई सुधार नहीं किया जा सकता था।

निम्न द्वारा लायी गयी योजनाओं के अनुसार भारत पर खतरे के निवारण के तुरन्त बाद सम्राट् की सरकार भारत में एक निर्वाचित-समिति की स्थापना कर देती जो देश के लिए एक संविधान का निर्माण करती। इस प्रकार संविधान-परिषद् की स्थापना की कांग्रेसी माँग पहली बार स्वीकृत हुई, हालाँकि जिस दम से यह परिषद् बनायी जाती वह इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कांग्रेस चाहती थी। दूसरी ओर, सरकारी घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विधान-परिषद् द्वारा निर्मित नये संविधान का आधार औपनिवेशिक तथा सघ्रीय होता। इस प्रकार नवौं भारतीय संघ सम्राट् के प्रति भक्ति के द्वारा रिटर्न तथा अन्य उपनिवेशों के साथ रहता, लेकिन वह हर प्रकार से उनके बराबर रहता और बाहरी या भीतरी किसी भी विषय में उनसे किसी के भी अधीन न होता। इसमें स्वतन्त्रता के तत्व अवश्य थे जिससे महात्मा गाँधी को सतोष मिल सकता था। यह सत्य है कि घोषणा में 'स्वतन्त्रता' शब्द कहीं नहीं आया है लेकिन इसकी वास्तविकता उसमें निहित है क्योंकि उपनिवेशों को साम्राज्य से अलग हट जाने का किसी भी समय अधिकार है। १९३५ के ऐक्ट की तुलना में नये संविधान के अनुसार गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियाँ तथा उनके रिजर्व विभाग न रहते। तीसरे, सम्राट् की सरकार ने यह स्वीकार कर लिया था कि उसके तथा संविधान-परिषद् के बीच समझौते के अनुसार ही नये भारतीय संघ का निर्माण होता और इसी समझौते में वे सभी आवश्यक बातें आ जाती जो उत्तरदायित्व के अग्रणी हाथों से भारतीय हाथों में आने पर उत्पन्न हतीं।

निम्न-योजना में कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे जिन्हें किसी भी जिम्मेदार संस्था द्वारा टुकराये जाने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए कांग्रेस द्वारा उसकी अस्वीकृति के कुछ विशेष कारण होने चाहिए जिन्हें जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले, कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं मान सकती थी कि संविधान-परिषद् में राजे स्वयं अपने प्रतिनिधि नियुक्त करें। इन प्रतिनिधियों के राज्यों की प्रजा द्वारा चुनाव का कोई विधान न था। इसका अर्थ यह था कि संविधान-परिषद् की एक तिहाई संख्या एक ऐसी अद्वचन बन जाती जो नये विधान को ब्रिटिश-हितों के अनुसार बनाने का प्रयत्न करती। सम्राट् का सरकार से अन्य आवश्यक मामला के सम्बन्ध में समझौता करते समय कांग्रेस का पिटू यह प्रतिनिधि मण्डल राष्ट्रीय हितों के अवश्य विरुद्ध चला जाता। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष है कि संविधान-परिषद् में राज्य-प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार राजाओं के हाथ में दे देना इस योजना का एक बहुत बड़ा दोष है। दूसरे, प्रान्तों का भारतीय संघ से अलग रहने का अधिकार देने पर नये विधान की गफलता की आशा बहुत कम हो जाती। पाकिस्तान का माँग को पहले से ही स्वीकार कर लेना ता और भी भद्दा होता, इससे आगे चलकर साम्प्रदायिक समस्या का हल और भा कठिन हो जाता। लेकिन इससे कांग्रेस के दृष्टिकोण पर कोई विशेष प्रभाव न

पडा, योजना ने अलग-गए ढे विचार को जो प्रथम दिया, काँग्रेस का उस पर अपसोस था। फिर भी, काँग्रेस ने अपने इस निश्चय का स्पष्टीकरण कर दिया था कि किमा भी प्रादेशिक क्षेत्र व लोगों का वह उनकी घोषित इच्छा के विरुद्ध भारतीय सभ में रहने के लिए विवश नहीं करेगी।

ऊपर बताये हुए कारण तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन उनकी वजह से काँग्रेस ने जिस योजना को अस्वाकृत नहीं किया। यदि वर्किङ्ग कमेटी तथा सर स्टैपर्ड जिपाम सन्तोषप्रद समझौता हा गया होता तो उसने उनकी योजना को स्वीकार कर लिमा हाता और सर पर लटके जापानी खतरे को दूर करने के लिए उनमें ब्रिटिश-सरकार के साथ पूरा सहयोग किया होता। जिस-योजना में निम्नलिखित शब्द भी सम्मिलित थे 'भारत के मामले जो विपम परिस्थिति या पड़ी है उनके निवारण के लिए तथा जब तक नये सविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत की रक्षा तथा उसके युद्ध-सम्बन्धी प्रयत्नों पर सन्न २ की सरकार का हा नियन्त्रण रहेगा।' विश्वयुद्ध की घोषणा के तुरन्त बाद काँग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था उसमें उनमें यह निश्चित किया था कि 'ब्रिटिश घोषणाओं की उपयुक्तता का सबसे बड़ा मापदण्ड उनका वर्तमान पर लागू होना है। इस मापदण्ड के अनुसार ब्रिटिश योजना एकदम अनुपयुक्त तथा स्वीकृति के योग्य भी। काँग्रेस की स्थिति उसने निम्नलिखित पस्ताव में स्पष्ट तथा प्रभावशाली शब्दों के साथ समझायी गयी है।

'भारत क भविष्य के सम्बन्ध में किसी भी योजना का अच्छी प्रकार छान चीन होनी चाहिए, लेकिन आज की विपम परिस्थितियों में वर्तमान पर ही जोर देना चाहिए और भविष्य सम्बन्धी योजनाओं की उपयुक्तता भी वर्तमान की दृष्टि में रख कर बॉचनी चाहिए। इसी लिए वर्किङ्ग कमेटी ने प्रश्न के इस पहलू पर सबसे अधिक जोर दिया है और इसी पर दृष्टि रख कर ही वह उन लोगों का कोई सलाह दे सकती है जो उसका आर पथ प्रदर्शन के लिए देखते हैं। इस दृष्टि से ब्रिटिश-युद्ध मन्त्रिमंडल की योजनाएँ गोलमटोल तथा एकदम अपूर्य हैं और उनमें भारत के वर्तमान शासन की रूप रेखा में किसी भी परिवर्तन की कल्पना नहीं है। ब्रिटिश-सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की रक्षा प्रत्येक दशा में ब्रिटिश-नियन्त्रण के अन्दर रहेगी। देश की रक्षा तो किसी भी समय एक महत्वपूर्ण चीज है; युद्ध-काल में ता इसका महत्व और भी बढ़ जाता है और शासन तथा जीवन का प्रत्येक क्षेत्र इसके प्रभाव में आ जाता है। आज की स्थिति में रक्षा को उत्तरदायित्व के क्षेत्र से हटा लेना उस उत्तरदायित्व को एकदम निरर्थक कर देना है तथा यह स्पष्ट कर देना है कि भारत किसी भी प्रकार स्वतन्त्र होने नहीं जा रहा है और न युद्ध काल में उसकी सरकार के स्वतन्त्र रूप में कार्य करने की ही आशा है।

‘कमेटी’ इस बात को फिर से दुहराना चाहेगी कि उत्तरदायित्व का भार ग्रहण करने से पहिले भारतीयों का इस बात का ज्ञान हो जाना चाहिए कि वे स्वतन्त्र हैं और अपनी स्वतन्त्रता को बनाये रखने तथा उसकी रक्षा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। जिस चीन की समस्त अधिक आवश्यकता है, वह है जनता का उत्साहपूर्ण सहयोग जो उनमें बिना पूर्ण विश्वास तथा उन पर रक्षा का पूरा उत्तरदायित्व डाले प्राप्त नहीं हो सकता। केवल इसी प्रकार आज को विषम घड़ों में भा भारत के लागा न समय की माँग का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि अपनी प्रान्तीय शाखाओं के साथ भारत की वर्तमान सरकार भारत का रक्षा करने में एकदम यत्नम है। अपने जनप्रिय प्रतिनिधियों के द्वारा भारत का जनता ही रक्षा का पूरा भार ले सकती है। लेकिन यह तभी हो सकता है जब उन्हें पूरी स्वतन्त्रता हो और उन्हें उत्तरदायित्व का पूरा भार सार दिया जाय। इन कारणों से ब्रिटिश युद्ध-समिति की योजनाओं को स्वीकार करने में कमेटी असमर्थ है।’

काँग्रेस का ऐसा रुख धारण करना न्यायपूर्ण ही था। यदि भारत स्वतन्त्र होता तो उस स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए काँग्रेस भारतवासियों से रक्त गहाने की माग उत्साहपूर्ण उत्तर की आशा के साथ कर सकती थी लेकिन दूसरों की स्वतन्त्रता के लिए प्रश्न गँवाने की माँग पर कोई ध्यान कैसे देता? दूसरा की स्वतन्त्रता के लिए केवल किराये के टुकड़े ही लड़ाई लड़ सकते हैं। लाक-युद्ध में भाग लेने के लिए तो केवल स्वतन्त्र देश के नागरिक ही प्रेरित किये जा सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस मनोपैज्ञानिक सत्य को सम्भवतः समझने की चेष्टा ही नहीं की।

दिल्ली-वार्ता इस प्रकार असफल रही। असफलता का कारण रक्षा का प्रश्न या कोई साम्प्रदायिक प्रश्न नहीं था जैसा कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने ग्राह्य घोषित किया। काँग्रेस ने रक्षा पर अधिकार की माँग इस तर्क पर की थी कि जनता के सहयोग से ही कोई लड़ाई लड़ा और जीती जा सकता है। फिर भी, ब्रिटिश सरकार ने लोगों पर विश्वास न किया, धार आवश्यकता के समय भी इसने उन लोगों को अधिकारबन्ध करना स्वीकृत नहीं किया जिनका इसने अनेक पाठियों ने हथियार-दान कर रखा था। इसलिए यह तथ्य स्पष्ट रूप से सामने रखा जा सकता है कि काँग्रेस ने क्रम-बोन्ना इसलिये अस्वीकृत कर दी कि यह रक्षा के क्षेत्र में लोगों का कोई वास्तविक अधिकार नही देना चाहती थी।

रक्षा के अतिरिक्त दूसरा प्रश्न, जिस पर दिल्ली वार्ता भंग हुई, वास्तविक कार्य-पालिका में सम्मिलित होने वाले भारतीय-नेताओं का पद था। प्रश्न यह था कि सदस्य के रूप में वे वाइसराय या भारत-मंत्री के प्रति उत्तरदायी होंगे या विधान-मंडल के लोगों के प्रतिनिधियों के प्रति। काँग्रेस की माग यह थी कि गवर्नर जनरल राय का वैधानिक प्रधान बन जाय जो अपनी कार्यपालिका समिति का राय मानने के लिए

राध्य हो तथा जो इसके निर्यातों को किसी भी प्रकार रद्द न कर सके। सन्देश में, कांग्रेस यह चाहती थी कि कार्यपालिका को मनिमडल मान लिया जाय। सरकार इस मुझाव से सहमत न थी, इंग्लैंड तथा भारत के अधिकारी किसी भी राष्ट्रीय सरकार को शक्ति देने के लिए प्रस्तुत न थे। इसलिए वार्ता भंग हो गयी और सम्राट् की सरकार ने अपनी योजना लौटा ली।

वाद का घटनाएँ— क्रिस-योजना की असफलता ने परिस्थिति और भी नाजुक बना दी, सरकार तथा कांग्रेस के बीच की रसाई और चौड़ी हो गयी। सरकार द्वारा कांग्रेस को माँग शस्वीकृत किया जाना महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा, उन्होंने एक विचारधारा का निर्माण किया जिसे बाद में 'भारत छोड़ो' माँग का रूप मिला। उन्होंने अंग्रेजों को भारत से केवल भारत के हित के लिए ही नहीं बल्कि अपने हित के लिए भी हट जाने का आदेश दिया। वर-प्रतिनिधियों ने बातचीत तथा अपने पत्र 'हरिजन' द्वारा उन्होंने अपने विचार स्वतन्त्र रूप से प्रकट किये। लेकिन उनकी विचार धारा से सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ा, वह कांग्रेस पर आक्रमण करने तथा उसे कुचल डालने के लिए अपना समठन दृढतर बनाती रही। जुलाई के मध्य में वर्किङ्ग कमेटी की वार्धा बैठक में पास हुए प्रस्ताव में गाँधी जी के विचारों का स्पष्टीकरण हुआ। इसमें महत्त्व के कारण इस प्रस्ताव को पूरा उद्धृत करना आवश्यक है। प्रस्ताव इस प्रकार है :

'दिन प्रति दिन होने वाली घटनाओं तथा भारतवासियों को बराबर हो रहे अनुभव से कांग्रेस की यह धारणा पक्की होती जा रही है कि भारत में अंग्रेजी राज बल्द से बल्द समाप्त हो जाना चाहिए, केवल इसी लिए नहीं कि अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भी बुरा है और वह शासित लोगों को बराबर हानि पहुँचाता रहता है, बल्कि इसलिए भी कि बोड़ियों में जकड़ा भारत न स्वयं अपना रक्षा कर सकता है और न लड़ाई से बचना हो जाने वाली मानवता की ...'

'महायुद्ध के प्रारम्भ से ही कांग्रेस ने सरकार को परेशान न करने की नीति दृढता के साथ अपनायी है। यहाँ तक कि अपने सन्याग्रह के प्रभावधान हो जाने का रास्ता उठाकर भी उसने उसे एक प्रतीकात्मक रूप दिया, केवल इस आशा से कि इसको परेशान न करने वाली नीति से सरकार उसका मतय भली प्रकार समझ ले और जनप्रिय प्रतिनिधियों को शक्ति प्रदान कर दी जाय, ताकि सारा मानवता की उस स्वतंत्रता की प्राप्ति में, जिसे कुचल डाले जाने का बराबर डर बन हुआ है, भारत भी अपना सहयोग दे सके' परन्तु इन आशाओं पर पानी फिर गया है। निष्फल क्रिस-योजनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार के भारत सम्बन्धी दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वर्किङ्ग कमेटी की यह स्पष्ट राय है कि प्रत्येक प्रकार के दमन का विरोध किया जाय क्योंकि उसे स्वीकार कर लेने का अर्थ होगा भारतीयों का पतन

श्रीर उनकी पराधीनता का निरन्तर जारी रहना । कांग्रेस की यह इच्छा है कि देश की त्रिटोन के प्रति दुर्भावनाएँ सद्भावनाओं में परिवर्तित हो जायँ और सत्कार के राष्ट्रों तथा जातियों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के प्रयत्न में वह भारत भी एक स्वेच्छापूर्ण सहयोगी बन जाय, लेकिन यह तभी सम्भव है जब भारतीयों को यह अनुभूति होगी कि वे स्वतन्त्र हो गये ।

‘साम्प्रदायिक समस्या के हल के लिए कांग्रेस-प्रतिनिधियों ने भरसक प्रयास किया है । लेकिन इस समस्या का हल उस विदेशी सत्ता की उपस्थिति के कारण असम्भव बन गया है जिसकी नीति सदैव विभाजन द्वारा शासन करने की ही रही है । अंग्रेजी शासन के भारत से हटा लिये जाने की माँग में कांग्रेस का उद्देश्य त्रिटोन या मित्र राष्ट्रों को उनके युद्ध-प्रयत्नों में हानि पहुँचाना नहीं है * * * * * इसलिए कांग्रेस जापानियों या दूसरों के दबाव को रोकने तथा चीन की रक्षा तथा उसे मदद पहुँचाने के लिए मित्र-राष्ट्रों की पीढ़ी को भारत में उदराने की नीति से पूरी तरह सहमत है ।’

‘इस अपील के निरर्थक हो जाने पर कांग्रेस वर्तमान परिस्थितियों में विवशता सहन नहीं कर सकती * * * * * जिस अहिंसात्मक शक्ति का सच्य कांग्रेस ने १९०० से किया है उसका उपभोग करने के लिए वह विवश हो जायगी * * * ऐसा बड़ी लड़ाई अनिवार्यतः गाँधी जी के नेतृत्व में होगा ।’

१९४२ की ८ अगस्त को अखिल-भारतीय-कांग्रेस कमेटी की सम्मति में बैठक हुई जिसमें उसने एक लम्बा प्रस्ताव पास करके वर्किंग कमेटी के उतर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकृत किया । अ० भा० का० क० ने अपना यह विचार फिर से दुहराया कि भारत में ब्रिटिश राज की तुरन्त-समाप्ति अत्यावश्यक है । राष्ट्रिय माँगों के सरकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर उसने देशवासियों से सविनय-अवज्ञा प्रारम्भ कर देने की अपील की । प्रस्ताव पर ली जाने वाली मतगणना का परिणाम मुनाये जाने के बाद गाँधी जी ने उपस्थित सदस्यों के सामने लगभग ७० मिनट तक भाषण किया जिसके सिलसिले में उन्होंने लोगो का ‘करो या मरो’ सन्नाह के लिए आह्वान किया ।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने वास्तव में सविनय अवज्ञा प्रारम्भ नहीं की, इसने केवल एक प्रस्ताव पास करके लोगों को यह आदेश दिया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा राष्ट्रीय माँगों के अस्वीकृत किये जाने पर वे सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दें । इस बात पर विश्वास किया जाता है कि समस्या के शान्तिपूर्ण हल के लिए गाँधी जी ने गवर्नर जनरल से विचार विनिमय करना चाहा था । गाँधी जी की यह इच्छा कार्य रूप में परिणत न हो सकी क्योंकि सरकार का उस स्थिति के प्रति दूसरा ही दृष्टिकोण था और यह विश्वास करके कि कांग्रेस एक सर्व-व्यापक हिंसात्मक आन्दोलन की ताक में है, उसने दृढ़ तथा शीघ्रतापूर्ण कदम उठाने का निश्चय किया । इसलिए रात के

सत्राटे में महात्मा जी तथा वर्किंग कमेटी के अन्य सदस्य गिरफ्तार करके किसी अनिश्चित स्थान को भेज दिये गये। प्रान्तीय तथा स्थानीय नेताओं की देश भर में गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। सरकार के इस अप्रत्याशित व्यवहार से सारे देश में हिंसा की अग्नि भड़क उठी। अपने प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी पर जनता क्रोध से पागल हो उठी। उसने रेल, तार तथा सरकारी इमारतों आदि को नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया, हालाँकि कांग्रेस के सविनय-अवज्ञा-कार्यक्रम में ये चीजें सम्मिलित नहीं। ऐसा प्रतीत होता था कि लोगों में स्वतन्त्रता के लिए एक अन्दरूनी जोश उमड़ रहा था और वे परतन्त्रता का अन्त कर देने के लिए आकुल हो उठे थे। लेकिन जनता के पास न हथियार थे और न नेताओं का पथ-प्रदर्शन। असहाय जनता सरकार का सामना न कर सकी। उन भयानक दिनों का विस्तृत वर्णन यहाँ उपयुक्त नहीं है।

इसमें शक नहीं कि सरकार की अड़ उखाड़ फेंकने के लिए लोगों ने काफी हिंसा दिखायी लेकिन लोगों को कुचलने के लिए सरकार ने और भी अधिक हिंसा तथा बर्बरता का परिचय दिया। सरकार ने सारी हिंसा की जिम्मेदारी महात्मा जी तथा वर्किंग कमेटी के सदस्यों पर डाल दी। उसका टाया था कि उसके पास ऐसे प्रमाण उपस्थित थे जिनसे यह स्पष्ट होता कि कांग्रेस की वास्तविक इच्छा सरकार से मुलह की न थी और इस बात का भी पता चल जाता कि वहाँ एक और कांग्रेस शान्ति तथा अहिंसा की डींग हाँक रही थी, दूसरी ओर वह राष्ट्रव्यापी हिंसात्मक आन्दोलन की तैयारी में व्यस्त थी। महात्मा जी ने इन आक्षेपों का विरोध किया, उन्हें गलत सिद्ध करने के लिए अवसर की माँग की तथा वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों के साथ पूरे प्रश्न पर विचार करने के लिए सुविधाएँ चाहीं। सरकार ने न तो इन प्रमाणों को कभी प्रकाशित हो किया और न गाँधी जी तथा वर्किंग कमेटी के विरुद्ध कोई मामला-मुकदमा ही चलाया जिससे उन्हें इस इल्जाम को असत्य सिद्ध करने का अवसर मिलता। गाँधी जी के विरोध-पत्रों का भी इसने टाल-मटोल के रूप में उत्तर दिया। अपनी निर्दोषता सिद्ध करने तथा हिंसात्मक नीति को प्रश्रय देने के आक्षेप का विरोध करने के लिए गाँधी जी ने २१ दिन का उपवास करने का निश्चय किया। सारे देश में एक हलचल मच गयी और हिंसा की रही सही जो कुछ भी भावना थी दब गयी। उपवास के दिनों में उनकी हालत कई बार चिन्ताजनक हुई लेकिन वृद्धावस्था तथा दुर्बलता के होते हुए भी वे इस कड़ी परीक्षा में सफल निकले और इस प्रकार उन्होंने डाक्टरों की आश्चर्य-चकित कर दिया। इसका भी सरकार पर कोई प्रभाव न पड़ा और न उसकी ऐंठ में ही कोई कमी आयी। श्री होमी मोदी, श्री अण्णे तथा श्री सरकार, वाइसराय की कार्यपालिका के इन तीन सदस्यों ने सरकारी नीति के विरोध में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। राजनैतिक जिच तूल पकड़ती ही गयी क्योंकि उस समय के वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो जनता या कांग्रेस किसी से भी समझौता करने के 'मूड' में न थे। महात्मा जी गंध जेल ही में थे उनके दो सर्वप्रिय सहयोगियों— श्री महादेव

देसाई, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, तथा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूरजा गाँधी—की मृत्यु हो गयी। गाँधी जी बीमार पड़ गये और मई १९४४ में अस्वास्थ्य के कारण छोड़ दिये गये।

अपनी रिहाई के बाद महात्मा जी गवर्नमेंट से समझौता करने तथा राजनैतिक जिच को हल करने के प्रयत्न में लगे रहे। लॉर्ड वेवल के नाम, जो लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर भारत के वाइसराय हुए थे, अपने एक पत्र में उन्होंने यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि वे तथा उनके साथी ब्रिटिश सरकार तथा उसके शासन के कितनी भी कड़ी आलोचना क्यों न करें, वे अंग्रेजों के अभिन्न मित्र हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि सरकार उन पर तथा उनके सहयोगियों पर विश्वास करे तो वह जर्मनों और जापानियों के विरुद्ध लड़ाई में बड़ी सहायता कर सकेगे। पत्र के उत्तर में गवर्नर-जनरल लॉर्ड वेवल ने 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव वापस लेने तथा कांग्रेस द्वारा असहयोग का नीति के बहिष्कार पर जोर दिया ताकि उसने साथ समझौता करने में आनात्नी हो सके। वर्किंग कमेटी के सदस्य श्रीमदनगर के फिले में बन्द थे और उनमें मिलने की भी मनाही थी, इसलिए गाँधी जी के लिए इन माँगों को स्वीकार करना असम्भव था। इसका परिणाम यह हुआ कि राजनैतिक जिच बनी ही रही।

इसी बीच श्री चन्द्रगती राजगोपालाचारी ने मि० जिन्ना तथा उनकी मुस्लिम लीग से पाकिस्तान के प्रश्न पर कुछ समझौता करने का प्रयास किया। इस कार्य में उन्हें महात्मा जी की सहायता मिल रही थी। लेकिन दूसरा कोई परिणाम न निकला। इसी बीच इस बात का भा जिक्र कर देना चाहिए कि मुस्लिम लीग ने 'भारत छोड़ो' माँग में कांग्रेस का साथ न दिया। कांग्रेस तथा ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच राजनैतिक जिच के हल में उसने बड़ी ही उपेक्षा दिखायी। देश की प्रगति में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनने वाला हिन्दू-मुस्लिम समस्या के हल के लिए १९४४ की सितम्बर में महात्मा जी ने मि० जिन्ना से कई बार मेट की, लेकिन समस्या निराकरण से उतनी ही दूर रही कितनी अतीत में थी।

वेवल योजना और शिमला सम्मेलन— १९४५ की गमियों में लॉर्ड वेवल लन्दन गये और ब्रिटिश-मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से उन्होंने राय विचार-विमर्श किया। लौटने के बाद उन्होंने देश की राजनैतिक जिच समाप्त करने और उसे स्वगज की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय नेताओं के सामने सम्राट् की सरकार का बोझाएँ रखी। इन योजनाओं का मुख्य तत्व था एक नयी कार्यपालिका कौंसिल (Executive Council) की स्थापना जो देश के रूढ़ित जनमत का अधिक प्रतिनिधित्व करे। इसके प्रधान के रूप में गवर्नर जनरल तथा युद्ध मन्त्री के रूप में कमान्डर-इन-चीफ— इन दो को छोड़ कर शेष सभी सदस्य भारतीय होते। विभिन्न

वर्गों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त इसमें सर्वश्रेष्ठ हिन्दू तथा मुसलमान प्रतिनिधियों की बराबर संख्या रहती। कार्यपालिका कौंसिल के निर्माण के लिए विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के नेताओं की एक बड़ी संख्या वायसराय भवन में आमंत्रित की गयी। कांग्रेस की बकिङ्ग वमेटी के सदस्यों को भी विचार विमर्श में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार ने उन्हें जेल से छुड़ा दिया। १९४० से बराबर दिग्बन्ती जाने वाली देश की राजनैतिक समस्या में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम था।

कांग्रेस ने शिमला कांग्रेस में सम्मिलित होने का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया, मुस्लिम लीग, सिक्खों, दलित वर्गों तथा के द्रौघ विधान-सभा के यूरोपियन टल में भी स्वीकार किया। सम्राट की सरकार की योजनाओं पर विचार-विनिमय करने के लिए शिमला-सम्मेलन २५ जून १९४५ में प्रारम्भ हुआ। पहले दो दिन कार्य करने के पश्चात् सम्मेलन दो दिन के लिए स्थगित हो गया और उसके बाद एक पत्रकारों से भी अधिक दिनों के लिए स्थगित हुआ। जब कांग्रेस १४ जुलाई को फिर प्रारम्भ हुई तो लार्ड वेवेल ने यह घोषित कर दिया कि नयी कार्यपालिका कौंसिल के निर्माण के प्रश्न पर कोई समझौता न होने के कारण सम्मेलन भंग हो गया। सम्मेलन के सामने अन्तिम दिन भाषण करते हुए उन्होंने कहा मेरा सर्वप्रथम लक्ष्य था कि सम्मेलन नयी बनने वाली कार्यपालिका कौंसिल की संख्या तथा उसके निर्माण का दृग निश्चित करे और इसके बाद पार्टियों हमारे पास नामों की सूची भेजे। इन सूचियों में यदि आवश्यकता होती तो मैं भी अपनी दृच्छानुसार कुछ नाम जोड़ देता और इस प्रकार कामज पर एक ऐसी कार्यपालिका कौंसिल का निर्माण हो जाता जो सम्राट की सरकार को, सुभे तथा सम्मेलन को स्वीकृत होती। मैंने अपने द्वारा चुने नामों की सूची को नेताओं के सामने विचार-विमर्श करने, और अन्त में उसे सम्मेलन के समक्ष रखने की दृच्छा की थी। अभाग्यवश, कार्यपालिका कौंसिल के सदस्यों की संख्या और उसके निर्माण के दृग पर सम्मेलन एकमत न हो सका। इसलिए २६ जून को सम्मेलन की अनुमति से मैंने समस्या का एक ऐसा हल सामने रखने का प्रयास किया जो पहले से ही मान लिये गये किसी 'फारमूले' पर आधारित न हो। मैंने पार्टियों से नामों की सूची माँगी और उनसे यह भी कहा कि तथाशक्ति में एक ऐसा हल रखने का प्रयत्न करूँगा जो नेताओं तथा सम्मेलन दोनों को मान्य हो। यूरोपियनों या मुस्लिम लीग को छोड़कर यहाँ सम्मिलित होने वाली सभी पार्टियाँ ने सूचियाँ भेज दीं। मैंने यह पूरा निश्चय कर लिया था कि सम्मेलन असफल न होने पायेगा और इसीलिए मैंने कुछ नाम भी चुने थे जिनमें मुस्लिम लीग के भी कुछ नाम सम्मिलित थे।

‘किमी भी पार्टी ने अधिभारों की मांग को पूर्ण रूप से स्वीकृत करना भेरे लिए समझव था। उन दिनों समझा का हल मि० जिन्ना के सामने खड़ा था उन्होंने मुझे बताया कि वह मुस्लिम लीग का स्वीकृत न था। उनका निश्चय से मुझे यह अनुभव हो गया कि इस विषय पर और बातचात व्यर्थ है।’

शिमला-सम्मेलन के अमफल होने के कारण— शिमला-सम्मेलन की अमफलता के कारणों का विवेचन यहाँ अनुपयुक्त न होगा। यह ध्यान में रखने योग्य है कि सम्मेलन इसलिए अमफल नहीं रहा कि सम्राट् की सरकार जनता के प्रतिनिधियों को पर्याप्त शक्ति नहीं दे रही थी या उसको बम से कम माँगों स्वीकृत नहीं कर रहा थी। इस प्रश्न पर विरोध करने वालों की आनाज प्रभावहीन रही। इसके अमफल रहने का कारण यह था कि मि० जिन्ना की माँगों कांग्रेस तथा अन्य पार्टियों को स्वीकार नहीं थी और मुस्लिम लीग की राय तथा उनके सहयोग के बिना गवर्नर जनरल कोई अतिरिक्त हल करना नहीं चाहते थे। वाइसराय का स्व मुस्लिम लीग के हाथ में ‘वाटा’ देने का था और मि० जिन्ना ने इस शक्ति का पूरा उपयोग किया। अनेक व्यक्तियों का विश्वास था कि मि० जिन्ना की ही याद में सरकार अपनी शक्ति बनाये रखना चाहती थी नहीं तो मि० जिन्ना तथा मुस्लिम लीग की माँगों की अनुपयुक्तता पर विचार करते उन्हें छोड़ा जा सकता था। द्वितीय गोलमेन सभा के समय यूरापियनों तथा मुस्लिम लीग के बीच की मैत्री इस समय तक समाप्त न हुई, यह अत्र भाजारी थी।

मि० जिन्ना की माँगों को स्वीकार न करने का कारण कांग्रेस-प्रेसिडेन्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद ने सम्मेलन के सामने दिये गये अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया। उन्होंने यह बताया कि मुस्लिम लीग नहीं कार्यपालिका काँसिल में सभी मुसलमान सदस्यों की नियुक्ति केवल अपनी ही अधिभार समझती थी और इस मामले में किसी दूसरे का हिस्सा नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग का यह दावा तर्कहीन तथा निरर्थक था, कांग्रेस यह स्थिति स्वीकार नहीं कर सकती थी। कांग्रेस कोई हिन्दूआ की संस्था नहीं थी। वह अपने पचास वर्षों का इतिहास कैसे भूल सकती थी। एक मुस्लिम की हैसियत से मौलाना आजाद कांग्रेस को केवल हिन्दू सगठन मानने के लिए प्रस्तुत न थे। कांग्रेस को मुसलमानों की भलाई तथा उनके उत्तरदायित्व में भाग लेने का पूरा अधिकार था। पञ्जाब के प्रधान मन्त्री मलिक खिन्न ह्यात रॉं तिवाना मौलाना साह्य के विचारों से सहमत थे और उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि कार्यपालिका काँसिल के सभी मुसलमान सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार मुस्लिम लीग को कदापि नहीं मिल सकता। लीग की माँग को स्वीकार करने का अर्थ होता है-लीगी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व ही न हो पाना। इस सम्बन्ध में इस तथ्य पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हिन्दू मुस्लिम

समस्या के निराकरण का काँग्रेस ने पहले जितना भी प्रयत्न किया उसकी असफलता का एक बड़ा कारण यह था कि मुस्लिम लीग को ही भारत के मुसलमानों की एक मात्र प्रतिनिधि सस्था मानने की मि० बिना की मॉग को वह स्वीकार न कर सकी। इस मॉग को मानने का अर्थ था भारत की एकता का विनाश और साथ ही साथ काँग्रेस का राष्ट्रीय रूप का भा। लेकिन मुस्लिम लीग भी झुकने को तैयार न थी क्योंकि यही मॉग तो पाकिस्तान का आधार थी। शिमला सम्मेलन के असफल रहने का स्पष्ट कारण पाकिस्तान के लिए मुस्लिम मॉग तथा कांग्रेस की अग्रगण्य भारत की भावना में विरोध था।

गो शिमला-सम्मेलन असफल रहा फिर भी उसका कुछ न कुछ परिणाम तो हुआ ही। एक ओर तो इसने यह स्पष्ट कर दिया कि शक्ति का वास्तविक परिवर्तन होने पर कांग्रेस शासन में भाग लेने के लिए प्रस्तुत थी और दूसरी ओर यह कि भारतीय समस्या के हल के लिए सरकार तैयार थी, तैयार चाहे दिखावटी ही क्यों न रही हो। सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरकार ने बहिष्कृत कमेटी के सभी सदस्यों को कैद से रिहा कर दिया था। देश की राजनैतिक जिंघ के सुलभाय के लिए यह अनिवार्य था भी। इस सम्मेलन का एक दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम भी हुआ जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है। १९४२ का आन्दोलन कुचल दिये जाने के कारण देश में बड़ी निराशा फैली थी और उसकी हिम्मत परत हो गयी थी। शिमला-सम्मेलन के बाद प० जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल के भाषणों तथा कांग्रेस पर प्रतिबन्ध उठा लिये जाने से देश में पैली निराशा में काफी कमी हुई। इन नेताओं ने लोगों को बतलाया कि क्रोध के क्षणों में पथहीन जनता ने जो कुछ भी किया उसके लिए शर्मिन्दा होने की कोई बात नहीं है। हालाँकि अहिंसा के पूर्ण पालन में कभी कभी भूल आवश्यक हुईं फिर भी, स्वतन्त्रता की भावना से प्रेरित होकर लोगों ने जो वीरता प्रदर्शित की वह प्रशंसनीय है। लेकिन ऐसी बातों का गलत अर्थ लगाकर लोग वहीं यह न समझने लगे कि कांग्रेस अहिंसा के उस सिद्धान्त से दूट गयी जो १९२० से ही उसका आधार-शिला रही कांग्रेस की कार्य समिति ने १९४४ के दिसम्बर में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें निम्नलिखित शब्द भी थे - 'देशवासियों ने वीरता तथा त्यागपूर्ण अनेक कार्य किये, फिर भी कुछ ऐसे कार्य हुए जन्हे अहिंसा में स्थान नहीं मिल सकता।' लोगों के पथ प्रदर्शन के लिए कांग्रेस का कार्यकारिणी ने यह निश्चित कर दिया कि अहिंसा में सम्पात जलाने, तार काटने, रेल की पटरियाँ उखाड़ने तथा लोगों पर आतङ्क जमाने का स्थान नहीं है।

शिमला-सम्मेलन के बाद— देश की स्थिति समझने तथा जिंघ हटाकर देश में साधारण राजनैतिक जीवन की स्थापना के लिए पहली तथा दूसरी अग्रगण्य

* नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा संगठित आजाद हिन्द फौज और उसके कुछ अफसरों के लाल किला, दिल्ली, में मुकदमे ने देश में एक नया जोश उत्पन्न कर दिया था।

१९४५ में लॉर्ड वेवल ने प्रान्तीय गवर्नरों की एक सभा बुलाई। ऐसा विश्वास किया जाता था कि उस सभा में धारा ६३ के अनुसार शासित प्रान्तों में गवर्नरों का एकाधिकार तोड़ने तथा साधारण चुनाव करने का निश्चय हुआ था। वाट्सगव ने साधारण चुनाव करना चाहा था। इसी बीच ब्रिटेन में परिस्थितियों बदल गयीं। जर्मनी के बिना शर्त आत्ममर्पण के बाद हुए साधारण चुनाव में मजदूर-दल विजयी हुआ। मि० चर्चिल तथा मि० एमरी, भारतीय स्वतन्त्रता के इन चिर विरोधियों के स्थान पर मि० एटली तथा लॉर्ड पेथिक लॉरेंस की शक्ति मिनी। नयी मजदूर-सरकार ने नये सिरे से बातचीत करने तथा भारत-सम्बन्धी सभी समस्याओं पर सम्यक् दृष्टिपात करने के लिए लॉर्ड वेवल को इंग्लैंड आमन्त्रित किया। लन्दन से लौटने के बाद लॉर्ड वेवल ने एक सन्देश प्रसारित किया जिसमें उन्होंने कहा : 'भारतीय जन-मत के नेताओं की राय से सम्राट् की सरकार स्वराज की शीघ्र से शीघ्र स्थापना के लिए प्रभुत है। अपनी लन्दन-यात्रा के सिलसिले में हमने उन सभी चीजों पर विचार-विनिमय किया है जो देश में लागू की जायेंगी। इस विषय में घोषणा की जा चुकी है कि लड़ाई के कारण अतक बन्द रहने वाले केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-सभाओं के चुनाव आने वाले जाड़े में किये जायेंगे। इसलिए सम्राट् की सरकार की यह उत्कट इच्छा है कि सभी प्रान्तों के राजनैतिक नेता मन्त्रित्व का भार स्वीकार करें। सम्राट् की सरकार की यह इच्छा भी है कि जितने शीघ्र सम्भव हो एक सविधान-परिषद् बिटायी जाय और इसी लिए, प्रारम्भिक कदम उठाने के सम्बन्ध में उसने मुझे चुनाव के तुरन्त बाद प्रान्तों के विधान-मण्डलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का अधिकार दिया है ताकि यह निश्चित हो जाय कि १९४२ की घोषणा की योजना उन्हें स्वीकार है या इसके बदले में किसी परिवर्धित योजना की आवश्यकता है। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों से भी यह निश्चित करने के लिए विचार-विनिमय होगा कि सविधान-परिषद् में वे अपना पार्ट किस प्रकार अदा कर सकते हैं।' ब्रिटिश प्रधान मन्त्री श्री एटली ने भी इसी आशय की एक घोषणा इसी तिथि को लन्दन से की।

अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक सितम्बर के अन्त में हुई और उसने गवर्नर-जनरल द्वारा खरीयी योजनाओं पर अन्धवी प्रकार विचार किया। ये योजनाएँ उसे 'गोलमटोल, अनिश्चित तथा असन्तोषप्रद' प्रतीत हुईं और उसने इस तथ्य पर जोर दिया कि 'कांग्रेस तथा देश को स्वतन्त्रता से कम कोड़े भी चीज स्वीकृत न होगी।' मताधिकार के सङ्कुचित तथा रास्ते की अनेक श्रद्धाचनों के होते हुए भी कांग्रेस ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान मण्डलों के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया।

कांग्रेस मैनिफेस्टो— कांग्रेस ने एक लम्बा चुनाव-घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसमें उसने अपने पुराने इतिहास, अपनी सफलताओं तथा भविष्य के कार्य क्रम

की सक्षिप्त चर्चा की और देश के सभी मतदाताओं से आनेवाले चुनाव में हर प्रकार से समर्थ सहायता की माँग की। इन चुनावों में जाति की छोटी-छोटी चीजों व्यक्तिगत स्वार्थों तथा वर्गगत लाभों को स्थान न था। महत्त्व केवल एक चीज का था : मातृभूमि की स्वतन्त्रता, जिससे सभी प्रकार का स्वतन्त्रताएँ अपने आप मिल जाती है। अगस्त ८, १९४२, का प्रसिद्ध प्रस्ताव, घोषणापत्र का इन शब्दों में केन्द्र बिन्दु बना दिया गया 'अपनी ८ अगस्त, १९४२, की माँग पर कांग्रेस आज भी आरुढ़ है। इसी माँग तथा युद्ध-घोषण के आधार पर कांग्रेस चुनाव का सामना कर रही है।'

घोषणापत्र इतना लम्बा है कि सम्पूर्ण उद्धृत नहीं किया जा सकता लेकिन इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसकी उपेक्षा भी ठीक नहीं। इसलिए कुछ महत्त्वपूर्ण अंश नीचे दिये जा रहे हैं

'पिछले साठ वर्षों से कांग्रेस राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्नशील रही है। अपनी छोटी-सी शुरुआत से यह धारे धीरे विकसित होता गया और इसने देश के कोने-कोने में स्वतन्त्रता का संदेश पहुँचाया। देश की जनता से शक्ति तथा बल पाकर यह एक विशाल संगठन के रूप में विकसित हो गया है। देश की स्वातन्त्र्य भावना की यह आविर्भाव प्रतीक है।

'कांग्रेस का अब तक का सारा जीवन जनता की मलाई तथा स्वतन्त्रता के लिए अनवरत युद्ध में बीता है। पिछले तीन वर्षों में अद्वितीय जनान्धन तथा उसके निर्दयतापूर्ण दमन के बाद कांग्रेस की शक्ति में वृद्धि ही हुई है और यह उन लोगों की और भी प्रिय बन गया है जिनकी इसने निराशा तथा अवसादपूर्ण क्षणों में सेवा की है।

'कांग्रेस भारत के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकारों के लिए, * * * सभी जातियों तथा धार्मिक वर्गों की एकता तथा उनके बीच सौहार्द एवं सहिष्णुता के लिए * * * राष्ट्र के भीतर प्रत्येक इरादे तथा प्रादेशिक क्षेत्र की स्वतन्त्रता के लिए, * * * तथा सामाजिक अन्धकार तथा उससे पीड़ित सभी के अधिकारों के लिए अरन्तर प्रयत्नशील रह है।

'कांग्रेस ने एक स्वतन्त्र तथा लोकतन्त्रात्मक राज्य की कल्पना की है जिसमें सभी नागरिकों के आधारमूल अधिकारों तथा सत्तों की रक्षा हो। देश का विधान सही होना चाहिए जिसमें इसकी वैधानिक इकाइयों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो तथा इसके विधान-मंडला का चुनाव बालिग मतदाताओं द्वारा हो * * *

'राज्य पिछड़े तथा दलित वर्गों के उत्थान की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा * * * * * कच्चापत्थर इलाकों के विकास के लिए सरकार पूरी सहायता देगी * * * * *

विदेशी शासन ने ऐसी श्रमिक समस्याएँ उत्पन्न कर दी हैं जिनका शीघ्र से शीघ्र निराकरण अत्यावश्यक है * * * स्वतन्त्रता के सिवाय इन समस्याओं के सुलभभाव का और कोई उपाय नहीं है। राजनैतिक स्वतन्त्रता में आर्थिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रताओं का भी स्थान है।'

'भारत की सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक समस्या है दरिद्रता का अभिशाप दूर करके जनता का जीवन स्तर ऊपर उठाना * * * * * हमारी समस्या मूलरूप में गँवों का है * * * * * यह आवश्यक है कि भूमि की समस्या का सुलभभाव उसके सभी पहलुओं के साथ हो * * * * * इस समस्या के सुलभभाव में किसान तथा सरकार के बीचवाला का टूटाया जाना आवश्यक है। भूमि तथा उद्योगों के विकास में ग्रामीण तथा शहरी अर्थ-नीति में सतुलन होना चाहिए।

'मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक रूप से ऊपर उठने तथा नये प्रकार के कार्यों को सम्यक् रूप से सम्पादित करने के लिए लोगों की उपयुक्त शिक्षा का प्रबन्ध आवश्यक है * * *'

'जहाँ तक शारीरिक श्रम का सम्बन्ध है, सरकार औद्योगिक श्रमिकों के कर्तव्यों की रक्षा करेगी, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी तथा रहन सहन का अच्छा प्रबन्ध करेगी। उनके लिए मकान, काम करने के घंटों तथा श्रम की अन्य शर्तों की व्यवस्था होगी * * *'

'अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कांग्रेस स्वतन्त्र राष्ट्रों के विश्वव्यापार-संघ के निर्माण का पक्ष लेती है * * * भारत को सभी राष्ट्रों से, विशेषकर अपने पड़ोसियों के साथ, मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रखना चाहिए। स्वतन्त्रता की अहिंसात्मक लड़ाई लड़ने वाला भारत विश्वशान्ति तथा सहयोग का सदैव पक्ष लेगा।'

निर्वाचन परिणाम—जैसी कि आशा थी कांग्रेस ने साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों में पूरी विजय पायी। केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में भी उसके अनेक उम्मीदवारों का कोई विरोध नहीं हुआ और जहाँ वहाँ भी हिन्दू महासभा के, नरम दल अर्थात् लिबरल या स्वतन्त्र उम्मीदवारों ने विरोध करने की हिम्मत की वहीं उन्हें मुँह की खानी पड़ी, अनेक जगहों में तो उनकी जमानत भी जब्त हो गयी। हालाँकि पञ्जाब के सिक्ख निर्वाचन-क्षेत्रों में कांग्रेस को कुल वोटों की संख्या के आधे वोट मिले, पर भी वह सिक्ख साठ की बबल एन-तिहाई साठे पा सगी। लेकिन मुस्लिम निर्वाचन-क्षेत्रों में दूसरी ही दशा रही। हिन्दुओं की अधिक संख्या वाले प्रांतों में उत्तर प्रदेश तथा कुछ सीमा तक आसाम को छोड़कर कांग्रेस द्वारा रुठे किये हुए सभी मुसलमान-उम्मीदवार हार गये। मुसलमानों की अधिक संख्या वाले चार प्रांतों में से दो प्रांताँ—पञ्जाब तथा त्रिगल—में मुस्लिम लीग को महत्वपूर्ण विजय मिली। सिन्ध में लाग को मुसलमानी सीटों में अधिकतर साटें मिलीं और कांग्रेस का पक्ष लेने

वाले दलों का वहाँ अल्पमत रहा। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में कांग्रेस को बहुसंख्यक सीटें मिलीं हालाँकि १९३७ के चुनाव के मुकाबिले लोग का इस बार अधिक सफलता मिली। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि चुनाव में कांग्रेस तथा लीग दोनों ही देश की मजबूत राजनैतिक पार्टियाँ सिद्ध हुईं। कांग्रेस इस बात का दावा कर सकती थी कि १९४२ के उसके 'भारत छोड़ो' आन्दोलन को जनता का सहयोग था क्योंकि उसे एक करोड़ नब्बे लाख वोट मिले। उसी तरह मुस्लिम लीग भी यह कह सकती थी कि भारतीय मुसलमानों के बहुसंख्यक भाग का उसमें विश्वास था क्योंकि उसे १५ लाख वोट मिले जो वोटों की पूरी संख्या के ७५ % थे। राष्ट्रीय तथा अन्य गैर-लागी मुसलमानों को ५ लाख या कुल वोटों के २५ % से कुछ अधिक वोट मिले, पर भी उन्हें मुसलमानों की अनुपातिक संख्या न मिली। अप्रैल १९४६ में जब मन्त्रिमण्डल बने तो हिन्दुओं की बहुसंख्या वाले सभी प्रान्तों तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में कांग्रेस की शक्ति मिली और मुस्लिम लीग ने बंगाल तथा सिन्ध में सरकार बनायी। पञ्जाब में कांग्रेस, अकालियों तथा यूनियनिस्टों ने संयुक्त मन्त्रिमण्डल बना लिया और इस प्रकार अकेले सबसे बड़ी पार्टी वाली मुस्लिम लीग से इनकी सम्मिलित संख्या बहुत बढ़ गयी।

एटली की घोषणा— कांग्रेस स्थिति में परिवर्तन की प्रतीक्षा में थी, सम्राट् की सरकार से उसे यह आशा थी कि वह १९४५ की वाइसराय की सितम्बर-घोषणा के अनुसार कोई निश्चित कदम उठायेगी। इसी बीच १५ मार्च को ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री मि० एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें उन्होंने भारत के स्वातन्त्र्य-अधिकार की स्वीकृत किया और अपनी सरकार का यह निश्चय भी स्पष्ट किया कि वह भारतीयों की स्वतन्त्रता प्राप्ति में पूर्ण सहायक होगी और बहुसंख्यक लोगों का उन्नति का ध्यान रखकर वह अल्पसंख्यक लोगों को 'वीटो पावर' (Veto power) न देगी, उन्हें तथा उनकी सरकार का अल्पसंख्यक का पूरा ध्यान था। इन शब्दों ने भारतीयों के हृदय में बड़ी बड़ी आशाएँ उत्पन्न कर दी और वे यह सोचने लगे कि चर्चिल-सरकार ने मुसलमानों के हाथ में जो 'वीटो' रख छोड़ा था वह अब लौटा लिया गया है। ये आशाएँ अपूर्ण रहीं। पाकिस्तान की मांग स्वीकृत हुए बिना लीग भारतीय समस्या के हल में अब भी अडगला लगा सकती थी।

कैबिनेट मिशन— प्रधान मन्त्री ने यह भी घोषणा की कि ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के तीन उच्च पदासीन सदस्यों— भारत-मन्त्री लॉर्ड पेथिक सांगस, व्यापार बोर्ड के प्रेसिडेन्ट सर रैपर्ट्र्ड क्रिप्स तथा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ दि ऐडमिरैलिटी मि० ए० वी० अलेग्जाण्डर— का एक दल भारतीय जनमत के नेताओं से भारत के विधान के निर्माण के विषय में विचार विमर्श करने हिन्दुस्तान जा रहा है। प्रधान-मन्त्री ने आगे कहा : 'मेरे सहयोगी भारत इस उद्देश्य से जा रहे हैं कि वे वहाँ के

देशवासियों की शक्ति से शक्ति स्तम्भत्व-प्रार्थित में गढ़ायता करे। मसौमान सम्भार के बदले भारत में कौनगी सरकार रहेगी, यह निश्चय करना भारतीयों का कार्य है। 'तबिन हमारी इच्छा उन्हें ऐसा निश्चय करने में पूरी-पूरी सहायता देना है।'

वैबिनेट मिशन कराची में ३० मार्च, १९४६, को द्वाहई अफ़ज़ से उतरा और दूसरे ही दिन दिल्ली पहुँच गया। कराची में एक सत्र-सत्र के अवसर पर लॉर्ड वैबिक् लॉग्स ने कहा, 'ब्रिटिश जनता तथा सरकार की ओर से हम सबों के देश-वासियों के लिए मिशन तथा मोटाई का एक सम्देश लाए हैं। हमें विश्वास है भारत महान भविष्य के द्वार पर खड़ा है।'

वैबिनेट मिशन ने देश की समस्या विम रूप में हटा करनी चाही उतवा यहाँ विस्तृत विवेक आवश्यक नहीं है। हाँ, इसका ध्यान में अवश्य करना चाहिए कि जैसे ही वैबिनेट मिशन के सदस्यों ने यह घोषणा कर दी थी कि वे इस देश में लुगे डिमाग तथा निष्ठा हृदय के साथ आ रहे हैं किन्तु ऐसा करना बहुत कठिन था। ब्रिटिश सरकार के विद्वाने माता में वे मुसु न मुसु अवश्य वैबे थे। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनका उद्देश्य एक नयी वैधानिक रूपरेखा तैयार करना तथा केन्द्र में एक आभासी प्रतिनिधि-सरकार की स्थापना था, विधान का निर्माण नहीं। इस कार्य के लिए देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों, समूहों तथा हिता या दृष्टिकोण सम्भन्धी इन सदस्यों के लिए अत्यावश्यक था। इसलिए उन्होंने भारतीय नेताओं में विचार-विनिमय करना तथा उनकी सलाह लेना प्रारम्भ किया। सबसे पहिले उन्होंने एक सम्मेलन किया जिसमें सचिव जनरल तथा भारतीय सचिव सम्मिलित थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस, लीग तथा अन्य दलों के प्रतिनिधियों को, जिसमें मुसु राजे तथा बड़े राज्यों के प्रधान मन्त्री भी सम्मिलित थे, आमन्त्रित किया। मुसु मिला पर १९४० बैठक हुई जिसमें ४७२ नेताओं से विचार-विनिमय हुआ। इस संख्या में यह जान होता है कि विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों की संख्या देश में कितनी अधिक थी। लॉर्ड वैबिनेट मिशन के सदस्यों का प्रमुख सम्बन्ध तो कांग्रेस तथा लीग के नेताओं से था और इनसे विचार-विनिमय के बाद उन्हें जान हुआ कि वैधानिक मशीन (Constitutional machinery), विधान परिषद तथा अन्तरिम सरकार के सम्बन्ध में इन लोगों का मत एकत्रित भिन्न था। मिशन से इन प्रमुख दलों में सम्मेलन करके का सच्चा प्रथम किया। उसने शिमला में तीन दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन भी किया जिसमें तीन कांग्रेस के प्रतिनिधि, तीन लीग के प्रतिनिधि, वाइसराय तथा मिशन के तीनों सदस्य सम्मिलित थे। सम्मेलन के लिए मिशन के सदस्यों ने एक योजना प्रस्तुत की जो नीचे दिये हुए सिद्धान्तों पर आधारित थी। भारत में सभ-शासन की स्थापना हो जो विदेशी मामलों, रक्षा तथा

यातायात की व्यवस्था करे ; प्रान्तों को दो भागों में श्रेणीबद्ध किया जाय , पहली श्रेणी में हिन्दुओं की बहु सख्या वाले तथा दूसरी में मुसलमानों की बहु-सख्या वाले प्रान्त रहें । प्रत्येक भाग शेष बचे ऐसे विषयों (Subjects) की देखभाल करे जिन्हें उसमें रहने वाले प्रान्त सम्मिलित रूप से चाहें । प्रान्तीय सरकारों को अन्य सभी विषयों की देखभाल करने का अधिकार हो और उन्हें अवशिष्ट शक्तियाँ मिलें ।

इस त्रिदल सम्मेलन की बैठक एक सप्ताह— ५ से ११ मई— तक रही । खूब अच्छी प्रकार विचार विनिमय हुआ , कांग्रेस तथा लाग दोनों ही एक दूसरे के साथ रियायत के लिए प्रस्तुत थे लेकिन अन्त में दोनों के बीच खाई न भर सकी और इस लिए कोई समझौता न हो सन । कांग्रेस सूबे के वर्गीकरण के सिद्धान्त के पक्ष में न थी । सम्मेलन की असफलता १२ मई का घोषित कर दी गयी । कैबिनेट मिशन तथा वाइसराय दिल्ली चले आये और १६ मई को उन्होंने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें समझौते के लिए कुछ योजनाएँ दी गयी थीं । सम्राट् की सरकार ने इन योजनाओं को अपनी पूरी स्वाकृति दी थी ।

मुसलमानों की इस व्यग्रता से कि कहीं ऐसा न हो कि उन्हें बहु-संख्यक हिन्दुओं के कठोर शासन में रहना पड़े, कैबिनेट मिशन के सदस्य बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुसलमानों की पाकिस्तान के स्वतन्त्र सत्ताप्राप्त राज्य की माँग को अच्छी तरह सोचा समझा । अन्त में वे इस निश्चय पर पहुँचे कि मुसलमानों द्वारा निर्धारित की हुई रूपरेखा के अनुसार पाकिस्तान के निर्माण से साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण न होगा , और न उन्हे इसमें ही कोई सगत तर्क दिखार्था पड़ा कि पंजाब, बंगाल तथा आसाम के अधिकारित गैर-मुस्लिम जन सख्या वाले जिलों को पाकिस्तान के अन्दर सम्मिलित कर लिया जाय । उनकी दृष्टि से पाकिस्तान के पक्ष में जो तर्क प्रयुक्त हो सकते थे वही गैर मुस्लिम जिलों के उसमें न रहने के पक्ष में भी लागू थे । पश्चिमोत्तर भाग में, जिसमें पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान सम्मिलित था, गैर-मुसलमानों की सख्या कुल जन सख्या की ३८ % थी तथा बंगाल तथा आसाम वाले उत्तर-पूर्वी भाग में कुल जनसख्या की ४८ % । उन्होंने इस पर भी विचार किया कि मुसलमानों की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों तक सीमित पाकिस्तान समझौते का आधार हो सकता है या नहीं, लेकिन यह विचार अव्यवहार्य निकला । इस विचार को व्यवहार रूप में परिणत किये जाने पर पंजाब तथा बंगाल का शीघ्र विभाजन हो जाता और यह इन प्रान्तों की एक बड़ी सख्या की इच्छाओं तथा हितों के विरुद्ध पड़ता । जहाँ तक मूल्यवान क्षेत्रों के पाकिस्तान से निकल जाने का प्रश्न था, मुस्लिम लीग ने भी उस विचार को स्वीकार नहीं किया ।

इसके अतिरिक्त शासन सम्बन्धी, आर्थिक तथा फौजी कुछ और भी महत्वपूर्ण कारण थे जो देश के विभाजन के प्रतिकूल पड़ने थे । पाकिस्तान के निर्माण से अखंड

भारत के आचार्य पर स्थापित यातायात तथा डाक-तार का सारा प्रबन्ध द्विज-भिन्न हो जाता ; देश की सेना का भी विभाजन आवश्यक हो जाता जिससे पौज की प्रतिष्ठा तथा उसकी परम्परा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता । इन कारणों तथा अन्य कई बातों को ध्यान में रखकर मिशन ने ब्रिटिश सरकार का दा स्वतन्त्र राज्यों को सत्ता हस्तान्तरित करने की सलाह देने में अपने को असमर्थ पाया ।

इसी प्रकार सघ-राज्य की कांग्रेसी योजना पर भी मिशन ने विचार किया । इस योजना के अनुसार विदेशी मामलों, रक्षा तथा यातायात— इन केन्द्रिय विषयों को छोड़कर प्रान्त अपने पूरे शासन में स्वतन्त्र रहते । शासन-सम्बन्धी तथा आर्थिक योजनाओं में ऊँचे परिमाण पर भाग लेने की इच्छा होने पर प्रांतों को इन तीन आवश्यक विषयों के अतिरिक्त कुछ और वैकल्पिक विषय भी देने पड़ते । मिशन के सदस्यों के अनुसार यह योजना ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ उत्पन्न करता जो वैधानिक रूप से असंगत पड़ती । इसलिए मिशन ने इस योजना को भी अस्वीकृत कर दिया ।

कैबिनेट-मिशन ने ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के सम्बन्ध पर भी विचार किया और यह मत प्रकट किया कि नयी परिस्थितियों के अनुसार ब्रिटिश शासन को सर्वोच्च (Paramountcy) अपने हाथ में रखना या उसे ब्रिटिश भारत की सरकार को दे देना असम्भव हो जाता । यह अच्छा हुआ कि भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों ने भारत के नये विभास में पूरे सहभाग की इच्छा प्रकट की । वैधानिक ढाँचे के निर्माण के समय उनके इस सहयोग का क्या रूप होता उसे निश्चित करना ब्रिटिश भारत तथा राज्यों के प्रतिनिधियों का काम था ।

कैबिनेट-मिशन-योजना— मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को अस्विकार्य तथा कांग्रेस की सघ-राज्य का योजना को वैधानिक रूप से अनुपयुक्त बताकर कैबिनेट-मिशन ने एक ऐसी योजना रखने का प्रयत्न किया जो सभी दलों की संगत माँगों की पूर्ति तथा समूचे भारत के लिए एक स्थायी तथा व्यवहार्य विधान का निर्माण करती । विधान का रूप निम्नलिखित था :

(1) ब्रिटिश भारत तथा राज्यों को मिलाकर एक भारतीय सघ होता जो विदेशी मामलों, रक्षा तथा यातायात की देखभाल करता और जो इन विषयों के लिए आवश्यक वित्त (Finance) एकत्रित करने की शक्ति भी रखता ।

(ii) सघ की एक कार्य-कारिणी तथा व्यवस्थापिका होती जिसमें ब्रिटिश भारत तथा राज्यों के प्रतिनिधि रहते । व्यवस्थापिका में उत्पन्न होने वाले किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के हल के लिए दोनों बड़े दलों के अलग-अलग प्रतिनिधियों के बहुमत और साथ ही सघ सदस्यों की पूरी सख्या का बहुमत आवश्यक था ।

(iii) सघीय विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा सभी अर्धशिष्ट शक्तियों प्रान्तों को मिलतीं।

(iv) सघ को दी हुई शक्तियों तथा विषयों को छोड़कर अन्य सभी विषय तथा शक्तियों रियासतों के पास रहतीं।

(v) प्रान्तों का इस बात का अधिकार था कि वे अलग-अलग ग्रुप बनायें और प्रत्येक ग्रुप की अलग-अलग कार्य-पालिका तथा विधान-मंडल होता।

(vi) सघ तथा इन समुदायों के विधान में एक धारा रहती जिसके अनुसार अपने विधान-मंडल के बहुसंख्यक वोट द्वारा किसी भी प्रान्त को विधान की धाराओं पर पुनर्विचार करने का अधिकार रहता। यह अधिकार पहिले-पहल दस वर्षों बाद और फिर प्रत्येक दस वर्षों बाद लागू हो सकता।

कैबिनेट मिशन को देश के लिए भविष्य में बनने वाले विधान के सम्बन्ध में उपरोक्त धाराएँ बनानी पड़ीं क्योंकि समझौते की बातचीत के दौरान में उन्हें यह स्पष्ट हो गया था कि इस प्रकार की योजनाओं के बिना इस बात की कोई आशा नहीं की जा सकती थी कि दोनों प्रमुख दल विधान बनाने वाली मशीन की अपना सहयोग देते।

इसके बाद मिशन ने विधान निर्मित करने वाली सस्था का प्रश्न हाथ में लिया। देश में बालिग मताधिकार न होने, विभिन्न प्रान्तों के विधान मंडल के सदस्यों की संख्या उन प्रान्तों की सम्पूर्ण जन-संख्या के अनुसार आनुपातिक न होने तथा प्रत्येक प्रान्त के विधान मंडल को सदस्यता का वहाँ के विभिन्न वर्गों की सम्पूर्ण संख्या से मेल न बैठने के कारण विधान परिषद् की स्थापना एक कठिन कार्य बन गयी। विभिन्न तरीकों के सतर्कतापूर्वक निरीक्षण के बाद कैबिनेट मिशन ने यह निश्चित किया कि सबसे अधिक उपयुक्त योजना यह होगी जिसमें (अ) अपनी जन-संख्या के अनुसार प्रत्येक प्रान्त की सीटें निश्चित कर दी जायँ, जैसे प्रत्येक दस लाख के लिए एक सीट, बालिग मताधिकार के स्थान पर यही सबसे उपयुक्त चीज थी, (ब) प्रत्येक प्रान्त की सीटें उस प्रान्त के बड़े वर्गों में, उनको जन-संख्या के अनुसार विभाजित कर दी जायँ, और (स) यह निश्चित कर दिया जाय कि प्रान्त के प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव विधान-सभा में उसके सदस्यों द्वारा होगा। इन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर मिशन ने साधारण, मुस्लिम तथा सिक्ख— केवल इन तीनों का ही वर्ग माना।

ऊपर दिये हुए आधार के अनुसार सविधान परिषद् की टोटल संख्या ३८५ + ४ = ३८९ रखी गयी। ब्रिटिश भारत में २६२ सदस्य गवर्नरों के प्रान्तों से तथा ४ सदस्य चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों से होते। भारतीय राज्यों के अधिक से अधिक ६३ प्रतिनिधि रहते। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों का विभिन्न प्रान्तों तथा वर्गों में विभाजन निम्नलिखित रूप से करने का प्रस्ताव था :

भाग (अ)

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	टोटल
मद्रास	४५	४	४९
बम्बई	१९	२	२१
उत्तर प्रदेश	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६
मध्यप्रान्त	१६	१	१७
उर्दुसा	९	०	९
टोटल	१६७	२०	१८७

भाग (ब)

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिख	टोटल
पंजाब	८	१६	४	२८
पश्चिमोत्तर प्रान्त	०	३	०	३
सिन्ध	१	३	०	४
टोटल	९	२२	४	३५

भाग (स)

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	टोटल
उगाल	२७	३३	६०
आसाम	७	३	१०
टोटल	३४	३६	७०

चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भाग (अ) में तीन सदस्य— दिल्ली, अजमेर, मारवाडा और बुर्या, इन तीनों से एक एक— जोड़ दिये जाते। ब्रिटिश बलूचिस्तान को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक सदस्य भाग (ब) में जोड़ा जाता। भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक न होती। इनके चुनाव की निश्चित प्रणाली विचार विनिमय के पश्चात् तय होती। प्रारम्भिक दशक में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समझौता समिती (Negotiating Committee) करती।

१६ मई की घोषणा ने सविधान-परिषद् की पहली मीटिंग का कार्य भी निश्चित किया। इस कार्य में चेयरमैन तथा अन्य पदाधिकारियों का चुनाव, नागरिकों, अल्पसंख्यकों, कजायली तथा पृथक् क्षेत्रों (Excluded areas) के अधिकारों

के अनुसार परामर्श समिति (Advisory Committee) का चुनाव तथा ऊपर दिये हुए नवसे के अनुसार प्रांतीय प्रतिनिधियों का तीन भागों— अ, २, स— में विभाजन सम्मिलित था। ये भाग अपने में सम्मिलित प्रांतों का विधान निश्चित करते और यह भी तय करते कि कोई वर्गीय विधान (Group Constitution) जतना या नहीं, यदि हों, तो सम्मिलित विधान के जन्म कौन-कौनसे प्रांतीय विषय रहते। प्रांतों को अपने वर्ग से निकल जाने का अधिकार भी दिया गया।

घोषणा में आयी हुई अन्य चीजों में से केवल दो और का हम यहाँ मन्त्रिपरिचय दे रहे हैं। सत्ता हस्तान्तरण व सम्बन्ध म उत्पन्न हुई कुछ परिस्थितियों से निवृत्तने के लिए घोषणा में सघीय विधान परिषद् तथा ब्रिटेन में एक सन्धि कराने की व्यवस्था थी। प्रमुख राजनैतिक दलों के सहयोग से एक अन्तरिम सरकार की शीघ्र स्थापना पर सबसे अधिक जोर दिया गया। अन्तरिम सरकार में युद्ध-विभाग तथा सभी विभाग उन राजनैतिक नेताओं के हाथ में रखे जाते जिन पर जनता का पूरा विश्वास रहता। इस प्रकार नयी सरकार को ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग रहता, शीघ्र से शीघ्र अपने ऊपर सारा उत्तरदायित्व ले लेने की शक्ति प्राप्त करने के लिए वह हर प्रकार की सहायता देती।

कैबिनेट-मिशन-योजना का मूल्यांकन— कैबिनेट मिशन योजना के ठीक-ठीक मूल्यांकन के लिए हमें उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें इसकी कल्पना तथा घोषणा हुई थी। हम यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश में उत्पन्न हुई राजनैतिक जटिल के हल के लिए ब्रिटिश सरकार पूर्ण रूप से उत्सुक थी क्योंकि योरप में महायुद्ध की समाप्ति हो गयी थी और वजय मित्र राष्ट्रों के हाथ लगी थी। भारत के एक नये विधान के निर्माण के उद्देश्य से सम्राट् का सरकार तो एक विधान परिषद् की स्थापना के लिए भी प्रस्तुत थी। लेकिन नये विधान के निर्माण के तराई पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच मतभेद ने एक विषम स्थिति उत्पन्न कर दी थी। ये दोनों प्रमुख दल आपस में समझौता नहीं कर सके क्योंकि उनके उद्देश्य तथा लक्ष्य ही भिन्न थे। मुस्लिम लीग की माँग भी भारत का दोस्वतन्त्र राज्यों में विभाजन और जब तक यह माँग स्वीकृत न होती वह विधान के निर्माण में भाग लेने के लिए तैयार न थी। कांग्रेस सम्पूर्ण तथा अविभाजित भारत के पक्ष में तथा पाकिस्तान बनाये जाने के विरुद्ध थी लेकिन साथ ही साथ वह प्रांतों को अधिक से अधिक सत्ता प्रदान करने के लिए भी प्रस्तुत थी ताकि अपनी अधिक संख्या वाले प्रांतों में मुसलमान अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा जीवन प्रणाली की रक्षा कर सके। मिशन ने इन दोनों प्रमुख दलों में समझौते का बड़ा प्रयत्न किया लेकिन वह असफल रहा। दोनों दलों के हितों को ध्यान में रखकर एक विधान बनाने वाली सत्ता के शीघ्र से शीघ्र निर्माण के अतिरिक्त और कोई चारा न था। सत्रकी बातें सुनकर तथा सूत्र सूत्र विचार के बाद ही उसने अपनी योजनाएँ लोगों के सामने रखीं। योजनाओं की प्रकृति

समझौता कराने वाली थी इसलिए उनसे किसी भी दल को पूरा सन्तोष नहीं मिला । इतना तो मानना ही पड़ेगा कि कांग्रेस तथा लीग में समझौता कराने के लिए इस योजना द्वारा सच्चा और अच्छा प्रयत्न किया गया था ।

प्रान्तों तथा भारतीय राज्यों को मिलाकर एक भारतीय सघ का निर्माण तथा विदेशीय नीति, रक्षा, यातायात और इन विभागों के लिए आवश्यक वित्त का प्रबन्ध कार्यपालिका तथा विधानमण्डल के हाथ में देकर और पाकिस्तान की माँग अस्वीकृत करके मिशन-योजना ने कांग्रेस की माँगों को कुछ सीमा तक स्वीकार कर लिया ।

वैदेशिक सम्बन्ध, रक्षा तथा यातायात— इन तीन विषयों को संघ के हाथ में देकर शेष सभी विषयों में प्रान्तों को पूरी स्वतन्त्रता प्रदान करके, प्रान्तों को अनेक गुटों में समटित होने का अधिकार देकर तथा उन गुटों की अपनी स्वयं की कार्यपालिका तथा विधान-मण्डल की व्यवस्था करके कैबिनेट मिशन ने, देश के विभाजन से उत्पन्न खतरों को बिना आमन्त्रित किये हुए, मुसलमानों को पाकिस्तान के सभी लाभों को देने का प्रयत्न किया । बंगाल तथा आसाम का एक वर्ग (Group) बनता ; पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रान्त, सिन्ध तथा ब्रिटिश त्रिलुचिस्तान का दूसरा । इन वर्गों का क्षेत्र ठीक उतना ही होता जितना लीग पाकिस्तान में रखना चाहती थी । इसके अतिरिक्त, जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, योजना ने यह व्यवस्था की थी कि विधान परिषद् में उत्पन्न हुए किसी बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न के हल के लिए प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों तथा विधान परिषद् के सभी सदस्यों की संख्या के अधिकार के निर्णय की आवश्यकता पड़ती । यह व्यवस्था लीग की विचार धारा के अनुकूल बनायी गई थी । लीग की राय तथा उसके सहयोग के लिए ही उसे ये छूटें दी गयीं वरना इनके बगैर वह आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत न थी । कैबिनेट मिशन की योजनाओं में लीग को अपनी माँगों का तत्व दिखाई पड़ा ; इसका प्रमाण यह है कि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की माँग अस्वीकार करने के कारण योजनाओं की आलोचना करते हुए भी लीग ने जून ६, १९४५ को एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने योजनाओं को अपनी पूरी स्वीकृति दी ।

कैबिनेट-मिशन योजना की और भी अच्छाइयों थी । विधान-परिषद् का निर्माण लोकतन्त्रात्मक सिद्धान्तों पर होता ; प्रतिनिधियों की संख्या जन-संख्या के अनुपात से रक्खी जाती । अल्पसंख्यकों को जन-संख्या के अनुपात से अधिक स्थान देने का पुराना सिद्धान्त एकदम समाप्त कर दिया गया । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों तथा सिक्खों के लिए सुरक्षित रक्खा गया, १९३५ के ऐक्ट के अनुसार आगल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा अन्य छोटे छोटे वर्गों के लिए ऐसी को सुविधा मिली थी वह समाप्त कर दी गयी । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त पूर्ण रूप से

समाप्त तो नहीं हुआ, हाँ, उसका क्षेत्र सीमित अवश्य कर दिया गया और यह कोई मामूली लाभ न था। इस सम्बन्ध में यह बात देना उपयुक्त होगा कि आपन-भारतीयों, भारतीय ईसाइयों तथा गैर काफ़ेसी हिन्दुओं को मिशन-योजना के अनुसार बनाया सविधान सभा में कुछ 'बनरल' साटें देकर काफ़ेस ने बड़ी बुद्धिमत्ता तथा उदारता का परिचय दिया।

कैबिनेट-मिशन-योजना का यह भी एक बड़ा गुण था कि सविधान-सभा के सारे सदस्य भारतीय ही रहते। कैबिनेट-मिशन का ध्यान इस और आकर्षित किये जाने पर कि उनकी योजना के अनुसार बंगाल तथा कुछ अन्य प्रांतों के विधान मंडलों के यूरोपियन सदस्य सविधान सभा में कुछ यूरोपियन सदस्यों को निर्वाचन द्वारा भेज सकते थे, उसने तथा गवर्नर-जनरल ने इस बात पर पूरा ध्यान रक्खा कि सविधान-परिषद् के सदस्यों के चुनाव में यूरोपियन सदस्य भाग न लें। उत्तर प्रदेश के विधान-मंडल के यूरोपियन सदस्य ही इस नियम के अपवाद रहे। मिशन ने यह भी व्यवस्था की कि सविधान सभा के कार्य में ब्रिटिश सरकार तथा सरकारी अफसर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न कर सके। योजना के ढाँचे के भीतर सविधान-सभा को पूर्ण सत्ता प्राप्त थी।

१७ मई को लाहौर वेवल ने अपने एक रेडियो भाषण में कैबिनेट-मिशन योजना की अच्छाइयाँ बड़े अच्छे ढंग से प्रदर्शित की थीं। भाषण के कुछ उरणुक्त अंश नीचे दिये जा रहे हैं

'मैं आपको इस बात का विश्वास दिला सकता हूँ कि इन सुधारों के निर्माण में हम लोगों की शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक अध्ययन, सोच विचार, नेक-नीयती तथा सच्चाई का उपयोग हुआ है। हम लोग तो यही अच्छा समझते थे कि भारतीय नेता आपस में ही समझौता कर लेने और इसके लिए हमने पूरा प्रयत्न भी किया, लेकिन यह चीज सम्भव न हुई हालाँकि दोनों ओर के नेता एक दूसरे के प्रति पर्याप्त रियायत के लिए प्रस्तुत थे।

'आपके सामने जो योजनाएँ रखी गयी हैं वे ऐसी नहीं हैं जिन्हें कोई अकेली पार्टी पसन्द करती। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि इन योजनाओं को ही आधार बनाकर भारत के सुव्यवस्थित तथा संगठित सविधान का निर्माण सम्भव है। इनसे भारत की उस मूलभूत एकाता की रक्षा सम्भव है जिसे दो बड़े वर्गों के बीच वैमनस्य से बराबर खतरा बना हुआ है, और ये विशेष रूप से भारतीय-सैनिक-शक्ति को छिन्न भिन्न होने से बचा लेंगी और इसी शक्ति के संगठन पर भारत की भाव्य रक्षा सम्भव है।

'मुसलमानों को अपने धर्म, अपनी शिक्षा, संस्कृति, अपने आर्थिक तथा अन्य हितों की रक्षा का पूरा अधिकार मिलेगा ** सिक्खों के लिए उनका पञ्जाब

अभिभाजित रक्त नयगा, अ-सखपत्रों को अनतो यात्रपकताओं को सामने रखने तथा अपने हितों का रक्षा का पूरा अयसर मिलेगा " " " इन योजनाओं से भारत म पूर्ण शान्ति स्थ पित होने की आशा है ; यह शान्ति वर्गगत विद्वेषों से परे रहेगी ।'

कांग्रेस दृष्टिकोण योजना के प्रति— यात्रना पर विचार विनिमय करने के लिए कांग्रेस-प्रेमिडेट ने १७ मई को कार्य-समिति की एक बैठक बुलायी । समिति ने कुत्र बातों को और स्पष्ट रूप से समझना चाह्य क्योंकि या तो वे कांग्रेस-दृष्टिकोण न निरुद्ध पडती थीं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाती थीं । वे बातें निम्नलिखित थीं (१) प्रान्तों को अलग-अलग समूहों म श्रेणीबद्ध करने का सिद्धान्त, (२) विधान सभा का न्वतत्र सत्तप्राप्त रूप, और (३) सम्भाजित अन्तरिम सरकार की रूप रेखा तथा उसका आधार । प्रान्तों को अनेक समूहों म श्रेणीबद्ध करने का प्रश्न बड़ा हो मदत्तपूर्ण था और कार्य-समिति ने कैबिनेट मिशन का ध्यान योजनाओं में टा अलग अलग जगहों पर कही गयो दा भिन्न बातों की और टिलाया । १५वें पैराग्राफ क पाँचवें भग क अनुमार 'प्रान्तों को कार्य-पालिका तथा विधान मडल क साथ वर्ग बनाने या न बनाने का स्ततनना थी, और १६वें पैराग्राफ की पाँचवीं धारा के अनुसार प्रांतों क लिए वर्ग म सम्मिलित होना अनिवार्य था । यदि सम्मिलित होना या न होना प्रान्तों की इच्छा पर छोड़ दिया जाता तो कांग्रेस का वर्ग बनाने पर कोई आपत्ति न थी लेकिन वर्ग बनाने के अनिवार्य सिद्धान्त पर उसे आक्षेप अयश्य था । कांग्रेस की कार्य-समिति ने घाषणा का अपने निम्नलिखित उद्देश्यो का ध्यान म रखते हुए मूल्यांकन किया '(१) भारत के लिए स्वतन्त्रता, (२) शक्तिपूर्ण हिन्दु सामिन वन्द्रीय सरकार, (३) प्रान्तों के लिए स्वायत्त शासन (Autonomy), (४) वन्दर तथा इकाइयों म लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था की स्थापना, (५) प्रत्येक व्यक्ति क मूल अधिकारों की रक्षा जिसे वह अपना पूरा विकास कर सक, और (६) एक बहत्तर ढाँचे क भीतर प्रत्येक वर्ग को अपनी इच्छानुसर जीवन बिताने का अयसर तथा अधिकार ।' चूँकि मिशन ने अपनी घाषणा म भाषण्य का कोई पूरा विन नर्ग लींचा, विशेषतया क द्र म स्थापित होने वाली राष्ट्रीय सरकार के सम्बन्ध म, इसलिए कार्य-समिति ने घाषणा पर उस समय कोई निश्चित मत प्रकट करने म अपनी असमर्थता प्रकट की ।

लीगी दृष्टिकोण— मुस्लिम लीग की कौमिल २२ मई को बैठक म योजनाओं पर अनेक आक्षेप किये गए और उनक अनेक अगों क स्पष्टीकरण की माँग की गया । लीग ने भी इसे टनोकार या अस्वीकार करने के सम्भ घ म कोई विचार प्रकट नहीं किये ।

कैबिनेट मिशन का स्पष्टीकरण— २५ मई को कैबिनेट मिशन ने एक घाषणा प्रक शित की जिनम इस बात पर जार दिया गया कि यात्रना एक अविभाज्य

इकाई है और आपन में सहयोग के साथ कार्यान्वित करने में ही वह पूर्ण रूप से सफल हो सकती है। घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि संविधान सभा के एक बार समकित होने और कार्य प्रारम्भ करने पर उसके निर्णयों में कोई हस्तक्षेप न होगा। कांग्रेस द्वारा उठाये गये 'वर्ग बनाने' के प्रश्न पर मिशन ने यह विचार प्रकट किया कि कांग्रेस का यह अर्थ कि प्रान्त वर्ग बनाने या न बनाने में स्वतन्त्र हैं, मिशन के विचारों से मेल नहीं खाता।

अन्तरिम सरकार के विषय में वाद-विवाद— देश की प्रमुख पार्टियों के सहयोग से एक अन्तरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट-मिशन-योजना का प्रमुख अंश था। यह कार्य वाइसराय के ऊपर छोड़ा गया और उन्होंने इस सम्बन्ध में भारतीय नेताओं से पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया। अन्तरिम सरकार स्थापित करने की व्यवस्था को तात्कालिक योजना कहा गया क्योंकि यह संविधान बनाने की व्यवस्था से, जिसे लम्बी योजना कहा गया, भिन्न थी। लॉर्ड वेवेल और कांग्रेस तथा लीग के प्रेसिडेन्टों में इस विषय पर काफी पत्र व्यवहार हुआ। कांग्रेस यह चाहती थी कि अन्तरिम-सरकार औपनिवेशिक मन्त्रिमण्डल के रूप में कार्य करने के साथ साथ केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी रहती और गवर्नर-जनरल नेत्रल संविधानिक प्रधान होना। इसके उत्तर में गवर्नर-जनरल ने कहा कि सम्राट की सरकार की यह इच्छा थी कि देश के दिन-प्रति दिन के शासन में भारतीय सरकार को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाती और उनकी अपनी यह इच्छा थी कि सम्राट की सरकार के इस वादे को पूरा किया जाय। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि नयी सरकार में उसके तथा कांग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या समान हो। लेकिन कांग्रेस इस व्यवस्था के एकरस विरुद्ध थी। कांग्रेस प्रेसिडेन्ट के पास वाइसराय ने जासुभाव भेजे उसमें बराबरी के इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। कांग्रेस-प्रेसिडेन्ट ने इस सम्बन्ध में वाइसराय को एक लम्बा पत्र लिखा जिसका उपयुक्त अंश नीचे लिखा है 'कैबिनेट के निर्माण में आपने जासुभाव रखे हैं उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या दलित वर्गों तथा हिन्दुओं की सम्मिलित संख्या के बराबर है, सर्वार्थ हिन्दुओं की संख्या तो सचमुच लीगियों से कम है। १९४५ के जून में शिमला में जो स्थिति थी आज वह उससे भी असतोषजनक है क्योंकि आपकी उस समय की घोषणा के अनुसार सर्वार्थ हिन्दुओं तथा लीगियों की संख्याएँ समान रहती और दलित वर्ग के हिन्दुओं को अलग सीटें मिलतीं। मुस्लिम सीटें वेवेल मुस्लिम लीग के लिए सुरक्षित नहीं थीं, उसमें गैर लीगियों को भी स्थान मिल सकता था। आज की स्थिति तो हिन्दुओं के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है और उसमें गैर लीगियों को कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है। मेरी कार्य-समिति ऐसा कोई भी सुझाव स्वीकार नहीं कर सकती हम लोग समानता को किसी भी रूप में स्वीकार करने के लिए प्राणत नहीं हैं।' और भी कई ऐसे दृष्टिकोण

ये जिन्होंने कांग्रेस को गवर्नर जनरल के सुभ्रव अस्वीकृत करने के लिए बाध्य कर दिया ।

१६ जून की घोषणा— कांग्रेस वा सहयोग प्राप्त करने के लिए वाइसरय ने समय समय पर जो सुभ्रव रखे उन्हें कांग्रेस-कार्य समिति न स्वीकार कर सकी । कारण स्पष्ट था : वे कांग्रेस तथा छोटे-छोटे अन्य वर्गों के प्रति अनुचित तथा अन्यायपूर्ण थे । इसलिए कैबिनेट मिशन तथा वाइसरय को अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में अपने सुभ्रव रखने पड़े । इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर १६४६ की १६ जून को एक सरकारी वक्तव्य प्रकाशित किया गया जिसका उपयुक्त अंश नीचे है :

‘वाइसरय तथा कैबिनेट मिशन के सदस्यों की कुछ समय से यह इच्छा रही है कि देश की दो प्रमुख तथा अल्पसंख्यक पार्टियों के सहयोग से एक सम्मिलित सरकार बनायी जाय । विचार-विनिमय से यह स्पष्ट हो चुका है कि ऐसा कोई उभयनिष्ठ आधार नहीं है जिसे मान कर दोनों पार्टियाँ कोई ऐसी सरकार बना सकें ।

‘वाइसरय तथा कैबिनेट मिशन के सदस्य कांग्रेस तथा लीग की कठिनाइयों से भली भाँति परिचित हैं’ इसलिए वाद-विवाद को और अधिक बढ़ाना ठीक नहीं है । इस प्रकार अत्र केवल एक मार्ग शेष है और वह है सभी वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक अन्तरिम सरकार की स्थापना.....

‘इसलिए वाइसरय कुछ प्रतिष्ठाप्राप्त व्यक्तियों को इस बात का निमन्त्रण दे रहे हैं कि वे अन्तरिम सरकार में रहकर सेवा-कार्य करें और साथ ही साथ १६ मई की घोषणा के अनुसार सविधान बनाने में सहायक बनें । ये व्यक्ति हैं : सरदार बलदेव सिंह, सर एन० पी० एञ्जीनियर, श्री बगजीवनराम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मि० एम० ए० जिन्ना, नवानजादा लियाकत अली खॉं, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्री० एच० के० मेहता, डॉ० जॉन मथाई, नवाब मोहम्मद इस्माइल खॉं, रबाजा सर नाजिमुद्दीन, सरदार अब्दुर्रब निश्तर, सरदार वल्लभभाई पटेल, और डॉ० राजेन्द्रप्रसाद । इन आमन्त्रित व्यक्तियों में से यदि कोई किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं आ सकता तो विचार के बाद वाइसरय उनकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को आमन्त्रित करेंगे ।

‘विभागों का विभाजन वाइसरय दोनों प्रमुख दलों के नेताओं की सलाह से करेंगे ।

‘अन्तरिम सरकार में देश के दोनों प्रमुख दलों का रहना आवश्यक है । यदि वे दोनों या उनमें से कोई एक सम्मिलित रहने में अपनी असमर्थता प्रकट करेगा तो वाइसरय एक ऐसी अन्तरिम सरकार की स्थापना करेंगे जो १६ मई की घोषणा स्वीकार करने वाली का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व कर सके ।’

वाइसराय ने इस घोषणा की एक एक प्रति कांग्रेस तथा लीग के प्रेसिडेण्टों के पास भेजदी और यह आशा प्रकट की कि देश के शासन में दोनों प्रमुख दलों का भाग रहे। उन्होंने दोनों दलों से योजना को समझीते की दृष्टि से देखाने तथा देश की बड़ी समस्याओं तथा अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की अपील की।

कांग्रेस को जून १६-योजना अस्वीकृत— कांग्रेस-कार्य-समिति की बैठक दिल्ली में १८ जून से २५ जून तक हुई और पर्याप्त विचार-विनिमय के बाद उसने अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने में अपनी असमर्थता प्रकट की। २५ जून को उसने वाइसराय के नाम एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी इस असमर्थता के कारण स्पष्ट किये। इन सभी कारणों को यहाँ व्यक्त करना आवश्यक नहीं है; हाँ, कुछ महत्वपूर्ण कारण स्पष्ट किये जा सकते हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय सस्था थी जिसमें मुसलमान सदस्य भी थे, इस लिए यह अन्तरिम सरकार के कांग्रेस सदस्यों में एक राष्ट्रीय मुसलमान भी सम्मिलित करना चाहती थी और इसे वह अपना अधिकार भी समझती थी। वाइसराय तथा कैबिनेट मिशन के सदस्यों को कांग्रेस की यह माँग स्वीकृत न हो सकी क्योंकि मि० मुहम्मदअली जिन्ना इसका सख्त विरोध करते थे। मि० मुहम्मदअली जिन्ना के नाम एक पत्र में लॉर्ड वेवेल ने दलित वर्गों को अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखना स्वीकार कर लिया और उन्होंने उन्हें यह आश्वासन भी दिया कि इन वर्गों के लिए निश्चित सीटों का भरने के लिए किसी सदस्य की भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर वह मुस्लिम लीग के नेता की राय लेते। वाइसराय ने मि० जिन्ना को कुछ ऐसे और भा आश्वासन दिये थे जिनके कारण अन्तरिम सरकार मुचरू रूप से न चल पाती और राजनैतिक जिन्नों की उत्पत्ति अनिवार्य हो जाती। यदि जून १६ की घोषणा के अनुसार सरकार-निर्माण में कांग्रेस कार्य-समिति वाइसराय की सहायता न कर सकी तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। फिर भी, उसने कैबिनेट मिशन की १६ मई की योजना स्वीकार कर ली और सविधान-सभा में सम्मिलित होना भी निश्चित किया। हाँ, घोषणा के कुछ अर्थों का उसने अपने अनुकूल अर्थ अवश्य किया। जून २६, १९४६, का पास किए हुए कांग्रेस-प्रस्ताव के निम्नलिखित उद्धरण से लम्बी तथा तात्कालिक योजनाओं के सम्बन्ध में कांग्रेस की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है : 'एक स्थायी या किसी अन्य सरकार के निर्माण में कांग्रेस-जन कांग्रेस के राष्ट्रीय रूप का त्याग नहीं कर सकते, वे किसी प्रकार का अन्यायपूर्ण सम्झौता नहीं स्वीकार कर सकते और किसी साम्प्रदायिक वर्ग की 'बीटो' की शक्ति प्रदान करने के सिद्धान्त से भी वे सहमत नहीं हैं। जून १६ की घोषणा के अनुसार एक अन्तरिम सरकार की स्थापना का कांग्रेस पूरा विरोध करती है। लेकिन संभावित सविधान सभा में सम्मिलित होने का उसने निश्चय किया है ताकि स्वतन्त्र, सगठित और लोकतन्त्रिक भारत के लिए एक सविधान का निर्माण हो सके।'

जैसा कि पहले प्रदर्शित किया जा चुका है, मुस्लिम लीग ने जून ६, १९४६, को एक प्रस्ताव पास करके योजनाओं को अपनी स्वीकृति दे दी और सविधान परिषद् में भी सम्मिलित होने की अपनी इच्छा प्रकट की हालाँकि उसकी दृष्टि प्रान्तीय वर्ग के सच से अलग हो जाने के उस अधिकार पर उदाहरणों रही जो कैबिनेट मिशन की योजना में निहित है। अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध में प्रेसिडेन्ट ने वादसमय से रूढ़ पत्र व्यवहार किया और वह अन्तरिम सरकार बनने की प्रतीक्षा ही में थे। चूँकि कांग्रेस ने १६ मई की योजना को तो स्वीकार किया था और १६ जून की घोषणा को अस्वीकार, इसलिए लॉर्ड वेवेन बुद्ध उलझन में पड़ गये और उन्होंने अन्तरिम सरकार बनाने का निश्चय कुछ दिनों के लिए स्थगित रखा। अन्तरिम सरकार की स्थापना स्थगित हो जाने से मोहम्मदअली जिन्ना का बड़ी निराशा हुई। कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने जून २६ को एक बक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें उन लोगों ने कांग्रेस तथा लीग के बक्तव्यों का स्वागत किया किन्तु इस बात पर खेद प्रकट किया कि इन बक्तव्यों में अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए कोई निश्चित तथा सम्भव आधार नहीं रखा गया था। उन्होंने यह इच्छा भी प्रकट की कि उनकी १६ जून की घोषणा के पैर ८ की शर्तों के अनुसार प्रयत्नों को फिर से प्रारम्भ किया जाता। इस बात शासन तथा सविधान सभा के चुनाव का कार्य चलाने के लिए एक काम-चलाऊ सरकार बना ली गयी। २६ जून का कैबिनेट-मिशन के सदस्य इंग्लैंड के लिए रवाना हुए और उसी दिन काम-चलाऊ सरकार के सात सदस्यों के नाम प्रकाशित किये गये।

सिक्ख तथा अन्य वर्गों का मिशन के प्रति दृष्टिकोण— कैबिनेट मिशन तथा उनकी योजनाओं के उपर दिये वर्णन में सिक्खों, हिन्दू महासभा, भारतीय रियासतों, उनकी जनता तथा देश के अन्य लोगों के दृष्टिकोण का जिक्र नहीं हुआ; सारा ध्यान कांग्रेस और मुस्लिम लीग पर ही रहा। इन सभी दृष्टिकोणों के सम्बन्ध में कुछ शब्द बाड़ देना अनुपयुक्त न होगा।

सिक्ख प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान का बड़ा आन्दार विरोध किया और कैबिनेट मिशन के सदस्यों को उन्होंने यह बता भी दिया कि पाकिस्तान की माँग से वे किसी भी प्रकार सहमत न थे। यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध पाकिस्तान की स्थापना हो जाती तो वे अपने लिए सिक्खिस्तान की माँग करते। सिक्ख-संगठन ने १६ मई की योजना को अस्वाकार किया और आगे आने वाली सड़ाई के लिए सिक्खों का आह्वान किया। इसमें कोई शक नहीं कि १६ मई की योजना सिक्खों के प्रति अनेक दृष्टियों से अन्यायपूर्ण थी। यद्यपि उन्हें महत्वपूर्ण अल्पसंख्यकों की श्रेणी में रखा गया— इस दृष्टि से देश में उनका ताँसरा नम्बर रहा— और सविधान परिषद् में उन्हें अलग प्रतिनिधित्व भी दिया गया, लेकिन कोई ऐसा संरक्षण न मिला जैसा

मुसलमानों को मिला था। मिन्ट्रो का प्रमुख विरोध इस बात पर था कि योजना ने उन्हें पूर्ण रूप से मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया। उनकी एक शिकायत यह भी थी कि उन्हें वे अधिकार न दिये गये जो मुसलमानों तथा हिन्दुओं को योजना के भाग १५ (२) तथा १६ (७) के अन्दर मिले थे। फिर भी, सविधान-सभा में प्रतिनिधि भेजने के लिए कांग्रेस ने उन्हें राजी कर लिया लेकिन इस शर्त पर कि वह उनके अधिकारों तथा हितों की रक्षा करेगी।

हिन्दू महासभा की कार्य-समिति ने भी योजनाओं—विशेषतः पाकिस्तान, प्रतिनिधित्व की समानता, बंगाल आसाम की सविधान-सभा यानी सविधान परिषद् के भाग 'ख' में यूरोपीय इस्तल्लेप—का पूर्ण विरोध किया। इस सभा की अखिल-भारतीय समिति ने यह आक्षेप भी किया कि महासभा के आधारमूल सिद्धान्त अर्थात् भारत की एकता तथा उसने समरठन को कैबिनेट मिशन ने केवल सिद्धान्त रूप में माना था, व्यवहार में नहीं। उसके अनुसार कैबिनेट मिशन का प्रमुख दोष अन्य अल्पसंख्यकों का ध्यान न रखते हुए केवल मुस्लिम-लीग को प्रसन्न करना था। वह 'तीन संविधानों वाले सविधान' का विरोध करती रही क्योंकि उसके अनुसार पञ्जाब, बंगाल, आसाम, सिन्ध, पश्चिमोत्तर-प्रदेश तथा पूरी सिक्ख जाति पाकिस्तानियों को दया पर आश्रित हो जाती। प्रान्तों की गुटों में विभाजित करने तथा अर्ध-समूहीकरण के सिद्धान्त का भी उसने विरोध किया।

मिशन-योजनाओं के प्रति देशी राजाओं का दृष्टिकोण स्पष्ट करने के लिए दत्तना भवा देना पर्याप्त है कि ७ जून १९४६ को नशाब मोपाल की शपथदाता में 'चेम्बर ऑफ प्रिन्सेज' की बगर्द में हुई एक सभा में योजनाओं को पूरी स्वीकृति प्रदान की गयी।

ऑल इण्डिया स्टेट्स पीपुल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें इस बात पर आश्चर्य तथा दुःख प्रकट किया गया कि कैबिनेट मिशन की योजनाओं में देशी रियासतों के जन प्रतिनिधियों का कोई ध्यान न रखता गया था। सविधान परिषद् के लिए रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव में यहाँ की शकल का हाथ होने तथा मई १६ की घोषणा के अनुसार परामर्श-समिति में अपने प्रतिनिधियों को रखने की भी उन्होंने माँग की।

मिशन-योजनाओं के सम्बन्ध में गाँधी जी के विचार—कावेस, मुस्लिम लीग, सिक्ख-समरठन, हिन्दू-महासभा तथा जन-मत का प्रतिनिधित्व करने वाली देश की अन्य सस्थाओं ने कैबिनेट-मिशन-योजना को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा और मेल न खाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों से इन सबने इसके ऊपर आक्षेप किये। महात्मा गाँधी ने इन योजनाओं को एक दूसरी ही दृष्टि से देखा और वे इस बात से अच्युती प्रकार सतुष्ट भी हो गये कि वर्तमान परिस्थितियों के बीच ब्रिटिश सरकार अच्युती से

अच्छी यही योजना दे सकती थी। महात्मा जी के अनुसार योजना ने हमारी अपूर्णताओं को स्पष्ट कर दिया। कांग्रेस तथा लीग एकमत न हो सकी, वे एकमत नहीं हो सकती थीं— योजना के विधाताओं को यह अच्छी प्रकार ज्ञात हो गया। उन्होंने उन कम से कम शर्तों को लोगों के सामने रक्खा जिन पर दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच भारत की स्वतन्त्रता का सविधान बनाने के सम्बन्ध में समझौता हो जाता। कैबिनेट-मिशन-योजना के निर्माताओं का प्रमुख मतव्य था भारत में ब्रिटिश-राज का शीघ्र से शीघ्र अन्त। यदि सम्भव होता-ता कैबिनेट मिशन के सदस्यों की इच्छा भारत को ऐसी सगठित दशा में छोड़ जाने की थी जिसमें भीतरी झगड़े, विरोध तथा मनमुटाव गृह-युद्ध का रूप न ले सकते। योजनाओं में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यह भूल जाने वाले जल्दबाज पाठक को परेशानी में डाल देंगी कि योजना राष्ट्र के प्रति एक अपील थी तथा उसे नेक सलाह के रूप में दी गयी थी जिससे यह प्रदर्शित होता था कि थोड़े से थोड़े समय में भारतीय स्वतन्त्रता की प्राप्ति कैसे सम्भव थी। यह बात नहीं है कि महात्मा जी योजना के प्रमुख दोषों से अपरिचित थे, जून २ १९४६ के 'हरिजन' में उन्होंने इन दोषों की ओर संकेत किया था। इन दोषों का विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं है, हमारा उद्देश्य तो केवल यह प्रदर्शित करना था कि योजना के बहिष्कार तथा उसकी आलोचना के बीच भी गांधी जी उसके पक्ष में कहीं तक थे।

राष्ट्रीय सरकार की स्थापना— जैसा कि पहले कहा जा चुका है, लगभग चार महीने के प्रयत्न के पश्चात् कैबिनेट मिशन २६ जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। कैबिनेट मिशन को अपने प्रयत्नों में कोई महत्वपूर्ण सफलता न मिल सकी। कांग्रेस ने मई १६ की लम्बी योजना स्वीकार की लेकिन जून १६ की तात्कालिक योजना अस्वीकार कर दी, सविधान-परिषद् में सम्मिलित होने के लिए वह प्रस्तुत हुई किन्तु अन्तरिम सम्मिलित सरकार में सम्मिलित होना उसे स्वीकार न हुआ क्योंकि लॉर्ड वेवेल की शर्तें इसकी राय के अनुसार हिन्दुओं तथा अल्पसंख्यकों के प्रति अन्यायपूर्ण थीं। मुस्लिम लीग ने इस बात का बड़ा प्रयत्न किया कि कांग्रेस की अनुपस्थिति में ही सरकार की स्थापना हो जाती किन्तु गवर्नर-जनरल ने इसकी अनुमति न दी। लॉर्ड वेवेल सम्मिलित सरकार बनाने के प्रयत्न में बराबर लगे रहे। और २२ जुलाई को उन्होंने कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंटों के पास निम्न लिखित योजनाएँ भेजी और उन पर उनकी राय मागी— (i) अन्तरिम सरकार में १४ सदस्य रहते जिसमें छह सदस्य कांग्रेस नियुक्त करती (दलित वर्ग का एक सदस्य मिला कर), पाँच सदस्य मुस्लिम लीग नियुक्त करती और अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि के रूप में तीन सदस्य वाइसराय स्वयं नियुक्त करते। इन अन्तिम तीन सदस्यों में एक सदस्य सिक्ख होता। (ii) कांग्रेस तथा लीग को

एक दूसरे के दिये नामों पर आक्षेप करने का अधिकार न रहता प्रयत्न वे नाम वाइसराय का स्वकृत होते। (III) इन दो प्रमुख दलों के सम्मिलित सरकार में भाग लेने का निश्चय कर लेने तथा आवश्यक नाम पेश कर देने पर ही विभागों का विभाजन होता। महत्वपूर्ण विभागों का विभाजन कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग के बीच बराबर बराबर हो जाता। (IV) यदि कांग्रेस स्वीकार करे तो मैं इस नियम का स्वगत करूँगा कि बड़े साम्प्रदायिक प्रश्न केवल दोनों बड़े दलों की राय से ही निबटायें जा सकते हैं। कोई सम्मिलित सरकार इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर कार्य नहीं कर सकती।

लीग ने दो कारणों से सम्मिलित सरकार में भाग लेना अस्वीकार कर दिया। योजनाएँ कांग्रेस-लीग समानता के सिद्धान्त के प्रतिबन्ध पड़ती थीं और इसी समानता पर जुलाई १९४५ में हुई शिमला-का फ्रेन्स के समय से हा लागू हो रही चली आ रही थी। इसके अतिरिक्त अपने सदस्यों में कांग्रेस को एक गैर-लीगी मुस्लिम भी सम्मिलित करने का आधिकार मिल गया था। दूसरी ओर कांग्रेस ने योजनाएँ स्वीकार कर लीं और अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने का निश्चय किया। अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए वाइसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमन्त्रित किया। अगस्त २४, १९४६, का वाइसराय ने निर्मालित वक्तव्य प्रकाशित किया : 'सम्राट् ने गवर्नर-जनरल की कार्यपालिका समिति के वर्तमान सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार कर लिये हैं। सम्राट् ने निर्मालित व्यक्तियों को सर्व निवृत्त किया है : पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, डा० राजेन्द्र प्रसाद, श्री आरसप अली, श्री सी० राजगोपालाचारी, श्री शरतचन्द्र बोस, डा० जॉन मथाई, सरदार बलदेवसिंह, सर शपात अहमद खां, श्री जगज्ज्वनराम, कैप्ट शहीर खान और श्री सी० एन्० भाभा। दो अन्य मुस्लिम सदस्यों की भी नियुक्ति होगी। अन्तरिम सरकार दो सितंबर को कार्यभार ग्रहण करेगी।

इस प्रकार अन्तरिम सरकार की स्थापना का कार्य सम्पन्न हुआ। हाँ, इस कार्य को मुस्लिम लीग का सहयोग न मिल सका और इसलिए वह नव निर्मित सरकार से बाहर रही। अन्तरिम सरकार के रूप पर कोई निर्णय देने के पहले उसकी स्थापना के के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को मली भाँति समझ लेना चाहिए। प्रमुख कठिनाई यह थी कि कांग्रेस तथा लीग ने उद्देश्य भिन्न थे, दृष्टिकोण भिन्न थे। ब्रिटिश भारत की सम्पूर्ण जनसंख्या का २५% होते हुए भी वाइसराय की कार्यपालिका के निर्माण में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ समानता चाहती थी। कांग्रेस इस निरर्थक मार्ग को स्वीकार भी कैसे करती? दूसरे, मुस्लिम लीग गैर-लीगी मुसलमान की नियुक्ति कैसे सहन करती? इसी बात पर शिमला सम्मेलन अग्रफल रहा और कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की १६ जून वाली तात्कालिक योजना को अस्वीकृत कर दिया। अन्त में वाइसराय तथा ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस दृष्टिकोण को तर्कपूर्ण समझ

श्रीर अन्तरिम सरकार की स्थापना के लिए २२ जुलाई की याचना को सबसे अधिक उपयुक्त समझा ।

लेकिन, वाइसराय के इस निश्चय से लीग ने मिशन के प्रति असहयोग की नीति अपना ली । जुलाई २६ के अपने प्रस्ताव द्वारा लीग ने कैबिनेट मिशन की लम्बी तथा तात्कालिक योजनाओं के प्रति अपने सहयोग की समाप्ति कर दी और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई का निश्चय किया । मि० जिन्ना ने कैबिनेट मिशन पर किये वार्शों को तोड़ने का आक्षेप लगाया । उनके क्रोध-पूर्ण उद्गारों का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है ।

मुस्लिम लीग ने अगस्त १६ को 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' मनाना निश्चित किया । उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई कांग्रेस के आन्दोलन की तरह विदेशी सरकार के विरुद्ध नहीं थी ; उसका उद्देश्य एक विरोधी सरकार के हाथों से पाकिस्तान छीन लेना भी नहीं था । यह प्रत्यक्ष कार्रवाई हिन्दुओं के विरुद्ध संगठित की गयी थी । उसने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच खुल्लमखुल्ला लड़ाई प्रारम्भ कर दी । अगस्त, १९४६, में कलकत्ते में चार दिन तक होनेवाले भयंकर रक्तपात, उसी वर्ष के अक्टूबर में नोआखाली के हिन्दुओं पर होनेवाले असाधारण अमानुषिक कार्यों, बिहार के हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों से भयंकर बदला लेने तथा पञ्जाब में देश के विभाजन के पहिले और बाद होने वाले अत्याचारों के लिए यही प्रत्यक्ष कार्रवाई उत्तरदायी है । इस भयावह अर्थात् की दुःखद गाथा दुहराने से कोई लाभ न होगा इसलिए १६ अगस्त, १९४६, के बाद देश में पूरे एक वर्ष तक होनेवाली भयंकर घटनाओं के वर्णन को यहाँ प्रथम नहीं दिया जा रहा है । फिर भी इतना तो बतला ही देना चाहिये कि जब कलकत्ते में हिन्दू धन-जन का भयंकर विनाश हो रहा था, तो शान्ति तथा न्याय के संरक्षक निष्क्रिय तथा निश्चित पड़े थे । पहले दो या तीन दिनों तक सरकार कलकत्ते के विनाश को रोकने में एकदम असफल रही । १९४२ के आन्दोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया उससे यह अवस्था एकदम विपरीत रही । इस अन्तर का कारण स्पष्ट था । बंगाल में लीगी मन्त्रिमण्डल का आधिपत्य था ; मन्त्रिमण्डल के प्रधान श्री एच० एस० मुहम्मद हिन्दुओं तथा कांग्रेस पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे । केन्द्रीय मन्त्रालय के किसी भी बड़े अधिकारी ने कलकत्ते तथा नोआखाली का दौरा नहीं किया और न लीगी नेताओं ने अपने अनुयायियों के अमानुषिक कार्यों की निन्दा की ।

अन्तरिम सरकार में लीग का पदार्पण— कैबिनेट मिशन की लम्बी तथा तात्कालिक योजनाओं को अस्वीकृत करने के लीगी प्रस्ताव तथा उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई के निश्चय ने लॉर्ड वेवेल को निराश नहीं किया । उसके विपरीत उन्होंने लीग को उसका प्रस्ताव लौटा लेने, अन्तरिम सरकार में सम्मिलित होने तथा सविधान-सभा के कार्यों में पूरा भाग लेने के लिए प्रयत्न जारी रक्खा । उन्हें आशिक सफलता

भी मिली। लीग ने कार्यपालिका में सम्मिलित होने का निश्चय तो किया लेकिन अपने उस प्रस्ताव को न लौटाया जिसमें मिशन का लम्बी योजना अस्वीकृत की गयी थी। दूसरे शब्दों में, वाइसरॉय ने अपनी कार्यपालिका में मुस्लिम लीग को पाँच सीटें दीं किन्तु उससे वह सविधान निर्माण में सहयोग देने का वादा न कर सके। यह एक बहुत बड़ी भूल थी जैसा कि बाद की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया। दूसरे, यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार में दूसरे दलों से सहयोग करके स्वतंत्रता निकट लाने के उद्देश्य से सम्मिलित नहीं हुई थी, न यह उसे एक औपनिवेशिक मन्त्रिमण्डल का रूप ही देना चाहती थी। अन्तरिम सरकार में भाग लेकर वह अपनी स्थिति मजबूत बनाना चाहती थी ताकि पाकिस्तान तथा अन्य लीगी हितों के लिए वह अपनी इच्छानुसार प्रयत्न कर सकती। ऐसी दशा में 'सम्मिलित उत्तरदायित्व' रह ही कैसे सकता था, कार्यपालिका का कैबिनेट का रूप में कार्य करना असम्भव था। लोगों का पहिले यह विचार था कि घटनाओं का दबाव से कार्यपालिका का काम सम्मिलित रूप से चलाने लगता किन्तु यह विचार कार्य रूप में परिणत न हुआ। केवल एक सप्ताह के अनुभव से ही पंडित नेहरू ने यह विचार प्रकट किया कि २६ अक्टूबर को लीग प्रतिनिधियों के आने से लेकर आगे तक लॉर्ड केवल कैबिनेट की गाड़ी के पहियों को एक एक करके हटाने का बराबर प्रयत्न करते रहे, उनकी यह इच्छा होने लगी थी कि सब कार्य ठप पड़ जाय और देश की प्रगति उस रास्ते पर न हो जिस पर कांग्रेसी नेता चाहते थे। कांग्रेस के मेरठ अधिवेशन में पंडित नेहरू ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम लीग 'सम्रट् की पार्टी' के रूप में कार्य कर रही थी। भारतीय सरकार प्रशासी (Administrative) विभागों का एक समूह बन गयी थी, एक सम्मिलित शक्ति नहीं जैसा कि कांग्रेस उसे बनाना चाहती थी।

अन्तरिम सरकार में मुस्लिम लीग के पाँच सदस्यों के आ जाने से उसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता पड़ गयी। २६ अक्टूबर १९४६ की जनने वाली नया अन्तरिम सरकार में निम्नलिखित व्यक्ति थे पांडे बजाहरलाल नेहरू (वैदेशिक मामले तथा कामनवेल्थ सम्बन्ध), सरदार बल्लभभाई पटेल (ग्रहविभाग, सूचना तथा समाचार प्रसार), श्री लियान्त अली खॉं (अर्थ), श्री आई० आई० चुद्रीगर (वाणिज्य, व्यवसाय), डा० राजेन्द्र प्रसाद (कृषि और खाद्य), श्री आसफ अली (रेलवे और यातायात), सरदार बलदेवसिंह (रक्षा), श्री अब्दुर्रह निश्तर (ढाक और तार), श्री जगजीवनराम (अर्थ), श्री राजनपर अली खॉं (स्वास्थ्य), श्री योगेन्द्रनाथ मण्डल (कानून), डा० जॉन मथाई (उद्योग और पूति), श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी (शिक्षा), और श्री सी० एच० भाभा (शक्ति, खान तथा बर्से)। चौदह सदस्यों के मन्त्रिमण्डल में कांग्रेस की छह सीटें मिलीं, मुस्लिम लीग को पाँच तथा अन्य अल्पसंख्यकों को तीन। २४ अगस्त १९४६ को मन्त्रिमण्डल निर्माण के समय मुस्लिम लीग के लिए दो साठे रजाली रक्ती

गयी थीं लेकिन लीग-सदस्या का स्थान देने के लिए कांग्रेस ने तीन सदस्यों को निकलना पड़ा। कांग्रेस के निकलने वाले सदस्यों में श्री शरतचन्द्र बोस भी थे।

लीग और विधान परिषद्— यह पहले ही कहा जा चुका है कि लीग ने एक प्रस्ताव पास करके कैबिनेट मिशन की १६ मई की योजना अस्वीकृत कर दी। जब लॉर्ड वेवल लीग की सदस्यों को अन्तरिम सरकार में लाने के लिए प्रस्तुत हुए तो पंडित नेहरू लीग से यह आश्वासन चाहते थे कि वह सरकार तथा संविधान सभा के कार्यों में पूरा सहयोग देगी। इसके उत्तर में वाइसरॉय ने पंडित नेहरू के पास निम्नलिखित आशय का पत्र भेजा : 'श्री जिन्ना ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार तथा संविधान-सभा में सहयोग के उद्देश्य से ही सम्मिलित होना चाहती है। लेकिन कैबिनेट मिशन की योजना का कार्यान्वित करने के लिए जब संविधान-परिषद् के सदस्यों को नयी दिल्ली में ६ दिसम्बर का एकत्रित होने की सूचना दी गयी तो श्री जिन्ना ने यह घोषणा की : 'इन परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग का कोई भी सदस्य संविधान-सभा में भाग नहीं लेगा और २६ जुलाई को लीग का बगर्ज में पास किया हुआ प्रस्ताव ही उमे मान्य है।'

६ दिसम्बर को जब संविधान-परिषद् की नयी दिल्ली में बैठक हुई तो मुस्लिम लीग के सदस्य अपने पूर्व निश्चय के अनुसार उससे अलग रहे। यह स्पष्ट करना कठिन है कि इन परिस्थितियों के बावजूद लीग-सदस्यों को अन्तरिम सरकार में रहने कैसे दिया गया। यहाँ यह बतला देना भी आवश्यक है कि एक पत्रकार सम्मेलन में श्री जिन्ना से यह पूछने पर कि उन्होंने लॉर्ड वेवल को लीग की बैठक बुलाकर २६ जुलाई के प्रस्ताव पर विचार करने तथा उसे अपनाने का वायदा किया था, उन्होंने यह साफ कह दिया कि उन्होंने इस प्रकार का कोई वायदा नहीं किया था।

जुलाई १९४६ में कैबिनेट मिशन के विघटन के पश्चात् देश की राजनैतिक प्रगति का प्रदर्शन इस प्रकार किया जा सकता है। कांग्रेस ने मिशन की लम्बी योजना स्वीकृत कर ली और वह अन्तरिम सरकार में भी सम्मिलित हो गयी। लीग ने पहिले तो लम्बी तथा तात्कालिक दोनों योजनाएँ स्वीकृत कीं किन्तु बाद में दोनों को अस्वीकृत कर दिया। इस अस्वीकृति के बावजूद भी लॉर्ड वेवल ने लीग से पाँच सदस्य लिए और उन्होंने लीग के २६ जुलाई वाले प्रस्ताव को भी लौटवा लेने की चेष्टा नहीं की। अन्तरिम सरकार में यह शर्त हाँ स्पष्ट हो गया कि लीग का उद्देश्य सम्मिलित उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का नहीं था, वह केवल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में लगी थी। अन्तरिम सरकार इस प्रकार टोली पड़ती जा रही थी। वाइसरॉय ने संविधान सभा के सदस्यों को नयी दिल्ली में ६ दिसम्बर को एकत्रित होने का निमन्त्रण दिया। मुस्लिम-लीग ने इसमें सम्मिलित

होना अस्वीकार कर दिया। सत्तेप में यह कहा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन योजनाओं का कोई परिणाम न निकला, कांग्रेस तथा मुस्लिम-लीग— देश के दो बड़े राजनैतिक दल— १९४६ के अन्त में भी एक दूसरे से उतनी ही दूर रहे जितनी उस वर्ष के प्रारम्भ में थे।

लन्दन-सम्मेलन— इन परिस्थितियों में लॉर्ड वेवल ने ब्रिटिश कैबिनेट से विचार-विमर्श प्रारम्भ किया जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने वाइसराय, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, श्री जिन्ना तथा श्री लियाकत अली को लन्दन में एक सम्मेलन के लिए आमन्त्रित किया। कांग्रेस नेता लन्दन जाने के लिए प्रस्तुत न थे क्योंकि वे यह जानते थे कि सम्मेलन में उन्हीं बातों पर फिर विचार होगा जिन पर कैबिनेट मिरान के आने से लेकर तब तक हुआ था और इन बातों में कोई भी परिवर्तन करने का अर्थ होता लीग की वद्वृता, उसकी एंट तथा हिंसात्मक प्रवृत्त के समक्ष सिर झुकाना। श्री ऐटली ने पंडित नेहरू के पास यह सामुद्रिक तार भेजा कि सविधान परिषद् की बैठक का अदन टालने और कैबिनेट मिशन योजनाओं में सशोधन या उद्देश्य रद्द कर देने का उनका उद्देश्य न था, सम्राट की सरकार की यह इच्छा थी कि योजनाओं को पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाय। इसलिए पंडित नेहरू तथा सरदार बलदेवसिंह सम्मेलन में भाग लेने के लिए लन्दन खाना हुए। यह अनुमान किया जाता है कि प्रान्तों का समूहों में श्रेणीबद्ध करने का प्रश्न ही लन्दन-सम्मेलन का प्रमुख विषय रहा। कांग्रेस की बराबर यह राय रही कि किसी समूह में सम्मिलित होना प्रान्तों की इच्छा पर निर्भर था, प्रांतों के स्वायत्त शासन का यही प्रमुख अर्थ था जिस पर कैबिनेट-योजना ने जोर दिया था। लीग का कहना यह था कि प्रत्येक विभाग के लिए निश्चित किये हुए सदस्यों के बहुसंख्यक वोटों से ही इस प्रश्न का निश्चय होता, इस मामले में अपना इच्छा पर निर्भर रहने का प्रान्तों का अधिकार न था। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ने प्रारम्भ से उस वर्ष में रहना अस्वीकार किया था जिसमें कैबिनेट-मिशन योजना ने उन्हें डाल रखा था। लन्दन का यह सम्मेलन अपने उद्देश्य में असफल रहा इसलिए सविधान सभा में सभी दल सम्मिलित न हो सके। सम्मेलन के सम्बन्ध में सम्राट की सरकार द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में प्रमुख समस्याओं व सम्बन्ध में कैबिनेट मिशन के विचारों को प्रकट किया गया था। इस वक्तव्य को पूरा उद्धृत कर देना उपयुक्त होगा

‘सबसे बड़ी कठिनाई वर्गों के बनाने व सम्बन्ध में कैबिनेट मिशन की १६ मई की घोषणा के पैराग्राफ १६ (ख) तथा (घ) के अर्थ लगाने में हुई है

‘कैबिनेट मिशन ने प्रारम्भ से ही इस बात पर जोर दिया है कि वर्गों के बनाने व सम्बन्ध में वर्गों के प्रतिनिधियों के बहुसंख्यक वाट द्वारा निश्चय किया

जायगा। यह विचार मुस्लिम लीग का मान्य है किन्तु कांग्रेस का विचार उसके विपरीत है। उसके अनुसार प्रान्तों को अपने विधान तथा वर्ग बनाने का पूरा अधिकार है।

‘सम्राट् की सरकार ने जो कानूनी सलाह ली है उससे यह निश्चित हुआ है कि १६ मई की घोषणा का वही अर्थ है जिस पर कैबिनेट मिशन ने बगमर जार दिया है। घोषणा के इस भाग को १६ मई की योजना का अनिवार्य अंग समझना चाहिए ताकि भारतीय जनता को सविधान-निर्माण में सहायता मिल सके। सम्राट् की सरकार इस सविधान का पार्लियामेन्ट के सामने रखने के लिए प्रस्तुत होगी। इसलिए यह आवश्यक है कि सविधान परिषद् के सभी दलों को स्वीकृत हो।

... ..

‘सविधान परिषद् की सफलता की तब तक कोई आशा नहीं है जब तक उसकी कार्य-प्रणाली पर समझौता न हो जाय। यदि कोई ऐसा सविधान तैयार होता है जिसमें भारतीय जनसंख्या के किमी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो सम्राट् की सरकार उसे देश के किसी अनिच्छुक भाग पर लाद नहीं सकती।’

लन्दन सम्मेलन कांग्रेस तथा लीग में समझौता न करा सका, फिर भी उसने श्री जिन्ना का पर्याप्त पक्ष लिया। प्रान्तों के वर्ग निर्माण के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार का रुख लीग के अनुकूल हो गया। उसके अतिरिक्त मुस्लिम लीग को यह आश्वासन भी मिला कि मुस्लिम जाति पर कोई ऐसा सविधान नहीं लाया जायगा जिसका निर्माण करने वाली सविधान-परिषद् में लीग का प्रतिनिधित्व न हो। ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य तथा श्री ऐटली की पहले की हुई उस घोषणा में बड़ा अन्तर था, जिसमें उन्होंने यह कहा था कि बहु-संख्यकों की राजनैतिक प्रगति में अडचन डालने का अल्पसंख्यकों का कोई अधिकार नहीं है। इन सबके अतिरिक्त १६ मई की घोषणा अस्वीकृत कर देने के बावजूद भी अन्तरिम सरकार में अपने सदस्य बनाये रखने के लीगों कार्य को प्रथम दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने यह तर्क भी रक्खा कि १६ मई की योजना कांग्रेस को भी तब तक स्वीकृत नहीं मानी जा सकती जब तक वह वर्ग निर्माण के सिद्धान्त का वही अर्थ नहीं लगाती जो मिशन ने लगाया था।

लन्दन-सम्मेलन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया— कांग्रेस कार्य समिति तथा अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ६ दिसम्बर की घोषणा पर विचार किया और यह निश्चय किया कि ‘... विभिन्न अर्थ लगाने के कारण जो कठिनाई उत्पन्न हो गयी है उसे दूर करने के उद्देश्य से कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के वर्गों के सम्बन्ध में लगाये गए अर्थ के अनुसार कार्य करने की राय देती है। लेकिन यह बात सदैव ध्यान में

रखनी चाहिए कि किसी प्रान्त के साथ अजरदस्ती न होगी और न प्रजापत में सिक्ख शिदों की ही उपेक्षा की जायगी ।'

विधान परिषद्— जैसा कि पहले निश्चित हुआ था, सविधान परिषद् की पहली बैठक ६ दिसम्बर १९४६ को हुई। कांग्रेस नेताओं ने श्री जिन्ना की बैठक टाल देने की दलील स्वीकार न की क्योंकि अपना मतलब साधने के लिए लीग का यह बहाना मान था ।

पहले दिन ब्रिटिश भारत के २८६ सदस्यों में केवल २०७ ने अधिवेशन में भाग लिया । लीग के कुल ७४ सदस्य अनुपस्थित थे । केवल चार राष्ट्रीय मुसलमान उपस्थित थे । स्थायी प्रेसिडेन्ट का चुनाव होने तक डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा परिषद् के चेयरमैन चुने गये । अपने सर्वप्रथम सन्देश में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने विधान-परिषद् के इस अधिकार पर ज़ार दिया कि वह 'एक स्वतन्त्र सत्ता है जिसकी प्रगति में कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती और जिसका निर्णय बदलने, सुधारने तथा फेरफार करने का किसी भी बाहरी व्यक्ति को अधिकार नहीं है ।' चार दिन बाद पंडित नेहरू ने एक प्रस्ताव रक्खा जिसमें विधान-परिषद् का उद्देश्य एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का निर्माण बताया गया । परिषद् की कार्यवाही तथा उसके द्वारा निर्मित विधान का संहिता से संहिता धर्षण भी इस अध्याय के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, यहाँ हम केवल इतना कहेंगे कि मुस्लिम लीग का दृष्टिकोण अनिश्चित रहने के कारण पहले दो अधिवेशनों का वातावरण निराशा एवं अन्यमनस्कता से परिपूर्ण रहा । यहाँ यह बतला देना अनुप-युक्त न होगा कि देश का पिछले पचास वर्षों से मार्ग प्रदर्शन करने वाले नेता— पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, श्री राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी तथा पंडित गोविन्दवल्लभ पन्त— भा सविधान निर्माण के कार्य में सलमन थे, राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी ही ऐसे एक व्यक्ति थे जो सविधान परिषद् के सदस्य नहीं थे । शान्ति का यह अप्रदूत उत समय मोआखाली तथा बिहार में साम्प्रदायिक एकता तथा मानवता के प्रसार में सलमन था ।

फरवरी २० की घोषणा— १९४६ के अंतिम छु महीनों में बदलने वाली देश की परिस्थितियाँ ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया कि १९४८ क बाद देश के ऊपर आधिपत्य रखना असम्भव हो जायगा । आजाद हिन्द पौत्र व अफसरों— सहाय, दिल्लीन, शाहनवाज— व सम्बन्ध में होने वाले प्रदर्शनों ने ब्रिटिश सरकार को उत्तरी अङ्क व लोअलेपन का पता दे दिया । उसने यह भा अनुभव किया कि आजाद हिन्द पौत्र ने इन सेनानियों के मुकदमों ने भारतीय पौत्रों के नैतिक स्तर में बड़ा परिवर्तन कर दिया था । भारतीय बल सेना का विद्रोह रतरे का एक दूसरा सिगनल था । अगस्त १९४६ में कलकत्ते में हुई हत्याएँ, पूर्वी बंगाल के

नोआखाली तथा टिपरा जिलों में साम्प्रदायिक विद्वेष की विषम ज्वाला, इन घटनाओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप बिहार तथा उत्तर प्रदेश में होने वाली मारकाट और लाहौर, रावलपिंडी तथा मुलतान में होने वाला पाशविकता का ताडव नृत्य— ये सभी घटनाएँ इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण थीं कि भारत का शासन शिथिल हो रहा था। अन्तरिम सरकार की दशा भी कुछ प्रच्छन्नी न थी। यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है कि इतिहास में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के समान दो विरोधी दलों का उदाहरण नहीं मिलता। कांग्रेस की इच्छा थी कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकार से निकल जाय क्योंकि सविधान-परिषद् के कार्य म वह कोई सहयोग नहीं दे रही थी, लीग चाहता थी कि कांग्रेस ही अन्तरिम सरकार से निकल जाय क्योंकि १६ मई की योजना उसे पूर्णरूप से स्वाकृत न थी। परिस्थितियाँ प्रतिक्षण विषमतर होती जा रही थीं। देश की इस अव्यप्रस्थित दशा के साथ एक यह सत्य भी सामने आया कि द्वितीय महायुद्ध ने ब्रिटेन को विश्व शक्ति के स्तर से बहुत नीचे गिरा दिया था। वहाँ के राजनीतिज्ञों ने यह स्पष्ट अनुभव कर लिया कि वे पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का भार सभालने में समर्थ नहीं थे। दुनिया की निरन्तर बदलने वाली स्थिति से ब्रिटेन की मजदूर-सरकार इस भर्ताजे पर पहुँची कि एक निश्चित समय पर भारत पर से आधिपत्य हटा लेना उसके हित में हाता। यह सत्य है कि भारत पर कुछ और वर्षों तक अपना आधिपत्य बनाये रखने के लिए ब्रिटिश-सरकार शक्ति का प्रयोग कर सकती थी। किन्तु इससे उसे कोई स्थायी लाभ न होता। उसने यह सचकर नहीं ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया कि सम्मान एवं सौजन्य के साथ आधिपत्य हटा लेने में उसकी भलाई थी, इस प्रकार उमने आर्थिक हिता की रक्षा बहुत साल के लिए निश्चित हो जाती। इन सभी बातों पर सर्वाङ्गीण दृष्टि से विचार करके ब्रिटेन की मजदूर-सरकार ने प्रधान मन्त्री मि० क्लीमेंट ऐटली ने २० फरवरी १९४७ को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा की जिसमें भारतीय जनता को शक्ति हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया। शक्ति हस्तान्तरित करने का अन्तिम तिथि ३० जून १९४८ निश्चित की गयी। उस घोषणा क कुछ अंश नीचे दिया जा रहा है :—

‘सम्राट् की सरकार की यह इच्छा है कि उत्तरदायित्व का भार उन लोगों के हाथ में दे दिया जाय जिन्हे भारत के सभी दलों द्वारा बनाया गया सविधान स्वीकृत हो। सत्ता हस्तान्तरित करने का यह कार्य कैबिनेट मिशन-योजना के अनुसार हो रहा है, उमी के अनुसार होना भा चाहिए। लेकिन अभाग्यवश अभी ऐसी कोई सभावना दृष्टिगत नहीं हो रही है कि भारत में ऐसा कोई विधान बनेगा। भारत की वर्तमान अव्यवस्था से अनेक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं इसलिए उसे अधिक समय तक नहीं बने रहने दिया जा सकता। सम्राट् की सरकार इसे स्पष्ट कर देना चाहती है कि वह उत्तरदायित्वपूर्ण भारतीय हाथों में सत्ता हस्तान्तरित करने के लिए प्रस्तुत है और सत्ता हस्तान्तरण का अन्तिम समय जून १९४८ ही है।’

इस घोषणा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधान भी था : 'यदि यह प्रतीत होगा कि पैराग्राफ ७ में दिये गए समय से पहले भारत के सभी प्रमुख दलों की स्वीकृति प्राप्त करने वाले संविधान का निर्माण न हो सकेगा तो सम्राट् की सरकार को यह निश्चित करना पड़ेगा कि निश्चित समय पर सत्ता किसे हस्तान्तरित की जाए— ब्रिटिश भारत की किसी वन्द्याय सरकार को, वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को, अथवा किसी अन्य राति से जो भारतीयों के हित में सबसे उपयुक्त हो।'

घोषणा के पहले भाग का पांडित अनादरखाल ने ही भारत की वर्तमान अव्यवस्था के लिए वास्तावकता तथा विभिन्न अ-छाद्यों के लाने वाले के रूप में स्वागत किया। उन्होंने इसे आवश्यक तथा गलतफहमी दूर करने वाला बताया। घोषणा के दूसरे भाग की श्री मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का संदेशवाहक बताया। इस बात में कोई संदेह नहीं कि घोषणा ने मुस्लिम लीग की अलगवाव की भावना को कुछ न कुछ बल प्रदान किया। कांग्रेस कार्यसमाप्त ने भी २० फरवरी की घोषणा पर विचार किया और सम्राट् की सरकार के उस निश्चित उद्देश्य का स्वागत किया जिसमें भारतीय लोगों को सत्ता हस्तान्तरित करने का आश्वासन दिया गया था। इसने १६ मई १९४६ का योजना का स्वीकृति पत्र से दुहराई और ६ दिसम्बर की अपनी घोषणा में योजना का ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया अर्थ भी स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग को यह निमंत्रण दिया कि वह अपने कुछ प्रतिनिधि भेजे जो कांग्रेस के प्रातनिधियों से मिलकर देश की अवस्था के बारे में विचार विमर्श करे। किन्तु लीग ने इन निमंत्रणों की ओर ध्यान न दिया।

लॉर्ड वेवेल को बुलाया जून ३ की घोषणा— यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री आर्लिंगटन ऐटली की घोषणा से मुस्लिमलीग को बड़ा उत्साह मिला। घोषणा यह था कि भारतीय लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने का समय आने पर सम्राट् की सरकार यह निश्चय करती कि सत्ता किसी केन्द्रीय सरकार को दी जाती या देश के कुछ भागों में प्रांतीय सरकारों को ही। इस घोषणा से मुस्लिम लीग को अपने तरीके पर दृढ़ रहने का और भी उत्साह मिला, वह सोचने लगी कि सत्ता-हस्तान्तरण के समय जिनके हाथ में शक्ति होगी वही शक्ति प्राप्ति के सच्चे अधिकारी बनेंगे। इसी भावना से प्रेरित होकर मुस्लिम लीग पञ्जाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा आसाम में शक्ति प्राप्ति के लिए अन्धाधुन्ध रीति से प्रयत्न करने लगी। इन प्रान्तों में लीग ने किन किन हथकण्डों का प्रयोग किया इसने वर्णन की यहाँ आवश्यकता नहीं है। इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि पञ्जाब तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश के अनेक भागों में साम्प्रदायिक विद्वेष की भयंकर ज्वाला घषक उठी और आसाम में एक ऐसा सवर्ष प्रस्तुत हो गया जिसे 'नागरिक अधिकार आन्दोलन' का नाम दिया जाता है। लोगों का यह विश्वास था कि पञ्जाब का गार्नर लीग के पक्ष

मे या ; फिर भी, वहाँ लोग मन्त्रिमण्डल स्थापित न किया जा सका। सम्मिलित सरकार के पदत्याग के कारण यहाँ ६३ घण्टा लागू करनी पड़ी।

परिस्थितियों के इसी अन्वयविधन विकास ने कदाचित् ब्रिटिश सरकार को लॉर्ड वेवेल को हटा कर उनके स्थान पर लॉर्ड लुई माउन्टबैटन को पदासीन करने के लिए प्रेरित किया। श्री ऐटली ने इस सम्बन्ध में २० फरवरी १९४७ को एक घोषणा की। लॉर्ड लुई माउन्टबैटन ने २३ मार्च को वादसराय के पद की शपथ ली।

भारत में पदार्पण के तुरन्त बाद लॉर्ड माउन्टबैटन ने अपने को उस कार्य में जी बान से लगा दिया जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई थी। यह महत्त्वपूर्ण कार्य था भारत के जिम्मेदार नेताओं के हाथ में बड़ी ही शीघ्रता व सरलतापूर्वक सच्चा-प्रदान। लॉर्ड माउन्टबैटन ने भारतीय समस्याओं पर ताजे मस्तिष्क तथा नवीन दृष्टिकोण से विचार प्रारम्भ किया। उन्होंने अधिक से अधिक वर्गों तथा हितों के नेताओं तथा प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श प्रारम्भ किया। महात्मा गांधी और श्री जिन्ना से उनकी अनेक बार बातें हुईं। इन नेताओं के साथ बातचीत में उन्होंने अपने को उनके विचारों तथा दृष्टिकोणों से अवगत करने का प्रयत्न किया और उन लोगों से कैबिनेट मिशन की १६ मई की योजना स्वीकार कर लेने की माँग की। किन्तु यह उन्हें शीघ्र ही विदित हो गया कि उन लोगों में न तो कैबिनेट मिशन-योजना पर ही समझौता हो सकता था और न भारत की एकता तथा सुदृढता की रक्षा करने वाली किसी अन्य योजना पर। बहुसंख्यक हिन्दुओं के शासन में रहने के लिए मुसलमानों को विवश करने का चूँकि प्रश्न ही नहीं उठ सकता था इसलिए देश के विभाजन को छोड़ कर अन्य कोई मार्ग ही न था। लेकिन कैबिनेट-मिशन-योजना के अनुसार यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि पाकिस्तान के स्वतन्त्र राज्य में पंजाब, बंगाल तथा आसाम के वे प्रदेश न सम्मिलित होते बल्कि गैर-मुस्लिम जनसंख्या का बाहुल्य था। कांग्रेस तथा सिक्खों की पंजाब को विभाजित करने की माँग और बंगाल के विभाजन की हिन्दू महासभा की तथा कांग्रेस की माँग की उपेक्षा भी असम्भव थी। पाकिस्तान की माँग के लिए जो तर्क प्रस्तुत किए जा सकते थे वही पंजाब तथा बंगाल के गैर-मुस्लिम क्षेत्रों को पाकिस्तान से अलग रखने के लिए भी रखे जा सकते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह विचार भी प्रकट किया था कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दिया जाय पर इस शर्त पर कि उन्हें कोई ऐसे प्रदेश न मिलें जिनमें मुसलमानों का बहुमत न हो। मन्त्रिमण्डल-परिषद् के प्रेसिडेन्ट डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने एक मुलाकात के सिलसिले में इस बात की घोषणा की थी कि यदि भारत का विभाजन अनिवार्य हो तो उसे अधिक से अधिक पूर्ण तथा तर्कसंगत होना चाहिये ताकि भविष्य में फिर किसी झगड़े की सुजायश न रह जाय और यदि इस कार्य के लिए मेना के विभाजन की आवश्यकता पड़ती तो वह भी हो सकता था और वह जितना शीघ्र होता उतना ही अच्छा था।

लॉर्ड लुई माउन्टबैटन को यह विचारधारा तर्कसंगत व अमान्य लगी। श्री जिन्ना को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, उन्हें अपनी भावना के अनुकूल पूर्ण पाकिस्तान न मिल सका; और उन्होंने बंगाल तथा पंजाब के विभाजन का ज़ब्त विरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि माउन्टबैटन की मध्यस्थता में ही लीग तथा कांग्रेस ने पाकिस्तान के विषय में अन्य बातों का भी निबटारा किया। १८ मई का लॉर्ड माउन्टबैटन सम्राट् की सरकार से विचार-विमर्श करने के लिए इङ्ग्लैंड रवाना हो गये। वे २ जून को इङ्ग्लैंड से लौटे और ३ जून को उन्होंने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें एक या दो सरकारों को सत्ता हस्तान्तरित करने का निश्चय किया गया।

जून ३, १९४७ की घोषणा बड़ी ही महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसका थोड़ा विस्तृत विवेचन आवश्यक है। हम यहाँ उससे महत्वपूर्ण अंशों पर ही प्रकाश डालेंगे।

घोषणा में इस बात की चर्चा की गई थी कि सम्राट् की सरकार को यह आशा थी कि भारत के दोनों प्रमुख दल कैबिनेट मिशन की १६ मई १९४६ की योजना कार्यान्वित करने में पूरा सहयोग देते। यह आशा पूरी न हो सकी क्योंकि पंजाब, बंगाल, सिन्ध, उत्तरादि से चुने मुस्लिम लीग सदस्यों ने सविधान-परिपद् की कार्यवाही में कोई भाग नहीं लिया था। सम्राट् की सरकार की इच्छा सविधान-परिपद् के कार्यों में बाधा डालने की न थी किन्तु वह विधान-परिपद् द्वारा निर्मित विधान देश के उन भागों पर लागू भी नहीं कर सकती थी जो उसके स्वागत के लिए प्रस्तुत न थे। देश के ऐसे भागों की इच्छा जानने के लिए घोषणा ने व्यवस्था भी की। यह व्यवस्था घोषणा के ५ से १३ तक पैराग्राफों में लिखी हुई है। इसका सक्षिप्त वर्णन नीचे है।

बंगाल तथा पंजाब की विधान सभाओं को (यूरोपीय सदस्यों को छोड़कर) दो भागों में बँटना था। एक भाग मुसलमानों की अधिक संख्या वाले जिलों का प्रतिनिधित्व करता और दूसरा शेष प्रान्त का। दोनों प्रान्तों के मुसलमानों की अधिक संख्या वाले जिले घोषणा में ही गिना दिये गये थे। प्रत्येक भाग बहुसंख्यक वाटों द्वारा यह निश्चित करता कि प्रान्त का विभाजन हो या नहीं। दोनों भागों में से यदि कोई भी विभाजन के पक्ष में होता तो उसी के अनुसार विभाजन कर दिया जाता। प्रान्त के विभाजन का निश्चय हो जाने पर व्यवस्थापिका के प्रत्येक भाग को यह निश्चित करना पड़ता कि दिल्ली में काम करने वाली सविधान-परिपद् में भाग लेने के लिए वह प्रस्तुत था या नहीं, या वह उस सविधान-परिपद् में भाग लेने का इच्छुक था जो उन भागों के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती जो वर्तमान परिपद् में भाग नहीं लेना चाहते थे। इस सम्बन्ध में यह बात देना आवश्यक है कि बंगाल विधान सभा के सदस्यों ने २० जून को प्रान्त के विभाजन के पक्ष में वोट दिया और तीन दिन पश्चात् पंजाब व्यवस्थापिका के सदस्यों ने भी उसी प्रकार

चोट दिया। यह कहा जा सकता है कि देश के प्रमुख अल्पसंख्यकों ने यदि देश के विभाजन का निश्चय किया तो प्रान्तीय अल्पसंख्यकों ने प्रान्तों के विभाजन का।

मिन्ध की विधान-सभा अपनी एक विशेष बैठक करके यह निश्चित करती कि पूरा मिन्ध दिल्ली की संविधान-परिषद् में भाग लेने का इच्छुक था या इस परिषद् में भाग न लेने वाले देश के अन्य भागों की संविधान परिषद् में। जून २६ का दसने पाकिस्तान के पक्ष में चोट दिया।

आसाम और मुस्लिम प्रान्त है किन्तु इसका एक जिला— सिलहट— पूर्वी बंगाल से मिला हुआ है और वहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक है। लोगों ने यह माँग की कि यदि बंगाल का विभाजन हो तो सिलहट के लोगों से राय ली जाय कि आया वह आसाम का एक भाग बना रहेगा या पूर्वी बंगाल के रूप में बनने वाले नये प्रान्त में मिला जाना चाहेगा। सिलहट के लोगों ने पूर्वी बंगाल नाम के नये प्रान्त में सम्मिलित होने का निश्चय किया।

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के लिए घोषणा ने एक अलग प्रबन्ध किया। प्रान्तीय विधान-सभा के सदस्यों के बीच यह जानने के लिये चोट लिया जाता कि वह पाकिस्तान में सम्मिलित रहना चाहते थे या भारतीय सभ में। यह चोट प्रान्तीय सरकार की सलाह तथा गवर्नर-जनरल के निरीक्षण में होता। पञ्जाब, बंगाल तथा सिन्ध की भौति इस प्रान्त की विधान-सभा को अन्तिम निर्णय का अधिकार नहीं दिया गया। ६ और १७ जुलाई के बीच चोट का कार्य सम्पन्न हुआ। कांग्रेस ने चोट का बहिष्कार किया। वोटों ने पाकिस्तान के पक्ष में चोट किया। २६ जून को ब्रिटिश विलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान के पक्ष में निश्चय किया।

जून ३ की घोषणा की एक विशेषता यह भी थी कि दसने २० फरवरी की घोषणा द्वारा निश्चित की हुई सत्ता-हस्तान्तरण की तारीख को और भी निकट ला दिया। पैराग्राफ २० का निम्नलिखित अंश महत्वपूर्ण है : 'देश के प्रमुख राजनैतिक दलों ने अपनी इस इच्छा पर बार-बार जोर दिया है कि सत्ता-हस्तान्तरण शीघ्र से शीघ्र हो। सम्राट की सरकार को इस इच्छा से पूरी सहानुभूति है..... इस इच्छा की सबसे अच्छी तरह तथा व्यावहारिक रूप से पूर्ति के लिए सम्राट की सरकार औपनिवेशिक आधार पर एक या दो सरकारों को सत्ता-हस्तान्तरण के लिए इसी प्रचलित वर्ष में कानून बनाना चाहती है.....।'

भारतीय स्वातन्त्र्य-बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति तथा बड़ी ही शीघ्रता से पास कर दिया। यह शीघ्रता सारे अंगरेजी इतिहास में बेमिसाल है। इसी ऐक्ट के अनुमार १५ अगस्त १९४७ को रात के १२ बजे भारत तथा पाकिस्तान— दो स्वतन्त्र उपनिवेशों— का निर्माण हुआ।

जून ३-योजना पर विचार-विमर्श करने के लिए अरिअल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की १८ तथा १५ जून को दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस ने सदैव से अखण्ड भारत का पक्ष लिया था, फिर भी उसे विवश होकर घोषणा म दी हुई योजनाएँ स्वीकृत करनी पड़ीं। जिन कारणों से कांग्रेस को देश का विभाजन स्वीकृत करना पड़ा उनका विवेचन यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

देश का विभाजन अनिवार्य— भारत का दो टुकड़ा में विभाजन अनिवार्य बन गया। भारतीय शासन में अंग्रेजों ने हमेशा से विभाजन द्वारा शासन करने की नीति से काम लिया है। १८५७ म भारतीय स्वतन्त्रता के असफल प्रयास से निरन्तर चलने वाले इस क्रम की इन प्रकार आकर इतिथी हुई। इस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों से मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों में निरन्तर भरी जाने वाली साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना भी विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कांग्रेस की यह घोषणा भी कि देश के किसी भी भाग के लोगों का उनकी दृष्ट्या के विरुद्ध भारतीय सप मरहने के लिए माध्य नहीं किया जा सकता विभाजन के लिए कुछ हद तक उत्तरदायी है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी अनेक प्रतिज्ञाओं तथा वक्तव्यों द्वारा इस घोषणा का समर्थन किया। २० फरवरी की घोषणा लीग के प्रति की हुई पाकिस्तान देने की प्रतिज्ञा थी। अनिवार्य को स्वीकृत करने के अतिरिक्त कांग्रेस के लिए अन्य कोई मार्ग न रह गया। लेकिन, कांग्रेस-नेताओं द्वारा विभाजन स्वीकार कर लेने का वास्तविक कारण यह था कि अन्तरिम सरकार के कांग्रेस सदस्यों को यह भली भाँति ज्ञात हो गया कि अंग्ल-मुस्लिम गैठबन्धन अनेक प्रकार से हानिकारक बन रहा था और राज्य के प्रत्येक विभाग में ब्रिटिश कूटनीतियों द्वारा भारतीय हितों के प्रति विश्वासघात हो रहा था। राजनैतिक विभाग की कार्य प्रणाली पर सरदार वल्लभभाई पटेल ने निम्नलिखित शब्दों द्वारा प्रकाश डाला - 'मैंने तब यह जाना कि राजनैतिक विभाग की चालवाजियों द्वारा हमारे हितों की हर प्रकार से कितनी अवहेलना हो रही थी और मैं इसी निश्चय पर पहुँचा कि जितना ही शीघ्र इनसे हमारा पीछा छूटे उतना ही अच्छा।' 'धारे-धारे मैं इसी परिणाम पर पहुँचा कि देश के विभाजन तक से भी यदि हमारा विदेशिया के चगुल से छुटकारा मिल जाय तो अच्छा है। और तभी मैंने यह अनुभव भी किया कि देश को शक्तिशाली तथा सुरक्षित बनाने का एक ही तरीका था और यह था गण भारत का सगठन।' काशी विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षात-समारोह के अवसर पर उन्हें इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्द बहे : 'मैंने यह अनुभव किया कि देश का विभाजन स्वीकार न करने पर देश अनेक टुकड़ों में बँटकर पूर्ण रूप से अराजक हो जाता। एक वर्ष तक सरकारी पद पर आसीन रहने से हमें यह विश्वास हो गया कि हमारे आगे बढ़ने का टग हमें विनाश की ओर लिये जा रहा था। इस प्रकार एक नहीं अनेक पाकिस्तान बन जाने की आशंका थी। एक एक दफ्तर में पाकिस्तानी कीटाणु घर कर जाते।'।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि अन्तरिम सरकार ने लीगी सदस्य अपने विभाग के प्रमुख पदों से हिन्दुओं तथा सिक्कों का निकाल कर उनके स्थान पर मुसलमानों को रखते जा रहे थे ताकि पाकिस्तानी हितों की रक्षा के लिए उनसे सहायता मिल सकती। मई १९४७ के दूसरे सप्ताह में 'अमृत बाजार पत्रिका' ने पत्र प्रतिनिधि ने अपने पत्र का यह समाचार भेजा कि उसे प्राप्त भीतरी सूचना से यह प्रतीत होता था कि पञ्जाब तथा पश्चिमात्तर सीमाप्रान्त को भौति दिल्ली भी शीघ्र ही प्रत्यक्ष कार्रवाई (Direct Action) का आज़ादा बन जायगी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच कांग्रेस नेताओं ने समस्त देश का विभाजन स्वीकार कर लेने का अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता न था, विदेशियों को देश से बाहर करने और आगे आने वाले विनाश में बचने के लिए यह आवश्यक था। जो देश के विभाजन का रोना रोते हैं भावना के प्रवाह में आकर 'अण्ड भारत' की बात करते हैं, कांग्रेस-निर्णय का विरोध करने के पहले उन्हें सरदार पटेल जैसे व्यक्तियों के प्रमाण पर विचार कर लेना चाहिए। प्रारम्भ से विरोध करने पर भी परिस्थितियों के प्रभाव ने महात्मा गाँधी तक को विभाजन स्वीकार कर लेने के लिए विवश कर दिया।

विभाजन के कारण देश के लाखों नर नारियों को अपने पैतृक घर-घर से अलग होकर कष्ट तथा दुःखों की असीम ज्वाला से निकलना पड़ा, फिर भी, यह विभाजन एक प्रकार से आवरण में छिपा वरदान सिद्ध हुआ। देश से वह सभी कूड़ा कचरा साफ हो गया जो हमारी राजनैतिक प्रगति में बाधक बन रहा था। जिस प्रकार कोई समझदार व्यक्ति शरीर के किसी निम्नस्थ तथा सड़ते भाग के काट दिये जाने पर दुःखी नहीं होता, उसी प्रकार अपने कुछ देशवासियों से अलग हो जाने पर हम अफसोस न होना चाहिए, देश के विभाजन को एक प्रकार का डाक्टरी आपरेशन समझना चाहिए जो देश का आगे आने वाले रक्तपात तथा अव्यवस्था से बचाने के लिए आवश्यक था।

सविधान सभा ने अब साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को विलुप्त हटा दिया है, दस वर्षों के लिए दलित वर्गों की सीटें सुरक्षित छोड़ कर इसने सीटें सुरक्षित रखने की प्रथा को भी अन्तिम नमस्कार किया है, देवनागरी लिपि में हमने हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकृत किया है और केन्द्रीय सरकार का शक्तिपूर्ण बनाने के लिए इसने अन्य प्रबन्ध भी किये हैं। विधान सभा में भाग लेकर यदि मुस्लिम लीग ने सविधान निर्माण में सहयोग दिया होता तो क्या ये निर्णय कभी हो सकते थे? कैबिनेट मिशन की १६ मई की योजना का यह अंश नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक वर्ग के बहुसंख्यक वोट के बिना किसी भी साम्प्रदायिक समस्या पर निर्णय नहीं दिया जा सकता। योजना का यह विधान हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने तथा साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के तोड़ने के मार्ग में बाधक

नता। हमें यह बिसा भी प्रकार भूलना न चाहिए कि किसी बाहरी शक्ति द्वारा विभाजन हम पर लादा नहीं गया, लोभा का भलाई तथा शीघ्र स्वतन्त्रता-प्राप्ति की इच्छा से हमारे मान्य नेताओं ने इसे स्वयं स्वीकार कर लिया। स्वतन्त्रता का इतना मूल्य चुभना अनिवार्य था। सरदार पटेल के ऊपर उद्धृत शब्दों का सदैव ध्यान में रखना चाहिए।

ब्रिटिश पार्लियामेंट में १९४७ की जुलाई में भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट पास होने और १५ अगस्त को भारत तथा पाकिस्तान के स्वतन्त्र राज्य-निर्माण से राष्ट्रीय आन्दोलन की हमारी कहानी अपने आप समाप्त हो जाती है। भारत को दासता के बन्धन से मुक्त करने में इण्डियन नेशनल कांग्रेस को सफलता प्राप्त हुई, जो उसे स्वतन्त्र किन्तु सगठित एवं अखण्ड भारत की प्राप्ति न हो सका। देश की जनता का दरिद्रता एवं निरक्षरता व अभिशाप से मुक्त करने के लिए यह अथ भी प्रयत्नशील है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से अब तक इस क्षेत्र में प्राप्ति सफलता बहुत कम है, इस खाड़ी सफलता के कारणों तथा राष्ट्रीय सरकार के मार्ग में आई बाधाओं व विवेचन का यह उपयुक्त स्थान नहीं है। हम अपना विवेचन भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट के सार्वभौम विवरण तथा महात्मा गाँधी के बलिदान वर्णन से समाप्त करेंगे।

भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट के अनुसार १५ अगस्त, १९४७, को भारत तथा पाकिस्तान— दो स्वतन्त्र राज्यों का निर्माण हुआ और उनकी सीमायें भी निश्चित कर दी गईं। प्रत्येक उपनिवेश की व्यवस्थापिका को अपने लिये संविधान बनाने तथा उस संविधान से सम्बन्धित ब्रिटिश पार्लियामेंट के किंग ऐक्ट, ऑर्डर या रूल को सुधारने या हटाने का अधिकार दिया गया। ऐक्ट द्वारा यह घोषणा भी कर दी गयी कि भारत के गवर्नर-जनरल तथा प्रांतीय गवर्नरों को दिया हुआ आदेश पर १५ अगस्त से रद्द कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, इस दिन से गवर्नर जनरल तथा प्रांतों के गवर्नर अपने मन्त्रिमण्डल की राय पर कार्य करने वाले वैधानिक प्रधान मात्र रह गये। भारतीय राज्यों पर भी सम्राट् की सत्ता समाप्त हो गई, लेकिन यह भारत-सरकार को हस्तान्तरित नहीं की गई।

१५ अगस्त को सारे देश में बड़ा ही उत्साह तथा प्रसन्नता प्रदर्शित की गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने को इस आनन्दोत्सव से अलग रखा। इस समय के प्रगल तथा बिहार की दुखी मानवता को अपनी शिक्षाओं की अमृत घूँट पिला रहे थे। दुख है कि इस महान् आत्मा का पार्थिव जीवन दिल्ली में ३० जनवरी १९४८ को एक प्रार्थना सभा में भाषण करने जाते समय एक प्रगल हत्यारे का गोलीयों द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत हा नहीं आपतु सारे जगत् के नर नारियों के हृदय को प्रकाशित करने वाली ज्योति इस प्रकार बुझा दी गई।

कांग्रेस के भीतरी दल— राजनीति के विद्यार्थी को यह ध्यान में रखना चाहिए कि १९४७ के पहिले कांग्रेस के सभी सदस्य वित्तुल एक ही विचारधारा को मानने वाले न थे; इसके अन्दर ऐसे व्यक्ति तथा छोटे-छोटे दल थे जिनकी देश की भविष्य में होने वाली-व्यवस्था के विषय में भिन्न-भिन्न राये थी। एक तरफ तो महात्मा जी तथा उनके सरदार वल्लभभाई पटेल और राजेन्द्रबाबू जैसे अनुयायियों को लेकर चलने वाला प्रमुख दल था जो अहिंसा पर आधारित समाज पर विश्वास करता है। दूसरी ओर, अपने भिन्न जीवन-दर्शन से प्रेरणा लेने तथा वर्ग संघर्ष (Class war) में विश्वास करने वाला कम्युनिस्ट दल अपनी सख्या बढ़ा रहा था। इन दोनों दलों के बीच पंडित नेहरू तथा श्री जयप्रकाश नारायण को अग्रणी बनाकर चलने वाले कांग्रेस-समाजवादी थे जो अहिंसा में विश्वास रखते हुए भा देश में समाजवाद की स्थापना चाहते थे। एक समय सुभाषचन्द्र बोस के नेतृत्व में चलने वाला फॉरवर्ड ब्लॉक भी शक्तिशाली था जो देश में और शीघ्र परिवर्तन का पक्षपाती था। कुछ अन्य छोटे छोटे दल भी थे जिन्हें छाँड़ा जा सकता है।

पिछले दस वर्षों से कांग्रेस के स्वरूप में बड़ा परिवर्तन हुआ है। १९४२ के आन्दोलन के समय विश्वासघात तथा देशविरुद्ध कार्यों के लिए कम्युनिस्ट दल कांग्रेस से निकाल दिया गया। समाजवादियों ने भी अपना अलग संगठन बना लिया। श्री जयप्रकाश नारायण, डॉ० राममनोहर लोहिया तथा आचार्य नरेन्द्रदेव जैसे अनेक पुराने तथा विश्वस्त कांग्रेस-कार्यकर्त्ताओं के साथ समाजवादी दल आज कांग्रेस का प्रतिस्पर्धी है। इन परिवर्तनों के बाद कांग्रेस का पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा डॉ० राजेन्द्र प्रसाद नेतृत्व कर रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीयता : स्वरूप और उद्देश्य— इण्डियन नेशनल कांग्रेस ही, जिसके आधी शताब्दी या उससे भी अधिक वर्षों के महत्त्वपूर्ण इतिहास का हमने सक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास किया है, भारतीय राष्ट्रीयता की जननी और उसका विकास करने वाली प्रमुख संस्था है। इण्डियन नेशनल कांग्रेस ने ही भारतीय राष्ट्रीयता को वह रूप-रंग दिया है जो अन्य देशों की राष्ट्रीयताओं से कुछ अंशों में भिन्न है। यहाँ उन भिन्नताओं में से कुछ पर प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा।

आधुनिक भारतीय राष्ट्रीयता की प्रशंसा तथा उसका मूल्यांकन करते समय यह सदैव ध्यान में रखना चाहिये कि पिछले तीस वर्षों से महात्मा गाँधी ने ही उसका पथ-प्रदर्शन किया था। प्रमुखतः उन्हीं के कारण हमने भारत की ग्रहभूखी तथा मूक जनता की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को महत्व दिया। आज भा यह उसी पथ पर चल रही है; देश के थोड़े से पढे लिखे तथा सम्पन्न लोगों के हितों पर वह अपना समय नहीं देती। महात्मा गाँधी ने भारतीय राष्ट्रीयता के इस पहलू पर

उस समय प्रकाश डाला जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर कांग्रेस की ओर से उन्होंने यह घोषित किया कि भारत में बसने वाली मूक जनता के हितों के लिए वह अपने सभी हितों की आहुति दे सकती थी। कांग्रेस धनिक लोगों का संगठन नहीं है, यह देश के कुछ पड़े लिखे बुद्धिमान लोगों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करती। भारतीय राष्ट्रीयता की वेदी पर हमने दरिद्र-नारायण की मूर्ति स्थापित कर रखी है।

दूसरे, भारतीय राष्ट्रीयता ने अपने ध्येय की प्राप्ति शान्तिपूर्ण तथा अहिंसात्मक दृढ़ से की है। इसका तरीका मत्वाग्रह था, पाशविक शक्ति नहीं; इसने मानव के सर्वोच्च तथा सर्वोत्तम रूप को प्रभावित किया, निकृष्ट रूप को नहीं। कांग्रेस का सत्याग्रह के तरीके पर जोर देना बहुत महत्त्वपूर्ण है। हमारा प्रर्थ यह है कि नव-निर्मित भारत राष्ट्र साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं से दूर रहेगा। भारत की पददलित मानवता की यह सेवा करेगा, उस पर शासन नहीं। यह एक लोकतन्त्रात्मक राज्य है और लोकतन्त्रात्मक आदर्शों की प्राप्ति के लिए यह जराबर प्रयत्नशील रहेगा।

साम्प्रदायिक एकता तथा समानता कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य रहा है। विदेशी शासन में इसकी सफलता-प्राप्ति कठिन थी, ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों के मतभेद का अपने लाभ के लिए ही प्रयोग किया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति से अब स्थिति बहुत बदल गयी है। साम्प्रदायिक दंगे अब अधिकतर निःशेष हो गये हैं; हिन्दू तथा मुसलमान अपने पुराने भेद भूल गये से प्रतीत होते हैं। यह आशा की जाती है साम्प्रदायिक सद्भावना तथा शान्ति निकट भविष्य में पूर्णरूप से स्थापित हो जायगी।

दो इण्डियन लिबरल फेडरेशन तथा अन्य दल— इण्डियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग, जो दूसरी प्रमुख सस्था मानी जाती थी, के अतिरिक्त देश में अन्य राजनैतिक दल भी हैं जिनका वर्णन आवश्यक है। नेशनल लिबरल फेडरेशन इनमें से एक है जो कांग्रेस की ही तरह एक राष्ट्रीय सस्था है, लोग की तरह साम्प्रदायिक, वर्गगत तथा सफीर्ण नहीं। देश में कांग्रेस का अत्यधिक प्रभाव बढ़ जाने के कारण लिबरल फेडरेशन के कार्यों में जनता थोड़ा या नितकुल ही ध्यान नहीं देती थी और राजनैतिक शक्ति के रूप में लिबरलिज्म लगभग धर चुका है, फिर भी, इस सस्था की उत्पत्ति तथा अपने कांग्रेस से भेद के विषय में कुछ शब्द कह देना आवश्यक है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि इण्डियन नेशनल कांग्रेस का प्रारम्भ भारत-सरकार के आलोचक के रूप में हुआ था और अपने ज्येय की प्राप्ति के लिए इसने केवल वैधानिक उपायों के प्रयोग की प्रतिज्ञा की थी। वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा विविनचन्द्र पाल के नेतृत्व में एक नये दल के प्रादुर्भाव के पहले कांग्रेस के उदारवादियों तथा उग्रवादियों में कोई अन्तर न था; अंग्रेजी न्यायप्रियता तथा वर्चस्व निष्ठा पर पूर्ण विश्वास रखने वाले

व्यक्ति ही इसके सर्वोत्कर्ष थे। लेकिन लॉर्ड कर्जन के शासन को बदनाम करने वाली भूलों ने भारतीय नवजवानों को यह प्रश्न पृष्ठाने के लिए बाध्य किया : 'वैधानिक माँगों से क्या लाभ, यदि इसका अर्थ केवल अपमान तथा बगाल का विभाजन ही है?' देश में उपद्रवादिता के जन्म के कारणों का विवेचन हम पहले ही कर चुके हैं। इसलिए उन्हें यहाँ फिर दुहराने की आवश्यकता नहीं। सूरत में होने वाले मतभेद के बाद उपद्रवादी दल के निष्कामन तथा इसके नेताओं की गिरफ्तारी और उन्हें देश से दूर भेज देने के कारण कांग्रेस १९१५ तक उदार (moderate) तथा वैधानिक बनी रही। दोनों दलों के लखनऊ मिशन के बाद कुछ परिवर्तन अवश्य हुए। कांग्रेस के प्रस्तावों में नयी रुझाव दिखने लगी। लेकिन, मान्डपोर्ट-सुधार-योजना पर दोनों दलों में फिर मतभेद हो गया। उदारवादी (नरम दल) योजना का स्वीकार करके उसे कार्यान्वित करना चाहते थे; तिलक तथा एनी बेसेंट के नेतृत्व में उपद्रवादी उसे अनुपयुक्त तथा असन्तोषजनक बता कर अस्वीकार कर देना चाहते थे। उदारवादी कांग्रेस से अलग हो गये और नेशनल लिबरल फेडरेशन के नाम से उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया। इसका पहला अधिवेशन सर मुरेन्द्रनाथ बनर्जी के महापतित्व में बम्बई में १९१८ में हुआ। समय के साथ-साथ नेशनल कांग्रेस ने महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सक्रिय विरोध अपनाया और बाद में चल कर अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज बना लिया। इस कारण नये तथा पुराने संगठन का मतभेद स्पष्टतर हो गया। यह कहा जा सकता है कि नेशनल फेडरेशन तथा कांग्रेस में साथ और साधन— दोनों का भेद हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर रहकर स्वराज-प्राप्ति और आवश्यकता पड़ने पर उससे बाहर होकर अन्त में पूर्ण स्वराज प्राप्त करना कांग्रेस का उद्देश्य था; लेकिन नेशनल फेडरेशन ने औपनिवेशिक पद या साम्राज्य में रहकर उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार-प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बनाये रखा। दूसरे, महात्मा गाँधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा का अपनी एक विशेषता बना ली, किन्तु नेशनल फेडरेशन सदा वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण साधनों का पक्षपाती रहा। सविनय अवज्ञा आन्दोलनों में न इसने कभी भाग लिया न उनका समर्थन किया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के माध्यम इन संगठनों के ये अन्तर समाप्त हो चुके हैं, फिर भी, उनकी स्वतन्त्र सत्ता गेप है। कांग्रेस की आन्दोलनात्मक प्रवृत्ति तथा फेडरेशन की अग्रणी उदारता के सिद्धान्तों में आम्था— इन दोनों संगठनों को एक दूसरे से अलग करती है।

4. लिबरल फेडरेशन कांग्रेस की भाँति सर्वप्रिय न बन सका और इसकी सदस्यता भी सीमित ही रही। फिर भी, देश के राजनैतिक जीवन में इसने बड़ा महत्वपूर्ण भाग लिया और उस पर बड़ा लाभदायक प्रभाव डाला है, विशेषकर अपने प्रादुर्भाव के प्रारम्भिक पाँच या छः वर्षों में। बस तक मि० माटेग्यू भारत-सेक्रेटरी रहे और कौंसिलों का कांग्रेस-निर्वाहक पूरे जोर पर रहा तब तब उदारवादियों के मान्डपोर्ट-सुधारों का कार्यान्वित किया और कुछ लाभदायक कार्य भी किया।

मि० माटेग्यू का इण्डिया ऑफिस से निकल जाना उनके लिए प्रतिकूल सिद्ध हुआ और जनता पर उनका प्रभाव तभी से धीरे धीरे घटने लगा । प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर वे फिर प्रभाव में आये लेकिन कुछ ही दिनों के लिए । ऐसा प्रतीत होता था कि कांग्रेस की बढ़ती शक्ति के कारण इस सगठन के लिए देश में कोई स्थान ही नहीं था । इसके सदस्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के मुकाबले कभी भी सफलता न मिली । कौंसिलों तथा व्यवस्थापिकाओं में भी वे तभी जा सकते जब कांग्रेस उनमें स्थान ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत न रहती ।

लिबरल फेडरेशन के अनुयायियों की संख्या कभी भी अधिक न रही, फिर भी, इसमें सुद्ध-वैभव की कभी कभी न रही । इसके जायन काल में अनेक राजनैतिक नेताओं का इससे साथ रहा । इनमें से प्रमुख व्यक्ति सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, सर सी० वाई० चिन्तामनि, सर शिवस्वामी ऐयर, सर बी० एन० वसु, आनरेबुल श्रीनिवास शास्त्री, सर चिमनलाल सेटलवाड तथा सर तेजबहादुर सप्रू थे । इसके वर्तमान नेताओं में हम पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डा० पराजये तथा श्री चन्दावरकर का नाम ले सकते हैं । फेडरेशन ने अपनी स्थिति अनेक रूपों से प्रकट की है । इसके नेताओं ने सामाजिक प्रश्नों पर समय समय पर अपने महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट किये हैं और आवश्यकता पडने पर कांग्रेस तथा सरकार दोनों की उन्होंने उपयुक्त तथा रचनात्मक आलोचना की है । उदारवादी नेताओं ने अनेक बार कांग्रेस तथा सरकार के बीच जिच्च हयने का प्रयत्न किया है । १९३०-३१ में प्रथम सधिनय अवशा आन्दोलन के अवसर पर सर तेजबहादुर सप्रू तथा डा० जयकर ने बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उदारवादी नेताओं ने कई बार नॉन पार्टी लीडर्स कांग्रेस सगठित करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया । पंडित मोतीलाल नेहरू के सभापतित्व में होने तथा प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली ऑल-पार्टीज कांग्रेस में भी उन्होंने भाग लिया । सादमन कमीशन का बहिष्कार करने में उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया । द्वितीय महायुद्ध के अवसर पर उन्होंने युद्ध का पक्षपात करने तथा कांग्रेस से मिलती जुलती मांगे सामने रखने की टोहरी नीति का प्रयोग किया ।

कांग्रेस के समान लिबरल फेडरेशन भी अपने वार्षिक अधिवेशन करता है ; लेकिन बड़े शहरों में, गाँवों में नहीं । इन अधिवेशनों में प्रमुख राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार-विमर्श होता और उनका उदारवादी समाधान लोगों के सामने खरसा जाता है ।

अन्य दल— कांग्रेस तथा लिबरल फेडरेशन के अतिरिक्त देश में अन्य राजनैतिक सगठन भी हैं जिनके कार्यों का देश के राजनैतिक जीवन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । इन दलों में मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, जमायत उल उलेमाए-

हिन्द, अकाली दल, तथा कम्यूनिस्ट पार्टी का प्रमुख स्थान है। कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़ कर इसमें मे सभी साम्प्रदायिक तथा सकीर्ण दृष्टिकोण के हैं। राष्ट्रीय न होने के कारण उनका यहाँ विवेचन नहीं किया जा रहा है, उसके लिए अगले अध्याय में स्थान सुरक्षित है। यहाँ कम्यूनिस्ट पार्टी के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे जा सकते हैं।

कम्यूनिस्ट पार्टी— अपनी उत्पत्ति तथा उद्देश्य में कम्यूनिस्ट पार्टी काग्रोस तथा लिगरल फेडरेशन से मिलकुल भिन्न है। इसका विकास देश में ट्रेड यूनियन आन्दोलन से सबद्ध है। कम्यूनिस्ट नेताओं ने प्रारम्भ से ही अम-संस्थाओं पर अधिकार स्थापित करने की ओर ध्यान दिया और १९२६ तक कम्यूनिस्टों ने अहमदाबाद के टेक्सटाइल यूनियन को छोड़कर सभी प्रमुख सगठनों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनके कंट्रोल में चलनेवाला सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सगठन बम्बई का गिरनी कामगर यूनियन था। पूँजीपतियों के विरुद्ध मोर्चा बनाने के लिए वे शोषित सर्वहारा वर्ग का सगठन बनाते और इस प्रकार देश में साम्यवाद की पूर्ण स्थापना के लिए वे बराबर प्रयत्नशील होते। इस आन्दोलन के ३० नेता गिरफ्तार कर लिये गये और पड्डयन्त्र का अभियोग लगाकर उन पर मेरठ में मुकदमा चलाया गया। बाद में चलकर कम्यूनिस्टों ने काग्रोस में सम्मिलित होकर स्थानीय काग्रोस कमेटियों पर अधिकार करना चाहा। द्वितीय महायुद्ध में रुस के सम्मिलित होने के बाद उन्होंने 'पीपुल्स वार' (जन-युद्ध) का नारा बुलन्द करना चाहा। १९४२ में काग्रोस-नेताओं तथा कार्यकर्त्ताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मिल मजदूरों के ऊपर अपने प्रभाव का सरकार की सहायता के लिए उपयोग किया और सरकार को उसके युद्ध-प्रयत्नों में अपनी पूरी शक्ति से सहयोग दिया। अपनी इस नीति के कारण वे काग्रोस से अलग कर दिये गये हैं और आज वे अपनी लिचड़ी अलग पका रहे हैं। उनका एक केन्द्रीय सगठन है जिसकी शाखाएँ देश भर में फैली हुई हैं। सनियता तथा अविभात परिश्रम उनके कार्यकर्त्ताओं का एक विशेष गुण है। उनका आर्थिक समानता का सिद्धान्त नवजवानों को अक्सर बहुत प्रिय लगता है। हाल ही में उन्होंने पश्चिमी बंगाल तथा हैदराबाद में बड़ी अव्यवस्था मचानी चाही और अनेक हत्याओं तथा लूटपाट के लिए भी यहाँ उत्तरदायी माने जाते हैं।

भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी रुस की गाडी के पहिये से बँधी हुई है और भारतीय राष्ट्रीयता की घोर शत्रु है। देश में शीघ्र परिवर्तन के उद्देश्य से व्यवस्थित जीवन में उलट फेर के लिए यह हरदम प्रयत्नशील रहती है। अपने ध्येय की प्राप्ति में यह किसी भी तरीके को प्रशंसनीय मानती है; इसलिए कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इसको अवैध घोषित कर दिया है और केन्द्रीय सरकार इस पर सतर्क दृष्टि रखती है।

अध्याय ५ का पूरक

कांग्रेस का गैर-राजनैतिक कार्य

परिचय— इण्डियन नेशनल कांग्रेस मुख्यतः एक राजनैतिक संस्था है और देश के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति का इसका प्रमुख ध्येय था, पर भी इसने केवल राजनैतिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित नहीं रखा है, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी इसने बहुत कार्य किये हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखने योग्य है कि कांग्रेस के अमदाताओं का उद्देश्य था 'भारत का आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, औद्योगिक तथा राजनैतिक, सभी क्षेत्रों में पुनरोद्धार', हालाँकि अपने प्रारम्भिक वर्षों में इसका शक्ति राजनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति में ही अधिक खच जाती रहा। दादाभाई नौरोजी ने सबसे पहले कांग्रेस का ध्यान देश की भयंकर गरीबी का दूर दिलाया लेकिन शताब्दी के दो दशक बाद वर्षों के आने तक कांग्रेस ने जनता की दशा-सुधार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। यह जो कुछ भी कर सकती थी वह आ स्वदेशी पर जोर देकर भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देना। महात्मा गाँधी के प्रादुर्भाव ने सारी स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उनका रचनात्मक कार्य क्रम में हाथ से कातने, अस्पृश्यता निवारण तथा साम्प्रदायिक सद्भाव का विशेष महत्त्व दिया गया और कांग्रेस कार्य को दिशा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में माड़ दी गयी। यह कहा जा सकता है राजनैतिक क्षेत्र में हमारा सफलता बहुत कुछ आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में सफलता पर निर्भर रही है। इस पूरक अध्याय में हम कांग्रेस के गैर राजनैतिक कार्यों का संक्षिप्त विवरण देंगे।

(1) आर्थिक— कांग्रेस ने देश के उद्योग धंधों को बढ़ी सहायता दी है। उगल के विभाजन के समय से ही इसने स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया है और समाप्त-प्राय उद्योग धंधों को फिर से ज़ाबन दिया है। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विदेशी कपड़ों तथा अंग्रेजी माल के बहिष्कार ने भी भारतीय उद्योगों को बड़ा सहायता दी है। पिछले पचास वर्षों में इसने पुराने तथा मृतप्राय कुटार उद्योग-धंधा— विशेषतः कातने बुनने— को पुनर्जीवित किया है। महात्मा जी के नेतृत्व में ही अखिल भारतीय कताई सघ तथा अखिल-भारतीय ग्रामोद्योग सघ की स्थापना हुई थी। आज के कांग्रेस में अलग रहकर कार्य कर रहे हैं। धान बूटना, आटा पीसना, तेल निकालना, गुड़ बनाना, मधुमक्खी पालना, कागज तथा साबुन बनाना, चमड़े का काम, कातना बुनना, भूतवे चट्टाई बनाना, सोंगों से सामान बनाना, बटन तथा स्लॉट पेसिलें बनाना, आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें ग्रामोद्योग सघ ने उपयुक्त केन्द्रों पर प्रारम्भ किया है। १९३५ के ऐक्ट के अनुसार पद ग्रहण के पश्चात् पंडित जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय-योजना समिति (National Planning

Committee) विठायी। इस सम्मेलन में ध्यान में रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि कांग्रेसियों ने अब जनता के लिए सोचना और अनुभव करना प्रारम्भ कर दिया है, उसकी आर्थिक-दशा सुधार का वे अपना कर्तव्य समझने लगे हैं।

(ii) सामाजिक—जबसे गाँधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व ग्रहण किया, साम्प्रदायिक सदभावना, नशाबन्दी तथा अशुश्रयता-निवारण को कांग्रेस कार्यक्रम में प्रमुख स्थान मिला है। साम्प्रदायिक विद्वेष ने जब भयंकर रूप धारण कर लिया और निर्दोष जनता के रक्तपात से पृथ्वी रगी जाने लगी, महात्मा जी ने दिल्ली में २१ दिन के उपवास का निश्चय किया। यह दुःख न साथ कहना पड़ता है कि राजनैतिक दौड़-पौंच के कारण साम्प्रदायिक स्थिति विषमतर होती गयी, कांग्रेस प्रयत्नों का कोई विशेष परिणाम न निकला। शराब की दुकानें बन्द करने के प्रयत्न में हजारों स्त्री पुरुषों ने जेल-यातनाएँ सहीँ और पुलिस के हाथों लाठियों की चौछारों भी सहर्ष सहन का। कांग्रेस ने जब कई प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बनाये, इसने कुछ चुने चुने में अनिवार्य नशाबन्दी प्रारम्भ की और इस प्रकार तीन वर्षों में वह पूरी नशाबन्दी करना चाहती थी। कांग्रेस का यह प्रयोग सफल हो गया हाता यदि वह कुछ वर्षों तक और पदासीन रहती। कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने पदत्याग के पश्चात् यह कार्यक्रम धारा ६३ के अनुसार लौटा लिया गया। अशुश्रयता निवारण में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ रहा है। श्री ठक्कर बापा के उत्साहपूर्ण मन्त्रित्व में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ का निर्माण गाँधी जी ने किया था। राष्ट्रीय चेतना के नारी-समुदाय पर प्रभाव का भी वर्णन आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के युद्ध में भाग लेने के लिए हजारों स्त्रियों पदों का उन्धन तोड़ कर बाहर निकल आयीं। स्त्रियों की चेतना अब स्थायी बन गया है, कांग्रेस की यह एक प्रमुख गौर राजनैतिक सफलता है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि कांग्रेसी हिन्दुओं तथा मुसलमानों में गैर कांग्रेसी हिन्दुओं तथा मुसलमानों की अनित्य अधिक भावना है। लेकर कई ऐसे कांग्रेसी हिन्दुओं तथा मुसलमानों को जानता है जो एक दूसरे से खूब अच्छी प्रकार मिलते-जुलते तथा एक दूसरे के सुख-दुःख में पूरा भाग लेते हैं।

(iii) शिक्षा सम्बन्धी—अभी कुछ थोड़े ही वर्षों से कांग्रेस ने राष्ट्र के शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में कुछ सहयोग दिया है। महात्मा गाँधी ने अपनी शिक्षा याचना देश के सामने रखी जिसे वर्षों योजना कहते हैं। इस योजना के लोगों को बहुत प्रभावित किया है और यह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में आमूल परिवर्तन कर सकता है। आगे आने वाले अध्याय में हम इसका विस्तृत विवेचन करेंगे।

वर्तमान शताब्दी के दो दहाई वाले प्रारम्भिक वर्षों में जब कांग्रेस ने देश-वासियों से सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कॉलेजों का बहिष्कार करने की

अपील की, देश में अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ जिनमें से कुछ अब भी शेष हैं। देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की, जिसका पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त का रहने वाला व्यक्ति भी बगाल, मद्रास या महागुजरात पहुँचने पर प्रयोग कर सकना, आवश्यकता का अनुभव करने कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी को देश की राष्ट्रभाषा बनाना चाहा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, देवनागरी लिपि में हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा स्वीकृत हो चुकी है।

(iv) राष्ट्रीय एकता— राष्ट्रीय एकता के विकास में भी कांग्रेस ने बड़ा महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हाँलाकि देश का एकता में सहायक तत्व सदैव से रहे हैं, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय एकता की भावना की उत्पत्ति अभी हाल में हुई है और इसको विकसित करने का श्रेय कांग्रेस को है। प्रान्तीयता की भावना धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है और देश का प्रत्येक भाग अब अपने को एक दूसरे से अभिन्न समझता है। बंगाल के विभाजन का सारे देश में विरोध किया गया और जलियाँवाला बाग के हत्याकाण्ड ने सारे देशवासियों के हृदय में क्रोध की ज्वाला धक्का दी। बिहार तथा क्वेटा के भयंकर भूकम्प सारे देश की विपत्ति समझे गये। महात्मा जी, खान अब्दुल गफ्फार खॉं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा डा० राजेन्द्रप्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं का प्रत्येक प्रान्त में स्वागत हुआ है। देश के विभाजन से उसकी राष्ट्रीय एकता को बहुत बड़ा धक्का अवश्य लगा है लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में वह आवश्यक था।

राष्ट्रीय आत्मा : विशेषताएँ— राष्ट्र-निर्माण के कार्य में कांग्रेस की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने सर्वसाधारण ने चरित्र तथा दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन कर दिया है। कांग्रेस द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले सविनय अग्रज्ञ आन्दोलन का चाहे जो गुण दोष देखा जाय, इतना तो स्पष्ट होता है कि इन्होंने लोगों में निर्भयता की भावना भर दी। 'राष्ट्रीय चेतना ने मानसिक दासता के बन्धन तोड़ डाले हैं। नर-नारियों तथा बच्चों ने सर ऊँचा करके चलना सीख लिया है। कौद का भय अब भाग गया है; गोलियों तथा लाठियों का भय भी जा रहा है'— १९३२ में एक पत्रकार ने इस प्रकार लिखा। १५ अगस्त १९४७ के पहले भी एक हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज के सामने पहले की अपेक्षा अधिक निर्भयता से खड़ा होता; उसके हृदय से सरकारी अफसरों तथा पुलिस का भय समाप्त हो गया। सरकार की आलोचना में भी अब वह आधक निर्भय हो गया है। सत्य तथा न्याय के प्रति अब आस्था अधिक हो गयी है। १९३१ में लॉर्ड इरविन से समझौते में सफल होने के बाद महात्मा गाँधी ने दिल्ली की एक विराट् सभा में कहा था कि कष्टसहन तथा त्याग की अग्नि-परीक्षा से निकलने के बाद देश की नैतिक उच्चता आधा इन्च बढ़ गयी थी।

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता : भारतीय राजनीति की एक विशेषता— ब्रिटिश प्रेस तथा राजनीतिज्ञों का चरम सीमा तक ध्यान आकर्षित करने वाली भारत की स्वतन्त्रता की कमी न बुझने वाली व्यास नहीं बल्कि उसकी साम्प्रदायिकता थी। स्वराज के मार्ग में साम्प्रदायिकता ने सबसे बड़ा रोड़ा प्रकटाया है। स्वराज प्राप्ति के पहले तो भारत साम्प्रदायिकता का घर ही था; साम्प्रदायिक हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, सभी अपनी-अपनी सस्थाओं की सहायता करते। ऐसे वातावरण में राष्ट्रीयता का विकास कैसे सम्भव था? लोगों की जो शक्ति राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र-हित के अन्य कार्यों में खर्च होती वह सर्कार साम्प्रदायिकता की ओर मुड़ गयी। आखिर यह साम्प्रदायिकता है कौन बला? इसके विकास में किन चीजों ने सहायता पहुँचायी? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनमें भारतीय राजनीति का विद्यार्थी श्रद्धा भी दिलचस्वी रखता है। आगे आने वाले पृष्ठों में इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया जायगा।

साम्प्रदायिक समस्या को कभी-कभी हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न या हिन्दू-मुस्लिम-सिक्ख प्रश्न कहा जाता था। समस्या को यह नाम देना बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। इस नाम-करण से तो यह प्रतीत होता है कि समस्या पूर्णतः या मुख्यतः धार्मिक थी। इसका यह अर्थ भी होता है कि केवल हिन्दू मुस्लिम तथा सिक्ख ही इससे सम्बद्ध थे। लेकिन ये दोनों विचार त्रुटिपूर्ण हैं। साम्प्रदायिक समस्या धार्मिक होने की बनिस्वत राजनैतिक अर्थिक थी, यह मुख्यतः राजनैतिक थी। इसके स्वरूप-निर्माण तथा विकास में ब्रिटिश साम्राज्यवादिता का भी उतना ही हाथ रहा है जितना हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच राजनैतिक हितों के संघर्ष का। समस्या को जो केवल हिन्दुओं मुसलमानों के बीच का धार्मिक संघर्ष समझते हैं और उसकी तह में छिपी अंग्रेजी चालों को नहीं देखते, वे उसका सर्वांगीण अवलोकन नहीं कर सकते। वास्तविक रूप में समस्या यह थी कि देश में बसने वाले विभिन्न वर्गों— हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, आंग्ल-भारतीय, यूरोपियन, जमींदार, उद्योगपति, श्रमिक तथा वणिज्य व्यवसाय में लगे रहने वालों— की राजनैतिक शक्ति में हिस्सा लेने की माँग को कैसे संतुलित किया जाता। अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनायी नीति ने कुछ वर्गों को अपनी माँग सर्वोपरि रखने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि वर्गों के आपसी सम्भौते द्वारा समस्या के हल को असम्भव बना दिया। भारत में चलने वाली स्पर्धा राष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस, सर्कार साम्प्रदायिकतापूर्ण मुस्लिम-लीग, हिन्दू महासभा तथा प्रिटेन के साम्राज्यवादी हितों के बीच थी। इस प्रकार अपने देश में एक साम्प्रदायिक त्रिभुज निमित्त हुआ, जिसकी ब्रिटिश साम्राज्यवादिता एक

महत्त्वपूर्ण भुजा थी। श्री अशोक मेहता की पुस्तक 'दी कम्पूनल ट्रेडिंग इन इण्डिया' में यह चीज बहुत स्पष्ट रूप से समझाई गयी है।

साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति— देश की राजनीति के दो तत्वों— उदाम (insurgent) भारतीय राष्ट्रीयता का विदेशी शासन को पैक देने का प्रयत्न तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादिता का इस उठती शक्ति का कुचल देने का प्रयत्न— के आपसी संघर्ष के कारण ही साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति हुई। इन दो तत्वों में से किसी की भी अनुपस्थिति में साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति असम्भव थी। इन दोनों तत्वों में ब्रिटिश साम्राज्यवादिता पुरानी तथा अधिक शक्तिशालिनी थी। भारतीय राष्ट्रीयता को पुनर्जीवित तथा शक्तिपूर्ण बने अभी बहुत समय नहीं हुआ। जब यह सर उठाकर जुछ-मुछ शक्तिपूर्ण बनने लगी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने उसे साम्प्रदायिक विद्वेष पैलाकर कुचल देना चाहा। यह तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि ब्रिटिश सरकार ने हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच पहले से चले आते मनमटाव को और बढ़ाकर उससे लाभ उठाया। हिन्दू मुस्लिम विद्वेष को उसने शून्य में से उत्पन्न नहीं किया। अपने दुर्भाग्य के लिए हमारा भी उत्तरदायित्व है।

ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने बहुत पहले यह अनुभव कर लिया था कि भारत में अंग्रेजी राज्य की रक्षा के लिए वहाँ के विभिन्न वर्गों को सदैव एक दूसरे के विरुद्ध रखने की आवश्यकता थी। विभाजन द्वारा शासन करने की नीति ही ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य की आधार रही है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में बम्बई के गवर्नर माउन्टस्टुअर्ट एलफिन्स्टन ने एक बार लिखा था 'विभाजन द्वारा शासन करना रोम का पुरानी कहावत है और हमें भा उसी का अनुसरण करना चाहिये।' अंग्रेज इस नीति में निपुण तो थे ही, भारत में आते ही उन्होंने उसे देश की वर्तमान स्थिति पर लागू करना प्रारम्भ कर दिया।

अपनी इस नीति का सबसे पहला प्रयोग अंग्रेजों ने १८५७ के विद्रोह के पश्चात् भारतीय सेना के सगठन में किया। इस समय से पहले सभी भारतीय सेना में साथ-साथ रहते। जाति या सम्प्रदाय के कारण कोई विभाजन या भेद न था। हिन्दू, मुसलमान, जाट, सिक्ख तथा शक्तिवा सभी भेदभाव भूलकर साथ साथ रहते और इसी एकता की भावना ने १८५७ के विद्रोह को सम्भव बनाया। लेकिन अंग्रेजों द्वारा किये पुनः सगठन ने इस एकता का विनाश कर दिया। रेजिमेन्टों, प्रैक्टियनों तथा कम्पनियों का निर्माण जाति, वर्ग तथा साम्प्रदायिक भेदों के आधार पर हुआ। सिक्ख रेजिमेन्ट, डागरा रेजिमेन्ट, जाट रेजिमेन्ट तथा अन्य अनेक रेजिमेन्ट बन गये। इस नये आधार ने वर्ग विद्वेष की नींव डाली और राष्ट्रीय भावना के विनाश में इससे प्रबल अड़चन पड़ी।

सेना के बाहर इस नीति का प्रयोग एक सम्प्रदाय को प्रश्रय देकर दूसरे को दबाने के लिए किया गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों को दबाने का निश्चय किया क्योंकि उनका विश्वास था कि सन् ५७ के विद्रोह के लिए यही लोग उत्तरदायी थे। सेना तथा सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को जानबूझकर जगह न दी जाती और हिन्दुओं के प्रति खूब रियायत की जाती। १८७१ में बंगाल सरकार के २१४१ सरकारी नौकरों में केवल ७२ मुस्लिम, ७११ हिन्दु तथा १३३८ यूरोपियन थे। मुसलमानों को आर्थिक तथा शिक्षणात्मक, दोनों रूपों से नष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल का स्थायी बन्दोबस्त इसी उद्देश्य से किया गया था। इसने मुसलमानों को निर्धन बनाकर हिन्दुओं का सम्पन्न बना दिया। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्य कर रही थीं जिन्होंने अंग्रेजों के मुसलमानों के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया। सर सैयद अहमद खाँ ने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि सरकार का अविश्वास निराधार था, उन्होंने मुसलमानों तथा सरकार के बीच सद्भाव की उत्पत्ति के लिए बड़ा प्रयत्न किया। अपने इस प्रयत्न में उन्हें पर्याप्त सफलता मिली। देश की राजनैतिक स्थिति बहुत कुछ उनका अनुकूल बन गयी। देश में राजनैतिक चेतना का भी पर्याप्त विकास हो गया। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गयी थी और उसने सरकारी नीतियों की आलोचना भी प्रारम्भ कर दी थी। अल्लामा शिबली नूतानी, मौलाना रशाद अहमद गगाहा तथा अलीगढ़ के मौलवी लुत्फुल्लाह जैसे नेता हिन्दुओं के साथ साथ राजनैतिक लड़ाई लड़ते। १८८८ में गुरदासपुर की अपनी एक वक्तृता में सर सैयद अहमद खाँ ने निम्नलिखित शब्द कहे 'हम लोगो— हिन्दुओं तथा मुसलमानों— का एक हृदय तथा आत्मा बन कर एकतापूर्वक कार्य करना चाहिये। एक बन कर हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, लेकिन भिन्नता तथा विरोध में दोनों का विनाश है।' एक दूसरे अक्सर पर ओलते हुए उन्होंने कहा था कि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा भारत में रहने वाले अन्य लोगों का एक ही राष्ट्र था और जनता को उन्होंने यह ध्यान में रखने की अपील भी की कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों में तो केवल थोड़ी धार्मिक भिन्नताएँ थीं लेकिन इसका यह अर्थ न था कि देश में रहने वाले सभी लोगों का राष्ट्र एक न था। तबदशी सरकार को ऐसी भावनाओं का विकास कैसे प्रिय लगता, उसने अपनी सुदृढता के लिए मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग न लेने देना चाहा। उसने मुसलमानों के प्रातः अपना दृष्टिकोण बदल कर उनका पक्ष लेने तथा हिन्दुओं का दबाने का निश्चय किया। उत्तरी भारत के मुसलमानों को इण्डियन नेशनल कांग्रेस से अलग रखने में नये प्रारम्भ हुए एम० ए० आ० कॉलेज के प्रिंसिपल मि० बेक ने बड़ा महत्त्वपूर्ण भाग लिया। मि० बेक ने सर सैयद अहमद खाँ को बहुत प्रभावित किया और उन्हें उनकी वृद्धावस्था में उन चीजों का विरोध करने के लिए प्रस्तुत कर लिया जिनका वह जीवन भर पक्ष करते रहे थे। मि० बेक एक बहुत बड़े साम्राज्य-निर्माता थे, उन्होंने

मुसलमानों का राष्ट्रीय ग्रान्दोलन से अलग रख कर साम्राज्य-निर्माण में बड़ी सहायता पहुँचायी।

मुस्लिम लीग की स्थापना तथा अलग निर्वाचन-क्षेत्र की माग— हॉलांकि उत्तरी भारत के मुसलमानों ने कांग्रेस में हिस्सा न लिया, फिर भी अभी तक उनका कोई अलग संगठन न था जिसका ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के विरोध के लिए उपयोग कर सकती। मुसलम लीग तथा अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की स्थापना से यह पता चलता है कि एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के अपने उद्देश्य में सरकार कितनी सफल हुई। अब हम इसका अध्ययन प्रारम्भ करते हैं।

लॉर्ड कर्जन के शासन से उत्पन्न हुए असन्तोष को दगाने के लिए उस समय के भारत मन्त्री लॉर्ड माले ने भारत-सरकार को यह सुझाव दिया कि जन-प्रिय दिशा में सुधार करने का यही उपयुक्त समय था।* इस विचार को कार्यान्वित करने के लिये प्रयत्न किया गया। यह घटना १९०६ की है। मि० मौरीसन के बाद एम० ए० ओ० कॉलिन के नये प्रिंसिपल मि० आर्चबोल्ड ने सर सैयद अहमद के बाद मुसलमानों के नेता तथा कॉलिन के प्रेसिडेंट नवाब मुहसिन-उल-मुल्क का एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लॉर्ड मिन्टो के पास मुसलमानों का एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजने की सलाह दी। उन्होंने नवाब साहब को यह सूचना दी कि वाइसराय मुसलमानों के प्रतिनिधि मण्डल से मिलने के लिए प्रस्तुत थे लेकिन इस मण्डल में देश के विभिन्न भागों के प्रतिनिधियों का रहना आवश्यक था। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि प्रतिनिधि मण्डल का सम्राट् के प्रति स्वाभिमान प्रदर्शित करना तथा सरकार द्वारा किये जाने वाले सुधारों के प्रति आदर-भाव दिखाना मुसलमानों के अनुकूल पड़ता। उन्होंने प्रतिनिधि-मण्डल को यह विचार प्रदर्शित करने की भी राय दी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्र के निर्माण के बिना चुनाव का निदान्त मुस्लिम हितों के लिए हानिकारक सिद्ध होता। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विचार मुसलमानों की दृष्टि नहीं है, इसकी प्रेरणा उन्हें किसी अन्य जगह से मिली। ग्रेट ब्रिटेन में मूलपूर्व प्रधान मन्त्री मि० रैमसे मेकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक 'अवेकनिंग ऑफ इण्डिया' में यह विचार प्रदर्शित किया है कि अलग साम्प्रदायिक क्षेत्र की माँग तथा उसकी स्थापना का उत्तरदायित्व ब्रिटिश नौकरशाही पर है। स्वर्गीय मौलाना मोहम्मद अली के शब्दों में लॉर्ड मिन्टो से मिलने वाला प्रतिनिधि मण्डल 'निर्दोशत प्रदर्शन' था। इसका संगठन शिमले से हुआ था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि लॉर्ड मिन्टो को दिये जाने वाले सम्मान-पत्र की रचना स्वयं मि० आर्चबोल्ड ने ही की थी। इस सम्मान-पत्र का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। इतना बतला देना पर्याप्त है कि इसने मुसलमानों के लिए निम्नलिखित

* कुछ लेखकों की राय है कि सुधार योजनाएँ लॉर्ड मिन्टो ने बनाई थीं।

मॉर्गों की : अलग निर्वाचन-क्षेत्र, reformed legislature में weightage, सरकारी नौकरियों में और अधिक प्रतिनिधित्व, मुस्लिम यूनीवर्सिटी की स्थापना में सहायता, तथा गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी में किसी भारतीय की नियुक्ति होने पर उनके हितों की रक्षा । इसके उत्तर में लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि प्रतिनिधि मण्डल के विचारों से, वह सहमत थे और उन्होंने उसे यह आश्वासन भी दिया कि उनके शासन में मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों तथा हितों की पूरी रक्षा होगी । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का निवृष्ट सिद्धान्त लॉर्ड मिंटो ने ही प्रारम्भ किया । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र की माँग का स्वयं लॉर्ड मॉर्ले ने, जिन्होंने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए सयुक्त निर्वाचक कॉलिजों की स्थापना की राय दी थी, विरोध किया था । सरकार का हमेशा पक्ष करने वाले कलकत्ते के 'स्टेज्समैन' ने भी इसका विरोध किया था । देश की राष्ट्रीय विचार-धारा इसके सख्त विरुद्ध थी क्योंकि हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच की खाई इससे और बढ़ती और राष्ट्रीय भावना के विकास में इससे बड़ा धक्का पहुँचता । लेकिन भारतीय नौकरशाही तथा इंग्लैंड में इसके समर्थक अधिक शक्ति-शाली सिद्ध हुए और इस सिद्धान्त को मॉर्ले मिंटो-सुधार-योजना में स्थान दिया गया । पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि ब्रिटाण-सिद्धान्त तथा पाकिस्तान के जन्मदाता माहम्मद अली जिन्ना अलग निर्वाचन-क्षेत्र के विरुद्ध थे । १९१० में कांग्रेस के दलाहाबाद-अधिवेशन में उन्होंने इस धृष्ट सिद्धान्त के विरुद्ध प्रस्ताव पेश किया था । इस प्रस्ताव का विचार के प्रसिद्ध मौलवी मजहर उल-हक ने अनुमोदन किया था ।

मुस्लिम लीग— शिमला-डेपुटेशन का सफलता से मुसलमानों का अलग संगठन बनाने वाले लोगों का उड़ी प्रेरणा मिली । १९०६ के दिसम्बर मास में ढाका में होने वाले एक सम्मेलन के लिए लोगों को आमन्त्रित किया गया और वहीं पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना हुई । स्थापना करने वाले ऊँचे घर के कुछ सम्भ्रान्त मुस्लिम व्यक्ति थे । उनका उद्देश्य था . 'मुसलमानों के पटे लिखे तथा मध्यम वर्ग को उस भयङ्कर राजनीति में सम्मिलित होने से रोकना जिसे इण्डियन नेशनल कांग्रेस अपना रही थी ।' * मुस्लिम लीग ने सविधान ने अपने उद्देश्य तथा लक्ष्य का इस प्रकार व्यक्त किया :

'(१) भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वायत्तता उत्पन्न करना तथा सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति के विषय में उनकी गलतफहमी दूर करना , (२) भारतीय मुसलमानों के राजनैतिक अधिकारों की रक्षा तथा उनकी माँगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष सतत तथा शिष्ट भाषा में प्रकाशन , (३) जहाँ

* हुमायूँ कबीर, मुस्लिम पार्लियामेंट, पृष्ठ २

तक सम्भव हो सके (१) और (२) में व्यक्त किये हुए उद्देश्यों के प्रति विरुद्ध न जाते हुए मुसलमानों तथा भारत के अन्य वर्गों के बीच सद्भाव प्रसार ।'

लीग-प्रारम्भ से ही एक साम्प्रदायिक संस्था रही है और यह विशेषता इसने जीवनसे सदा सम्बद्ध रही । लीग ने सदैव एक विशेष वर्ग के राजनैतिक अधिकारों तथा हितों की ओर ध्यान दिया है, पूरे भारत के हित की ओर नहीं, यह अंग्रेजी राज की पिट्टू रही है, भारतीय राष्ट्रीयता की पोषक नहीं । मुस्लिम लीग की इन विशेषताओं से स्पष्ट पता चलता है कि हिन्दुओं तथा मुसलमानों को एक दूसरे से अलग रखने के लिये अंग्रेज-कृत्नीतज्ञ चितने प्रयत्नशील थे ।

यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि अपना वह रूप रगते हुए भी लीग को सभी पक्षों लिखे मुसलमानों का समर्थन प्राप्त न हो सका । श्री मुहम्मद अली जिन्ना इससे साम्प्रदायिक रूप के कट्टर विरोधी थे । नवाज सैयद मोहम्मद ने इससे किसी भी प्रकार का सम्बन्ध बनाये रखना उचित न समझा । मौलाना शिबली नौमनी इसकी नीति की बराबर आलाचना करते । मौलाना मुहम्मद अली ने दिल्ली से अंग्रेजी तथा उर्दू में 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' नामक दो पत्र निकाले जिनमें लीग की साम्प्रदायिकता तथा स्वामि भक्ति पर खूब आक्रमण होता था । मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कलकत्ते में 'अल हिलाल' नामक अपना एक पत्र निकाला जिसका उद्देश्य था भारतीयों में एक नवीन भावना तथा उत्साह का विकास । इन शक्तियों के प्रभाव, तुर्किस्तान तथा अन्य मुसलमानी देशों में घटने वाली घटनाओं तथा ब्रिटेन के उनके प्रति रुख तथा, अन्त में, अलीगढ़ के एम० ए० ग्रा० कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपलों के प्रभाव की समाप्ति के कारण मुस्लिम राजनीति में जवा परिवर्तन आ उपस्थित हुआ । मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजहर उल-इक़, गैयद वजीर हसन, हसन इमाम तथा मुहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रगतिशील नेताओं ने मुस्लिम लीग को कांग्रेस के साथ लाने के लिए उसके सविधान को प्रगतिशील तथा राष्ट्रीय आधार पर बदलने की इच्छा प्रकट की । इसी इच्छा के अनुसार इसके सविधान में १९१३ में कुछ सुधार हुए । मुसलमानों तथा अन्य भारतीय वर्गों के बीच अधिक से अधिक सद्भाव और मैत्री तथा ब्रिटिश राज की सरक्षता में भारतीय आवश्यकताओं के अनुकूल स्वराज स्थापित हो भी लीग के उद्देश्यों में सम्मिलित किये गए । इस परिवर्तन ने कांग्रेस के साथ सहयोग का मार्ग खोल दिया । बम्बई में होने वाले कांग्रेस-अधिवेशन के अवसर पर लीग-अधिवेशन भी आमन्त्रित करके मुहम्मद अली जिन्ना ने दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम उठाया । इसने पश्चात् आने वाले अनेक वर्षों तक दोनों संगठनों के अधिवेशन एक ही स्थान पर होते रहे । इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों संस्थाओं ने सुदोतर मुबार बाजनाई एक साथ मिल कर बनायीं । कांग्रेस तथा लीग ने १९१६ में लगनऊ

में होने वाले अपने अधिवेशनों में कांग्रेस-लीग-योजना स्वीकृत की। श्री जिन्ना द्वारा उठाये गये कदम के परिणामस्वरूप ही महात्म गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा पंडित मदनमोहन मालवीय जैसे कांग्रेस-नेताओं ने १९१५, १९१६ तथा १९१७ में होने वाले लीग अधिवेशनों में भाग लिया और कई प्रस्तावों के पक्ष में भाषण दिये। लीग के कलकत्ता-अधिवेशन के समापन राजा महमूदाजाद ने अपने समापन-पत्र से भाषण में निम्नलिखित शब्द कहे : 'देश का हित ही सर्वोपरि है। हमें यह सोचने में शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये कि हम पहले मुसलमान हैं या भारतीय। वास्तविकता यह है कि हम दोनों हैं और इसलिए किर्मा को भी पहले महत्त्व देने का प्रश्न ही नहीं उठता। लीग ने मुसलमानों में देश तथा धर्म के लिए त्याग की भावना भर दी है।'

ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति स्वामिभक्ति में राष्ट्रीयता की ओर यह परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण था। इन्हीं के कारण पञ्जाब तथा खिलाफत की गलतियों को दूर करने के लिए कांग्रेस द्वारा १९२० में चलाये गये अमहद्योग आन्दोलन में लीग का भी सहयोग मिल सका। लेकिन भारतीय मुसलमानों की ओर से चलाई गयी लड़ाई का सगठन खिलाफत-कमेटी ने किया, लीग ने नहीं। इस अवसर पर इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया जा सकता है कि मुस्लिम राजनीति से लीग की वर्तमान सत्ता के प्रति चापलूती तथा स्वामिभक्ति प्रदर्शन की नीति के कारण अलग रहने वाले उच्चमाध्यो ने भी आन्दोलन में पूरा सहयोग दिया। उन्होंने जमायत उल-उलेमाए-दिन्द नामक प्रसिद्ध सम्य' का सगठन किया। यह संस्था बराबर एक राष्ट्रीय संस्था रही है और विदेशी सत्ता के विरुद्ध मुस्लिम विचारों को स्पष्टतर बनाने में इसने बड़ा प्रभाव डाला है। ब्रिटेन विरोधी कार्यों के लिए मालूम नजरबन्द रहने वाले मौजाना मुहम्मद उल-इसन इसके सम्पादक थे। उनकी मृत्यु के बाद इसके नेतृत्व का भार मुर्ता जिफारुल उल्लाह ने कंधों पर आ पड़ा। जमायत ने सदैव हिन्दू-मुस्लिम एकता का पक्ष लिया है और इण्डियन नेशनल कांग्रेस के ब्रिटिश-साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाले युद्ध में इसने सदैव सहयोग किया है।

त्रिचापन-कमेटी तथा जमायत की प्रसिद्धि तथा मुस्लिम जनता पर उनके प्रभाव के कारण १९२० के पश्चात् मुस्लिम लीग कुछ समय तक प्रभावहीन होकर लोगों की दृष्टि से छिपी रह गई। इसका अनेक कारणों ने उत्पत्ती किया। दृष्टि प्राप्त करके साम्प्रदायिक राजनीति से हाथ खींच लिया।

महात्मा गांधी द्वारा प्रथम अमहद्योग आन्दोलन उठा लिये जाने के पश्चात् देश में फैलने वाले हिन्दू-मुस्लिम दंगा, शुद्धि तथा सगठन के कार्यक्रम के साथ हिन्दू महासभा के प्रभुर्भाव तथा कांग्रेस द्वारा वैधानिक कार्यक्रम अपना लिये जाने से मुहम्मद अली जिन्ना को लीग को पुनर्जीवित करने का अवसर मिल गया। यह ध्यान

में रखना चाहिये कि श्री जिन्ना एक समय कट्टर काँग्रेसी थे ; उन्होंने इण्डियन नेशनल काँग्रेस से उस समय सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया जब उसने राजनैतिक भीख मागने के रास्ते को (Mendicancy) छोड़ कर Direct Action अपना लिया। लीग पुनर्जीवित तो हुई किन्तु श्री जिन्ना इसके जीवन-शून्य अधिवेशनों को अनुप्राणित न कर सके। थ्रॉल-व्हाइट सादमन कमीशन की स्थापना से लीग दो भागों में विभाजित हो गयी। श्री जिन्ना के नेतृत्व में एक भाग कमीशन का बहिष्कार करता किन्तु सर मुहम्मद शफी के नेतृत्व में दूसरा भाग कमीशन के साथ सहयोग करने के पक्ष में था। इन दोनों लीगों में से एक ने अपना अधिवेशन क्लक्त्से में किया, दूसरी ने लाहौर में। जिन्ना के नेतृत्व में चलने वाले भाग ने प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट के अनुसार एक निश्चित सविधान निर्माण के लिए काँग्रेस तथा अन्य राजनैतिक दलों से सहयोग किया। शफी-लीग की राय के अनुसार नेहरू-रिपोर्ट द्वारा दिये साम्प्रदायिक समस्या के हल पर विचार विमर्श करने के लिए एक 'मुस्लिम थ्रॉल-पार्टीज सम्मेलन' का संगठन हुआ। नेहरू रिपोर्ट ने अल्पसंख्यकों के लिये सीटें रिजर्व रखने के साथ सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों का अनुमोदन किया था। राष्ट्रीय मुसलमानों द्वारा इसका पक्ष लिए जाने पर भी सम्मेलन ने सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्रों का विचार त्याग दिया। इस कारण प्रभावशाली मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हो गया। राष्ट्रीय मुसलमानों ने अपना एक अलग दल संगठित कर लिया। इकीम अजमल खा. डॉ० एम० ए० अन्सारी, सर अली इमाम, सर बजीर हसन, डॉ० सैयद महमूद, मि० आसफ अली, डॉ० आलम, डॉ० किचलू और मौलाना अबुलकलाम आजाद प्रासन्न राष्ट्रीय मुसलमान थे।

ऊपर वर्णित विकास का परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम राजनीतिक दो दलों में विभाजित हो गये। ये दोनों दल मुस्लिम वर्ग का भिन्न दिशाओं में प्रेरित करते। एक ओर कुछ सम्पन्न लोगों का एक दल जो सरकारी नौकरियों तथा रियासतों के लिए, हमेशा की तरह, ब्रिटिश सरकार की ओर देखाता। सरकार इस दल के सदस्यों की ओर अनुदार न थी, उसने उन्हें देश के शासन में प्रभावशाली जगहों पर नियुक्त कर दिया जहाँ से वे अपने मित्रों तथा सगे-सम्बन्धियों का कुछ भत्ता कर सकते थे। सर फजली हुसैन और सर मोहम्मद शफी इस दल के नेता थे। ये लोग मुस्लिम लीग को अपने कन्ट्रोल में रखते। दूसरा दल इण्डियन नेशनल काँग्रेस के राष्ट्रीय मुसलमानों द्वारा निर्मित था। इसका नेतृत्व इकीम अजमल खाँ, डॉक्टर अन्सारी और मौलाना अबुल कलाम आजाद के हाथों में था। इस दल के हाथ में शक्ति नहीं थी इसलिए पहले दल के मुकाबले मध्यमवर्गीय मुसलमानों पर इसका प्रभाव कमजोर था, यद्यपि बुद्धि वैभव सम्पन्न तथा चरित्रपूर्ण व्यक्तियों की इसमें कमी न थी। एक तीसरे तत्व का भी जिन आवश्यक है। इसका निर्माण पञ्जाब के शक्तिपूर्ण अहलार तथा अगाल के कृषक प्रोता दलों से हुआ था।

इस तीसरे दल के सदस्य अधिकतर कांग्रेस की राजनैतिक आवाजाओं का पक्ष लेते, किन्तु उनकी दृष्टि में उसकी आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त न थे। इस तरह लीग को उनका सहयोग प्राप्त न था।

इस अवसर पर श्री मुहम्मद अली जिन्ना अनेके पक्ष गये। नरम दल मुसलमानों के बीच के फिट न बैठते क्योंकि राजनैतिक दृष्टि से वे कांग्रेस विचारधारा से अधिक प्रभावित थे। वे प्रगतिशील मुसलमानों में भी मर्मिलित न हो सकते क्योंकि अपने वट्टर तथा सर्वोपर्य आर्थिक दृष्टिकोणों के कारण वे उन्हें कोरा क्रान्तिकारी समझते। वे कांग्रेस में भी नहीं जा सकते थे क्योंकि इसने Direct Action का निश्चय कर लिया था और इससे उन्होंने बहुत पहले अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने भारतीय राजनीति में हिस्सा न लेने और विलायत जाकर कानूनी प्रैक्टिस करने का निश्चय किया। किन्तु नियति ने उनकी सहायता की। कुछ ही वर्षों के बीच मृत्यु ने अरिफ-भारतीय ख्यातिप्राप्त कुछ प्रसिद्ध मुसलमान राजनीतिज्ञों का कार्य-क्षेत्र से हटा दिया। हकीम अजमल खाँ, मौलाना मुहम्मद अली, डॉक्टर अन्सारी, सर फजली हुसैन तथा सर मुहम्मद शफा की मृत्यु ने श्री जिन्ना के लिए रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने इंग्लैंड से लौट कर लीग का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और वह उसे शक्तिपूर्ण बनाने के प्रयत्न में जी जान से लग गये। १९३७ के चुनाव ने उन्हें बड़ा मुनहला अवसर दिया। उनके नेतृत्व में लीग ने विभिन्न प्रान्तों के विधान-परदलों के चुनाव में भाग लिया किन्तु उसे बहुत थोड़ी सफलता मिली। मुसलमानों की अधिक संख्या वाले प्रान्तों—पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, बंगाल तथा सिन्ध—में लीग को प्रतिस्पर्द्धी मुस्लिम-पार्टियाँ के मुकाबले हार खानी पड़ी। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में इसे कांग्रेस ने हराया, सिन्ध में मि० अल्लाहबख्श की आजाद मुस्लिम पार्टी विजयिनी रही, पंजाब में सर सिक्न्दर ह्याट खाँ के नेतृत्व में यूनिथनरिस्ट पार्टी ने इसे उखाड़ दिया; बंगाल में कृपक प्रोजा पार्टी सबसे अधिक शक्तिशालिनी रही। उत्तर प्रदेश तथा निहार जैसे मुसलमानों की अल्पसंख्या वाले प्रान्तों में ही लीगी उम्मीदवारों को गैर लीगी प्रतिस्पर्द्धियों के मुकाबले सफलता मिली। लीग को सभी प्रान्तों की मुस्लिम संघों की २५ % से भी कम सीटें मिलीं। कुल ४८५ (कुछ के अनुसार ४८७) मुस्लिम-सीटों में से लीग को केवल ११० सीटें मिलीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग का मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व प्राप्त न था।

लेकिन विधान मंडल में अपनी बहुसंख्या वाले प्रान्तों में कांग्रेस द्वारा पद-ग्रहण अस्वीकार करने तथा मर्मिलित मन्त्रिमण्डल बनाने के कांग्रेस-लीग समझौता हो सकने के कारण एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें लीग को अपना स्वोद्य पद मिल गया और उसे कुछ ऐसी सफलताएँ मिलीं जो उसे कभी न मिली थीं। इसने मुसलमानों का वास्तविक विश्वास प्राप्त कर लिया। बंगाल में प्रजा पार्टी तथा लीग

श्री फजलुल हक की अथकता में सम्मिलित हो गयी। श्री फजलुल हक ने लीग की खोई प्रतिष्ठा-प्राप्ति तथा उसके लिये देश की जनता का सहयोग प्राप्त करने में बहुत कुछ किया। पंजाब में सर सिकन्दर हयात खॉ ने लीग में सम्मिलित होकर उसकी शक्ति में बड़ा योग दिया। मुस्लिम दलों के इस जोड़-तोड़ के कारण १९३७ तथा १९४२ के बीच लीग की प्रतिष्ठा और प्रभाव में बड़ी वृद्धि हुई। अब यह भारत की सारी मुस्लिम आबादी के प्रतिनिधित्व का दावा करने लगी। मुस्लिम लीग का यह दावा न राष्ट्रीय मुसलमानों को स्वीकृत था न कांग्रेस को; फिर भी, इसमें सन्देह नहीं कि लीग एक बड़ी ही शक्तिपूर्ण संस्था बन गई; श्री मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में उसकी शक्ति बराबर बढ़ती गई। यह सत्य है कि पंजाब में सर सिकन्दर हयात खॉ की मृत्यु तथा बंगाल में मि० फजलुल हक के पतन के पश्चात् मुस्लिम लीग की शक्ति को काफी धक्का लगा, लेकिन युद्ध काल में, जब कांग्रेस सरकार से लड़ाई लड़ रही थी और लीग का कोई प्रभावपूर्ण विरोध न था, इसने अपनी शक्ति फिर बढ़ा ली। इसकी बढ़ती शक्ति १९४० तथा बाद में आने वाले वर्षों में इसके प्रस्तावों में स्पष्ट दर्शाएगी होती है। १९४० में अपने लाहौर अधिवेशन में इसने हिन्दू तथा मुस्लिम भारत के रूप में देश के विभाजन की मांग की और एक वर्ष बाद इसने एकदम अलग हाकर पाकिस्तान के स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण के अधिकार की मांग की। १९४६ के साधारण निर्वाचनों में प्राप्त सफलता से भी मुस्लिम जनता के ऊपर लीग के प्रभाव का पता चलता है। इसे अन्त में अपने उद्देश्य में सफलता मिली और १५ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान की स्थापना हो गई।

लीग की निरन्तर शक्ति-वृद्धि में अनेक बातों से सहायता मिली है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी प्रतिनिध्यात्मक ब्रिटिश दल से प्राप्त सहायता जो उसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अवसर पर इस दल से गुप्त मैत्री द्वारा मिली थी। सर सिकन्दर हयात खॉ के लीग से इतने गहरे सम्बन्ध का भी यही कारण बताया जा सकता है। १९३६ में कांग्रेस-मंत्रिमण्डलों के इस्तीफे से भी लीग को पर्याप्त शक्ति मिली, पदच्युत होने से पद के साथ लगी शक्ति भी कांग्रेस के हाथ में निकल गई और प्रभाव की दृष्टि से वह लीग की बराबरी में आ गई। स्व शासन के लिये उत्पात (Agitation) से दूर रह कर तथा उसका विरोध करके लीग ने देशी राजबाजों का भी शुभेच्छा तथा मैत्री प्राप्त कर ली। अन्त में, कांग्रेस ने जहाँ ब्रिटिश सरकार के युद्ध-प्रयत्नों में सम्मिलित होने से इन्कार करके सविनय अवज्ञा प्रारम्भ कर दी, लीग के अधिकतर सदस्यों ने युद्ध-प्रयत्नों में जी-जान से सहायता की। लीग की कौंसिल ने निम्नलिखित घोषणा की : 'यदि ब्रिटिश-सरकार इस विषम स्थिति में मुसलमानों का पूरा सहयोग चाहती है तो उसे मुसलमानों में पूरी रक्षा तथा सन्तोष की भावना उत्पन्न करके मुस्लिम लीग को अपना विश्वासपात्र बनाना चाहिये क्योंकि इसी एक सस्था को भारत के सभी मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अधिकार है।'

वेबल योजना, कैबिनेट-मिशन-योजना तथा अन्तरिम सरकार की स्थापना के विषय में लीगी दृष्टिकोण या हम पहले विवेचन कर चुके हैं, इसके निषेध में यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। -

पारिन्तान— चूँकि मुस्लिम लीग की राजनीति व ऊपर पाकिस्तान के विचार का उच्च प्रभाव था और चूँकि इसका आधार मानकर लीग प्रत्येक राजनैतिक विकास का मूल्यांकन करती थी, इसलिए उसके सम्बन्ध में यहाँ भी कुछ कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले सर मुहम्मद इकबाल ने १९३० में मुस्लिम लीग के अधिवेशन पर भाषण करते समय लोगों के सामने रखी थी। लन्दन में रहकर वहाँ से पाकिस्तान के लिये ग्राम्बलन चलाने वाले चौधरी रहमत अली भी इसका बड़ा पक्ष कर रहे थे। फिर भी, इस विचार ने बहुत जार न पड़ा, मुस्लिम लीग ने इसका वैधानिक रूप से १९४० में ही अपनाया। १९४० में अपने लाहौर-अधिवेशन में लीग ने एक प्रस्ताव पस किया जिसमें यह निश्चय किया कि उसे ऐसी कोई भी वैधानिक योजना स्वीकृत न होगी जो निम्नलिखित सिद्धान्तों पर आधारित न होगी। 'भौगोलिक दृष्टि से आपस में सम्बन्धित इकाइयों को निश्चित विभागों में बाँट देना चाहिये और आवश्यक भूमि सम्बन्धी संगठन से इन विभागों का निर्माण इस प्रकार होना चाहिये कि मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या वाले क्षेत्र— भारत के पश्चिमोत्तर तथा पूरब भाग— आपस में एकत्रित होकर स्वतन्त्र राज्य बन जायें।' पाकिस्तान का विचार मुस्लिम मन्त्रिमण्डल पर एकदम हावी हो गया और मुस्लिम लीग को इसने एक नया लक्ष्य दिया। लीग ने Weightages, Percentages तथा सरकारी नौकरियों में अनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) का ध्यान छोड़ दिया और मुसलमानों के समस्त एक मुस्लिम राज्य की ऐसी कल्पना रखी जिसमें उन्हें हिन्दू-शासन से मुक्ति व साथ-साथ प्रभाव तथा शक्ति की प्राप्ति होना। १९४१ में लीग के मद्रास-अधिवेशन में इस माँग को फिर दुहराया गया। इसी समय से श्री जिन्ना की पाकिस्तान माँग कभी सिधिल न पबी और अन्त में उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हुई।

अधिभाजित भारत में हिन्दू प्रभुत्व के डर ने ही पाकिस्तान की माँग को जन्म दिया। लोकतन्त्र तथा अलग साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों पर आधारित एक अखिल भारतीय शासन में एक अल्पसंख्यक जाति होने के नाते मुसलमान यह कभी आशा नहीं कर सकते थे कि वे कभी हिन्दुओं के परवर शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। चूँकि वे कुछ साम्प्रदायिक निर्वाचन को छोड़ना नहीं चाहते थे इसलिए हिन्दू प्रभुत्व से बचने का उनके सामने केवल यही उपाय था कि भारत दो स्वतंत्र देशों में विभाजित हो जाय। उनकी माँग का सैद्धान्तिक आधार यह था कि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्रों में विभाजित थे, इसलिए उनकी अलग-अलग जन्म-भूमि भी होनी

चाहिए। यदि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग-अलग जातियाँ हैं और उनमें उभयनिष्ठ कोई चीज नहीं है तो अलग जन्म-भूमि के लिए मुसलमानी माँग का विरोध नहीं हो सकता; यह तो आत्म-निर्णय (Self determination) के सिद्धान्त के अनुकूल ही है। यदि हिन्दू तथा मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं तो उन्हें एक उभयनिष्ठ शासन में रखना मूर्खतापूर्ण तथा व्यर्थ होगा, यह बहुत उपयुक्त नीति है कि उन्हें एक दूसरे से आपसी सद्भाव तथा शान्ति के साथ अलग हो जाना चाहिये। लेकिन इस द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त के त्रुटि-पूर्ण तथा मनगढ़न्त होते हुए भी भारत का विभाजन एक न सका। इसलिए इस सिद्धान्त का समोपाग निरीक्षण तथा उसकी अनुपयुक्तता सिद्ध करना अनावश्यक है। हमें पाकिस्तान के स्वतन्त्र मुसलमानी राज्य का ऐतिहासिक सत्यता स्वीकार कर लेनी चाहिये और उसे अपनी चिंता स्वयं कर लेने के लिए छोड़ देना चाहिये। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता के और अधिक सम्पक् विवेचन के लिए हमें कांग्रेस-लीग तथा लीग सरकार के सम्बन्ध पर भी कुछ शब्द कहना आवश्यक है।

लीग और कांग्रेस— देश की इन दोनों प्रतिनिधि सस्थाओं के आपसी सम्बन्धों में समय के साथ-साथ परिवर्तन होते रहे हैं, यह ध्यान में रखना चाहिये कि कांग्रेस का विरोध करने तथा पड़े लिखे मुस्लिम वर्ग को उसने प्रभाव से अलग रखने के उद्देश्य से ही लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक न चली। १९१३ में लीग के विधान में कुछ परिवर्तन हुए जिनके कारण लीग तथा कांग्रेस में आपसी सद्भाव उत्पन्न हो गया। लेकिन प्रथम सहयोग-आन्दोलन तथा खिलाफत कमेटी के उठा लिये जाने के पश्चात्, दोनों सस्थाएँ फिर एक दूसरे से अलग हो गयीं। लेकिन अभी तक दोनों के बीच कोई विषमता न आयी थी। कांग्रेस वैधानिकता की ओर लौट आयी और लीग में बहुत थोड़ा जीवन शेष रह गया। शफी तथा जिन्ना विभागों में मतभेद तथा राष्ट्रीय मुसलमानों के लीग से निकल जाने के कारण लीग उदारवादियों तथा प्रतिन्यायवादियों के हाथों पड़ गयी और वह १९१० के पहले की स्थिति में लौट गयी। जन इंग्लैंड में भारतीय सविधानिक समस्या पर विचार तथा १९३५ की सुधार-योजनाओं का निर्माण हो रहा था, श्री जिन्ना के प्रतिनिधित्व में लीग सक्रिय हो उठी और उसने कांग्रेस से सहयोग की इच्छा प्रकट की। १९३४ में इसने एक प्रस्ताव पास करके भारत के अन्य वर्गों से सहयोग करने का निश्चय प्रकट किया ताकि भारत के सभी वर्गों की मान्य एक सविधान का निर्माण हो सकता। १९३५ में इसने भारत-सरकार के १९३५ ऐक्ट की सघ योजना को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया कि इससे भारत की स्वराज प्राप्ति में अनिश्चित देर होती या उसकी सम्भावना ही समाप्त हो जाती। १९३६ में इसके प्रेसिडेन्ट सर वबीर हसन ने भारत के सभी वर्गों के बीच एकता की अपील की। लेकिन १९३७ में सत्र चीजों का पूरा प्लाक ही बदल गया। १९१३ की तरह यह वर्ष भी लीग की नीति-परिवर्तन के

लिए प्रसिद्ध है यद्यपि इस परिवर्तन की दिशा भिन्न थी। कांग्रेस से सहयोग करने के बदले उसके नेतृत्व पर विप उगला जाने लगा और उसे एकमात्र हिन्दुओं का ही हितैषी बताया जाने लगा। यह सिद्ध करना एक प्रकार का फैशन बन गया कि कांग्रेस के हाथों मुसलमानों की भलाई असम्भव थी। १९३८ के लीग-अधिवेशन में दी गयी वस्तुताएँ कांग्रेस-विरोध से परिपूर्ण थीं। कांग्रेस का नेतृत्व करने वालों को पासिस्ट तथा Totalitarian तथा कांग्रेस को सभी छुटे वर्गों, विशेषतः मुसलमानों, को कुचलने के लिये संघट्ट एक हिन्दू-संस्था बताया गया। कांग्रेस द्वारा शासित प्रान्तों में मुसलमानों के ऊपर मनगढ़न्त अत्याचारों के प्रदर्शन के लिए बड़ी ही रोपपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया। इन आक्षेपों को निर्मूल सिद्ध करना हमारा यहाँ काम नहीं है। इतना कह देना पर्याप्त है कि कांग्रेस प्रेसिडेन्ट ने लीग को अत्याचार का कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण खोजने के लिये आमन्त्रित किया, लेकिन लीग ने उसे अस्वीकृत कर दिया। इस पर भी विचार करना बड़ा दिलचस्प है कि कांग्रेस के केवल दो वर्षों के शासन में लीग को दुनिया के मामने रखने के लिए अनेक अत्याचार मिले, किन्तु लगभग सौ वर्षों तक ब्रिटिश सरकार ने सारे भारत के मुसलमानों को जिस संगठित रूप से सलाया था उसके विषय में लीग ने एक शब्द भी न कहा। मुसलमानों के प्रति अनेकों नाजि का ब्रिटिश सरकार ने पिछली शताब्दी के आठ दहाइयों के बर्षों में ही बदला। बंगाल के लीगी मन्त्रिमण्डल में मुसलमानों द्वारा हिन्दुओं पर अत्याचार की भी इसने कोई चर्चा न की।

कांग्रेस के विरुद्ध इस रोपपूर्ण आवेग के कारण स्पष्ट तो हैं किन्तु उपयुक्त नहीं। १९३७ में उत्तर प्रदेश के चुनाव के अवसर पर एक प्रसिद्ध मुस्लिम राजनीतिज्ञ ने, जो तब तक कांग्रेस में सम्मिलित थे, कांग्रेस के हार की आशंका से उससे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया और अपने अनुयायियों के साथ जाकर मुस्लिम लीग का दामन पकड़ा। लेकिन उनका यह विचार गलत निकला। कांग्रेस विजयिनी हुई और उसने अपने मन्त्रिमण्डल बना लिया। इस व्यक्ति ने कांग्रेस में फिर से स्वीकृत होने तथा मन्त्रिमण्डल में जगह पाने की माँग की। स्वभावतः, लेकिन कदाचित् चुटिपूर्ण ढंग से, कांग्रेस ने यह माँग अस्वीकृत कर दी— जैसा कि इस दशा में कोई भी ब्रिटिश पार्टी करती। इसका परिणाम बुरा और अज्ञेयजी मस्तिष्क के लिए तो आश्चर्यजनक हुआ। लीग ने कांग्रेस का और जोर से विरोध प्रारम्भ कर दिया और इस तथा इसी प्रकार के अन्य मामलों के आधार पर कांग्रेस को शक्ति संगठित करने वाली एक Totalitarian Party कहा।^{१७} यहाँ इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं कि अपने बहुमत वाले प्रांतों में केवल कांग्रेसी-मन्त्रिमण्डलों की स्थापना से कांग्रेस ने गलती की या नहीं। इसमें आवश्यक

जात यह है। क अपने आर्थिक तथा राजनैतिक कार्यक्रमों के आधार पर कांग्रेस लीग के साथ सहयोग करने के लिए प्रस्तुत थी। पांडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में कांग्रेस को लिखा था और लीग से समझौता करने के लिए उद्योग प्रयत्न भी किए। किंतु लीग अपने तथा कांग्रेस के कार्यक्रमों के अंतर पर हाजिर देता रही। उसने इस अंतर को कभी स्पष्ट नहीं किया और कांग्रेस का मैत्रीपूर्ण हाथ पकड़ने से इंकार कर दिया। इस प्रकार समिन्धित मित्रमंडल ने उन सन्धियों का उत्तरदायित्व लीग पर है, कांग्रेस पर नहीं।

लीग और सरकार— मुस्लिम लीग की प्रागतशील विचारधारा का राष्ट्रीयता का आर विकास, १९१३ में उसको नात में पारवर्तन तथा कांग्रेस के साथ उसका सद्भावपूर्ण सम्बन्ध की कानों बताया जा चुका। इन दोनों सम्बन्धों के पारस्परिक सहयोग से सुधारों की कांग्रेस-लीग योजना का निर्माण हुआ। इस योजना में देश के विभिन्न विधानमण्डलों में मुस्लिम प्रातनिधित्व का समस्या का हल भी था। ब्रिटिश सरकार ने, देश की सभा पाटिया की स्वीकृत मिलन पर भी, योजना के सविधानिक तथा शासन-सम्बन्धी सुधारों का अस्वीकृत कर दिया, लेकिन साम्प्रदायिक समस्या के हल को उसने स्वीकृत कर लिया और उसे १९१६ के ऐक्ट के अनुसार लागू किये जाने वाले सुधारों का आधार बना दिया। उसने डिहूओं तथा मुसलमानों को जगल में दो हुई सीटों के अनुपात की आलोचना की और यह सुझाव सामने रखा कि मुसलमानों को दिया हुआ प्रातनिधित्व अपर्याप्त था। लखनऊ पैक्ट के अनुसार मुसलमानों को दी हुई ३४ सीटों के प्रजाय ४४ सीटें मिलनी चाहिये थीं। इन सब बातों का यह अर्थ स्पष्ट था कि विधानमण्डलों में प्रतिनिधित्व दृष्ट्याद मामलों में मुसलमानों को कांग्रेस की अनिश्चित सरकार से अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार प्राप्त हो सकता था। लेकिन मुसलमानों को अधिक सीटों का लाभ देने का इस सरकारी नाति से लखनऊ-पैक्ट पर बहुत धक्का पहुँचा।

राजनैतिक मामलों में कांग्रेस तथा लीग के बीच बढ़ते सद्भाव के कारण सरकार में प्रातनिधित्व उत्पन्न हुई और इस प्रतिनिधियों के फलस्वरूप उसने राजनैतिक सुधारों का और अधिक उपयुक्त समय के लिए दाल कर अपना ध्यान आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित कर लिया। मुसलमानों का अपने पक्ष में करने के लिए उसने पठानों तथा पञ्जाब मुसलमानों की सेना में नियुक्ति बढ़ा दी। यह ध्यान में रखना चाहिये कि पञ्जाब मुसलमान सरकार के बराबर स्वामिभक्त रहे हैं। मुसलमानों का पक्ष लेने तथा उसका साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने की यह नाति गोलमेव सम्मेलन के समय अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गयी। Communal Award के निष्पक्ष निरीक्षण से यह स्पष्ट हो जाया कि राष्ट्रीयता का टका साम्प्रदायिकता का प्रथम देना ही सरकारी नाति का प्रमुख उद्देश्य था।

प्रभी थोड़े समय पहले की राजनैतिक प्रगति के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि ब्रिटिश सरकार की सहायता के बिना मुस्लिम लीग को इतना महत्त्व कभी भी न मिलता। १९३७ के निर्वाचन में कांग्रेस द्वारा प्राप्त अद्वितीय सफलता ने सरकार को चौंका कर दिया और उसने कांग्रेस का बढ़ती शक्ति को कुचल देने का निश्चय कर लिया। श्री जिन्ना तथा उनकी लीग का कांग्रेस के विरुद्ध प्रयोग करने के अतिरिक्त उसने लिए कुछ और व्याभाविक न था। चुनाव में लीग का हराकर भी सर सिकन्दर हयात गॉ ने उसने प्रति आत्मसमर्पण को इसी आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार ने श्री जिन्ना के प्रति अपने दृष्टिकोण का बदल दिया और वह उन्हें अपना मित्र बनाना चाहती थी। मगत्मा गोंधा तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की मुक्ति तथा देश की राजनैतिक जिन्ना की समाप्ति के सम्बन्ध में श्री जिन्ना के दृष्टिकोण से यह शक्ति और पक्की हो जाता है। श्री फजलुल हक को पदच्युत करने में गगल के गवर्नर द्वारा लीगी-मन्निमडल निर्माण के मद्दे तरीके, लीग के लिए रास्ता माफ करने के उद्देश्य से सिन्ध के गवर्नर द्वारा श्री अल्लाहवाश की पदच्युति तथा आसाम तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में लीगी मन्निमडल निर्माण के तरीके को केवल इसी आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि सरकार तथा लीग के बीच एक गुप्त समझौता हो गया था।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना चाहिए कि ब्रिटिश अनुदार दल (British Conservative Party) तथा उसने प्रेस ने लीगी स्वत्वों का सदैव समर्थन किया है। वादमय भी यदि विचार विमर्श करते तो केवल मुस्लिम लीग से; राष्ट्रीय मुस्लिम पार्टियों का वे सदैव अस्वीकृत कर देते। किसी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति के लिए भी केवल मुस्लिम लीग चुनी जाती। इन सबके बदले में मुस्लिम लीग सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर सरकार से सहयोग करती।

हिन्दू महासभा तथा अन्य साम्प्रदायिक संस्थाएँ— देश के एक विशेष धार्मिक वर्ग के राजनैतिक हितों के लिए सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, लेकिन अपने दंग की वह अकेली संस्था नहीं। हिन्दुओं ने भी कुछ बाद में चलकर अपने हितों की रक्षा के लिए इसी के समान एक संस्था संगठित कर ली। जैसा कि अध्याय ४ में प्रदर्शित किया जा चुका है हिन्दू महासभा की स्थापना हिन्दुओं का संगठित करके उनकी संख्या तथा सम्कृति की रक्षा के तथा विनास के ख्ये से हुई थी। यह उन और राजनैतिक तथा सामाजिक समस्याओं को अपने हाथ में लेती जिन्का सभी हिन्दुओं से सम्बन्ध रहता। लेकिन इसने शीघ्र ही राजनैतिक कार्यक्रम भी बना

• देखिये हुमायूँ कबीर : op. ct , postscript पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त में कांग्रेस मन्निमडल फिर बन गया था।

लिए और इस सम्बन्ध में यह हिन्दू विचारधारा का भी प्रतिनिधित्व करने का प्रयत्न करने लगी। १९३० से इसने कांग्रेस पर हिन्दू-अधिकारों की अवहेलना का आक्षेप लगाना तथा उसे मुसलमानों का हितैषी चताना प्रारम्भ कर दिया। Communal Award के विरोध में आधार पर इसने केन्द्रीय विधान-सभा के चुनाव में भी भाग लिया। समय के साथ-साथ इसने अपने सांस्कृतिक उद्देश्य मुलादित्ये और मुस्लिम लीग के प्रतिउत्तर-म्बरूप यह हिन्दुओं की एक साम्प्रदायिक राजनैतिक सस्था बन गयी। लेकिन एक राजनैतिक सस्था के रूप में यह कांग्रेस या मुस्लिम लीग की बराबरी न कर सकी। ब्रिटिश सरकार ने इसे कभी भी हिन्दुओं की प्रतिनिधि-सस्था न माना। १९४६ में इसने कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव में भी हिस्सा लिया लेकिन उसे बड़ी बुरी हार खानी पड़ी, इनके अधिकतर उम्मीदवारों की बमानते जन्व कर ला गयीं।

राजनैतिक क्षेत्र में इसने कांग्रेस के पूर्ण स्वराज के ध्येय का अपनाया किन्तु औपनिवेशिक पद का तुरन्त स्वीकृति के लिए भी वह प्रस्तुत थी। अहिंसा का प्रश्न पर इसका कांग्रेस से मतभेद है, यह हिन्दुओं में सैनिक वीरता भरना चाहती है। यह प्राचीन हिन्दुओं की सैनिक वीरता लौटाना चाहती है और कुछ सत्रत्व तो 'हिन्दू राज' स्थापित करना चाहते हैं। यह भारत को Secular State बनाने के काममें धेर का निश्चित रूप में विरोध करती है, और यदि इसमें शक्ति होती तो यह पाकिस्तान के मुस्लिम राज के विरुद्ध भारत को हिन्दू राज बना देता। यह पाकिस्तान का एक स्वतन्त्र राज के रूप में स्थापना का सदैव विरोध करती रही और आज भी इनका अखंड हिन्दुस्तान में विश्वास है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हिन्दू महासभा ने हिन्दुओं को १५ अगस्त १९४७ को खुशियाँ न मनाने का आदेश दिया क्योंकि देश का दो टुकड़ों में विभाजन हो गया था। बाद में चलकर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अपना साम्प्रदायिक मॉर्गेण् स्वीकृत करने पर इसने Direct Action प्रारम्भ कर दिया लेकिन थोड़े दिनों पश्चात् यह आन्दोलन उठा लिया गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुद्ध रूप से एक राजनैतिक सस्था नहीं है और हिन्दू महासभा से इसका कोई वैधानिक सम्बन्ध नहीं है, फिर भी दोनों में बड़ी समानता है। इन दोनों का अखण्ड भारत में विश्वास है और दोनों हिन्दू राज्य की स्थापना के इच्छुक हैं। ३० जनवरी १९४८ को महात्मा गान्धी की हत्या के बाद दोनों सस्थाएँ अथैध घोषित कर दी गयी थीं।

सिक्खों, दलित वर्गों, यूरापियनों तथा आर्यभारतीयों की भी अपनी-अपनी राजनैतिक सस्थाएँ थीं। किन्तु भी नये संविधान में उनमें से प्रत्येक राजनैतिक शक्ति में कुछ न कुछ हिस्से की इच्छुक रहती। विधान सभाया तथा सरकारी नौकरियों में

अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व की उनकी माँगों ने बड़ी विषम साम्प्रदायिक समस्या उत्पन्न कर दी थी जिसने सम्बन्ध में पहले प्रकाश डाला जा चुका है। इस प्रश्न पर अनेक वर्गों ने आपसी ममभौते के अभाव के कारण देश की स्वतन्त्रता की योजना के विकास में बड़ी अडचन पड़ी है। ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिक समस्या के हल को वैधानिक प्रश्न पर विचार-विमर्श के लिए एक आवश्यक शर्त बनाये रक्खा। गोलमेत्र सम्मेलन की अल्पसंख्यक सहायक समिति (Minorities Sub Committee) इस गम्भीर प्रश्न का कोई हल न दे सकी, परिणाम-स्वरूप ब्रिटिश प्रधान-मंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने एक ऐसा Award दिया जिसने पूना पैक्ट द्वारा सशोधित होकर १९३५ के ऐक्ट में देश की विधान सभाओं में विभिन्न वर्गों की सीटें निश्चित कीं।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार— १९०६ के माले मिन्टा सुधारों के अनुसार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण की कहानी पहले कही जा चुकी है। हालाँकि लॉर्ड माले इस सिद्धान्त के एकदम विरुद्ध थे लेकिन भारत सरकार के आगे उनका एक न चर्चा, वह मुसलमानों के साथ विशेष व्यवहार करना चाहती थी इसलिए मुसलमानों के लिए अलग साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त की स्वीकृति तथा उसके सविधान में सम्मिलित हुए बिना वह किसी भी वैधानिक सुधार योजना को स्वीकृत करने के लिए प्रस्तुत न थी। भारत सरकार का इस निश्चित माँग की लॉर्ड माले किसी भी प्रकार उपेक्षा न कर सकते थे क्योंकि ब्रिटिश कैबिनेट ने उन पर यह शर्त लाद दी थी कि अपना किसी भी सुधार-योजना में उन्हें भारत-सरकार को अपने साथ ले चलना था। राष्ट्रीयता तथा लाकतन्त्र, दोनों के प्रतिफल होने के कारण कांग्रेस भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं थी, फिर भी उसे मुस्लिम लीग के आगे झुकना पड़ा और १९१६ का कांग्रेस लीग-योजना में इस सिद्धान्त को भी स्थान दिया गया। बाद में चलकर यह सिद्धान्त अन्य वर्गों— सिक्ख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय, श्रमिक, उद्योग तथा वाणिज्य-व्यवसाय, जमींदार तथा देशी राजों तक— के लिए भी स्वीकृत कर लिया गया। बाद में आने वाली प्रत्येक सुधार योजना से इस सिद्धान्त की व्याप्ति (Scope) बढ़ती गयी। भारत सरकार के १९१६ के ऐक्ट के अनुसार नए नियमों के अन्तर्गत मुसलमानों, सिक्ख तथा यूरोपियन वाणिज्य व्यवसाय (Commerce) को केन्द्रीय विधानमंडल तथा इनके साथ जमींदारों को प्रांतीय विधान सभाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, श्रम तथा दलित वर्गों को यह सुविधा नहीं दी गयी, धारा-सभाओं में उनके प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता था। इस दिशा में Communal Award और भी आगे बढ़ा, इसने भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों, श्रम, उद्योग तथा वाणिज्य

व्यवसाय तथा रिश्वतों तक के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त स्वीकृत कर लिया, गाँवों के इसका सन्त विरोध कर रही थीं। Communal Award ने दलित वर्गों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। लेकिन १९३२ में यरवदा जेल में गांधी जी के ऐतिहासिक उपवास के कारण सर्वार्थ हिंदुओं तथा दलित वर्गों में समझौता हो गया और यह योजना हटा लेनी पड़ी।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के दोष— साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली को स्वतन्त्र भारत ने त्याग दिया है, फिर भी, उसके दोषों के सम्बन्ध में यहाँ कुछ शब्द कह देना उपयुक्त होगा। धर्म तथा जाति के आधार पर वोट देने वाला का विभाजन और अपने प्रतिनिधि चुनने का उन्हें अधिकार भारत के लिए ये नई चीजें थीं, लका और केनया को छोड़ कर यह प्रथा ससार में और कहीं नहीं पाई जाती। अन्य देशों में निर्वाचन-क्षेत्र क्षेत्रफल के आधार पर बँट है, धार्मिक या जातीय आधार पर नहीं। देशी की राष्ट्रिय विचारधारा ने इसे कभी भी उपयुक्त और लाभप्रद नहीं माना, इसने इसे सदैव राष्ट्र विरुद्ध, लोकतन्त्र विरुद्ध तथा इतिहास की शिक्षाओं के विरुद्ध माना है। इस प्रणाली से देश अनेक धार्मिक तथा जातीय टुकड़ों में बँट जाता है और प्रत्येक एक दूसरे का ध्यान न रख कर अपने मनमानी हितों की रक्षा के लिए हाथ प्रयत्नशील रहता है। कोई भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधि दूसरे वर्ग के सदस्यों को अपना प्रतिद्वन्दी मानता है, ऐसा नागरिक नहीं जिसकी सद्भावना और सन्ध्या दोनों का भलाई के लिए आवश्यक है। साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों ने इस प्रकार देश की नागरिकता के विकास में बड़ा धक्का पहुँचाया है। इस प्रणाली का राष्ट्र-विरोधी रूप सबसे अच्छी प्रकार इस बात द्वारा स्पष्ट होता है कि मुस्लिम लीग के सिद्धान्त के अनुसार इहूदू तथा मुसलमान ऐसे दो राष्ट्रों के नागरिक हैं जिनमें कोई भी चीज उभयनिष्ठ नहीं। पाकिस्तान की मांग भी इसी गहिरे प्रणाली का परिणाम थी।

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त लावतन्त्र विरुद्ध है— इसके अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। इस सत्य को ब्रिटिश राजनातिशॉ लॉर्ड माल और माँटेग््यू से लेकर १९२८ में भारत में आने वाले वैधानिक कमीशन के अध्यक्ष सर जान साइमन तक ने स्वीकृत किया है। यह पारस्परिक नागरिकता तथा सद्भाव की उन भावनाओं को नष्ट कर देता है जिनके अभाव में वास्तविक लोकतन्त्र की कल्पना असम्भव है। लोकतन्त्र का मूल इस बात में सर्वप्रथम है कि राजनैतिक दृष्टि से जो अल्पसंख्यक हैं वे भी कल नहुसखक बनकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन साम्प्रदायिक क्षेत्रों के निर्माण से अब तक कोई अनहोनी घटना न हो जाय यह चीज असम्भव है। इस प्रणाली के अनुसार मुसलमान न तो केन्द्रीय सरकार में राजनैतिक प्रभुत्व स्थापित कर सकते थे न उन प्रांतों में जहाँ वे अल्पसंख्यक थे।

उसी प्रकार हिन्दू भी प्रगल्भ तथा पञ्जाब जैसे प्रान्तों के शासन में भाग नहीं ले सकते थे। इसी वास्तविकता से श्री मुहम्मद अली जिन्ना तथा मुस्लिम लीग ने यह अर्थ निहाल लिया था कि लाकतन्न का भारत में सफलता नहीं मिल सकती। यह सत्य है कि साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अब तक किसी देश के सामाजिक तथा राजनैतिक जीवन को दूषित करती रहेगी, वास्तविक लाकतन्न की उसमें स्थापना अशक्य है।

लोकनन्दात्मक सस्थाओं को चलााने के लिए राजनैतिक पार्टियाँ की आवश्यकता पडती है। आर्थिक तथा राजनैतिक आचारों पर राजनैतिक पार्टियाँ का निर्माण सबसे अच्छा होता है। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली में उनका निर्माण धार्मिक आधार पर होता है। प्रतिनिधियों का चुनाव धार्मिक आधारों पर होने लगता है जिसमें धार्मिक कट्टरता तथा विद्वेष को अपना प्रभाव टिपलाने का पूरा प्रवसर मिलता है। अनेक लोगों की यह धारणा है कि साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों के ऊपर हिन्दू मुस्लिम विद्वेष का बहुत कुछ उत्तरदायित्व है। यह भी कहा जाता है कि यह सिद्धान्त शासन सम्बन्धी पुशलता के लिए भी हानिप्रद है। अपने धर्मानुयायियों की इच्छा पर निर्भर रहने वाले मन्त्रियों से पद-नियुक्ति या शासन के अन्य कार्यों में साम्प्रदायिक विचारों की उपेक्षा की आशा कैसे की जा सकती है।

साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के दावा के उपर दिए हुए विवेचन से यह स्पष्ट हो जायगा कि अल्पसख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सबसे अधिक लाभप्रद तथा सतेपप्रद व्यवस्था नहीं है। इस व्यवस्था से न तो अल्पसख्यकों का हित होता है न राष्ट्र का। अपने देश में हुए अनुभवों से इस कथन की सत्यता अच्छी प्रकार सिद्ध हो जाती है। हानिप्रद होते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने इसे इत्याय नहीं। ब्रिटिश सरकार का इस व्यवस्था को सुरक्षित रखने तथा कुछ अल्पसख्यकों को इसके चिपने रहने के कारणों का विवेचन यहाँ अनुपयुक्त न होगा।

ब्रिटिश सरकार द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों को प्रश्रय देने तथा उन्हें विस्तृत करने के कारणों का विवेचन हो चुका है। यह व्यवस्था सरकार के 'विभाजन द्वारा शासन' करने की नीति के एकदम अनुकूल पडती थी।* इसी

* १९०६ में जिस दिन गवर्नर-जनरल ने मुस्लिम डेप्युटेशन से मुलाकात की उर्मा, दिन एक ऊँचे मरक़ार पदाधिकारी द्वारा लेडी मिन्टो के पास लिखे पत्र से इस विषय पर बड़ा प्रस्नश पडता है। पत्र में निम्नलिखित शब्द भी थे :

“मुझे आपने फस यह बतलाने के लिए एक पक्ति अवश्य लिखनी चाहिये कि आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है। यह घटना भारत तथा भारतीय इतिहास पर बहुत समय तक प्रभाव रकतेगा। यह घटना ६ कराइ २ लाख व्यक्तियों की राजनैतिक मित्राह में भाग लेने से राक लेगी।”

लेडी मिन्टो ने अपनी डायरी में यह लिख लिया था कि भारतीय इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना थी।

व्यवस्था द्वारा वह एक वर्ग को दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके अपने शासन को स्थायी बनाए रखना चाहती थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा भारतीय राष्ट्रीयता के बीच लड़ाई में झड़कन डालने के लिए यह नीति अपनायी गयी थी। इस उद्देश्य से भारतीय समाज के कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों ने भी इस गहित नीति को अपना लिया था। ऐसा करके वे ऊँचे ऊँचे पद तथा नौकरियों प्राप्त करना चाहते थे। अल्प-संख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए ही साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की माँग की गयी थी। लेकिन इन अधिकारों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जायगा कि बेकारी दूर करने तथा नौकरियों के आश्वासन के अतिरिक्त वे अन्य कुछ नहीं हैं। नेता बनने का इच्छुक व्यक्ति ही साम्प्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों का पक्ष करेगा क्योंकि वह जानता है कि इसी की शरण लेने से वह ऊँचा पद प्राप्त कर सकेगा। अन्य वर्गों के योग्य व्यक्तियों के मुकाबले उसका कुछ भी मूल्य न रहेगा। डा० बी० कृष्ण ने इस सत्य को इन शब्दों में बहुत अच्छी प्रकार व्यक्त किया है - 'भारत में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का इतिहास पढ़े लिखे पिछड़े मध्यम वर्ग तथा राजनैतिक रूप से प्रभावशाली नौकरी-पेशावालों के बीच वर्ग संघर्ष का इतिहास है।'^{*}

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साम्प्रदायिक समस्या का धार्मिक मामलों से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका मुख्य सम्बन्ध फौजदारी साठों तथा सरकारी नौकरियों से था। इसका अतिरिक्त इसका देश का साधारण जनता से भी कोई सम्बन्ध नहीं था, यह विभिन्न वर्गों के कुछ थोड़े लोगों तक ही सीमित था। कांग्रेस के Election Manifesto के निम्नलिखित शब्दों से इस कथन का पुष्ट होता है

'यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि सारा साम्प्रदायिक समस्या का, चाहे वह कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, देश की प्रमुख समस्याओं— भयंकर गरीबी तथा बेकारी— से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कोई धार्मिक समस्या नहीं है और इससे कुछ देने गिने लोगों पर ही प्रभाव पड़ता है। किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, सौदागरों तथा सभी वर्गों के निचले मध्यम स्तर के लोगों से इस समस्या का कोई सम्बन्ध नहीं है। उनके ऊपर लदा बोझ ज्यों का त्यों है।'

साम्प्रदायिक समस्या का प्रादुर्भाव भारतीय स्थिति के प्रति ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनायी नीति के फलस्वरूप ही हुआ था— इस कथन का पुष्टि इस सत्य से होती है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद अब ऐसी कोई समस्या नहीं रह गयी है। आज सभी धर्मनिरपेक्ष पारस्परिक सद्भाव तथा शान्ति से रह रहे हैं। साम्प्रदायिक झगड़े तथा वैषम्य अतीत की वस्तु बन गये हैं।

साम्प्रदायिक निर्णय— जिन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार को साम्प्रदायिक समस्या में हस्तक्षेप करना तथा उस पर अपना निर्णय देना पड़ा, उनका विवेचन हो

* टी प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, पृष्ठ २०८।

सुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल न हो सका। पहले तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बीच भारत में भी इसे मुलभूतने का प्रयत्न असफल रहा। अल्पसंख्यक समिति (The Minorities Committee), जिसमें महात्मा गाँधी भी सम्मिलित थे, भी इस समस्या पर कोई समझौता कर सकने में असफल रही। इस समस्या का विना निवृत्तारा हुए फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी भी अपना कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकती थी। मुस्लिम लीग ने अपनी मागों स्वीकृत हुए विना इसकी कार्यवाही में भाग लेने से इन्कार कर दिया। इसलिये ब्रिटिश सरकार के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना तथा प्रतिनिधित्व की अपनी योजना की धारणा करना आवश्यक हो गया। यह योजना १६ अगस्त १९३२ को लन्दन तथा शिमल से साथ साथ प्रकाशित होने वाले Communal Award में दी हुई है।

Award विधान मंडलों में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या तथा चुनाव के तरीके—कवल इन दो आधारमूल प्रश्नों तक ही सीमित है। अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा हो रही महान् क्षति का ध्यान करके भारत की राष्ट्रीय विचारधारा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए सारे सुरक्षित रखने तथा अतिरिक्त (Additional) सीटों के लिए चुनाव लड़ने के उनके अधिकार के साथ सम्मिलित निर्वाचन-क्षेत्रों के पक्ष में थी। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के त्याग के लिए प्रस्तुत नहीं था, इसलिए Award ने अलग निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त सुरक्षित रक्खा और इसे १९१६ के एकट के नियमों के अनुसार गैर-मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में सम्मिलित वर्गों पर भी लागू कर दिया। दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण इस Award का निहृष्टम विरोधता थी और इसी ने महात्मा जी को यरवदा जेल में अपना ऐतिहासिक उपवास प्रारम्भ करने के लिए विवश किया। बाद में चलकर सर्वश्रेष्ठ हिन्दुओं तथा दलित वर्गों में 'पूना पैक' के अनुसार समझौता हो गया और परिणामस्वरूप यात्रा का यह विधान नष्ट कर देना पड़ा।

Award ने मुसलमानों, सिक्खों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल-भारतीयों, यूरेशियनों, अम, उद्योग तथा वाणिज्य व्यवसाय, जमींदारों, विश्वविद्यालयों तथा औरतों के लिए प्रान्तीय विधान मंडलों में सीटें निर्दिष्ट कर दीं और चुनाव के लिए विशेष प्रयत्न भी किया। अगर्ई में मराठों तथा पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के लिए सारे सुरक्षित रक्खा गयी।

रेमसे मैकडोनल्ड के अनुसार Award में दी गयी प्रतिनिधित्व की योजना 'विरोधी तथा प्रतिस्पर्धी अधिकारों के बीच संतुलन का सच्चा प्रयत्न था, फिर भी यह सरलता पूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है कि कुछ वर्गों का तो अत्यधिक पक्ष लिया गया था

और कुल्लू की उपेक्षा की गयी थी। यह योजना यूरोपियों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रति सबसे अधिक उदार थी। मुसलमानों की भी अधिकतर माँगें स्वाकृत कर ली गयी थीं। किन्तु हिन्दुओं के प्रति सबसे अधिक अन्याय हुआ था।

बंगाल के हिन्दुओं के प्रति सबसे अन्याय तथा उस प्रांत के यूरोपियों तथा आंग्ल भारतीयों का अत्यधिक पक्ष इस तथ्य से प्रकट होता है कि पूरी जन-संख्या के ४६८% हिन्दुओं को प्रान्तीय विधान सभा का सीटों का ३२% दिया गया था किन्तु यूरोपियों को, जो पूरी जन संख्या के एक प्रतिशत के एक दमवें से भी कम अर्थात् ०१% थे, सीटों का २५% दिया गया। आंग्ल भारतीयों की संख्या कुल जन संख्या की एक प्रति हजार थी, फिर भी उन्हें सीटों का १६% दिया गया। दूसरे शब्दों में, हिन्दुओं को जहाँ जन-संख्या के अनुपात से कम सीटें दी गईं, यूरोपियों को २५०००% तथा आंग्ल-भारतीयों को ३०००% weightage दिया गया।* यदि विभिन्न वर्गों के बीच सीटों का यह विभाजन उपयुक्त तथा न्यायपूर्ण है तो समझ में नहीं आता अनुपयुक्त तथा अन्यायपूर्ण विभाजन क्या होगा। पंजाब में हिन्दू अल्पसंख्यक थे, फिर भी जन संख्या के आधार पर उन्हें जितनी सीटें मिलनी चाहियें थीं, उससे बहुत कम दी गईं। पंजाब में सिक्खों को, जो कुल जन संख्या के लगभग १३% थे, सीटों का १८३% दिया गया। लेकिन अन्य प्रांतों में इसी प्रकार के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया, उदाहरण-स्वरूप उत्तर प्रदेश में, जहाँ वे कुल जन संख्या के १५% थे, उन्हें सीटों का ३०% दिया गया। यही दशा बम्बई, मध्य-प्रदेश, मद्रास, बिहार तथा आसाम की भी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मुसलमानों के मुकाबिले सिक्खों का ध्यान कम रखा गया। Award द्वारा विभिन्न वर्गों को दी गयी सीटों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जायगा कि किसी वर्ग की स्थिति उसमें राष्ट्रीयता के विरोध तथा शासकों के लिए उसके महत्त्व से जोंची गयी थी।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों का निर्माण अल्पसंख्यकों के हितों का रक्षा के उद्देश्य से हुआ था। लेकिन Award ने पंजाब, सिन्ध, पाश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त तथा बंगाल के बहुमतों को अलग साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्र दे दिये। इन प्रान्तों के अल्पमतों ने अपने लिए अलग निर्वाचन-क्षेत्रों की कभी भी माँग न की, लेकिन उनके ऊपर वे जबरदस्ती लाद दिये गए। Award ने कांग्रेस तथा लीग के बीच हुए लखनऊ सम्मेलन के अस्वाकृत कर दिया किन्तु मुसलमानों को इसमें दिये Weightage को सुरक्षित रखा। Award का यह कार्य एकदम अन्यायपूर्ण तथा तर्कहीन था। लखनऊ-पैक्ट या तो

* दी कम्प्यूनाल ट्रेनिंग, पृष्ठ ७४।

पूर्ण रूप से स्वीकृत होता या एकदम से अस्वीकृत, इसके एक भाग को स्वीकृत तथा दूसरे को अस्वीकृत करने में कोई तर्क नहीं।

ब्रिटिश सरकार का कहना यह था कि यह Award अस्थायी था। जिसका अर्थ यह था कि इससे अच्छी वह ऐसी कोई भी योजना स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत थी जिस पर सभी वर्गों में समझौता हो गया होता। यह समझौता 'सुधार बिल' के कानून बन जाने के पूर्व ही हो जाना चाहिए था।

निर्णय के प्रति देश के व्यापक असन्तोष, तथा पूना पैक्ट द्वारा दलित वर्गों की समस्या के निराकरण ने मौलाना अबुलकलाम आजाद, डा० सैयद महमूद, प० मदनमोहन मालवीय तथा मौलाना शौकतअली को नए निरे से प्रयत्न करने के लिए प्रेरित किया जिससे न केवल Award को हटा कर एक दूसरी योजना का निर्माण होता बल्कि साम्प्रदायिक समस्या का भी हमेशा के लिए एक प्रतिष्ठापूर्ण हल हो जाता। मौलाना शौकतअली ने सरकार से महात्मा गांधी को इस कार्य में सहायता देने के लिए छोड़ देने या जेल में ही उनसे मिलने-जुलने की अनुमति देने की अपील की। सरकार ने मौलाना साहब की विनय अस्वीकृत कर दी और साम्प्रदायिक समझौते का कार्य महात्मा गांधी की सहायता या उनके पथ-प्रदर्शन के बिना ही प्रारम्भ किया गया। हिन्दू, सिक्ख, मुसलमान तथा ईसाई प्रतिनिधियों की सहायता से १९३२ की नवम्बर में इलाहाबाद में एक ऐक्य-सम्मेलन (Unity Conference) किया गया। इस सम्मेलन ने विभिन्न वर्गों में समझौता करने के उद्देश्य से योजनाओं पर विचार विमर्श के लिये एक कमेटी नियुक्त की। इसके सदस्यों में रामानन्द चटर्जी, अबुलकलाम आजाद, शौकतअली, चम्बवर्ती राजगोपालाचारी तथा प० मालवीय भी सम्मिलित थे। इस कमेटी की बैठक ३ नवम्बर से १७ नवम्बर तक हुई और उसमें कुछ निष्पत्ती भी किये गये। इन निर्णयों को विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने वर्ग के समक्ष रखा। इन योजनाओं पर विभिन्न वर्गों के विचारों तथा उनके द्वारा मुख्यतः सुधारों पर ऐक्य सम्मेलन ने २३ दिसम्बर १९३२ से इलाहाबाद में हुये अपने तीसरे अधिवेशन में विचार-विमर्श किया। इस सम्मेलन में सभी प्रमुख समस्याओं पर पूर्ण समझौता हुआ। यह समझौता काफी लम्बा है जिसमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान-मंडलों में विभिन्न वर्गों की सीटों तथा चुनाव के तरीके के अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों— नागरिकों के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों के धार्मिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों तथा व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा, कैबिनेटों के निर्माण— का भी विवेचन है। पारस्परिक सद्भाव द्वारा साम्प्रदायिक समस्या के हल में यह समझौता अद्वितीय है।

लगभग सभी विवादास्पद विषयों पर समझौता प्राप्त करके नगल विधान मण्डल में यूरोपियन-वर्ग के प्रतिनिधित्व की समस्या मुन्नाबाने के लिये

ऐक्य सम्मेलन की सहायक-समिति (Sub-committee) ने कलकत्ता जाने का निश्चय किया। उमाल में यूरोपियों की सख्या कुल जनसख्या की ०१% थी, फिर भी उन्हें सींगों का २५% दिया गया था। उसे इतना अधिक Weightage देना सम्भव नहीं था। इस महत्वपूर्ण अवसर पर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्याशित रूप में हस्तक्षेप कर दिया, गालमेज सम्मेलन के तीसरे अधिवेशन के अवसर पर भारत-मन्त्री ने यह घोषणा कर दी कि ऐक्य सम्मेलन में मुसलमानों द्वारा स्वीकृत सींगों का ३२% के बजाय वे उन्हें केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की ब्रिटिश भारत की सींगों का ३३½% देने के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने उपयुक्त आर्थिक सहायता के साथ सिन्ध को बम्बई से अलग करके उसे एक नया सूबा बना देने के अपने निश्चय की भी घोषणा की। इस नए प्रान्त में हिन्दू अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा गया। ऐक्य-सम्मेलन भी सिन्ध का एक अलग प्रान्त बना देने के लिए प्रस्तुत था किन्तु हिन्दू-अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा केन्द्रीय सरकार से बिना किसी प्रकार की सहायता लिए हुए। इन घोषणाओं ने ऐक्य-सम्मेलन का कार्य व्यर्थ कर दिया। ब्रिटिश चालबाजी को धन्यवाद है जिसने सम्मेलन का साग पारश्रम व्यर्थ कर दिया और साम्प्रदायिक समस्या बढ़ा रह गई जहाँ Award ने उसे छाना था।

भारत में शिक्षा

परिचय— शिक्षा को अच्छे नागरिक जीवन का आधार ठीक ही कहा है। शिक्षा की अच्छाई तथा शिक्षित लोगों की संख्या पर ही किसी समाज की भलाई बहुत सीमा तक निर्भर है। जो व्यक्ति शिक्षा-प्रणाली तथा उसके सिद्धान्तों में परिवर्तन करता है वही लोगों की आदतों तथा जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करता है। इसलिए भारतीय नागरिक जीवन के विद्यार्थी के लिए यह जानना आवश्यक है कि यहाँ के नागरिकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है और उस शिक्षा का उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या है।

अपने देश में प्रचलित आज की शिक्षा-प्रणाली ब्रिटिश शासकों द्वारा समय-समय पर अपनायी गयी नीति का परिणाम है। कुछ गुज्जुलों, रवीन्द्रनाथ टागोर द्वारा प्रारम्भ किए हुए शान्तिनिकेतन, असहयोग आन्दोलन के अवसर पर प्रारम्भ हुई कुछ संस्थाओं, कुछ मुस्लिम मदरसों तथा परम्परागत प्रणाली पर चलाई जाने वाली अनेक पाठशालाओं को छोड़ कर, शिक्षा की सारी प्रणाली विदेशों की नकल है। यह राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति का और उन्मुख नहीं है। यह राष्ट्रीय नहीं है क्योंकि इसकी उत्पत्ति इस देश से नहीं हुई है। यह हमारे अतीत, हमारे वातावरण तथा हमारी आवश्यकताओं से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए इसका स्वरूप समझने और इसके गुण-दोषों की विवेचना के लिए अतीत की ओर मुड़ने और अपने इतिहास के हिन्दू तथा मुसलमान-युगों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली के विवेचन की आवश्यकता नहीं है। हम वचन दतना ही करना उपयुक्त समझेंगे कि अंग्रेजों के आने से पहले देश निरक्षर नहीं था। शिक्षा की दृष्टि से वह अपने समय के किसी भी यूरोपियन देश से नहीं आगे था। मिस्टर कर हाडा का रचना के निम्नलिखित अंश से इस कथन का पुष्टि होती है 'सरकारों कागर्जों तथा मिशन सम्बन्धी रिपोर्टों के आधार पर अंग्रेजों के आने से पहले बंगाल की शिक्षा स्थिति के विषय में मैक्स मूलर का कहना है कि बंगाल में ८०,००० स्कूल या कुल जन-संख्या के प्रत्येक ४०० व्यक्तियों के पीछे एक स्कूल था।' अर्थात् ब्रिटिश भारत के इतिहास में लडलाऊ कहते हैं, "मुझे विश्वास है कि अंग्रेजों पुरानों परम्परा बनाये रखने वाले प्रत्येक हिन्दू ग्राम के अधिकतर बच्चों को सिखाने, पढ़ाने तथा कुछ गणित का ज्ञान अवश्य है। लेकिन बंगाल की तरह जहाँ हमने ग्राम-प्रणाली का विनाश कर दिया है, ग्राम स्कूल भी लुप्त हो गया है।" यह ध्यान में रखना चाहिये कि अंग्रेजी शासन के पहले के भारत में

शिक्षा का भार राज्य के ऊपर नहीं रहता था। जो धन शिक्षा पर व्यय किया जाता था वह जनता से कर के रूप में वसूल नहीं किया जाता था। उच्च शिक्षा न अनेक विद्यालय धनी व्यक्तियों तथा शासकों की उदारता पर निर्भर रहते थे। स्कूलों तथा विद्यार्थियों की प्रमुख सहायता लोगों के स्वेच्छापूर्वक दान द्वारा होती थी। प्राचीन तथा मध्य-कालीन शिक्षा-प्रणाली पर इन थोड़े शब्दों से हम इसका ब्रिटिश युग में विकास की ओर बढ़ते हैं।

ब्रिटिश सरकार के शिक्षा-सम्बन्धी उद्देश्य— शिक्षा ने उद्देश्य से ही शिक्षा के वास्तविक रूप तथा संगठन का पता चलता है। इसलिए हम यह जानना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय नवजगनों के लिए वर्तमान शिक्षा प्रणाली निश्चित करने में ब्रिटिश शासकों का उद्देश्य क्या था। यदि शिक्षा-प्रणाली भिन्न हुई होती तो अंग्रेजों को भारत में वह स्थान न मिलता जो उनका मिला। जापान की शिक्षा-प्रणाली हमारी शिक्षा-प्रणाली से एकदम भिन्न है और इसी लिए उसके परिणाम भी एकदम भिन्न हैं। इस भिन्नता का कारण यह है कि द्वितीय महायुद्ध के पहले जापानी सरकार के उद्देश्य विलकुल भिन्न थे।

इतिहास के एक नाजुक समय पर जिन लोगों ने हमारी शिक्षा प्रणाली का रूप निश्चित किया उनके उद्देश्यों का पता लगाना कठिन नहीं है। वारेन हेस्टिंग्स ने सबसे पहले १७८१ में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की और १८१३ के चार्टर ने भारतीयों की बौद्धिक उन्नति के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक लाख रुपये अलग रख लेने का अधिकार भी दिया, पर भी भारत की शिक्षा-सम्बन्धी नीति के वास्तविक जननता लॉर्ड मैकाले थे। उनके हाथ शक्तिपूर्ण पद के कारण प्राच्य (Oriental) विद्याशास्त्र को प्रश्रय देने की पुरानी नीति को छोड़कर पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के प्रसार की नीति अपनायी गयी। इसी समय से पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की रक्षा तथा प्रसार भारत सरकार की निश्चिन्त नीति बन गयी। भारतीय दर्शन, साहित्य तथा धर्म की उपेक्षा और भारतीयों को अंग्रेजी— एक विदेशी भाषा— द्वारा शिक्षा प्रदान इस नीति के परिणाम हुए।

हमारा सम्बन्ध अभी भारतीय शिक्षा प्रणाली के दोषों से उतना नहीं है जितना लॉर्ड मैकाले को इसे १८३५ में अंग्रेजों के रंग में रंग देने के लिए प्रेरित करने वाले उद्देश्यों से। इन उद्देश्यों का सर्वोत्तम राष्ट्रीयकरण उनका अपने ही शब्दों द्वारा किया जा सकता है। १८३६ में उन्होंने अपने एक भिन्न को इस प्रकार लिखा 'अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त कोई भी हिन्दू अपने धर्म के प्रति सच्चा नहीं रह पाता। मेरा यह पक्का विश्वास है कि यदि हम लोगों की शिक्षा-योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित हो गई तो आज से तीस वर्ष बाद जगल के प्रतिष्ठित वर्ग में कोई भी मूर्तिपूजक न रहेगा। और यह सब उनकी धार्मिक स्वतन्त्रता में बिना कोई अड़चन पहुँचाये, केवल

पश्चिमी ज्ञान के प्रसार से अपने आप हो जायगा।' मैकाले के इस पत्र से कुछ लोग यह अर्थ निकालेंगे कि उनका उद्देश्य भारतीयों को उनके परम्परागत धर्म से अलग दृष्टकर ईसाई बना लेना था। ऐसा होना सम्भव हो सकता है किन्तु उनका आन्तरिक उद्देश्य कुछ और था। पाश्चात्य शिक्षा ने उनकी ही तरह कष्ट पोषक तथा उनके अपने-बहनोंई सर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने इसे बड़ी अच्छी प्रकार व्यक्त किया है। १८५३ में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेट्री के सामने अपने बक्तव्य में उन्होंने कहा था कि ग्ररने धार्मिक दृष्टिकोण के कारण हिन्दू अंग्रेजों को ग्लेच्छ या अपवित्र मानते थे और इसी लिए उनके साथ वे कोई सम्बन्ध रखना धर्मविरुद्ध समझते थे। मुसलमानों के विचार भी इसी प्रकार के थे, वे उन्हें काफिर या अपवित्र लुटेरे समझते थे। इस प्रकार भारत की इन दो प्रमुख जातियों को अंग्रेजों से स्वभावतः घृणा थी। सर ट्रेवेलियन के अनुसार पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से भारतीयों के स्वभाव में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता था। अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त युवक से यह आशा थी कि वह स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए प्रयत्न छोड़ देता और अंग्रेजों को अपना रक्षक तथा मित्र मानने लगता। ऐसी ही कोई चाज लॉर्ड मैकाले ने मन्तिष्क में भी रखी होगी— यह इस बात से सिद्ध होता है कि वह अपनी शिक्षा-योजना से भारतीयों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहते थे जो 'रक्त तथा रग से तो भारतीय होता किन्तु रुचि, विचार, शब्द तथा मन्तिष्क से अंग्रेज'। इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा प्रसार का प्रमुख उद्देश्य पड़े-लिखे वर्ग की ब्रिटिश सरकार के प्रति स्वाभिभक्ति का सर्व-माधारण में प्रसार तथा अन्त में भारत की साम्प्रतिक विजय था।

इसके अतिरिक्त एक और उद्देश्य भी था। देश के शासन के लिए सरकार को अंग्रेजी पढ़े लिखे ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो इंग्लैंड से आये सिरिल सर्वेन्टों की बनिबन्त बहुत कम वेतन पर कार्य करने के लिए प्रस्तुत रहते। स्वयं लॉर्ड मैकाले के अनुसार अंग्रेजों पढ़े लिखे ऐसे भारतीयों की आवश्यकता थी जो 'हमारे तथा हमसे शामिल सार्वभौमिक व्यक्तियों के बीच दुभाषिये का काम कर सकें'। कलकत्ते के न्यायालय में योग्य हिन्दुओं तथा मुसलमानों की सेवाएँ प्राप्त करने के उद्देश्य से ही वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ते में मुसलमानों के लिए एक मदरसा तथा हिन्दुओं के लिए बनारस में इससे बहुत पहले एक सम्प्रत कॉलेज खोला था। इस प्रकार ब्रिटिश शासकों का शिक्षा-सम्बन्धी नीति का प्रमुख उद्देश्य राजनैतिक था। भारतीयों की दृष्टि में उन्नति, उनके गीच ज्ञान के प्रसार, या राष्ट्रीय उद्योग धंधों के विकास या अच्छी नागरिकता या नागरिक उत्तरदायित्व की किसी भी भावना को प्रथम देने के ध्येय से पाश्चात्य शिक्षा का प्रारम्भ नहीं हुआ था। प्रारम्भ में तथा बहुत बाद तक सरकार की आवश्यकताओं द्वारा ही शिक्षा का मूल्यांकन होता रहा।

पाश्चात्य शिक्षा के अन्य उद्देश्य तथा परिणाम— सरकार नीति का एक विनाशकारी प्रभाव यह हुआ कि उसा वर्ग की शिक्षा पर अधिक जर दिया जाने लगा जिससे सरकारी नौकरियों के लिए गगनट लिए जाते। सार्वजनिक शिक्षा की उपेक्षा की जाने लगी क्योंकि सरकारी धन की प्राप्ति के लिए वह आवश्यक नहीं थी। बहुत समय पश्चात् इसने लोगों को शिक्षित करने के अपने कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व की ओर ध्यान दिया। आज दिन भी कुछ वर्गों की उच्च शिक्षा से इनता की प्रारम्भिक शिक्षा बहुत पिछड़ा हुई है।

दूसरा परिणाम यह हुआ कि शिक्षा का केवल शाब्दिक तथा साहित्यिक ज्ञान पर आधारित किया गया, श्रौचांगिक शिक्षा का एकदम उपेक्षा की गयी। विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में कवल उर्ही विषयों का समावेश किया गया जिनसे शासनों तथा शासितों के बीच दुभाषिये का कार्य सम्पन्न हो सकता। ब्रिटिश युग में श्रौचोगिक तथा हस्तकला सम्बन्धी शिक्षा के प्रति सौतेली माँ का र्त्वाव होता रहा।

तीसरे, निश्चित विषयों की पाठ्य पुस्तकों का पढ़ने तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने उपाधियों लेने का श्रौर ही विद्यार्थियों का सारी शक्ति केन्द्रित कर दी गया। परीक्षा में सफलता प्राप्त करना ही शिक्षा का अर्थ समझ लिया गया, सभृति तथा ज्ञान की उत्तरोत्तर उन्नति की श्रौर कोई ध्यान न दिया गया। ज्ञान की प्राप्ति केवल भौतिक उन्नति के ध्येय से का जाने लगी गुण सम्पन्न तथा सुगम्य जीवन की प्राप्ति के लिए नहीं। आज दिन भी यही प्रम चल रहा है।

अन्त में, इस प्रणाली में शिक्षा राज्य के अन्तर्गत रख दी गयी। १८५४ से लेकर आज तक हमारे देश की शिक्षा राज्य के अन्तर्गत स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्व विद्यालयों की प्रणाली पर निर्भर रही है। १९२० में माण्ट फोर्ड सुधारों के कार्यान्वित किये जाने तक शिक्षा विभाग का शासन प्रान्तीय सरकार ने अन्तर्गत रहा किन्तु उस पश्चात् अनेक कानूनों तथा धाराओं की सहायता से केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत कर दिया गया। जन-प्रिय मन्त्रिमंडलों ने अन्तर्गत जब शिक्षा को Transferred Subject का रूप दे दिया गया केन्द्राय सरकार ने उस पर प्रभाव में कर्मा गायी। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत नये विश्वविद्यालयों को स्वायत्त शासन (Autonomy) का आधिकार अधिकार भा दिया गया। लेकिन इन परिवर्तनों से शिक्षा की प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन न आया। शिक्षा पर सरकारी शासन आवश्यक है या नहीं— इस प्रश्न से हमारा यहाँ सम्बन्ध नहीं है। हमें तो इसके परिणामों पर ही अधिक ध्यान देना है। सबसे पहले, इसने शिक्षा के राष्ट्रीय विकास को रोक दिया है। शासनों ने इस श्रौर बड़ी सतर्कता रक्ती है कि लोगों में राष्ट्रीय तथा देशभक्ति की भावनाओं का विकास न होने पाये। दूसरे, उसने लोगों का ध्यान केवल नियमों-उपनियमों की पाबन्दी की श्रौर मोबा है जिससे उनके स्वतन्त्र चिन्तन तथा नैसर्गिक विकास को

बड़ा धक्का पहुँचा है। इसके अतिरिक्त शिक्षा तथा धर्म का पारस्परिक सम्बन्ध समाप्त कर दिया गया। सरकारी नियमों-उपनिषदों के हेर-फेर में धार्मिक महत्त्व का ध्यान किमती रहता ? भारत जैसे धर्म प्रधान देश में धर्म को शिक्षा से अलग करना शिक्षा का निराधार तथा विश्वास से परे बन देगा है। अन्त में, यह कहा जा सकता है कि शिक्षा की इतनी धीमी गति का भी बहुत कुछ उत्तरदायित्व इसी नीति पर है। अभी कुछ समय पहले तक पढे-लिखे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की १० % थी २० % पुरुषों में तथा ३ % स्त्रियों में। जनता की शिक्षा का सरकार की नाभि से सामञ्जस्य न रहा। निरपेक्ष तथा अनुत्तरदायक होने का कारण जनता की निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की मांग की सरकार आसानी से उपेक्षा कर सकती थी और करता रही। सार्वजनिक शिक्षा का प्रश्न आने पर सदैव रुपये की कमी का उहाना कर दिया जाता। इस सम्बन्ध में पाठकों को यह याद दिला देना अनुपयुक्त न होगा कि राज्य का अन्तर्गत न होने हुए भी अतीत में शिक्षा सार्वभौम थी। लेकिन शिक्षा के राज्य के अन्तर्गत होने का कटाखिन् जो सबसे बड़ा दुःपरिणाम हुआ है, वह यह है कि शिक्षा के प्राचीन आदर्शों तथा गुरु-शिष्य के बीच के सम्बन्ध का समाप्ति हो गयी। शिक्षा का प्राचीन आदर्श (विद्यार्थी को गृहस्थ-जीवन के व्यावहारिक उत्तरदायित्व के लिए प्रस्तुत करना था) जीवन की अन्तिम दा अवस्थाओं में व्यक्ति की आध्यात्मिक भलाई का भी शिक्षा में ध्यान रखा जाता था। ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में उच्च छोटा ही अवस्था में चला जाता और लगभग बीस वर्ष की आयु तक उसके अनुशासन में रहता। इस समय तक गुरु तथा शिष्य के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क रहता और गुरु का सारा व्यक्तित्व शिष्य की शिक्षा में सहायक बनता। गुरु वास्तव में अपने शिष्यों का आध्यात्मिक पिता होता और समाज में उसे बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता। वह शिक्षण-कार्य का भाविकोपासन के उद्देश्य से नहीं बल्कि लोभ-कल्याण, आत्म-साक्षात्कार तथा धर्म पालन के उद्देश्य से अपनाता। उसे तथा उसके आश्रम को समाज के धार्मिक वर्गों तथा राजाओं महाराजाओं के स्वेच्छापूर्वक दान से आर्थिक सहायता मिलती। उसकी आर्थिक सहायता करने वाले लोग उस पर शिष्यों की शिक्षा-दीक्षा के सम्बन्ध में कोई बन्धन न लगाते। शिक्षा का रूप गुरु निश्चित करता, राजा नहीं। लेकिन नई शिक्षा-प्रवृत्ति में इन सबका बदल दिया गया। जीवन के उत्तरदायित्वों के लिए प्रस्तुत करने वाला शिक्षा का प्राचीन आदर्श अब नहीं रहा; हमारी शिक्षण-संस्थाएँ सरकारी नौकरियों के लिए क्लर्क पैदा करने वाली मशीनों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शिष्यों की शिक्षा पर गुरु के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता; गुरु तथा शिष्य के बीच का सम्बन्ध दिष्टायटी है, व्यक्तिगत तथा वास्तविक नहीं। किसी भारतीय स्कूल की कक्षा में वास्तविक जीवित मनुष्य बहुत ही कम

दृष्टिगत होते हैं * * * जिन् चीजों से मनुष्य के आन्तरिक जीवन का निर्माण होता है वे स्कूल के बाहर ही छोड़ दी जाती हैं।*'

शिष्यों की शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा-क्रम का निश्चय भी अब गुरु की इच्छा पर निर्भर नहीं है। 'भारतीय प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षक केवल नियमों-उपनियमों का पाबन्द रहता है। उसके लिए कोई लिखा हुआ कानून या परम्परा नहीं है। उसे एक निश्चित समय पर अपने काम का व्यौरा देना है, नियमों का पालन रखना है, परीक्षा में परीक्षार्थियों को निश्चित सख्या में सफल बनाना है और टैपेक्टर को, जो अकाल या प्लेग से भी अधिक अपने निश्चित समय पर अता है, केवल कुछ ही मिनटों के समय में यह विश्वास दिला देना है कि कोई भी नियम भंग नहीं हुआ है और कुछ रचनात्मक कार्य भी हुए हैं। कोई आश्चय नहीं कि ऐसी अवस्था में ग्रिग, आर्नोल्ड या सैन्डर्सन जैसे व्यक्ति पैदा नहीं हो सकते। यह व्यवस्था भारत में किसी शकर, कबोर या टैगोर को जम नहीं दे सकती।'

स्वामी श्रद्धानन्द तथा कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गुरुकुल कागड़ी, हरिद्वार तथा कलकत्ते के समीप बोलपुर में शान्तिनिकेतन की स्थापना करके प्राचान आदर्श तथा परम्पराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस सम्बन्ध में अभी हाल ही में प्रारम्भ हुए उदयपुर के विद्याभवन का भी जिक्र किया जा सकता है।

मैकाले के उद्देश्यों के पाठ्य क्रम पर प्रभाव का सक्षिप्त वर्णन करके हम अपनी शिक्षापद्धति की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन समाप्त करेंगे। प्राच्य विद्याओं के सम्बन्ध में मैकाले की बड़ी ही नुटिपूर्ण धारणा थी किन्तु पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रति अटूट विश्वास। इसी लिये उनमें भारतीय नवयुवकों का पढाये जाने वाले विषयों से भारतीय दर्शन साहित्य तथा धर्म को एकदम निकाल कर अंग्रेजी इतिहास, दर्शन तथा साहित्य को सम्मिलित करने का निश्चय किया। लेकिन यह नीति बड़ी ही नुटिपूर्ण निकली क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित था कि मानव मस्तिष्क एक श्वेत पट्टी के सदृश है जिस पर उसकी प्रकृति या पूर्व इतिहास का बिना कोई ध्यान रखे शिक्षक जो निशान चाहे बना सकता है। प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्याओं का तर्कसंगत तथा उपयुक्त सम्मिश्रण भारतीयों की शिक्षा सम्बन्धा आवश्यकताओं के बड़ी अनुकूल हुआ होता। भारतीय दर्शन तथा साहित्य की इतनी उपेक्षा ठीक न हुई। पाश्चात्य साहित्य तथा दर्शन की बनिस्वत वहाँ के विज्ञान का समावेश अधिक उपयुक्त होता। इस तरह प्राच्य विद्याओं की कमी पाश्चात्य विज्ञान के समावेश से पूरी हो जाती। लेकिन पाश्चात्य विज्ञान की बनिस्वत वहाँ के साहित्य

तथा दर्शन को अधिक प्रश्रय दिया गया। विपथों के ऐसे चुनाव का प्रभाव बड़ा ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। इस व्यवस्था ने पढ़े-लिखे भारतीयों की जड़ें उनकी प्राचीन परम्पराओं से अलग हटाकर विदेशी भूमि में लगानी प्रारम्भ की। पढ़े-लिखे भारतीयों का पाश्चात्य लेखकों तथा विचारकों विषयक ज्ञान अपने देश की महान् साहित्यिक विभूतियों तथा दार्शनिकों से कहीं अधिक होता था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पढ़े लिखे वर्ग तथा निरक्षर किसानों तथा श्रमिकों के बीच का अन्तर निरन्तर बढ़ता गया। काफी बाद में चलकर हमारे विश्वविद्यालयों ने भारत में साहित्य तथा दर्शन की महत्ता भी स्वीकार की और शिक्षा-क्रम में अन्य सुधार भी किये।

शिक्षा-सम्बन्धी विकास की मीढियाँ— ब्रिटिश राज्य में शिक्षा सम्बन्धी इतिहास को हम तीन युगों में विभाजित कर सकते हैं। १७८१ में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मद्रास को स्थापना से प्रारम्भ होने वाला युग १८३५ तक चला। इस युग को हम 'पूर्वाकरण' समय (Orientalising period) कह सकते हैं क्योंकि इस समय कुछ ऐसी सस्थाओं की स्थापना हुई जिनके दोहरे उद्देश्य— प्राच्य विद्याओं का प्रश्रय और कम्पनी द्वारा बंगाल में स्थापित न्यायालयों के लिए हिन्दू तथा मुसलमान कर्मचारियों की प्राप्ति— थे। कम्पनी की सरकार ने १८१३ तक भारतीयों की शिक्षा का कोई सीधा उत्तरदायित्व नहीं लिया किन्तु पार्लियामेण्ट द्वारा कम्पनी को इस समय दिये चार्टर की एक धारा (Clause) में गवर्नर जनरल को साहित्य के पुनरुद्धार, विकास, भारतीय विद्वानों के प्रश्रय तथा पाश्चात्य विज्ञान के अध्ययन की प्रारम्भिक के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपया अलग रख लेने का अधिकार दिया गया। यह रुपया कुछ वर्षों तक केवल प्राच्य विद्याओं के अध्ययन पर व्यय किया जाता रहा किन्तु १८२५ में राजा राममोहन राय ने गवर्नर-जनरल के समक्ष इस व्यवस्था का बड़ा विरोध किया। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह धन केवल कुछ वर्गों की शिक्षा पर ही व्यय किया जा रहा था, जनता की शिक्षा का उस समय कोई ध्यान नहीं था। कुछ वर्गों की शिक्षा तक में भी भारतीयों ने ही प्रेरणा दी। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले अपने देशवासियों का स्तर ऊँचा करने के लिए पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता तथा महत्त्व स्वीकार किया। १८१६ में कलकत्ते के हिन्दू कॉलेज की स्थापना में उनका प्रमुख हाथ था। उम्बई के एलफिन्स्टन कॉलेज की स्थापना भी इसी तरह गैर-सरकारी प्रयत्नों द्वारा ही हुई। देश में कार्य कर रहे ईसाई मिशनरों ने भी पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को बड़ा प्रोत्साहन दिया। १८१८ में तेलंगपुर में पहला मिशनरी कॉलेज खोला गया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार में सरकार की बनिस्बत अन्य व्यक्तियों तथा सन्थाओं का अधिक हाथ रहा।

दूसरा युग १८३५ में मैकले की अंग्रेजी भाषा के माध्यम के द्वारा पाश्चात्य ज्ञान के प्रसार की नीति से प्रारम्भ हुआ जो १८५४ में सर चार्ल्स बुड की शिक्षा-सम्बन्धी प्रसिद्ध योजना तक रहा। इसे 'पार्श्चमीकरण' का काल कहा जा सकता है। प्राच्य

विद्याओं के अब तक प्रथम के स्थान पर अंगरेजी भाषा के माध्यम द्वारा पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान के प्रसार को प्रमत्त उद्देश्य बनाया गया। लोगों की मातृभाषाओं को वही भी स्थान न दिया गया। मैकाले ने उन पर ध्यान देना उचित न समझा। पहले की तरह अब भी केवल कुछ उच्च वर्गों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, अन्तर केवल इतना था कि प्राच्य शिक्षा के पहले अंगरेजी शिक्षा के स्थान भिन्ना। जनता की शिक्षा अब भी गैर सरकारी उपाया पर निर्भर थी। सरकार ने जो कुछ भी किया वह केवल इतना कि तानों प्रेसिडेन्सियों के ग्राम स्कूलों का निरीक्षण कर डाला गया। बंगाल तथा बिहार के कुछ चुनें क्षेत्रों का निरीक्षण करके रेवरेन्ड विलियम ऐडम ने ग्राम स्कूलों का राष्ट्रीय तथा सार्वजनिक शिक्षा का आधार बताया और उनके सुधार को एक योजना भी रखी किन्तु उस पर कोई ध्यान न दिया गया। अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना ने सरकार को पर्याप्त काम दे दिया और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए उसके पास पर्याप्त धन शेष न रहा।

तासरा युग, जिसे हम ऐंग्लो-वर्नाक्यूलर युग कह सकते हैं, १८५४ में सर चार्ल्स डुड की शिक्षा सम्बन्धी प्रसिद्ध योजना से प्रारम्भ होता है। भारत के शिक्षा-सम्बन्धी इतिहास में यह एक नवीन युग है। प्राच्य विद्याओं के स्थान पर पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के प्रसार का उद्देश्य रखते हुए भी मैकाले की १८३५ की शिक्षा-सम्बन्धी नीति से यह अनेक अर्थों में भिन्न है। सबसे पहले, इसने इस पुरानी नीति का निश्चित रूप से परित्याग कर दिया कि समाज के उच्च वर्गों को दी गयी शिक्षा निम्न वर्गों तक अपने आप उतर आयेगी और जनता की प्रारम्भिक शिक्षा के सरकारी उत्तरदायित्व को इसने पहले पहल स्वीकृत किया। इस प्रकार इसने प्रारम्भिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया क्योंकि लोगों के अज्ञान का भयकर अभशाप इसी तरह दूर किया जा सकता था। इससे एक नयी चाञ्च उत्पन्न हुई। अंग्रेजी भाषा को प्रारम्भिक शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था; इसके लिए तो जिले या प्रान्त में बाली जाने वाली भाषा ही सबसे उपयुक्त पड़ती। योजना ने इसलिए अंग्रेजी के साथ साथ मातृ भाषाओं के अध्ययन पर भी जोर देना प्रारम्भ किया। भारतीय विद्यार्थियों को दो भाषाएँ— अंग्रेजी तथा अपनी मातृभाषा— सीखनी पड़तीं। इसी लिए इस नवीन प्रथा को ऐंग्लो-वर्नाक्यूलर नाम दिया गया। अज्ञान के अन्धकार को दूर करने के लिए योजना (Despatch) ने प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा विभाग की स्थापना का विधान किया। सरकार ने यह विधान स्वीकृत कर लिया और आज्ञाफल के निर्देश-विभागों से मिलते-जुलते शिक्षा-विभागों की प्रत्येक प्रान्त में स्थापना हुई। सरकार ने एक दूसरी दिशा में भी निश्चित कदम उठाया। १८३५ से आगे सरकार शिक्षा-सम्बन्धी सारा रूपया कुछ थोड़े से सरकारी स्कूलों तथा कॉलेजों पर व्यय कर देती। किन्तु १८५४ के पश्चात् इसने गैर सरकारी संस्थाओं को भी आर्थिक सहायता देना प्रारम्भ किया और इस प्रकार व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों को भी प्रथम मिलाने लगा।

योजना ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा यानना की भी रुररेखा निर्मित की। विश्वविद्यालयों की इसी शिक्षा योजना के अनुमार, तीन वर्ष पश्चात् कनकता, चम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई।

१८५७ में स्थापित होने वाले ये विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को शिक्षा देने वाला सस्थाएँ न थे। वे ऐसे लोगों के सगठन-स्वरूप थे जो उनसे सम्बन्धित कॉलेजों के विद्यार्थियों की परीक्षा लेते और सफलता-प्राप्त विद्यार्थियों को उपाधियों प्रदान करते। वे पाठ्य क्रम में अनिश्चित करते किन्तु अपने से सम्बन्धित कॉलेजों में शिक्षा कैसे दी जाती, इसका ऊपर उनका अधिकार न था। कॉलेजों की सख्या वृद्धि के साथ ऐसे ही अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता पड़ी, और फलस्वरूप १८८२ में पंजाब तथा १८८७ में प्रयाग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। १९०४ में विश्वविद्यालय ऐक्ट द्वारा मुधार किये जाने तक ये पाँच विश्वविद्यालय क्षेत्र पराक्ष-सस्थाएँ बने रहे। किन्तु अब उन्हें पढाई का कार्य सगाठत करने तथा इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया। इस अधिकार का उपयोग करते हुए उन्होंने एम० ए० की शिक्षा तथा अनुसन्धान का कार्य अपने हाथ में लिया। इसके पहिले का सारी शिक्षा विभिन्न कॉलेजों के ऊपर निर्भर रही। ऐक्ट ने विश्वविद्यालयों के ऊपर सरकारी तथा कॉलेजों के ऊपर विश्वविद्यालयों के अधिकारों का और कस दिया। लेकिन १८५४ से अपनायी नातियों में इसने कोई मूल परिवर्तन नहीं किया। आधुनिक विकास के विवेचन से पहिले १८८२ के एक्ट कमीशन का भी जिक्र किया जा सकता है। इस कमीशन ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सरकारी हस्तक्षेप की धरि घाटे कमी और उम क्षेत्र को अर्ध-सरकारी तथा गैर-सरकारी सस्थाओं के ऊपर छोड़ देने का राय दी।

आधुनिक विकास— शिक्षा सम्बन्धी नीति पर भारत सरकार द्वारा १९१३ में पास किये प्रस्ताव में एक नया सिद्धांत प्रचलित किया। उस समय की Affiliating Universities का प्रभाव-क्षेत्र कम करने के लिए इसने प्रत्येक बड़े प्रान्त में एक अलग विश्वविद्यालय के निर्माण का विधान किया। इन नये विश्वविद्यालयों का निर्माण विद्यार्थियों को पढाने तथा उन्हें रहने का स्थान देने के दृष्ट पर हुआ। इस प्रकार एक-एक करके कई विश्वविद्यालयों का बड़ी शीघ्र स्थापना हो गयी। इनमें तथा मैसूर विश्वविद्यालयों की स्थापना १९१६ में, प्रान्त विश्वविद्यालयों की १९१७ में, योग्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, की १९१८ में, अलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों की १९२० में, ढाका विश्वविद्यालय की १९०१ में, दिल्ली विश्वविद्यालय की १९२२ में, नागपुर विश्वविद्यालय की १९२३ में, आंध्र विश्व-विद्यालय का १९२६ में, आगरा विश्वविद्यालय की १९२७ में, अजामलाई विश्वविद्यालय का १९२६ में और ब्रह्मकोर विश्वविद्यालय की १९३७ में हुई। १९४० के समाप्त

होते होते भारत में १८ विश्वविद्यालय— १५ ब्रिटिश भारत में तथा ३ भारतीय राज्यों में— बन गये। उत्कल, सागर तथा राजपूताना विश्वविद्यालयों की भी क्रम से १९४३, १९४६ और १९४७ में स्थापना हो गयी। देश के विभाजन से टाका तथा पञ्जाब विश्वविद्यालय पाकिस्तान में अन्तर्गत आ गये। पूर्वी पञ्जाब के नये प्रान्त की सेवा के लिये पूर्वी पञ्जाब विश्वविद्यालय की दिसम्बर १९४७ में स्थापना हो गयी। इस प्रकार भारतीय सभ में आज २६ विश्वविद्यालय हैं। इसके अनन्तर पूना में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, आसाम में गोहाटी विश्वविद्यालय और श्रीनगर में काश्मीर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और प्रा० कावे के महिला विश्वविद्यालय को भी सरकार तथा दूसरे विश्वविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया है। बम्बई के विधान-मंडल ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय और धारवार में कर्नाटक विश्वविद्यालय विषयक बिल पास कर दिये हैं। हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय को भी महिला माननीय परिषद पन्त जी ने करकमनों द्वारा स्वीकृत किया। अभी कुछ और विश्वविद्यालय बनने का आशा है। अलाहाबाद, इलाहाबाद, अन्नामलाई, बनारस, दिल्ली और लखनऊ जैसे कुछ वर्तमान विश्वविद्यालय एकाकी (Unitary) हैं, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, याप्र और नागपुर जैसे विश्वविद्यालय शिक्षात्मक तथा Affiliating दोनों हैं। बनारस तथा अलाहाबाद विश्वविद्यालय साम्प्रदायिक हैं और उनका रूप अखिल-भारतीय है। भारत-सरकार इन विश्वविद्यालयों को उदार आर्थिक सहायता देती है। इन दोनों विश्वविद्यालयों के नामों से हिन्दू तथा मुस्लिम शब्दों को हटाने का भी विचार हो रहा है जिससे इनका साम्प्रदायिक रूप परिवर्तित हो जाय। मैसूर, द्रावनकोर और हैदराबाद विश्वविद्यालय भी शिक्षात्मक हैं। इस सम्बन्ध में इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलौर, का भी चिन्तन किया जा सकता है। भारत-सरकार द्वारा स्वीकृत न होने पर भी वे सम्था क्रिया विश्वविद्यालय में मदद ही कार्य कर रही हैं।

‘यूनिटरी’ तथा ‘ऐफिलिएटिंग’ विश्वविद्यालयों का अन्तर स्पष्ट कर लेना चाहिए। एकाकी विश्वविद्यालय केवल परीक्षात्मक ही नहीं अपितु शिक्षात्मक कार्य भी सम्पादित करता है। यह अपने अध्यापकों की स्वयं नियुक्ति करता तथा द्वार पर आये प्रत्येक जिज्ञासु को ज्ञान-दान देता है। इस प्रकार यह ज्ञान की आराधना का एक केन्द्र है। एक केन्द्र में सामिन् होने के कारण हमका सहरी कॉलेजों से कोई सम्बन्ध नहीं। १९१३ या उसके बाद स्थापित होने वाले विश्वविद्यालयों में अधिकतर ऐसे हैं जो अपने विद्यार्थियों की छात्रावासों द्वारा रहने की व्यवस्था भी करते हैं। अधिकारियों की बिना अनुमति के विद्यार्थियों का नागरिक घरों में रहने की अनुमति नहीं दी जाती। लखनऊ तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के रहने की भी व्यवस्था करने हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय अभी ऐसा नहीं करता।

कलकत्ता विश्वविद्यालय का दशा तथा उसके भविष्य के सम्बन्ध में ऑच-पड़ताल के लिए नियुक्त हुए सैडलर कमीशन ने टाका में एक ‘यूनिटरी’ तथा

Residential विश्वविद्यालय की स्थापना की राय दी। कमीशन का उद्देश्य कलकत्ता विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की अत्यधिक भीड़ को कम करना था। कमीशन की यह राय अन्य क्षेत्रों पर भी लागू की गई और अन्य प्रान्तों में शिक्षात्मक विश्वविद्यालयों की स्थापना हो गई। सैडलर कमीशन ने हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कक्षाओं को बी० ए० तथा एम० ए० की शिक्षा से अलग करने और उनके लिए एक अलग सेक्वेण्डरी तथा इन्टरमीडिएट एज्युकेशन बोर्ड की स्थापना की राय दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने इस राय को कार्यान्वित नहीं किया किन्तु उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इसे स्वीकृत कर लिया और हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की शिक्षा के लिए उसने दलाहाबाद में एक बोर्ड भी स्थापित किया। वर्तमान समय में देश में छः 'हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड' हैं।

भारत-सरकार ने १९१६ के ऐक्ट व १९२१ में लागू होने पर शिक्षा को प्रान्तीय विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी शिक्षा-मन्त्री के जिम्मे एक हस्तान्तरित प्रान्तीय विषय बना दिया गया। इस प्रकार प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-सम्बन्धी नीति तथा शासन की जनता के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। ऊपर दिये नये विश्वविद्यालयों के निर्माण तथा प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बना देने के सिद्धान्त को लागू करने के अतिरिक्त शिक्षा-नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नयी परिस्थितियों में शिक्षा के ऊपर केंद्रीय अधिकार में कमी हो गई। १९३५ के ऐक्ट के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में कांग्रेस-मन्त्रिमण्डलों की स्थापना के पश्चात् कुछ प्रान्तों में प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा में प्रारम्भ से उलट फेर करने तथा वैसिक शिक्षा पर जाकर हुसैन कमेटी के सुझावों के अनुसार उसे ग्रामीण रूप देने का बड़ा प्रयत्न हुआ। किन्तु कोई महत्वपूर्ण परिणाम होने के पहले ही कांग्रेस ने पद त्याग कर दिया और अनेक प्रान्तों में जन-प्रिय सरकारों की समाप्ति हो गयी।

बुड डेसैच ने अनुसार प्रत्येक बड़े प्रान्त में जन शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गयी थी, फिर भी भारत सरकार का कोई अपना शिक्षा-विभाग न था। यह कमी १९१० में पूरी की गयी और शिक्षा-विभाग को स्थापना करके उसे गवर्नर-जनरल की कार्य-कारिणी के एक सदस्य के हाथ में कर दिया गया। १९२३ में शिक्षा-विभाग को और विस्तृत करके उसे 'शिक्षा, स्वास्थ्य तथा भूमि विभाग' नाम दिया गया। १५ अगस्त १९४७ से केन्द्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद की प्रधानता में एक अलग शिक्षा-विभाग की स्थापना हो गयी है। वर्तमान समय में भारत-सरकार का एक और शिक्षा अपसर है जिसे एजुकेशनल ऐडवाइजर या शिक्षा परामर्शदाता कहते हैं। इस विभाग का सेक्रेटरी भी वही होता है। १९२० में एक केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई थी जिसका चेयरमैन एक शिक्षा-कमिश्नर (अब शिक्षा परामर्शदाता) होता है। १९२३ में यह व्यवस्था तोड़ दी गयी, किन्तु १९३५ में फिर प्रारम्भ हुई।

शिक्षा सम्बन्धी उन्नति— शिक्षा की दृष्टि से हम सत्तर के सबसे पिछड़े हुए राष्ट्रों में से एक हैं। निम्नलिखित आँकड़ों से, जो इण्डियन इंयर बुक में उद्धृत हैं, स्पष्ट होता है कि हमारी शिक्षा सम्बन्धी उन्नति की गति धीमी रही है।

वर्ष	पुरुष-विद्यार्थी	स्त्री विद्यार्थी	योग
१९३३-३४	१०,४१७,८३६	२,७५५,०५१	१३,१७२,८८७
१९३५-३६	१०,८०२,७०६	३,०१३,४४०	१३,८१६,१४६
१९३७-३८	१०,८१६,५६२	३,०१२,२६८	१३,८३१,८३०
१९३९-४०	११,८४७,४६२	३,४२१,६०७	१५,२६९,३६९
१९४१-४२	१२,२६६,३११	३,७२६,८७६	१५,९९३,१८७
१९४५-४६	१२,७६१,८२५	४,०२८,१२६	१६,८१९,९५१

दूसरे शब्दों में, उपरोक्त तारह वर्षों में पुरुष विद्यार्थियों की संख्या में २,३७३,६८६ का वृद्धि हुई और स्त्री-विद्यार्थियों की संख्या में १,२७३,०७५ की। इस प्रकार, सभी प्रकार की शिक्षण-संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की संख्या में ३,६४७,०६१ की वृद्धि हुई। ये संख्याएँ बड़ी उत्साहप्रद प्रतीत हो सकती हैं किन्तु देश की निरन्तर बढ़ता जन-संख्या का ध्यान करने और स्कूल जाने योग्य उम्र के बच्चों में से शिक्षा प्राप्त कर रहे तथा शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे बच्चों की संख्या की तुलना करने पर हमारा उत्साह ठंडा हो जाता है। १९३६ से १९४१ तक पाँच वर्षों में ब्रिटिश भारत की जन-संख्या के हिसाब से सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षण संस्थाओं में पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत ७.४५ से बढ़ कर ७.७४ हो गया और स्त्री विद्यार्थियों का २.२८ से २.५१। सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं—सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत— में पुरुष विद्यार्थियों का प्रतिशत ७.८६ से बढ़कर ८.०१ हो गया, स्त्री विद्यार्थियों का २.२८ से २.६१ और पूरी जन संख्या के हिसाब से पुरुष तथा स्त्री विद्यार्थियों का प्रतिशत ५.२० से ५.४० हो गया। इस गति से तो सारे देश को शिक्षित करने में शताब्दियाँ लग जायेंगी। यह जानना दिलचस्प होगा कि १९४१-४२ में ब्रिटिश भारत में शिक्षा पर २६,१७,६५१,१८६ रुपये खर्च हुए जिसमें उन्नत ने १८,०४,५४,५१० रुपये से सहयोग दिया। १९३३-३४ में इस प्रकार की संख्याएँ २६,१७,६५,१८६ तथा १५,३६,३६,४६१ रुपये थीं। १९४५-४६ में यह खर्च ४६,००,३७,१६१ रुपये हो गया। पूरे खर्च का सरकार लगभग ४३% और म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगभग १५.५% देते हैं। लगभग २७.५% फंड से और १३.८% लोगों के दान से मिलता है। कुछ तुलनाओं से चीज स्पष्टतर हो जायगी। भारतीय राजस्व का लगभग ८% प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय होता है। ग्रेट ब्रिटेन ४ करोड़ की जन-संख्या के लिए ८६ करोड़ व्यय करता है, १३ करोड़ की जन-संख्या के लिए अमेरिका ३३.५७ करोड़। भारत ४० करोड़ की

जन-संरक्षण के लिए लगभग १८ करोड़ व्यय करता है। सेना तथा शासन द्वारा पूरे लगान का ५० % से अधिक लीज लिये जाने के कारण ही यह दुर्गवस्था है।

सन् १९४७ के अन्त में स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करने वाले लड़कों की संख्या १०,२८१,२३३, लड़कियों की संख्या ३,२४७,८०३ थी जो क्रमशः जन-संख्या की ७७ % और २६ % होती है। इस वर्ष शिक्षा प्राप्त कर रहे लड़के और लड़कियों की सबसे अधिक प्रतिशत कुर्ग, अरुमर व मारवाड़ और बम्बई प्रान्त में थी। अब से भारत में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुई है, इसने शिक्षा की ओर अत्यधिक ध्यान दिया है और स्कूल जाने वाले लड़के व लड़कियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।

भारतीय शिक्षा-प्रणाली— अपने देश में पाई जाने वाली विभिन्न शिक्षण-संस्थाओं को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं : सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत (Recognised and unrecognised)। विभिन्न विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बन्धित कॉलेज, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा स्वीकृत परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने वाले हाई, मिडिल तथा प्राइमरी स्कूलों को पहले भाग में रखा जा सकता है और गुरुकुलों, पाठशालाओं तथा मस्जिदों से सम्बन्धित मदरसों, बोलपुर बंगाल में रवीन्द्रनाथ टाकुर के शान्तिनिकेतन* तथा इस प्रकार की अन्य संस्थाओं को दूसरे भाग में। दूसरे भाग की संस्थाओं की संख्या काफी अधिक है और वे अपने देश के पाँच लाख स्त्री-पुरुषों की शिक्षा देती हैं। लेकिन अब ऐसी संस्थाओं तथा उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट रही है।

अब हम सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थाओं के प्रमुख रूपों तथा गैर-स्वीकृत संस्थाओं का कुछ संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

(अ) सरकार द्वारा स्वीकृत संस्थायें— अपने देश की सरकार द्वारा स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के तीन रूप निश्चित किये जा सकते हैं : प्राइमरी, सेकेण्डरी और यूनिवर्सिटी। इनमें से प्रत्येक का अपना अलग संगठन है और प्रत्येक की अपनी-अपनी समस्याएँ।

प्राइमरी शिक्षा— प्राइमरी शिक्षा की सरकार तथा जनता—दोनों ने बहुत काल तक उपेक्षा की है। सरकार ने इसकी उपेक्षा इसलिए की कि उसे अपने दफ्तरों के लिए पर्याप्त क्लर्कों की आवश्यकता थी; ज्ञान का प्रसार तथा नागरिकों की उत्तरोत्तर मानसिक उन्नति इसके उद्देश्य नहीं थे। जनता अन्यमनस्क इसलिए था कि उनके बच्चों का इतना समय नहीं था कि खेलों के काम से छुट्टी पाकर वे पढ़ाई के काम में लगते। माँ-बाप बच्चों की शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति को अधिक महत्त्व भी नहीं देते थे। उनकी भीषण गरीबी भी इस मार्ग में बाधक बनती। लेकिन १९२१ में लागू किये गए मुधगों के अनुषार शिक्षा के जनप्रिय मन्त्रियों के हाथ में

* अब यह संस्था स्वीकृत हो गई है।

चले जाने के पश्चात् राज्य से शिक्षा प्रसार को पहले की अपेक्षा अधिक सहायता मिलनी शुरू हो गई। उसी समय से जनता के दृष्टिकोण में भी बड़ा परिवर्तन हुआ है। प्रान्तों की कांग्रेस-सरकारों ने प्रारम्भिक शिक्षा को बड़ा प्रथम दिया। लेकिन यह अभी सेवेन्डरी तथा यूनिवर्सिटी-शिक्षा से बहुत पीछे है।

प्राइमरी शिक्षा मुख्यतः स्थानीय सस्थाओं की चीज है— शहरी क्षेत्रों में नगर-पालिकाओं की तथा देहाती क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की। स्कूलों तथा पुस्तकालयों का निर्माण, रक्षा तथा प्रबन्ध उनके प्रमुख कार्यों में से हैं। उत्तर-प्रदेश में प्रत्येक नगर-पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की एक-एक शिक्षा-समिति है जो अपने प्रभाव-क्षेत्र के नागरिकों की प्रारम्भिक शिक्षा की देखभाल करती है। जनशिक्षा-विभाग के अपसर प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। यहाँ विभाग उनके पाठ्यक्रम तथा उनकी पाठ्य-पुस्तकों का निश्चय भी करता है। अपने धनाभाव और लोगों की उपेक्षा तथा गरीबी के कारण इन प्राइमरी स्कूलों की उन्नति उड़ी मन्द गति से हुई है। प्राइमरी स्कूलों की संख्या में धीरे-धीरे कमी होती गयी है। अनेक प्राइमरी स्कूलों का मडिल स्कूलों में परिवर्तित हो जाना भी इसका कारण हो सकता है।

जनता की उपेक्षा समाप्त करने के लिए प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना पडा। लगभग पिछले ३० वर्षों में अनेक प्रान्तों में प्रारम्भिक-शिक्षा-ऐक्ट पास हुए हैं, जिनके अनुसार स्थानीय सस्थाओं को अपने प्रभाव-क्षेत्रों के भीतर अनिवार्य प्रारम्भिक-शिक्षा चलाने का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले बम्बई ने १९१८ में प्रारम्भिक-शिक्षा-ऐक्ट पास किया। बिहार और उड़ीसा, पंजाब, मगल तथा उत्तर-प्रदेश ने भी १९१९ में ऐसे ऐक्ट बनाये। मध्य-प्रदेश तथा मद्रास ने १९२० में और आसाम ने १९२५ में इन प्रान्तों का अनुकरण किया। अनेक प्रान्तों में इन ऐक्टों के स्थान पर अन्य ऐक्ट भी पास हुए हैं लेकिन उनकी रूपरेखा वही है। यदि कोई स्थानीय सस्था अपने प्रभाव क्षेत्र के किसी भी भाग में प्रारम्भिक शिक्षा प्रचलित करना चाहती है तो उसे इस उद्देश्य से बैठायी गयी सभा में दो तिहाई बहुसंख्यकों द्वारा एक प्रस्ताव पास करना चाहिये और अपनी योजना को स्वीकृति के लिए सरकार को देना चाहिये। अनिवार्य शिक्षा के लिए अवस्था-बन्धन (age-limit) छः और ग्यारह वर्ष है; वैसे, विशेष मामलों में यह अवस्था बढ़ाई जा सकती है। यह नियम लड़के-लड़कियों दोनों पर लागू हो सकता है। इस नियम के अन्तर्गत सभी वर्ग आ जाते हैं, परन्तु विशेष वर्गों और जातियों को मुक्त भी किया जा सकता है। जहाँ-जहाँ अनिवार्य शिक्षा है, स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों को नौकर रखना अवैध है। बच्चों को स्कूल न भेजने के लिए थोड़ा जुर्माना होता है। यह ध्यान में रखना चाहिये कि भारत जैसे गरीब देश में अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिये। प्रान्तीय विधान-मण्डलों द्वारा पास किये ऐक्टों में इस तरह की अक्सर एक धारा होती है।

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए स्थानीय सस्थाओं को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है चूँकि सरकार ही आवश्यक धन का एक भाग इस कार्य के लिए देती है। व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूल कभी-कभी इस धारा से बरी रखे जाते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए आवश्यक कानून बना देने से ही स्थिति में कोई विशेष सुधार न हुआ। उन्नति की गति मन्द की मन्द ही रही। जिन क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा प्रचलित की गयी उनकी संख्या बड़ी ही कम रही। अनिवार्य शिक्षा की दृष्टि से पञ्जाब सबसे आगे बढ़ा हुआ प्रान्त था। १९४०-४१ में अनिवार्य शिक्षा ६६ शहरी तथा २,६०८ देहाती क्षेत्रों या कुल मिलाकर १०,५२२ गाँवों में प्रचलित थी। ३६ शहरी तथा ३५७ देहाती क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश का नम्बर दूसरा था, २४ शहरी तथा ७ देहाती क्षेत्रों के साथ मद्रास का तीसरा। मध्य-प्रान्त और बरार में ३३ और ८ और मिहार में १६ और १ क्षेत्र थे। इन अँकड़ों से यह पता चलता है कि स्थानीय सस्थाओं ने प्रारम्भिक शिक्षा-ऐक्ट के निर्माण से लाभ उठाने के लिए कोई अधिक उत्साह न दिखाया। उनकी उपेक्षा के कारण प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य कर देने का सम्भावित तथा आशाप्रद परिणाम न हुआ। रुपये की कमी तथा लोगों का असहयोग भी इस निराशापूर्ण परिणाम के लिए उत्तरदायी हैं। पूरे ब्रिटिश शासन में जनता की भयंकर निरक्षरता एक अभिशाप जनी रही।

कुछ प्रान्तों में प्रारम्भिक शिक्षा को स्थानीय सस्थाओं के हाथ से हटाकर स्थानीय सरकार के हाथ में दे देने की आवाज भी उठाई गयी। मद्रास-सरकार ने १९३५-३६ में प्रारम्भिक शिक्षा ऐक्ट में प्रारम्भिक शिक्षा पर और अधिक प्रभाव जमाने के उद्देश्य से कुछ परिवर्तन किये। बम्बई सरकार ने भी इसी प्रकार के कानून बनाये। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा १९३८ में जैठायी गयी प्रारम्भिक और सेनेन्डरी शिक्षा पुनर्निर्माण-कमेटी ने यह सलाह दी कि प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को एक कन्द्रीय शक्ति के हाथ में रखना चाहिये स्थानीय सस्थाओं के हाथ में नहीं।

प्रारम्भिक शिक्षा के दावों के विवेचन से पहले देशी भाषाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में भी कुछ शब्द कह देना उपयुक्त होगा। यह ध्यान में रखना चाहिये कि देशी भाषाओं के अध्ययन का मैकाले कट्टर विरोधी था और तबसे पहले बुट डेलैच ने ही प्रारम्भिक शिक्षा के माध्यम के लिए उनकी आवश्यकता स्वीकार की। उसी समय से देशी भाषाओं के अध्ययन को भी बराबर स्थान मिलता रहा है। वर्तमान समय में स्थानीय सस्थाएँ ऐसे अनेक वर्नाक्यूलर स्कूल चलाती हैं जहाँ प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है। अब वर्नाक्यूलर और अंगरेजी स्कूलों का भेद मिटाकर सभी प्राथमिक पाठशालाओं को समकक्ष बना दिया गया है।

इस प्रणाली के दोष— ब्रिटिश शासन में देश में प्रचलित प्रारम्भिक तथा वर्नाक्यूलर शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष थे। इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि गाँवों के वास्तविक जीवन से असम्बद्ध होने के कारण यह लोक-प्रिय न बन सकी। शिक्षा के लिए निश्चित पाठ्य-क्रम बड़ा ही असन्तोषप्रद था, गाँवों की खेती या वहाँ के उद्याग-धन्धों से कोई सम्बन्ध न रहता गया। शिक्षा सम्बन्धी केवल तीन आवश्यकताओं— लिखना, पढ़ना और थोड़ी गणित जानना— तथा मर्यादित रहने पर ही विशेष ज़ोर दिया जाता। यह चञ्चल भा थोड़ा बहुत यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा को आशातीत सफलता क्यों नहीं मिली। दूसरे, यह प्रणाली पहले भी बहुत खर्चीली थी और अब भी है। प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या से स्थिति का वास्तविक पता नहीं चलता। प्राइमरी स्कूलों में जाने वाले सभी विद्यार्थी पूरा कोर्स नहीं पूरा कर पाते। यह अनुमान लगाया गया है कि ८५% उच्च प्राइमरी स्कूल से बिना पास हुए ही पढ़ाई छोड़ जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि थोड़े दिनों बाद वे फिर ज्यों के त्यों बन जाते हैं। साइमन कमीशन को शिक्षा सम्बन्धी पदलू पर परामर्श देने के लिए भेठाया गया हारटोग कमेटी ने १९२६ में यह रिपोर्ट दी थी कि ग्राम-स्कूलों पर किया गया परिश्रम अकारण था। ग्रामीण बच्चों की शिक्षा पर खर्च हुए समय, शक्ति, धन तथा प्राप्त परिणामों के बीच कोई अनुपात न था। कुछ पढ़ लिख सजने योग्य बनने के लिए अधिकांश बच्चे स्कूलों में अधिक समय तक न रहते।

बंगाल के प्राइमरी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में बच्चों का हुई भर्ती की नीचे दी हुई सख्याओं से यह स्पष्ट हो जायगा कि प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय किया धन कितना अकारण है —

छोटे बच्चों की कक्षा	पहला कक्षा	दूसरी कक्षा	तीसरी कक्षा	चौथी कक्षा
२०	६५	४५	२०	१५

श्री जे० जी० सैयदैन ने इन सख्यायों के वास्तविक महत्त्व को निम्नलिखित शोखस्वी शब्दों में व्यक्त किया है —

‘इसका अर्थ यह है कि कक्षा चार तक में केवल ७ प्रतिशत बच्चे जा सके और शेष बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। शिक्षा मशान सौ षोड़ों की शक्ति वाले एक ऐसे इन्जिन के सदृश है जो ७ प्रतिशत कुशलता से कार्य करता है। इस प्रकार शिक्षा-सम्बन्धी खर्च लाभहीन, शिक्षा-सम्बन्धी प्रयत्न प्रभावहीन और स्कूल निष्प्रयोजन बन जाते हैं।’*

अन्त में, शिक्षकों को पहले भी बहुत कम वेतन मिलता था और अब भी बहुत कम मिलता है। वास्तविक रूप से वाग्य व्यक्ति इस पेशे की ओर नहीं आकर्षित

हते जिसका परिणाम यह होता है कि प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक अधिन्तर अयोग्य होते हैं। जब तक अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं होती, परिणाम निगशापूर्ण ही होते रहेंगे।

प्रारम्भिक शिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी अड़चन है देश की विशाल जनसंख्या। ३० करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले देश के लिए प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था खिलवाड़ नहा है। अभी हम लोग समस्या का एक अंश भी हल कर सकने में समर्थ नहीं हो सके हैं, स्कूल जाने की उम्रवाले केवल १४ प्रतिशत लड़के लड़कियाँ को शिक्षा दी जा रही है। इसे अनिवार्य तथा सार्वजनीन बनाने में लगनेवाला खर्च एक दूसरी बड़ी अड़चन है। प्रारम्भिक शिक्षा का सारे राष्ट्र के लिए अनिवार्य बनाने में लगभग तीस करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होंगे, जहाँ वर्तमान समय में हम चारों ओर से इस पर १८ करोड़ से अधिक खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यह बाकी खर्च कहाँ से आयेगा? जहाँ तक शिक्षा को आत्मानर्भ बनाने का सम्बन्ध है, केवल महात्मा जी की योजना ही एक व्यावहारिक योजना है। उनकी शिक्षा-योजना का निर्माण ही नए आधार पर हुआ है। इसी अर्थ में दूसरी जगह हम उसका विवेचन करेंगे।

सेकेंडरी या माध्यमिक शिक्षा— प्रारम्भिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। यह शिक्षा सभी प्रान्तों में एक-सी नहीं है। प्रमुख अन्तर इण्डियन एजुकेशन बोर्डों की स्थिति में है। उत्तर-प्रदेश जैसे प्रान्तों में, जहाँ सैडलर कमीशन के सुझावों को कार्यान्वित किया गया, इण्डियन एजुकेशन बोर्डों की शिक्षा को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया गया और उसे हाई स्कूल के साथ मिलाकर हाई स्कूल एण्ड इण्डियन एजुकेशन बोर्ड का निर्माण कर दिया गया। ऐसे प्रान्तों में माध्यमिक शिक्षा दो भागों— मिडिल स्कूल और हाई स्कूल तथा इण्डियन एजुकेशन बोर्ड— में बँट जाती है। अन्य प्रान्तों में इसमें केवल मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल तक की शिक्षा सम्मिलित रहती है, इण्डियन एजुकेशन बोर्डों की शिक्षा विश्वविद्यालय की शिक्षा का अङ्ग बन जाती है। दिल्ली प्रान्त में अभी हाल ही में एक नयी योजना कार्यान्वित की गई है। इण्डियन एजुकेशन बोर्डों, जिसमें दो वर्ष लगे थे, तोड़ दी गयी है। एक वर्ष डिग्री कोर्स में जोड़ दिया गया है और दूसरा हाई स्कूल में। गी० ए० कोर्स इस प्रकार तीन वर्षों का हो जाता है और वही स्थिति हाई स्कूल पर भी लागू होती है। अब इसे हायर सेकेंडरी बोर्ड माने जाने लगा है। कुछ प्रान्तों में हाई स्कूल परीक्षा का मैट्रिकुलेशन कहने हैं और कुछ में स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा। यह परीक्षा पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पञ्जाब तथा अन्य प्रान्तों में विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत है और उत्तर-प्रदेश में बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्डियन एजुकेशन बोर्ड के।

नागरिकों की माध्यमिक शिक्षा में लगी सस्थाएँ दो प्रकार की हैं। कुछ सस्थाएँ पूर्ण रूप में सरकार पर निर्भर हैं। दूसरे स्कूलों तथा कॉलेजों के सामने उदाहरण रखने के लिए साधारणतः प्रत्येक जिले के हेड-क्वार्टर पर एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है और सभी प्रमुख स्टेशनों पर एक इण्टरमीडिएट कॉलेज। इन सस्थाओं का पूरा खर्च सरकार उठाती है। दूसरे प्रकार की सस्थाओं में अधिकतर गैर-सरकारी हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं। इन सस्थाओं की धार्मिक सहायता के रूप में सरकार इन्हे ग्रांट देती है और अपने इन्स्पेक्टरों तथा स्वीकृति सम्मिलित आदि करने के नियमों द्वारा इन पर अपना प्रभाव भी रखती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हमारे प्रान्त में वार्टे ऑफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजुकेशन है। अंग्रेजी के, जो अनिवार्य है, अतिरिक्त मैथेमेटिक्स, माट्रस, क्लासिकल भाषाएँ, इतिहास और भूगोल, ड्राइंग तथा अन्य विषय पढ़ाये जाते हैं। कुछ कक्षाओं में अत्र अंग्रेजी अनिवार्य नहीं रही। माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी लड़के-लड़कियों की संख्या लगभग दो तीन वर्ष पूर्व तीस लाख थी।

अपने देश की माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष यह रहा है कि यह मटैव विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं से प्रभावित रही है। पाठ्य क्रम तथा परीक्षाओं का स्तर विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में भेजने और वहाँ की परीक्षाएँ पास करने के विचार से ही निश्चित किया जाता है। हमारे हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कॉलेज इस प्रकार केवल विश्वविद्यालयों में भेजे जाने योग्य विद्यार्थी तैयार करते हैं। विद्यार्थियों के रुझान की जाँच और उसने विकास के लिए वे बहुत कम प्रयत्न करते हैं। उनमें दी गई शिक्षा का भी हमारे वातावरण तथा हमारी सामाजिक आवश्यकताओं से बहुत कम सम्बन्ध रहता है। विद्यार्थियों को कुछ दस्तकारी का काम भी सपना चाहिये इससे वे अपनी जीविका उत्पन्न करने के साथ-साथ शारीरिक श्रम का भी आदर करना सीखें। हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कॉलेजों से निकले विद्यार्थियों को शारीरिक श्रम से एक प्रकार की घृणा सी हो जाती है जिससे वे क्लर्क छोड़ अन्य किसी कार्य के उपयुक्त नहीं रहते। नये प्रकार के सेनेटरी स्कूलों में इस दोष को कुछ सामा तक दूर करने का प्रयत्न हो रहा है।

विश्वविद्यालय-शिक्षा—हमारी शिक्षा-प्रणाली के सबसे ऊँचे सिरे पर विश्वविद्यालय हैं जिनकी संख्या अब हृत्वास है। १९४१-४२ में इन विश्वविद्यालयों के पास ७६ अपने कॉलेज तथा ३४३ सम्बन्धित कॉलेज थे और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का संख्या १७ लाख से कुछ ही कम थी। पिछले आठ वर्षों में विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित कॉलेजों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। केवल उत्तर-प्रदेश में आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कॉलेजों की संख्या में १९४५ में २४ तथा १९४८ में ३३ से बढ़कर ५० से ऊपर हो गयी है। फिर भी, जहाँ तक

विश्वविद्यालय शिक्षा का सम्बन्ध है, हमारा देश सबसे पिछड़े देशों में से एक है, हालाँकि हमारे देश में प्रत्येक चार विद्यार्थियों में से एक लड़का विश्वविद्यालय में जाता है और पश्चिम में सात में से एक। भारत में लगभग २२०६ की जन-संख्या के पीछे एक विश्वविद्यालय-विद्यार्थी है; ग्रेट ब्रिटेन में ८३७ के पीछे एक, युद्ध पूर्व जर्मनी में ६६० के पीछे एक, रूस में ३०० के पीछे एक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में २२५ व्यक्तियों के पीछे एक। पिछले चार वर्षों में इन आँकड़ों में परिवर्तन हुआ है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सभी विश्वविद्यालय एक ही प्रकार के नहीं हैं। आगरा विश्वविद्यालय की तरह कुछ केवल परीक्षात्मक संस्थाएँ हैं, वे स्वयं शिक्षा नहीं देते किन्तु अपने से सम्बन्धित कॉलिजा के विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं। कुछ विश्वविद्यालय शिक्षात्मक भी हैं और सम्बन्धान्मक (Affiliating) भी। वे अपने से सम्बन्धित कॉलिजों से पाठ्य-क्रम का निश्चय करते, परीक्षाएँ लेते और उपाधियाँ प्रदान करते और ग्रेजुएशन के पश्चात् शिक्षण तथा अनुसन्धान-नाय की व्यवस्था भी करते हैं। केवल कुछ विश्वविद्यालय ही एकाका तथा शिक्षात्मक हैं। ये सभी विश्वविद्यालय स्वशासी संस्थाएँ हैं। जिस विधि द्वारा उनकी स्थापना हुई उसकी परिधि में रहकर हर एक विश्वविद्यालय को पाठ्य क्रम तथा शिक्षा सम्बन्धी संगठना और स्तर के निश्चय का पूरा अधिकार है। सरकार उन्हें आर्थिक सहायता अवश्य देती है किन्तु उनके आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करती। परन्तु यह हर विश्वविद्यालय का सिनेट या काउंसिल में जा कि इसकी सबसे बड़ी देसभाल करने वाली संस्था है, कुछ सदस्य मनोनीत करती है। प्रान्त का गवर्नर ही उस प्रान्त में स्थित विश्वविद्यालय का कुलपति (Chancellor) होता है। बनारस तथा अलौगढ़ विश्वविद्यालयों को अपने चान्सलरों को स्वयं चुनने का अधिकार है। उत्तर प्रदेश का गवर्नर इन दोनों विश्वविद्यालयों का 'चांसलर' है।

भारतीय विश्वविद्यालय अनेक विषयों की शिक्षा देने हैं। ये विषय आर्ट्स, साइन्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, एजुकेशन ए-जीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, आरियन्टल लिनिङ्ग, टेक्नोलॉजी, थियोलॉजी और फारेस्ट्री फैकल्टियों में विभाजित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय भी फैकल्टियों में डिभिजियाँ देता है, बनारस भी नौ में और बम्बई आठ में, फिर भी, वे बिल्कुल एक ही प्रकार के नहीं हैं। आगरा विश्वविद्यालय में १६४०-४१ में आर्ट्स, साइन्स, लॉ कॉमर्स और एग्रीकल्चर— ये पाँच ही फैकल्टियों थीं जिनमें मेडिसिन और एजुकेशन फैकल्टियाँ अभी हाल ही में जोड़ी गयी हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि सभी विश्वविद्यालयों की स्थापना ब्रिटिश सरकार को देश के शासन में सहायता देने वाले अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के निर्माण के उद्देश्य से हुई थी— वे सरकारी दफ्तरो में खप सकने वाले ग्रेजुएटों की संख्या से कहीं अधिक ग्रेजुएट हर वर्ष उत्पन्न कर रहे हैं और इस प्रकार

पढे लिखे मध्यम वर्ग की बेकारी एक भीषण समस्या बन गयी है— फिर भी, यह स्वीकार करना पडेगा कि शिक्षा का अब भी प्रमुख उद्देश्य भौतिक उन्नति है। मध्यम वर्ग के नवजवान विश्वविद्यालय में जीवन के सर्पथ में सफल होने के उद्देश्य से नाम लिखाते हैं। विश्वविद्यालय की शिक्षा अब भी अच्छी नौकरी दिलाने वाली समझी जाती है। भौतिक जीवन की साधना ही आज ज्ञान की आराधना का प्रमुख उद्देश्य है। सांस्कृतिक मूल्यों के लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त कर रहे लोगों की संख्या बहुत कम है।

भारत में विश्वविद्यालय— शिक्षा की एक दूसरी विशेषता भी ध्यान देने योग्य है। एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लेने या हाई-स्कूल शिक्षा की समाप्ति के तुरन्त बाद किमी पेशे में लग जाने के बदले भारतीय नवजवान किमी विश्वविद्यालय में किमी नौकरी के लिए तैयार होने के उद्देश्य से नाम लिखाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को विश्वविद्यालयों में जगह मिल जाती है जिनका बौद्धिक स्तर वहाँ की शिक्षा के उपयुक्त नहीं होता। इण्टरमीजिएट शिक्षा को विश्वविद्यालयों से अलग करने का उद्देश्य यही था कि माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के बाद ऐसे विद्यार्थी अपने लिए उपयुक्त पेशे या नौकरी की तलाश कर लें। दिल्ली प्रान्त की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का भी यही उद्देश्य है और यह व्यवस्था अन्य प्रान्तों तक भी विकसित की जा सकती है। इस व्यवस्था के अनुसार इण्टरमीजिएट बच्चाएँ ताड़ दी गयी हैं और हाई स्कूल का समय एक वर्ष और बढ़ा दिया गया है। वर्तमान समय में ऊँची सरकारी नौकरियों तथा कानून, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग जैसे बौद्धिक पेशों के लिए विश्वविद्यालय ग्रेजुएट ही लिये जा रहे हैं। यहाँ यह कह देना भी उपयुक्त है कि खर्चीली होने के कारण विश्वविद्यालयों की शिक्षा बहुत से प्रतिभावान नवयुवकों की पहुँच के बाहर है। शिक्षा की इस प्रणाली में परीक्षर का भूत हरदम मिर पर सवार रहता है।

यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा की भौति विश्वविद्यालय शिक्षा भी देश की आर्थिक तथा व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। यह शिक्षा अधिकतर साहित्यिक होती है, पेशे-सम्बन्धी नहीं। विश्वविद्यालय-ग्रेजुएटों के आज बेकार मारे-मारे फिरने का एक यह भी कारण है। यह अनुमान लगाया गया है कि १०० ग्रेजुएटों में २० बेकार रहते हैं और केवल ३० को ऐसे कार्य मिलते हैं जिनका उनकी योग्यताओं और उनकी शिक्षा पर व्यय किये समय तथा धन से ठीक सामंजस्य बैठता है। यह अच्छा होता यदि विश्वविद्यालय पेशे सम्बन्धी और तकनिकल शिक्षा पर अधिक ध्यान देते।

अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड (Inter-University Board)— अपने देश के २६ विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक अपनी अपनी व्यवस्था में स्वतन्त्र है। १९२५

के पहले उनके कार्यों को एक दूसरे से सम्बन्धित करने वाला कोई और संगठन न था। इसी वर्ष अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना इस उद्देश्य से हुई। उसके कार्य निम्नलिखित हैं—

(i) एक अन्तर-विश्वविद्यालय संगठन तथा सूचना के एक ब्यूरो (Bureau) के रूप में कार्य करना।

(ii) प्रोफेसरो की अटला-बदली में सहायता पहुँचाना।

(iii) विश्वविद्यालयों के पारस्परिक सम्पर्क का माध्यम बनना और उनके कार्यों को एक दूसरे से सम्बन्धित करना।

(iv) उच्च शिक्षा पर ब्रिटिश साम्राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति करना या नियुक्ति के सम्बन्ध में मलाह देना।

(v) भारतीय विश्वविद्यालयों में हाने वाली नियुक्तियों के लिए एक ब्यूरो के रूप में कार्य करना।

इस बोर्ड की सालाना बैठकें विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुआ करती हैं जहाँ विश्वविद्यालय-शिक्षा तथा अन्य विषयों पर विचार-विमर्श होता है। उदाहरण के लिए, कुछ वर्षों पहले मर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सभापतित्व में हैदराबाद में हुई बैठक में सार्जेन्ट-स्कीम नाम से जानी जाने वाली युद्धोत्तर-शिक्षा विकास-योजना पर विचार-विमर्श हुआ। इसने योजना के सम्बन्ध में सरकार को अपनी राय दी। इस बैठक ने पाँच वर्ष की उम्र वाले प्रत्येक लड़के या लड़की के लिए आठ वर्षों तक अनिवार्य शिक्षा की सलाह दी और डिग्री कोर्स को कम से कम तीन वर्षों का निश्चित किया।

शिक्षा-प्रणाली के दोष— भारतीय शिक्षा-प्रणाली के प्रचलित करने के रूपों और उसे विभाजित करने वाली सीढ़ियों का विवेचन करते समय उसके अधिकांश दोषों का वर्णन हो चुका है; फिर भी, यह विषय इसना महत्वपूर्ण है कि उस पर अलग विमर्श आवश्यक है— ऐसा करने में चाहे थोड़ी पुनरावृत्ति हो क्यों न हो। वर्धा-शिक्षा-योजना की पूरी प्रशंसा तब तक नहीं हो सक्ती जब तक उसके द्वारा हटाये जाने वाले दोषों का पूर्ण ज्ञान न हो जाय।

इसका एक सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका विकास लोगों की प्रवृत्ति एवं आवश्यकताओं के प्रतिबुल हुआ है। इसी प्रणाली के जन्मदाता मैकले ने पाठ्य-विषयों के निर्वाचन और उन विषयों की शिक्षा देने वाली व्यवस्था (Machinery) का निश्चय करते समय भारतीय मस्तिष्क और उससे जन्म पाने वाली सम्यता पर कोई ध्यान न दिया। पाठ्य-क्रम से भारतीय साहित्य एवं दर्शन को अलग रखने और

भारतीय मस्तिष्क के विकास को केवल अंग्रेजी तथा अङ्गरेजियत के आधार पर ले चलने के उसके निश्चय ने बड़ी हानि पहुँचायी। जैसा कि ऊपर कक्ष जा चुका है, भारतीय मस्तिष्क के लिए शिक्षा असत्य एव असन्तोषप्रद बन गयी। भारतीय जीवन के लिए यह इस अर्थ में अनुपयुक्त है कि जीवन की जटिल एवं व्यावहारिक समस्याओं के हल में यह लोगों की कोई सहायता नहीं करती। किसी भारतीय किसान का कोई लड़का भारतीय खेती, भारतीय पेड़ पौधों, भूमि तथा ऋतुओं के सम्बन्ध में बिना कोई ज्ञान प्राप्त किये बी० ए०, एम० ए० की उपाधियाँ ले सकता है। किसी भारतीय विश्वविद्यालय का एक ग्रेजुएट शेक्सपियर, मिल्टन, मिल तथा स्पेन्सर के विषय में कालिदास, तुलसीदास या रामानुज तथा शक्यचार्य की अपेक्षा अधिक जानता है।

राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख केन्द्र से भी इस शिक्षा-प्रणाली का कोई सम्पर्क नहीं है। वास्तविक भारत जहाँ बसता है उन गाँवों का छाड़ कर इमने उन्हें नष्ट करने तथा चूसने वाले शहरों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भारत को आज ग्राम्य-शिक्षा द्वारा गाँवों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

इसका दूसरा बड़ा दोष यह है कि इसने थोड़े से पढ़े-लिखे लोगों तथा गाँवों के अधिकांश निरक्षर व्यक्तियों के बीच बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है। सूट-बूट से लैस और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा से भरा हुआ नवनवान ग्रामीण वातावरण में उद्विग्न हो उठता है। मैकाले का यह स्वप्न कि उसकी योजना से रक्त तथा वर्ण से भारतीय किन्तु रुचि, व्यवहार तथा नैतिक दृष्टि से अंग्रेजों का निर्माण होगा, बहुत अशों में सत्य हुआ।

इसका तीसरा बड़ा दोष इसके अर्थाधिक साहित्यिक तथा अपर्याप्त रूप से पेशा-सम्बन्धी होने में है। यह पर्याप्त रूप से व्यावहारिक नहीं है। पाठ्य-क्रम इतना सकीर्ण होता है वह किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों और कानून तथा डॉक्टरी जैसे कुछ बौद्धिक पेशा को छोड़ अन्य किसी ईमानदार पेशे या कला-कौशल के योग्य नहीं बनाता। बौद्धिक पेशों में जगह न रहने तथा यूनिवर्सिटियों द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न किये ग्रेजुएटों के उपयुक्त पर्याप्त काम न होने के कारण पढ़े लिखे बेकार लोगों की समस्या विपमतर होती जा रही है।

शिक्षा प्रणाली का चौथा बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल विश्वविद्यालय-शिक्षा की आवश्यकताओं को ही प्रधानता दी जाती है। प्राथमरी स्कूल विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और हाई स्कूल लड़कों को इसी तरह विश्व-विद्यालय-शिक्षा के लिये। यह कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें प्रत्येक स्तर का अपना अलग महत्त्व हो। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी शिक्षा के लिये मध्यम वर्गों द्वारा मंचायी गयी चिल्लाहट से प्रभावित होती है जो उन्हें अच्छी नौकरियों

दिलवा सके और लोगों में उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न कर सके। जनता के प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकारों पर सम्यक् ध्यान नहीं दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजों के लगभग दो सौ वर्षों के शासन में देश की बहुत बड़ी जन-सख्या निरक्षर रही।

पॉंचवें. इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इण्टरमीडियेट तथा विश्वविद्यालय कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अङ्गरेजी है। पाठ्य पुस्तकें अङ्गरेजी में लिखी रहती हैं, कक्षाओं में लेक्चर भी अङ्गरेजी में होता है और प्रश्न-पत्रों का उत्तर भी विद्यार्थियों को अङ्गरेजी में ही लिखना पड़ता है। अब यह बात धीरे-धीरे कम हो रही है। इस भाषा के सम्यक् ज्ञान के लिये विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अत्यधिक जोर पड़ता है और इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह भी अक्षर पूर्ण नहीं होता। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत हानिकर है— यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि वर्तमान भारत द्वारा मनुष्य के वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक ज्ञान में दिया हुआ योग उससे बहुत छोटे राष्ट्रों द्वारा दिये योग से भी बहुत कम है। अंग्रेजी भाषा पर अत्यधिक जोर देने के कारण देशी भाषाओं की उपेक्षा हुई और देशी भाषाओं की उपेक्षा से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार उदात्त बुरा प्रभाव पड़ा। इस तर्क से कि अंग्रेजी सारे सभ्यता की भाषा है और पश्चिम के साथ सम्पर्क बनाये रखने तथा वहाँ के विज्ञान, औपधि आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी जानना आवश्यक है, एक शताब्दी से भी पहले मैकाले द्वारा अपनायी नीति के दोष कम नहीं हो जाते।

इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में शिक्षा पर जो धन व शक्ति खर्च होता है उससे देश और जाति को पूरा लाभ नहीं पहुँचता। और परीक्षाओं को इसमें इतना प्रमुख स्थान दिया जाता है कि अन्य सभी विचार परीक्षा पास करने के अन्तर्गत रख दिये जाते हैं।

अन्त में कुछ ऐसे लोग भी हैं— और उनकी संख्या कम नहीं है— जो इस प्रथा की इसका धर्म-सम्बन्धी उपेक्षा के कारण आलोचना करने हैं। भारतीयों के जीवन में धर्म का बड़ा महत्त्व है, इसलिए यह प्रणाली उनकी भाषनाओं के अनुकूल न पड़ने के कारण उनके लिए एकदम विदेशी है। बृद्धों के प्रति भवजवानों में आदर की कमी, सामूहिक तथा अल्पजिक कृत्यों के आर्क्षभौष, तिरस्कार तथा लोगों के नैतिक पतन का उत्तरदायित्व भी इसी प्रणाली पर रखा जाता है। ईसाई मिशनरों तथा कुछ साम्प्रदायिक या वर्गगत संस्थाओं को ह्रास कर अधिकतर स्कुलों तथा कॉलेजों में दी गई शिक्षा धर्म से सम्बन्धित नहीं रहती। पुराने अन्धविश्वासों तथा घृष्टिपूर्ण धारणाओं को उखाड़ फेंकने में अंग्रेजी शिक्षा ने सहायता अवश्य दी है। अपने देश में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें परम्परागत विश्वासों के पतन

भारतीय मस्तिष्क के विकास को केवल अंग्रेजी तथा अङ्कुरेजियत के आधार पर ले चलने के उसने निश्चय ने बड़ी हानि पहुँचायी। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भारतीय मस्तिष्क के लिए शिक्षा असत्य एवं असन्तोषप्रद बन गयी। भारतीय जीवन के लिए यह इस अर्थ में अनुपयुक्त है कि जीवन की अग्लि एवं व्यावहारिक समस्याओं के हल में यह लोगों की कोई सहायता नहीं करती। किसी भारतीय किसान का कोई लड़का भारतीय खेती, भारतीय पेड़ पौधों, भूमि तथा मृत्तुओं के सम्बन्ध में निता कोई-ज्ञान प्राप्त किये बी० ए०, एम० ए० का उपाधयों ले सकता है। किसी भारतीय विश्वविद्यालय का एक ग्रेजुएट शेक्सपियर, मिल्टन, मिल तथा स्पेन्सर के विषय में कालिदास, तुलसीदास या रामानुज तथा शंकराचार्य की अपेक्षा अधिक जानता है।

राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख कन्द्र से भी इस शिक्षा-प्रणाली का कोई सम्पर्क नहीं है। वास्तविक भारत जहाँ बसता है उन गाँवों का छूट कर इसने उन्हें नष्ट करने तथा चूसने वाले शहरों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। भारत को आज आभ्य शिक्षा द्वारा गाँवों के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है।

इसका दूसरा बड़ा दोष यह है कि इसने थोड़े से पढ़े लिखे लोगों तथा गाँवों के अधिकार निरक्षर व्याक्तियों के बीच बहुत बड़ा अन्तर उत्पन्न कर दिया है। सूट-बूट से लैस और शारीरिक श्रम के प्रति घृणा से भरा हुआ नवजवान प्रामीण वातावरण में उद्विग्न हो उठता है। मैकाले का यह स्वप्न कि उसकी योजना सरल तथा बर्षों से भारतीय किन्तु रुचि, व्यवहार तथा नैतिक दृष्टि से अंग्रेजों का निर्माण होगा, बहुत अशर्मा में सत्य हुआ।

इसका तीसरा बड़ा दोष इसका अत्यधिक साहित्यिक तथा अपर्याप्त रूप से पेशा सम्बन्धी होने में है। यह पर्याप्त रूप से व्यावहारिक नहीं है। पाठ्य-क्रम इतना मकीर्ण होता है यह किसी व्यक्ति को सरकार नौकरियों और कानून तथा डॉक्टरी जैसे कुछ बौद्धिक पेशों का छोड़ अन्य किसी ईमानदार पेशे या कला कौशल के योग्य नहीं बनाता। बौद्धिक पेशों में जगद न रहने तथा भ्रूनिर्वसिन्धियों द्वारा प्रतिवर्ष उत्पन्न किये ग्रेजुएटों के उपयुक्त पर्याप्त काम न होने के कारण पढ़े लिखे बेकार लोगों की समस्या विपमतर होनी जा रही है।

शिक्षा प्रणाली का चौथा बड़ा दोष यह है कि इसमें केवल विश्वविद्यालय शिक्षा की आवश्यकताओं का ही प्रधानता दी जाती है। प्राइमरी स्कूल विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार करत हैं और हाई स्कूल लड़कों को इसी तरह विश्व-विद्यालय शिक्षा के लिये। यह कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें प्रत्येक स्तर का अपना अलग महत्त्व हो। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी शिक्षा के लिये मध्यम वर्गों द्वारा मचाया गयी चिल्लाहट से प्रभावित होती है जो उन्हें अच्छी नौकरियों

दिलवा सके और लोगों में उनके प्रति आदर का भाव उत्पन्न कर सके। जनता के प्रारम्भिक शिक्षा के अधिकारों पर सम्यक् ध्यान नहीं दिया गया। इसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजों के लगभग दो सौ वर्षों के शासन में देश की बहुत बड़ी जन-संख्या निरक्षर रही।

पाँचवें. इस व्यवस्था में एक बहुत बड़ी कमी यह है कि इण्टरमीडियेट तथा विश्वविद्यालय-कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम अङ्गरेजी है। पाठ्य पुस्तकें अङ्गरेजी में लिखी रहती हैं, कक्षाओं में लेक्चर भी अङ्गरेजी में होता है और प्रश्न-पत्रों का उत्तर भी विद्यार्थियों को अङ्गरेजी में ही लिखना पड़ता है। अब यह बात धीरे-धीरे कम हो रही है। इस भाषा के सम्यक् ज्ञान के लिये विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अत्यधिक जोर पड़ता है और इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह भी अक्सर पूर्ण नहीं होता। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देना बहुत हानिकर है— यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि वर्तमान भारत द्वारा मनुष्य के वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक ज्ञान में दिया हुआ योग उससे बहुत छोटे राष्ट्रों द्वारा दिये योग से भी बहुत कम है। अंग्रेजी भाषा पर अत्यधिक जोर देने के कारण देशी भाषाओं की उपेक्षा हुई और देशी भाषाओं की उपेक्षा से प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार में बुरा प्रभाव पड़ा। इस तर्क से कि अंग्रेजी सारे ससार की भाषा है और पश्चिम के साथ सम्पर्क बनाये रखने तथा वहाँ के विज्ञान, औपधि आदि के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी जानना आवश्यक है, एक शताब्दी से भी पहले मैकाले द्वारा अपनायी नीति के टोप कम नहीं हो जाते।

इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि इस प्रणाली में शिक्षा पर जो धन व शक्ति खर्च हाता है उससे देश और जाति का पूरा लाभ नहीं पहुँचता। और परीक्षाओं को इसमें इतना प्रमुख स्थान दिया जाता है कि अन्य सभी विचार परीक्षा पास करने के अन्तर्गत रण दिये जाते हैं।

अन्त में कुछ ऐसे लोग भी हैं— और उनकी संख्या कम नहीं है— जो इस प्रथा की इसका धर्म सम्बन्धी उपेक्षा के कारण आलाचना करते हैं। भारतीयों के जीवन में धर्म का बड़ा महत्त्व है, इसलिए यह प्रणाली उनकी भावनाओं के अनुकूल न पड़ने के कारण उनका लिए एकदम विदेशी है। बृद्धों के प्रति नवजवानों में आदर की कमी, धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के सार्वभौम तिरस्कार तथा लोगों के नैतिक पतन का उत्तरदायित्व भी इसी प्रणाली पर रक्खा जाता है। ईसाई मिशनरों तथा कुछ साम्प्रदायिक या वर्गगत संस्थाओं को छोड़ कर अधिकतर स्कूलों तथा कॉलेजों में टा गई शिक्षा धर्म से सम्बन्धित नहीं रहती। पुराने ग्रन्थविश्वासों तथा घुटिपूर्ण धारणाओं का उखाड़ फेंकने में अंग्रेजी शिक्षा ने सहायता अग्रशय दी है। अपने देश में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें परम्परागत विश्वासों के पतन

से कोई दुःख न होता हो। लेकिन परिवर्तन का उत्तरदायित्व स्कूलों तथा कॉलेजों में दी गई शिक्षा पर ही नहीं छोड़ना चाहिये। अन्य स्वतन्त्र विचार भी अपना काम बराबर करते रहे हैं। आज नारों और हर चीज के प्रति आलोचनात्मक तथा तर्कपूर्ण दृष्टिकोण का प्रसार है। चीजों के पुराने मूल्यों में परिवर्तन होता जा रहा है और परम्परागत विश्वासों के स्थान पर नई मान्यताओं को स्थान मिलता जा रहा है। कट्टरता के दुर्ग पर नारों और से आक्रमण हो रहा है और वह अब टूट रहा है। पश्चिमी शिक्षा ने परिवर्तन की गति तीव्रतर कर दी है; हमें इस पर आँसू नहीं बहाना चाहिये।

शासकों ने यदि पाश्चात्य विज्ञानों के अध्ययन को क्लासिकल साहित्य तथा आचार-शास्त्र के अध्ययन के साथ मिला दिया होता तो लोगों की आज धर्म के प्रति अभ्रद्धा न रहती। इस व्यवस्था से आवश्यक धार्मिक शिक्षा की परीक्षा रूप से रक्षा होती। लोगों द्वारा अपनाये गये धर्म के विभिन्न रूपों के कारण धर्म की प्रत्यक्ष शिक्षा सदैव सरल नहीं है। सरकार द्वारा धार्मिक अन्यमनस्कता की बहुत पहले अपनाई नीति से यह कार्य कठिन हो गया है। लोगों का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहिये कि कुछ सस्थाओं में दी गयी धार्मिक शिक्षा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। लड़के या लड़की को धार्मिक शिक्षा देने की सबसे उपयुक्त जगह घर है, स्कूल या कॉलेज नहीं। इसलिए धर्म की उपेक्षा का आक्षेप कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

महात्मा गाँधी इस प्रणाली, विशेषकर प्रारम्भिक शिक्षा की प्रणाली, के कट्टर आलोचकों में से थे। प्रारम्भिक शिक्षा-प्रणाली को वे केवल अत्यधिक रचनीली ही नहीं, प्रत्युत हानिकर भी समझते थे। राष्ट्रीय जीवन में उनके अद्वितीय स्थान के कारण उनके इससे सम्बन्धित विचारों की ओर सचेत उपयुक्त ही होगा। इन विचारों को उनके ही शब्दों में देना सबसे अच्छा होगा। २-१०-१९३७ के 'हरिजन' में उन्होंने इस प्रकार लिखा :

'शिक्षा की वर्तमान प्रणाली देश की आवश्यकताओं की किसी भी रूप में पूर्ति नहीं करती। विद्या के सभी ऊँचे विभागों में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिए जाने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कुछ थोड़े से व्यक्तियों और अशिष्ट, अदुःखियों, के बीच एक स्थायी अन्तर उत्पन्न हो गया है जिसके परिणामस्वरूप ज्ञान का जनता के बीच प्रसार रुक गया। अंग्रेजी को अत्यधिक महत्त्व दिये जाने के कारण पढ़े-लिखे वर्ग पर एक ऐसा बोझ पड़ा है जिसने उन्हें मानसिक रूप से अपग तथा अपने ही देश में अनजान बना दिया है। पेशे-सम्बन्धी ट्रेनिंग की अनुपस्थिति ने शिक्षित वर्ग को उत्पादन कार्य के लगभग एकदम अयोग्य बना दिया है और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को भी बहुत हानि पहुँचायी है। प्रारम्भिक

शिक्षा पर किया गया व्यय व्यर्थ होता है क्योंकि जा कुछ भी पढाया जाता है वह शीघ्र भूल जाता है और गाँवों या नगरों के लिए उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं रहती। शिक्षा की वर्तमान प्रणाली से जा कुछ भी लाभ हो रहा है वह उसमें कर देने वाले प्रमुख व्यक्ति और उसके बच्चा को न के बराबर पहुँच रहा है।'

प्रारम्भिक शिक्षा पर एक दूसरे अधसर पर बोलते समय उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था द्वारा अधिकतर लड़के अपने माँ-बाप तथा अपने पैतृक पेशे के काम के नहीं रहते। वे बुरी आदतें ग्रहण करते और शहरी तौर तरीकों का अपनाते और कुछ चीजों के विषय में इधर उधर से ज्ञान लेते हैं जिसे शिक्षा क अतिरिक्त कुछ भी कहा जा सकता है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर एक प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्री सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विचार उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा। ग्राल-बंगाल कॉलिज एण्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसियेशन के सभापति क पद स भाषण करते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा

'सरकार की शिक्षा-सम्बन्धी नीति लोगों को केवल विदेशी सत्ता के उपयुक्त योजार बना देती है, यह उन्हें एक स्वतन्त्र राष्ट्र के आत्माभिमान की नागरिक नहीं बनाती। अपना मातृभूमि के प्रति प्रेम ही सभी उन्नतियों का आधार है। इस सिद्धान्त को सभी देशों ने स्वीकार किया है। लेकिन अपने अभाग्यशाली देश म ऐसा नहीं है। किसान विजित राष्ट्र की सारी चेतना लुप्त हो जाती है, वह आशा, साहस, अत्मविश्वास सभी खो बैठता है। हमारी राजनैतिक परतन्त्रता का अर्थ यही है कि हम अपने को स्वतन्त्र राष्ट्रों की बराबरी में नहीं रख सकते। भारतीय इतिहास हम यही सिखाने के लिए पढाया जाता है कि हम असफल रहे। परतन्त्रता का सबसे विनाशकारी प्रभाव यह होता है कि निराशा एव चेष्टाहीनता परतन्त्र लोगों को छा लेती है और उनका अपने ऊपर से विश्वास उठ जाता है। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव तथा आत्मसम्मान की चिनगारी को प्रज्वलित रखना है। यदि हमारा धन या उसका उत्पादन करने वाली शक्तियाँ अपहृत हो जाती हैं तो हम उन्हें यदि आज नहीं तो कल अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी राष्ट्रीय-चेतना ही लुप्त हो जाती है तो हमारे लिए कोई आशा नहीं है।'

इस सारी शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष इन शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है : 'यह हमें वास्तविक चीजों के बदले केवल कुछ पुस्तकें तथा प्रताक देती है।' महात्मा जी ने शिक्षा को वास्तविकता पर आधारित करके शिक्षा और जीवन के बीच की खाई को पाटने की चेष्टा की।

इस शिक्षा-प्रणाली के गुण— पश्चात्य शिक्षा में सभी दोष ही नहीं हैं, इससे अनेक लाभ भी हुए हैं। समाजों पर सम्यक् विचार करने पर इसकी अच्छाइयों

इसकी बुराइयों से बढ जा सकती हैं। प्रथमतः, इसने पाश्चात्य सभ्यता की सबसे बड़ी प्राप्तियों अर्थात् विज्ञानों को भारत के लिए सुगम बना दिया। हम अपनी सभ्यता को चाहे जितना महत्त्व दें और उसे पाश्चात्य सभ्यता के मुकाबले चाहे जितना अच्छा समझें, फिर भी, यह तो स्वीकृत ही करना पड़ेगा कि इसमें अनेक कमियाँ हैं; जैसे प्रकृति की शक्तियों पर अनुशासन। अङ्गरेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों (जो अङ्गरेजी द्वारा सरलता से सुलभ हैं) के सम्यक् अध्ययन द्वारा ही हमारी शिक्षा प्रणाली की यह बड़ी कमी पूरी हो सकती है। इसने हमारे दृष्टिकोण तथा मानसिक स्तर को और विस्तृत किया है और हमें यह बतलाया है कि जगत् में हमारे दर्शनों तथा प्राचीन शिक्षा-प्रणालियों द्वारा बताया गयी चीजों से कहीं अधिक चाहे हैं। आज के भारतीय जीवन की एक प्रमुख विशेषता— राष्ट्रीय भावना का विकास— के निर्माण में भी पाश्चात्य शिक्षा ने बड़ी सहायता पहुँचायी है। शिक्षा-अधिकारियों के विदेशी होने हुए भी हमारे स्कूल तथा कॉलेज राष्ट्रीयता की निर्माणशाला बने। मिल तथा बर्क जैसे लेखकों और शेली तथा मिल्टन जैसे कवियों के अध्ययन ने भारतीय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में व्यक्तिगत तथा राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य की जीवन प्रदायिनी भावनाएँ भर दीं और उन्हें त्याग तथा राष्ट्र-सेवा का पाठ पढा दिया। इस सम्बन्ध में यह बनाना अनुपयुक्त न होगा कि राष्ट्रीय चेतना में योग देने वाले अधिकतर नेताओं ने अङ्गरेजी शिक्षा ही पायी थी। यह कहना ज्यादाती होगी कि अङ्गरेजी शिक्षा के अभाव में राष्ट्रीय चेतना न इतनी शीघ्र फैलती न इतने व्यापक रूप से। इस समय की सरकार द्वारा प्राच्य विद्याओं के अध्ययन को प्रश्रय देने की नीति का विरोध करके राजा राममोहनराय ने बड़ी दूरदर्शिता की। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव राष्ट्रीय चेतना के क्षेत्र में ही नहीं प्रत्युत अन्य क्षेत्रों में भी दृष्टिगत होता है, कला-कौशल, उद्योग धन्धों तथा वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र में यह विशेष रूप से दृष्टिगत है। बड़े पैमाने पर उद्योग-धन्धों तथा ट्रेड यूनियनिज्म को हमने पश्चिम से ही लिया है। पश्चिम के सम्पर्क से ही हमारी सामाजिक चेतना जागृत हुई है और हम अपनी सामाजिक बुराइयों को धीरे-धीरे हटाते जा रहे हैं। इस प्रकार विचार तथा कार्य का मुश्किल से ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का जीवनदायक प्रभाव न महसूस हुआ हो।

लेकिन उन उद्देश्यों का क्या हुआ जिन्होंने लॉर्ड मैकाले को १८३५ में पाश्चात्य-शिक्षा के प्रसार के लिए प्रेरित किया था? क्या उन्होंने भारतीयों का ब्रिटिश-सरकार के प्रति स्वामिभक्त बनाया। क्या उन्होंने देश में कोई धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ किया और हिन्दुत्व ने क्या उसके सामने घुटने टेक दिये? इन प्रश्नों का उत्तर श्री 'मैली' के अपने ही शब्दों में देना अत्युत्तम होगा। वह हम प्रकार लिखता है: 'अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोगों में अपने शासकों के प्रति संधारणतः कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है और सरकार के प्रति उनका जो कुछ भी

सोसायटी के प्रभाव क्षेत्र में आने से पहले अपने देश की स्त्रियों की शिक्षा में मिशनरी सस्थाएँ हाँ सलग्न थीं। आज दिन भी स्त्रियों की पूरी जन-संख्या की ३ % से भी कम स्त्रियों को अक्षर ज्ञान है। १९४५-४६ में सरकार द्वारा स्वीकृत तथा अस्वीकृत सस्थाओं में स्त्री विद्यार्थियों की कुल संख्या ४,०२८,१२६ थी। १९४१-४२ की संख्या से यह संख्या तीन लाख अधिक है। लेकिन मिसेज कजिन्स द्वारा नाचे दी हुई संख्यायें स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी कहानी स्वयं कहती हैं 'प्रत्येक सौ लड़कियों में से केवल एक की प्रारम्भिक शिक्षा मिलती है, प्रत्येक १००० लड़कियों में से केवल एक को माध्यमिक शिक्षा मिलती है। २० वर्षों में भारतीय स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत २ से ३ % नहीं हुआ।' लड़कियों के छद्म गुने लड़कों की शिक्षा मिलती है। लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की शिक्षा पर चौदहगुना अधिक रुपया व्यय होता है। अपने देश में लगभग ४० लाख स्त्रियों ही साक्षर हैं।

स्त्री शिक्षा ने शहरों में ही अधिक उन्नति की है। ग्राम्य क्षेत्रों में लड़कियों के लिये कॉलेजों का तो कहना ही क्या, उनका स्कूल भी नगण्य है। ग्रामीण स्त्रियों की अनक्षरता के अनेक कारण हैं। उन्होंने अभी तक शिक्षा के महत्त्व तथा उसकी आवश्यकता पर बहुत कम ध्यान दिया है। शहरी स्त्रियों की अपेक्षा वे अधिक सकीर्ण तथा कष्टर हैं क्योंकि आधुनिक आन्दोलनों तथा विचारों से वे बहुत कम प्रभावित हुई हैं। स्त्रियों की शिक्षा में लगा सस्थाएँ गाँवों की अपेक्षा शहरों में अपना कार्य सरलता से कर पाती हैं। गाँवों में स्थापित लड़कियों के स्कूलों के लिए शिक्षिकाओं का मिलना बहुत कठिन है। कस्तूरबा स्मारक निधि द्वारा बनायी गया स्त्री शिक्षा-योजना से इस क्षेत्र में आन्दोलन जारी परिवर्तन का आशा है।

लड़कों की भाँति लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा भी माध्यमिक तथा विश्व विद्यालय शिक्षा के बहुत पीछे है। उच्च शिक्षा ने प्रारम्भिक शिक्षा की अपेक्षा अधिक उन्नति की है। १९४५-४६ में प्राइमरी स्कूलों की एक बड़ी संख्या के अतिरिक्त लड़कियों के लिए ६४ आर्ट्स, १९ प्रोफेशनल, टेक्निकल तथा ट्रेनिंग कॉलेज तथा ६८५ हाई तथा १,५४९ मिडिल स्कूल थे। इन सब सस्थाओं में कुल मिलाकर ३,८४१,२६७ छात्राएँ शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। शिक्षा में डॉक्टरी की ओर अधिक लड़कियाँ आकर्षित होती हैं हालाँकि अब वे कानून और इंजीनियरिंग की ओर भी आकर्षित होने लगी हैं। १९४१-४२ में ७७८ स्त्री विद्यार्थी मेडिकल कॉलेजों में तथा ८४९ ट्रेनिंग कॉलेजों में थीं, कानून और इंजीनियरिंग में क्रम से १२३ और एक।

प्रोफेसर कार्वे द्वारा १९१६ में स्थापित किया हुआ किन्तु अब जम्बई में स्थित श्रीमती नार्थीबाइ दामोदर शैकरसे भारतीय स्त्री विश्वविद्यालय स्त्रियों

की शिक्षा की एक प्रमुख संस्था है। यह सस्था अन्य शिक्षण-संस्थाओं से इस अर्थ में भिन्न है कि स्त्रियों की शिक्षा पुरुषों से भिन्न होनी चाहिये क्योंकि यह इस बात पर जोर देती है कि जीवन में उन्हें भिन्न कार्य करने हैं। विद्यार्थी की मातृभाषा ही यहाँ शिक्षा का माध्यम है। वर्तमान समय में इससे सम्बन्धित चार कॉलिज तथा दो कॉलिजिएट क्याम्पस हैं जिनमें लगभग ३०० विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं। दिल्ली का लेडी इरविन कॉलिज भी स्त्री-शिक्षा को भारतीय जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाता है। १९३० में अखिल भारतीय स्त्री-शिक्षा-सम्मेलन द्वारा बैठाई गई, कमेटी के प्रयत्नों द्वारा ही इस सस्था की स्थापना हुई। जालन्धर का कन्या-महाविद्यालय तथा बधौदा का कन्या-गुरुकुल स्त्री-शिक्षा के दो प्रसिद्ध केन्द्र हैं।

भारत के सभी प्रान्तों में लड़कियों की शिक्षा डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन या डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन के क्षेत्राधिकार में है। कुछ प्रान्तों में उसकी सहायता के लिए एक डिप्टी डाइरेक्टर या स्त्री-शिक्षा की चीफ इन्स्पेक्टरस रहती है। स्त्री-शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने वर्नाक्यूलर तथा अंग्रेजी स्कूलों में व्यवस्था कर दी है। यहाँ इस और सकेत किया जा सकता है कि पारसियों तथा ईसाइयों में स्त्री-शिक्षा का प्रतिशत बहुत ऊँचा है और मुसलमानों में बहुत कम है।

यह ध्यान में रखना चाहिये कि लड़कियों अपने लिए बनी सस्थाओं में ही नहीं प्रत्युत लड़कों के कॉलिज में भी शिक्षा प्राप्त करती हैं। इस व्यवस्था को सह-शिक्षा कहते हैं। सह-शिक्षा की व्याप्त प्रत्येक प्रान्त में भिन्न है। यह सबसे अधिक मद्रास में प्रचलित है और सब से कम कदाचित् मिहार में।

(व) सार्वजनिक शिक्षा (Mass Education)— पहले यह कहा जा चुका है कि जनता की प्रारम्भिक शिक्षा उच्च और मध्यम वर्गों की उच्च शिक्षा से बहुत पीछे है। सर चार्ल्स वुड के शिक्षा-सम्बन्धी डेस्पैच के पहले जनता को शिक्षा के लाभों से निश्चित रूप से वञ्चित रक्खा गया। सरकार द्वारा जनता की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिए जाने पर भी अनेक परिस्थितियों ने इसके प्रसार को मन्द बना दिया। अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त की स्वीकृति का भी सन्तोषप्रद परिणाम न हुआ। कार्य की विशालता, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की किसी भी योजना को कार्यान्वित करने में लगने वाले अपार धन तथा लोगों की दरिद्रता तथा उपेक्षा के कारण सार्वजनिक शिक्षा के प्रसार में बड़ी कठिनाइयाँ पड़ी हैं। स्त्री शिक्षा की भौति यह प्रश्न भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसकी तरह इसके सुलभत्व में भी देर नहीं होनी चाहिये। आश्चर्य है कि राष्ट्रीय नेताओं तथा देश के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों ने जन-शिक्षा की ऐसी कोई सम्यक योजना नहीं बनायी जो वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के

टोपों से मुक्त होतीं और उनके स्थान पर न्यायान्वित की जा सकती। महात्मा गाँधी ने इस समस्या की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने वर्धा में डॉक्टर जकिर हुसेन की अध्यक्षता में देश के प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक के परिणाम-स्वरूप प्रसिद्ध वर्धा-शिक्षा-योजना बनी जिसे बेसिक-शिक्षा-योजना भी कहते हैं। प्रारम्भिक शिक्षा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से पुनर्निर्माण के लिए यह सबसे अधिक प्रभावशाली है।

वर्धा शिक्षा-योजना— इस योजना के विषय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, जिसके बिना इसका सच्चा मूल्यांकन नहीं हो सकता, यह है कि वास्तविक भारत गाँवों में बसता है, शहरों में नहीं, और इसी लिए यह ग्रामीण निरक्षरता का समाधान करने के लिए अधिक प्रयत्नशील है। गाँवों को निरन्तर हो रही बरबादी रोकना, ग्रामवासियों को अधिक संख्या में शहरों में आने से रोकना तथा ग्राम तथा नगर के बीच अधिक स्वस्थ तथा न्यायपूर्ण सम्बन्धों की वृद्धि भी इसके उद्देश्यों में से है। दूसरे शब्दों में, यह योजना प्रारम्भिक रूप से गाँवों की शिक्षा तथा उनके पुनर्निर्माण के लिए है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यह नगरों के लिये नहीं बनी है या वहाँ यह लागू नहीं हो सकती।

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बच्चे की शिक्षा किसी दस्तकारी या उत्पादन कार्य द्वारा चलाने का प्रयत्न किया जाता है। कातना-बुनना, खेती करना या चांग-जगीचे लगाना, बटईगिरी या लोहारगिरी, तेल निकालना, गुड़ बनाना या ऐसा ही कोई उत्पादन-कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयुक्त हो सकता है। चुनी हुई दस्तकारी या पेशा ही ऐसा केन्द्र है जिसके चारों ओर बच्चे की शिक्षा घूमती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि दस्तकारी की शिक्षा को भी प्रारम्भिक स्कूलों में पढाये जाने वाले विषयों में सम्मिलित कर लिया जाता है। यह कहने से भी पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता कि उन विषयों की शिक्षा को दस्तकारी की शिक्षा के साथ-साथ चलाना चाहिये। जिस चीज पर योजना का ध्यान है वह यह है कि बच्चों को काम में लगाने वाली दस्तकारी या उत्पादन-कार्य ही उनके मानसिक विकास तथा बौद्धिक ट्रेनिंग का प्रथम माध्यम होना चाहिये। दस्तकारी का काम चलाने समय योग्य शिक्षक बड़ी ही सरलता से इसके 'क्यों' और 'किस प्रकार' समझायेगा और बच्चे के मस्तिष्क में आने वाली अनेक समस्याओं के हल में उसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित तथा नागरिक शास्त्र का पर्याप्त ज्ञान मिल जायगा। वर्धा के अखिल-भारतीय शिक्षा सम्मेलन में अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए महात्मा जी ने कहा था कि 'उदाहरण के लिए तबली कातने को ही लीजिये। तबली कातना सिखाने का अर्थ है रुई की विभिन्न किस्मों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करना, भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न प्रकार की पायी जाने वाली मिट्टी के सम्बन्ध में जानकारी कराना, दस्तकारियों के विनाश

का इतिहास सिखाना, इसके राजनैतिक कारण बताना जिसमें भारत के ब्रिटिश शासन का इतिहास आ जायगा, और गणित का ज्ञान करना। यही प्रयोग मैं अपने नाती पर भी कर रहा हूँ जिसे यह महसूस ही नहीं होता कि वह पढ़ रहा है क्योंकि वह दरदम खेलता, हँसता तथा गाता रहता है।'

योजना की दूसरी विशेषता यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे स्थायी रूप से साक्षर हो जायेंगे और उनके पिर से निरक्षर हो जाने का कोई डर न रहेगा। इसके साथ-साथ वे सामाजिक समस्याओं को भी समझने लगेंगे और उनमें सामाजिक अदृष्टों का विकास होगा। इन सबको ध्यान में रख कर प्रारम्भिक शिक्षा का पाठ्य क्रम सात वर्षों का रचना गया है, सात वर्ष की उम्र से लेकर चौदह वर्ष की उम्र तक। इस प्रकार वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के चार या पाँच वर्षों के पाठ्य-क्रम द्वारा हो रही बरबादी हट जायगी।

योजना की तीसरी विशेषता यह है कि यह सभी लड़के-लड़कियों के लिए अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा लागू करना चाहता है— केवल कुछ चुने क्षेत्रों में ही नहीं, प्रत्युत सारे देश में। यह आशा की जा सकती है कि इस योजना द्वारा निरक्षरता बीस वर्षों में समाप्त हो जायेगी। अत्यधिक खर्च के कारण प्रारम्भिक शिक्षा अतहत में निशुल्क, सार्वभौम तथा अनिवार्य न बनायी जा सकी क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। महात्मा गांधी ने इस योजना का लगभग स्वावलम्बी बनाकर इस कठिनाई का दूर करने का प्रयत्न किया है।

वर्षा-शिक्षा-योजना से, कम या ज्यादा, अपने पैरों पर खड़े होने का आशा की जाता है। महात्मा जी के अनुसार अपना खर्च चला लेना ही इसकी वास्तविकता की सबसे बड़ा पहचान है। उनका विचार यह प्रतीत होता है कि बच्चों द्वारा तैयार हुई वस्तुओं के विक्रय से उनकी शिक्षा पर हुए व्यय का अधिकांश पूरा हो जायगा। हाँ, इन सस्थाओं के तैयार माल को सरकार का अवश्य खर्च देना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले एक या दो वर्षों तक विद्यार्थी अपनी शिक्षा का खर्च न उठा सके, लेकिन सात वर्षों के पूरे समय को ध्यान में रखने पर यह आशा की जाती है कि अपनी शिक्षा पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए विद्यार्थी पर्याप्त उत्पादन कर लेगा।

अन्त में, इस ओर ध्यान आकर्षित किया जा सकता है कि विद्यार्थी की सारी शिक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा रहेगी। इस प्रकार एक विदेशी भाषा में कुशलता प्राप्त करने के बोझ से वह बच जायगा।

किसी प्रकार के उत्पादन कार्य द्वारा शिक्षा, सात वर्षों का पाठ्यक्रम, सभी लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य, निशुल्क शिक्षा, आत्म निर्भर होने की योग्यता तथा मातृभाषा द्वारा शिक्षा - वर्षा-शिक्षा योजना इन्हीं आधारभूत विचारों तथा

सिद्धान्तों पर निर्भर है। इस प्रकार शिक्षा के लिए दस्तकारी के रूप में चर्खा प्रचलित करने से इसका अर्थ वहीं अधिक है।

यह योजना अनेक गुणों से सम्पन्न है। यह इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त पर आधारित है कि बच्चे की शिक्षा खेल द्वारा होनी चाहिए और ऐसा करने में उसकी सारी भावनाओं तथा उसके सारे मस्तिष्क का सहयोग मिलना चाहिए। इसके अनुसार बच्चे का मस्तिष्क सदैव सक्रिय तथा सामाजिक वातावरण के सदैव सम्पर्क में रहता है। शिक्षा को व्यावहारिक तथा सामाजिक वातावरण तथा आवश्यकताओं के अधिक अनुकूल बना कर यह वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के कुछ बड़े टाफों का दूर करती है। यह शिक्षितों तथा प्रशिक्षितों के बीच की खाई को भी दूर करती और ग्रामों तथा नगरों के बीच स्वस्थ सम्बन्ध स्थापित करती है। इसका सबसे बड़ी अच्छाई यह है कि निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा को सबसे बड़ा समस्या का यह व्यावहारिक हल देती है। इस योजना द्वारा जनता पर बिना कोई असहनाय अर्थात् भार डाले उसका शिक्षा का आशा की जाता है। बच्चों के मस्तिष्क पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में अपने राज्य में चलायी गयी बेसिक शिक्षा पर कश्मार सरकार के निम्नलिखित निरीक्षणों को उद्धृत कर देना समझने अच्छा होगा : 'बेसिक स्कूलों में आने वाले अनेक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों तथा सम्प्रान्त व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि इस योजना द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों ने अन्य साधारण स्कूलों के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक मानसिक सजगता तथा शिक्षा-सम्बन्धी चेतना प्रदर्शित की है। गणतन्त्र तथा आत्माभिव्यक्ति (Self-expression) में ये बच्चे अन्य स्कूलों के बच्चों से कहीं तेज हैं। दस्तकारी ने उनकी दिलचस्पी बनाये रखने तथा उसे बढ़ाने में जिस सीमा तक सफलता प्राप्त की है वह केवल कितनी शिक्षा के वातावरण में असम्भव थी।' यह कहना अत्युक्ति न होगा कि भारतीय ग्रामों तथा जन-साक्षरता की कुंजी इसी योजना में है। इसकी अच्छाईया के सम्बन्ध में हम स्वयं महात्मा जी के शब्द उद्धृत कर सकते हैं। अक्टूबर ६, १९२७ के 'हरिजन' में उन्होंने इस प्रकार लिखा : 'फातने जुनने जैसी ग्रामीण दस्तकारियों द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा देने की, हमारी योजना से एक ऐसी क्रान्ति का श्रीगणेश होता है जो बड़े ही महत्वपूर्ण परिणामों से भरी हुई है। शहरों तथा गाँवों के बीच के सम्बन्ध के लिए यह एक स्वस्थ तथा नैतिक आधार तैयार करेगी और इसके द्वारा वर्तमान सामाजिक अरक्षा (insecurity) तथा वर्गों के आपसी जहरीले सम्बन्धों की कुछ भयंकरतम बुराइयों को उलाड़ फेंकने में सहायता मिलेगी इससे हमारे गाँवों का निरन्तर पतन रहेगा और एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी जिसमें सम्पत्तियों तथा दरिद्रों (haves and have nots) के बीच का अप्राकृतिक विभाजन न होगा। और यह सब वर्ग-सघर्ष की क्रिमी खूनी लड़ाई या

भारत जैसे महादेश के मशीनीकरण में लगाने वाले अपार धन के बिना ही हो जायगा। मशीनों के लिए विदेशों पर निर्भर रहने या उनकी टेक्निकल कुशलता की भी इसमें कोई आवश्यकता न पड़ेगी।

इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए १९३८ में प्रयत्न किया गया। महात्मा जी द्वारा प्रेरणा दिये जाने के कारण इसकी प्रारम्भ अच्छी हुई। अनेक प्रान्ता तथा कुछ भारतीय राज्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। काश्मीर तथा बिहार में इसे सबसे अधिक सफलता मिली। कुछ ही वर्षों में काश्मीर में १२०, बिहार में २७, उम्बई में ५२, मध्य-प्रान्त में ५६ और उत्तर प्रदेश में लगभग ४००० बेसिक स्कूलों की स्थापना हो गयी। उत्तर-प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के स्कूल शत प्रतिशत बेसिक नहीं थे, पुराने स्कूलों ने ही बेसिक शिक्षा कमेटी का पाठ्य क्रम स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जायगा कि इस योजना को लोगों का पर्याप्त पक्ष मिला। प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों की दृष्टि में इसकी आधारभूत चीजें सही उतरी हैं और इसका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है। भविष्य में इसमें अनेक सुधारों का समावेश सम्भव है। यहाँ यह बतलाया जा सकता है कि योजना की अनेक विशेषताएँ मिस्टर जॉन सार्जेन्ट की युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना द्वारा उद्धृत कर ली गई हैं। अब हम इस योजना का अध्ययन प्रारम्भ करेंगे।

युद्धोत्तर शिक्षा विकास का सार्जेन्ट योजना— देश की जनता द्वारा वर्धा-शिक्षा-योजना को लिये गये सहयोग ने कदाचित् भारतीय सरकार को भी युद्धोत्तर काल में शिक्षा के विकास के सम्बन्ध में सोचने के लिए प्रेरित किया। फलस्वरूप शिक्षा की केन्द्रीय सलाहकार समिति ने शिक्षा विकास योजना के निर्माण के लिए एक कमेटी बैठाई। इस कमेटी की रिपोर्ट, जो सार्जेन्ट रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, १९४४ में प्रकाशित की गई। सरकार द्वारा इसके सुझावों को स्वीकृत करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने पर देश की शिक्षा-प्रणाली में एक क्रान्ति उपस्थित हो जाती। वर्धा शिक्षा योजना की इसने अनेक विशेषताएँ उद्धृत की हैं और कुछ दृष्टियों से तो यह पहले का परिष्कृत रूप है। वर्धा शिक्षा-योजना की भाँति यह केवल प्रारम्भिक शिक्षा तक ही सीमित नहीं, प्रत्युत इसका प्रसार माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय शिक्षा तक भी है।

वर्धा-योजना की भाँति सार्जेन्ट योजना ने भी देश के छ. तथा चौदह वर्ष के बीच के समा बच्चों के लिए निशुल्क, सार्वभौम तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का विधान किया। ट्रेनिंग पाये हुए शिक्षकों की कमी के कारण सम्भव हो सकता है कि देश की निरक्षरता दूर करने में चालीस वर्षों से कम न लगे, इन दोनों शिक्षा योजनाओं को ट्रेनिंग प्राप्त पर्याप्त शिक्षकों की प्राप्ति में कठिनाई होगी।

साजेंन्ट योजना ने शिक्षकों की भर्ती, ट्रेनिंग तथा उनकी सेवाओं की शर्तों की निस्तृत विवेचना की है। इन सब के शते हुए भी साजेंन्ट-योजना वर्धा-योजना की भौति, दस्तकारी के महत्व पर जार नहीं देती।

प्रारम्भिक पाठ्य-क्रम का भागों में विभाजित है। वैसिक स्कूलों के दो ग्रेड हागे— जूनियर और सीनियर। आधकतर विद्यार्थियों की शिक्षा जूनियर से सानियर वैसिक स्कूलों में जाने पर समाप्त हो सकती है। योग्य विद्यार्थी सानियर वासक स्कूलों (ये ग्राजकल के मिडिल स्कूलों के समकक्ष हो रहेगे) से हाई स्कूलों में भेजे जा सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सीनियर वैसिक स्कूलों के प्रत्येक पाँच विद्यार्थियों में एक हाई स्कूल में जा सगगा। इसने पाछे कार्य करने वाला विचार यह है कि वैसिक शिक्षा के सार्वभौम बना दिये जाने पर हाई स्कूलों की भर्ती चुनाव के आधार पर हानी चाहिये। वैसिक स्टेज में कई परीक्षा न होगी, कक्षा के प्रतिदिन के रिकर्ड के आधार पर ही शिक्षक लड़कों का प्रमोशन निश्चित करेगा।

साजेंन्ट योजना नर्सरी स्कूलों के रूप में प्राइमरी स्टेज से पहले का शिक्षा की भी व्यवस्था करती है। इन नर्सरी स्कूलों में ट्रेनिंग प्राप्त शिक्षिकाएँ रखी जायेंगी। इन स्कूलों की शिक्षा निशुल्क होगी किन्तु उसका अनिवार्य हाना आवश्यक नहीं। यह प्रयत्न किया जायगा कि माँ जाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में स्वयं भेज दे। इन स्कूलों का प्रमुख उद्देश्य छोटे बच्चों की शिक्षा से अधिक सामाजिक अनुभव कराना है। वर्धा योजना में ऐसे स्कूलों की और कोई सनेत नहीं है।

सारे ब्रिटिश भारत में इन तीनों प्रकार के स्कूलों— प्राइमरी, जूनियर तथा सीनियर— की स्थापना तथा उन्हें चलाने में २०० करोड़ रुपये सालाना से भी अधिक खर्च हागे। वर्धा-योजना में इतने अधिक खर्च का गुजायश नहीं है।

हाई स्कूल शिक्षा में छह वर्ष लगेंगे। भर्ती होने की साधारणतः उम्र ११ वर्ष है, अर्थात् विद्यार्थी की जूनियर वैसिक शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद। जैसा कि पहले कहा गया है सीनियर वैसिक स्कूलों के केवल योग्य विद्यार्थी ही हाई स्कूल में जा सकेंगे। हाई स्कूल का प्रकार के हागे— ऐकेडेमिक तथा टेक्निकल। इन दोनों प्रकार के स्कूलों का उद्देश्य सर्वांगीण शिक्षा के साथ बाद में चलकर पेशे सम्बन्धी तैयारी कारना भी है। पाठ्य-क्रम अधिक से अधिक विस्तृत होगा और ग्राज की विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं से प्रभावित नहीं रहेगा। इस प्रकार के हाई स्कूलों की स्थापना में लगभग पचास करोड़ रुपये लगेंगे।

विश्वविद्यालय शिक्षा— शिक्षा स्तर को ऊँचा करने के उद्देश्य से योजना विश्वविद्यालय-शिक्षा का भी निधान करती है। योजना द्वारा दिये गये मुझर्षों में से निम्नलिखित प्रमुख हैं — (1) विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का बोध समाल सकने वाले केवल योग्य विद्यार्थियों की भर्ती के उद्देश्य से भर्ती की शर्तों पर पुन

विचार। (II) वर्तमान इण्टरमीडिएट कक्षाओं को हटाकर फिलहाल उनका प्रथम वर्ष हाई स्कूल तथा दूसरा वर्ष डिग्री-कोर्स में जोड़ देना। (III) विश्वविद्यालय की उपाधि का पाठ्य-क्रम कम से कम तीन वर्षों का हो। (IV) शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक सम्पर्क के लिए ट्यूटोरियल-प्रणाली का विकास। विश्वविद्यालयों के वेतन का स्तर और आकर्षक बना दिया जायगा। अनुमान किया जाता है कि इन सुझावों को कार्यान्वित करने में ६ करोड़ ७२ लाख रुपये प्रतिवर्ष लगेंगे।

सॉलेंट रिपोर्ट टेकनिकल तथा कॉमर्सियल शिक्षा, एडल्ट शिक्षा, अपग व्यक्तियों की शिक्षा तथा शिक्षकों की ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करती है। सारी योजना का कुल व्यय ३०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष से भी अधिक होगा। अन्तर-विश्वविद्यालय बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया और उसके प्रमुख सुझावों को स्वीकृत कर लिया।

(स) टेकनिकल तथा पेशे सम्बन्धी शिक्षा— जनता की निरक्षरता दूर करने तथा उच्च शिक्षा में सुधार करने के पश्चात् टेकनिकल तथा पेशे-सम्बन्धी शिक्षा के प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। देशवासियों का साधारणतः यह विचार है कि हमारी शिक्षण संस्थाओं में दी गयी शिक्षा साहित्यिक अधिक है और हमारे स्कूलों तथा कॉलेजों में पेशे-सम्बन्धी शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया है, औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा पर तो और भी कम। विद्यार्थियों को शिक्षण, मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा ऐसे ही अन्य बौद्धिक पेशों की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की संख्या पर्याप्त नहीं है। १९४२ में सारे देश में ऐंग्रिकल्चर की शिक्षा देने वाले ८, पॉरेस्ट्री की ८, वेटरिनरी की चार तथा टेक्नोलॉजी की शिक्षा देने वाले दो कॉलेज थे। ग्रॉक्सफार्ड पेम्पलेट न० १२ में टेकनिकल शिक्षा पर एक रोचक लेख लिखने वाला लेखक भारत की शिक्षा प्रणाली का विवेचन करते समय यह बतलाता है कि पर्याप्त औद्योगीकरण करने वाले बम्बई जैसे प्रान्त में कुल ५१०० प्रोजेक्टों में से टेक्नोलॉजी की फव्वेली में केवल २६४, इंजीनियरिंग में १६२, केमिकल टेक्नोलॉजी में २० तथा एंग्रिकल्चर में ५२ प्रोजेक्ट थे। लेखक इस बात पर दुःख प्रकट करता है कि टेक्सटाइल मैनुफैक्चर प्रान्त का एक प्रमुख उद्योग होते हुए भी बम्बई विश्व-विद्यालय उसके लिए कोई डिग्री-कोर्स नहीं देता। देश की राजनैतिक स्थिति ही औद्योगिक तथा टेकनिकल शिक्षा में हमारे पिछड़े रहने का कारण बनी हुई थी।

अभी कुछ समय से ही टेकनिकल शिक्षा पर बहुत जोर दिया जाने लगा है। १९३६ में भारत-सरकार ने देश की टेकनिकल शिक्षा के सम्बन्ध में रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बैठायी जिसके चेयरमैन मिस्टर एबट थे। कमेटी ने पेशे सम्बन्धी शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रान्त में एक सरकारी सलाहकार-समिति बनाने तथा

विद्यार्थियों को औद्योगिक जगहों में नियुक्ति से पहले की ट्रेनिङ्ग देने के लिए कुछ चुनी जगहों में जूनियर तथा सीनियर वाशिंगटनल स्कूल गोलने की सलाह दी। ऐक्ट बुड कमेटी के सुझावों के अनुसार १९४१ में खुलने वाली दिल्ली पॉली-टेक्नीक अपने ढङ्ग की पहली सस्था थी। महायुद्ध की भयकरता के कारण शिक्षा के सेन्ट्रल ऐडवाइजरी बोर्ड ने भारत-सरकार के शिक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता, मिस्टर जॉन साजेंट, को स्वीजरलैंड बनाकर देश की टेक्निकल शिक्षा के सम्बन्ध में जाँच पड़ताल करने के लिए एक कमेटी बैठायी। इस कमेटी ने नीचे दिये तीन प्रकार की टेक्निकल सस्थाओं के निर्माण की सलाह दी— (i) १४ वर्ष या ऐसी ही उम्र में सीनियर वेसिक स्कूल पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए पूरे दो वर्षों के पाठ्य क्रम के साथ जूनियर टेक्निकल या इन्डस्ट्रियल या ट्रेड स्कूल। (ii) पूरे छह वर्षों के पाठ्य-क्रम वाले टेक्निकल हाई स्कूल जिसमें लगभग ११ वर्ष की उम्र में जूनियर वेसिक स्कूल पास करने वाले चुने हुए विद्यार्थी भर्ती हों। (iii) दो या तीन वर्षों के डिप्लोमा कोर्स वाले या नौकरी में लगे लोगों के लिए तीन वर्षों के पार्ट टाइम पाठ्य क्रम वाले सीनियर टेक्निकल इन्स्टीट्यूशन।

टेक्निकल शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं का वर्णन करके हम इस विषय के विवेचन को समाप्त करते हैं। देश के छद्म विश्वविद्यालयों में से केवल चार— बनारस, बम्बई, मैसूर तथा द्रावनकोर— में टेक्नोलॉजी का पाठ्य क्रम है। उनमें ऐन्नाइड केमिस्ट्री या केमिकल टेक्नोलॉजी, एलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के विभाग तथा 'इन्टरमीडिएट्स एण्ड डाइज', 'पेण्ट्स एण्ड वारनिशिंग', 'ग्रॉपल्स, पैट्रन एण्ड साप्स', इत्यादि छोटे छोटे विभाग भी हैं। ऐन्नाइड केमिस्ट्री, बायो-केमिस्ट्री तथा एलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में प्रोपुलेशन के बाद की शिक्षा तथा अनुसन्धान-कार्य देने वाला इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस भी है। कानपुर के हारकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट तथा इम्पीरियल इन्स्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, बम्बई के विकटोरिया जुविली टेक्निकल इन्स्टीट्यूट तथा बड़ौदा के कलाभवन टेक्निकल इन्स्टीट्यूट का भी जिक्र किया जा सकता है। विभिन्न जगहों पर सरकारी टेक्निकल स्कूल भी हैं— कानपुर का लोदर बर्किङ्ग स्कूल तथा चरेली का सेन्ट्रल पुड्यर्व इन्स्टीट्यूट।

प्रमुख उद्योगपतियों ने टेक्निकल शिक्षा के लिए बहुत कम उत्साह दिखाया है। टाटा, जिनकी उदारता से इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस बना है इस सत्य के अपवाद हैं। आर्थिक सहायता प्रदान करने उद्योगपति जब तक विश्वविद्यालयों में टेक्नोलॉजी की चेयर्स नहीं राल देते, टेक्निकल शिक्षा के विकास में शीघ्रता न होगी। देश के औद्योगिक विकास के साथ टेक्नीशियनों की माँग भी बढ़ती जायगी। एक नये टेक्नोलॉजिकल इन्स्टीट्यूट की स्थापना राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है।

युद्धोत्तर विकास की विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त ट्रेनिंग-प्राप्त टेकनीशियनों की आवश्यकता-पूर्ति के लिए भारत सरकार ने सरकारी खर्च पर लगभग एक हजार विद्यार्थियों को टेकनिकल तथा वैज्ञानिक विषयों की उँची शिक्षा दिलाने के लिए ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेजने की व्यवस्था की है।

(द) विशेष वर्गों की शिक्षा— दलित वर्गों तथा मुसलमानों जैसे शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्थिति ने बड़ी कठिन समस्या उत्पन्न कर दी है। इनके बीच शिक्षा-प्रसार के लिए विशेष प्रयत्न हो रहे हैं। अस्पृश्यता की स्थिति के कारण अछूतों के बच्चों की शिक्षा और भी कठिन बन गयी है। कुछ लोग दलित वर्गों के लिए अलग शिक्षण-संस्थाओं की स्थापना की राय देते हैं। लेकिन यह सलाह ठीक नहीं है क्योंकि इससे अलगाव की भावना को प्रश्रय मिलता है, उसका विनाश नहीं होता। अछूत बच्चों को सर्वार्थ हिन्दू बच्चों के साथ पढ़ाने का प्रयत्न होना चाहिये। सर्वार्थ हिन्दुओं का इस सम्बन्ध में विरोध कम हो रहा है। अछूत लड़कों के लिए विशेष छात्रवृत्तियों, फीस में छूट, पुस्तकों द्वारा मदद तथा अन्य प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए; पर अच्छा लक्षण है कि उनके बीच शिक्षा शीघ्रता से फैल रही है।

शिक्षा की दृष्टि से मुसलमानों ने भी पर्याप्त उन्नति की है। पर्दा-प्रथा के कारण मुसलमान लड़कियों की शिक्षा अब भी नुटिपूर्ण है। यूरोपियनों तथा ऐंग्लो-इंडियनों के लिए विशेष स्कूल हैं। मान्ट-फोर्ड सुधारों के अन्तर्गत उनकी शिक्षा एक सुरक्षित विषय (Reserved subject) थी और १९३५ के संविधान में यह गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्वों में से एक थी। शिक्षा की दृष्टि से पारसी सभसे आगे बढ़े हुए हैं।

अस्वीकृत संस्थाएँ— आर्ट्स कॉलेजों, पेशे-सम्बन्धी कॉलेजों, हाई स्कूलों, मिडिल, प्राइमरी और विशेष स्कूलों, जो विभिन्न प्रान्ता के विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा-विभागों द्वारा निश्चित पाठ्य-क्रम अपनाते हैं, के अतिरिक्त देश के नागरिकों को शिक्षा देने वाली अस्वीकृत संस्थाएँ भी हैं। १९४०-४१ में ऐसी संस्थाओं की संख्या १८,१३६ थी और इनमें शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या ५५२,०१० थी। १९४५-४६ में यह संख्या गिरकर ४६७,२५३ विद्यार्थियों के साथ १३,५६४ रह गयी। इन संस्थाओं में से अधिकतर परम्परा के अनुसार भाषा की शिक्षा देने वाले स्कूल हैं और उनमें से कुछ उच्चकारियों की ट्रेनिंग भी देती हैं। वे संस्थाएँ शिक्षा विभाग द्वारा निश्चित किया हुआ पाठ्य क्रम नहीं अपनाती और सरकार द्वारा भी किसी प्रकार अनुशान्ति नहीं होती। इस लिए इन्हें अस्वीकृत संस्थाएँ कहा जाता है। इन संस्थाओं की परीक्षा भी सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं है। इनमें से कुछ की स्थापना महान् राजनैतिक नेताओं द्वारा हुई है और अपने मौलिक आधारों पर चलने के कारण इन्होंने सारे सभार का ध्यान आकर्षित किया है। ऐसी संस्थाओं में मुकुल कागड़ी

हरिद्वार, शान्तिनिकेतन का विश्वभारती विश्वविद्यालय और स्कूल (अन कचकत्ता विश्वविद्यालय से सम्बन्धित), जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और दार-उल-उलूम देवबन्द अधिक महत्वपूर्ण हैं।

गुरुकुल कागड़ी की स्थापना १९०२ में महात्मा मुन्शीराम जी, जो बाद में स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए, ने की थी। इसकी स्थापना के दृष्टि का इसके आदर्शों तथा उद्देश्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ा है इसलिए उसका वर्णन करने योग्य है। महात्मा मुन्शीराम जी महर्षि दयानन्द के बहुत अनुयायी थे और पञ्जाब में आर्य-समाज के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों से उनका गहरा सम्बन्ध था। प्रसिद्ध डी० ए० बी० कॉलेज लाहौर की वे व्यवस्थापिका कमेटी में थे। अपने कुछ अन्य महयोगियों के साथ उन्होंने यह अनुभव किया कि पञ्जाब विश्वविद्यालय से सम्बन्धित होने के कारण कॉलेज के कार्यों में उदात्त बाधा पड़ रही थी और यह विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर ही अधिक ध्यान दे रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा पर बहुत कम। उन्होंने इसका अनुभव किया कि इस व्यवस्था से देश के नवयुवकों की शिक्षा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा था और इसी लिए उन्होंने इसे नये आधार पर सगठित करने का निश्चय किया। महात्मा मुन्शीराम ने हरिद्वार से कुछ दूर गंगा तट पर कागड़ी नामक ग्राम में गुरुकुल की स्थापना की।

इस प्रकार पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली का दूर हटाने तथा प्राचीन आदर्शों तथा परम्पराओं का पुनर्जीवित करने के लिए गुरुकुल एक प्रयत्न है। प्राचीन आश्रमों का भाँति यह भी जन-रव तथा नगरों के आवनाशकारी पभाव से दूर स्थित है। ऐसे वातावरण तथा प्रकृति के प्राण्य में ब्रह्मचारियों का परिश्रमपूर्ण जीवन की शिक्षा दी जाती है। वे गुरुकुल में पाँच या छह वर्षों की प्रारम्भिक अवस्था में जाते और अपना अध्ययन समाप्त करने तक वहाँ रहते हैं। इस समय के बीच उन्हें घर जाने की आज्ञा नहीं मिलती, हमारे कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों की प्रथा की तरह बड़ी-बड़ी छुट्टियाँ में भी नहीं। उनका माँ-बाप गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर वर्ष में एक बार आते और अपने ब्रह्मचारियों से मिलते हैं।

डिग्री तथा ग्रेजुएशन के बाद तक की शिक्षा देने वाला तथा अपना पाठ्यक्रम स्वयं निश्चित करने वाला गुरुकुल ही पहला भारतीय विश्वविद्यालय है जिनमें किसी आर्य-वर्नाक्यूलर को शिक्षा का माध्यम स्वीकृत किया है। इसकी परीक्षाएँ अपनी होती हैं। थोड़ी अंग्रेजी तथा पाश्चात्य विज्ञानों के साथ भारतीय साहित्य, दर्शन तथा संस्कृत की शिक्षा होती है। धार्मिक शिक्षा इस संस्था की प्रमुख विशेषता है। स्वतन्त्रता की भावना के विकास तथा पक्के चरित्र के निर्माण पर विशेष जोर दिया जाता है। ब्रह्मचर्य तथा नैतिक अनुशासन पर भी यहाँ जोर दिया जाता है। बहुत काल तक यह संस्था सरकार की आँखों में संदिग्ध बनी रही किन्तु १९१३

में उत्तर-प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जेम्स मेन्टन के आगमन ने अविश्वास के बादल हटा दिये। देश में अनेक गुरुकुल हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि कुछ समय पहले बनारस में हुए अखिल-एशिया शिक्षा-सम्मेलन ने यह प्रस्ताव पास किया कि लड़कों की नैतिक शिक्षा पर जोर देने के लिए गुरुकुल-योजना को सारी शिक्षा-संस्थाओं में कार्यान्वित करना चाहिए।

बोलपुर बंगाल के शान्तिनिकेतन स्कूल तथा विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने दूसरे आदर्शों तथा उद्देश्यों से की थी। स्कूल में अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर टैगोर ने यह निश्चय कि शिक्षा की वर्तमान प्रणाली जीवन से दूर है और बच्चे स्कूलों में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते। वहाँ वे जो कुछ सीखते हैं उसका उस संसार से कोई सम्बन्ध नहीं जहाँ वे रहते हैं। उनका व्यक्तित्व विरसित होने के बदले और दब जाता है। स्वयं टैगोर स्कूल से भाग गये और उनमें फिर कभी न लौटे। इसलिए उन्होंने एक नए स्कूल स्थापना का निश्चय किया (1) जहाँ जाने में बच्चों का प्रसन्नता का अनुभव होता क्योंकि उन्हें अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जाती और इच्छा के विरुद्ध उन पर कोई चीज लादा न जाती; (ii) आश्रम के वातावरण में जहाँ उन्हें अपनी प्राकृतिक शक्तियों को विकसित करने का पूरा अवसर मिलता; (iii) जहाँ केवल प्रकृति ही प्रमुख शिक्षिका रहता— दूसरे केवल पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते, काम लेने वाले शिक्षकों के रूप में नहीं; (iv) जहाँ अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच की खाई मित्रता तथा भ्रातृभाव की भावना से षट जाती; (v) जहाँ बच्चे के व्यक्तित्व का आदर होता, तिरस्कार नहीं; (vi) आश्रम के वातावरण में, जहाँ, विद्यार्थियों को अपनी शारीरिक, नैतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक पूरी उन्नति का अवसर मिलता, (vii) जहाँ, स्कूल-समाज के सदस्य के नाते, वे बड़े समाज का नागरिकता का पाठ पढ़ते और जहाँ स्कूल तथा समाज के कार्यों में गहरा सम्बन्ध रहता; (viii) जहाँ विद्यार्थियों को अपने ही जन सहित्व तथा प्रसिद्ध परम्पराओं से प्रेरणा मिलती और उन्हें शिक्षा भी अपनी ही मातृभाषा द्वारा मिलती।*

विश्वभारती की स्थापना पूर्व की विभिन्न सम्प्रदायों, विशेषतः उन्हें जो भारत में उत्पन्न हुई हैं या जिन्हें यहाँ आश्रय मिला है, के केन्द्रीकरण; शान्तिनिकेतन में, ग्राम-पुनर्निर्माण इन्स्टीट्यूट की महत्त्वता से, गाँवों के प्रसन्न, सन्तुष्ट तथा पारस्परिक सौहार्दपूर्ण मानव-जीवन की स्थापना; तथा अन्त में, अन्तर सांस्कृतिक तथा अन्तर-जातीय मित्रता एवं सद्भाव तथा आधुनिक युग के सबसे बड़े सन्देश— मानव जाति का एकता— की पूर्ति के लिए पूर्व तथा पश्चिम में जीवित सम्बन्ध स्थापित

करना— इन तीन उद्देश्यों से हुई थी। गुरुकुल के विपरीत विश्वभारती पूर्व तथा पश्चिम की सस्कृतियों के बीच पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है। पाश्चात्य सभ्यताओं की मूल्यवान चीजों को यह स्वीकृत करना चाहती है, अस्वीकृत नहीं। इस पुण्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए महाकवि ने विदेशी विद्वानों को भाषण करने तथा शान्तिनिवेदन में ठहरने के लिए आमन्त्रित किया। महाकवि का निमन्त्रण स्वीकार करने वाले अन्य व्यक्तियों में पेरिस के प्राफेसर सिलवन लेवी, प्राग के प्राफेसर विन्टरनिख तथा प्रोफेसर लेसनी, रोम के प्राफेसर कारलो पॉरमिची तथा प्राफेसर तुसाई, नावों के प्राफेसर स्टेन कोनाऊ और हालैंड के डॉ० बेक प्रमुख थे।

१९४८ के पश्चात् शिक्षा-प्रगति— १९४६ में प्रान्तों में जन-प्रिय मन्त्रिमण्डलों द्वारा पद ग्रहण करने तथा एक वर्ष पश्चात् केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के बाद जो शिक्षा-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनके सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार ने १९४६ में प्रारम्भ ही में प्रान्तीय सरकारों से सार्जेंट रिपोर्ट के आधार पर पंच वर्षीय शिक्षा विज्ञान योजना बनाने तथा अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा तथा शिक्षकों की ट्रेनिंग जैसे कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को चुनकर उन्हें स्वीकृति मिलाने पर कार्यान्वित करने का आदेश दिया। लगभग प्रत्येक प्रान्त ने अपनी पंच वर्षीय योजना कार्यान्वित कर दी। विभिन्न प्रान्तों में कार्यान्वित होने वाली योजनाओं का विस्तृत वर्णन यहाँ सम्भव नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसने सम्बन्ध में कुछ शब्द कहे जा सकते हैं।

उत्तर-प्रदेश की सरकार के शिक्षा-विभाग ने कार्य की एक व्यापक योजना बनाई। इस योजना के तीन भाग किये प्रसार, पुनर्र्गठन एवं अध्यापकों का प्रशिक्षण। शिक्षा-विभाग ने जो नई योजनाएँ आरम्भ की उनमें से मुख्य-मुख्य अग्रलिखित हैं— नगर-क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा और ग्रामीण-क्षेत्रों में इसका विस्तार, प्रौढ शिक्षा का प्रचार, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्र्गठन, सैनिक शिक्षा का प्रबन्ध, प्रेजुएंट युवकों के लिए सामाजिक सेवा-प्रशिक्षण, मनोविज्ञान और शिक्षा-विज्ञान के लिए एक अन्वेषणालय, तथा नई प्रणाली से शिक्षकों को परिचित कराना। यहाँ हम इनमें से कुछ पर सक्षिप्त दृष्टिपात करेंगे।

(१) अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा— छह से ग्यारह वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा प्रसार की योजना में सर्वोच्च स्थान दिया गया। यह एक महत्कार्य था। अग से पहले ५८ लाख पढ़ने लायक बालकों में से केवल १५ लाख ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, ४३ लाख बालकों के लिए और प्रबन्ध करना था। एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई और इसे कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष अनुभवी अधिकारी को नियुक्त किया गया।

विचार यह था कि पाँच वर्ष में २२,००० प्राथमिक पाठशालाएँ, दूसरे शब्दों में, ५ वर्ष तक प्रति वर्ष ४४,००० स्कूल खोले जायँ। १९४८ ई० के अन्त तक लगभग ७,००० नये सरकारी प्राथमिक स्कूल खोले गये जिनमें लगभग दस लाख बच्चे शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। १९४६ ई० में ४,२१८ और नये शिक्षालय बढ़ाये गये जिससे इस राज्य में प्राथमिक पाठशालाओं की कुल संख्या ११,१४० हो गई और इनमें ७,६५,६४० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ६१,२०,५६० रुपये व्यय स्वीकार किया।

इस विषय में सबसे बड़ी कठिनाई थी नये स्कूलों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों का प्रबन्ध। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'सचल शिक्षक-दल' बनाये गये। इन्होंने अनेक प्राइमरी स्कूलों में जाकर अध्यापकों को गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण देना शुरू किया। १९४८-४९ में इस प्रकार के २६ दल थे। १९४६ की जुलाई में उनकी संख्या ४६ कर दी गई। सब मिलाकर १९४६ ५० के बीच २,३४० अध्यापक प्रशिक्षित किये गये और लगभग १५,००० ट्रेनिंग पा रहे थे। इस प्रकार के प्रशिक्षित अध्यापकों को हिन्दुस्तानी टीचर्स सर्टिफिकेट दिये गये। सचल दलों ने ग्राम्य जनता में एक नई स्मृति और चेतन पैदा की।

इसके अतिरिक्त ८६ नगरपालिकाओं में भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा शुरू की गई। उनमें लगभग १,६०८ प्राथमिक पाठशालाएँ हैं जिनमें तीन लाख से अधिक बालक शिक्षा पा रहे हैं और इनमें ७,७०३ शिक्षक काम कर रहे हैं। इन स्कूलों के प्रबन्ध के लिए सरकार ने ८५,००,०००) का अनुदान दिया।

(२) प्रौढ शिक्षा— प्रौढों की निरक्षरता दूर करने के लिए सरकार की ओर से प्रौढ पाठशालाओं और पुस्तकालयों का जाल-सा बिछा दिया गया। १९४६-५० के अन्त तक इस प्रकार की ४,२४७ पाठशालाएँ थीं। इस उद्देश्य के लिए 'प्रोजेक्टर', 'जेनेरेटर' (जनित्र) और लाउडस्पीकर (ध्वनि प्रसारक) लगी हुई मोटर गाड़ियों का भी उपयोग किया गया। यह अनुमान लगाया गया है कि पिछले तान वर्षों में २० लाख अनुपढ व्यक्तियों को साक्षर बना दिया गया है।

(३) सामाजिक सेवा प्रशिक्षण— जनवरी १९४८ ई० में प्रान्तीय सरकार ने फैजाबाद में ब्रिजुएट विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए एक सामाजिक-सेवा प्रशिक्षण शिविर खोला जिनमें नियात्मक और बौद्धिक दोनों प्रकार की शिक्षा देकर युवकों को समाज सेवा के योग्य बनाया जाता था। अब इस शिविर को तोड़कर दस जिलों में ५० स्कूलों में प्रधानतया ११वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक सेवा-प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है। प्रत्येक जिले में सरकार की ओर से एक 'डिस्ट्रिक्ट साशल सर्विस ऑर्गनाइजर' रखा गया है जिसका कर्तव्य विद्यार्थियों को सामाजिक सेवा

और ग्रामोत्थान के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इस योजना में व्यावहारिक कार्य की ओर अधिक जोर दिया जायेगा।

(४) हायर सेकण्डरी शिक्षा— हाई स्कूल शिक्षा का पुनर्संगठन हो रहा है। आगम-विश्वविद्यालय से सम्बन्धित डिग्री कक्षाओं से इण्टरमीडिएट कक्षाओं को हटाकर उन्हें हाई स्कूल में जाड़ देने का निश्चय हुआ है। यह नया संगठन हायर सेकण्डरी स्कूल कहलाता है और इसमें इण्टरमीडिएट स्तर तक शिक्षा दी जाती है। पाठ्य क्रम में भी अनेक परिवर्तन हुए हैं। चार प्रकार के स्कूलों— साहित्यिक, आर्ट, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक— का निर्माण किया गया है जिनमें क्रम से लड़कों की मानसिक, कलात्मक, व्यावहारिक तथा वैज्ञानिक उन्नति पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार के ७० स्कूलों के प्रारम्भ का निश्चय हुआ था। हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट के सभी बच्चों के लिए हिन्दी अनिवार्य कर दी गई है। लोकन परीक्षा में उन्हें हिन्दी, उर्दू या अंग्रेजी में उत्तर देने की स्वतन्त्रता दी गई है। अनेक जगहों पर हिन्दी के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जाती है। अपना स्तर ऊँचा करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों को यापिक तथा दूसरी प्रकार की सहायता के रूप में रकम दी गई है। शिक्षा की ट्रेनिंग तथा एडल्ट शिक्षा के प्रसार के लिए भी कदम उठाये गये हैं।

यूनिवर्सिटी कमीशन— भारत-सरकार ने सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक यूनिवर्सिटी-कमीशन नियुक्त किया था जिसमें अमेरिका और इंग्लैण्ड के भी प्रसिद्ध शिक्षा विशेषज्ञ सम्मिलित थे। इस कमीशन ने देश भर के विश्वविद्यालयों और प्रमुख कॉलेजों के निरीक्षण के पश्चात् एक रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसकी कुछ सिफारिशें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार डिग्री कोर्स और हायर सेकण्डरी कोर्स तीन तान वर्ष के होने चाहियें और इण्टरमीडिएट कक्षा हटाई जानी चाहिये। इसने पाठ्य-क्रम में और शिक्षकों के वेतन इत्यादि बढ़ाने के विषय में सारगर्भित सुझाव दिये हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी अपने विचार प्रकट नहीं किये हैं।

द्वितीय भाग
प्रशासन

अध्याय ८

शासन पद्धति का विकास

प्रवेशक—भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक जीवन और यहाँ की शिक्षा प्रणाली का साधारण अध्ययन करने के पश्चात् अब हमें यह देखना है कि इस विशाल देश के शासन और प्रशासन किस प्रकार चलाए जाते हैं। आज हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं और हमारा अपना ही बनाया हुआ एक संविधान है जिस के अनुरूप राज्य की सभी कार्यवाही हो रही है।

जो संविधान भारतीय संविधान सभा ने इस देश के लिए बनाया है वह सर्वथा नवीन नहीं है। बहुत कुछ अंश में यह प्राचीन शासन प्रणाली का ही रूपान्तर है। यद्यपि राष्ट्र की नवीन जागृति और प्रगति के अनुरूप नए संविधान में पर्याप्त परिवर्तन और परिमार्जन किये गए हैं फिर भी इस में १९३५ ई० के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के बहुत बड़े भाग का समावेश है। इसी प्रकार शासन प्रणाली में भी आवश्यक संशोधनों के साथ हमने पुरानी पद्धति को ही अपनाया है। अतएव नवीन प्रणाली को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि १९३५ ई० के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट और इस के पूर्व गामी उन सभी अधिनियमों (Acts) का सक्षिप्त परिचय प्राप्त किया जाय जो समय समय पर ब्रिटिश संसद् (Parliament) द्वारा स्वीकृत किये गए और जिन्होंने इस देश की शासन प्रणाली को सुनिश्चित किया है।

१७६५ ई० में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने देश के एक बहुत बड़े भूभाग (जिस में लगभग विभाजन के पूर्व का बंगाल, और उड़ीसा सम्मिलित हैं) के ऊपर शासन सत्ता सभाली। तभी से आज तक के विकास क्रम में एक शृंखला ही प्रतीत होती है। इस स्थान पर विस्तार पूर्वक यह वर्णन करना आवश्यक नहीं कि किस प्रकार १६०० ई० में पूर्व के प्रदेशों से व्यापार करने के लिए इंग्लैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना हुई, किस प्रकार इस व्यापारी संघ ने अपने प्रतिद्वन्द्वी फ्रांस के सौदागरों को परास्त करके पहिले मद्रास प्रान्त पर अधिकार किया और फिर किस प्रकार १७५७ ई० के प्लासी युद्ध और १७६५ ई० की प्रयाग-सन्धि के पश्चात् क्लाइव ने कम्पनी के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त किये। तब से कम्पनी का राजनीतिक प्रभाव और प्रभुत्व क्रमशः बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक दिन वह देश की सर्वोच्च सत्ता

बन बैठी। १८५७ ई० के सिपाही विद्रोह में एक बार विदेशी सत्ता को हटा कर देशी राज को पुन जीवित करने का असफल प्रयास किया गया जिस के उपरान्त ब्रिटिश सम्राट् ने स्वयं देश के प्रशासन की बागडोर सभाली। तत्पश्चात् ब्रिटिश सम्राट् ही यहाँ के सर्वश्रेष्ठ और अभिपति माने जाने लगे। आगाभी पृष्ठों में हम भारत के वैधानिक विकास पर साधारण दृष्टिपात करेंगे।

वैधानिक विकास-मूहला की कड़ियाँ

१७७३ ई० का ऐक्ट—वह प्रथम अधिनियम जिसने सन् १७७३ ई० में भारत की वर्तमान शासन पद्धति का शिलान्यास किया रेग्यूलैरिंग ऐक्ट के नाम में प्रसिद्ध है। वैधानिक दृष्टि से इस ऐक्ट का विशेष महत्व है। इस के द्वारा ही ब्रिटिश संसद ने कम्पनी का राजनीतिक कृत्य (Function) स्वीकार किया। साथ ही इस के द्वारा पार्लैमेन्ट ने भारत में कम्पनी के अधिकृत प्रदेश पर प्रशासनीय व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने का अधिकार स्वयं ले लिया। तीसर, यह ऐक्ट भारत के एकीकरण की ओर पहला ही कदम था। इस से पूर्व कम्पनी का अधिकार क्षेत्र तीन प्रेसिडेंसी (Presidencies) बंगाल, मद्रास और बम्बई में बँटा हुआ था जिन का शासन प्रबन्ध अलग अलग किया जाता था। इन प्रान्तों के राज्यपाल (Governor) इ गलैन्ड रिजेंट सचालक मण्डल (Court of Directors) से सीधा सम्बन्ध और लिखत-पदत रखते थे। रेग्यूलैरिंग ऐक्ट ने पहिली बार बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का पद दिया। अब से बंगाल के दीवानी और सैनिक उत्तर दाक्षिण के साथ साथ गवर्नर जनरल और उनकी कार्य कारिणी को बम्बई और मद्रास की सरकारों के ऊपर युद्ध घोषणा और शान्ति स्थापन के विषय में नियंत्रण के अधिकार भी सौंप दिए गए। इस ऐक्ट के अनुसार बम्बई और मद्रास की सरकारों का यह कर्तव्य हो गया कि वे गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन करें और शासन प्रबन्ध तथा राजस्व (Revenue) के सम्बन्ध में समय समय पर उन्हें आवश्यक सूचना देती रहें। स-कौंसिल गवर्नर जनरल की आज्ञा न मानने के अपराध में गवर्नर और उस की कार्य कारिणी के सदस्यों को कुछ समय के लिए पद से हटाया जा सकता था।

रेग्यूलैरिंग ऐक्ट के द्वारा बारेन हस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बना कर उसकी सहायता के लिए चार अन्य कार्य कारिणी के सदस्यों की नियुक्ति की गई। ये सब लोग पाँच वर्ष तक के लिए इस पद पर रखे जाते थे और इस अवधि में सचालक मण्डल की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा इन्हें पदच्युत किया जा सकता था। गवर्नर जनरल और उनकी कार्य कारिणी को यह अधिकार भी मिल गया कि कम्पनी के अधिकार क्षेत्र की शान्ति और सुव्यवस्था के लिए नियम, उपनियम और अध्यादेश (Ordinances) बनायें। परन्तु इस अधिकार के साथ यह प्रतिबन्ध था कि इस प्रकार

बनाए गए नियम अथवा अध्यादेश इ गलैन्ड की प्रचलित विधियों (Laws) के प्रतिकूल न हों। ऐसे नियम उपनियम तभी मान्य समझे जाते थे जब कि फोर्ट विलियम में स्थित सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of Judicature) द्वारा उन्हें स्वीकृति मिल जाय।

इस अधिनियम की अन्य वारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं चू कि उन का वैधानिक दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है। तथापि इस के एक बहुत बड़े दोष का उल्लेख वाञ्छनीय है। इसने गवर्नर जनरल का अपनी कार्य कारिणी के सम्मुख ही शक्तिहीन बना दिया चू कि सभी निर्णय कार्य कारिणी के गृहमत पर निर्भर हो गए और गवर्नर जनरल को उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार न था। इस के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को स काँसिल गवर्नर जनरल के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया जब कि उस के ऊपर देश की शान्ति और सुव्यवस्था का लेश मात्र भी उत्तर दायित्व नहीं था।

रेग्यूलैरिंग ऐक्ट के उपरान्त आने वाले १७८१ ई० के ऐक्ट में उपरोक्त दोषों के निवारण का प्रयत्न किया गया। अन्य बातों के साथ साथ इस नवीन अधिनियम के द्वारा इस प्रतिबन्ध से मुक्ति मिल गई कि नियम उपनियम और अध्यादेशों की मान्यता की अन्तिम स्वीकृति सर्वोच्च न्यायालय से ली जाय। इस प्रकार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और न्यायालय के बीच से सभर्ष का कारण दूर होगया। इस के अतिरिक्त नए ऐक्ट का अधिक वैधानिक महत्व नहीं है।

१८८४ ई० का पिट्स इंडिया ऐक्ट—इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी पिट्स इंडिया ऐक्ट है जो ब्रिटिश संसद ने १७८१ ई० में स्वीकार किया। भारत की और यह ब्रिटिश सरकार की नवीन नीति का सूचक है। इस ऐक्ट के अनुसार कम्पनी को ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक आधीनता में आना पड़ा। इसके पूर्व संचालक मण्डल ही कम्पनी के मामलों में सर्वोच्च सत्ता समझा जाता था परन्तु नए अधिनियम के अनुसार संचालक मण्डल के ऊपर देख भाल करने के लिए छ. सदस्यों का एक नियंत्रण सभ (Board of control) बना दिया गया। इस नियंत्रण सभ को कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक सैनिक और आर्थिक प्रबन्ध के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार मिल गया। इस प्रकार यह सभ ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि स्वरूप था और उसकी ओर से कम्पनी के शासन का निर्देशन और निरीक्षण करता था। यद्यपि संचालक मण्डल के शासन सम्बन्धी प्राय सभी अधिकार बने रहे किन्तु अब यह नियंत्रण सभके आधीन था और इसकी आज्ञा व आदेशों का पालन उसके लिये अनिवार्य था। या कहा जाता है कि पिट्स इंडिया ऐक्ट ने इ गलैन्ड में भारतीय प्रशासन के ऊपर नियंत्रण के लिए एक के स्थान पर दो संस्थाओं को थोप दिया।

इसके अतिरिक्त सविधान सम्बन्धी छोटे मोटे अन्य परिवर्तन भी नए ऐक्ट के द्वारा किये गए। गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी के सदस्यों की संख्या चार से घटा कर तीन कर दी गई और गवर्नर जनरल की एक निर्णायकमत (casting vote) का अधिकार मिल गया। इसी प्रकार मद्रास और बम्बई की कार्यकारिणियों में भी कुछ परिवर्तन किये गये। गवर्नर-जनरल और उस की कार्य कारिणी को प्रान्तीय सरकारों के ऊपर कुछ अधिक अधिकार दे कर भारत के एकीकरण की ओर इस के द्वारा एक कदम और बढ़ाया गया। यह सब कुछ होते हुए भी पिट्स इण्डिया ऐक्ट ने रेग्युलेशन ऐक्ट के मुख्य दोष को दूर नहीं किया। इस दोष से १७८६ ई० में मुक्ति मिली जहाँ गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थानों में अपनी कार्य-कारिणी के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया।

१८१३ ई० का ऐक्ट—इस अधिनियम के द्वारा कम्पनी के चार्टर की बीस वर्ष के लिए अवधि बढ़ा दी गई। यद्यपि वैधानिक प्रकार में इससे कोई विशेष अन्तर नहीं आया परन्तु इस से भारतीय शासन में ब्रिटिश संसद का और भी अधिक हस्तक्षेप बढ़ गया। अब से कम्पनी का नाय के व्यापार पर अधिकार भी ढीला पड़ गया। इस ऐक्ट ने ब्रिटिश संसद की प्रभुता (Sovereignty) पर बल दे कर इस बात को अधिक स्पष्ट कर दिया कि सम्राट की सरकार को कम्पनी के अधिकारों में परिवर्तन और भारत सम्बन्धी प्रशासनीय सशोधनों का पूर्ण अधिकार है। इस ऐक्ट के एक खंड (clause) के अनुसार कम्पनी को भारत में शांति के प्रचार के लिये प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये खर्च करने का आदेश दिया गया।

१८३३ ई० का ऐक्ट—१८१३ ई० के ऐक्ट से अधिक महत्व पूर्ण १८३३ ई० का ऐक्ट है जिसने फिर से कम्पनी के चार्टर को बीस वर्ष के लिये बढ़ा दिया। इसने कम्पनी के व्यापार सम्बन्धी कृत्य को पूर्णतया समाप्त कर दिया। वह कम्पनी जो १६०० ई० से एक व्यापार मण्डल की भाँति कार्य कर रही थी। अब से केवल प्रशासन यन्त्र बन कर रह गई। दूसरी बात यह कि इस ऐक्ट के द्वारा प्रान्तीय सरकार का कानून बनाने का अधिकार छीन कर सर्किल गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। इससे पर्याप्त लाभ हुआ चूँकि इसके बाद देश की सरकार का पहिले से अधिक केन्द्रीयकरण हो गया। तीसरी बात यह कि अब से गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी के सदस्यों की संख्या तीन से चार कर दी गई और नया सदस्य लॉ मेम्बर छ चुलाया। इस अधिनियम के दूसरे उपबन्ध (Provisions) वैधानिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखते। फिर भी एक खण्ड इस ऐक्ट में विशेष ध्यान देने के योग्य है। अब से योग्यता ही किसी पद को प्राप्त करने का माप दण्ड माना गया। धर्म,

* लार्ड मैकाले पहले कानूनी सदस्य थे।

जन्म स्थान अथवा रंग के आधार पर किसी भी भारतवासी को सरकारी पद के ग्रयोग्य न समझा जायगा। परन्तु यह तो सभी भली भाँति जानते हैं कि इस दिशावली नियम का कदा तक पालन किया गया।

१८३३ ई० का ऐक्ट—१८५३ ई० के अधिनियम पर भी थोड़ा विचार करना असंगत न होगा। इस ऐक्ट ने दोबारा कम्पनी के अधिकार और शक्ति में वृद्धि की। कम्पनी को भारत में अपना अधिकार बनाये रखने की आशा मिल गई परन्तु यह अधिकार महापानी विक्रेता और उनके उत्तराधिकारियों के न्यास (Trust) के समान था। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह बात थी कि इस ऐक्ट के द्वारा पहली बार भारतवर्ष में एक व्यवस्थापक मन्त्रिमण्डल (Legislative-Council) बनाई गई। इस मन्त्रिमण्डल के सदस्य इस प्रकार थे—गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारी के सत्र सदस्य, प्रधान सेनासक्ति और छह अन्य सदस्य जिनमें दो ब्रिटिश न्यायाधीश और शेष चार मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा की सरकारों द्वारा नियुक्त किये गए सदस्य। इस प्रकार १८५३ ई० के ऐक्ट से शासन के एक नये अंग अर्थात् व्यवस्थापक मन्त्रिमण्डल का जन्म हुआ।

१८५८ ई० का ऐक्ट—प्रभाव की दृष्टि से १८५८ ई० का ऐक्ट अपेक्षाकृत अधिक क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ। इसके द्वारा कम्पनी का राजनीतिक कृत्य विलकुल समाप्त कर दिया गया और शासन की वागडोर पूर्णतया ब्रिटिश सम्राट को सौंप दी गई। इससे इंग्लैण्ड में भारत मन्त्री और उनके परिषद (Council) का जन्म हुआ। अब से भारत मन्त्री और उनके परिषद को सचालक मंडल और नियंत्रण सभ के सम्पूर्ण अधिकार और कर्तव्य दे दिये गए। भारत मन्त्री के परिषद का कर्तव्य समय समय पर भारत मन्त्री को परामर्श देना था। स्वयं भारत मन्त्री ब्रिटिश संसद के समक्ष भारत के मुद्दों के लिए उत्तरदायी थे। प्रत्येक वर्ष पार्लियामेंट के सामने उन्हें इस देश की सरकार की वार्षिक आय व्यय का लेखा और गत वर्ष की मौलिक तथा सद् सदाचार सम्बन्धी प्रगति का प्रतिवेदन रखना पड़ता था। भारत मन्त्री और उनके परिषद के सदस्यों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाता था।

१८५८ ई० का ऐक्ट एक युग के अन्त और दूसरे के आरम्भ का चिह्नक है। अब से कम्पनी के शासन का अन्त हुआ और सम्राट द्वारा शासन की नींव पड़ी। बीते युग में भारतीय जनता को यहाँ के प्रशासन में किसी प्रकार का उत्तरदायित्व देने की कल्पना भी नहीं की गई। परन्तु नये युग में एक नई लहर आई। शनैः शनैः जनता में राजनीतिक चेतना फैलने लगी। जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे नई नई माँगें हम लोग ब्रिटिश-सरकार के सामने रखने लगे।

१८६१ ई० का इण्डियन कौन्सिल ऐक्ट—कुछ लोगों का विचार है कि शासक और शासित जनता में गहन सम्बन्ध का अभाव और व्यवस्थापक मण्डलों में भारतीय

प्रतिनिधियों का न होना ही सिपाही विद्रोह के प्रधान कारणों में से थे। १८५८ के ऐक्ट के पारण के समय भी ब्रिटिश संसद में यह प्रश्न उठा था कि भारतीय प्रशासन में यूहा की जनता का सहयोग प्राप्त किया जाय, परन्तु उस समय यह प्रश्न ही निराधार और व्यर्थ समझा गया। जो बात १८५८ ई० में अस्सगन और अव्यावहारिक प्रतीत होती थी वही १८६१ ई० में आवश्यक और अनिवार्य ठहराई गई। १८६१ ई० के ऐक्ट के अनुरूप कानून बनाने में पहली बार भारतवासियों का सहयोग लेकर प्रतिनिधि संस्थाओं का बीजा रोपण किया गया। परन्तु यह ध्यान रहे कि उस समय व्यवस्थापक मण्डलों में ये भारतीय सदस्य जनता के वास्तविक प्रतिनिधि न होते थे, क्योंकि इनका नाम निर्देशन (Nomination) गवर्नर जनरल के हाथ में था। इस प्रकार के सदस्यों की संख्या कम से कम छु और अधिक से अधिक बारह थी और इनकी नियुक्ति केवल दो वर्ष के लिये की जाती थी। उन परिस्थितियों में यह छोटा सा अधिकार ही काफी समझा गया चूंकि इस के द्वारा सरकार जनता के सम्पर्क में आई। यहा यह भी स्मरण रखने योग्य है कि व्यवस्थापक सभाओं का कार्य केवल कानून बनाना था और उन्हें प्रश्न पूछने अथवा सरकार की नीति निर्धारित करने से कोई संरोकार नहीं था।

इस ऐक्ट के द्वारा दूसरा मुख्य परिवर्तन यह किया गया कि प्रान्तीय सरकारों के कानून सम्बन्धी ये अधिकार जो १८३३ ई० में उनसे छिन्न गए थे फिर से उन्हें ही दे दिये गए। दूसरे शब्दों में कानून बनाने का अधिकार केन्द्र में ही सीमित न रह कर अब से प्रान्तीय सरकारों को भी सौंप दिया गया। बम्बई और बंगाल प्रान्तों में तुरन्त धारा सभाएं बनाई गईं और गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया कि आवश्यकता समझने पर वह पंजाब और सीमा प्रान्त के लिये भी इसी प्रकार की संस्थाओं की घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार जो व्यवस्थापक सभाएं कानून बनाने के लिए स्थापित की गईं उनके अधिकारों पर कुछ विशेष प्रतिबन्ध भी लगाये गए। सभी कानूनों पर गवर्नर जनरल की अन्तिम स्वीकृति आवश्यक थी और कुछ विशेष कानूनों को सभाओं में रखने से पूर्व ही उनकी अनुमति लेना अनिवार्य था। गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी में अब से एक साधारण सदस्य और बढ गया। यह न भूलना चाहिए कि केन्द्र और प्रान्तों में जो व्यवस्थापक मण्डल बनाये गए वे क्रमशः गवर्नर जनरल और गवनेरों की कार्य-कारिणियों के ही रूपान्तर मात्र थे। जिनमें कुछ थोड़े से भारतीय मनोनीत सदस्य सम्मिलित कर लिये जाते थे।

इस अधिनियम के अन्य उपबन्ध विशेष महत्व नहीं रखते। इसलिए उनमें हमारी अभिरुचि नहीं है।

१८६२ ई० का इण्डियन कांसिल ऐक्ट—यद्यपि आगामी बीस पच्चीस वर्षों में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। (जिनमें १८८५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय

कांग्रेस का जन्म सबसे मुख्य घटना है) परन्तु इस बीच में व्यवस्थापक सभाओं की रचना या शक्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। १८६२ ई० के इण्डियन-कौंसिल ऐक्ट ने इस कमी की पूर्ति की। इसीलिए इसका भारत की वैधानिक प्रगति में मुख्य स्थान है।

१८६२ ई० और १८६१ ई० के बीच भी कई अधिनियम ब्रिटिश संसद् ने भारत के लिये बनाकर भेजे परन्तु वे इतने महत्व पूर्ण नहीं जिनका विवेचन आवश्यक हो। १८६५ ई० के ऐक्ट की ही व्यवस्थापक मण्डलों की रचना और अधिकारों में विशेष परिवर्तन करने का श्रेय है। इसीलिए इसे समझने में हमारी अभिरुचि है। इस ऐक्ट ने निम्नलिखित परिवर्तन किये।

केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केन्द्रीय कौंसिल में कम से कम दस और अधिक से अधिक सीटें मनोनीत सदस्य होने आवश्यक किये गए। मनोनीत सदस्यों में से कम से कम दस सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था जब कि पुराने ऐक्ट में उनका अनुपात आधा-आधा था। प्रान्तीय धारा सभाओं में भी मनोनीत और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिल गया कि वह पाँच सदस्य कलकत्ता चैम्बर आफ कामर्स की सिफारिश पर और पाँच अन्य सदस्यों को मद्रास, बम्बई, बंगाल और सीमा प्रान्तों की व्यवस्थापक सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर नियुक्त करें। इस प्रकार प्रान्तीय निर्वाचित सदस्यों की सिफारिश पर केन्द्र के लिए मनोनीत सदस्यों के नाम निर्देशन का यह नया दग अमनाया गया। इसी प्रकार प्रान्तीय धारा सभाओं के लिये सदस्यों की सिफारिश स्थानीय सत्ताओं—नगरपालिका (Municipalities) व्यापार सङ्घ इत्यादि—द्वारा की जाने लगी। इस नई व्यवस्था के पीछे यह विचार निहित था कि जनता से सम्पर्क रखने वाले सदस्यों का व्यवस्थापक मण्डलों में समावेश हो।

सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के साथ साथ इन व्यवस्थापक मण्डलों के अधिकार भी बढ़ा दिये गए। अब वे वार्षिक आय व्ययक (Budget) पर वाद-विवाद कर सकते थे, परन्तु उन्हें इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार न था। सदस्यों को प्रश्न पूछने की तो आज्ञा थी, परन्तु उन्हें अनुपूरक प्रश्न (Supplementary questions) पूछने का अधिकार न था। नवीन प्रस्ताव रखने अथवा बजट पर भ्रम गणना करने का कोई अधिकार सदस्यों को प्राप्त नहीं था।

इस समय चुनाव के कुछ ऐसे नियम बनाए गए जिनके कारण स्वतन्त्र विचार रखने वाले साधारण व्यक्तियों को व्यवस्थापक मण्डलों तक पहुँच नहीं पाती थी; और विशेष प्रकार के लोग ही नवीन अधिकारों का उपयोग कर सकते थे।

१९०६ ई० का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट—जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन प्रस्तावों से विदित है, जायत लोक मत १८६२ ई० के ऐक्ट के द्वारा किये गए सुधारों से असन्तुष्ट था। कांग्रेस ने व्यवस्थापक सभाओं में वृद्धि और जनता के अधिकधिक प्रतिनिधित्व की अपनी पुरानी भावों को जारी रखा। लार्ड कर्जन की साम्राज्यवादी नीति से राष्ट्रीय चेतना और भी आर्ध्र बनने लगी। साथ ही इस नीति की प्रतिक्रिया में बहुत से उग्रदल और क्रांतिकारी सस्थाओं का संगठन किया जाने लगा। इस प्रगति को देखकर भारत और इंग्लैण्ड दोनों देशों में ब्रिटिश सरकार को यह अनुभव होने लगा कि इस देश के नरम दल का सहयोग लेकर भारतीय जनता को शान्ति करने के लिये कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। इस समय नरम दल के नेता श्री गाखले भी सरकार के ऊपर अपना पूर्ण प्रभाव डाल रहे थे कि वह कांग्रेस के साथ समझौता करे। लार्ड मॉले जो उस समय भारत मन्त्री के पद पर विराजमान थे, परिस्थिति की गम्भीरता का समझ गये। लार्ड मिंटो भारत में गवर्नर जनरल थे। नवीन परिस्थिति के विवेचन में वे भारत मन्त्री से सहमत थे। इसलिए मिंटो-मॉले योजना के अनुरूप देश के लिये कुछ नये सुधारों की ओर कदम उठाया गया। वैधानिक प्रगति में १९०६ ई० के ऐक्ट का वास्तव में पर्याप्त महत्त्व है।

नये अधिनियम ने व्यवस्थापक मण्डलों को और भी अधिक विशाल बना दिया। केन्द्रीय सभा के सदस्यों की संख्या सोल्ह से बढ़ा कर साठ कर दी गई जिनमें गवर्नर जनरल और उसकी कार्य-कारिणी के सदस्यों की गिनती न होती थी। कार्य-कारिणी के सदस्यों को मिलाकर केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के कुल सदस्यों का योग अड़सठ हो गया। प्रान्तीय सभाओं में भी नए ऐक्ट के अनुकूल अभिवृद्धि की गई। भारतीय गैर सरकारी सदस्यों के नाम निर्देशन का पुराना ढंग बदल गया और पहली बार सीधे चुनाव का सिद्धान्त अपनाया गया। कुछ प्रान्तों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था परन्तु केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल में सरकारी सदस्य का बहुमत ही रखा गया। इसके ६८ सदस्यों में से ३६ सरकारी पदाधिकारी, २५ निर्वाचित गैर सरकारी और ७ मनोनीत गैर सरकारी सदस्य होते थे।

१९०६ ई० ऐक्ट के द्वारा व्यवस्थापक मण्डलों का कार्य क्षेत्र और अधिकार भी बढ़ गये। सदस्य वार्षिक आय-व्यय पर वाद विवाद कर सकते थे और नए प्रस्ताव रख सकते थे। गृह की कुछ मर्दान पर मन गणना भी कराई जा सकती थी। परन्तु यह कहना ही पड़ेगा कि जो कुछ अधिकार मिले वे बहुत कुछ सीमित थे। कुछ विषयों पर तो वाद विवाद भी नहीं हो सकता था। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि इन सभाओं के प्रस्ताव केवल सिफारिशी समझे जाते थे और सरकार को मानने या न मानने की पूर्ण स्वतन्त्रता थी।

यद्यपि ये सुधार महत्वपूर्ण थे और इनके द्वारा देश एक कदम और आगे बढ़ा परन्तु इन्होंने किसी नई नीति को जन्म नहीं दिया। विदेशी सरकार और जनता के सदस्यों में सम्पर्क तो अवश्य बढ़ गया किन्तु उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया। इस ऐक्ट का केवल यह उद्देश्य था कि व्यवस्थापक सभाओं में भारतवासियों को पहिले से अधिक जगह मिल सके और जाय कारिगी के साथ धारा-सभाओं का अधिकाधिक सम्पर्क बढ़े।

लार्ड माले ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जो १९०६ ई० के ऐक्ट का एक अंश तो नहीं है फिर भी उसी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है। पहली बार भारत मंत्री ने इन्डिया कांसिल में श्री के० जी० गुप्ता और श्री सैय्यदहुसैन तिलगामी—दो भारतवासियों को स्थान दिया। यह कार्य १९०७ ई० में किया गया। इसी के द्वारा १९०६ के ऐक्ट के स्वीकृत होने के कुछ दिन पश्चात् गवर्नर जनरल की कार्य कारिगी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का—द्वार खुला। श्री एस० वी० सिन्हा, जो बाद में लार्ड सिन्हा के नाम से प्रसिद्ध हुए, गवर्नर जनरल की कार्य कारिगी में पहले भारतीय सदस्य थे। इन सभी सुधारों का कांग्रेस के नरमदल ने सहर्ष स्वागत किया।

परन्तु साम्राज्यवाद कभी सीधे हाथों अपनी सत्ता का परित्याग नहीं किया करता। ब्रिटिश सरकार ने मिंटो माले सुधारों द्वारा भारतवासियों को यदि एक हाथ से कुछ अधिकार दिये तो उन्हें दूसरे हाथ से समेट लिया। इस ऐक्ट के अन्तर्गत बनाये गए नियम और उपनियम सुधारों के आधारभूत सिद्धान्तों के सर्वथा विरोधी थे और वे इतने कठोर थे कि उनके कारण नए सुधार विलुप्त बेकार हो गए। कांग्रेस ने इन नियमों का घोर खण्डन किया। इन नियमों का सर से बड़ा यह दोष था कि इनके द्वारा एक सम्प्रदाय को दूसरे सम्प्रदायों के विरुद्ध प्रोत्साहन मिला। अल्पमत के प्रतिनिधित्व और और उनके विशेषाधिकारों की रक्षा की एक नई समस्या खड़ी कर दी गई जिस का अन्त तक कोई निराकरण न हो सका। अन्ततोगत्वा देश को १९४७ ई० में आकर भारत और पाकिस्तान के दो पृथक भूभागों में विभाजित होना पड़ा। इन नियमों के द्वारा मुसलमानों को अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा विशेषाधिकार मिल गए और उनके लिये पृथक निर्वाचन का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया।

१९०६ ई० के मिंटो माले सुधारों के दोष इसके व्यावहारिक स्वरूप देखने पर भली भाँति प्रकट हो गए। इसने भारतवासियों का देश के प्रशासन से सम्पर्क तो अवश्य बढ़ा दिया परन्तु उस के संचालन का लेश मात्र भी उत्तरदायित्व नहीं दिया। इसके विरुद्ध श्री गोखले जैसे नरमदल के नेता को भी यह कहना पड़ा कि व्यवस्थापक मण्डलों के गैर सरकारी सदस्य सरकार की नीति में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करने के असमर्थ

है। भारत के सभी राजनीतिज्ञ इस बात से अनन्तुष्ट थे कि कोरे बादबिवाद के अतिरिक्त कोई भी अधिकार व्यवस्थापक सभाओं को नष्ट दिया गया। अब यह स्पष्ट हो गया कि सम्पर्क बढ़ाने की पुगनी नीति से अब सम्मन न बनेगा और उसके स्थान पर कोई नई नीति ब्रिटिश सरकार को भारत के लिये अपनााना पडगी।

१९१६ ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट—१९१४ १६ के प्रथम महा युद्ध ने ब्रिटिश सरकार को भारत के विषय में अपनी नई नीति निधारित करने का ज़रूरी ही अवसर दे दिया। १९१७ ई० में भारत मंत्री, श्री मा'म्यू ने हाउस ऑफ कामन्स क सम्मन् ए क ऐतिहासिक घोषणा की। इस घोषणा के बीच उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं—

“सम्राट् की सरकार की यही नीति है और भारत सरकार भी इससे पूर्णरूप से सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का अधिकारिक सहयोग प्राप्त करके साम्राज्य के अन्तर्गत, भारतवर्ष में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिये स्वशासन सम्बन्धी सरथाएँ क्रमशः उत्तत बनाई जाय। इस नीति की प्रगति धीरे धीरे होगी और भारत की ब्रिटिश सरकार ही यह निश्चित करेगी कि कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिये।”

The policy of His Majesty's Government, with which the Government of India are in full accord, is that of increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire. The progress in this policy can only be achieved by successive stages. The British government of India must be the judges of the time and measure of each advance.

इस ऐतिहासिक घोषणा से यह भली भाँति प्रकट हो जाता है कि भारत के विषय में समयानुकूल ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीति को बदल दिया। १९१६ ई० से भारत में स्वशासन की प्रोत्साहन देकर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। १९१६ ई० के ऐक्ट के निम्नलिखित मुख्य मुख्य पहलू हैं—

१) अब से केन्द्रीय और प्रांतीय विषयों को प्रथक प्रथक कर दिया गया और प्रांतों को

अपने प्रशाननीय क्षेत्र में अधिक स्वाधीनता दे दी गई। (दूसरे, नवीन ऐक्ट के द्वारा प्रांतीय कार्य-कारिणी में द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) के सिद्धान्त को अपना कर प्रांतीय विषयों को—सरलित और हस्तान्तरित—दो भागों में बाँट दिया गया। तीसरे, केन्द्रीय सरकार में किसी प्रकार का उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं किया गया; परन्तु इस बात की अवश्य-चेष्ट की गई कि शासन-कार्यों में जनता का अधिक सहयोग प्राप्त किया जाय।

दूसरे परिच्छेद में १९१६ ई० के ऐक्ट के सुधारों का विवेचन किया जायगा चूँकि इसके द्वारा देश में उत्तरदायी शासन की नींव डाली गई।

१९३५ ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट—१९१६ ई० में भारत के लिए उत्तरोत्तर उत्तरदायी शासन का जो वायदा किया गया उसकी अगली किस्त १९३५ ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट था। इसके निर्माण में राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव ने भी कार्य किया। यह अपने ढंग का निराला ही अधिनियम था। इसमें भारत के लिये सघात्मक शासन की कल्पना की गई और देशी रियासतों को भी इस प्रकार बनाये गए सघ में सम्मिलित होने का अवसर दे दिया गया। इसके द्वारा प्रांतीय स्वाधीनता (Provincial autonomy) को स्वीकार किया गया। इमने केन्द्रीय शासन में भारतीय जनता को कुछ सत्त प्रदान करना भी स्वीकार कर लिया।

अनेक कारणों से इस ऐक्ट के सघात्मक शासन से सम्बन्धित बहुत से उपबन्धों (Provisions) को कार्यान्वित नहीं किया जा सका! फिर भी इस ऐक्ट के अनुसार प्रांतों में कुछ समय तक सुचारु रूप से कार्य वाहन होता रहा जब तक कि ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में १९३६ ई० में कांग्रेस सरकार ने बहुत सी प्रांतीय धारा सभाओं से त्याग पत्र न दे दिये।

१९४७ ई० का इंडिपेंडेंस ऐक्ट—वह अन्तिम अधिनियम जो भारत के विषय में ब्रिटिश ससद द्वारा स्वीकार किया गया इंडिपेंडेंस ऑफ इण्डिया ऐक्ट के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अनुसार इस विशाल देश को भारत और पाकिस्तान नामक दो पृथक उपनिवेशों में विभाजित कर दिया गया। तत्पश्चात् भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। अब से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट को अधिकार सम्पूर्ण भारतवर्ष के ऊपर प्राप्त थे वह नए ऐक्ट के पश्चात् भारत और पाकिस्तान की सविधान सभाओं को सौंप दिये गए। इन सविधान सभाओं को अपने अपने देश के लिये नया सविधान बनाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी गई।

नवीन संविधान—लगभग तीन वर्ष के कठिन परिश्रम के पश्चात् भारतीय सविधान सभा ने अपने कर्तव्य को पूर्ण किया। इस सभा ने २४ जनवरी १९५० ई०

को डा० राजेन्द्रप्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया और २६ जनवरी १९५० ई० को इसने भारतीय जनता की ओर से भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य (Sovereign Democratic Republic) घोषित किया जिसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पाने का समान अवसर प्रदान किया जायगा।

आगामी परिच्छेदों में हम १९१६ ई० और १९३५ ई० के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट का सक्षिप्त विवेचन देकर नए संविधान का विलुप्त वर्णन करेंगे।



अध्याय ६

मान्टेग्यूचेमरफोर्ड सुधार और उनका कार्यान्वित रूप

एक्ट का महत्व—१९१६ ई० के गवर्मेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट का कुछ अधिक विस्तार-पूर्णक विवेचन करने की इस लिये आवश्यकता है कि वास्तव में इस के द्वारा ही उत्तरदायी शासन का शिलान्यास हुआ है। श्री माटेग्यू की १९१७ ई० की ऐतिहासिक घोषणा ने इस नई नीति को भली भाँति स्पष्ट कर दिया। अब से भारत में उत्तरोत्तर उत्तरदायी शासन उन्नत किया जायगा। यद्यपि १९३५ ई० और १९४७ के अधिनियमों के पश्चात् १९१६ ई० के ऐक्ट का केवल ऐतिहासिक महत्व ही रह जाता है फिर भी उसकी मोटी मोटी बातों को समझना आवश्यक है।

इस ऐक्ट में खुले शब्दों में यह उल्लेख मिलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत ब्रिटिश ससद् की प्रभुता के आधीन, शनैः शनैः भारत को स्वशासन का भार सौंपा जायगा। इस प्रकार यहाँ पूर्ण स्वशासन स्थापित करना ब्रिटिश सरकार का अन्तिम ध्येय था जिसके लिये १९१६ ई० का ऐक्ट केवल पहली सीढ़ी थी। इस ऐक्ट के द्वारा पहिले पहिले प्रान्तों में कुछ विषयों में स्वाधीनता देकर स्वायत्त शासन का प्रयोग किया गया। इस प्रयोग की सफलता के लिये भी यह आवश्यक समझा गया कि प्रशासन, कानून और वित्त-सम्बन्धी विषयों में प्रान्तों को पहिले से कहीं अधिक स्वतन्त्रता मिल जानी चाहिए और उनके ऊपर केन्द्र का हस्तक्षेप कम कर दिया जाय। अतएव अब में खुले रूप में विकेन्द्राकरण (Devolution) का सिद्धान्त स्वीकार किया गया।

विकेन्द्रीकरण की नीति का महत्व समझने के लिये यह स्मरण रहे कि सन् १७७३ ई० से लगातार ब्रिटिश सरकार की यह धारणा बनी रही कि ब्रिटिश राज्याधीन समस्त भारतीय क्षेत्रों के ऊपर एक शुद्ध और सबल केन्द्रीय सरकार हो। बहुत दिनों तक प्रान्तीय वित्त (Provincial Finances) पर केन्द्रीय सरकार का कड़ा नियंत्रण रहा। उस समय बिना केन्द्र की अनुमति के प्रान्तों को किसी प्रकार का कर लगाने और खर्च करने के अधिकार नहीं थे। १८७० ई० के लगभग ही इस प्रकार के केन्द्रीकरण के क्रोधा का अनुभव होने लग गया जब कि पहिले पहिले वित्त सम्बन्धी विकेन्द्रीकरण की ओर कदम बढ़ाया गया। धीरे धीरे प्रान्तों को अधिनाधिक स्वतन्त्रता दी जाने लगी १९१६ ई० के ऐक्ट ने विकेन्द्रीकरण के इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया।

माट पोर्ट सुधारों में प्रान्तों को राजनैतिक स्वशासन (Political autonomy) नहीं दिया (यह कार्य तो पहली बार १९१६ ई० के ऐक्ट के द्वारा हुआ) परन्तु शासन के सुभीते के लिये प्रशासन सम्बन्धी विषयों को दो प्रयत्न समूहों में विभक्त कर दिया। ऐसे विषय जिन का सम्बन्ध समस्त भारत वर्ष से था जैसे सेना, परराष्ट्र-नीति रेल, डाक खाना, तारघर, चलाचर्य और टकरा (currency and coinage) राष्ट्र-सूत्र देशी राजस्व इत्यादि—केन्द्रीय विषय कहलायें। शेष विषयों में से कुछ ऐसे विषय जिन का केवल प्रान्तों से ही सम्बन्ध था—जैसे स्थानीय स्वराज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग धन्धे, पुलिस, जेल आदि—प्रान्तीय विषय कहलायें। इसी प्रकार राजस्व की मदों को केन्द्र और प्रान्तों के बीच बांट दिया गया। जैसा कि ऊपर भी संकेत दिया जा चुका है इस का यह अभिप्राय नहीं है कि विकेन्द्री करण के साथ प्रान्तों को स्वायत्त शासन मिल गया। जब तक भारतीय शासन पहिले की तरह ही एकात्मक शासन विधान बना रहा तब तक यह बात सम्भव नही थी। इस दृष्टि से १९१६ ई० के ऐक्ट ने भारतीय शासन के स्वरूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। भारतीय शासन विधान पहले के समान ही एकात्मक बना रहा। उसमें किसी भी रूप में सघात्मक शासन की कल्पना नहीं की गई।

१९१६ के ऐक्ट के मुख्य उपबन्ध—यद्यपि इस ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रान्तों में आंशिक उत्तर दायित्व की स्थापना करना था तथापि इस के द्वारा केन्द्रीय शासन और होम गवर्नमेंट में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गए। पहिले इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्था पर प्रभार डाला जायगा और तत्पश्चात् क्रमशः प्रान्तीय सरकार और होम गवर्नमेंट के सम्बन्ध में इसके मुख्य उप बन्धों का विश्लेषण किया जायगा।

भारत सरकार—भारत सरकार के केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल और गवर्नर जनरल की कार्य कारिणी ये दो प्रधान अंग हैं। १९१६ के ऐक्ट ने व्यवस्थापक सभा की रचना शक्ति और कृत्यों में तो कई महत्व पूर्ण परिवर्तन किए परन्तु इसके साथ कार्य कारिणी के सम्बन्ध को पहले जैसा ही रहने दिया है दूसरे शब्दों में भारत सरकार पहले की भांति भारत मन्त्री के आधीन रही और किसी प्रकार भी व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी न बनाई गई। कार्य कारिणी की रचना और स्वरूप में कुछ संशोधन किये गए परन्तु वे विशेष महत्व नहीं रखते।

कार्य कारिणी—१९१६ ई० के ऐक्ट में पश्चात् भी पहिले की तरह ही गवर्नर जनरल कार्य कारिणी के अध्यक्ष रहे और उनको वायसरॉय की उपाधि और विशेष अधिकार प्राप्त थे। आवश्यकता नुसार गवर्नर जनरल कार्य कारिणी के बहुमत के विरुद्ध भी कार्य कर सकते थे। कार्य कारिणी के किसी सदस्य को उनका विरोध करने का साहस न था

कार्य कारिणी से सम्बन्धित अधिकारों के अतिरिक्त गवर्नर जनरल के प्रशासन सम्बन्धी वित्त सम्बन्धी कानून सम्बन्धी आदि और भी बहुत से अधिकार थे। देश के प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी होने के साथ साथ उन्हें भारत सरकार का सैनिक और असाैनिक दोनों प्रकार का प्रबन्ध करना पड़ता था। उनके ऊपर देश की शान्ति और सुव्यवस्था का भार था। कार्य कारिणी के अन्य सदस्यों में वे कार्य बंटते थे और उनके विभागों के लिए नियम बनाते थे। कुछ विशेष जैसे चीफ कमिश्नर की नियुक्त वे स्वयं करते थे और गवर्नर तथा अन्य उच्च सरकारी पदों के लिए उनकी सिफारिश विशेष महत्व रखती थी। व्यवस्थापक सभाओं के अधिवेशनों का करना, उनका भंग करना और उनका कार्य काल बढ़ाना या घटाना उनके हाथ में था। बीच में ही किसी भी सभा की कार्य वाही रोक देने का उन्हें पूर्ण अधिकार था। विशेष प्रकार के प्रश्नों को भी वे रोक सकते थे। वित्त सम्बन्धी गवर्नर जनरल के निम्न लिखित विशेष अधिकार थे—सूत्र करने या कर लगाने का कोई प्रस्ताव उनकी पूर्वानुमाति के बिना नहीं रखा जा सकता था। यदि असेम्बली किसी मद में कमी करती अथवा उसे अस्वीकार करती तो गवर्नर जनरल को अधिकार था कि पहली मांग को ही ज्यों का त्यों स्वीकार कर दें उन्हें प्रमाणन (Certification) और अध्यादेश जारी करने के भी अधिकार प्राप्त थे। इन अनेक सुदृढ अधिकारों के कारण गवर्नर जनरल इस देश के शासन के ऊपर सबेँ सबों के समान थे। किसी भी प्रजातन्त्रात्मक राज्य के अभ्युदय को उनके जैसे अधिकार नहीं थे।

१९१६ के ऐक्ट ने कौंसिल की रचना में भी कुछ परिवर्तन किये। अब से इस के सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई बढ़ाई जा सकती थी। इस में भारतीय सदस्यों की संख्या भी निर्धारित नहाने ली गई थी। किन्तु १९२१ ई० से १९४१ ई० तक इसमें तीन भारतीय रहे जिनमें से एक सदस्य ला मेम्बर का पद ग्रहण करता था।

१९४७ ई० तक की स्थिति—१९३५ ई० के ऐक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कौंसिल की रचना और शक्ति में मूल भूत सशोधन करने का विचार या परन्तु सघात्मक शासन का प्रस्थापन न होने के कारण गवर्नर जनरल और उसकी कार्य कारिणी ज्यों के त्यों बने रहे यद्यपि प्रान्तों के ऊपर से उनका नियन्त्रण कम कर दिया गया। १९३७ ई० में प्रांतीय स्वायत्तशासन स्थापित होने के पश्चात् प्रांतीय सूची के विषयों के ऊपर से गवर्नर जनरल और उनकी कौंसिल का अधिकार समाप्त हो गया।

१९४१ ई० में कौंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। युद्ध में भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर की कार्य-कारिणी में भारतीय सदस्यों का बहुमूल कर दिया। इस से पूर्व कुल आठ सदस्यों में से केवल तीन भारतीय सदस्य होते थे। नई कार्य-कारिणी के सदस्यों की संख्या १३ कर दी गई

जिन में से ८ सदस्य भारतीय थे। नए सदस्यों को स्थान देने के लिए कुछ नए विभाग खोले गए और कुछ पुराने विभागों के कार्य को बाँट दिया गया। १९४५ ई० में कार्य-कारिणी को और भी बढ़ाया गया और उसके सदस्यों की संख्या १६ कर दी गई। परन्तु अब भी मुख्य मुख्य विभाग जैसे विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, देश की रक्षा, वित्त और यातायात अगरेजी सदस्यों के ही आधीन रखे गये।

यह यह बात देना आवश्यक है कि गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी को मन्त्रि मण्डल (Cabinet) जैसा श्रेय प्राप्त नहीं था। यह आवश्यक नहीं था कि सभी विषयों पर इसके सदस्यों की सहमति हो। इसके सदस्य एक साथ नियुक्त नही किये जाते थे न वे एक साथ पद त्याग करते थे। प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता था और जैसे ही एक सदस्य अलग होता था उसकी जगह दूसरा नियुक्त कर दिया जाता था। गवर्नर जनरल की कार्य-कारिणी को मन्त्रि मण्डल के रूप में बदलने का कार्य सबसे पहिले प० जवाहर लाल ने १९४६ ई० में किया। पन्द्रह अगस्त १९४७ ई० के बाद से १९५० तक इसने वास्तविक मन्त्रि-मण्डल का कार्य किया जिससे गवर्नर जनरल स्वेच्छा को न बरत कर मन्त्रि-मण्डल की सलाह से कार्य करते रहे।

भारत मन्त्री का निरीक्षण—यह गवर्नर जनरल और भारत मन्त्री के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक है। वैधानिक दृष्टि से गवर्नर जनरल भारत मन्त्रि के आधीन थे। और इस प्रकार इन की सभी आशाएँ उन्हें माननी पड़ती थी। १८५८ ई० को महारानी विक्टोरिया की राजन्य उद्घोषणा (Royal Proclamation) में ही इस मन्तव्य को स्पष्ट कर दिया गया था। १९१९ ई० के एक्ट के अनुसार भी भारत मन्त्री को अधिकार था कि भारत के शासन और वित्त सम्बन्धी कार्यों पर वह नियंत्रण और निरीक्षण रखे। इसका यह अभिप्राय है कि विरोध की अवस्था में भारत मन्त्री की बात ही गवर्नर जनरल और उसकी कार्य-कारिणी के लिए मान्य थी। परन्तु व्यवहार में इनका आपस का सम्बन्ध दोनों के व्यक्तित्व पर निर्भर था। यदि गवर्नर जनरल प्रभावशाली होता था तो भारत मन्त्री ब्रिटिश संसद में उनके दृष्टिकोण का ही समर्थन करते थे और यदि भारत मन्त्री एक जारदार व्यक्ति होता तो भारत सरकार को उसकी इच्छानुकूल कार्य करना पड़ता था। व्यक्तित्व को दूर रख कर यदि देखा जाय तो भारत मन्त्री का स-कौंसिल गवर्नर जनरल के ऊपर वास्तविक नियंत्रण था। दृश्य और अदृश्य (Direct and Indirect) दोनों ही प्रकार से इस नियंत्रण का उपयोग होता था। अदृश्य रूप में भारत मन्त्री बहुत से गुप्त संदेश गवर्नर जनरल को भेजता था जिन्हे कार्य-कारिणी के सदस्यों पर भी नहीं प्रकट किया जाता था। दृश्य रूप में कानून-सम्बन्धी सभी प्रस्तावों पर भारत मन्त्री की पूर्वानुमति लेना आवश्यक था।

इस प्रकार ने गहरी नियंत्रण से विधान मण्डल के सामने भारत सरकार की स्थिति अनोखी हो गई। प्रायः इन दोनों के बीच गतिरोध रहने लगा चूंकि गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य जो कि बहुमत में थे, सरकार की बहुत सी बातों का विरोध करते थे। इसका यह परिणाम हुआ कि वित्तीय विधेयक (Finance Bill) जैसे महत्वपूर्ण विधेयों में भी प्रायः मतभेद हो जाता था।

केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल—१९१६ ई० ने ऐक्ट के द्वारा व्यवस्थापक मण्डल में कई परिवर्तन किये गए। हम केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के सशोधनों का उल्लेख करेंगे।

अब से पहले केन्द्र में व्यवस्थापक मण्डल का केवल एक ही आगार (Chamber) था अब उसे राज्यपरिषद् (Council of state) और विधान सभा (Legislative Assembly) नामक दो आगारों में बांट दिया गया। इस प्रकार व्यवस्थापक मण्डल को द्विआगारीय (Bicameral) बनाना एक मूलभूत परिवर्तन था।

राज्य परिषद् जो कि घनाट्य लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, इस लिए स्थापित किया गया कि यह असेम्बली के लिए (जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते थे) एक प्रकार का अवरोध बन जाय।

दूसरी विशेष बात जो इस ऐक्ट के द्वारा की गई वह थी—धारा सभाओं के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। असेम्बली के सदस्यों की संख्या १४० थी परन्तु नियमों के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता था। राज्य परिषद् में ६० से अधिक सदस्य न हो सकते थे। दोनों सभाओं में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था।

तीसरी बात यह थी कि गवर्नर जनरल अब से विधान मण्डल के सभापति न रहे वैसे वे इनके अंग भी अभिन्न अंग थे। सरकार के ऊपर जनमत का प्रभाव बढ़ाने के लिए व्यवस्थापक मण्डल के तर्क और निज सम्बन्धी अधिकार भी बड़ा दिये गए। परन्तु अब भी केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी नहीं बनाया गया।

व्यवस्थापक मण्डल के दोनों आगारों की रचना का अधिक विस्तृत विवरण देने की हमें आवश्यकता नही। इतना कहना पर्याप्त होगा कि इनके लिए प्रत्येक प्रान्त में जातियों के विचार से सीटों का उचित बंटवारा कर दिया गया।

इन सभाओं में निम्न, मुसलमान और थोरोपीय जातियाँ का पृथक् प्रतिनिधित्व दिया जाता था। जमादार और भारतीय ईसाईयों के लिए विशेष निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते थे और एंग्लो इण्डियन, भारतीय ईसाई तथा दलित जातियों को नाम निर्देशन द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जाता था। दोनों सभाओं के सदस्यों के लिये विभिन्न साम्प्रतिक योग्यताएँ (Property qualifications) निश्चित थीं। किसी किसी प्रान्त

मे तो केन्द्रीय असेम्बली के सदस्यों की योग्यता का माप-दण्ड एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही बदल जाता था। विधान सभा का कार्य काल तीन वर्ष था परन्तु गवर्नर जनरल इस अवधि का घटा बढा भी सकते थे। गवर्नर जनरल की स्वीकृति से असेम्बली किसी भी व्यक्ति को अपना सभापति चुन सकती थी। बहुत दिना तक राज्य परिषद् का अध्यक्ष गवर्नर जनरल द्वारा ही नियुक्त किया जाता रहा, परन्तु बाद में इसका चुनाव पार्षद के सदस्य ही स्वयं करने लगे। विधान सभा की अपेक्षा राज्य परिषद् कम प्रजातन्त्रात्मक था आर इस में धनपतियों का आधेन्द्र प्रभाव था। अनुपान में असेम्बली में अनवाचित सदस्यों का अधिकाधिक आधेन्द्र वाहुल्य होने का कारण यह सभा जनता की आधेन्द्र प्रतानाध समझी जाती थी।

अब हम १९१६ ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत व्यवस्थापक मण्डल के अधिकारों पर संक्षिप्त विचार करेंगे।

व्यवस्थापक मण्डल के अधिकार—केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा के सामने अधिकार थे। न यह १९१६ ई० के अधानयन में कार्टे पारबतन, सशोधन अथवा प्रत्यावतन, कर सक्ता था, न भारत मंत्री के भारत के लिए मृत्थ लेने के अधिकारों के विषय में कार्टे बिल पास कर सकती थी आर न हार्डकोर्ड के अतिरिक्त किसी दूसरे न्यायालय का, सम्राट के अधीन रहते हुए किसी योरापियन को प्राणदण्ड देने का अधिकार दे सकती थी। आर भी बहुत से विषय थे जिन के ऊपर इसे कानून बनाने का अधिकार न था। वित्तीय विषयों का छोड़कर सभी बातों में दोना आगारा का समानाधिकार था। कार्टे भी विधेयक जब तक एक ही रूप में दोना आगारा द्वारा स्वीकार न कर लिया जाता गवर्नर जनरल के सामने न रखा जा सकता था। यथाप यार्थिक आय व्ययक एन साथ दोना सभाया के सामने तत्र कालय रखा जाता था परन्तु केवल असेम्बली का ही उसकी भागा के ऊपर मतदान का अधिकार था। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि लगभग ८०% राजस्व के ऊपर असेम्बली की भी राय न ली जाती थी यदा तक कि मतदान व्यय (Voteable Expenditure) के ऊपर भी पूर्ण अधिकार न था। गवर्नर जनरल का यह अधिकार प्राप्त था कि जा माग असेम्बली ने कम कर दी है या रद्द कर दी है उस व अद आवश्यक समझ, वहाल कर दे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि १९१६ के अधानयन में कार्यकारिणी के ऊपर असेम्बली का वास्तविक नियंत्रण नहा दिया। जा कुछ इस मिला वह केवल कार्यकारिणी को प्रभावित करने के कुछ अवसर थे। यथाप असेम्बली के सदस्यों का प्रश्न पूछने, प्रस्ताव रखने, स्थगन प्रस्ताव (adjournment motion) प्रस्तुत करने आदि के अधिकार थे परन्तु इनके द्वारा वे कार्यकारिणी को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। कार्यकारिणी तो अभी तक भी भारत मंत्री के प्रति ही उत्तरदायी थी। स्थगन प्रस्ताव की सफलता पर कार्यकारिणी के सदस्य अपना पद छोड़ने को बाध्य न थे। असेम्बली के प्रस्ताव केवल

सिफारशी ममके जाते थे और न्यायकारिणी से उन्हें मानने या न मानने का अधिकार था। दोनों आगारों के पारस्परिक मतभेद आदि ग्रवरोध से युक्त वैठक, म युक्त कमेटी और म युक्त अधिवेशनों द्वारा निरदाए जाते थे। यह भी स्मरणीय है कि गवर्नर-जनरल से परम्थापन मण्डल से तिला सलाह के ही अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ जो कि विधियों के समान ही मान्य थे। उन्हें ऐसे विधेयों को भी प्रमाणित करने का अधिकार था जिसे एक आगार ने स्वीकार और दूसरे ने अस्वीकार किया हो।

प्रान्तीय सरकार

परिचयात्मक—चूंकि मान्यपोर्ट की घोषणा के अनुसार पहिले पहिले प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का प्रयोग का प्रारम्भ करना था इसलिये १९१९ ई० में एक क द्वारा कन्ट्र की अर्थात् प्रान्तीय सरकारों की रचना में अधिक महत्वपूर्ण पारकतन किया गए, परन्तु मुख्य ही प्रान्तों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी देने का विचार नहीं था बल्कि शनैः शनैः उनमें स्थापित किया जाना था। दूसरे शब्दों से कहा की जनता का आशिक स्वयंसेवक प्रदान करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति एक द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित करने की गइ। १९३५ ई० में एक क ने इस प्रणाली का अन्त करके प्रान्तों में पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना कर दी यद्यपि इस क ऊपर भी गवर्नर के विशेषाधिकारों की छाया थी।

द्वैध शासन का अर्थ—द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ शासन को दो पृथक् विभागों में बांट देना है—इस प्रणाली के अनुसार प्रान्तीय विधायकों को दो भागों में बांट दिया गया। स्थानीय शासन, शिक्षा, सफाई, मावर्जनिक स्वास्थ्य, औपधालय, शरणालय, साजजनिक माग, धन्यता का उन्नति, कृषि, नशीने वस्तुओं पर कर इत्यादि विषय इत्यादि विषयों में रखे गए। इनके ऊपर गवर्नर उत्तरदायी मंत्रियों की नियुक्ति धारासभा के निर्वाचित सदस्यों से हो कर दी जाती थी और वे अपने कार्य तथा नीति के लिये सभा के प्रति उत्तरदायी थे। भूराजस्व, अनाज रक्षा, मिर्चार्ड, जलशक्ति, वन, न्याय प्रशासन पुलिस और नारागार, पैकटो और मन्डूर मन्वन्धी सम्मन्वाए इत्यादि सरक्षित विषय बरलाए। इन विषयों का प्रशासन गवर्नर कार्यकारिणी के सदस्यों की सहायता से करते थे जो कि क्वल भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी थे और उन्हें धारा सभाओं के सामने जवाबदेह न होते थे। इस प्रकार के चार सदस्य विधेय सम्राट द्वारा (बालक से भारत मंत्री द्वारा) नियुक्त किये जाते थे जिनमें से आधे भारतवासी और कम से कम एक मंत्री ऐसा होता था जिनके सम्राट के अधीन भारत में कम से कम १२ वष

की सेवा की हो। दूसरे शब्दों में न्यायकारिणी का एक सदस्य पुराना आर्दे० सी० ऐस० हाना आवश्यकभावी था।

इस प्रकार प्रान्तीय कार्यकारिणी के दो स्पष्ट विभाग हो गए—

एक में गवर्नर और उसके मंत्री और दूसरे में गवर्नर और उसकी न्यायकारिणी के अन्य सदस्य। मंत्री लोग धारा सभा के समक्ष उत्तरदायी थे और उमरु द्वारा हटाये जा सकते थे जब कि दूसरे सदस्य न धारा सभा के प्रति उत्तरदायी थे न उसकी धोड़ पर हटाये जा सकते थे। पहिले विभाग ने व्यक्त जनप्रिय और दूसरे के नोकर शाही के प्रतिनिधि थे। दोनों श्रेणी के सदस्यों से यह आशा की जाती थी कि एक दूसरे का परामर्श लेंगे परन्तु सरक्षित और हस्त-तरित विषया में दाना का पृथक् पृथक् अधिकार क्षेत्र था।

सभी प्रान्तों के मंत्रियों की सरवा समान नहीं थी किसी प्रांत में दो और किसी में तीन मंत्री थे। पाश्चमात्तर सीमा प्रांत में तो १९३२ ई० में केवल एक ही मंत्री रखा गया था। मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व नहा था। यह आवश्यक नहा था कि वे एक साथ पदग्रहण या पदत्याग करें। कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों में भी सभी प्रान्तों में समान सरवा न थी। गवर्नर की अपनी कार्यकारिणी के साथ उसी प्रकार का सम्बन्ध था जैसा गवर्नर जनरल का अपने केन्द्रीय कार्यकारिणी के साथ। प्रान्तीय क्षेत्र में गवर्नर के वही अधिकार थे जो गवर्नर जनरल के भारत सरकार के सम्बन्ध में अपनी कार्यकारिणी में उसी का पूर्ण प्रभुत्व था। चूंकि १९३५ ई० से प्रान्तीय कार्यकारिणी में मूलभूत परिवर्तन हो गया इसलिए द्वैध शासन प्रणाली का अधिक विस्तार पूरक विवेचन करने की हमें आवश्यकता नहा।

प्रान्तीय धारा सभाएँ—१९०९ ई० के ऐक्ट ने प्रान्तीय धारा सभाओं की रचना और कृत्यों में कई परिपतन किये। सदस्यों की सरवा पर्याप्त बढ़ाई गई। मताधिकार का विस्तार करके उन्हें अधिक लाकतत्रात्मक बना दिया और इन्हें काफी अधिकार दफ्तर सरकार का एक स्वतंत्र अंग बना दिया। गवर्नर के प्रत्येक प्रान्त में एकागरी (Unicameral) धारा सभा बनाई गई जिसका नाम लेजिस्लेटिव कांसिल अर्थात् विधान परिषद रखा गया। प्रत्येक प्रान्त में सदस्यों की सरवा पृथक् पृथक् थी। प्रत्येक प्रान्त में तीन प्रकार के सदस्य होने थे—निर्वाचित और सरकारी सदस्य जो कि कुल योग में ७० से कम न होते थे। मनोनीत पदाधिकारी जिनकी सरवा २०% से अधिक न हा सकती थी और कुछ दलित जातियों मजदूर वर्ग इत्यादि से लिये गए मनोनीत साधारण सदस्य जिन्हें चुनाव में सीधे भाग न मिल पाता था। जातीय प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को अपनाया ही नहा गया बल्कि उसका विस्तार सिप, भारतीय, ईसाई, एंग्लो साइयन और ओरोपीय जातियों तक कर दिया। जमींदार व्यापारी और विश्वविद्यालयों को विशेष सीटें दी गईं। इस प्रकार उत्तरदायी शासन की बुनियाद

हालने के साथ साथ जातीय मनभेद के एक ऐसे जहरीले वृक्ष को भी विनाशित किया गया जिसे सभी उत्तरदायी शासन के लिये हानिप्रद स्वीकार करने है।

यू० पी० सी लेजिस्लेटिव फोर्मिल में १०० निर्वाचित सदस्य, १७ मनोनित पदाधिकारी और ६ मनोनित साधारण सदस्य थे।

इन धारा सभाओं के अधिकार बढ़ा दिये गये। प्रान्त की शक्ति और सुप्रबन्ध की शान्ति और सुप्रबन्ध के लिए वे जानूँ बना सकती थीं। परन्तु उन अधिकारों की कुछ माँग निश्चित थी। इन सभाओं को प्रश्न, स्थान प्रस्ताव (Motion of adjournment) धनसमस्या माँगा पर मत देने के अधिकार दिये गये, जिनके प्राण्य प्रशासन पर धारणभा को कुछ नियन्त्रण मिला। प्रांतीय बजट केन्द्रीय बजट के प्रधान दिया गया और धारणभा में इसके ऊपर वाद विवाद हा सक्त था। इन की मदा को मतदेय मद और अमतदेय मद (Votable & non votable items) में श्रेण्य रूढ़ कर दिया गया। अमतदेय मद कुल का लगभग ७५ प्रतिशत होता था। मद अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करने के लिये आवश्यक समझें तो गवर्नर का सार्वक द्वारा धर्प्रद गई मदों को भी बहाल करने का अधिकार था।

गवर्नर को ऐसे विधेयों को प्रमाणित करने का भी अधिकार था जो विधान मण्डल प्रन्वीकार कर दे। इस प्रकार प्रमाणित विधेयक सार्वज्ञिक विषयों के प्रशासन के लिए आवश्यक समझ जाते थे और उन्हें कमिल द्वारा पारित करने गये विधेयों की श्रेण्य में रखा जाता था। ध्यान देने योग्य बात है कि प्रांतीय विधेयों के ऊपर गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों की निश्चयन स्वीकृति लेनी पड़ती थी। कुछ विषयों पर तो धारणभाओं को कानून बनाने का अधिकार ही न था और कुछ के ऊपर प्रस्ताव रखने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति लेना पड़ती थी। इस प्रकार प्रान्त के धारणभाओं के कानून बनाने के अधिकार सम्मिलित थे। उन्हें उत्तरदायी मन्त्रियों के ऊपर अधिक नियन्त्रण था, साधारण के अन्य मदस्था पर तो वे केवल प्रभाव ही रख सकती थीं।

होम गवर्नमेण्ट

परिचयगतमह—इसके अध्याय में हम यह उल्लेख कर चुके हैं कि इस प्रकार प्रिंटिंग मन्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी में भारत की शासन पता और किस प्रकार १८५८ ई० में पहिले पहिले भारतमन्त्री को नियुक्त किया गया। तब में भारत मन्त्री हा सचालन-मण्डल (Court of Directors) और नियन्त्रण मण्ड (Board of control) के स्थान पर भारतीय सरकार के ऊपर देय रंग करने लगे। उनकी महारता के लिये इण्डिया कंमिल नाम की एक मन्था नियत की गई। इस प्रकार के कमिल में भारत

मन्त्री (Secretary of State for India-in Council) इंग्लैंड में भारत के शासन का नियन्त्रण करने के लिए और उसी का होम गवर्नमेंट नाम पड़ गया।

१९१६ ईस्वी के ऐक्ट से भारत मन्त्री के अधिकारों पर नैदानिक दृष्टि से कोई प्रभाव नष्ट पड़ा। इसके द्वारा फिर से यह स्पष्ट किया गया कि भारत मन्त्री भारत सरकार के उत्तर से सम्बन्ध रखने वाले सभी मामलों की देख-रेख और नियन्त्रण करने के अधिकारी है। परन्तु चूंकि १९१६ के ऐक्ट के द्वारा प्रान्ता में आशाक स्वशासन का प्रयोग किया गया और चूंकि इसके लिये प्रान्तीय धागम्भायों को अधिक स्वाधीनता देने की आवश्यकता थी, इन कारणों से यह निर्देश कर दिया गया कि भारत मन्त्री अपने बनाये हुए नियमों के द्वारा ही प्रान्ता नियन्त्रण कुछ ढीला कर लें और मुख्यतया हस्तान्तरित विषयों को प्रान्ता के ऊपर ही छोड़ दें। तब यह शर्तक गवर्नर अपने मन्त्रियों के परामर्श में जाय करते थे उन यह तब उनके ऊपर भारत मन्त्री का नियन्त्रण न रहा। यह भी ध्यान रखने योग्य है कि वर्तमान इस ऐक्ट के द्वारा केन्द्र में उत्तरदायी शासन जिल्दुल भी स्थापित न हुआ और भारतीय सरकार को पूर्णतः ही भारत मन्त्री और पार्लमेट के आधीन रहने दिया गया, फिर भी इसमें यह इच्छा प्रकट की गई कि जहाँ तक सम्भव हो सके भारत सरकार का केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल की महत्त्व और विशेषतया वजेट के मन्दीय मंडों पर उसकी सहायता में कार्य करना चाहिये। इन सीमा तक भारत मन्त्री का भारत सरकार के ऊपर से व्यवस्थापक सभा के पत्र में नियन्त्रण हट गया।

ऐक्ट ने हम ऐडमिनिस्ट्रेशन में कुछ और भी परिवर्तन किये, जिनमें से एक भारत मन्त्री का वेतन से सम्बन्ध रखना है। अब भारत मन्त्री और उनके कार्यालय का वेतन भारतीय कोष से न दिया जाकर इंग्लैंड के कोष से दिया जाने लगा। इस परिवर्तन का कारण भारत मन्त्री के ऊपर पार्लमेट का निरीक्षण पहले की अपेक्षा अधिक हो गया। चूंकि वार्षिक वजेट रखने का समय उनके कार्य पर अधिक नियंत्रणवाद विवाद होने लगा। दूसरे, इस ऐक्ट के अनुसार भारतीय हार्ड कमिश्नर का एक नया पद बनाया गया। हार्ड कमिश्नर इंग्लैंड में भारत मन्त्री के एजेण्ट की हैसियत से काम करते थे। तीसरे, भारत मन्त्री की कौमिल के सदस्यों की संख्या घटा दी गई। भारत मन्त्री की इच्छा के अनुसार आठ से पाँच सदस्य उनके परिषद में रखे जा सकते थे। उनका कार्यकाल सात वर्ष से घटकर पाँच वर्ष कर दिया गया और उनका वेतन १२००० पाउंड वार्षिक कर दिया और उन सदस्यों को ६०० पाउंड और अधिक भत्ता दिया जाने लगा जो नियुक्त के समय भारत में काम करते हैं। कामिल में भारतीय सदस्यों की संख्या दो से तीन कर दी गई।

१९१६ ई०के सुधारों का कार्यान्वित रूप—जैसा कि कार्यक्रम नाम की मधुन

चीन्ता से प्रकट है १९१६ ईस्वी के ऐक्ट ने राष्ट्रीय मंत्रियों का निराकरण नही किया। भारत के नेता भी इस अधिनियम के द्वारा किये गये मुधारों से मन्तुष्ट नही थे, फिर भी उन्होंने उसी दशा में इसको कार्यान्वित करना स्वीकार किया। परन्तु, दुर्भाग्यवश, ये मुधार बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रारम्भ किये गये। उन दिना भारतवर्ष में ब्रिटिश सरकार के प्रतिकूल अग्रगण्य का दीरदीर था। प्रथम महायुद्ध में की गई मेवाओं के उदले रौलट ऐक्टों का भारत में लादा जाना, पत्राव का मैनिफेस्टो शासन, जलियान वाले बाग की दुर्घटना, रिनापत का प्रश्न, इन सबके फलस्वरूप मद्भाग्यना और मैत्री के स्थान पर जो कि ऐक्ट की मजलता के लिये आशङ्क्य था, सभी और कटुता, क्रोध और अविश्वास का जोर बढ़ गया। परिणामस्वरूप इस ऐक्ट की अमलता निश्चित ही थी। देश ने मुधारों के साथ किसी प्रकार का नाता रखने में इन्कार कर दिया और तुरन्त गांधी जी के नेतृत्व में अग्रहभाग आन्दोलन शुरू कर दिया। राष्ट्रीय-फ्रेम ने व्यग्रभाषण ममाग्रा का उद्दिष्टार किया। नरम दल के नेताग्रा ने जो इस बात पर फ्रेम से अलग हो गये थे, फेमिला में चार मन्त्रियों का पदग्रहण करना स्वीकार किया और लगभग तीन वर्ष तक अपने पदा पर वे लोग सफलता से कार्य करते रहे। परन्तु उसी बीच में दरराज्य पाया का जन्म हो गया किनेने दूसरे आम चुनावों में इस शर्त पर भाग लिया कि वे कामला में चार मुधारों का धर करेंगे। यह दल चुनाव में सफल हो गया और इसके मध्य उड़ी सरकार में कई प्रान्तीय धारा सभाओं में पहुँच गये। यद्यपि स्वराज दल मुधारों का विध्वंस तो नही कर सका परन्तु उनमें इसके कार्यान्वित होने में अटका लगा दिया।

द्वैय शासन प्रणाली को अमल पाने का इस में भी अग्रिम वडा कारण गवर्नर का अपने मन्त्रियों के प्रति धरदार था। उदि जनप्रिय मन्त्रियों को मत्वा हस्ताक्षरित करने का जोई अर्थ था तो यह अनिवार्य था कि गवर्नर को उनके ऊपर केवल सविधानीय प्रमुन (Constitutional Head) पना दिया जाय। और प्राय वे मन्त्रियों के परामर्श से कार्य करें। ऐक्ट में गवर्नर को केवल विशेष दशाओं में ही मन्त्रियों की मत्वा न मानने का आदेश था। पहिले दो वर्षों में जब कि गवर्नर नरम दल का सदयोग लेकर भारतीय स्वतन्त्रताके पहले अहिंसात्मक आन्दोलन को दमाना चाहते थे मन्त्रियों को आदर दिया जाता रहा और उनके विचारों का मान किया गया। परन्तु बाद में जब कि मटिग्यू ने भारत मन्त्री के पद को छोड दिया और उनके स्थान पर एक अनुदार भारत मन्त्री की नियुक्ति हुई तो एकदम यह धारणा उदल गई। गवर्नर यह नूल गये कि हन्मन्तरित विधियों के ऊपर उह सविधानीय प्रमुन की हैमियत से ही कार्य करना है और वे छोटी छोटी बातों में भा मन्त्रियों के कार्यों में हन्मन्त्रेप करने लगे।

सुधारों की असफलता का दूसरा कारण मन्त्री और कार्यकारिणी के अन्वय सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध है। सपुत्र पार्लियेन्टरी कमेटी और श्री माटेम्बू दोर्ना की ही यह दृष्टि थी कि ये लोग आपस में परामर्श के पश्चात् कार्य करें परन्तु इसने प्रस्ताहन न मिल सका। कुछ प्रान्ता में तो मन्त्रियोंकी सलाह सरक्षित विभागा से सम्बन्ध रखने वाले मुख्य कार्यों के लिये भी नष्ट हो गई। फिर, प्रान्तीय विपणन को सरक्षित और हस्तान्तर विभागों में इस प्रकार बाँटा गया कि एक मन्त्रा के अधिकार में एक सम्पूर्ण विभाग भी न आता था। मद्रास के एक मन्त्री ने 'मुडी मैन नमडी' के सामने इस विषय का शिकायत भी की कि वे कृषि मन्त्री होते हुए भी निचार्ड, कृषि ऋण और कृषि की भूमि के विनाश से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे। उद्योग के विभाग के मन्त्रा का पैक्ट्री, जल शक्ति, जल-व्युत्पन्न आदि पर कोई नियन्त्रण नहीं था। पूरे विभाग पर मन्त्रा का अधिकार न होने के कारण यह सम्भव नहीं था कि प्रशासन में कोई साथ-उन्नात हो सके। जिस प्रकार से प्रान्तीय विपणन को सरक्षित और हस्तान्तरित भागों में बाँटा गया उससे हस्तान्तरित विषयों के सफल प्रशासन में अडचन पड़ता था।

मन्त्रियों के उत्तरदायित्व की और दूसरी शर्तों को विद्यमान नहीं था। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने की बात, जिस पर इन सुधारों के निर्माताओं ने पर्याप्त जोर दिया था, उनके ऊपर भी गवर्नर ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कार्यवाही के नियम भी इस विचार से बनाये माना उन्हें प्रत्येक मन्त्री के साथ पृथक्-पृथक् व्यवहार करना है। बड़े प्रवृत्त सुधारों के कार्यान्वयन होने के दो वर्षों के पश्चात् ही प्रकट हो गई समय के चलने के साथ साथ मन्त्रियों को कुछ विशेष कारणों से जनम हमें जाने की आवश्यकता नहीं, निर्वाचित सदस्यों का आश्रय छोड़ कर धारा सभाओं के मनोनात और उन दूसरे सदस्यों का जो सदैव सरकार के पक्ष में रहते थे, सहाय लेना पड़ा। इस बजह से त्वायत्त शासन केवल नाम मात्र के लिए रह गया।

द्वैध शासन की असफलता के दो अन्य कारणों का भी इस स्थान पर संक्षेपतः एक वर्णन किया जा सकता है। एक कारण वित्त विभाग से सम्बन्ध रखता है जो एक सरक्षित विपणन था और—जिसके ऊपर कार्यकारिणी के अन्वय सदस्य का नियन्त्रण था। वित्त विभाग का सभी नये व्यय पर कुछ नियन्त्रण था और मन्त्रियों द्वारा प्रस्तावित सभी नये खर्चों को यह अस्वीकार कर देता था। इसलिये मन्त्री लोग उन योजनाओं को पूरा करने में असमर्थ था जिन का वे जनता से वायदा करते थे। दूसरा कारण सरकारी नागरिकों से सम्बन्ध रखता है। सम्राट् के नौकरों के ऊपर मन्त्रियों का किसी प्रकार का दाय न था, ये लोग उनकी बदली या पदवृद्धि कर सकते थे। सरकारी नौकरों की स्थिति पहिली जैसी ही बनी रही और उनके ऊपर मन्त्री सभा के सदस्यों को कोई अधिकार न था।

यद्यपि उन्मोक्त ग्रामों में सुधारों से १९२६ ई० के ऐक्ट के द्वारा बनाई गई नौसिले मन्त्रियों को उत्तरदायी बनाने में असफल रहा किन्तु उन्होंने अपनी शक्ति का दूसरी तरफ उपयोग किया। माना कि उनके अधिनार क्षेत्र की सीमायें निर्धारित थीं और मन्त्रियों को प्रभावित द्वारा उनके ऊपर पारन्दी लगाने का अधिनार था फिर भी स्वयं के ऊपर अधिकार होने, राज्य की मुख्य नीतियों पर प्रभाव रखने, वाद विवाद करने, स्थान प्रभाव रखने आदि प्रश्न पूछने से नाते धारा सभाओं कायन्तारणों के ऊपर अपना असर डाल सकती थी। उन्होंने कुछ नगरपालिका और उदार कानून भी बनाये। स्थानीय सत्थाओं—जैसे नगरपालिका और जिला समिति (Municipal & district boards) के पुनरुत्थान और सुधार के विषय में कुछ अधिनियम अधिनियम भी इन के द्वारा बनाये गए। शिक्षा की आरंभ में ध्यान दिया गया। कुछ प्रांतों में विशेष प्रकार के समाज सुधार सम्बन्धी नियम उदाहरणार्थ मद्रास का हिन्दु धर्म का ऐन्डामेन्ट ऐक्ट और बंगाल का शिशु सम्बन्धी अधिनियम (Children's Act) पास किये गये।

यही बात वेन्ड्राय व्यवस्थापक सभा के विषयों में भी कही जा सकती है। यद्यपि कार्यकारिणी समिति प्रति उत्तरदायी न थी परन्तु उसके ऊपर इसका कुछ प्रभाव अवश्य था। इसने सरकार के दर पर वाद विवाद किये और कई समस्या पर इसने सन्वैतिक प्रदर्शन का कार्य किया। “इसका कानून बनाने का कार्य सफल विस्तृत और सारगर्भित था है। सामाजिक सुधार के लिये आरंभिक कार्य का भारतान्तरण करने तथा राष्ट्र-सेवा में भारतीयों का सहयोग बढ़ाने के लिये इसका लगातार और सफल प्रयत्न रहा है। प्रशासन में सित-योजना करने के लिये इन सभाओं ने सरकार पर पर्याप्त प्रभाव डाला है।”

अध्याय १०

१९३५ ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट

जैसा कि पहिले भी मन्ते किया जा चुका है १९१६ ई० का गवर्मेन्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट पूर्ण उत्तरदायी शासन के लक्ष्य की ओर ले जाने वाली पहली मजिल थी। इसमें पहले कि ब्रिटिश समद सुधारों की दूरी क्लिफ के बारे में कुछ निर्णय करें यह आवश्यक था कि वह तत्कालीन सुधारों के कार्यान्वित रूप की जांच करें। १९१६ ई० के ऐक्ट में यह उल्लेख था कि दस वर्षों के पश्चात् ब्रिटिश भारत की शासन प्रणाली, शिक्षा का उन्नति और उत्तरदायी मन्थानों के विनाम की जांच करने के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की जाय। साथ ही इस कमीशन का यह कर्तव्य होगा कि भारत में शासन स्थापित करने की सीमा, उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की सफलता और द्विआधारित मन्थानों के प्रश्नों के ऊपर अपना वृत्त लेख (Report) प्रस्तुत करें। इसी उल्लेख के अनुसार दस वर्षों से पहिले ही इंग्लैंड की टोरी सरकार ने १९०७ ई० के नवम्बर के मास में भारत के लिये उपरोक्त उद्देश्यों के लिये एक राज्य कमीशन में जाने की घोषणा की। यह कमीशन सामान्य मन्थानों के नाम से प्रसिद्ध है। सामान्य कमीशन ने दो बार भारत का भ्रमण किया और ऐसे भारतीय समुदायों के परामर्श से जो कि कमीशन के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे १९३० ई० में मन्थानों की सरकार के समक्ष अपने सुझाव रखे यद्यपि सारे भारतवर्ष ने कमीशन का बहिष्कार किया और इसी सुझाव का धार रखने किया। टोरी सरकार की उत्तरदायित्व मजदूर सरकार ने भारत में अमृतोप दूर करने के हेतु इंग्लैंड में रियामतों के राजाशा तथा भारत सरकार और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की एक गालमेज कान्फेस बुलाई ताकि वे भारत के भावी विधान पर विचार कर सके। १९३०—३२ के बीच गालमेज कान्फेस की तीन बैठकों में केवल दूरी बैठक में महामा गोंधी कांग्रेस के नेताओं की हेमियत से सम्मिलित हुए। इन अधिवेशनों के निर्णयों के आधार पर इंग्लैंड की सरकार ने १९३३ ई० के श्वेत पत्र में भारत के भावी विधान के विषय में अपने सुझाव रखे। साथ, इन सुझावों पर विचार करने और आवश्यक मन्थानों प्रस्तुत करने के लिये ब्रिटिश समद के दोनों आगारा की एक समुक्त समिति बनाई गई। इस समिति में बहुत से भारतीय भी सम्मिलित थे। इस समिति ने पूर्व सिद्धान्तों को कायम रखते हुए ही सरकार के सुझावों में कौटुहल की और अपने वृत्तलेख की

इनेन पत्र की अपेक्षा कुछ अशो में अधिक अनुदार और प्रतिनियामक बना दिया। कमेटी की रिपोर्ट पर फिर से मसद् में विचार किया गया और इस अवसर पर फिर भारतवासियों की आशाओं पर कुटाराघात किया गया। १९२७ ई० में १९३५ ई० तक के ग्राफ बर्ष के प्रतिन परिश्रम के फलस्वरूप १९३५ ई० का गवर्मेन्ट ग्राफ इन्डिया ऐक्ट तैयार हुआ जिसकी रचना और मुद्रण उपग्रन्थों पर हम प्रस्तुत और आगामी अव्यायो में विचार करेंगे।

१९३५ ई० के ऐक्ट की कुछ विशेषताएँ—इस अधिनियम की सबसे मुख्य यह विशेषता है कि इसने द्वारा एक ऐसी मन्त्रालय व्यवस्था की कल्पना की गई जिसमें ब्रिटिश प्रान्त और देशों का एक साथ भाग ले सकें। यद्यपि भारत समार में एक बहुत बड़ी भागोक्ति इकाई है और मानसिक और मानविक दृष्टि से भी उसमें पर्याप्त एकता है। पर भी विधान के आगम में पहिले राजनैतिक दृष्टि से यह ब्रिटिश भारत और देशी स्वायत्तता में विभाजित था। दोना हिस्से राजनैतिक संगठन और उत्पत्ति में एक दूसरे से मन्त्रा भिन्न रह। ब्रिटिश माल में वे सभी एक ही प्रग नहा थ। १९३५ ई० का ऐक्ट की यही विशेषता थी कि इसने एक ऐसी योजना प्रस्तुत की जिसके अनुसार एक सच्चात्मक शासन के अन्तर्गत ममस्त भारत एक साथ लिया जा सकता था। यद्यपि ऐक्ट में जिस योजना की रूप रत्ना निर्धारित की गई थी वह नामधान न हो सकी, परन्तु इसका यह अर्थ न समझना चाहिये कि भारत में मन्त्रालय शासन का सिद्धान्त ही अस्वीकार कर दिया गया है। हमारा नया मन्त्रालय इसी सिद्धान्त के ऊपर आधारित है केवल इतना अन्तर है कि अब इसने १९०५ ई० के ऐक्ट के दोष को दूर कर दिया है।

चूँकि एक मन्त्रालय व्यवस्था के लिये यह अनिवार्य है कि कुछ स्वशासी प्रदेश एक शासन के अन्तर्गत आजाये इसलिये यह आवश्यक हो गया कि ब्रिटिश भारत जो १७७३ ई० के रेग्युलेशंस ऐक्ट के समय में ही लगातार एक एकलत्मक राज्य रहा है उसे स्वातन्त्रतामयी इकाई में बाँट दिया जाय। इसलिये १९३५ ई० के ऐक्ट ने इस सिद्धान्त के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रान्तों में स्वायत्तशासी इकाइयों में बदल दिया जो कि सी. ए. मन्त्रालय से आधारित ब्रह्मण करनी था और भारत सरकार की भारत अधीन न था। इस प्रकार प्रान्तीय स्वशासन का प्रस्थापन इस ऐक्ट की दूसरी विशेषता मानी जा सकती है।

भारतीय लोकमत लगातार इस बात पर जार द रहा था कि केन्द्रीय शासन में उत्तरदायित्व का समावेश हो। माथपोर्ट मुधारा के प्रति अग्रतपोष का एक यह मुख्य कारण था कि उसने उपरान्त भाग को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। बहुत कुछ अशो में १९३५ ई० के ऐक्ट ने इस कमी को दूर करने की चेष्टा की। इसमें

प्रस्तावित था कि विदेशी राज्यों से सम्बन्ध, दश की रक्षा, धार्मिक विषय, और जनजाति क्षेत्र (Tribal areas) इन चार सरक्षित विषयों को छोड़कर सभी केन्द्रीय विषय कार्य फारिखी के उन मंत्रियों के हाथों में सौंप दिये जाय जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी हो। रल, साक्षत र्थापकोष (Reserve Bank) मुद्रण और विनिमय पर भी प्रत्येक मन्त्रालय का विशेषाधिकार रहा था। इस प्रकार नए अधिनियम ने केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली को जन्म दिया यद्यपि वहाँ भी इस शब्द का ऐक्य में उल्लेख नहीं मिलता। उपरान्त चार विषयों का प्रशासन तो गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व था और शेष के लिये उन्हें मन्त्रिमण्डल या परामर्श लेना पड़ता था। इस तरह केन्द्र में आंशिक उत्तरदायित्व की स्थापना इस ऐक्य की तीसरी विशेषता है।

जा राजनैतिक मन्त्र प्रान्त और केन्द्र में जनता के प्रतिनिधियों को सार्वांगी गई यह चारों ओर में आरक्षण (Reservation) और अभिरक्षण (Safeguards) से युक्त थी आरक्षण और अभिरक्षण भी इस ऐक्य की उत्तरी ही मुख्य विशेषता थी जितनी कि प्रांतीय में पूर्ण और केन्द्र में अपूर्ण उत्तरदायित्व की स्थापना। इनका बाद में विवेचन करोगे। मन्त्रों में समात्मक शासन विधान, प्रांतीय प्रशासन, केन्द्रिय आर्थिक उत्तरदायित्व और अभिरक्षण आदि इस ऐक्य के मूलभूत सिद्धान्त और मुख्य विशेषताओं में गिने जा सकते हैं।

यह भी स्मरणीय है कि १९२५ ई० के कानून में किसी भी प्रकार ब्रिटिश समद की प्रभुता को भारत सरकार के ऊपर से कम न लेने दिया। इस ऐक्य के परिष्कार, संशोधन और बदलाव करने का अधिकार केवल पार्लियामेंट को ही प्राप्त था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रह्मा को भारत से और अदन को दम्बई से प्रथम कर दिया और सिंध और उड़ीसा के दो नवे प्रान्त बना दिये। अधिकार विवरण—संघान्तरण मावधान का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि राज नैतिक रूप में स्वायत्तशासी राज्य श्रेष्ठता से एक राष्ट्रीय सरकार के आधीन इस प्रकार सम्मिलित हो जाय कि राष्ट्रीय सरकार और राज्यों का आपसी कार्य क्षेत्र पूर्णतया बंट जाय और अपने अपने रूप में दोनों ही स्वतन्त्र ही इस प्रकार का संविधान सरकार की शक्त का सहीय और राज्यों की सरकारों में इस प्रकार विभक्त कर देता है कि प्रत्येक सरकार अपने अपने क्षेत्र में पूरा अधिकार रखती है कुछ विषय मध्य को दे दिये जाते हैं जिन पर संप्रदाय विधान मन्त्रालय को कानून बनाने की पूर्ण सत्ता होती है। और कुछ दूसरे विषय सब में सम्मिलित होने वाले राज्यों को दे दिये जाते हैं जिनपर किसी किसी हस्तक्षेप ने उन्हें की धारा समाप्त विधियों बनानी हैं। इस प्रकार का विषय विभाजन समात्मक शासन के लिये अत्यावश्यक है दो तरीकों में मध्य और राज्यों के बीच शासन शक्ति का वितरण किया जाता है। वहीं वहाँ संप्रदाय के अधिकारों को स्पष्टतया निर्धारित कर दिया जाता है और शेष सभी

अधिकार राज्यों के प्राधीन कर दिये जाते हैं। अमरीका में यही पद्धति अपनाई गई है। दूसरा दृग यह है कि सत्र में सम्मिलित होने वाले राज्यों के अधिकारों को निश्चित कर दिया जाता है और बचे खुचे सभी अधिकार सघीय शासन के लिये छोड़ दिये जाते हैं। यह तरीका कनाडा में केन्द्रिय सरकार को सुदृढ बनाने के लिये करना गया। भारत में इन दोनों में से कोई दृग भी नही स्वीकार किया गया। कांग्रेस केन्द्र को प्रशस्त करने के लिये अवशिष्ट अधिकार (residuary powers) सघीय शासन को देना चाहती थी। मुस्लिम लीग केन्द्र को शक्तिहीन बनाकर प्रान्तों को प्रमुक्तता देना चाहती थी और इसी लिये लगातार इस बात पर जोर दे रही थी कि केन्द्र की शक्ति निर्दिष्ट कर दी जाय और अवशिष्ट अधिकार प्रान्तों को सौंप दिये जायें। दोनों ही पक्षों को प्रसन्न करने के लिये ब्रिटिश साम्राज्य शाहा ने एक नई योजना बनाई। १९३५ ई० के अधिनियम में केन्द्रिय विषयों की एक सघीय सूची और प्रान्तीय विषयों की दूसरी प्रान्तीय सूची बनाने का विषय को अलग अलग बाँट दिया। इसके साथ एक तीसरी सबती सूची बनाई गई। इस सूची के विषयों पर प्रान्त और केन्द्र दोनों की ही व्यवस्थापन सभाएँ समान रूप से कानून बना सकती थी। प्रायः सभी विषयों को इन तीन प्रकार की सूचियों में रखने का प्रयत्न किया गया परन्तु यदि कभी कोई नया विषय निकल आये तो उसको किसी भी सूची में सम्मिलित करने का गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार था। इस अनोखे दृग से अवशिष्ट अधिकारों की समस्या को सुलझा दिया गया।

उपरोक्त प्रकार की तीन सूचियों का विचार हमारे वर्तमान सङ्घ में भी अपना लिया गया है। इस स्थान पर हमें १९३५ ई० के ऐक्ट की सूचना का पूर्ण व्योम देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ परिचयना के साथ यह सूचना हमारे सविधान में पाई जाती है जिनका आगे चल कर हम विस्तृत उल्लेख करेंगे।

१९३५ ई० के ऐक्ट के द्वारा निर्धारित सघ योजना और भी अनेक विशेषताओं से श्रोत प्रोत हैं परन्तु उन सब का विवेचन हम इसलिए नहीं करना चाहते चूँकि यह योजना कार्यान्वित ही न हो सगी।

सघ शासन की स्थापना—१९३५ ई० के अधिनियम ने सघ शासन को स्थापित नहीं किया। उममें तो केवल इसकी योजना ही थी। सघीय राज्य की स्थापना की कुछ शर्तें था जो पूरी न हो सगी। इन शर्तों में से एक सब से मुख्य शर्त यह भी थी कि कुछ रियासतों की जन संख्या की कम से कम ५० प्रतिशत जन-संख्या वाली रियासतें सघ में सम्मिलित होने की स्वीकृति दें।

यह भी कहा जा सकता है कि कदाचित् ब्रिटिश सरकार ही सघात्मक शासन स्थापित करने के लिये सचष्ट न थी। केन्द्र में जनता के प्रतिनिधियों को सत्ता

हस्तान्तरित करने से पहले वे प्रान्ता में स्वशासन की प्रगति देखना चाहते थे। इसी वाच मोक्ष में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया और ऐक्ट के सभ सम्बन्धी सभी उपबन्ध रद्दार्द्र न पड़ गये। उस समय भारत की केन्द्रीय सरकार ऐक्ट के अस्थायी उपबन्धों (Transitional Provisions) द्वारा चलाई गई। अब हम १९३५ ई० के अधिनियम के अनुसार मध्यम कार्य कारिणी व्यवस्थापन मंडल और न्यायालय से सम्बन्धित उपबन्धों पर एक विह गम दृष्टि डालते।

गवर्नर-जनरल—१९३५ २० व ऐक्ट ने मध्य की कार्यकारिणी से सम्बन्ध रखने वाला सभी शाक्त का गवर्नर जनरल का सार दिया। उन्हें बहुत से अधिकार और उत्तरदायित्व दकर सभ न प्रकार का शिलाधार बना दिया गया। अपनी शक्ति का उपयोग वरुण करते अथवा अपने आधन व्याक्त्यों से करते। अपने विवेक (discretion) से किये गये वाथा के आतरक्त प्राय सभी मामों में गवर्नर जनरल का परामश देने के लिये ऐक्ट में एक मंत्र मंडल बनाने की याजना थी। इस मंत्री मंडल ने सदस्या की संख्या १० से आधन न होती। प्रदेशों राज्या न सम्बन्ध, देश की रक्षा, धार्मिक विषय और जन जाति क्षेत्र (Tribel areas) न सर्वात्त विषयों पर वे अपने विवेक से शासन करते। इन विषयों न क्षेत्र में अपने मंत्रियों का परामश लेने के लिये वाध्य न थे। और बहुत से कार्य न उनके विवेक पर छोड़ दिये गये जैसे चोप कमिश्नरों-उनके मलाहकारों (Councillors) आर्थिक परामशदाता और कुछ और पदाधिकारियों की नियुक्त, सरकारों काय वाही के लिये न्याय का न्याय अन्था दशा का जारी करना तथा व्यवस्थापन मण्डल से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अधिकारों का प्रयोग।

स्वविवेक शक्तियाँ (Discretionary powers) के आतरक्त गवर्नर जनरल के बहुत नें विशेष उत्तरदायित्व (Special responsibilities) भी थे। जिनमें से देश की शान्ति और सुव्यवस्था, आर्थिक स्थिरता, तथा अल्पसंख्यक जातियों और सिविल सविस के हितों का रक्षा मुख्य है। जब कभी इन विशेष उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित कोई विषय सामने आता तो गवर्नर जनरल न मंत्रियों के साथ परामश करना आवश्यक था परन्तु उन्हें यह आधकार था कि वे उनकी सलाह का मानें या न मानें। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तीन तरीकों से गवर्नर जनरल कार्यकारिणी से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे। कुछ विषयों में वे स्वविवेक से कार्य करते थे। कुछ में उनका विशेष उत्तरदायित्व था और कुछ में उनका वैयक्तिक निर्णय (Individual judgment) का उपयोग करने मंत्री मंडल के परामश का उल्लेखन कर सकते थे। शेष विषयों में उन्हें मंत्रीमंडल की सलाह से कार्य करना होता और यह कहा जा सकता है कि इसी अन्त में उताये गये क्षेत्र में १९३५ ई० के ऐक्ट के द्वारा स्वायत्त शासन की कल्पना की गई। जिन वाता में गवर्नर जनरल स्वविवेक

और नैतिक निर्णय का प्रयोग करते उनके लिये वे भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी होने। इस नेत्र में, जो कि काफी विशाल था, दश को जनता का कार शक्ति नहीं सीरी गई।

सन १९३५ में हम यह कह सकते हैं कि १९३५ के अधिनियम ने फ्रेड में उस प्रकार का द्वैध शासन प्रणाली—की नाव डालनी चाही जिसका १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार प्रान्तात्मक प्रयोग असफल हुआ था। संपीय कार्यकारी का भाग एक जन प्रिय मंत्रियों में बनाया जाना था जिनका कार्य हस्तान्तरण विषयों के ऊपर दम रोक करना था और जो व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते। दूसरे भाग में गवर्नर जनरल की सहायता के लिये ऐसे सदस्य रखे जाते जो सरासरी विषयों का कार्यवाहन करे। हम गवर्नर जनरल की अनेक प्रशासन, कानून और वित्त सम्बन्धी-शाक्तियों का अस्तित्व अवचेदन करने का आश्चर्यचकित नहीं। बस यह कहना ही पर्याप्त होगा कि इन क्षेत्रों में प्राथमिक नियम न गवर्नर जनरल का बहुत अधिकार साथ लिये।

उन्हें दो प्रकार के अत्यादेश प्रदान करने का हक था और वे गवर्नर जनरल के एक व्यवस्थापक सभा के विना परामर्श लिये अथवा अवरोधक होते हुए भावना सकते थे। इन मान्य शाक्तियों के कारण ही गवर्नर जनरल का सहाय भवन का आधार पशला माना जाता है।

एक न विशाल पारस्थितियों में गवर्नर जनरल का विशेषाधिकार लिये। यदि किसी समय उन्हें यह आभास हो कि ऐसा पारस्थितियों उत्पन्न हो गई हैं जिनमें ऐक्ट के उपकरणों के अनुसार कार्य करना सम्भव नहीं है तो उन्हें ऐसी व्यवस्था में यह घोषणा करने का हक था कि अमुक विषयों में वे स्वायत्त का प्रयोग करेगा। संपीय न्यायालय हटा कर वे न्यायाधीश सभा के कार्य का स्वयं सम्भाल सकते थे। इस प्रकार की घोषणा के तहत उन्हें भारत मंत्रियों का सूचित करना पड़ता। यदि फालगुन उमर जारी रखने का स्वीकृत हो देता है, मान के पश्चात् वह लागू न रहता।

सहाय व्यवस्थापक मण्डल—१९३५ ई० के अधिनियम न संपीय व्यवस्थापक मण्डल का नाम और अधिकारों में बड़े सारगर्भित परिवर्तन लिये। यह मन्त्रालय के प्रतिनिधियों के रूप में गवर्नर जनरल और राज्य-परिषद् (Council of states) तथा विधान सभा (House of assembly) नाम के दो अंगों का मिलन बनता। राज्य-परिषद् में सभ्यों की इकाइयों का प्रतिनिधित्व होता था। जिनको समानता के आधार पर नहीं। विधान सभा में सभ्य न नागरिकों के प्रतिनिधित्व जाते।

दोना अंगों का आकार काफी बड़ा दिया गया। राज्य-परिषद् में ब्रिटिश भारत के सदस्यों का संख्या १५६ और सभ्य में सम्मिलित होने वाली रियासतों के सदस्यों की संख्या १०४ से अधिक न हो सकती थी। यह एक निरन्तर सभा होती जिसके

एक तिहाई सदस्यों को प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् निर्वाचित (retire) कर दिया जाता। इनके सदस्यों का ६ वर्ष की अवधि ने लिये निर्वाचन हाता। ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों को प्रान्तों में से जातियों की निर्धारित संख्या के अनुसार लिया जाता। अधिकतर सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (territorial constituencies) से चुने जाते और कुछ थोड़े से सदस्य व्यतिरिक्त निर्वाचन (indirect election) द्वारा आते। रियासतों के प्रतिनिधि रियासतों के राजाओं द्वारा ही मनोनीत होने थे। ये लागू, यदि चुन लिये जाते तो उन मनोनीत अधिकारी वर्ग और गैर सरकारी सदस्यों की जगह कार्य करते जो १६१६ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत राज्य परिषद के मुख्य अंग थे। रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया।

विधान सभा के लिये ब्रिटिश भारत के २५० और रियासतों के अधिक से अधिक १२५ सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। ब्रिटिश भारत के लिये सदस्यों की संख्या पृथक पृथक प्रान्तों, जातियों और हितों में विभाजित हो गई। पृथक निर्वाचन के सिद्धान्त का विस्तार याचनीय लोगों, ऐम्बेल्डमेंट, भारतीय, ईसाई, और हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों तक कर दिया गया। असेम्बली की रचना में दूरदूरी राय पूर्ण बात व्यवहित निर्वाचन (indirect election) के सिद्धान्त को अपनाया जाना था। हिन्दू (साधारण) मुसलमान और तिरों की जगहों के लिये प्रांतीय असेम्बली के सदस्य चुनाव करते। स्त्री सदस्यों का निर्वाचन वे सभी स्त्रियाँ एक साथ मिलकर करती थीं जो भिन्न भिन्न प्रान्तों के स्त्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुनी जाती। दलित जातियों के लिये प्रथक सीट नियत कर दी गई और पूनापैक्ट के अनुसार उनके चुनाव का एक सजटिल (complicated) ढंग निकाला गया। असेम्बली का कार्यकाल ५ वर्ष था। निश्चित अवधि के समाप्त होने से पहले भी यह गवर्नर जनरल द्वारा विसर्जित की जा सकती थी।

यह स्मरण रखने योग्य बात है कि १६३५ ई० के अधिनियम ने एक यह उद्देश्य था कि केन्द्र में आंशिक उत्तरदायित्व स्थापित किया जाना। इसलिये संधीय व्यवस्थापक मण्डल को यह अधिकार दिया गया कि हस्तान्तरित विषयों के बारे में वह कार्यकारिणी के ऊपर नियन्त्रण रखे हालांकि इस अधिनियम में भी गवर्नर जनरल के विशेषाधिकारों का प्रतिबंध था। जिन सीमा तब गवर्नर जनरल मन्त्रियों की सलाह से कार्य करते वहाँ तक वे व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी होते। अक्ट के ऊपर भी सभा को कुछ अधिकार दिये गये परन्तु कुल व्यय का लगभग ७५% अमतदेय मद में शामिल था और राष्ट्र रक्षा, परराष्ट्र इत्यादि विभागों की मांगों पर सभा में वादविवाद तो हो सकता था परन्तु उन पर मतगणना न हो सकती थी। जिन मदों के अन्तर्गत सभा का मत लिया जाना आवश्यक था। उन में भी गवर्नर जनरल को यह अधिकार था कि वह अपने किसी विशेष उत्तरदायित्व के पूरा करने के लिए यह आवश्यक समझे तो

असेम्बली द्वारा घटाई हुई या रहती हुई भाग को बहाल कर दे। इस तरह से यह ज्ञात होता है कि गवर्नर जनरल के स्वविवेक विशेष उत्तरदायित्व और इसी प्रकार की अन्य परिसीमाओं (Limitations) के कारण व्यवस्थापक सभा की शक्ति और अधिकार बहुत सीमित थे। इस अधिनियम की प्रतिक्रियाशीलता एक ओर बात से भी प्रकट होती है। व्यवस्थापक मण्डल की दोनों सभाओं का इसने वित्त के सम्बन्ध में प्रायः समानाधिकार दे दिये। राज्य पारपद आर्थिक अधिकारों पर केवल एक यह प्रतिग्रह था कि कोई भी आर्थिक विधेयक उसमें आरम्भ न किया जायगा जैसे मतदान इत्यादि के उसे बराबर हक थे। अन्य सभी विषयों में दोनों सभागों को समरता अधिकार थे।

गवर्नर जनरल के धारासभाओं के ऊपर विशेष अधिकार थे। वह व्यवस्थापक मण्डल को बैठक जुला मन्ते थे उसकी बैठक का समावसान (Prorogue) कर सकते थे और असेम्बली को भंग कर सकते थे। इसने अतिरिक्त वे स्वविवेक से किसी विषय पर पर्यालाचन (Discussion) रन्द कर सकते थे प्रश्न पूछना रोक सकते थे और पारण (Pass) नियो गये विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार कर सकते थे। बहुत थोड़े शालन के अध्याक्षा को इस प्रकार के अधिकार मिलते हैं। गवर्नर जनरल के अध्यादेश सम्बन्धी और गवर्नर जनरल का एकट बनाने के अधिकार का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

संघीय न्यायालय

चू कि संघीय सविधान का निर्वचन (Interpretation) करने और सभ तथा इकाइयों के पारस्परिक झगड़ों को निरदाने के लिये एक संघीय न्यायालय का हाना अति आवश्यक था इसलिये १९३५ ई० के एकट में इस प्रकार के न्यायालय को स्थान मिला। पहिली अक्टूबर १९३७ ई० से इस संघीय न्यायालय का कार्य प्रारम्भ हो गया। प्रारम्भ में इसमें एक मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) और दो अन्य न्यायाधीश थे परन्तु ऐक्ट के अनुसार उनकी संख्या छह तक बढ़ाई जा सकती थी। इनका अधिकार क्षेत्र तीन प्रकार का था—विशेष दशा में प्राथमिक मुकदमों सुनना, उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुननी और सरकार को बरानूनी बातों में सलाह देनी। चू कि वर्तमान सविधान के अनुसार इसकी जगह सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने ले ली है इसलिये इस के विषय में और अधिक विवेचन करने की जरूरत नहीं।

संघीय रेलवे प्राधिकार (Federal Railway Authority)

भारत में रेलमार्ग सभ सूची में सम्मिलित था। यद्यपि यह बोर्ड सराहिन विषय न था फिर भी इसका प्रारम्भ संघीय मन्त्रिमण्डल द्वारा भी न जाता। इसका

प्रशासन एक परिणियत वर्ग (Statutory body) को सौंपा गया जिम्मा नाम सचीव रेलवे अधिनार था । चू कि अधिनियमों के सत्र सम्बन्धी उपरन्ध कार्यान्वित ही न किये जा सके इसलिये यह अधिनार स्थापित ही न हुआ ।

भारतीय संचित अधिकोप

वित्त एक हस्तान्तरित विषय होने के नाते एउ लोकप्रिय मन्त्र क अधीन रखा जाना था परन्तु इसके साथ गवर्नर जनरल के आर्थिक स्थिरता और श्रेण सम्बन्धी विशेष उत्तरदायित्व का दुमल्लग लगा हुआ था । एक देश की वित्तीय व्यवस्था उसके मुद्रण और विनियम से गहरा सम्बन्ध रखती है । और इम व्यवस्था को स्थिरता के लिये दूसरे विषयों पर नियंत्रण रखना जरूरी है । इन कारणों के श्वेत पत्र (White paper) में यह सुझाव रखा गया कि सध राज्य की स्थापना से पूव एक संचित अधिकोप का बनाना आवश्यक है जिसे मुद्रण और श्रेण को नियंत्रित करने, नोट छापने और सचय करने का काम मिल जाय । भारतीय व्यवस्थापक मण्डल ने १९३४ ई० में संचित अधिकोप सम्बन्धी तक अधिनियम बनाया और तदनुसार १९३५ में कार्यारम्भ हो गया ।

इस अधिकोप का प्रबन्ध एक केन्द्रीय दिग्दर्शक मण्डली (Control Board of Directors) का सौंपा गया जिसमें सकौंसिल गवर्नर जनरल द्वारा युक्त एक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर, उन्हीं के द्वारा मनोनीत चार दिग्दर्शक, हिस्सेदारों द्वारा निर्वाचित आठ दिग्दर्शक और भारत सरकार द्वारा मनोनीत एक सरकारी पदाधिकारी सम्मिलित थे । गवर्नर जनरल की पूर्ण अनुमति के बिना कोई विधेयक भारत के संचित अधिकोप मुद्रण अथवा टकरण के विषय में व्यवस्थापक सभा में नहीं रखा जा सकता था ।

गवर्नर, डिप्टी गवर्नर को नियुक्त करने, पद से हटाने, उनके वेतन नियत करने दिग्दर्शक मण्डली के ऊपर अधिकार रखने, अधिकोप में भग करने और दिग्दर्शकों का काम निर्देशन करने अथवा उन्हें पहले अलग करने से गवर्नर जनरल का स्वविवेक (Discretion) कार्य करता था ।

उधार इत्यादि का लेना

उधार लेने के सम्बन्ध में भी इस ऐक्ट में बहुत से उपबन्ध हैं, जिनमें जाने की आवश्यकता नहीं । इसमें आडीटर जनरल की नियुक्त का भा उल्लेख था जिसका कार्य सचीव और प्रान्ताय व्यव सम्बन्धी हिसाब की जाँच करना था । सम्राट् ही उन्हें नियुक्त कर सकते या हटा सकते थे । उनका और उनके कर्मचारियों का धनन, भत्ता और उत्तरवेतन (Pension) सचीव कोष से ही दिया जाता था ।

१९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार

परिचयात्मक—१९३२ ईस्वी के अधिनियम द्वारा केन्द्रीय सरकार की अपेक्षा प्रान्तीय सरकारों में अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। गवर्नरों के प्रति पूर्ण स्वशाली राजनैतिक इकाइयाँ बन गईं। प्रत्येक प्रांत में कार्यकारिणी और व्यवस्थापक सभायें बना दी गईं जिनका अपने अपने कार्यक्षेत्र में अनन्य [Exclusive] अधिकार था। यह कार्यक्षेत्र मुनिश्चित और पूर्णतया प्रान्तीय विषयों से सम्बन्धित था जिसके ऊपर केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल का नियंत्रण साधारणतया नहीं था। तब से प्रांत प्रत्यायुक्त अधिकार (delegated authority) वाले कोरे प्रादेशिक विभाग ही न रहे, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र व्यक्तित्व और सम्मान प्राप्त हो गया। आज भी उनका वही दर्जा है जो १९३५ के ऐक्ट से उन्हें प्राप्त था। इसको प्रांतीय स्वशासन कहा जाता है। पहले हमें स्वशासन का भावार्थ उमझ लेना चाहिये।

प्रान्तीय स्वशासन—प्रान्तीय स्वशासन की स्थापना पहली अप्रैल १९३७ ई० को हुई। इसके निम्नलिखित दोनो में से एक या दोनों अर्थ हो सकते हैं—(i) प्रांतीय सरकार के बाह्य नियंत्रण से मुक्ति (ii) प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना। ज्यार्ल्ड पार्लमेंट्री कमेटी ने इसकी पहली परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्रांतीय कार्यकारिणी के घाससभा के प्रति उत्तरदायित्व पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया। इस कमेटी ने केवल यह तथ्य स्वीकार किया कि प्रान्तीय सरकार को केन्द्रीय सरकार से कड़ी-कड़ी पूरी स्वतन्त्रता मिल जाय। परन्तु साधारणतया इस परिभाषा को नहीं माना जाता। चूंकि इसके अनुसार तो देशी रियासतों और ६३ सेकशन ७ से प्रभावित प्रांत भी स्वशाली कहलाये जा सकते थे। इस सङ्कुचित अर्थ में प्रांतीय स्वशासन का स्थापित करना ऐक्ट का अभिप्राय न था। १९३५ ई० के ऐक्ट में केवल केन्द्रीय नियंत्रण से ही प्रांतों को मुक्ति नहीं मिली, बल्कि उनमें कार्यकारिणियों को प्रांतीय प्रशासन से सम्बन्धित सभी मामलों में प्रांतीय व्यवस्थापक सभाओं के प्रति उत्तरदायी बना दिया। परन्तु यह भी ध्यान रखने योग्य है कि ऐक्ट में प्रांतों को पूर्णरूपेण स्वशासन और उत्तरदायित्व देने का विचार नहीं था। यह बात गवर्नरों को दिये गए विशेष अधिकार और विशेष उत्तरदायित्वों से स्पष्ट प्रकट है जिनके पालन करने में वे गवर्नर जनरल थे। और उनके द्वारा भारत भरी के प्रति उत्तरदायी थे। अधिकार के प्रयोग करने के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल हिदायत दे सकते थे। गवर्नर के

* १९३५ के गवर्नेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट के ६३ सेकशन के अनुसार गवर्नर प्रांतीय प्रशासन और मन्त्रिमण्डल को नियंत्रित करके स्वयं सारे प्रशासन की जगहों संभाल सकते थे।

विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व का प्रयोग वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ बमेल था। उसने जनता के प्रतिनिधियों के अधिकारों को बुरी तरह सीमित कर दिया।

प्रान्तीय कार्यकारिणी (1) गवर्नर—सम्राट् के प्रतिनिधि की हैसियत से गवर्नर को प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी अधिकार प्राप्त थे। इस प्रकार उनका सम्बन्ध सीधा ब्रिटिश सम्राट् से ही गया और अब वे पहली तरह भारत सरकार के आधीन नहीं रहे। गवर्नर के ये अधिकार केवल प्रांतीय विषयों तक ही सीमित थे; सधीन सूची से इन्हें मतलब न था। ये अधिकार या तो गवर्नर महोदय स्वयं प्रयोग करते या अपने आधीन कर्मचारी वर्ग से कराते थे।

केन्द्रीय शासन में गवर्नर जनरल की भाँति प्रांतीय सरकार में गवर्नर अपने अधिकार तीन प्रकार से उभोग में ला सकते थे। कुछ विषयों में वे विवेक से कार्य करते थे। अर्थात् उन विषयों में वह मन्त्रिमण्डल का परामर्श लेने के लिये बाध्य नह्ये। कुछ दूसरे विषयों में वे वैयक्तिक निर्णय (individual judgment) से कार्य करते थे अर्थात् इनमें वैधानिक दृष्टि से उन्हें मन्त्रियों की सलाह लेना तो आवश्यक था, परन्तु इसे मानने न मानने की उन्हें पूर्ण स्वाधीनता थी। तीसरी तरह के मामलों में उन्हें मन्त्रियों की सलाह से कार्य करना पड़ता था। केवल इस तीसरे क्षेत्र में ही, यह कहा जा सकता है, कि उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। जिन विषयों को ऐक्ट के द्वारा गवर्नर के विवेक और वैयक्तिक निर्णय पर छोड़ दिया गया, वे बहुत थे। उन्होंने मन्त्रियों के उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र को बहुत ही सीमित कर दिया।

आगे उन मुख्य-मुख्य विषयों का उल्लेख है, जिनमें गवर्नर को स्वविवेक प्रयोग करने का अधिकार था। (1) अपने मन्त्रिमण्डल की बैठकों में सभासत्त्व करना। (ii) विद्रोह के अपराधियों का दमन। (iii) प्रान्तिकारियों की कार्यवाही के विषय में पुलिस द्वारा खोज किये हुए भेदों को गुप्त रखने के बारे में नियमों का बनाना (iv) सचिव और मन्त्रियों से सूचना ग्रहण करने के विषय में नियमों का बनाना (v) व्यवस्थापक समाजों में किसी विधेयक अथवा उसके लड़ा पर बाद विवाद रोचना, (vi) अन्य आदेशों का जारी करना, (vii) गवर्नर के ऐक्टों का बनाना अथवा (viii) धारासभाओं द्वारा पास किये गये विधेयकों को अस्वीकार करना। अपने विशेष उत्तरदायित्व का पूरा करने के लिये उन्हें वैयक्तिक निर्णय के अधिकार मिले हुए थे। इनमें निम्नलिखित हैं—(1) प्रात के अथवा उसके किसी भाग में शांति और सुचरन्ता के भंग करने वाले सतरा का दूर करना। (ii) अल्पसंख्यक जाति और सरकारी नोक़रों के उचित हिता की रक्षा करना, (iii) अर्थात् अंशतः (Partially excluded

areas) में शांति और सुप्रसन्न की व्यवस्था करना, (1v) और देशी रियासतों और उनके राजाओं के अधिकारों और मर्यादा की रक्षा करना। और भी कुछ विषयों में वे मंत्रियों की सलाह को दुबका सकते थे। उदाहरणार्थ—महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति, व्यवस्थापक मण्डल की बैठकों के बीच की अवधि में अध्यादेशों का प्रवर्तन और पुलिस के नियमों में परिवर्तन।

गवर्नर सविधान के स्थापित करने की घोषणा कर सकते थे। ऐसे अवसरों पर उच्च न्यायालय (High Courts) के अतिरिक्त समस्त प्रशासन वे स्वयं ही चलाते थे। इस सनसे यह स्पष्ट है कि गवर्नर केवल वैधानिक प्रमुख ही न थे, प्रात का प्रशासन उनका बहुत ही गौरवमय स्थान था।

प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल—१९३५ के शासन विधान के अनुसार प्रत्येक प्रात के प्रशासन में गवर्नर की सहायता करने और उनको परामर्श देने के लिये एक मन्त्रिमण्डल होता था। गवर्नर अपने विवेक के अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति करने के अधिकारी थे, परन्तु व्यवहार में वे प्रान्तीय असेम्बली में बहुमत प्राप्त दल के नेताओं का मुख्य मंत्री चुनकर उन्हीं के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। मंत्रियों का कार्यभार गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था, परन्तु वास्तव में उन्हें तब तक आसीन रखा जाता था, जब तक व्यवस्थापक सभा में उन्हें बहुमत का विश्रम्भ (Confidence) प्राप्त हो। केवल एक या दो अवसरों पर ही गवर्नर ने मंत्रियों को, बहुमत का विश्रम्भ मिलने पर भी, पदच्युत कर दिया। मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक जाति के आधीन एक या अधिक विभाग रख दिये जाते थे और उनके प्रशासन के लिये वे व्यवस्थापक मण्डल के प्रति उत्तरदायी थे। प्रत्येक मन्त्री की सहायता के लिये एक या अधिक सचिव अर्थात् पार्लिमेंट्री सेक्रेटरी रखे गये। प्रत्येक विभाग का कार्य चलाने के लिये बहुत बड़ा स्थायी कर्मचारी वर्ग था, मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से असेम्बली के प्रति उत्तरदायी था।

प्रातीय व्यवस्थापक मण्डल—१९३५ ई० के ऐक्ट ने प्रातीय व्यवस्थापक मण्डलों की रचना में एक नवीनता ला दी। कुछ प्रांतों में इन मण्डलों को पहली बार द्विआगारिक बना दिया था। हु प्रांतों (आगम, मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार और यू० पी०) के लिए दो मन्त्रियों के व्यवस्थापक मण्डल की व्यवस्था की गई और पाच प्रांतों (उड़ीसा, सिंध, पंजाब, सी० पी०, और परिचमोत्तर सीमा प्रांत) के लिए एक की। द्विआगारिक मण्डलों के स्थापित करने के क्या क्या कारण थे उनमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं। यह ध्यान देने का बात है कि हमारे नये सविधान ने भी कई राज्यों में द्विआगारिक विधान मंडल स्थापित किये हैं। प्रत्येक प्रांत में निचले आगार की विधान सभा अर्थात्

असेम्बली नाम या और दूसरे (अपर) आगार को विधान परिषद् (Legislative Council) कहते थे। असेम्बली में सभी निर्वाचित सदस्य होते थे, इनमें मनोनीत सदस्य नहीं थे। परिषद् के अधिकांश सदस्य भी चुने ही जाते थे, कुछ थोड़े से सदस्यों का नाम निर्देशन गवर्नर करता था। इन समाजों के सदस्यों की संख्या प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न थी। असेम्बली का कार्यकाल पांच वर्ष निर्धारित था। गवर्नर को निश्चित अवधि के पहिले भी उसे भंग करने का अधिकार था। प्रत्येक असेम्बली और कौंसिल की रचना का ब्यौरा देने की आवश्यकता नहीं है। कबल यह भाव रखने के योग्य है कि इनके लिये साम्प्रदायिक आधार पर चुनाव किया जाता था। लगभग छेड़दंजन जातियों और हिता को पृथक् निर्वाचन के अधिकार दिये गये थे। वर्ष १९१६ ई० के ऐक्ट की अपेक्षा १९३५ के संविधान में चुनाव की योग्यताओं को घटा कर निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी गई परन्तु अब भी लगभग छद्म प्रातरत ऐसे व्यक्ति रह गये जिन्हें निर्वाचन का अधिकार तथा निर्वाचन के अधिकारों की योग्यता का माप-दण्ड सम्पत्ति, कर देने की क्षमता, और साहित्यिक ज्ञान पर आधारित था।

वित्त सम्बन्धी कानून विधान परिषद् में आरम्भ नहीं हो सकते थे। न इनके सदस्यों को सरकारी भागा पर स्वीकृति देने का अधिकार था। इन प्रतिबन्धों के साथ दोनों आगारों को समानाधिकार थे। आर्थिक विधेयक के अतिरिक्त कोई भी बिल दोनों में से किसी भी आगार में रखा जा सकता था। दोनों आगारों की समवर्ती स्वीकृति के बिना गवर्नर के निश्चायक हस्ताक्षर के लिये कोई भी बिल नहीं रखा जाता था।

प्रान्तों में पूर्ण उत्तरदायित्व स्थापित करने का यह फल हुआ कि प्रान्तीय विधान सभाओं को वित्तीय विषयों में पहिले से कहीं अधिक नियंत्रण प्राप्त हो गया। परन्तु व्यय की कुछ मरु अमलदेय बता दी गई। अमलदेय व्यय के निम्न पद हैं—गवर्नर का वेतन, भत्ता और उनके कार्यालय से सम्बन्धित अन्य व्यय, महाधिवक्ता, मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और अधिदेय। अपनर्जित ज्ञान के प्रशासन पर व्यय, ऋण और—ट्रिब्यूनल कोर्ट के निर्णय के सम्बन्ध में सचिव की हुई रकम। इन मदों में से गवर्नर के वेतन और भत्ते के ऊपर तो सभाओं में बहस भी न की जा सकती थी, शेष के ऊपर वाद विवाद तो हो सकता था परन्तु उस पर मतगणना न कराई जा सकती थी। अमलदेय व्यय की भांति असेम्बली की स्वीकृति के लिये रखी जाती थी। असेम्बली मांगों को कम कर सकती, स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती थी। मांगों को बढ़ाने या उनमें परिवर्तन करने का उसे अधिकार न था। परन्तु यदि गवर्नर अपने विशेष उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिये आवश्यक समझें तो वे कम की हुई अथवा अस्वीकार की हुई मांगों को बहाल कर सकते थे। इस प्रकार असेम्बली के वित्त सम्बन्धी अधिकार परिमित थे।

व्यवहार होता था जैसे सभाओं द्वारा पारण किये हुए अधिनियमों में। एक प्रकार के अध्यादेश वह अपने विवेक के अनुसार जारी कर सकते थे जो कि केवल छ मास तक प्रभावी होते थे। ऐसे अध्यादेश किसी आकस्मिक सङ्घट (Emergency) में गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति से प्रचलित किये जाते थे। दूसरे किस्म के अध्यादेश अधिवेशनों के अभाव में मन्त्रियों की मलाह से जारी किये जाते थे और बैठक के समय उन्हें सभाओं के सामने रखना आवश्यक था। सभाओं की बैठक प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह के पश्चात् ऐसे अध्यादेश प्रभाव शून्य हो जाते थे।

प्रान्तीय शासन का कार्यान्वित रूप—यद्यपि १९१६ ई० के ऐक्ट की अपेक्षा १९३५ के ऐक्ट ने प्रान्तों को स्वशासन सम्बन्धी अधिक अधिकार दिये परन्तु देश का प्रगतिशील लोकमत इन मुधारों से पूर्णतया असन्तुष्ट था जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन के प्रस्तावों और इसके विश्वस्त नेताओं की वक्तृताओं से प्रगट होता है। इस असंतोष के कारणों में से कुछ कारण गवर्नर जनरल और प्रान्तीय गवर्नरों के विशेषाधिकार और उत्तरदायित्व हैं जिनका इस अधिनियम में प्रमुख स्थान था और जो कि उतने ही विशेष हैं जितने कि जनता को सत्ता हस्तान्तरित करने के प्रस्ताव। यह सन् कुछ होते हुए भी १९३७ ई० के चुनावों में कांग्रेस ने भाग लिया और बहुत से प्रान्तों में बहुमत प्राप्त कर लिया। ग्यारह में से छ प्रान्तों का निचली सभा में इसे बहुमत मिला और दो प्रान्तों में जहाँ इसे बहुमत प्राप्त न हुआ यह सबसे बड़ा दल था। अन्तर्गत कांग्रेसी नेताओं ने सम्पूर्ण इस बहुमत का उचित उपयोग करने की समस्या आई। इसका एक वर्ग जिसका नेतृत्व श्री राजगोपालाचार्य कर रहे थे पद ग्रहण करके कांग्रेस की स्थिति को सुदृढ बनाने के पक्ष में था। दूसरे समूह के नेता तत्कालीन राष्ट्रीयता ५० जवाहरलाल नेहरू थे जो कि उपरोक्त नीति के पक्ष में नहा थे। महात्मा गान्धी ने एक मध्यस्थ की भाँति यह पद्यमर्श दिया कि यदि गवर्नर इस बात का विश्वास दिलायें कि वे अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग न करेंगे, और मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही में हस्तक्षेप न करेंगे तो पद ग्रहण करने में कोई हानि नहा। दूसरे शब्दों में कांग्रेस की यह मांग थी कि गवर्नर अपने विशेषाधिकार और शक्ति का परित्याग करके एक वैधानिक प्रमुख के रूप में काम करें। इस प्रकार से वचनबद्ध होना गवर्नरों ने स्वीकार नहीं किया चूँकि वैधानिक दृष्टि से वे ऐक्ट द्वारा दी गई शक्तियों के विहित जाने के लिये प्रस्तुत न थे। इस वजह से कांग्रेस ने पद स्वीकार नहीं किये। ऐसी परिस्थिति में जहाँक बहुमतवाले दल ने उत्तरदायित्व ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया गवर्नरों ने मध्यवर्ती (Interim) मन्त्रिमण्डलों का निर्माण किया। इस अन्तर्काश में ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस ने अपनी अपनी नीतियों को प्रतिपादित किया। दोनों पक्षों के प्रवक्ताओं के वक्तव्यों ने स्थिति को और अधिक स्पष्ट कर दिया। २१ जून १९३७ ई० को वायसराय (लार्डलिनलिथगो)

की बक़तता को प्रसारित होने के पश्चात् कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि अब गवर्नर को अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करना आसान नहा रहा। इस लिये कांग्रेस की कार्यकारिणी ने कांग्रेस के सदस्यों को, जहाँ कहीं भी सम्भव हो, पद ग्रहण करने का आदेश द दिया। कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच इस सम्झौते द्वारा एक प्रकार से १९३५ के विधान की रूप रत्ना ही बदल गई और इसके शुष्क पिंडुर में नई जान पड़ गई। उसने उत्तरदायी शासन को बहुत कुछ वास्तविक बना दिया। इस सर का श्रेय गांधीजी की अद्भुत राजनैतिक समझ और बुद्धिमत्ता को है।

जुलाई १९३७ में कांग्रेस ने पद ग्रहण किये और वह १९३९ के तक़रूर के अन्त तक पदासीन रही जबकि आठ मातों से कांग्रेस मन्त्रिमंडल ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति के विरोध में अपने त्याग पत्र दे दिये। दो वर्ष से कुछ अधिक की इस अवधि में हमने बहुत सी बातें सीखीं।

नये प्रवाग ने पोप के निम्नांकित कथन की सत्यता की पुष्टि की।

“शासन प्रणालियों के बारे ता में बुद्धिहीन मनुष्य ही भ्रमवते हैं, यही सरकार सबसे अच्छी है जिम्मा सर्वश्रेष्ठ प्रशासन हो।” ❀

सन् १९३५ के संविधान के कार्यान्वित किये जाने से पहले बहुत कम लाग इस विषय का अनुमान लगा पाये थे कि एक्ट के द्वारा इतने बड़े अधिकारों का हस्तान्तरण हा सकेगा। जो लोग सर्वज्ञ अधिकार और विशेष उत्तरदायित्वों पर अधिक बल देते थे उन्हें कभी स्वयं में भी यह विचार नहीं आता था कि उन संप्रतिमाओं के द्वारा भी कार्य संचालन हो सकता है जा चारों ओर से आरक्षण और अभिरक्षकों की मुट्ट दीवारों से घिरी थी परन्तु, वालर मं, जिन्होंने संविधान के निर्वाह-से ढांचे में स्वाधीनता की रूढ़ पड़ी। यह तो मानना ही पड़ेगा कि इस अवकाश में प्रान्तों में बहुत बड़ी हद तक स्वशासन का प्रस्थापन हुआ।

इस सफलता का आधार ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच का सम्झौता था जिसके अनुसार गवर्नर मन्त्रिमंडल के कार्यों में बहुत कम हस्तक्षेप करते थे और इसी कारण मंत्रियों को अधिक अवसर थे कि वे जनता को दिए हुए वायदों को पूरा कर सकें। यह कहा जा सकता है कि नवीन व्यवस्था में गवर्नर प्रायः संविधान प्रमुख हो गये और प्रशासन का वास्तविक अधिकार मंत्रियों के हाथ में आ गया। परन्तु कुछ

*For forms of Government let fools contest.

What ever is best administered is best

लोग ऐसे भी विचार रखते हैं कि इस अधिनियम के कार्यान्वित होने की सफलता का कारण कांग्रेस मन्त्रियों की नीति थी जिसके अनुसार इन लोगों ने ऐसे विषयों को छूया ही नहीं जिनसे ब्रिटिश अधिकारियों के साथ झगड़े के अवसर आते। सच तो यह जान पड़ता है कि यदि एक ओर कांग्रेस मन्त्रियों ने ऐसे झगड़े नहीं उठाये जिनके कारण गतिप्रबन्ध हो सकता तो दूसरी ओर वह अपनी उन नीतियों का पालन करने में उन्होंने इस भय की हृदय से निकाल दिया कि गवर्नर उनके मार्ग में रोड़े अटकवाएंगे। एक या दो अवसरों पर राजनैतिक कैदियों की मुक्ति के विषय में विहार और यू० पी० में गवर्नर के साथ उनका मतभेद हो गया किम्वं कारण उन्हें त्यागपत्र देने पड़े। मतभेद के दूर होते ही उन्होंने फिर से शासन ग्रहण कर लिये।

नव व्यवस्था में समझाने की किन किन मुख्य बातों में योग दिया गया इनका उल्लेख शिक्षानन्द हागा। पहली बात यह थी कि गवर्नर मन्त्रियों की नियुक्ति बहुमत के नेता के परामर्श से करते थे न कि स्वविवेक से। प्रमुख मन्त्री अन्य मन्त्रियों की जो सूची तैयार करते थे उसमें गवर्नर कोई परिवर्तन न करते थे। दूसरे व्यवहार में प्रमुख मन्त्री का पद स्वीकार कर लिया गया जबकि ऐक्ट में इसका कोई जिक्र न था। तीसरे कांग्रेस ने सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना की ओर प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस ने किसी भी प्रान्त में संयुक्त मन्त्रिमण्डल (Coalition ministry) बनाना स्वीकार नहीं किया। अन्तिम बात यह थी कि मन्त्रियों का गवर्नरों की स्वेच्छा से नहीं बल्कि विधान-मण्डल के विरोध से पद-सुत किया जा सकता था। जब तक इन लोगों को बहुमत प्राप्त था तब तक वे लगानार कार्य संचालन कर सकते थे।

इसका यह अभिप्राय नहीं कि मन्त्रियों का पूर्ण अधिकार थे। बहुत सी सीमाओं के बीच उन्हें अपना काम चलाना पड़ता था। वे इस वास्तविक तथ्य को नहीं भूल सकते थे कि अधिनियम के अनुसार गवर्नर के महान् अधिकार हैं, और वे मन्त्रियों की सलाह को अस्वीकार कर सकते थे। कदाचित् इसी प्रतीति के कारण मंत्री लागू प्रान्तिकारी नीति और योजनाओं का प्रचार करने से हिचकते थे फिर आर्थिक कठिनाई भी थी प्रान्तीय सरकारों को आमदनी के अप्रत्यास्य साधन (inelastic resources) दिये गये। आर्थिक तंगी के कारण वे नई योजनाएँ कार्यान्वित नहीं कर पाते थे। कुछ बाधाएँ उन उपबन्धों के कारण भी उपस्थित हो जाती थीं जा केन्द्र और प्रान्तों के पारस्परिक सम्बन्ध से ताल्लुक रखती थीं।

परन्तु यह भाग्य में नहीं लिखा था कि कांग्रेस अधिक समय तक पदारूढ रहकर जनता की सेवा कर सके। १९३६ ई० में दूसरे महायुद्ध के छिड़ते ही इसके मन्त्रिमण्डलों

* जो पाठक इस विषय में अधिक विस्तारपूर्वक अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें मत्तानी और किन्तामयी द्वारा लिखित India Constitution at Work नामक पुस्तक का Subsequent Working शीर्षक का परिच्छेद पढ़ लेना चाहिए।

से पद त्याग करना । जिस प्रकार केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल और प्रांतीय सरकारों की मलाह लिये बिना गवर्नर जनरल ने भारत का ब्रिटेन और मित्र राष्ट्रों का साथी बनाकर इसे एक युद्धरत (belligerent) देश घोषित कर दिया उन दग के विरुद्ध कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने आपत्ति प्रकट करने के लिए अक्टूबर में त्यागपत्र दे दिये । ७

उनका स्थानापन्न करने के लिये गवर्नर और मन्त्रिमण्डल न बना सके । इस-लिए ऐसे आठ प्रान्तों में जहाँ कि कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल ने इस्तीफा दिया, मन्त्रिधाम का स्थगित कर दिया गया । ६३ सेक्टरान के अनुसार उन्होंने प्रशासन चलाने और कानून का सभी भार अपने कंधों पर समाल लिया । इस तरह उन प्रान्तों में उत्तरदायी शासन का अन्त हो गया और उनके स्थान पर स्वच्छाचारिता को प्रथम मिला । इसके पश्चात् बहुत दिनों तक इसी प्रकार की धाधली चलता रही । १९४६ की लार्ड वेवेल द्वारा आयोजित की हुई शिमला कांग्रेस ने देश-वासियों के हृदय में फिर कुछ आशाएँ पैदा की परन्तु वह कांग्रेस असफल हो गई । नये चुनावों के पश्चात् ही बाल्स्व में उत्तरदायी-शासन फिर से सभी प्रान्तों में चलाया जा सका ।

यह उल्लेख भी अभिहितपूर्ण है कि कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के त्याग का उन प्रान्तों के भी स्वशासन पर प्रभाव पड़ा जहाँ कि कांग्रेस का मन्त्रिमण्डल नहीं था और जहाँ कि शासन विधान बाह्य रूप में ज्यों का त्यों रखा गया । कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के दो वर्ष के कार्य काल में जिस उत्साह से कार्य किया गया वह बाद में लुप्तप्रायः हो गया और गवर्नर दिन प्रति दिन के प्रशासन में हस्तक्षेप करके मन्त्रियों के ऊपर स्वच्छा को बरतने लगे । सिन्ध के प्रमुख मन्त्री स्वर्गीय श्री अलावरुखा का गवर्नर ने उनके पद से जिस प्रकार हटाया, जो पत्र डा० एस० पी० मुखर्जी ने त्यागपत्र देते समय बंगाल के गवर्नर को लिखा, जिस प्रकार बंगाल के प्रमुख मन्त्री श्री फजलुद्दिन को एक मुस्लिमलीगी के लिए स्थान छोड़ने के लिये मनवूर किया गया—ये ऐसी घटनाएँ हैं जिन्हें चुनाया नहीं जा सकता । जिस प्रकार आसाम, उड़ीसा और मीमाप्रान्त में मुस्लिम लीग और कुछ कांग्रेस छोड़ने वाले सदस्यों की सहायता से मन्त्रियों की नियुक्ति की गई, और जिस दग और रीति से उन्होंने कार्य किया—सब्य अपनी कहानी कहते हैं । इन प्रान्तों में १९३६ के पश्चात् लाकप्रिय मन्त्रियों का शासन और निर्धारण में सर्वोच्च सहायक नहीं लिया जाता था । इन सभी प्रान्तों में भी गवर्नर ही मिथिल सर्विम की सहायता से शासन करते थे । इन स्थानों में केवल नाम मात्र का उत्तरदायी शासन था और उसमें वास्तविकता कुछ भी न थी । यह सब बातें उस दल के पक्ष का समर्थन करती हैं जिनका यह मत था कि १९३५ के ऐक्ट में अधिक महत्व गवर्नर के विशेषाधिकार और विशेष उत्तरदायित्वों का है न कि जनता के प्रतिनिधियों के लिये मत्ता के हस्तान्तरण का ।

• विगत विवेचन के लिये पुनः का पृष्ठा भाग पढ़िये ।

भारत मंत्री इत्यादि—१९३५ के ऐक्ट के अनुसार भारत मंत्री का भारत सरकार से किस प्रकार का नाता था, इसके बारे में थोड़ा सा परिचय देना असंगत न होगा।

पहिले ही यह बतलाया जा चुका है कि १९१६ ई० के ऐक्ट के अनुसार भारत मंत्री को भारत सरकार के सभी कार्यों का निरीक्षण निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार था उस समय, वास्तव में, भारत की स्थानीय और प्रान्तीय सरकारों भारत मंत्री के अभिकर्ता (agent) के समान था। १९३५ ई० के ऐक्ट ने इस व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। इसके अनुसार भारतीय राजा के ऊपर सम्राट को एकाधिकार था और गवर्नर जनरल और गवर्नर साधे सम्राट के आधान थे। इस संविधान में १९१६ ई० के ऐक्ट की भांति कहा भी यह जिक्र नहीं है कि भारत मंत्री का भारत के ऊपर निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार है। अब भारत मंत्री का वह मुख्य स्थान नहीं, इसकी जगह सम्राट (crown) ने ले ली। परन्तु यह स्थानान्तरण केवल बाह्य रूपक है और इसमें वास्तविकता अधिक नहीं है। चूंकि सम्राट का समस्त कार्य मंत्रियों के परामर्श से ही चलता है इसलिये भारत मंत्री की भारत सरकार सम्बन्धी शक्तियां सुदृढ़ और प्रायः वैसी ही रूनी रहीं।

जिस सीमा तक १९३५ ई० के अधिनियम ने जनता के प्रतिनिधियों की सत्ता हस्तांतरित की अर्थात् जहाँ तक प्रान्तीय गवर्नर अपने मात्रियों के परामर्श से कार्य करते रहे, वहाँ तक भारत मंत्री का प्रशासन पर से नियंत्रण हट गया। परन्तु गवर्नर के स्वविवेक और विशेष उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में यह बात नहीं। इस कार्य क्षेत्र में गवर्नर भारत मंत्री के आधीन थे और उन्हें इनके सभी आदेशों का पालन करना पड़ता था। यह उल्लेख भी वास्तविक है कि सम्राट का सलाहकार होने के नाते भारत मंत्री भारत से सम्बन्ध रखनेवाले सभी संकोसिल आदेशों (orders in council) के बनाने में सहायता देते थे। ये आदेश गवर्नर जनरल और गवर्नरों को आदेश-पत्र (instrument of instruction) गवर्नर और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्त आदि से सम्बन्ध रखते थे। भारत मंत्री को भारत सरकार की ओर से इ गलैड से उधार लेने, आल इन्डिया सर्विस के कर्मचारियों की नियुक्ति करने और उनका वेतन, भत्ते तथा उत्तर वेतन (Pension) के निश्चित करने और उनका हितों की रक्षा करने के सम्बन्ध में पूरा अधिकार था।

दूसरा आमूल परिवर्तन जो १९३५ ई० के अधिनियम के द्वारा दृष्टिगोचर हुआ वह इन्डिया कॉंसिल का भंग करना है। भारत में लगातार इस कॉंसिल के प्रति असंतोष प्रकट किया जा रहा था। परन्तु यह परिवर्तन भी केवल दिखावटी ही था

*इमें गवर्नर जनरल का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं चूंकि ऐक्ट के कन्द सम्बन्धी उपवचन कार्यन्वित ही न हो सके।

और इसमें वास्तविकता इतनी नहीं थी। नये अधिनियम में भारत मंत्री के परामर्श-दाताओं (Advisers) की नियुक्ति का उल्लेख था। इन सलाहकारों की संख्या कम से कम तीन और अधिक से अधिक ६ निर्धारित थी। उनमें से आधे सदस्य ऐसे होते थे जो कम से कम दस वर्ष भारत में सम्राट की सरकार की सेवा कर चुके हों और जिन्हें नियुक्ति से पूर्व नौकरी छोड़े दो से अधिक वर्ष का अवकाश न थीता हो। इस प्रकार इन्डिया कौन्सिल परामर्शदाताओं के रूप में बदल गया। सार्वजनिक नौकरियों से सम्बन्धित सभी विषयों में इन लोगों का परामर्श अनिवार्य था।

भारतीय हार्ड कमिश्नर—भारतीय हार्ड कमिश्नर का कार्यालय १९१६ के ऐक्ट के द्वारा स्थापित हुआ था। उस समय भारत मंत्री की आदत सम्बन्धी सभी कार्यवाही हार्ड कमिश्नर के ऊपर छोड़ दी गई। १९३५ के अधिनियम ने इसके कार्यालय को अछूता रहने दिया। हार्ड कमिश्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल अपने व्यक्तिगत निर्णय के अनुसार करने लगे। उनका कार्य काल ५ वर्ष निश्चित था। उनका मुख्य कर्त्तव्य सत्रीय और प्रान्तीय सरकारों और ऐसी देशी रियासतों के लिए जो सघ में सम्मिलित हो जाय ऐसी वस्तुओं का सचय करना था जिनकी उन्हें आवश्यकता हो। उनसे यह आशा की जाती थी कि भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए वस्तुएँ मन्दे से मन्दे बाजार में खरीदें। इंग्लैंड में भारतीय विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ एकत्रित करना और उनकी भलाई का ध्यान रखना भी उनका एक कर्त्तव्य था।

आज कल भी इंग्लैंड में हार्ड कमिश्नर का पद है। भारत, पाकिस्तान और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत सभी उपनिवेश लदन में अपने-अपने हार्ड कमिश्नर रखते हैं जिनका कार्य ब्रिटिश सरकार और सम्बन्धित देशों के बीच एक गठबन्धन स्थापित रखना है।

पार्लमेन्ट का नियंत्रण—१९३५ ई० के अधिनियम द्वारा भारत शासन सम्बन्धी ब्रिटिश पार्लमेन्ट के अधिकारों में विशेष परिवर्तन नहा हुआ। वह अब भी भारत के लिये नियम और अधिनियम बना सकती थी। इस प्रकार यहाँ के प्रशासन में परिवर्तन करने का उसे पूर्ण अधिकार था।

भारत के ऊपर ब्रिटिश ससद् की प्रभुता और उसका नियंत्रण कई प्रकार प्रयोग में लाया जाता था। नियंत्रण का सबसे प्रमुख ढग भारत के वैधानिक विकास की प्रगति को निश्चित करना था। पार्लमेन्ट की प्राथना पर ही सम्राट सघ राज्य की घोषणा करते। दूसरे, उसे भारतीय व्यवस्थापक मण्डल कानून के बदलने अथवा निराल करने और ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के आदेश-पत्रों और उनके सशोधनों का मसौदा पार्लमेन्ट में पेश किया जाता था और पार्लमेन्ट की अनुमति के बिना उनपर कोई कार्यवाही नहा की जा

सकती थी। गवर्नर जनरल और गवर्नरों के ऐक्टों और अध्यादेशों की सूचना वजह से भारत मंत्री ब्रिटिश संसद की दोनों सभाओं को दी जानी आवश्यक थी। चूंकि ६००० मील की दूरी से वह भारत के ऊपर सीधा नियंत्रण न कर सकती थी इसलिये पार्लियामेंट अधिकांश की हस्तक्षेप से भारत मंत्री की नियुक्ति की गई थी। भारत मंत्री के अधिकारों का हम पहिले ही उल्लेख कर चुके हैं। इस स्थान पर यह कहना आवश्यक है कि भारत मंत्री उन सभी अधिकारों के लिए ब्रिटिश संसद के समस्त उत्तरदायी थे। इसलिए भारत मंत्री के अधिकार क्षेत्र को भी पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है।

जब १९४७ ई० में भारत को एक उपनिवेश स्वीकार कर लिया गया तो यहाँ के प्रशासन का भार पूर्णतया यहाँ के निवासियों के कंधों पर ही छोड़ दिया गया। यद्यपि उस समय भी भारत के ऊपर सम्राट की ही प्रभुता थी परन्तु ब्रिटिश संसद का यहाँ के प्रशासन पर किसी प्रकार का नियंत्रण न रहा। अब पूर्ण स्वतन्त्रता पाने के साथ साथ सम्राट की प्रभुता भी समाप्त हो गई है। अब हम एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं।

१९४७ के ऐक्ट के द्वारा किये गये संशोधन—इस अध्याय को समाप्त करने और नये संविधान का विश्लेषणात्मक परिचय प्राप्त करने से पहिले १९४७ ई० के ऐक्ट के संशोधनों का संकेत मात्र आवश्यक है। यह अधिनियम १९३५ के ऐक्ट और नये संविधान के बीच एक मध्यवर्ती आश्रम के समान है।

जब तक कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा एक नया संविधान देश के लिये प्रस्तुत करे तब तक कुछ संशोधनों के पश्चात् १९३५ के ऐक्ट के अनुसार ही कार्यवाहन करना ठीक समझा गया। १९४७ ई० के ऐक्ट ने १९३५ ई० के ऐक्ट का कामचलाऊ रूप उपस्थित किया।

इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल के स्थान पर संविधान सभा को स्थापित किया गया जो कि संविधान सम्बन्धी और कानून सम्बन्धी दोनों कार्य करे। इस सभा को बाह्य नियंत्रण से पूर्ण मुक्ति मिल गया और इसे एक विधान-मण्डल के सभी अधिकार प्राप्त थे। इस ऐक्ट ने गवर्नर जनरल और गवर्नरों के बहुत से अधिकार छीन कर उन्हें केवल वैधानिक प्रमुख बना दिया। केन्द्रीय और प्रांतीय कार्य कारिणी अब मात्र मण्डल (cabinet) का भाति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करने लगी। इस ऐक्ट के एक परिणाम यह था कि देशी रियासतों को उनका स्वच्छा पर छोड़ दिया कि वह भारत अथवा पाकिस्तान में से किसी के साथ भी निधारित शर्तों पर सम्मिलित हो अथवा अपना पृथक रहे। रियासतों के ऊपर से सम्राट की छाया हट गई।

अध्याय ११

नये संविधान का सामान्य परिचय

परिचयात्मक — पहिले दो अध्यायों में १९१९ और १९३५ के अधिनियमों के मुख्य उपबन्धों की रूपरेखा पर साधारण दृष्टिपात करने के पश्चात् अब हम अपने वर्तमान शासन प्रबन्ध का आधक विस्तार पूर्वक विवेचन करेंगे। नये संविधान की एक विशेष बात यह है कि इसने भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और राष्ट्रीय नेताओं ने बनाया है। इससे पहिले के सभी अधिनियम ब्रिटिश संसद् द्वारा बनाये गये थे जो कि एक बाह्य संस्था थी। इस प्रकार संविधान सभा अस्तित्व में आई और किन परिस्थितियों में इसने कार्यारम्भ किया—इन विषयों का विवेचन राष्ट्रीय आन्दोलन के अध्याय में किया जा चुका है। यहाँ उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं। नये संविधान को बनाने का महत् कार्य ९ दिसम्बर १९४६ को प्रारम्भ किया गया और २६ नवम्बर १९४९ को समाप्त कर दिया गया। २४ जनवरी १९५० को संविधान सभा ने डा० राजेन्द्र प्रसाद को भारतीय गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया और दो दिन बाद संविधान का प्रारम्भ करके यह सभा विसर्जित हो गई।

संविधान की मुख्य विशेषताएँ :—हमारा नया संविधान बहुत सी बातों में दूसरे देशों के संविधानों से भिन्न है। यह अपना एक विशेष अस्तित्व रखता है। इसका यह कारण है कि इसके निर्माताओं ने सभी प्रजातन्त्रात्मक देशों के अनुभवों से लाभ उठा कर उनकी सभी मूल्यवान् बातों का सम्मिश्रण कर लिया है। प्रचलित सिद्धान्त और व्यवहारों को कदा-कदा अलग उठा रखने में भी ये लोग नहीं हिचके हैं। युद्ध और शान्ति के सकट काल का सामना करने के लिये इन्होंने वैधता और सकीर्णता की अधिक परवाह नहीं की। यह स्मरण रखने के योग्य है कि १९३५ के ऐक्ट के बहुत से आधारभूत उपबन्ध जो कि आवश्यक थे नये संविधान में यथावत् सम्मिलित किये गए हैं, इसके अतिरिक्त और हो भी क्या सकता था। कारण यह है कि कुछ समय से देश का प्रशासन इसी के व्यवस्थाओं के अनुसार चलाया जाता रहा है।

नये संविधान ने भारत को राज्यों का एक सघ घोषित किया है। दूसरे शब्दों में, इसके द्वारा भारत में संघीय प्रणाली को प्रस्थापित किया गया है। एक और शतव्य बात यह है जबकि संयुक्त राज्य अमरीका, स्विट्जरलैंड और आस्ट्रेलिया

आदि दूसरे देशों में कई स्वाधीन राज्यों को उनकी स्वेच्छा से एक प्रभुता सम्पन्न सत्ता के आधीन रखा गया, भारत में इस प्रथा के विपरीत पहिले एकात्मक शासन को कई स्वशासी इकाइयों में बाँटा गया और फिर उनसे मिला कर एक सघ बनाया गया। इस दृष्टि से नये सविधान के ऊपर १९३५ के ऐक्ट का आभार है। जैसा कि पूर्वगामी अध्याय में बताया जा चुका है १९३५ ई० के अधिनियम के द्वारा भारतवर्ष को एकात्मक शासन से सघात्मक प्रणाली में बदलने की कल्पना पहली बार की गई।

इस सविधान की दूसरी विशेष बात यह है कि इसने एक सुदृढ केन्द्रीय, राष्ट्रीय सरकार को प्रश्रय दिया है। सघीय सरकार को विशेष अधिकार संपन्ने में इसने अमेरिका के अनुभव से लाभ उठाया है जहाँ कि आधुनिक समय में सघीय सरकार की शक्तियाँ और अधिकारों में पयाप्त अभिवृद्धि हुई है। आजन्म सत्तार के समस्त सघीय सविधानों की यह धारणा है कि केन्द्र को अधिकाधिक सबल बनाया जाय। हमारे सविधान के अनुसार अवशिष्ट अधिकार केन्द्र को संपे गये हैं न कि राज्यों को।

इस सविधान की तीसरी यह विशेषता है कि सकट काल में इसे सघात्मक से एकात्मक शासन पद्धति में परिवर्तित किया जा सकता है। राष्ट्रगति को आन्त-कालीन शक्तियों प्रदान करके इस बात को सम्भव बना दिया गया है। उनकी असाधारण शक्तियों के प्रभाव से राज्यों में स्वशासन को प्रायः स्थगित किया जा सकता है। सत्तार की किसी दूसरी सघात्मक शासन पद्धति में इस प्रकार की व्यवस्था नही है।

चौथी ज्ञातव्य बात यह है कि इस सविधान ने राज्यों को सविधान बनाने के सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिया है, ये राज्य अपना सविधान बनाने, उसे बदलने अथवा विघटित करने का कोई अधिकार नहीं रखते न कोई राज्य सघ के बाहर जा सकता है। राज्यों को अपना सविधान बनाने और सघ से पृथक होने के अधिकार, कदाचित् देश की एकता की रक्षा को सदैव कायम रखने के विचार से, नहीं दिये गए हैं। यह सविधान सर्वदा इस भावना को लेकर चला है कि हमारा देश एक सुगाठत इनाई है जिसमें एक ही सत्ता के आधीन एक जन-समुदाय निवास करता है।

इसी विचार से सम्बद्ध इस सविधान की एक और विशेषता है। यद्यपि इसमें द्विशसन, द्वि विधान मण्डल और द्वि-कार्यपालिकाएँ हैं फिर भी इसमें सम्यक् नागरिकता का समावेश करने के कारण हमारा सविधान अमरीका के सविधान से संथा भिन्न है जिसने दुहरी नागरिकता के सिद्धान्त को अपनाया है। सम्यक्

जागरितता के साथ साथ संविधान ने देश को एक सम्यक सुमगडित न्याय-पालिका (Judiciary) एवं अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग और समस्त दश में एक ही व्यवहार विधि और दफ्तर विधि को प्रचलित किया है। यह कहा जा सकता है कि महात्मन शासन के होते हुए भा संविधान ने भारत की एकता को सुरक्षित और सुदृढ़ स्थित करने का प्रयत्न किया है। उदाहरित इसी कारण से भारत का राज्य सभ (Union of states) नाम दिया गया है और इसने प्रचुर शब्द फेडरेशन के प्रयोग का बहिष्कार कर दिया गया है।

प्रत्यास्थता (elasticity) अथवा आतन्म्यता (flexibility) इस संविधान के अन्य प्रमुख गुण हैं। संशोधन के कठोर शिष्टाचार को पत विधे पित परिस्थितियों के अनुकूल से सुगम भी बदला जा सकता है इस सामा तर्क इसमें आतन्म्यता का गुण प्रिमान है। संविधान सभा ने इसे सन्त (Final) प्रेर पूर्णतया नुनिमुक्त (infallible) भी कहा जलगाया है और प्रभने निर्णय की अन्तिम सुत्र नहीं लगाई है। प्रमण (Convention) और प्रेरण (Referendum) जेमी सचटिल प्रणालियों को भी इस संविधान में ध्यान नत्त मिला है। इसके संशोधन की प्रक्रिया बहुत सरल है इसका उल्लेख आगे किया जायगा। इस विधान की प्रत्यास्थता का एक य भी मन्त है कि सचट माल म सभामन् को एकात्मक शासन प्रणाली में परिवर्तित किया जा सकता है।

नये संविधान की एक और विशेषता यह है कि इसने भारत को प्रभुता-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया है। भारत के प्रभुता सम्पन्न होने का तष्ट प्रमाण यह तथ्य है कि संविधान सभा न प्रन्तगत दश के जन प्रिय नेता, राजनीति और नीति-दृष्ट समिलित थे जिनके उपर जिमी भी प्रचार का शल्ल प्रभाव अथवा नियंत्रण नहीं था। आन हम अपने देश के भाग्य निर्माता हैं और हम जिमी बाहरी सत्ता के प्राधीन नहीं हैं। हमारा देश आज गणराज्य भी है नू कि इसके राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं न कि कोई विरागत (Hereditary) राजा या महाराजा। भारत के गणराज्य होने का महत्व ठीक प्रकार उम समय समझ में आ सकता है जन्दि हमें इस विषय का ध्यान रहे कि लगातार लगभग महल वर्ष तद हम स्वेच्छाचारी सत्ता और सामन्तशाही के नीचे रह है। यत्रप अतल माल में हमारे यहाँ प्राग्य गण राज्य भी पूने पने किन्तु इतिहास न एक बहुत बडे अवकाश में हमारी परम्पराए राजाओं की छाया म ही पतन्ती रा।

भारत को लोकतन्त्रात्मक कहने का य अभिप्राय है कि सरकार अपना अधिकार जनता से ग्रहण करती है। संविधान की प्रस्तावना में अग्रलिखित शब्द हैं - 'इम

भारत के लोग.....एतद् द्वारा इस सविधान को अगाकृत, अधिनियमित और अर्मापित करते हैं।' हमारी शासन प्रणाली इस प्रकार की है। यह इसमें साधारण सदस्य भी ऊँचे से ऊँचा पद ग्रहण कर सकता है। यह बात प्रोट-मन के द्वारा सम्भव हो गई है; अब प्रत्येक प्रोट व्यक्ति को बिना किसी सम्पात्त अथवा सारित्वक योग्यता की शर्तों के मतदान का अधिकार मिल गया है। स्त्री-पुरुष भेद अथवा जन्म, जात, धर्म, आ इत्यादि की रुकावट खत्म करने प्रत्येक नागरिक को विधान मण्डली में चुने जाने का खुला अवसर है। छोटे मोटे पेटों का तो कहना ही क्या वह इस गण-राज्य का राष्ट्रपति भी बनने की चेष्टा कर सकता है।

सविधान की प्रस्तावना में, आठवे, यह भी ध्यात किया गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को (१) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, (२) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, (३) प्रातः और अक्सर क समता प्राप्त कराई जायगी। इस उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस सविधान में एक दम युगपुरान्तर से प्रचलित छुआछूत की रमारी को मिटा दिया है और भारत को एक लोक (असाग्रदायिक) राज्य बन कर इतन नागरिकों को बिना किसी जात, जन्म, धर्म इत्यादि के प्रतिबन्ध के सम्मानाधिकार और समानाक्षर दिये है। हमारे देश में प्रचलित एक विचारधारा है जो कि भारत को लोक राज्य बनाने के पक्ष में नहीं है। इस विचार के अन्तर्गत पाकिस्तान के अक्षर चिन्हों पर चलकर भारत को हिन्दू शास्त्रों के आधार पर एक हिन्दू-राज बनाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्त यह भूल जाते हैं कि हम ऐसे युग में रह रहे हैं जिनमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धान्तों का व्यवहार में लाना वाञ्छनीय है। आज विश्वभर की सभ्य सरकारें इस सिद्धान्त को लेकर चलती हैं कि राज्य का कार्य केवल व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों को सुनिश्चित करना है और उसे परमात्मा और व्यक्ति के सम्बन्ध से कोई सरोकार नहीं है। मानव ईश्वर सम्बन्ध राज्य के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। किसी राज्य को लोक कहने का केवल यही अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का प्रसार नहीं करता, किसी सरकारी कर्मचारी के पूजा करने के दंग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता या किसी दूसरे धर्मावलम्बी को पद ग्रहण करने से नहीं रोकता। एक असाग्रदायिक राज्य की सरकार सिद्धान्त, किसी विशेष मत या सम्प्रदाय को आश्रय देने अथवा उनका प्रचार करने से साफ इन्कार करती है।

सविधान का नवी विशेषता यह है कि इसमें केन्द्र और राज्यों में सत्त-शासन (Parliamentary form of government) की कल्पना की है न कि प्रधानीय शासन की। जैसा कि ब्रिटेन में हुआ है हमारे देश में भी सत्त-शासन का विकास परम्परा द्वारा होगा न कि केवल सविधान की लिखित धाराओं से।

संविधान में कहा भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि राष्ट्रपति अथवा राज्यपालों (Governors) के नाम से प्रचलित किये गये आदेशों पर उत्तरदायी मान्यता न हस्तांतर कराना आवश्यक हो। जो अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपालों को दिये गये हैं उनमें से कुछ तो समस्त शासन न साथ वेमेल से जान पड़ते हैं उदाहरणार्थ राष्ट्रपति या विधान मण्डलों को अभिभाषण भेजने और विधेयकों को उनमें दोबारा विचार विमर्श के लिये लाटाने के अधिकार। कदाचित् इन अधिकारों का स्वतः-बाल म प्रयुक्त करने के लिए रखा गया है।

नागरिकों के मूल अधिकार (Fundamental Rights) और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों (Directive principles of State Policy) का दा अध्याय के रूप में सम्मिश्रण इस संविधान की एक और विशेषता है। बहुत धीरे-धीरे अन्तर्दशा के संविधानों में मूल अधिकारों का समावेश है और कदाचित् आयरलैंड न संविधान में ही इस प्रकार न नीति निर्देशकों का उदाहरण पाया जाता है।

अन्तिम बात—यह संविधान एक विशाल प्रलेख (Document) है। कदाचित् समस्त मर से इससे बड़ा संविधान कोई नहीं। इसमें ३६५ अनुच्छेद (Articles) और ८ अनुसूचियाँ (Schedules) हैं। १९३५ का ऐक्ट भी इतना लम्बा नहीं था। लम्बा होने न कारण ही यह व्यापक और परिमार्ही भी है। इसमें उन सभी प्रारम्भिक गठनाद्यों को दूर करने के सुझाव हैं जो कि एक नये राज्य न सामने आया करती हैं। इसमें प्रायः प्रत्येक संविधान में पाये जाने वाले शीर्षक—शासन का स्वरूप, विभिन्न अंगों के कर्तव्य, नागरिकता, मूल अधिकार आदि ही नहीं बल्कि लोक सेवायें अल्पस्वरूपों की रक्षा, सम्पत्ति, सविद्या, अस्थायी अन्तर्कालीन उपबन्ध और भाषा के सम्बन्ध में उपबन्ध भी सम्मिलित हैं जो प्रायः किसी संविधानीय प्रलेख में नहीं पाये जाते। जिस सीमा तक इस संविधान की विशालता और व्यापकता इसकी विशालता में मर्यादा है वहां तक कोई अपारिधि नहीं।

ऊपर के विवेचन में यथा स्थान पर हम पाठक का ध्यान अपने देश और संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधानीय भिन्नताओं की ओर दिलाते रहें हैं। अब हम भारत और इंग्लैंड के संविधानों की भिन्नता के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना आवश्यक समझते हैं। यद्यपि बहुत हद तक हमारा संविधान इंग्लैंड की शासन पद्धति के मूलभूत सिद्धान्तों पर आश्रित है फिर भी कई प्रकार से यह उनमें भेद नहीं खाता। एक स्पष्ट लक्षित होने वाली भिन्नता यह है कि हमारा संविधान पूर्णतया लिखित द्रव्य है जब कि इंग्लैंड का प्रधानतया अलिखित। जैसा आन्तक इंग्लैंड का संविधान है उतना हमारा नहीं है। इसके संशोधन का

संविधान की प्रथम अनुसूची

(भारत के राज्य)

भाग (क)	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)
१ आन्ध्र प्रदेश	१ जम्मू और कश्मीर	१ अरुणाचल प्रदेश	(१)
२ उड़ीसा	२ तमिलनाडु-कोच्चन	२ असम	(अ-प्रधान और विधान क्षेत्र)
३ पंजाब	३ पश्चिम बंगाल और पूर्वांचल राज्य-संघ	३ मध्य प्रदेश	
४ पश्चिम बंगाल	४ म.प्र. भारत	४ कर्नाटक	
५ बिहार	५ मैसूर	५ त्रिपुरा	
६ मद्रास	६ गुजरात	६ दिल्ली	
७ मध्य प्रदेश	७ बिहार प्रदेश	७ जलन्धर	
८ उत्तर प्रदेश	८ मद्रास	८ महाराष्ट्र	
९ गुजरात प्रदेश	९ हैदराबाद	९ मनापुर	
		१० हिमाचल प्रदेश	

भारत के राज्य-क्षेत्र (Territory) में पूरे निर्दिष्ट सभी राज्यों का क्षेत्र सम्मिलित है। अनुसूची के भाग (क) में तत्कालीन गवर्नरों के प्रान्त भाग (ख) में हैदराबाद, जम्मू, कश्मीर, मैसूर की तीन नयी रियासत तथा छह बहुत-सी दक्षिण रियासतों के पिछले कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। दक्षिण रियासतों का संधा में परिवर्तित करने की प्रस्तावित कठिन प्रयत्न सफलता है या स्वार्थानता मिलने पर राष्ट्रीय सरकार ने प्राप्त की है। बंगाल संधा के अधीन अनेक रियासत और उनकी विविधता भारत की एकता के लिए सख्त अंधेरे प्रयत्न थे।

ये विविधता एक करण के प्रयत्न के द्वारा दूर कर दी गई है। अबल की नया दशा पश्चिम के आश्चर्य चकित करने वाली आविष्कार का प्रयत्न के साथ-साथ उनमें प्रचलित नृनाशक स्वेच्छाचारिता से दूर हटने की अथवा इच्छा की भाँति उनका अन्दर लगन-सामन शासन से स्थापित कर दिया गया है। १९५६ के गवर्नर और राज्य-संघ के अन्तर्गत, जम्मू-श्वेच्छाचारिता और प्रजातंत्र के बीच गठन-संघ के प्रयत्न रखा गया था, नये संविधान ने मध्य प्रदेश को एक राज्य में मिला दिया है। कुछ दिनों का (पश्चिम) बंगाल ने समावेश करना संविधान के उच्च उपकरण से एक उदाहरण है जिसने मद्रास का राज्यों की सीमाएँ बदलने, उनसे ही नों से पगने से उठने से अधिकार दिया है। जिस प्रकार संयुक्त प्रान्त का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया वह प्रदर्शित करता है कि बिना संविधान में संशोधन किये ही मद्रास को

किसी राज्य के नाम बदलने का हक है। इसी प्रकार संविधान की बाह्य आकृति में परिवर्तन क्रिये बिना ही नये राज्यों को सभ में शामिल किया जा सकता है।

शक्ति वितरण - सभ-संविधान मूल रूप से इस बात पर आधारित होता है कि सर्वाथ शासन और इकाइयों के बीच अधिकारों का परिनिश्चित वितरण कर दिया जाय। प्रत्येक सरकार अपने अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में मजबूत समझी जाती है और उस क्षेत्र में उसके अधिकार को कोई नष्ट कर सकता है। भारतीय संविधान ने इसी सिद्धान्त के अनुसार शासन सम्बन्धी शक्तियों को सभ और राज्यों को सरकारों के बीच बांट दिया है। यह वितरण की योजना प्रायः उसी प्रकार की है जैसी कि १९३५ के अधिनियम में। विधानीय पदा का सभ सूची, राज्य सूची, समबन्धिता सूची ज्ञान सूचियों में विभाजित कर दिया गया है। सभ सूची के विषयों पर सभ सरकार का अनन्य अधिकार है उनसे कि सा एक पर भी राज्य का विधान मण्डल विधायक नहीं बना सकता। राज्य सूची के अन्तर्गत विषयों पर साधारणतया राज्यों के विधान मण्डलों का ही कानून बनाने का अधिकार है केवल आपतिनाल में अथवा ऐसे समय जब कि राष्ट्रीय हित में राज्य परिषद् के बहुमत से स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा ऐसी आवश्यकता समझे या जब कि एक या अधिक राज्य अपने क्षेत्र में सभ की अधिकार सापेक्ष, सभ-विधान मण्डल राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है। समबन्धिता सूची के विषयों पर सभ तथा राज्यों की सरकारों का समान अधिकार है। परन्तु पारस्परिक विरोध की परिस्थिति में सभ की विधियों को राज्यों के कानूनों के ऊपर मान्यता दी जायगी। अवशिष्ट शक्तियाँ (Residuary Powers) सभ सरकार को ही प्रदान की गई हैं अर्थात् उन विषयों पर जो कि नियत सूचियों में नहीं आते सभ सभ की कानून बनाने का अनन्य अधिकार है।

सभ सूची में ६७ प्रविष्टियाँ शामिल हैं इस सूची को लम्बा बनाने के पीछे आज कल की वृत्ति के अनुकूल केन्द्र को सुदृढ़ बनाने का विचार निहित है। ये विषय पूर्णतया प्रादेशिक अथवा स्थानीय हितों के बजाय सार्वभौम राष्ट्र के सामूहिक हितों में अधिक सम्बद्ध हैं। उनसे पूरे देश पर एक साथ प्रभाव पड़ता है इसलिए उनके लिये विधान और प्रशासन की सम-समानता की बहुत आवश्यकता है।

इन में से मुख्य विषय निम्न लिखित हैं, —

प्रतिरक्षा (Defence) नौ, स्थल और विमान बल, नौ, स्थल और विमान बल की कर्मशालाएँ, शस्त्रास्त्र, ग्रन्थस्त्र, बुधोपकरण और विस्फोटक, अग्निशक्ति, विदेशीय कार्य, राजनयिक, वाणिज्य दूतों और व्यापारिक प्रतिनिधित्व, विदेशों में सधि तथा करार करना। युद्ध और शान्ति, नागरिकता, रेल और राजपथ, समुद्रीगहन, प्रकाशस्तम्भ, वायुपथ और विमान पारगहन, जल पथ, समुद्र या वायु से यात्रियों और वस्तुओं का वहन, डाक और तार, टेलीफोन प्रसार, प्रसारण और अन्य ममरूप संचार, मद्य का लोभ जगण, चलायुक्त टरुण, विदेशीय विनिमय, विदेशीय ऋण, भारत का रक्षा बैंक, ऋण धर, अचत धर, विदेशों से सध व्यापार और वाणिज्य, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य, व्यापारिक निगम, मगनी विनीमय पत्र, चेक, जनन पत्र आदि बीमा पद्धति, आविष्कार और रूपाकन, तैलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति का विनाय, खनिज और जनता विकास भ्रम का विनिमय तथा खानों और तैल क्षेत्रों में सुरक्षितता, मजदूरी पद्धति अधीन, राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय मंत्रालय, साम्राज्यिय युद्ध-मंत्रालय इत्यादि काशी, अलीगढ़ और दिल्ली विश्वविद्यालय, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख, भारतीय भूपरिभाष, जनगणना अखिल भारतीय सेवाएँ तथा स्थानात्मक सेवा आयोग, समद और राज्य के विधान-मण्डलाने लिये तथा सम्पत्ति और उद्योग-सम्पत्ति के पदों के लिये निर्वाचन, समद के मदस्था के वेतन और नजे, मद्य के और राज्यों के लेपायों की लेखा परीक्षा, उच्चतम न्यायालय का गठन, संपन्न, क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का विस्तार, कृषिभूमि को छोड़ कर अन्य भूमि पर कर, सीमा शुल्क, भारत में निर्मित या उत्पादित तम्बाकू तथा मानव उपभाग के मद्य सारिक पानों अधीन, भाग और अन्य पिना लाने वाली औषधियाँ तथा स्वायत्तता का छोड़ कर अन्य मद्य वस्तुएँ निगम कर, कृषि भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के बारे में सम्पत्ति शुल्क, कृषि भूमि का छोड़ कर अन्य सम्पत्ति के अधिधार के बारे में शुल्क, रेल या समुद्र या वायु से ले जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर, रेल के उन भागों और वस्तु भागों पर कर विनिमय नग, चैकों आदि पर मुद्रा शुल्क की दर, तथा समाचार पत्रों के मद्य या विषय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर आदि आदि। इस सूची में और भी इस प्रकार के बहुत से विषय हैं जिन्हें ६७ प्रविष्टियों में रखा गया है।

राज्य सूची में ६६ प्रविष्टियाँ सम्मिलित हैं। इनके अन्तर्गत विषय

प्रतिबल गणतंत्र हिता के उजाय केवल राज्यों के हिता से ही प्रोत्त हैं। इन विषय में अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप प्रत्येक राज्य विधान तथा प्रशासन के ढंग में स्वतंत्र है। इन में से मुख्य-मुख्य निम्नांकित हैं —

मानव-जनक व्यवस्था, आरक्षी (पुलिस, जिसके अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी हैं) न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय का ह्राद कर सब न्यायालयों का गठन और सघन, कारागार, सुधारालय चारणल सस्थाएँ, स्थानीय शासन सावजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पंचकमाला और औद्योगिक, मादकपान आदिना और नौकरी के लिए आगत्य वाक्तियों को सहायता शव गणना और नगरस्थान, शवदाह और श्मशान याना पुस्तकालय और दण्डालय, सड़के, पुल आरनवना घाट, ब्रह्म, पशुशव, मित्रा, आर नटर, जलनस्पासु आर उष भूटत, वन, वन प्राणुना और पक्षिना की रक्ष भीन कर, शालक अधिपकरण, उद्योग धंधे राज्य न अन्तगत व्यापार और वाणज्य, यात्रा और मेले, मान स्थापन ना क्राड कर वाट और माप। साहूकारी और साहूकार, नाट्यशाला और नाट्य अभिनय, पण लगाना और जुआ, राज्य न विधान मन्त्राला के लिये निवाचन राज्य लाड सेनाएँ, राज्य लाड सेवा यान, राज्य निवृत्त वतन, राज्य ना लाक अणु भूराजत्व, कुप भूम क उत्तराधिकार न पत्रध में शुल्क भूम आर भग्ना पर कर, फिमा स्थानीय जन में उभगत प्रयाग ना विक्रय के लिये वस्तुया क प्रवेश पर कर, विद्युत के उपयोग पर कर व्यापार पर कर पाना पर कर, पशुया और नौकाओं पर कर पत्र कर कृत्तिया, व्यापारों पर और विलास वस्तुया पर कर उनके अन्तगत आमी- वनाद, पण लगाने और जुआ खेलने पर भी कर हैं, उच्चतम न्यायालय का ह्राद कर सब न्यायालयों ना जोडाधना और शक्या।

समदता सुची म ४७ प्रविप्रर्शों ने। इनक आधक मन्त्रपूख विषय इस प्रकार हैं —

दण्डविधि और दण्ड प्रक्रिया, व्यवहार प्रक्रिया, निवारण निराध; कैदियों का एक राज्य से दूसर राज्य का हंगना जाना, विवाह और विवाह विच्छेद दत्तक ग्रहण, इच्छापत्र, इच्छापत्रहीनत्व, अविभक्त कुटुम्भ और विभाजन, सम्पत्तियों का हलन्तरण, सविदा, दिवालयापन; न्याय और न्यामी, मादक और शपधें, उन्माद, पशुना के प्रति निर्दयता का निवारण, आर्थिक और सामाजिक याचना, वाणिज्यिक और औद्योगिक

एकान्वय, पंचायत समिति, ग्रामोद्योगिक और श्रमिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी की भाँति श्रमिकों का कल्याण, मूल निवास-स्थान से स्थानान्तरित हुए व्यक्तियों की मजबूती और पुनर्वास, मूल्य नियंत्रण, परामर्श, राज्य यन्त्र नियुक्त, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, हस्तकर्म सम्बन्धी स्थान उच्चतम न्यायालय का छोड़ कर अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार और शक्ति।

उपरोक्त सूची में एक बात स्पष्ट है— यद्यपि ये विषय राज्यों के हितों के अधिक निर्यात के लिए हैं, इनमें सानूनी विधि का कल्याण पर एक रूपता लागू की अधिक लाभदायक होगी। नारखाने, भ्रमणों का कल्याण, दण्ड प्रणाली (Criminal Procedure) और व्यवहार प्रणाली (Civil Procedure) साक्षर, विनोदी ग्राह्य ग्राह्य ऐन विषय के अनेक सम्बन्ध में वैभिन्न प्रदर्शना की सानूनी विधि का अद्यतन डाल सकने है इन विधियों का समता सूत्रों में इस उद्देश्य से रखा गया है कि इनके माध्यम से न्यायिक विधान मण्डल सामान्य सिद्धान्त निगमन कर दे जो अखिल भारत में सर्वाधिक हो सके और जिन की पार्षद में रहने हुए राज्य अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसंग विधि बना लें। स्वतंत्रता, जमीन, (घोषणा के माध्यम) और ग्रामपालिका इत्यादि और भी दशक जगत् कि उन प्रकार की समता सूत्रों मिलती हैं।

वितरण के अर्थ में एक ही बात भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह प्रमाण पढ़ने में आसानी है कि हमारी केंद्रीय सरकार एक शक्तिशाली सत्ता है। संघ के शासक ही किसी दूसरे संघ शासन में केंद्रीय सरकार का इतना अधिक शक्तियाँ दी गई हैं। भारत में केंद्रीय सरकार का इतना शक्तिशाली होना प्रधानतया इस शक्ति वितरण की योजना का ही परिणाम है। केंद्रीय सरकार के हाथ में, संघ सूची की ६७ और समता सूची की ६७ प्रणालियों के साथ साथ अवाश्यायित शक्तियों के ऊपर, अन्तर्गत कर इस योजना ने संघ का शक्तिशाली बना दिया है।

जो केंद्र (centrifugal) प्रणाली हमारे संविधान में काम करती आ रही है और अंतर्निहितता में हमारे संघ का जन्म हुआ है उन्हे ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि संघ संविधान की केंद्र का शक्तिशाली बनाने की योजना यथोचित नहीं है।

इसी सम्बन्ध में दूसरी विशेष बात यह है कि संविधान की विशाल शक्तियाँ बहुत से विषय भर दिए गए हैं। परन्तु हमने हार्न ही क्या है? इससे तो लाभ ही होगा चूंकि केंद्र और राज्यों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्टता दी देने से उनके आपसी भगड़ों की सम्भवना कम हो जायेगी।

राज-भाषा—सब की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी निश्चित की गई है। परन्तु इस सविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। राज्य की सरकारों का हिन्दी अथवा अन्य तेरह निर्धारित प्रादेशिक भाषाओं में अपना कार्य करने की स्वतन्त्रता है। ये प्रादेशिक भाषाएँ अप्रलिखित हैं—असमिया, उडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलगु, पञ्जाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, मसकृत, और हिन्दी।

सविधान का संशोधन—जैसा कि पहिले भी इस अध्याय में लिखा जा चुका है कि हमारे सविधान में प्रत्यक्षता और आनम्यता का बहुत बड़ा गुण है। इसको मशोधित करने की रीत जान बूझ कर महल और मरल बनाई गई है। यद्यपि यह इतनी सरल नहीं है जितनी कि ब्रिटेन के सविधान में बदलने की। प्रसभा (convention) और प्रेषण (referendums) जैसी सत्तल प्रणालियों को इस देश में प्रथम नर दिया गया है।

सविधान न मशोधित करने का प्रस्ताव प्रत्येक दशा में ससद् ही प्रारम्भ करेगा। ससद् के किसी भी आगार में इस विषय का विधेयन पेश किया जा सकता है यदि यह विधेयक ससद् के प्रत्येक आगार में उसके कुल सदस्यों के आधे से अधिक आर उपस्थित होने पर दने वाले सदस्यों के दस तिहाय बहुमत स प्राप्त हो जाता है तो इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रप दिया जायगा। और स्वीकृति मिलने पर उनका लागू समझा जायगा। परन्तु कुछ विशेष विषयों के लिये राष्ट्रपति की स्वीकृति में पहले (क) (ग) भाग क सस्यों में से कम से कम आधे राज्यों के विधान मण्डलों स स्वीकृत करने की आवश्यकता है। ये विषय निम्नांकित हैं—

- (a) राष्ट्रपति का निवाचन।
- (b) सभ का कार्यपालिका अधिकार क्षेत्र।
- (c) पहले अनुसूच के भाग (क) के राज्य की कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र।
- (d) न्याय पालिका अधीन उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों का गठन और शाक्तियाँ।
- (e) सभ और राज्यों के सम्बन्ध।
- (f) सभ सूची, और राज्य सूची और समकता सूची।
- (g) ससद् में राज्य का प्रतिनिधित्व।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जा विषय अधिक महत्वपूर्ण मामके आधे हैं उनसे लिये आधे से अधिक राज्यों के विधान मण्डलों की अनुमति अनिवार्य कर दी है।

उक्त तीसरे प्रकार के ऐसे भी विषय हैं जिनमें ससद् साधारण रीति से ही परिवर्तन

कर सकता है। उनके सशोधन के लिये संसद् के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की ही शर्त है।

राज्य ने विधान मण्डलों को स्वतः संविधान में किसी प्रकार का सशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट है कि हमारा संविधान ता दृढ़ता आनम्य (Flexible) है जितना कि इंग्लैंड का और न दृढ़ता अप्रत्यास्थ (Inelastic) है जितना कि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका का इसलिए इसका स्थान इंग्लैंड और अमेरिका के संविधानों की दो परामाशयों के बीच में है।

नागरिकता, मूल अधिकार और निदेशक तत्व

नागरिकता—जैसा कि हम इससे पहले अध्याय में ही जता चुके हैं हमारे संविधान में दश नववर्षीय नागरिकों के लिये सम्पूर्ण नागरिकता का सिद्धान्त अपनाया गया है। अमेरिका के संविधान का मातृ-देशीय दृष्टि से नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक राज्य को पृथक् नागरिकता—उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश की नागरिकता, मद्रास अथवा बंगाल की नागरिकता का नाम ही फोर्ड काज कहा नही होगी। हम में से प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह उत्तर का निवासी हो, चाहे दक्षिण का, भारत का नागरिक है।

सावधान में नागरिकता प्राप्त करने और उसमें छिन्न जाने के नियमों का विवेचन नहीं है। इस बात का अनुरोध संसद् के ऊपर लाया गया है। सावधान में तो केवल इन शब्दों का उल्लेख है कि इस अध्याय पर इस प्रकार के व्यक्तियों के नागरिकता का हक प्राप्त होगा। नागरिकता निश्चित करने के लिये तीन प्रकार के आधार लिये गये हैं—जन्म उद्भव और निवास स्थान। पंचवें अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जन्म का हक प्राप्त करता है और इस प्रकार के मत (१६ जनपरी १९५०)—भारत राज्य क्षेत्र में निवास था भारत का नागरिक समझा जायगा यदि वह—

- (I) भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या
- (II) उसके भावा या माता भारत में जन्मे हो
- (III) या जो इससे पहले सामान्यतया पांच वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो।

जन्म अनुच्छेद में उन लोगों के नागरिक अधिकारों का कोई जिक्र नहीं है जो साम्प्रदायिक भेदभाव के कारण पाकिस्तान से भारत में आकर बस गये हैं। ऐसे व्यक्तियों का नागरिकता के अधिकार एक दूसरे ही अनुच्छेद के अनुसार दिये गये हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने वाले भारत में आने लौगा को दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है—

(क) ऐसे लोग जो १६ जुलाई १९४८ से पहले भारत में आए।

(ख) ऐसे लोग जो १६ जुलाई से बाद भारत में आए।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो १६ जुलाई १९४८ से पहले पाकिस्तान में भारत में आया, यदि वह स्वयं या उसके जनता में से कोई अधिकतम उनके महानगर में से कोई अलग-अलग भारत (१५ अगस्त १९४७ से पहले) में चला हो और यदि वह आगमन के समय से लगातार भारत में निवास करता है, नये नियमों के प्रारम्भ होने से नागरिकता प्राप्त करेगा। दूसरी श्रेणी का वह व्यक्ति जो १६ जुलाई १९४८ से बाद यहाँ आया, यदि वह स्वयं या उसके जनता में से कोई अधिकतम उनके महानगर में से कोई अलग-अलग भारत में चला हो और यदि उसे निवास करने के लिए पञ्जीकृत (registered) भी कर लिया गया है, भारतीय नागरिकता के अधिकार प्राप्त करेगा। पञ्जीकृत होने के लिये वह शर्त है कि निवास अधिकारी को इन विषयों में प्रार्थना देने के पूर्व वह व्यक्ति को भारत में पञ्जीकृत करने में सहित हो। जो लोग भारत में पैदा हुए और ८ मार्च १९४८ के बाद पाकिस्तान जाकर रहे हैं उन्हें भारतीय नागरिकता के अधिकार नग्न दिये गये। यदि कोई ऐसा एक सरकारी आदेश पत्र से भारत में लाया गया है और वह दोषी बत गया है तो उसे भी नागरिकता प्राप्त हो पायेगी।

भारत में रहने वाले भारतीयों के लिये नागरिकता के अधिकार मिलने का अलग-अलग है। एक प्रत्येक व्यक्ति जो स्वयं या अपने जनता में से कोई अधिकतम महानगर विभाजन से पूर्व भारत में पैदा हुए हैं, वगैरह कि वह या उनके जनता में से कोई या महानगरों में से कोई भाग के अलग-अलग या आदेशों के अन्तर्गत भारत का नागरिक पञ्जीकृत कर लिया गया है। अधिकतम के अन्तर्गत है कि भारत का नागरिकता प्राप्त करेगा।

संक्षेप में तीन प्रकार के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के अधिकार प्राप्त होंगे —

- (I) जनता भारत में चला आये हैं।
- (II) जो पाकिस्तान में आकर रहे हैं।
- (III) भारत में रहने वाले भारतीय।

इस प्रकार की आशय्यता नग्न कि जो कोई व्यक्ति मूल रूप से नग्न नागरिकता के अधिकार प्राप्त करेगा।

मूल अधिकार—नागरिकों के मूल अधिकारों का समावेश—भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है। यह उस परम्परा के प्रतिबल है जो अंगरेजी राज्य में स्थापित की थी १६१६ के अधिनियम १६३५ व गवर्मेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट में ऐसी कोई बात नहीं जिनसे नये संविधान में मूल अधिकारों से समता की जा सके। इसका यह कारण था कि उन ऐक्टों के द्वारा भारत में वास्तविक प्रजातन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करने का विचार ही नहीं था। उनका एक मात्र उद्देश्य भारत में इस प्रकार का व्यवस्था की प्रस्थापना करना था जिसमें नागरिकों के हितों के विपरीत कार्यपालिका को मुहूर्त और शक्तिशाली बना दिया जाता है। इसके निरस्त विपरीत नये संविधान को इस उद्देश्य में बताया गया है कि भारत में एक लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था दी जाये, इसी लिये संविधान के निमाताओं का इसमें मूल अधिकार सम्बन्धी एक पृथक अध्याय जोड़ना पड़ा। संसार में ऐसा ही कुछ देश है जहाँ के संविधानों में इस प्रकार के मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं है उदाहरणार्थ ब्रिटेन।

मूल अधिकारों के सिद्धान्त में शासन की सामर्थ्य हानि सम्बन्धित है। सरकार और विधान मण्डल को तानाशाह होने से रोकना ही इसका उद्देश्य है। और इस उद्देश्य का प्राप्ति के लिये यह व्यापक लक्ष्य का अवसर प्रदान करता है।

यह समझना आवश्यक है कि मूल अधिकारों के सिद्धान्त में शासन का सीमित होना किस प्रकार सम्बन्धित है। मूल अधिकार उन अधिकारों का कहते हैं जो किसी संविधान में नागरिकों के लिये प्रत्याभूत (Guaranteed) किये जाते हैं। उन्हें मूल भूत इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका या विधान मण्डल को भी उनके हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता। जिस अर्थ और सामर्थ्य किसी विधान मण्डल की विधि अथवा कार्यपालिका के बनाये नियम आदि मूल अधिकारों के विरोधी हो ता उस अर्थ और उसी सामर्थ्य तक वे विधि अथवा नियम प्रभाव शून्य समझ जायेंगे। न्यायालय इस प्रकार के नियम और विधियों का प्रमाणित नहीं उल्लंघन करेगा। इस प्रकार जिस संविधान में मूल अधिकारों का समावेश उस देश के शासन पर बहुत बड़ा प्रभाव लगा देता है, और नागरिकों के अधिकारों को अधिक मान्य बना देता है। अधिकारों की इस प्रकार सुरक्षा एक व्यक्ति के आत्म विकास में बहुत बड़ी सहायता होती है और वह उसका सरकार की दमन नीति से बचाती है ऊपर के वर्णन में यह भी स्पष्ट है कि मूल अधिकार न्याय-संगत भी है। यदि कोई सरकार किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को दून कर आक्रमण करे तो इसके लिये वह

* भारत सरकार द्वारा प्रकाशित Our Constitution के पृष्ठ १६ में उद्धृत किया गया है।

न्यायालय से न्याय की प्रार्थना कर सकता है। इसी कारण से मूल अधिकारों को सरकार और नागरिक दोनों ही सम्मान करते हैं।

सविधान में ये मूल अधिकार छह शीर्षकों में अंकित किये गये हैं —

- (१) समता अधिकार
- (२) स्वातन्त्र्य अधिकार
- (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार
- (४) धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार
- (५) सस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार
- (६) सम्पत्ति का अधिकार

समता अधिकार—समता प्रजातंत्र के मूल मूलतत्वों में से एक तत्व है। इसीलिये इसे भारतीय राजनैतिक भवन का शिलाधार माना गया है। इसने द्वारा वैधानिक, नागरिक और सामाजिक सभी प्रकार की समता प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है। सविधान के १४ वें अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कानून व समान सम्बन्धी गई है। १५ वें और १७ वें अनुच्छेद में सामाजिक समता का उल्लेख है और १६ वें अनुच्छेद में राज्याधीन नौकरी के विषय में अवसर की समता दी गई है। कानून व समान समता का यह अभिप्राय है कि जीवन, सम्पत्ति, स्वेच्छा, आनन्द की राज के सम्बन्ध में कानून समझी रक्षा करता है। किसी भी अन्याय अथवा अनुचित व्यवहार के निषेध के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालयों को सहायता ले सकता है। जानपद समता (civic equality) का यह अभिप्राय है कि केवल धर्म, मूलवश, जाति, लिंग जन्मस्थान के आधार पर कोई नागरिक-दुकाना, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के, अथवा राज विधि से पोषित कुओं, तालाबों, स्नान घाटा, सड़का तथा सार्वजनिक समागम स्थानों के बारे में किसी भी नियोग्यता, निर्णय अथवा शर्त के अधीन न होगा इसमें सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता भी सन्निहित है। अवसर की समता का यह अर्थ है कि केवल धर्म मूलवश, जाति, लिंग उद्भव, जन्मस्थान, निवास के आधार पर किसी नागरिक के लिये राज्याधीन किसी नौकरा या पद के विषय में न अपात्रता होगी और न विभेद किया जायेगा। चूंकि हुआखूत को किसी भी रूप में आश्रय देना जानपद समता के प्रतिवृत्त है इसलिये सविधान ने इस व्यवस्था का सर्वथा अन्त कर दिया है। इसके अनुसार "अशुश्रुता" में सम्बन्धित किसी नियोग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दखलनाय होगा। सामाजिक समता लाने के लिए कितनाबों का अन्त कर दिया गया चाहे वे स्थानीय हों चाहे निदेशी।

जिस अनुच्छेद के द्वारा हुआ छूत का अन्त किया गया है वह मविधान द्वारा दिये हुए समता के सभी दूसरे अधिकारों से अधिक मूल्यवान है। हिन्दू समाज को विरैता बनाने वाली सामाजिक विरमताओं में सबसे बड़ी विरमता का हमने अन्त कर दिया है। हमने हमारे देश के लगभग पाच करोड़ निवासियों को युगयुगान्तर के निम्न और ग्लानिपूर्ण सामाजिक स्तर से उठाकर मातामा गांधी द्वारा दिये गये कान्तिद्वारा सामाजिक परिवर्तन पर एक 'कानून मुर' लगा दी है।

(२) स्वातन्त्र्य अधिकार—जनतन्त्र केवल समता का ही उपग्रह नहीं करता बल्कि इसके लिये वैयक्तिक स्वातन्त्र्य भी आवश्यक है। हमारा संघर्ष हमारे देश को लोकतन्त्रात्मक राज्य का पुराने-नए पथ पर लाने के लिये है। लोकतन्त्र और व्यक्ति स्वातन्त्र्य, शान्तिपूर्वक और शांतिमय सम्मेलन मत्वा या मधु प्रदान, नास्त राज्य क्षेत्र में सख्त अबाध संचरण इसका जन्म म प्रवास करने और म जाने सम्पत्ति के अजन धारण और धन का तथा रोड वृत्ति उपरीवका व्यापार या कारगर करने के अधिकार प्रदान करता है। यह बहुत सी स्वतन्त्रता के अनुरोधों का ही अनुशासित मिला है। सावधानी से स्वातन्त्र्य अधिकार सम्बन्धी एक और मुरय अनुच्छेद है। कोरे व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष नहीं टट्टाया जायगा जब तक कि उनसे अपराधारी प्रतिक्रिया बने कि समय किसी प्रवृत्तिविधि का अतिक्रमण न किया हो और न वह उससे अधिक दरड का पात्र होगा जो उस अपराध के करने के समय प्रवृत्त परिणाम का अधीन दिया जा सकता है।

पर भी वैयक्तिक स्वातन्त्र्य का अधिकार स्वयं अबाध (absolute) नहीं ठहराया जा सकता। इसके उपयोग की सीमाय मानवजन्य हित, शान्ति और राज्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुये सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। हम लये हमारे मविधान में भी स्वातन्त्र्य हित की रक्षा के लिये राज्य का वैयक्तिक स्वातन्त्र्य की सीमाय निश्चित करने का अधिकार है। इन अबाधियों (restrictions) में बिलार पूर्वक जाने की हमें आवश्यकता नहीं। केवल मनेत के रूप में यह कहा जा सकता है कि कुछ परिस्थितियों में राज्य को बिना वैयक्तिक विचार (trial) किये ही किसी व्यक्ति को निरुद्ध (detain) करने का अधिकार है। कुछ लागू ने इस का बहुत आलोचना की है।

हमसे देह यह टाक है कि बिना वैयक्तिक विचार के प्रवेश करने का बाधनम (Rule of law) तथा वैयक्तिक स्वातन्त्र्य (जो कि सावधानी से प्रकटत किये ह) दोनों का आतन्त्र्य करता है। परन्तु कभी-कभी मकट काल में उदाहरणार्थ बुद्ध और विद्रोह के समय, राज्य के लिये ऐसे व्यक्तियों का निरुद्ध करना आवश्यक हो जाता है जिन पर राज्य के शत्रु होने का मन्देह है। प्रत्येक राज्य का यह मन्त्र अबाध और कतव्य है कि सम्भावित खतरों से देश को सुरक्षित किया जाय। अना वैयक्तिक-

विचार के अवरोध करना एक सकृदकालीन उपाय है जिसे सामान्य शान्तिपूर्ण परिस्थितियों में उपयोग नहीं किया जा सकता।

सविधान में स्वेच्छ (arbitrary) गिरफ्तारी और अनिश्चित काल के लिए अवरोध करने के खिलाफ भी उपबन्ध है जिसके कारण सरकार अपनी निवारक अपराध (Preventive detention) की शक्ति का बेजा इस्तेमाल नहीं कर सकती। सविधान में लिखा है कि बिना कारण बताये किसी को बहुत देर तक हजालात या जेल में नहीं रखा जा सकता; प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से जर्मी भी बर्खीन की सलाह लेने का हक है। किसी व्यक्ति को बिना वैधिक विचार के अधिक से अधिक तान मर्हाने की कालावधि के लिए निषेध किया जा सकता है। परन्तु वह अपरिषिद्ध उस मन्त्रणा मडली (Advisory Board) के परामर्श से बढ़ाई भी जा सकती है जिनमें उच्च न्यायालय के न्याय-धारा की योग्यता रखने वाले व्यक्ति शामिल होंगे।

वैयक्तिक स्वातन्त्र्य के बारे में एक बात और ध्यान देने योग्य है। इस सविधान के अनुसार श्रौत बच्चों का क्रय-विप्रेय, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती से लिया हुआ श्रम तथा जालकों को किसी कारखाने अथवा रजान में या किसी दूसरी संकटमय नौकरा में लगाया जाना मना है।

(३) धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार— यह सविधान सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वस्थ-सम्बन्धी प्रतिबन्धों का विचार में रखते हुए सब व्यक्तियों का अन्तःकरण की स्वतन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक देता है। इस अधिकार का श्रौत अधिक सुरक्षित करने के लिये प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को अपने धार्मिक प्रथाओं के लिये सम्थाओं का स्थापना का तथा सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। परन्तु धार्मिक स्वातन्त्र्य का सीमा इन्हीं अधिकारों तक सीमित नहीं हो जाती। केवल एक असांख्यिक राज्य में ही एक नागरिक का वाम्बिध धार्मिक स्वतन्त्रता मिल सकता है। एक राज्य तभी असांख्यिक कहलाता है जब कि वहाँ धर्म की शासन की परिधि से दूर रहे; और किसी एक धर्म के प्रति सहानुभूति और दूसरे के प्रति शत्रुता प्रकट न करे। जिस सीमा तक नौकरों मिलने में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि कौन व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखता है उसी सीमा तक किसी राज्य में असांख्यिकता का तत्व मिल सकते हैं। धार्मिक सहिष्णुता भारतीयों का पुराना प्राचान परम्परा है और नये सविधान ने इस परम्परा को ग्रहण किया है।

(४) संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार— व्यक्ति को धार्मिक स्वतन्त्रता देने में ही हमारा सविधान एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसमें अल्पसंख्यकों के

हितों का संरक्षण है। भारतीय जनता की एकता को स्वीकार करने और उसे प्रोत्साहन देने का साथ संविधान ने उमकी भिन्न भिन्न आवश्यकताओं का भी मान लिया है। समाज के प्रत्येक अंग का सम्यक् उचित करना इसका परम लक्ष्य है। इसी लिये इसका द्वारा अल्पसंख्यकों को अपन धर्म, सङ्घात, भाषा और विधि के सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। राज्य के लिए इस बात का निषेध कर दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा किसी समूह या सम्प्रदाय पर किसी विशेष सङ्घति या भाषा को आरोपित करे। अल्पसंख्यकों का पूर्ण अधिकार है कि वे अपनी सङ्घति और भाषा की सुरक्षा के लिये अथवा उनका प्रसार करने के लिए संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करें। शिक्षा-संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के अतिरिक्त इस आधार पर अनुदान न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किम अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवचन में है। प्रत्येक सम्प्रदाय के मूलक राज्य की पाठशालाओं में प्रवेश पा सकते हैं। हमारे संविधान में एक प्रकार की सङ्घति पाई जाती है न कि कोरी एकरूपता।

सम्पत्ति का अधिकार— कभी कभी सरकार को लाभदायक सार्वजनिक हितों के लिये सम्पत्ति का अर्जन (acquire) करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरणार्थ पाठशाला, राजदुर्ग, सेनास्थान, सड़कें, पार्क आदि बनाने के लिये। इसी वजह से प्रत्येक संविधान द्वारा राज्य को सम्पत्ति अर्जन का अधिकार दे दिया जाता है चाहे उस सम्पत्ति का स्वामी हीन हुआ ही क्यों न करे। हमारे संविधान में भा राज्य के इस अधिकार को स्वीकार किया गया है किन्तु इसमें ऊपर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इसमें यह उल्लेख है कि कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा। इस बारे में दूसरी शर्त यह है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये कोई सम्पत्ति कब्जाकृत या अर्जन तब तक नहीं की जायगी जब तक कि उसका लिये निर्धारित प्रतिकर (compensation) न दे दिया जाय। दूसरे शब्दों में यह संविधान सम्पत्ति के स्वामित्वहर्षण (expropriation of property) का निषेध करता है। आवश्यक अर्जन के विषय में यदि किसी राज्य का विधानमंडल कोई अधिनियम बनाये तो उस लागू करने के लिये राष्ट्रपात की अंतिम स्वीकृति लेना आवश्यक है।

संविधानिक उपचारों के अधिकार— नागरिकों के उपरोक्त अधिकारों— समता, वैयक्तिक स्वातन्त्र्य आदि— के प्रवर्तित (enforce) करने के लिये इस संविधान ने ३२वें अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को कुछ अधिकार प्रदान किये हैं। चूंकि संविधानिक रीति से सरक्षित और प्रवर्तित किये बिना अधिकार अपनी सार्थकता रखा देते हैं इसलिये ३२वें अनुच्छेद को 'सर्वांगीण सावधान का हृदय और आत्मा' कहा जा सकता है। नागरिकों के मूलाधिकारों के रक्षार्थ उच्चतम न्यायालय को कई प्रकार के

'लेख' (writs) जारी करने का हक है। सविधान म इन लेखों का समावेश व्यक्ति की स्वतन्त्रता म सबसे मुद्द रहता-कमच है। सविधान का सशोधन किये बिना इन लेखों को परिवर्तित या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता।

प्राप्तकाल के अतिरिक्त किसी दशा में भी सविधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता। इन अधिकारों के स्थगित करने की निर्धारित सीमाएँ हैं। सक्टकाल के दूर हटते ही तुरन्त मूल अधिकारों को लागू कर दिया जाता है। स्थगन करने की रीति और शक्तियों का विस्तारपूर्वक अवचेदन करने की हमें आवश्यकता नहीं।

राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

(Directive Principles of State policy)

सविधान के चौथे भाग में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। "ग्राइरिश प्री स्टेट" ही ऐसा देश है जहाँ न सविधान म इसी प्रकार का अध्याय है। यह समझ लेना आवश्यक है कि निर्देशक तत्वों का क्या अर्थ है और उनकी क्या सार्थकता है। निर्देशक तत्व सविधान-सभा की ओर से किसी भी दल द्वारा बनाई हुई सरकार के लिए आदेशों के समान हैं। सविधान ने विधान मण्डल और कार्य-पालिका का शान्ति, व्यवस्था और सुशासन स्थापित करने के लिये कुछ शक्तियाँ दी हैं; साथ ही इन शक्तियों का उचित उपयोग करने के लिये आदेशों का भी देना आवश्यक था। इन निर्देशक तत्वों का उन आदेशपत्रों (instrument of instructions) से मुनाबला किया जा सकता है जो कि ब्रिटिश राज्यकाल म मन्त्रिमंडल या ब्रिटिश ससद द्वारा गवर्नर और गवर्नर-जनरल को कार्य-संचालन के बारे में भेजे जाते थे। परन्तु इनका पूर्णतया पालन न करने के कारण कार्य-पालिका अथवा विधान मण्डल को न्याय-पालिका के समान उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। ये मूल अधिकारों से इस दृष्टि से भिन्न अवश्य हैं परन्तु यह कहना अनुचित न होगा कि वे एक प्रकार से मूल अधिकारों के पारपूरक ही हैं। उनके वैध न होने का यह अर्थ नहीं कि वे कभी पवित्र अभिलाषा मान ही हैं अपितु वे राज्य का सदैव इस विषय का ध्यान दिलाने के लिये रखे गये हैं कि नीति निर्धारित करते समय अथवा उन नातियों का कार्यान्वित करते समय उसे इन उन्मादों का पालन करने के लिये सर्वदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। विधान मण्डल और कार्य-पालिका इन आदेशों का मुला नहीं सकते हैं कि मतदाताओं के सामने उन्हें इसके लिये जवाब देना पड़ेगा। इस दृष्टि से निर्देशक तत्व बड़े हा शिक्ताप्रद हैं। उनका वास्तविक मूल्य ता तभी आँका जा सकता जब कि हमारा राष्ट्र कठिनाइयों का पार कर लेगा और जब कि इसका कर्णधार नैतिक आदेशों का आर उन्मुख होगा।

जैसा कि पहिले भी कई बार सज्जत किया जा चुका है सविधान में भारत को लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। इसका अनुसार जनता को पूर्णतया प्रभुता-सम्पन्न (Sovereign) समझा गया है और उसको उन अधिकारों और शक्तियों का स्रोत माना गया है जो सरकार द्वारा बरती जाती हैं।

लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने, और स्वयं किसी पद के लिये चुने जाने के अधिकार प्राप्त हो गये हैं। परन्तु राजनैतिक प्रजातन्त्र तब तक लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक उसका साथ सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र का भी मेल न हो। प्रजातन्त्र को सारगर्भित और प्रभावशाली बनाने के लिये ३०वें अनुच्छेद में ऐसा लिखा है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न करेगा जो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय पर अवलम्बित होगी और जनता की प्रत्येक प्रकार की उन्नति के लिये प्रयत्नशील होगी तथा लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगी। दूसरे शब्दों में, यह अनुच्छेद सरकार से यह आशा करता है कि यह देश में सामाजिक और आर्थिक प्रजातन्त्र का प्रस्थापित करे।

सविधान में और भी कई निर्देशक हैं जिनमें से मुख्य मुख्य ये हैं— राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन करे कि मुनिश्चित रूप से (१) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिक, जीविक प्राप्त के साधन प्राप्त कर सकें, (२) राष्ट्रीय सम्पत्ति का इस ढङ्ग से वितरण किया जाय जिससे अधिकाधिक लोगों का भला हो सके, (३) समान परिश्रम के लिये समान वेतन हो, (४) बालकों और प्रौढ भ्रमिकों को सरक्षण प्राप्त हो, (५) चौदह वर्ष की अवस्था तक के बालकों को निशुल्क शिक्षा दी जाय, (६) बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अगहानि की दशाओं में नागरिकों को सर्वजनिक सहायता मिले (७) ग्राह्य पुष्टि और जीवन स्तर को ऊँचा करने का प्रयत्न किया जाय। इनके अतिरिक्त राज्य को कुछ और भी बातें करनी हैं जैसे आम-पचायतों का संगठन, मद्य निषेध कृषि और पशुशाला का संगठन, लाभदायक पशुओं विशेषतया दूध देने वाले पशुओं की हत्या का निषेध, कार्य-पालिका से न्याय-पालिका का पृथक्करण, भ्रमिकों के लिये निर्वाह मजूरी, प्रयत्न सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति, इत्यादि इत्यादि।

उपरोक्त बातों से यह समझना कठिन नहीं है कि राज्य नीति के निर्देशक तत्त्व मूल अधिकारों के किस प्रकार परिपूरक हैं।

संघ का शासन

परिचयात्मक— जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है भारत एक 'राज्यों का संघ' है और इसमें सघात्मक प्रणाली को प्रथम मिला है। अन्य सघात्मक राज्यों की भाँति हमारे देश का भी एक लिखित सविधान है, जिसके द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरित कर दी गयी है। केन्द्र तथा राज्य दोनों की ही सरकारें अपने-अपने अधिकार-क्षेत्र में असाध्य रूप से कार्य करेंगी। संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों का आपसी झगड़ा निवृत्त करने के लिये एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। जिन बातों में भारतीय संघ अन्य संघ-शासनो से मेल नहीं खाता उनका भी उल्लेख किया जा चुका है। पुनः स्मरण के लिये अमरीकी दुःखी प्रणाली ने विपरीत यहाँ सम्यक् नागरिकता का मिद्वान्त माना गया है; राज्यों के लिये पृथक् नागरिकता नहीं स्वीकार की गई है; राज्यों को अपना सविधान बनाने का अधिकार नहीं है और सविधान-सभा द्वारा बनाया गया सविधान सभी राज्यों में लागू होगा। हमारे सविधान की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि परिस्थिति के अनुरूप यह सघात्मक या एकात्मक दोनों ही प्रणालियों से, जैसी भी आवश्यकता हो, चनाया जा सकता है। साधर-रूपतया यह संघ-प्रणाली से कार्य करेगा परन्तु सङ्कट-काल में यह एकात्मक आकृति धारण कर सकता है। यह इसके अत्यधिक आनम्य (Flexible) होने का एक बड़ा प्रमाण है।

इस अध्याय में हम संघ-शासन के गठन, शक्तियों और कृत्यों का विवेचन करेंगे, तत्पश्चात् अगले अध्याय में राज्य-शासन की रचना पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय शासन प्रणाली— ब्रिटिश पद्धति और १९३५ के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट द्वारा आयोजित प्रांतीय शासन-प्रणाली के अनुरूप हमारे नये सविधान में भी केन्द्र और राज्यों में संसदीय शासन (Parliamentary government) को प्रथम मिला है। संसदीय और प्रधानीय शासन (Presidential government) में क्या अन्तर है, इसे दृष्टता समझ लेना चाहिए। इस अन्तर का मूलाधार यह तथ्य है कि संसद्-शासन के प्रमुख का स्थान जबल सविधानिक (Constitutional) होता है जब कि प्रधानीय शासन में उसका वास्तविक अधिशासी प्राधिकार (Executive Authority) प्राप्त होते हैं। यह बात श्री 'मैरी' क शब्दों में बड़े ही सुन्दर ढंग से अभिव्यक्त हुई है :— 'ब्रिटेन के सम्राट् राज्य करते हैं प्रशासन नहीं; जब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति प्रशासन करते हैं पर राज्य नहीं।'^१

* While the King of England reigns but does not govern, the President of the United States governs but does not reign.

संसदीय शासन की दूसरी प्रमुख विशेषता कार्यपालिका और विधान-मण्डल के बीच गहरा सम्बन्ध है। कार्यपालिका तभी तक पदासीन रह सकती है जब तक कि उसे विधान मण्डल का विश्रुम्भ (Confidenee) प्राप्त हो, मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य विधान-मण्डल में बैठकर विधान-सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के विधेयकों को प्रतिपादित करते हैं और प्रशासन सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रधानाय शासन शक्ति-पृथक्करण (Separation of powers) के सिद्धान्त पर आधारित है। इसमें कार्यपालिका विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और उसके सदस्य निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं। इसी प्रकार विधान-मण्डल भी कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होता है, इसका द्वारा विसर्जित नहीं किया जा सकता।

केन्द्रीय शासन के अङ्ग— अन्य सम्य देशों के भाँति हमारे देश में भी केन्द्रीय सरकार के (१) कार्यपालिका, (२) विधान-मण्डल, (३) न्यायपालिका नामक तीन प्रधान अङ्ग हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मन्त्रिपरिषद् के सदस्य हैं, विधान मण्डल में राष्ट्रपति और सदस्य की दोनों सभाएँ सम्मिलित हैं और उच्चतम न्यायालय इसका तीसरा अङ्ग है। अब हम इन तीनों अङ्गों के गठन और शक्तियों पर विचार-विमर्श करेंगे।

राष्ट्रपति— चूँकि भारत एक गणराज्य है इसलिये इसने प्रमुख का राष्ट्रपति कहा गया है, उन्हे राजा नहीं कह सकते थे। जिन विषयों पर ससद् का विधि बनाने का अधिकार है वे सब सभ के प्रशासी अधिकार (Executive authority) के अन्तर्गत आते हैं। सब का यह अधिशासी अधिकार राष्ट्रपति का सौंपा गया है जो कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। नाम की समता होते हुए भी भारत के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत सी भिन्नताएँ हैं। राज्य में उनका स्थान इंग्लैंड के सम्राट् के समान है। उन्हें पाँच वर्ष तक के लिए सविधानिक राजा कहा जा सकता है। डॉ० अम्बेदेकर के शब्दों में 'वह राज्य के प्रमुख व्यवस्था है कार्यपालिका के नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं परन्तु उस पर हुक्म नहीं करते। वह राष्ट्र के प्रतीक हैं। प्रशासन में उनका उन आनुष्ठानिक युक्ति (Ceremonial device) जैसा महत्त्व है जिसकी नाम मुद्रा से राष्ट्रीय निर्णयों का निश्चय होता है। न वह राज्य करते हैं, और न शासन।'।

राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचकमण्डल (Electoral College) द्वारा कराया जायगा जिसमें ससद् के दोनों आगारों के और राज्यों की विधान-सभाओं के

निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए चुनाव के साधे (Direct) तरीके को छोड़ कर अप्रत्यक्ष (Indirect) ढंग का इसलिये अपनाया गया है कि भारत जैसे बृहत् देश में निर्वाचकों की संख्या बहुत बड़ी और अनियमित हो जाती। फ्रांस और अमेरिका में भी राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष ढंग से ही चुनाव होता है। इस प्रणाली को अपनाने का एक और भा कारण है। वह यह कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार नाम मात्र का हैं। अगर वह वास्तविक होते तो सम्भवत उनके निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती। यह निर्वाचन अनुसूची प्रतिनिधित्व पद्धति (Method of Proportional Representation) के अनुसार एक सन्मणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान 'गुप्तमत' द्वारा होगा। प्रत्येक सदस्य को कितने मत देने का अधिकार होगा इसका मालूम करने की सन्तुलित प्रणाली है। इसे विस्तारपूर्वक समझने की आवश्यकता नहीं। राष्ट्रपति का चुनाव पाँच वर्ष की अवधि के लिए किया जायगा और वह पुनर्निर्वाचन का अधिकारी होगा। अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भी वह त्यागपत्र दे सकता है। महाभियोग (Impeachment) द्वारा राष्ट्रपति को उसका पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति को बिना किराये पदावास और १०,००० रुपया प्रतिमास उपलब्धि के रूप में प्रदान किया जायगा। राष्ट्रपति की उपचारियाँ और भत्ते उनका पद का अधिकार में घटाये नहीं जायेंगे।

काई भी व्यक्ति जो (१) भारत का नागरिक हो, (२) पैंतास वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और (३) लोकसभा (House of the people) के लिए निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, राष्ट्रपति का पद के लिए सहा हो सकता है। इस पद के लिए इतनी थोड़ी योग्यताएँ जान धूम्र कर रही हैं, ताकि धर्म, वंश, जन्म, रंग, सम्पत्ति आदि के भेद-भाव के बिना किसी भी व्याक्त को इस पद तक पहुँचने का अवसर प्राप्त हो। यह रीति प्रजातन्त्र का आदर्शों पर आश्रित है। इसका यह मतलब नहीं कि इस उच्च पद के प्रदूषण करने वाले का मस्तिष्क अथवा हृदय के गुणों को काई प्राणशक्ति नहीं है। राष्ट्रपति को सुयोग्य, विद्वान, तेजसवी और प्रभावशाली होना चाहिये। मननता के लिए उसे बड़ी भारी समझ और कर्तव्यपटुता की आवश्यकता है। जबल वह व्यक्ति ही निर्वाचित होने की आशा रख सकता है जिसे देश के राजनैतिक जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया हो। हमारे प्रथम राष्ट्रपति देश के गिने चुने रत्नों में से एक हैं और वे अपनी विमोघ योग्यता, कर्तव्य-कुशलता, प्रशासन-शक्ति, ईमानदारी और सन्चारप्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। काई व्यक्ति ना भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय अधिकारी के अधीन काई लाभ का पद ग्रहण किये हुए हो राष्ट्रपति होने का पात्र न होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल (Governor), राजप्रमुख और मंत्रियों के पद की गिनती लाभ-पदों में नहीं की जाती। राष्ट्रपति सख्त अथवा राज्य के विधान-

मण्डल के किसी भी सदन (Chamber) का सदस्य नहीं हो सकता और अपनी पदावधि में कोई दूसरा पद स्वीकार नहीं कर सकता।

भारत गणराज्य का राष्ट्रपति का एक बहुत शान और सम्मान का पद है। उन्हें बहुत से विशेषाधिकार और कुछ सुविधायें प्राप्त हैं। ब्रिटिश सम्राट् और अमेरिकी राष्ट्रपति की भाँति उनका ऊपर भी न्यायालयों का कोई बार नहीं। अपने पद से सम्बन्धित अधिकार और कर्तव्यों के लिए उन्हें न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। परन्तु सचिवालय का अतिक्रमण करने के लिए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति की भाँति प्राभियोचिन् (Impeach) किया जा सकता है। यह महाभियोग सदन के दोनो भागों से किसी भी सदन (House) में प्रारम्भ किया जा सकता है। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव कुछ सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से स्वीकृत हो जाता है तो दूसरा सदन उस दावारोपण का अनुसंधान करेगा या करायगा। यदि अनुसंधान के फलस्वरूप दूसरा सदन भी कम से कम दो तिहाई मत से उपरोक्त संकल्प को पारित (Pass) कर देगा तो राष्ट्रपति पद से हटा दिये जायेंगे।

राष्ट्रपति का शक्तिधर्म— भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति की शक्तियों को चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है— कार्यपालिका सम्बन्धी, विधान सम्बन्धी, वित्त सम्बन्धी और आपत्कालीन।

कार्यपालिका शक्तियाँ— सभ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसमें अतिरिक्त उनका हाथ में सभ के रक्षा बलों (Defence forces) का सर्वोच्च समादेश होगा। वे दरबान, दामा आदि अधिकारों का भी उपयोग कर सकते हैं। वे ससद द्वारा स्वीकृत अधिनियमों को अपनी स्वाकृत दस्त हैं और उनका लागू करते हैं। मुख्य मुख्य पद, जैसे राज्यपाल (Governor), राजनयिक (Diplomat), उच्च तथा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश, सध-लोकसेवा विभाग के अध्यक्ष और सदस्य, महान्यायवादी (Attorney-General) और महालेखा परीक्षक (Auditor General) आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उन्हीं के द्वारा निर्वाचन आयोग (Election Commission), राज्यायोग और परिमणित क्षेत्रों के प्रशासन के विकास के सम्बन्ध में रिपोर्ट देने वाले आयोग की नियुक्ति होगी। शासन प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने के लिये वे नियम बना सकते हैं और मंत्रियों में शासन-सम्बन्धी कार्य विभाजन कर सकते हैं।

परन्तु प्रजातन्त्रात्मक राज्य के प्रमुख होने के नाते वे एक सविधानीय प्रमुख ही हैं और उनका शक्तिधर्म नाम मात्र का है। इन सब विषयों में वे मन्त्रि

परिषद् के परामर्श से कार्य करेंगे न कि स्वेच्छा से। ७४वें अनुच्छेद में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को ग्रहण करने के लिए एक मन्त्रि-परिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधान मंत्री होगा। तथापि यह सविधान हम नियम में मौन है कि क्या राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् की मंत्रणा मानने के लिए सदैव बाध्य होंगे अथवा कभी-कभी वे उनके परामर्श को दुर्कर कर स्वविवेक से भी कार्य कर सकते हैं। हमारा अनुमान है कि देश के दिन प्रति-दिन के प्रशासन में वे हस्तक्षेप न करेंगे और साधारणतया मन्त्रियों के परामर्श से कार्य करते रहेंगे। सविधान के अनुसार मन्त्रि-परिषद् लोकसभा व प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इससे स्पष्ट लक्षित है कि प्रशासन मन्त्रि-परिषद् द्वारा ही संचालित होगा। कदाचित् बिना मन्त्रि-परिषद् का परामर्श लिये राष्ट्रपति ससद की सभाओं में अपना अभिप्राय तक भा न मंगेंगे। इस पर सन्देह किया जा सकता है कि सकट-काल में भी यह मन्त्रि-परिषद् की मनशा मानेंगे अथवा नहीं। यह मानना असंगत न होगा कि कम से कम सकट काल में तो राष्ट्रपति का एक हृद तक स्वेच्छा से काम करने का अधिकार होगा ही।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर भी महा अभिशपण लगाया जा सकता है, और सविधान का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था को प्रभय देना है जिसमें सभी अधिकार जनता की इच्छानुसृत उपयुक्त किये जायें, हम यह कह सकते हैं कि यह राष्ट्रपति जो कि सविधान के शब्द और अर्थ पर ध्यान देंगे साधारणतया मन्त्रि-परिषद् की मनशा से काम करेंगे और उनकी अवहेलना नहीं करेंगे।

सविधान के अनुसार राष्ट्रपति के कुछ विधान-सम्बन्धी ऐसे अधिकार हैं जिन्हें उनकी कार्य-पालिका-शक्ति में ही सम्मिलित किया जा सकता है। सविधान का ८५वाँ अनुच्छेद उन्हें ससद के एक अथवा दोनों सदनों (Houses) का बुलाने, नियत समय और नियत स्थान पर उनकी बैठक कराने, उनका समावसान (Prorogue) करने और लाकमभा के भंग करने के अधिकार प्रदान करता है। अगले अनुच्छेद में उनको सदनों को सम्वाहन करने और उनका समस्त प्रमुख विवेचकों के बारे में सदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक अधिवेशन (Session) के आरम्भ में दोनों सदनों के सामने वक्तव्य देना भी उनका कर्तव्य है। जैसा कि आगे चलकर बताया जायेगा उनका एक और महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि सत्र-सरकार व आगामी वर्ष के आष और वष का अनुमानित चिट्ठा तैयार कर के ससद के समक्ष उपस्थित करें। राष्ट्रपति की भित्तिश न बिना कर अथवा धन सम्बन्धी कोई प्रस्ताव ससद के सामने नहीं आ सकता। ये सभा शक्तिपूर्ण दिन प्रतिदिन के काम में आने वाली हैं और इसके लिए मन्त्रि-परिषद् की मनशा बाध्यनीय है।

विधायनी शक्तियाँ— संविधान के अनुसार राष्ट्रपति संसद् का एक अभिन्न अंग है। संसद् के पारित सभी विधेयकों पर उनकी अन्तिम स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इस स्वीकृति का वे दे भी सकते हैं और देने से इन्कार भी कर सकते हैं। यह किसी भी विधेयक (बशर्ते कि वह आर्थिक विधेयक नहीं है) का संसद् के पुनर्विचार के लिए अथवा संशोधन के लिए तत्सम्बन्धा संदेश के साथ लौटा सकते हैं। तदनुसार सदनों को उस विधेयक पर पुनर्विचार करना पड़ेगा और यदि वह विधेयक इस बार किसी संशोधन के साथ या यथापूर्व ही स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार नहीं करेंगे। यह पहले ही सकेत किया जा चुका है कि बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के न कोई धन दिया जा सकता है और न कोई आर्थिक विधेयक पेश किया जा सकता है।

संसद् की बैठकों के बीच-बीच में राष्ट्रपति को, यदि वे तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यक समझें, अध्यादेश प्रचालित करने का अधिकार है। परंतु संसद् की बैठक होते ही ऐसा प्रत्येक अध्यादेश दोनों सदनों के समक्ष रख दिया जायगा और अधिवेशन के प्रारम्भ होने के ६ सप्ताह बाद उनका प्रभाव क्षीण हो जायगा, यदि इससे पहले ही वह वापस नहीं ले लिया जाता। यह शक्ति गवर्नर जनरल की उस शक्ति के तद्रूप है जो उन्हें १९३५ के ऐक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी।

तथ्य या विधि से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय की मन्त्रणा प्राप्त करने का भी अधिकार है।

वित्त सम्बन्धी शक्तियाँ— राष्ट्रपति की ओर से आगामी वर्ष की आय और व्यय का एक अनुमान-पत्र बनाकर संसद् के सामने रखा जाता है। अनुदान (Grants) की कोई मांग और कर लगाने का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखे जा सकते।

आय कर की आमदनी में से कितना हिस्सा सघ को और कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाय— यह निर्णय राष्ट्रपति ही करत हैं। आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों का जून के निर्यात शुल्क के स्थान पर वे सहायक धन (Grants-in aid) दिये जायेंगे या राष्ट्रपति स्वीकार करें। उन्हें एक वित्तयोग (Finance Commission) बनाने का भी अधिकार प्राप्त है।

आपत्-शक्तियाँ— उपरोक्त शक्तियाँ से वहीं अधिक महत्वपूर्ण और सारगर्भित आपत् शक्तियाँ हैं जो संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं। इन शक्तियों के द्वारा राष्ट्रपति संविधान की आकृति और प्रकार को परिवर्तित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति का यह विश्वास हो जाय कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या

आन्तरिक अशान्ति (Internal disturbance) के द्वारा ऐसा सङ्घ उत्पन्न हो गया है जिसे भारत या उसके राज्यक्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा सङ्घ में है तो वे आपत्काल होने की उद्घोषणा कर सकते हैं। इस प्रकार की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और आन्तरिक अशान्ति की संभावना होने पर भी की जा सकती है। जब तक सङ्घकालीन उद्घोषणा जारी है उस समय तक निम्नांकित विषयों पर भी सघ-सरकार, यदि उचित समझे, अपना अधिकार विस्तार कर सकती है :—

(१) राज्य-सूची के विषयों के बारे में कानून बनाना।

(२) राज्य-सरकारों को आदेश देना कि वे अपनी कार्यपालिका-शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करें।

(३) किसी पदाधिकारी को किसी भी प्रकार का अधिकार सौंपना।

(४) सविधान के विहित-सम्बन्धी उपग्रन्थों का स्थान कर देना।

(५) सङ्घकाल में सविधान द्वारा निर्धारित नागरिकों के मूलाधिकार भी स्थगित किये जा सकते हैं, घटका सम्मेलन और समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता पर पाबन्दियाँ लगाई जा सकती हैं और उनके सावधानिक उपचारों के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। सङ्घ में, आपत् की उद्घोषणा होते ही सघात्मक शासन एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जायगा। किसी भी सघात्मक सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलती। यद्यपि सविधान में इस विषय का उल्लेख नहीं है कि राष्ट्रपति आपत्-उद्घोषणा मंत्रियों के परामर्श से करेंगे या स्वेच्छा से, तथापि यह कहा जा सकता है कि साधारण परिस्थितियों की अपेक्षा ऐसे सङ्घ में उन्हें अपने विवेक से काम लेने का अधिक अवसर है। यह सब कुछ हाते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि आपत्काल में राष्ट्रपति ऐसे स्वेच्छाचारी हो जायेंगे कि वह मनमानी कार्यवाही करेंगे। इन विषयों में उनके ऊपर ससद् का कुछ न कुछ नियंत्रण रहेगा। आपत्-सम्बन्धी उद्घोषणा ससद् के दोनों सदनो के समझ प्रसूत की जायेगी और जब तक ससद् इसे न बढ़ाये इसकी श्रवधि दो महीने से अधिक न होगी। ससद् की सहमति से एक बार में सङ्घ-कालीन उद्घोषणा की श्रवधि केवल छ मास तक बढ़ाई जा सकती है और किसी भी दशा में यह तीन वर्ष से अधिक न होगी।

दो अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपत् की उद्घोषणा कर सकते हैं। यदि उन्हें यह विश्वास हो जाय कि सविधान के उपग्रन्थों के अनुसार राज्यों में शासन का कार्य नहीं चल सकता तो वे इस विषय की उद्घोषणा कर सकते हैं। ऐसी दशा में राज्यपाल (गवर्नर) और राजपञ्चों के सभी अधिकार राष्ट्रपति के हाथों में आ जायेंगे और ससद् को राज्यों से सम्बन्धित सभी विधियों को बनाने का अधिकार मिल जायेगा। किन्तु किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति स्वयं या उनके अभिर्त्ता (Agent) उच्च

न्यायालय के अधिकार का अपहरण नहीं कर सकते। दूसरे, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत ग्रथना उस राज्य-क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व (Financial Stability) या प्रत्यर (Credit) सफट मे है ता वे वित्तीय आभत् का उद्घापणा कर सकते हैं और सष तथा राज्यों के सेवकों के वेतन और भत्ते घटा सकते हैं। आभत् की अवधि और तत्सम्बन्धी प्रक्रिया इन दो अवसरों पर भा उर्सी समान हागा जैसे कि हम पहले ही दर्शन कर आए हैं।

उपराष्ट्रपति— भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे जो कि पदेन राज्य परिपद् के सभापति होंगे। यह किसी लाभ के पद पर नियुक्त न होंगे। राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता के अवसर पर वे राष्ट्रपति के पद के कृत्यों का पालन करेंगे। ये अवसर कई प्रकार से आ सकते हैं जैसे अनुपस्थिति, बीमारी, पदत्याग करने या पदच्युत होने की अवस्था में। ऐसे अवसरों पर उपराष्ट्रपति को वे ही सभी शक्तियाँ और सुत्र सुविधाएँ प्राप्त हामी जो कि राष्ट्रपति को, और वे इस अवकाश में राज्य परिपद् का सभापतित्व नहीं करेंगे। सयुक्त आववेशान मे एकत्रित ससद् के दोनों सदनों के सदस्य, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकत्र सक्रमणीय मत द्वारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे और ऐसे निर्वाचन मे मतदान गूढशलाका द्वारा होगा। उपराष्ट्रपति के पद की लगभग वही योग्यतायें हैं जो कि राष्ट्रपति के पद की। अन्तर केवल इतना है कि इस हालत मे उम्मेदवार को राज्य-परिपद् के सदस्य हाने की आवश्यकता है।

यदि रखना चाहिए कि केवल राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्तता के अवसर पर ही उपराष्ट्रपति उस पद के कृत्यों का निर्वहन करते हैं। यदि राष्ट्रपति पदत्याग कर दें अथवा उनकी मृत्यु हो जाय तो अवशिष्ट अवधि व लिए उपराष्ट्रपति स्वतः ही राष्ट्रपति नहीं बन जाते। ऐसी दशाओं में पदरिक्त हाने के लुः माह क भीतर ही दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है।

मन्त्रि-परिपद्— हम ऊपर यह उल्लेख कर आये हैं कि यद्यपि सविधान के अनुसार सष की कार्य-पालिका का अधिकार राष्ट्रपति में निहित है परन्तु 'इसल पद्' 'समन्व जाना चाहिए कि वे वास्तव में प्रशासन करते हैं। यद्यपि अपने महान् अधिकार और सम्मान के कारण वे नाम मात्र के प्रमुख नहीं हैं फिर भी उन्हें गण-राज्य के सविधानीय प्रमुख से अधिक कुछ भी नहीं कहा जाना चाहिए। वास्तविक प्रशासन का अधिकार तो मन्त्रि-परिपद् और उसके प्रमुख होने के नाते प्रधान मंत्री में ही निहित है। भारत की मन्त्रि-परिपद् की समता ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल (Cabinet) से की जा सकती है। दोनों का निर्माण, दाना का प्रशासन पर

नियंत्रण करने के दम प्राय मिलते जुलते हैं। सब प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता है— इसकी कीर्ति या अपकीर्ति मंत्रिपरिषद् का हा ही जायेगा न कि राष्ट्रपति का। बनना अपने दुःख और कठिनाइयों के लिए मंत्रिषा का हा बुरा भना कहेगा और सुख, समृद्धि का अवस्था म उन्हीं के गुणगा न करेगा न कि राष्ट्रपति के।

दिन प्रतिदिन के राज्य प्रशासन में मन्त्रिपरिषद् की दृष्टानुसार ही काम होगा। मन्त्रिपरिषद् के मुख्य मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित हैं :—

(१) प्रशासन का काम कई विभागों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक मंत्री न अधीन एक या अधिक विभागों का देख रेख रख दा जाता है। भारत सरकार न विभागों का वर्णन आगे किया जायेगा।

(२) यह विभिन्न विभाग का कार्यवाह्य का समन्वय करती और सरकार की विधान-सम्बन्धी याजनायें बनाती है।

(३) यह राज्य का नीति निर्धारित करती है और अपने निणयों को ससद् की स्वीकृति के लिए रखती है।

(४) जो विधेयक मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं और जिनके पारित करने में वे अभिगच्छ लेते हैं वे प्रासानी से देश का कानून बन जाते हैं, जब कि साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक के पारित होने का उतनी सम्भानना नहीं हाती।

(५) मन्त्रिपरिषद् देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नियन्त्रित करती है। वार्षिक आव-व्ययक (बजट) बनाने का वास्तव में इसकी जिम्मेदारी है। कर लगाने या व्यय करने का कोई प्रस्ताव ससद् म नहीं रखा जा सकता यदि मन्त्रिमंडल उसके विरुद्ध है।

(६) यह देश का पर-राष्ट्र-नानि भा निर्धारित और नियन्त्रित करता है। इसलिए यह कहना अनुचित न होगा कि मन्त्रिपरिषद् राज्य के जलपान की कर्णधार है अथवा शासन-व्यव की नियन्त्रक शक्ति है। चाहे सविधान ने इसे एक मनणा-मन्डली के रूप में ही बना न माना हा, हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि मन्त्रिपरिषद् का महान् शक्तिर्ण है और उसका बड़ा भारा जिम्मेदारियाँ हैं।

मन्त्रिपरिषद् के मंत्रिषा की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सिफारिश से करते हैं जो कि मन्त्रिपरिषद् के प्रधान हैं। आम चुनावों के पश्चात् राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति का प्रधान मंत्री का पद महण करन के लिए चुनाते हैं जिसके पीछे लोकसभा का प्रभावशाली बहुमत हो। प्रधान मंत्री अपने साथियों की नामावली अपनी ही पार्टी से या सहनिचन (Coalition) की अस्था न सहयोग करने वाले दलों के सदस्यों में

से तैयार करने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रगते हैं। साधारणतया राष्ट्रपति प्रधान मंत्री द्वारा बनाई गई सूची (List) का यथावत् स्वीकार कर लेते हैं। किन्तु ब्रिटिश परम्परा के समान यह किसी मंत्री की नियुक्ति पर आपत्ति प्रकट कर सकते हैं, अथवा किसी नए व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिये सिपारिश कर सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति के मुझाव काफी महत्व रखते हैं और प्रधान मंत्री को इन पर ध्यान देना पड़ता है परन्तु ये मुझाव प्रधान मंत्री पर बाध्य नहीं होते।

सचिवालय में एक प्रतिबन्ध के अतिरिक्त परिषद् के मंत्रियों के लिए किसी प्रकार की योग्यता का निर्देश नहीं किया गया। केवल इतना ही उल्लेख है कि यदि मात्रमंडल का कोई सदस्य छु' महाने तक समुद्र का सदस्य नहीं बन जाता तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। इसका यह अर्थिप्राय हुआ कि प्रधान मंत्री समुद्र के बाहर से भी अपने सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है परन्तु ऐसा मंत्री छु' महाने में अधिक पदासीन नहीं रह सकता जब तक कि उसे समुद्र में सीट नहीं मिल जाती। हाल ही में हमारे प्रधान मंत्री (पंडित जवाहरलाल नेहरू) ने श्री देशमुख की अर्थमन्त्री के पद पर नियुक्ति की सिपारिश की, यद्यपि वे समुद्र के सदस्य न थे। वे छु' माम के भीतर भीतर समुद्र के सदस्य चुन लिए जायेंगे। प्रजातन्त्रात्मक शासन वाले देशों की प्रायः यह परम्परा है कि मन्त्रिपरिषद् के लिए समुद्र में से ही प्रधान मंत्री अपने दल के सर्वश्रेष्ठ कर्मकुशल वक्ताओं को छुँट लेता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मन्त्रिपरिषद् पर चुने जाने की चेष्टा करने से पहिले किसी व्यक्ति को अपने नेतृत्व के गुण, कार्यपद्धति, सन्चार, बृहत् ज्ञान, मानव-समाज और व्यावहारिक प्रक्रियाओं का अनुभव और इन सबके ऊपर एक विश्वस्त और मुहठ चरित्र का परिचय देना पड़ेगा।

सचिवालय में यह निर्देश है कि मंत्रियों की पदावधि राष्ट्रपति पर निर्भर है और ये लोग अपने कृत्यों के लिए सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। पहली बात ब्रिटिश सचिवालय के उस सिद्धान्त के अनुसार है जिसके मुताबिक सम्राट् किसी भी समय मन्त्रि-मंडल का भंग कर सकते हैं। परन्तु केवल अपनी वैयक्तिक इच्छा को प्रदर्शित करने के लिए सम्राट् किसी मंत्री या पूरे मन्त्रिमंडल को पदच्युत नहीं करते। केवल लोकसभा में अविश्वास (non confidence) होने पर या जनता में अशांति होने पर ही कोई मन्त्रिमंडल पदत्याग करता है। इसलिये वास्तव में भारतीय मन्त्रिपरिषद् की पदावधि का निर्णय लोकसभा की इच्छाशक्ति पर और अन्त में निर्वाचकों की मर्जी पर आश्रित होगा। परन्तु यह स्मरण रखने योग्य है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को प्रशासन में गड़बड़ी करने पर भी पद से अलग कर सकते हैं। इस प्रकार दो रीतियों से मंत्री लोग अपने कार्यभार से मुक्त किये जा सकते हैं—

(१) लोकसभा में अविश्वास न मिलने पर, अथवा (२) प्रशासन-कार्य में कुशल न

होने के कारण। मंत्रियों का वेतन और भत्ते इत्यादि समय समय पर संसद् द्वारा निश्चित होंगे।

मंत्रि-मंडल सामूहिक रूप में संसद् के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि सरकार के प्रत्येक विधान-सम्बन्धी और शासन-सम्बन्धी कार्य के लिये, चाहे वह किसी मंत्री द्वारा किया गया है, मंत्रि-मंडल के सभी सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। 'वे मंत्र लागू साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं।' एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये हुए विधेयक पर कोई दूसरा मंत्री न आलोचना कर सकता है और न उसके विपरीत मत दे सकता है, चाहे वह स्वतः उससे असहमत ही क्यों न हो। सामूहिक उत्तरदायित्व का दूसरा अभिप्राय यह है कि सरकार के किसी विशेष प्रस्ताव के अस्वीकार होते ही सभी मंत्रियों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। केवल उन परिस्थितियों में जब कि कोई मंत्री अपने साथियों के परामर्श से कार्य नहीं करता बल्कि स्वयं ही स्वच्छा से सब कुछ कर लेता है उसे अपनी कार्रवाई के लिए अकेला ही उत्तरदायी होना पड़ेगा। ऐसे अवसर बहुत ही कम आते हैं।

मंत्रि-मंडल प्रणाली की एक और महत्त्वपूर्ण विशेषता की ओर यहाँ ध्यान दिलाया जा सकता है— वह है, प्रधान मंत्री का नेतृत्व। यह नेतृत्व कई तरह से प्रदर्शित होता है। पहली बात— राष्ट्रपति प्रधान मंत्री को मंत्रि-मंडल बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रधान मंत्री ही अन्य मंत्रियों की नामावली राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिये भेजता है। इस प्रकार वही मंत्रियों का पद और स्थान निर्धारित करता है। प्रधान मंत्री के त्यागपत्र का अर्थ है— समस्त मंत्रि-मंडल का त्याग। दूसरे मंत्रियों के ऊपर वह साधारण देख रेख भी रखता है। दूसरी बात— वह मंत्रि-मंडल की बैठकों में अध्यक्ष पद ग्रहण करता है और इन बैठकों के लिए कार्यावली (Agenda) बनाता है। उसके मत और विचारों को सदैव प्रधानता दी जाती है। कभी कभी वह यह माँग कर सकता है कि उसके सहयोगी उसकी बात मानें अन्यथा वे त्यागपत्र दे दें। तीसरी बात— वही मंत्रि-परिषद् के निर्णय राष्ट्रपति तक पहुँचाता है और इनको संघ के समस्त प्रशासन और विधान-सम्बन्धी भावी प्रस्तावों से अवगत रखता है। जब कभी राष्ट्रपति को किसी मामले पर मंत्रि-परिषद् से पत्र-व्यवहार करना होता है तो प्रधान मंत्री को ही इसका माध्यम बनाया जाता है। चौथी बात— प्रधान मंत्री से यह आशा की जाती है कि संसद् में वह सभी महत्त्व-शाली प्रश्नों का उत्तर देगा और राज्य-नीति का स्पष्टीकरण करेगा।

सभी मंत्रियों को गोपनीयता-शपथ लेनी पड़ती है। किसी भी व्यक्ति को वे मंत्रि-मंडल की बैठकों की कार्रवाई के बाह्य-विवाद और पारस्परिक मतभेद के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भेद न देंगे।

भारत सरकार के विभाग— भारत ने मन्त्रिमण्डल का कार्य क्रम पोर्टफोलियो पद्धति पर ग्रहित है। इसका अर्थ यह है कि विभिन्न कामों का विभिन्न विभागों में बँट दिया जाता है और प्रत्येक विभाग का देख रेल और उसके प्रशासन का भार मान-मंडल के किसी सदस्य के ऊपर सौंप दिया जाता है। भारत सरकार के निम्न-लिखित बहुत से विभाग हैं —

(१) पर राष्ट्र विभाग, (२) गृह विभाग, (३) राष्ट्र-रक्षा विभाग, (४) वाणिज्य-विभाग, (५) संचार विभाग, (६) वित्त विभाग, (७) परिवहन विभाग, (८) रेलवे-विभाग, (९) शिक्षा विभाग (१०) सवजनिक स्वास्थ्य-विभाग, (११) कृषि विभाग, (१२) वाद्य-विभाग, (१३) उद्योग तथा रसद विभाग, (१४) रियासत विभाग, (१५) विधायक विभाग, (१६) कर्मशाला, खानदान, शक्ति-विभाग, (१७) भ्रम विभाग, (१८) सूचना एवं प्रसारण विभाग, (१९) सहायता और पुनर्वास विभाग।

इनमें से प्रत्येक विभाग किसी न किसी मंत्री के अधीन रख दिया गया है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक विभाग के लिए एक पृथक् मंत्री हो। एक मंत्री कई विभागों की देख रेल कर सकता है। कुछ दिनों तक सरदार पटेल, गृह-विभाग सूचना तथा प्रसारण के विभागों का कार्य-संचालन करते रहे। अब सूचना और प्रसारण विभाग को एक पृथक् मिनिस्टर ऑफ स्टेट की देख रेल में रख दिया गया है। इसी प्रकार कृषि और वाद्य विभागों को एक ही मंत्री के अधीन रख दिया गया है। ऊपर बताये हुए विभागों के प्रशासक सभी मंत्रियों का एक साथ ही पद अथवा सम्मान नहीं है। उनमें बहुत से तो कैबिनेट अर्थात् मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, और कुछ को केवल मिनिस्टर ऑफ स्टेट की उपाधि दी गई है जो कि मन्त्रिमण्डल (Cabinet) के सदस्य नहीं है — उदाहरणार्थ सहायता तथा पुनर्वास और सूचना एवं प्रसारण के मंत्री। मन्त्रिमण्डल में कभी-कभी ऐसे मंत्रियों का भी रख दिया जाता है जिनको किसी विभाग का कार्यभार नहीं सौंपा जाता। भारतीय मन्त्रिमण्डल में श्री गोपालस्वामी आयंगर इस प्रकार के मंत्री रह चुके हैं*। प्रधान मंत्री को यह आवश्यक नहीं कि वह स्वयं किसी एक विभाग का संचालन करें। इंग्लैंड के ऐसे कई उदाहरण हैं अब कि प्रधान मन्त्री केवल माध्यामिक देख रेल का कार्य करते थे। इन विभिन्न विभागों को एक दग से संगठित करने की आवश्यकता है ताकि प्रशासन का कार्य अधिक सुचारु रूप से और कम खर्च के साथ चलने लगे। इस ओर प्रयत्न भी किया जा रहा है। श्री गोपालस्वामी आयंगर ने विभागों के पुनर्संगठन का एक योजना प्रस्तुत की थी। प्रस्तुत योजना पर विचार किया जा रहा है।

समझ— सच की कार्यपालिका के बारे में विवेचन करने के पश्चात् अब हम इसके विधायी अङ्ग का आर ध्यान देने हैं। समझ में राष्ट्रपति

* ग्राचकल श्री आयंगर रेलवे-विभाग के मंत्री हैं।

श्रीर राज्य-परिषद् तथा लोकसभा नाम के दो सदन शामिल हैं। राष्ट्रपति के विधान-सम्बन्धी अधिकारों का वर्णन पहिले ही किया जा चुका है। इस भाग में हम पहिले दोनों सदनों की रचना और शक्तियों का और तत्परचात् विधान सम्बन्धी और निचोय प्रक्रिया (Procedure) का विवेचन करेंगे।

राज्य परिषद्— सन् १९१६ के और सन् १९३५ के मजर्मनेन्ट ऑफ इन्डिया ऐक्ट के पगचिन्हों पर चलते हुए और संघात्मक प्रणाली वाले देशों की परम्परा के अनुसार, हमारे संविधान में भी द्वित्राणारिक (Bicameral) विधान-मण्डल को प्रथम मिला है। ऊपरवाले सदन का नाम राज्य-परिषद् है। जैसे कि नाम से ही प्रकट है राज्य परिषद् में राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि सघ की इकाइयाँ हैं। अमेरिकी 'सेनेट' की भाँति यह भी एक स्थायी (Permanent) सत्या है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, न एन्टम इसके सभी सदस्यों का चुनाव होगा। इसके लगभग एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष के बाद स्थान छोड़ते रहेंगे। संविधान में स्पष्ट-तया इस विषय का उल्लेख नहीं है कि परिषद् के सदस्यों की अधिक से अधिक कितनी श्रवण होगी, किंतु उपरोक्त उपसन्ध से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्र-परिषद् के सदस्य छः वर्ष के लिए चुने जायेंगे। परिषद् की संख्या अधिक से अधिक २५० तक हो सकती है जो कि लोकसभा की निर्धारित संख्या (५००) की आधे है। राज्य-परिषद् के निर्धारित सदस्यों में से ११ सदस्यों का नाम-निर्देशन राष्ट्रपति द्वारा होगा। ये व्यक्ति प्रतिष्ठ साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलाप्रिय और समाज सेवकों में से होंगे। इस सदन के २५० स्थानों को सघ के विभिन्न राज्यों में इस प्रकार बाँटा गया है :— भाग (क)— आन्ध्र प्रदेश ६; बिहार २१, मध्य प्रदेश १७; मध्य प्रदेश १०; मद्रास ७७, उड़ीसा ६, पंजाब ८; उत्तर प्रदेश ३१; पश्चिमी बंगाल १४। भाग (ख)— हैदराबाद ११, जम्मू और काश्मीर ४; मध्यप्रदेश ६; मैसूर ६, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य सघ ३; राजस्थान ६; सौराष्ट्र ४; द्रावणसोर कोचीन ६; विन्ध्यप्रदेश ४। भाग (ग)— प्रबन्धे कुर्ग १; भूगल १; विलासपुर और हिमाचल प्रदेश १; देहली १; कच्छ १; मनीपुर और त्रिपुरा १। कच्छविहार के बंगाल में शामिल होने के कारण उसकी एक मोट बंगाल की सीटों में बढ़ा दी जायगी। (क) भाग में सम्मिलित राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या १४५ + १ = १४६, (ख) भाग के सदस्यों की संख्या २३ और (ग) भाग के सदस्यों की संख्या ७ - १ = ६ है। शेष ३३ स्थानों के लिए अभी निर्णय नहीं किया गया, ये अभी सरक्षित रखे गये हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हमारी राज्य परिषद् में सघ की सघ इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व नहीं मिला। जैसा कि ऊपर के आँकों से चिह्नित होगा, राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुसार कम या अधिक सदस्य भेजने का अधिकार दिया गया है। इस दृष्टि से हमारी परिषद् अमेरिकी सेनेट और अन्य संघात्मक देशों के ऊपरी आंगार से भिन्न है।

राज्य परिषद् के सदस्यों का अप्रत्यक्ष (Indirect) रीति से चुनाव किया जायेगा। प्रथम अनुसूची (Schedule) में (क) और (ख) भागों के राज्यों के प्रतिनिधि उन राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे। यह चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व के आधार पर एरूल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। भाग (ग) में सम्मिलित होने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस प्रणाली के अनुसार होगा जो संसद विधि के द्वारा निश्चित करे। राज्य-परिषद् का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मेदवार का निम्नलिखित तीन बातों की पूर्ति करनी पड़ेगी :—

(क) वह भारत का नागरिक होना चाहिए;

(ख) उसकी आयु कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिए;

(ग) वह ऐसी सभी शर्तों का पूरा करना हो जो समय समय पर संसद द्वारा निश्चित की जायें।

लोकसभा— लोकसभा भारतीय संसद का निचला और बड़ा आंगार है। यह राज्यों का नहीं बल्कि समस्त सभ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सदस्यों की संख्या १६१६ ई० के अथवा १६३५ ई० के ऐक्टों की प्रस्तावित असेम्बली के सदस्यों की संख्या से बहुत अधिक है। इसमें अधिक से अधिक ५०० सदस्य हो सकते हैं और इसके सभी सदस्य राज्यों के निर्धारित क्षेत्रों से चुने जायेंगे। चूंकि इसके सदस्यों का चुनाव प्रौढ मतधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली से होगा इसलिए इसे भारतीय संसद का 'पॉपुलर हाउस' भी कह सकते हैं। अमेजी हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आंगार को भी इसी अर्थ में पॉपुलर चैम्बर कहते हैं।

लोकसभा के प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य को बहुत से निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जायगा। प्रत्येक क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि चुने जायें, निम्नलिखित आधार पर निश्चित किये जायेंगे :— कम से कम ५००,००० और अधिक से अधिक ७५०,००० जनसंख्या के पीछे एक प्रतिनिधि होगा। एक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या और उसमें प्रतिनिधियों में जो अनुपात होगा वही देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में समान होगा। चूंकि एक जनगणना के समय से दूसरी जनगणना के समय तक निर्वाचन-क्षेत्रों की जनसंख्या बदलती रहेगी इसलिए संविधान में इस विषय का उपबन्ध है कि प्रत्येक जनगणना के पश्चात् संसद ऐसे प्राधिकारी (Authority) की नियुक्ति करेगी जो कि संसद की विधि के द्वारा निर्धारित राति से, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से, प्रतिनिधियों की संख्या का निर्णय करेगा। जो परिवर्तन ऐसे प्राधिकारी के द्वारा सुझाए जायेंगे वे तब तक कार्यान्वित न किये जायेंगे जब तक कि तत्कालीन लोकसभा भंग न कर दी जाय।

हमारे देश में अब से पहले १९३५ ई० के गवर्मेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार लोग पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-क्षेत्रों में मत दिया करते थे। वह नागरिकों की भाँति नहीं बल्कि मुसलमान, ईसाई, योर्कियाय, सिख, हिन्दू इत्यादि के नाते वोट देते थे। नये संविधान ने इस विपैले साम्प्रदायिक चुनाव के ढंग का सर्वान्त कर दिया है। अब प्रत्येक क्षेत्र के लिए ही साधारण निर्वाचन-नामावली होगी और किसी धर्म, सम्प्रदाय अथवा जन्म-जाति का विभेद किये बिना इसमें प्रायः सभी प्रौढ़ मतदाता होंगे। यह एक बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन है। इससे विधान में परिगणित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों (Scheduled Castes & Scheduled Tribes) को छोड़ कर किसी भी अल्पसंख्यक जाति के लिए सरक्षित सीटों का निर्देश नहीं है। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह यह समझे कि आंग्ल-भारतीय (Anglo-Indian) जाति को चुनाव द्वारा लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह इस जाति के दो सदस्यों का लाफसभा में नाम-निर्देशन (Nomination) कर देगे। परिगणित जातियों, अनुसूचित जन-जातियाँ के लिए सरक्षण और आंग्ल-भारतीयों के लिए इस प्रकार का विशेष प्रतिनिधित्व केवल अगले दस वर्षों तक ही रखा गया है।

संसद् के लिए प्रतिनिधि निर्वाचन की किम प्रणाली द्वारा चुने जायेंगे, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। इस समस्या का हल संसद् के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। फिर भी एक चीज़ तो स्पष्ट ही है— निर्वाचन-क्षेत्र भू-क्षेत्रों के विचार से ही होंगे, न कि व्यक्तियों के आधार पर। अब तो केवल यह निश्चित करना शेष है कि प्रत्येक चुनाव-क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जायगा या एक से अधिक। संविधान के निर्माताओं ने यह उचित नहीं समझा कि इन क्षेत्रों से चुनाव करने के लिए भी सन्नमर्याद मत वाले अनुपाती प्रतिनिधित्व को अपनाया जाय जिसके दुष्परिणाम से बहुत से दल अस्तित्व में आ जाते हैं। बहुत से दलों के खड़े होने का यह फल होता है कि सभाओं में बहुमत वाला कोई भी एक दल नहीं पहुँच पाता। ऐसी अवस्था में मन्त्रिमण्डल मिले जुले (Coalition) होते हैं जो कि स्वभावतः निर्बल और लघु आयु वाले होते हैं। वैसे भी अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली बड़ी ही संजटिल है और हमारे देश में, वहाँ कि मतदाता लोग अधिकतर अनपढ़ हैं, यह पद्धति सफल सिद्ध नहीं हो सकती थी।

नये संविधान के अन्तर्गत मताधिकार — मताधिकार की समस्या का किसी भी प्रकार-परमक संविधान में महत्त्वपूर्ण स्थान होता है। एक संविधान किम भीमा तक लोकतन्त्र की ओर आ सकता है, इस बात का निश्चय निर्वाचनों और संपूर्ण देश की जनमंख्या के पारस्परिक अनुपात पर निर्भर है। इस मापदण्ड पर हमारा संविधान पूर्णतः लोकतन्त्रात्मक कहा जा सकता है। मताधिकार से सम्बन्धित इसके उपबन्ध इस-

की प्रमुख विशेषताओं में से हैं। एक ही प्रकार में इसने उन सभी अप्रजातन्त्रीय और रुढ़िवादी शक्तों को रद्द कर दिया है जो सम्पत्ति, धर्म, पितादत्त, आदि की प्राचीन भित्तियों पर अवलम्बित थीं, और जिनके कारण जनसंख्या का एक बड़ा भाग मत देने के अधिकार से वंचित था। १९१९ ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत ३% से अधिक लोगों को मत देने का हक नहीं था। १९३५ ई० के ऐक्ट ने निर्वाचनों की संख्या बढ़ाकर लगभग १४% कर दी थी। नये संविधान के अनुसार सभी प्रौढ़ व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) जो २१ वर्ष या उससे अधिक आयुवाले हैं और जो किसी अन्य नियोग्यता— पागलपन, अपराध, विधि-विरुद्ध व्यवहार, देश-परिहार आदि— के अन्तर्गत नहीं आते, मताधिकार के पात्र समझे जायेंगे। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय लोकसभा और प्रान्तीय विधान-सभाओं के लिए इस संविधान ने प्रौढ़ मताधिकार के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। यह अनुमान किया गया है कि हमारे निर्वाचकों की संख्या समारम सन् १९५० में बढ़ी होगी, इसमें लगभग एक करोड़ साठ लाख निर्वाचक होंगे।

शकावादी लोग भारतीय जनता को इस प्रकार प्रौढ़ मताधिकार देने की बुद्धिमत्ता पर सन्देह प्रकट कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि भारतीय जनता अनपढ़ है और सार्वजनिक विषयों में कोई अभिरुचि नहीं रखती। इसने अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़े बड़े और अनियंत्रित हो जायेंगे, जिनके कारण निर्वाचकों और निर्वाचितों के बीच का गहन सम्बन्ध, जो कि प्रतिनिधि संस्थाओं के मूल कार्य-संचालन के लिए आवश्यक है, असम्भव हो जायेगा। हमें इस प्रकार के सुत्रों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। हमारी जनता चाहे अनपढ़ ही क्यों न हो, फिर भी वह काफी चतुर और समझदार है। भूतकाल में ऐसे बहुत थोड़े अवसर होंगे जब कि सम्भवतः उन्होंने सार्वजनिक उत्साह का परिचय न दिया हो। मताधिकार स्वयं एक प्रकार का शिक्षात्मक मूल्य रखता है— यह प्रजातन्त्र के स्रोतस्थल के समान है और इसे बन्द करते ही प्रारम्भ में ही लोकतन्त्र की प्रयोग धारा लुप्त हो जायेगी। इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि संविधान में निर्वाचन आयोग नियुक्त करने का भी उपबन्ध है। इस आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) और ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्त सम्मिलित होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें। चुनावों का देख रेल, निर्देशन और नियंत्रण, निर्वाचक-नामावली तैयार करना, ईमानदारी और निष्पक्षता से निर्वाचन का चलाना— इस आयोग के कर्तव्य होंगे।

संविधान की लोकसभा की कालावधि ५ वर्ष नियत की गई है। सभा के नये चुनावों के पश्चात् जो पहली बैठक होगी उससे ठीक पाँच वर्ष बाद लोकसभा के सदस्यों को विराजित समझा जायेगा। परन्तु सफ़ट काल घोषित होने की दशा में सदस्य विधि द्वारा अपना कार्य काल बढ़ा सकती है, परन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं। आपत्

की घोषणा के प्रभाव शून्य होने के बाद ६ मास के अन्दर लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जायगा। यह याद रखने की बात है कि ब्रिटिश संसद् का कार्यकाल भी ५ वर्ष ही है। विधान सभा की अवधि १६, १६ ई० के ऐक्ट के अनुसार तीन वर्ष और १६३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार पाँच वर्ष थी।

प्राय सभी दूसरे देशों में विधान मण्डल का वापिक अधिवेशन का हाना एक नियत नियम है— चाहे सविधानिकविधि व द्वारा और चाहे परम्परा से। किन्तु हमारे सविधान के अनुसार वर्ष में संसद् व कम से कम दो अधिवेशन अनिवार्य हैं। एक अधिवेशन की अन्तिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहली बैठक में छ महीने स अधिक का अन्तर नहीं हो सकता। जैसा कि एक और स्थान पर भी सन्त किया जा चुका है, राष्ट्रपति का यह कर्त्तव्य है कि एक या दोनों सदन का अधिवेशन कराये, उनका समावसान करें और लोकसभा का विघटन करें।

संसद् और राज्य के विधान-मंडलों की सदस्यता के लिए केवल दो शर्तें हैं— पहली शर्त : भारत की नागरिकता, और दूसरी शर्त निर्धारित आयु। सविधान में यह निर्देश किया गया है कि २५ वर्ष से कम आयु रखने वाला नागरिक पन्द्रोष लोक सभा के निर्वाचन के योग्य न समझा जायेगा। राज्य पारपद् का सदस्य चुना जाने के लिये एक व्यक्ति का कम से कम तीस वर्ष का हाना चाहिए। यह संसद् व ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि वह निर्वाचन की किमी और योग्यता व मापदण्ड व निर्धारित करे। कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य नहीं हो सकता यदि वह देश की मिना सरकार के अधिन लाम का पद धारण किये हुए है, उसका दिमाग रोग्य है, स्वेच्छा से वह किसी अन्य राज्य का, संसद् द्वारा बनाई किमी विधि व अनुसार, नागरिक हो गया है। कोई व्यक्ति संसद् व दोनों सदनों का, संसद् के एक सदन और राज्य व विधान-मंडल (परिपद् या सभा) का एक साथ हो सदस्य नहीं हो सकता। एक वर में उसे केवल एक सदन की ही सदस्यता प्राप्त हो सकती है।

संसद् के प्रत्येक सदन में उस सदन के कुल सदस्यों के १० % सदस्य उपस्थित होने पर ही गणपूर्ति (कारम) होता है। मिना दश प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति के बैठक की कार्यवाही नही चलाई जा सकता। कुछ निर्वाचित विधायकों छोड़कर सब बाकें उपस्थित सदस्यों में से बात देनेवाला व वतुनत से वै की जाती है। महान्यायवादा (Attorney General) और प्रत्येक मन्त्री का किमी भी सदन की कार्यवाही में सम्मिलित हाने और अपने विचार रखने का अधिकार है, परन्तु यदि वे उससे सदस्य नहीं हैं तो उन्हें बात देने का अधिकार प्राप्त न होगा।

संसद् के सदस्यों के लिए कुछ विशेषाधिकार और अनुक्तिर्गो निषन हैं। संसद् के सदस्यों में उन्हें वाक्-सतन्त्र (Freedom of Speech) है

और वक्तूता अथवा मत के विषय में उनसे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई न चल सकेगी। परन्तु नियम और स्थायी आदेशों (Standing Orders) के द्वारा सदस्य वाक् स्वातन्त्र्य पर प्रतिबन्ध लगा सकती है। जब तक कि सदस्य इस प्रश्न पर अपना निर्णय दे उससे सभी सदस्यों को वे सब अधिकार और मुविधाएँ प्राप्त होंगे जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को प्राप्त हैं, अर्थात् घोर अपराध (Felony) और राजद्रोह (Treason) को छोड़कर किसी भी अपराध के लिए उन्हें अधिवेशन के समय गिरफ्तार नहीं किया जायगा। सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद ही निश्चित करेगी।

अध्यक्ष (स्पीकर) — लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है। इन दोनों में से प्रत्येक को पद छोड़ना पड़ेगा यदि वह सभा का सदस्य नहीं रहता। उपस्थित सदस्यों के बहुमत से भी उनको पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उस पद का कार्य-वहन करेगा। अध्यक्ष का कर्तव्य सभा की बैठकों में अध्यक्षता ग्रहण करना, बैठकों में यह निर्णय करना कि किस सदस्य को कब बोलने दिया जाय, सभा में शान्त और मर्यादा कायम रखना, सभा के नियमों का विवेचन करना, मतगणना का निर्णय देना, औचित्य प्रश्नों (Points of Order) का निश्चय करना और उन पर अन्तिम निर्णय (Ruling) का देना, आदि हैं। वोटों की समता के अवसर पर उन्हें निर्णायक (Casting Vote) देने का अधिकार है। वही इस विषय का निर्णय करेंगे कि कोई विधेयक वित्त से सम्बन्ध रखता है अथवा नहीं। संविधान ने इन शक्तियों को देकर अध्यक्ष को सभा के सम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा का संरक्षक है।

यह आशा की जाती है कि लोकसभा के अध्यक्ष अमेरिकी स्पीकर की परम्परा को न करके इंग्लैंड के स्पीकर की परम्परा अपनायेंगे। इस परम्परा के अनुसार करते ही स्पीकर अपने दल से सम्बन्ध विच्छेद कर देते हैं और किसी प्रकार की तत्काल कार्रवाई में भाग नहीं लेते। केवल उत्तर-प्रदेश की विधान-सभा के अध्यक्ष पुरगोत्तमदास टण्डन का उदाहरण छोड़कर सभी अध्यक्षों ने इंग्लैंड की परम्परा के अनुसार कार्य किया है, अर्थात् अध्यक्ष पद ग्रहण करते ही उन्होंने अपने दल की सदस्यता छोड़ दी है।

अध्यक्ष पद केवल प्रतिष्ठित और सम्मानित ही नहीं है बल्कि उसका बहुत बड़ा महत्व भी है। बैठकों में कार्य संचालन की सफलता का बहुत कुछ श्रेय अध्यक्ष के ज्ञान, दक्षता, कार्यपटुता और व्यक्तित्व पर निर्भर है। उन्हें विचार में स्पष्ट, निर्णय में सुदृढ़ और बर्ताव में गम्भीर होना चाहिए। हजारों उच्चजनाओं के बीच

भी उन्हें स्थिर-चित्त और स्थिर बुद्धि रखना आवश्यक है । अपने कौशल को सहायता से ही वे बैठकों को सफल बना सकते हैं ।

संसद् के कृत्य— संसद् सरकार का विधायी अंग है इसलिए इसका प्रधान कर्त्तव्य देश के सुशासन के लिए विधियाँ बनाना है । और किसी दूसरी संस्था अथवा व्यक्ति को सभ सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार नहीं है । परन्तु संसद् पद्धति पर आधारित संसद् का कार्य केवल कानून बनाना ही नहीं है बल्कि इसका अतिरिक्त उसे और बहुत से काम करने पड़ते हैं । इसका एक विशेष कर्त्तव्य कार्य पालिका बनाना और उसे पदासीन रखना है । देश में किस प्रकार की दृक्मत होगी यह इस बात पर निर्भर है कि संसद् में कौनसा दल अधिक शक्तिशाली है । यदि संसद् में कांग्रेस दल का बहुमत है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी किन्तु अगर वहाँ समाजवादी दल या हिन्दू महासभा के सदस्यों का बाहुल्य है तो कार्य-पालिका भी समाजवादी या हिन्दू महासभा की नीति का पालन करने वाली होगी । दूसरी बात यह है कि संसद् ही ऐसी जगह है जहाँ जनता की शिकायतों और दुखों को प्रस्तुत किया जा सकता है । प्रतिदिन लोकसभा की बैठकों का एक घण्टा प्रश्नोत्तरों के लिए दिया जाता है । एक लेखक का कथन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रश्नों का घण्टा, ग्रेट ब्रिटेन में, प्रजातन्त्र का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है । इसमें कोई संदेह नहीं कि संसद् में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अप्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है । संसद् का कर्त्तव्य प्रशासन का संचालन नहीं है, यह कार्य तो विभिन्न विभागों के द्वारा चलाया जाता है जिनके ऊपर मंत्री लोग देख रेख रखते हैं । विभागों के द्वारा प्रशासन किस प्रकार से चलाया जाता है, इसके लिए मन्त्री संसद् के सामने उत्तरदायी होते हैं । अनेक तरीकों से संसद् मंत्रियों के ऊपर नियन्त्रण रखती है, जैसे— मंत्रियों को स्वाकार करना, प्रश्नों का पूछना और सदस्यों में से बहुत सी समितियों का बनाया जाना, इत्यादि ।

संसद् का चौथा कर्त्तव्य राष्ट्रीय वित्त पर नियन्त्रण करना है । बिना संसद् की प्रत्यक्ष आज्ञा के न कोई कर लगाया जा सकता है, न इकट्ठा किया जा सकता है, न कोई धन भ्रूण लिया जा सकता है और (भारित व्यय के अतिरिक्त) न किसी मद में कोई व्यय ही किया जा सकता है ।

अन्तिम बात— यदि हम इंग्लैंड की परम्परा पर चलते रहें तो परिणामतः हमारी संसद् ऐसी जगह होगी जहाँ कि राष्ट्रीय नेताओं की प्रशिक्षण और परीक्षा हो सकती है । अब तक तो यह प्रशिक्षण का कार्य कांग्रेस के द्वारा होता रहा है परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता जायगा और संसद् परम्परायें और व्यवहार देश में बढ़ पकड़ते जायेंगे वैसे वैसे हम आशा करते हैं कि कांग्रेस के इस महत् कार्य का संसद् के लिए हस्तान्तरण

हो जायेगा। यद्यपि ससद् का यह एक ऐसा मूढ़म कृत्य है, जिसकी परिभाषा करना आसान नहीं है फिर भी यह वास्तविक और सारगर्भित है। इस कृत्य को समझने के लिए ब्रिटिश ससद् का हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण है।

यह भी स्मरणीय है कि १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल की भाँति हमारा ससद् किसी बाह्य प्राधिकारी के अधीन नहीं है। इस दृष्टि से हम इसे प्रभुतापूर्ण (Sovereign) कह सकते हैं परन्तु यह उस अर्थ में प्रभुतापूर्ण नहीं है जिसमें कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट। इसकी विधायी शक्तियाँ पर सविधान का प्रतिबन्ध है। साधारणतया राज्य सूची के विषयों पर भी यह कानून नहीं बना सकती। न्यायालय इसके द्वारा बनाई विधियों का सविधान के विपरीत घोषित करके प्रभावशून्य कर सकते हैं, हमारे सविधान ने न्याय पालिका को न्यायिक पुनराज्ञा (Judicial Review) का अधिकार दिया है। इस बात में यह ब्रिटिश व्यवस्था के विपरीत और अमेरिकी प्रणाली के समान है।

विधान प्रक्रिया— सविधान में ससद् में होने वाली प्रक्रियाओं पर भी थोड़ा प्रकाश डाला गया है परन्तु इसमें उन अवस्थाओं का कोई विस्तृत विवेचन नहीं है जिनमें होकर विधेयकों को दोनों सदनो में गुजरना पड़ता है। इन बातों का निर्णय ससद् के ऊपर ही छोड़ दिया गया है। सविधान में ऐसी छोटी छोटी बातों का विस्तृत उल्लेख करना उचित भी नहीं था।

सविधान के अनुसार धन-विधेयक लोक-सभा में ही आरम्भ किये जा सकते हैं। परन्तु कोई भी साधारण विधेयक किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है। इस प्रकार का साधारण विधेयक (Non money Bill) एक सदन में प्रस्तुत और पारित होने के पश्चात् दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। यदि दूसरा सदन भी इसको उही रूप में पास कर देता है तैसा कि पहले ने किया था तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर वह विधेयक लागू हो जाता है। परन्तु यदि दूसरा सदन ऐसे विधेयक को अस्वीकार कर देता है या ऐसे संशोधनों के साथ पारित करता है जो आरम्भिक सदन को मजूर नहीं तो 'जिच्च' या गतिरोध की अवस्था पैदा हो जाती है जिसे केवल संयुक्त अधिवेशन द्वारा ही दूर किया जा सकता है। सविधान में ऐसा उल्लेख है कि यदि एक विधेयक के ऊपर दोनों सदनो में पारस्परिक मतभेद है अथवा दूसरे सदन में भेजे हुए विधेयक पर छ महाने तक कोई निर्णय नहीं हो पाता तो राष्ट्रपति दोनों सदनो का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर विचार विमर्श कराते हैं और बिल के ऊपर वोट लेते हैं। इस प्रकार के संयुक्त अधिवेशन में एकत्रित होकर मत देने वाले सदनो के बहुमत से जो प्रस्ताव स्वीकार होगा वह दोनों सदनो द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव समझ जायगा। तत्पश्चात् यह राष्ट्रपति का स्वकृति के लिए रख दिया जायेगा।

उपरोक्त उपबन्ध यह प्रदर्शित करते हैं कि धन-विधेयों के अतिरिक्त सभी बातों में दोनों सदनों के विधान-सम्बन्धी समान और समवर्ती अधिकार हैं। धन-विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक किसी भी सदन में आरम्भ किया जा सकता है और इस प्रकार का कोई भी विधेयक (धन-विधेयक के अतिरिक्त) तब तक ससद् द्वारा स्वीकृत न समझा जाएगा जब तक इसका एक ही सदन में दोनों सदन पारित न कर दें। परन्तु विधान में दोनों सदनों के प्रायः उपर अधिकार होते हुए भी यह कष्ट हो सकता है कि वास्तव में लोकसभा राष्ट्र-परिषद् की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली सदन है। कारण यह कि मतमेद की अवस्था में जो संयुक्त अधिवेशन होगा उसमें लोकसभा के सदस्यों की लगभग दुगुनी संख्या होने से इसका बहुमत ही जायेगा। इस प्रकार राष्ट्र-परिषद् विधान की प्रगति में बहुत अधिक न्याय नष्ट डाल सकेंगी।

धन-विधेयों विषयक विशेष प्रक्रिया— जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है— धन-विधेयक लोक-सभा में ही आरम्भ किये जा सकते हैं। यहाँ से पारित होने के बाद उन्हें राष्ट्र-परिषद् के विचार-विमर्श और सिफारिश के लिए भेज दिया जाता है। राष्ट्र-परिषद् को विचार-विमर्श करके धन-विधेयक-सम्बन्धी अपनी सिफारिश लोक-सभा के सामने प्रस्तुत करने के लिए केवल १४ दिन का अवकाश दिया जाता है। लोकसभा इन सिफारिशों को मानने न मानने में पूर्ण स्वतन्त्र है। इस प्रकार अन्तिम निर्णय लोकसभा के ही हाथ में है। राष्ट्र-परिषद् का तो केवल इतना ही अधिकार है कि वह अपनी सिफारिश पेश कर दे चाहे लोक-सभा उसे माने या न माने। धन-विधेयकों पर लोकसभा के अन्तिम निर्णय के बाद उन्हें दोनों सदनों से स्वीकृत समझा जाता है। कोई विधेयक धन-विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय लोकसभा क अत्यन्त करती है।

विधेयकों पर स्वीकृति— ससद् द्वारा पारित सभी विधेयक सच के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए पेश किये जाते हैं। राष्ट्रपति इनके ऊपर स्वीकृति दे सकते हैं अथवा इनकार कर सकते हैं। जैसा कि राष्ट्रपति की शक्तियों के सम्बन्ध में पहिले ही बतलाया जा चुका है राष्ट्रपति, धन-विधेयक के अतिरिक्त, कोई भी विधेयक सदनों के पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। सदनों को राष्ट्रपति के प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करना पड़ेगा, परन्तु वे उन्हें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं हैं। पुनर्विचार के पश्चात् जो विधेयक राष्ट्रपति के सामने आये, उस पर उन्हें अपनी स्वीकृति देनी पड़ेगी।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया— ससद् के दोनों सदनों के समक्ष राष्ट्रपति भारत-सरकार का वार्षिक वित्त-विवरण (Annual Financial Statement) रखेंगे जिसे सच-सरकार के आगामी वर्ष के आय व्यय का अनुमान होगा। व्यय

की मद में इस विवरण में यह स्पष्ट कर देना होगा कि (१) कौनसे खर्च भारत की संचित निधि पर भारित हैं, अर्थात् उनके लिए ससद् की स्वीकृति आवश्यक नहीं; और (२) कौनसे खर्च ऐसे हैं जो ससद् की स्वीकृति के बिना नहीं किये जा सकते।

पहली श्रेणी में निम्नांकित मदें शामिल हैं :—

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ और भत्ते और उनके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;

(ख) राज्य परिषद् के सभापति और उप-सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ;

(ग) ऐसे श्रेणी भार जिनका दायित्व भारत-सरकार पर है ;

(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, या उनके चारे में, दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन (Pension) एवं फेडरल न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जाने वाले निवृत्ति वेतन ;

(ङ) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (Controller and Auditor General) का दिये जाने वाले वेतन, भत्ते और निवृत्ति वेतन ;

(च) किसी न्यायालय या मध्यस्थ न्यायाधिकरण (Tribunal) के निर्णय, आशक्ति या पचाट (Judgment, Decree or Award) के भुगतान के लिए अपेक्षित कोई राशिवाँ, और

(छ) इस सविधान द्वारा, अथवा ससद् से विधि द्वारा, इस प्रकार का घोषित किया गया कोई अन्य व्यय।

यह भेद करना उच्च महत्त्वशाली है कि कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है और कौन-सा नहीं है। इस तरह का भेद १९३५ ई० के गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट में भी विद्यमान था, जिसके अनुसार भारत-सरकार का लगभग ७५ प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार की संचित निधि पर भारित था। ब्रिटिश सविधान में भी ऐसी व्यवस्था है। इस प्रकार के व्यय पर ससद् की अनुमति लेना आवश्यक नहीं, सरकार इसे ससद् की स्वीकृति के बिना ही निकाल सकती है। जो व्यय इस श्रेणी में नहीं आते, उन पर ससद् का नियन्त्रण होता है अर्थात् उनमें वह कमी कर सकता है या उन्हें रद्द कर सकती है।

सविधान में यह निर्देश है कि दूसरी श्रेणी में आने वाले व्यय का अनुमान लक्ष-सभा के समस्त अनुदानों की माँगों के रूप में (In the form of demands for grants) रखे जायेंगे और लोकसभा को अधिकार होगा कि किसी माँग का

स्वीकार या अस्वीकार करे अथवा उसे कम करने स्वीकार करे। राज्य-परिषद् को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं चूँकि अनुदानों की माँगों पर वह वोट नहीं दे सकती। परन्तु दोनों में से प्रत्येक सदन को सभी खर्चों पर (चाहे वे पहली श्रेणी में आयें चाहे दूसरी में) विचार विमर्श और वाद विवाद करने का अधिकार है।

अब लोक-सभा अनुदान की माँग पर पूरी तरह विचार कर लेती है, तब उसके मुझकों के अनुरूप ससद् के सामने एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) प्रस्तुत किया जाता है। इसका अभिप्राय यह होता है कि संघित निधि (Consolidated Fund) में से आवश्यक निर्धारित राशियाँ निकालने की ससद् से आज्ञा मिल जाये। किसी भी सदन में ऐसे विधेयकों में कोई सशोधन नहीं हो सकता, अगर इसका अभिप्राय इन माँगों में परिवर्तन करना या इसकी मदों का बदलना है। विनियोग अधिनियम (Appropriation Act) के उपबन्धों के विपरीत कोई भी धन-राशि संचित निधि से नहीं निकाली जा सकती।

यह स्मरण रखना चाहिए कि ब्राइटन पद्धति के अनुसार यहाँ पर अनुदान की कोई माँग राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं रखी जा सकती। दूसरे शब्दों में, लोक-सभा के साधारण सदस्यों से व्यय-सम्बन्धी कोई नई मद प्रस्तावित करने की आशा नहीं है। साधारण सदस्यों की तो बस इतना ही अधिकार है कि सरकार द्वारा का हुई माँगों को घटा दें, स्वीकार या अस्वीकार कर दें, न वे किसी माँग को बढ़ा सकते हैं और न एक मद की माँग को दूसरी मद में शामिल कर सकते हैं। दूसरी ध्यान देने योग्य यह बात है कि सांचित निधि पर भारित व्यय, जो कि लोक-सभा के नियन्त्रण से परे है, अब अनुयात में उस धन राशि से बहुत कम है, जिसका १६३५ ई० के ऐक्ट में निर्देश था। हमारे अधिधान ने बस इसी प्रकार के व्यय पर ससद् का नियन्त्रण नहीं रखा है जो प्रायः दूसरे देशों में भी नहीं रखा जाता।

अनुपूरक अथवा अधिकाई अनुदान (Supplementary or Additional Grants) के बारे में भी उसी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। अनुपूरक और अधिकाई अनुदानों की माँग उस समय रखी जाती हैं, जब वर्ष के बीच में ही कोई ऐसी आवश्यकता उपस्थित हो जाय जिसकी बजट बनाते समय कल्पना में नहीं की गई थी, अथवा जब किसी मद पर खर्च स्वीकृत व्यय से बढ़ जाये।

सरकार के घर से सम्बन्ध रखने वाले तथा वे सभी प्रस्ताव जिनमें सरकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाने के सुझाव हों धन-विधेयक के अन्तर्गत आते हैं। यह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोक-सभा में ही आरम्भ किया जाता है। राष्ट्रपति की सिफारिश से जो धन विधेयक लोक-सभा ने सदस्यों के सामने रखा जाता है, उसमें ये लोग कमी कर सकते हैं, उसे स्वीकार या

अस्वीकार कर सकते हैं, परन्तु किसी नये कर का न सुझाव रख सकते हैं और न बढ़ा ही सकते हैं।

वित्तय प्रक्रिया की पूर्ति से पहले भी लोक-सभा पेशगा धन दे सकती है, जिसे लेखासुदान (Votes on Account) कहा जाता है। हमारे संविधान में यह एक नया ही उपबन्ध है। इस रीति के अपनाने से लोक-सभा को आय-व्यय के ऊपर साच विचार करने का अधिक श्रवसर मिल जायेगा। विनियोग विधेयक को वर्ष के आरम्भ से पहले ही पास करने की शक्ति न होगी।

संविधान के उपबन्धा के अधीन ससद् की प्रक्रिया सम्बन्धी नियम और उपनियम बनाने का अधिकार दिया गया है। यह आशा की जाती है कि जो नये नियम ससद् द्वारा बनाये जायेंगे उनके द्वारा उपप्रक्रिया में अधिक परिवर्तन नहीं किया जायगा जो अब तक काम में लाई जाती रही है। पुरानी पद्धति के अनुसार एक विधेयक को निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरना होता था — 'प्रथम पठन, द्वितीय पठन, कमेटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज और तृतीय पठन। एक सदन में (जहाँ कि यह आरम्भ होता था) सभा अवस्थाओं को पार करने के पश्चात् एक विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता था और वहाँ भी वह उन्हीं पाँचों अवस्थाओं से होकर गुजरता था। यदि दूसरे सदन के द्वारा इसमें कोई संशोधन कर दिया जाता, तो फिर इसे आरम्भ करने वाले सदन में ही भेज दिया जाता था। यदि आरम्भ करने वाला सदन इन संशोधनों से सहमत हो तो संशोधित विधेयक गवर्नर जनरल (आजकल राष्ट्रपति) की स्वीकृति के लिये रखा जाता था। प्रथम पठन तो केवल शिष्टाचार मात्र है, इसका अर्थ इससे अधिक कुछ नहीं कि विधेयक को पेश करके गजट में प्रकाशित होने की स्वीकृति सदन से ले ली जाय। द्वितीय पठन में विधेयक के मुख्य सिद्धान्तों पर पर्यालोचन होता है, इस अवस्था में कोई संशोधन रखने की आशा नहीं होती। यदि विधेयक के सिद्धान्त मान लिये जाते हैं तो इसे एक स्थायी समिति की जाँच पढताल के लिए भेज दिया जाता है। समिति विस्तारपूर्वक विधेयक के उपबन्धों पर विचार करती है और उसे इसमें संशोधन करने का अधिकार है। यहाँ पर कमेटी स्टेज समाप्त हो जाती है। अपना काम समाप्त करने पर समिति विधेयक की सदन के सामने रिपोर्ट रखती है। इस अवस्था में खूब विस्तारपूर्वक विवेचन होता है और संशोधनों पर वाद-विवाद किया जाता है। यह रिपोर्ट स्टेज कहलाती है। सबसे बाद में तृतीय पठन होता है, जिसमें केवल आंशिक परिवर्तन करने और सर्वोत्तम विधेयक पर वाद-विवाद करने की आशा है।

सविधान ने राष्ट्रपति को केन्द्रीय विधायी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग स्वीकार किया है। इस दृष्टि से उन्हें कुछ विधायी शक्तियाँ सौंपी गई हैं, जिनका पहले ही उल्लेख आ चुका है। यहाँ केवल यह दोहराना आवश्यक है कि कोई विधेयक तभी परिणियत पुस्तक में अधिनियम की भाँति दर्ज होगा, जब कि उस पर राष्ट्रपति का मुहर हो।

न्यायपालिका— अब हम सविधान के अन्तर्गत भारतीय सघ शासन के एक तीसरे अंग— न्यायपालिका के गठन, संगठन, शक्ति और कृत्या— पर विचार करेंगे। चूँकि न्यायपालिका एक प्रजातन्त्रात्मक राज्य के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सविधान का निर्वाचन (Interpretation) एवं सरक्षण करती है इसलिए उसे एक स्वतन्त्र स्थान और सम्मान देना आवश्यक है। हमारे सविधान में इस बात का पूरा विचार रखा गया है। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका सम्बन्धी हमारे सविधान की एक और विशेषता है, जो कि किसी भी सघात्मक राज्य में नहीं पायी जाती। इसके द्वारा समस्त भारतगर्भ में एक शृंखलाबद्ध सम्बन्ध न्यायपालिका बनी है। इस कथन को स्पष्टतया समझ लेना चाहिए। सभी सघात्मक सविधानों की भाँति हमारे सविधान में भी केन्द्र और राज्यों में से प्रत्येक के लिए पृथक् पृथक् विधान मण्डल और कार्यपालिका का निर्देश है। इस तरह से सघ के क्षेत्राधिकार में अनेक विधान-मण्डल और अनेक कार्यपालिकाएँ कार्य करेंगी। परन्तु न्यायपालिका के विषय में दूसरी ही बात है— समस्त देश में एक ही सुगठित न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राज्यों के अन्य अग्रेसर न्यायालय सभी एक ही शृंखलाबद्ध व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सघ न्यायपालिका और राज्यों की न्यायपालिकाएँ विलकुल पृथक् पृथक् और स्वाधीन हैं। इसके विपरीत हमारी व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय एक दूसरे से असम्बद्ध नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि भारतीय सघ में दुहरा शासन (सघ और राज्यों का) है किन्तु इसमें दुहरा न्याय-प्रबन्ध नहीं है। इस प्रकार की सम्बन्ध न्यायपालिका इस उद्देश्य से रखी गई है कि कानून और इसके प्रशासन के सम्बन्ध में देश में कोई विभिन्नता न रहे और आधारभूत मामलों में एकरूपता आ जाय।

इस अध्याय में हम उच्चतम न्यायालय का ही विवेचन करेंगे जो कि न्याय-व्यवस्था का चोटों पर स्थित है। उच्च न्यायालय और उसके अधीन न्यायालयों के बारे में वर्णन आगे चलकर राज्य शासन व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

उच्चतम न्यायालय— उच्चतम न्यायालय ने सघीय न्यायालय (फेडरल कोर्ट) का स्थापनापन किया है जो कि १६३५ ई० के गवर्मेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार बनाई गई थी। इसका नाम उच्चतम न्यायालय इस विचार से रखा गया है कि अब

इंग्लैंड की प्रांतीय कौंसिल इस देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं रही है। यह याद रखना चाहिये कि ब्रिटिश राज्यकाल में भारतीय फेडरल कार्ट और हाई कोर्टों की अनील प्रांतीय कौंसिल मुना करती थी। यह व्यवस्था इस बात की प्रतीक थी कि भारत इंग्लैंड के अधीन है। परन्तु आज जब कि भारत एक प्रमुतासम्पन्न गणराज्य बन गया है, उसके सर्वोच्च न्यायालय देश में ही स्थित होना चाहिये न कि किसी विदेश में। अब उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायाधिकरण का काम करेगा।

उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति के अतिरिक्त अधिक से अधिक सात न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और ये लोग ६५ वर्ष तक की आयु तक कार्य संचालन करते रहेगे। किन्तु न्यायाधीशों की नियुक्तियों में राष्ट्रपति पूर्ण स्वैच्छाचारिता से काम नहीं करेंगे। उन्हें इस विषय में परामर्श लेना पड़ेगा। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति करते समय वे उच्चतम और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों का सलाह लेंगे जिन्हें वे उचित समझें, और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधिपति भी उन्हें मन्त्रणा देंगे। यह अमेरिका और इंग्लैंड का पद्धतियों में एक बीच का मार्ग है। इंग्लैंड के सम्राट् स्वयं ही इस प्रकार की नियुक्तियाँ करते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति सीनेट के परामर्श से फेडरल कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ न अकेले करते हैं और न विधान-मण्डल के किसी सदन के परामर्श से। वे केवल न्याय विशेषज्ञों की मन्त्रणा लेते हैं। एक व्यक्ति जो कम से कम ५ वर्ष हाई कोर्ट का जज रह चुका हो, या कम से कम १० वर्ष किसी हाई कोर्ट का अधिवक्ता (Advocate) रहा हो या जिसे राष्ट्रपति एक प्रख्यात निधिविशेषज्ञ समझने हों, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने के योग्य समझा जायेगा। अपने कार्यकाल में उसे पूर्ण सरक्षण मिलेगा। जैसे कि ऊपर भी कहा जा चुका है ये लोग ६५ वर्ष की आयु तक पदासीन रहेगे। ये अपनी इच्छा से पदत्याग कर सकते हैं। दुर्ब्यवहार और अयोग्यता के सिद्ध होने पर राष्ट्रपति उन्हें पदच्युत कर सकते हैं। किन्तु न्यायाधीश का राष्ट्रपति तभी पद से उतार सकते हैं जब कि ससद् के दोनों सदनों ने उसके खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव पास किया हो। इस प्रकार का 'ऐड्रैस' ससद् द्वारा तभी पास समझा जायेगा जब कि उसे प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम ३ बहुमत प्राप्त हो। सेवा निवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय में 'प्रीविटस' नहीं कर सकते। अपने कार्यकाल में मुख्य न्यायाधीश का वेतन ५,००० प्रति मास और अन्य न्यायाधीशों में से प्रत्येक का वेतन ४,००० ६० प्रति मास निश्चित है।

उच्चतम न्यायालय की बैठक आम तौर पर दिल्ली में होगी। परन्तु राष्ट्रपति

की अनुमति से न्यायाधिपति समय समय पर इसका स्थान बदल सकते हैं। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) होगा और अपने अमान (Contempt) न लिए वह इस प्रकार न्यायालय की सभी शक्तियों से सम्बन्ध होगा। एक न्यायालय का उस समय अभिलेख न्यायालय कहते हैं जब कि इस के अभिलेखों को प्रामाणिक समझा जाता है और जब किसी न्यायालय के सामने उन्हें प्रस्तुत किया जाता है तो उनका ऊपर वाद-विवाद नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय भी इसी दृष्टि से अभिलेख न्यायालय कहलाते हैं।

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार— संविधान ने जो शक्तियाँ भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रदान की हैं वे कदाचित् किसी भी अन्य देश के उपाय न्यायालयों को प्राप्त नहीं हैं। इसे अभिलेख न्यायालय के सभी अधिकार हैं और इसका द्वारा उद्घोषित कानून भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर समान रूप से लागू होगा। समय समय पर राष्ट्रपति की अनुमति से यह स्वयं अपने कार्य संचालन के नियम और उपनियम बना सकता है। मुख्य न्यायाधिपति का न्यायालय न पदाधिकारी और सेवक नियुक्त करने का और उनकी सेवाओं से सम्बन्धित वेतन, भत्ते, छुट्टी, निवृत्ति वेतन आदि के तै करने का अधिकार है।

उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक (Original), पुनर्विचार सम्बन्धी (Appellate) और मन्त्रणा-सम्बन्धी (Advisory) तीन प्रकार के अधिकार हैं। इसके अतिरिक्त यह संविधान की व्याख्या करने वाला अन्तिम सत्ता है। यह नागरिकों के अधिकार और स्वातन्त्र्य का संरक्षक है और इसे सिविल विषयों (Civil Cases) की प्रथम सुनने का अधिकार है। सिविल विषयों में यह अपील की इजाजत दे सकता है और कुछ विषयों में इसका पुनर्विचार का अधिकार क्षेत्र है। उच्चतम न्यायालय के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में (i) एक और भारत सरकार और दूसरा और एक या अधिक राज्यों के बीच, (ii) एक और भारत-सरकार और एक या अधिक राज्य, दूसरी और एक या अधिक राज्यों के बीच, और (iii) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच पारस्परिक झगड़े उस सीमा तक शामिल हैं जहाँ तक कानूनी अधिकार सम्बन्धी विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उठता है। इस प्रकार के झगड़े और किसी दूसरे न्यायालय के नहीं, रहे, न्य. ख. रहे, इन विषयों के उच्चतम न्यायालय का ही अन्तम प्राथमिक क्षेत्राधिकार है। इस क्षेत्राधिकार में कोई सन्धि, कथर या सन्द्द का कि संविधान के अन्तर्गत होने से पहिले देशांतरणों और भारत सरकार के बीच हुईं हैं— सम्मिलित न किये जायेंगे। यह प्राथमिक क्षेत्राधिकार इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पुनर्विचार सम्बन्धी। तीन प्रकार के मुकदमों की अपील इस सुनने के लिए आती हैं— संविधानिक, व्यवहार सम्बन्धी और दण्ड सम्बन्धी (Constitutional, Civil & Criminal)।

सविधान सम्बन्धी मुकदमों में उच्चतम न्यायालय केवल उसी समय अपील सुनेगा जब कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे कि इसमें कोई कानूनी प्रश्न निहित है। प्रमाणपत्र न मिलने की अवस्था में भी यदि उच्चतम न्यायालय को यह विश्वास हो जाय कि कोई सारवान् कानूनी प्रश्न उन विषय में सन्निहित है तो वह स्वयं विशेष द्वाजाजत दे सकता है। व्यवहार विषयों (Civil matters) में उस समय अपील होती है जब कि वाद-विषय की राशियों का मूल्य बीस हजार रुपये से कम न हो। दंड-कारवाई में दिये-हुये निर्णयों की अपील निम्नलिखित विषयों में हो सकती है—

(क) उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्याक्त की विमुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्युदण्ड का आदेश दिया है। अथवा—

(ख) उच्च न्यायालय ने अपने अधीन न्यायालय से किसी मामले का परीक्षण करने के लिए अपने पास माँग लिया है तथा ऐसे परीक्षण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराया है और मृत्युदण्ड का आदेश दिया है। अथवा—

(ग) उच्चतम न्यायालय प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किये जाने के लायक है।

संसद् की विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय का दंड-सम्बन्धी क्षेत्राधिकार बढ़ाने का हक है।

उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार में फेडरल कार्ट के यह सब अधिकार शामिल हैं जिनका सविधान में उल्लेख नहीं है। सभी न्यायालयों के ऊपर इसे पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार (Revisory Jurisdiction) है। सेना से सम्बन्ध रखने वाले मामलों को तो करने वाले न्यायालय और न्यायाधिकरणों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय अपील की विशेष द्वाजाजत दे सकता है।

जैसा कि एक दूसरे प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है— सार्वजनिक महत्व के किसी भी तथ्य या विधि सम्बन्धी प्रश्न पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का परामर्श ले सकते हैं। यह मन्त्रणा क्षेत्राधिकार (Advisory Jurisdiction) कहलाता है। इस क्षेत्राधिकार में उन सन्धियाँ और कयों का निर्वाचन और सम्मिलित किया जा सकता है जो भारत की ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच हुए थे।

संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus), परमादेश (Mandamus) और उत्प्रेक्षण (Certiorari) के प्रकार के लेख (Writs) भी निकालने की शक्ति प्रदान कर सकता है। इस शक्ति का इस दृष्टि से बहुत बड़ा महत्त्व है कि इसने द्वारा व्यक्ति के मूल अधिकारों की रक्षा की जाती है।

उच्चतम न्यायालय की स्वायत्तता— यदि उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों और स्वतन्त्रता की रक्षा करनी है और सविधान का संरक्षण करना है तो उसे कार्यपालिका की किसी प्रकार की अधीनता में न रहना चाहिये। सविधान में

ऐसे कई उपबन्ध हैं जो न्यायपालिका को स्वतन्त्रतापूर्वक काम करने में सहायक हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की रीति नियत करते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है। इस मामले में राष्ट्रपति को न्याय विशेषज्ञों का परामर्श लेना पड़ता है। न्यायाधीशों को उनके कार्य काल में सुरक्षित रखा जाता है। उन्हें तब तक पदच्युत नहीं किया जा सकता जब तक कि ससद के दोनों सदन इस विषय के प्रस्ताव को दो तिहाई मतों से स्वीकार न कर दें। इन लोगों के वेतन और भत्ते भारत की रक्षित निधि पर भारित हैं और इन के कार्य काल में वेतन और भत्ते में कमी नहीं की जा सकती। पद निवृत्ति के बाद किसी भी न्यायाधीश को कहीं भी चकालत करने की आज्ञा नहीं है। मुख्य न्यायाधिपति को उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी-वर्ग का नियुक्त करने और उनकी सेवाओं तथा कार्य-संचालन के सम्बन्ध में नियम और उपनियम बनाने का अधिकार है। देश के सभी प्राथिकारी उच्चतम न्यायालय को सदैव सहयोग प्रदान करेंगे।

अन्य कर्मचारी—भारत के संविधान का विवेचन समाप्त करने से पहिले उन उपबन्धों की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है जो भारत के महान्यायवादी और उसके नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से सम्बन्ध रखते हैं—

भारत का महान्यायावादी—राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी योग्यता रखनेवाले किसी भी व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। वे ही इसका वेतन, भत्ता इत्यादि और कार्य काल नियत करेंगे। महान्यायवादी का कर्तव्य होगा कि विधान सम्बन्धी मामलों में भारत सरकार की सदैव सहायता करे। अपने कर्तव्य के पालन के लिए उसे भारत राज्य-क्षेत्र के सब न्यायालयों में मुनवाई का अधिकार होगा।

भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक—भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है; चूंकि यह देखना उसी का कर्तव्य होगा कि जो मंत्री ससद ने स्वीकार की हैं उससे अधिक न कोई विभाग खर्च करता है और न उसकी मदों में परिवर्तन करता है। राष्ट्रपति की अनुमति से वह सच तथा राज्यों में हिसाब किताब एक निर्धारित रीति से रखने की आज्ञा देता है। वह सच के हिसाब की जांच पड़ताल करता है। वह लेखा-परीक्षण (Audit) की रिपोर्ट तैयार कराके ससद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इन्हें द्वारा इस का वेतन और सेवा की शर्तें आदि तै होती हैं। इसका वेतन और भत्ता राज्य की रक्षित निधि पर भारित है, इसके लिये ससद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। पहले निवृत्त होने के पश्चात् वह किसी अन्य पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।

राज्य-शासन

परिचयात्मक—पहिले एक अध्याय में हम इस बात का संकेत कर आये हैं कि भारतीय संघ की संरचना का नाम 'संघ' रखा गया है। संघ का आरम्भ होने के समय इसकी संख्या २८ थी, परन्तु अब यह संख्या २९ है, चूंकि उनमें से एक—मिजोरम का गठन में समाविष्ट हो चुका है। प्रथम अनुसूची में इन राज्यों के नाम दिये हैं और इन्हें चार भागों में बांटा गया है। जिनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। भाग (क) और भाग (ख) के राज्यों की शासन पद्धति में मौलिक समता है। इन दोनों में प्रजातन्त्रात्मक शासन प्रणाली है। दाना में केवल इतना अन्तर है कि भाग (ख) के राज्यों के सर्वोच्च अधिकारी का नाम राज्यपाल के बजाय राजप्रमुख है और इन राज्यों की कार्यपालिका दस वर्षों तक भारत सरकार के देशी रियासती-विभाग की देखरेख में कार्य करती है। आगामी पृष्ठों में हम केवल संघ के प्रथम अनुसूची के भाग (क) में सम्मिलित होनेवाले राज्यों की शासन-व्यवस्था के गठन और रचना पर साधारण विचारों को देंगे।

राज्य-शासन का संगठन—राज्यों में शासन प्रणाली बहुत कुछ बातों में संघ की शासन-पद्धति से मिलती जुलती है। प्रत्येक में कार्यपालिका और विधान मण्डल बनाये गये हैं जिनके बीच संसद प्रणाली के आधार पर गहरा सम्बन्ध है। हर एक राज्य के अपने ही न्यायालय हैं, परन्तु जैसा कि इस से पहले अध्याय में ही संकेत दिया जा चुका है वे न्यायालय देश की श्रेष्ठतम न्याय व्यवस्था की अभिन्न कड़ी हैं। अब राज्य शासन के इन्हीं तीनों अंगों का क्रमशः वर्णन किया जायगा।

कार्यपालिका—जिन विषयों पर राज्य के विधान मण्डल को कानून बनाने का अधिकार है उन पर राज्य की कार्यपालिका का अधिशासी अधिकार (Executive authority) है। अर्थात् राज्य सूची और समता सूची में जो विषय हैं उनका प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका करती है। राज्य सूची के विषयों पर राज्य का ही अन्वय (Exclusive) अधिकार है और इन पर संघ की कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। समवर्ती विषयों पर राज्य-कार्यपालिका संसद की विधियों का ध्यान में रखते हुए प्रशासन करती है। संघ की सरकार राज्य की सरकार को समवर्ती विषयों पर प्रशासन करने की रीति के बारे में आदेश दे सकती है।

राज्य की कार्यपालिका-शक्ति राज्यपाल (गवर्नर) में निहित है। उन्हें राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा-सहित अधिपत्र (Warrant) द्वारा नियुक्त करेंगे। वह अपने पद-ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, बशर्ते कि वह पहले ही पद-त्याग नहीं कर देते। पद त्याग करने के लिये उन्हें राष्ट्रपति के नाम अपने हस्ताक्षरों से एक त्याग पत्र भजना पड़े।

भारत का कोई भी नागरिक जो पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो राज्यपाल होने का अधिकारी है। परन्तु कोई एक जो समद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य है या जो किसी वैतनिक पद पर नियुक्त है, राज्यपाल का पद ग्रहण न कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी विधान मण्डल का सदस्य हो अथवा किसी लाभ के पद पर नियुक्त हो तो राज्यपाल नियुक्त होते ही उसे उन पदों से त्यागपत्र देना पड़ेगा।

राज्यपाल का मासिक वेतन (₹५००) है और इसके अलावा उन्हें वे और सभी भत्ते दिये जायेंगे जो कि अत्र से पहिले प्रान्ता के गवर्नरों का मिला करते थे। उन्हें बिना मर्यादे का एक निवासगृह मिलेगा। कार्यकाल के बीच में राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते कम नही किये जा सकते।

राज्यपाल की क्तियाँ— राज्य का अधिशाली अधिकारी होने के नाते राज्यपाल कार्यपालिका, विधान विस्त, और न्याय-सम्बन्धी बहुत से अधिकार हैं। चूँकि प्रशासन-सम्बन्धी सभी काम उन्हा के नाम से चलता है, इसलिये अपने नाम से चलनेवाले कार्यों के प्रमाणित समझे जाने की रीति के बारे में वे नियम बना सकते हैं। वे मंत्रियों में कार्य विभाजन और राज्यसभन के सुगमतापूर्वक संचालन के लिए भी नियम बनाते हैं। पहले वे मुरार मंत्री को आमन्त्रित करते हैं और फिर उनके परामर्श से दूसरे मंत्रियों की नियुक्तियाँ करते हैं। वही राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्तियाँ करते हैं और कुछ साहित्यिक, वैज्ञानिक और समाज-सेवा तथा सदनारी सरथाओं के विशेषज्ञों को राज्य की विधान परिषद के लिये मनानीत कर सकते हैं। यदि उनका यह विचार हो कि एंग्लो-इण्डियनों को राज्य की विधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वे इस जाति के कुछ आदिमियों को असेम्बली के लिये मनानीत कर सकते हैं। वह राज्य के प्रशासन पर सामान्य देखभाल रखते हैं और किसी भी विचारणीय मामले को मंत्रिमण्डल के विचार करने के लिए रख सकते हैं। वह मुरार मंत्री को आदेश दे सकते हैं कि वह (मुरार मंत्री) उनको प्रशासन सम्बन्धी और विद्या की योजनाओं के बारे में पूरी सूचना देता रहे। इन विषयों, प्रशासन और प्रस्तावित विधान से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल के सभी निश्चय मुरार मंत्री का राज्यपाल के समक्ष रखने पड़ते हैं, ताकि वे (गवर्नर) अधिशाली अधिकार का पूरी तरह उपभाग कर सकें। सक्षप में यह कहा जा सकता है कि

ब्रिटिश सम्राट् की भाँति राज्यपाल को परामर्श देने, आगाह करने और सब बातों की सूचना पाने के अधिकार हैं। कुछ राज्यों में राज्यपाल को वन-जातियों के विकास की देखरेख करने और तत्सम्बन्धी एक मंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार है। उन्हें न्यायालय द्वारा दण्ड प्राप्त व्यक्ति को क्षमा आदि की तथा दण्डादेशों के निलम्बन, परिहार या कम करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। वे राज्य के विधानमण्डल की बैठक बुलाते और उनका समावसान (Prorogue) करते हैं। विधान-सभा को वह भंग कर सकते हैं। राज्य के विधान-मण्डल से पारित किए हुए विधेयकों पर वे अपनी स्वीकृति देते हैं और कभी कभी ऐसे विधेयकों का वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भी रोक लेते हैं। अपने अभिभाषण (Address) के साथ वे किसी विधेयक को विधान मण्डल के पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। अधिवेशन न होने की दशा में वे अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। उनकी सिफारिश के बिना कर सम्बन्धी अथवा अनुदानों की माग-सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विधान-मण्डल के सामने नहीं रखा जा सकता। इसी प्रकार कोई धन विधेयक भी उनकी अनुमति के बगैर आरम्भ नहीं किया जा सकता।

गवर्नर को यह भी देखना पड़ता है कि सब-सरकार द्वारा जारी किये हुए सभी आदेश और निर्देशों का उनके राज्य शासन में पालन किया जा रहा है। राष्ट्रपति राज्यपाल को उन बातों में भी अधिकार दे सकते हैं जिन पर संविधान में प्रकाश नहीं डाला गया।

यह ध्यान रखने के योग्य है कि नये संविधान ने गवर्नर को उतने अधिकार नहीं दिये जितने कि उन्हें १९३५ ई० के ऐक्ट के द्वारा दिये गये थे। स्वविवेक और विशेष उत्तरदायित्व-सम्बन्धी शक्तियाँ जो १९३५ ई० के ऐक्ट की बहुत बड़ी विशेषताएँ थीं, नये संविधान से वे बिल्कुल हटा दी गई हैं। आजकल राज्यपाल राज्य का संविधानीय प्रमुख हैं। वह राज्य का प्रशासन तो नहीं कर सकते, परन्तु इस पर काफी प्रभाव डाल सकते हैं।

यहाँ यह सकेत करना असंगत न हागा कि हमारे देश में एक परम्परा चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी न होना चाहिए जिसमें वह पद ग्रहण करे। हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश के गवर्नर श्री होमी मोदी बम्बई राज्य के निवासी हैं और हमारे राज्य के निवासी एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ डा० कैलाशनाथ काटजू बंगाल के राज्यपाल हैं और सर ग्लेहर्ग सिन्धु बम्बई राज्य के।

मन्त्रि परिषद्—संविधान में राज्यों के लिए भी उसी प्रकार की सरकार की कल्पना की गई है, जैसी कि सब के लिए। राज्य के गवर्नर को मनरणा देने के लिए मन्त्रि-परिषद् बनाने की योजना रखी गई है जिसका प्रधान मुख्य-मंत्री होगा। उन विषयों के अतिरिक्त जो कि राज्यपाल के स्वविवेक पर छोड़े गये हैं सभी मामलों में

मंत्रियों का परामर्श आवश्यक है। यद्यपि आखाम के गवर्नर का छोड़कर किसी भी गवर्नर के लिए सविधान में स्वविवेक शक्तियों का उल्लेख नहीं है, फिर भी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, जिनमें यह आशा की जा सकती है कि गवर्नर मंत्रियों के परामर्श के बिना ही कार्य करेंगे [उदाहरणार्थ उस समय जबकि उन्हें राष्ट्रपति के निर्देशन से कार्य करना पड़ता है। सविधान के बनानेवालों का वदचित यह विचार था कि राज्यपाल को राज्य का सविधानीय प्रमुख बनाया जाय जा उत्तरदायी मंत्रियों के परामर्श से कार्य करे। शायद यही कारण है कि उनका जनता द्वारा चुनाव न कराया जाकर राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति होगी।

मंत्रियों की नियुक्ति का राज्य में भी वही तरीका होगा जा कि केन्द्र में, इसलिए इसे यहाँ 'संघ में ही वर्णन किया जायेगा। राज्यपाल विधान सभा में से बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्य मंत्री बनाते हैं। मुख्य मंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों की नामावली तैयार की जाती है, जिसे राज्यपाल स्वीकृति देते हैं। मंत्री लाग तभी तक पद पर रह सकते हैं जब तक कि गवर्नर चाहे। परन्तु चू कि ये लाग सामूहिक रूप से राज्य की विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं, इसलिए इन्हें उस समय तक पद से नहीं हटाया जाता, जब तक कि उन्हें असेम्बली का विश्रम्भ (Confidence) प्राप्त है। जिस मन्त्रिमंडल के पीछे विधान सभा के सदस्यों का बहुमत होता है उसको साधारणतया गवर्नर पद से नहीं हटा सकते। जो मंत्री नियुक्ति के समय विधान मंडल के किसी सदन के भी सदस्य न हों उन्हें छ मास के भीतर भीतर किसी भी सदन का सदस्य बन जाना चाहिए। राज्य का विधान-मंडल मंत्रियों के बतन और भत्ते तै करेगा।

राज्य के मन्त्रिमंडल के उसी प्रकारके कृत्य और अधिकार होंगे जैसे कि केन्द्रीय मन्त्रिमंडल के वह विभाग पद्धति (Portfolio System) पर कार्य करता है। प्रत्येक मंत्री का राज्य के एक या अधिक विभागों के ऊपर देखरेख के लिए रख दिया जाता है, जिनके सुसंचालन के लिए वह विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सभी मंत्रियों को पदग्रहण करते समय गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। जिन राज्यों में पिछड़ी जातियाँ न्यास करती हैं उनमें इन जातियों के विकास के लिए एक पृथक् मंत्री रख दिया जाता है। इस प्रकार के राज्य सविधान के अनुसार अर्प्रालिखित हैं—विहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश। इस स्थान पर उत्तरप्रदेश के मन्त्रिमंडल के सदस्यों और उनके अधीनस्थ विभागों का नाम देना, असंगत न होगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त — (मुद्रा मंत्री) सामान्य प्रशासन, न्याय और सूचना।

श्री सम्पूर्णानन्द— शिक्षा, भ्रम और वित्त।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम — संचार-साधन।

श्री हुकमसिंह—	भाल और वन विभाग ।
श्री निसार अहमद शेखोनी—	कृषि और पशु विभाग ।
श्री आत्माराम गार्बिंद खेर—	स्थानीय शासन ।
श्री चन्द्रभानु गुप्त—	स्वास्थ्य और रमर ।
श्री लालमगदुर शास्त्री—	पुलिस और यातायात ।
श्री कृष्णवर्देव मालवीय—	विधान और उद्योग ।
श्री गिरधारी ताल—	आयतारी, जन, राजस्वी और स्थाय ।

इन में से कुछ मात्रा की महायता के लिए सचिव रख गए हैं। यद्यपि सचिवान में इस प्रकार के पद का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु राज्य के विधानमण्डल को स्वतन्त्रित नियमों के द्वारा इस प्रकार के पदाधिकारी रखने की आज्ञा निहित है। उत्तरप्रदेश में मुख्य मंत्री की सहायता के लिए तीन सचिव हैं और दूसरे अन्य मंत्री प्रायः एक एक सचिव रखते हैं।

मुख्य मन्त्री के कर्त्तव्य—सचिवान में मुख्य मंत्री के निम्नांकित कर्त्तव्यों का उल्लेख है—

(अ) राज्यपाल को उन सभी निर्णयों के बारे में सूचना देना जो मन्त्रिपरिषद् ने प्रशासन और विधान के सम्बन्ध में किये हैं।

(ब) प्रशासन सम्बन्धी और प्रस्तावित विधेयकों के सम्बन्ध में वह सूचनाएँ देना जो कि राज्यपाल समय-समय पर मांगें।

(स) मन्त्रिपरिषद् के विचार विमर्श के लिए ऐसे मामला का रखना जिन पर किसी एक मंत्री ने खेचला से निर्णय ले लिया है।

इसमें दावाते निहित हैं—एक यह है कि मुख्य मंत्री ही राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् के बीच संचार साधन हैं। दूसरे, वह मन्त्रिमंडल का प्रमुख है जैसा कि उसके नाम से ही विदित है। इसी का यह भी अभिप्राय है कि गवर्नर को प्रशासन तथा प्रस्तावित विधेयकों के विषय में सब तरफ की सूचना पाने का अधिकार है। उन्हें सलाह और मन्त्रणा देने का भी अधिकार है।

जो दाते राष्ट्रपति और केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में कही गई थी, वे ही राज्य के राज्यपाल और मन्त्रिमंडल पर लागू हैं। गवर्नर राज्य का सचिवानीय प्रमुख है। उनके अधिकार नाम मात्र के हैं। शासन की वास्तविक सत्ता मंत्रियों के हाथ में है। यद्यपि राज्यपाल के हाथ में कोई वास्तविक सत्ता नहीं फिर भी यदि वह एक योग्य व्यक्ति है तो शासन सम्बन्ध में काफी प्रभाव डाल सकता है।

महाप्रिस्ता—सविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक महाधिवना की नियुक्ति का भी निर्देश है। उसकी नियुक्ति राज्य के गवर्नर करते हैं और इस पद पर नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए। उसका वेतन भी राज्यपाल ही निश्चय करते हैं। उसका कर्तव्य कानूनी विषय में राज्य की सरकार का परामर्श देना और इसी प्रकार के वे कानूनी कार्य करने हैं जो गवर्नर द्वारा उनके लिए निश्चित हा।

भाग (ख) के राज्यों की कार्य शक्तिका—सविधान की प्रथम अनुसूचा के भाग (ख) में सम्मिलित राज्यों के प्रमुखा या राज्यपाल के बजाय राजप्रमुख कहा गया है। इनकी नियुक्तियाँ उस समझौते के आधार पर की गई हैं जिनके द्वारा भारत सरकार और रियासती सभा के बीच हुआ है। इसी समझौते के आधार पर इन लोगों के वेतन नियत किये गये हैं। राजप्रमुखों का मन्त्रण और पहायता देने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मन्त्रपरिषद् हागा। चूंकि इन रियासतों में पहले से शासन की कोई परम्परा नहीं थी और नूँकि प्रजातन्त्रशासन का एक दम स्थापित नहीं किया जा सकता इसलिए सविधान में इस प्रकार का निर्देश है कि दस वर्षों तक या जब तक ससद निर्णय करे, तब तक इन राज्यों की सरकारों का भारत सरकार की सामान्य देख रेख में शासन कार्य करना पड़ेगा। इन राज्यों में विधानमंडल के बाधनूद भी इनकी सरकारों का राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार के आदेशों का पालन न करना सविधान का अतिप्रमुख समझा जायेगा।

अपनी विशेष स्थिति के कारण जम्मू काश्मीर राज्य के साथ कुछ दूसरी प्रकार का व्यवहार किया जायेगा। इस राज्य के बारे में केन्द्रीय सरकार का क्षेत्राधिकार सघसूची और समर्पती सूची के अन्धी विषयों तक सीमित है जो सम्मिलन बिलों द्वारा निश्चित हो चुके हैं।

भाग (ग) में दिये हुए राज्यों में प्रजातन्त्र स्थापित न हागा। इनका राष्ट्रपति चीफ कमिश्नर या लैफ्टीनेण्ट गवर्नर की सहायता से प्रशासित करेंगे जो अन्धी के द्वारा मनानील किये जायेंगे। सविधान में इन प्रदेशों के लिए मन्त्र परिषद् का आवाचन नहीं है, परन्तु ससद को यह अधिकार है कि जब भी उचित समझे, तभी इनके लिए मन्त्र-परिषद् की स्वीकृति दे दे। इन प्रदेशों में भी उत्तरदायी शासन स्थापित किया जायेगा, परन्तु धीरे धीरे।

राज्य का विधानमण्डल—भाग (क) के सभी राज्यों में एक ही प्रकार के विधानमण्डल नहीं हैं। मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी बंगाल और बिहार के छह राज्यों में द्विआगारिक विधानमण्डल हैं, जिनमें विधान-परिषद और विधानसभा सम्मिलित हैं। शेष तीन राज्य—आन्ध्र, मध्यप्रदेश और उड़ीसा में

विधान-सभा नामी केवल एक ही सदन होगा। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल विधान-मण्डल का अभिन्न अंग है।

कुछ प्रान्तों में द्विआगारिक विधान-मण्डल में हमारा सविधान १९३५ ई० के गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ऐक्ट के चरण चिन्हों पर चला है। उस समय राष्ट्रीय लोकमत प्रान्तों में ऊपर के सदन के प्रत्यायन का विरोध कर रहा था। आज यह अजीब सा दिखाई पड़ सकता है कि हमारी सविधान सभा ने छुः राज्यों के लिए दूसरे सदनों की स्वीकृति क्यों दी? सम्भवतः इसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(१) सत्तर के सभी देशों ने दूसरे सदनों की उपयोगिता को इसलिए स्वीकार किया है कि इनमें ऐसे सभी विधेयकों पर शान्त भावना से सम्यक् विचार किया जाता है, जो विधान-सभा ने शीघ्रता में पारित कर दिये हों। दूसरे, इन सदनों में एक विधेयक पर दोबारा विचार करने से जनता को भी अपनी धारणा प्रकट करने का अवकाश मिल जाता है। तीसरे, इन विधान-परिषदों में प्रायः ऐसे विधेयक प्रारम्भ किये जाते हैं, जो विवादप्रस्त न हों।

(२) राज्यों की इन विधान परिषदों का सविधान के द्वारा बहुत सीमित अधिकार दिये गये हैं; कानून बनाने में इनका कम महत्व है और धन सम्बन्धी विषयों में तो इन्हें कुछ भी शक्ति नहीं दी गई। इसलिये विधान-सभाओं द्वारा जो लोकमत का प्रतिनिधित्व होता है, उसमें ये बाधक नहीं बन सकतीं।

(३) दूसरे आगार केवल प्रयोग के उद्देश्य से ही आरम्भ किये गये हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा उपस्थित होकर मत देनेवाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से इस विषय का प्रस्ताव स्वीकार करे कि उस राज्य में विधान परिषद् की आवश्यकता नहीं है तो ससद् एक विधि द्वारा उस राज्य से विधान परिषद् का अन्त कर सकती हैं। इसी रीति से ससद् एक सभावाले राज्यों में दूसरे सदन बनाने की स्वीकृति दे सकती है।

(४) अन्तिम बात यह कही जा सकती है कि सविधान में विधान-परिषद् के बनाने के बारे में जो सुभाव रखा गया है उस प्रणाली से भिन्न है जो पहिले प्रचलित थी। विधान की रचना की जो विधि नये सविधान में अपनाई गई है उसके द्वारा इरुमे योग्य और अनुभवी सदस्यों के निर्वाचित होने की अधिक सम्भावना है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि वे इस के बाद विवाद और पर्यालोचन को अधिक सफल बनायेंगे।

विधान सभा—केन्द्रीय लोक सभा की भाँति प्रत्येक राज्य की विधान सभा का निर्वाचन राज्य के नागरिकों के द्वारा प्रौढ मताधिकार के आधार पर होगा। परिगणित और वन जातियों को छोड़कर इसमें किसी जाति विशेष या हित

लिए जगह निर्धारित नहीं की गई ; परिगणित और घन-जातियों को भी केवल १० वर्ष के लिए ही यह अधिकार मिला है ।

यदि भवन र महोदय का यह विचार है कि ऐ ग्ला इंडियन जाति का असेम्बली में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह इस जाति के कुछ सदस्यों को विधान-सभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं । जातीय और साम्प्रदायिक प्रथक प्रतिनिधित्व का समाप्त करके, १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्तगत बनी हुई असेम्बलियों की एक मन्त्रसे अधिक आपत्तिजनक व्यवस्था का सर्वान्त कर दिया गया है । राज्यों की विधान सभाओं में कम से कम ६० और अधिक से अधिक ५०० सदस्य हो सकेंगे । सदस्यों की वास्तविक संख्या पिछली जन-गणना के आधार पर ७५००० व्यक्तियों के पीछे एक प्रति निधि के हिसाब से निश्चित होगी । यह अनुपात आसाम के स्वशासी प्रदेशों और शिलांग की कस्टोमैण्ट और नगरपालिका-क्षेत्रों में प्रयुक्त न की जायेगी, चूंकि यहाँ जन संख्या कम है । निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करते समय और उनके लिए प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करते समय, यह विचार रखा जायेगा कि राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों में जनता और प्रतिनिधियों का आपसी अनुपात समान हो । राज्य का प्रत्येक नागरिक जो २५ वर्ष की अवस्था का पार कर चुका है, और वह सब योग्यताएँ रखता है जो समय-समय पर ससद् निश्चित करें, राज्य की विधान सभा के सदस्य बनने का अधिकारी है । पागल, अपराधी, दुष्टचारी या दिवालिये या ऐसे व्यक्ति जो सरकारी नौकर हैं सदस्यता के अयोग्य हैं । अभी तक ससद् ने सदस्यों की अन्य विशेष योग्यताओं का निर्णय नहीं किया है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है । साधारणतया राज्य में कुछ वर्ष का रहना आवश्यक समझा जायेगा । विधान-सभा का निर्वाचन ५ वर्ष की अवधि के लिए होगा । किन्तु राज्यपाल इसे पहिले भी भंग कर सकते हैं । इस सभा का कार्यकाल केवल आपात में बढ़ाया जा सकता है और यह भी एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं । यदि इस प्रकार सभा का कार्यकाल बढ़ाया गया है तो सकट काल के समाप्त होते ही छ मास के भीतर-भीतर सभा का भी विसर्जन हो जाना आवश्यक है ।

विधान-परिषद्—जहाँ वहाँ भी इसे प्रभय मिला है विधान परिषद् राज्य के विधान-मण्डल का दूसरा या ऊपरवाला आगार बढ़लाता है । इसमें कम-से-कम चालीस और अधिक-से अधिक विधान सभा के सदस्यों की संख्या के एक चौथाई सदस्य हो सकते हैं । चूंकि हमारा राज्य (उत्तरप्रदेश) धनी आबादी वाले राज्यों में सम्मिलित है, इसलिए इसमें विधान-सभा के सदस्यों की संख्या ५०० और विधान-परिषद् के सदस्यों की संख्या १२५ होगी ।

विधान-परिषद् का अल्पवय रूप से निर्वाचन होगा और इसके सदस्य निम्न प्रकार

के होंगे। लगभग एक तिहाई सदस्य निर्वाचन मण्डलों द्वारा चुने जायेंगे। प्रत्येक निर्वाचक मण्डल (Electoral College) में उन सब नगर-पालिकाएँ, जिला मण्डलियाँ के सदस्य होंगे जिन्हें ससद् समय समय पर नियत करे। लगभग चूने के भाग का निर्वाचन प्रेषण करे जा कम से कम तीन वर्ष पहिले डिप्री ले चुक हो और चूने के भाग का चुनाव शायर सेनेट्री से ऊपर की कक्षाओं का पदानेवाले अध्यापक करेगे, जो कम से कम तीन वर्ष उस राज्य में शिक्षण कार्य कर चुके हों। एक तिहाई सदस्यो का चुनाव विधान सभा के सदस्य उन लोगों में से करेगे जा कि सभा के सदस्य न ह। शेर स्थानों के लिए राज्यपाल ऐसे व्यक्तिों का मनानीत करेगे जो साहित्य, कला, सहाकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा का विशेष ज्ञान रखते हों।

प्रत्येक नागरिक ३० वर्ष की आयु का पार करते ही परिषद् का सदस्य बनने का अधिकारी समझा जायेगा, यदि वह अपराध, दिवालियापन आदि क कारण अयोग्य नहीं ठहराया जाता विधान परिषद् एक स्थायी सस्था है और प्रत्येक दो वर्ष के बाद इस के एक तिहाई सदस्य पद छोडते रहेगे इसका यह अभिप्राय हुआ कि विधान-परिषद् के सदस्यों का ६ वर्ष के लिए निर्वाचन होगा। कोई व्यक्ति राज्य के दानों सदनों या राज्य के एक सदन और ससद् का एक साथ ही सदस्य नहा हा सकता।

विधान में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) के राज्यों के लिए विधान मण्डलों का उल्लेख नहीं है। किन्तु ससद् का यह अधिकार है कि इनमे से किसी राज्य में भी विधान मण्डल का निर्माण करे, जिसमे कुछ मनानीत और कुछ निर्वाचित सदस्य हों।

राज्य के विधान मण्डल के अधिवेशन—विधान में, राज्य के विधान मण्डल के अधिवेशन, इसके पदाधिकारी, गवर्नर का सदनों को सम्बोधन करने और सदेश भेजने का अधिकार—इन बातों के उपबन्ध उसी प्रकार के हैं जैसे कि हम ससद् के सम्बन्ध में वर्णन कर आये हैं। राज्य के विधान मण्डल के सदनों के वर्ष में कम से कम दो अधिवेशन होने चाहिए, और पहिले अधिवेशन की अन्तिम बैठक और दूसरे अधिवेशन की पहिली बैठक में ६ मास से अधिक अवकाश न हाना चाहिये। राज्यपाल बैठकों को ऐसे स्थान और समय पर कराते है जो वह उचित समझे। वह इनका समावसान (Prorogue) कर सकते हैं और ५ वर्ष की अवधि से पहिले ही विधान सभा को भंग कर सकते हैं। प्रत्येक अधिवेशन के आरम्भ में गवर्नर महोदय भाषण देते हैं और बीच बीच में भी वह भाषण दे सकते हैं। इन अवसरों पर वह सदस्यों का उपस्थित हाना अनिवार्य कर सकते है। किसी विधेयक पर शीघ्र निर्णय कराने के लिए ये सदनों में अपना अभिभाषण भेज सकते हैं। प्रत्येक मन्त्री और महा अधिकारी को किसी भी सदन में अपने विचार प्रकट करने और

उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वे उसके सदस्य हो या न हो, परन्तु वे बाट तभी दे सकते हैं यदि इसके सदस्य भी हों।

विधान सभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष का निवाचन, बैठकों पर सभापतित्व करने और इस पद से सम्बन्धित अन्य सभी कार्यवाहियों का सञ्चालन करने के लिए करेगी। साथ ही एक उपाध्यक्ष का अध्यक्ष की अनुमतिपूर्वक में इनका कार्य करने के लिये चुन लिया जायेगा। इसी प्रकार विधान-परिषद् भी (जहाँ रही हो) अपने सभापति और उप-सभापति का निवाचन करेगी। यह सभी पदाधिकारी अपना पद रिक्त कर देंगे यदि वे सदनों के सदस्य नहीं रहते। बीच में भी वे अपनी इच्छा से पद त्याग कर सकते हैं, सदन भी उन्हें पदच्युत कर सकता है। जब सभी इनका पद से हटाने के लिये प्रस्ताव पर वाद विवाद हो रहा हो उस समय सम्बन्धित व्याक्त सभापतित्व न कर सकेंगे परन्तु उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेकर अपना स्थिति स्पष्ट करने का अवसर होगा। इस प्रकार के प्रस्तावों के लिये कम से कम १४ दिन का नोटिस मिलना चाहिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उप-सभापति को वेतन और भत्ते मिलेंगे जो राज्य का विधान मण्डल कानून के द्वारा निश्चित करे। सभाध्यक्ष की शक्तियाँ और उनके पद के कृत्य तथा मन्त्र के बारे में पहिले ही विवरण आ चुका है। उन पूर्व दोहराने की आवश्यकता नहीं।

संविधान द्वारा निर्धारित विषयों को छाड़कर सभी प्रश्नों या उपस्थित हाकर मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से तैयार जायेगा। यही नियम दोनों सदनों के समुक्त अधिवेशन पर भी लागू होता है। अध्यक्ष या सभापति का मत देने का अधिकार नहीं है परन्तु मतों के समुलन (tie) की अवस्था में उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसी बैठक का कोरम पूरा होने के लिए १० सदस्य या कुल सदस्यों का दस वा भाग, इन दोनों में से जा भी रही संख्या हो, उपस्थित होने चाहिए राज्य के विधान मण्डल में उच्च अथवा उच्चतम न्यायाधीश के कार्य के विषय में कोई वाद विवाद न होगा। राज्य की कार्यवाही उसी राज्य की प्रादेशिक भाग, हिन्दी वा अंगरेजी में होगी।

विधान-मण्डल के सभी सदस्यों को संविधान के प्रति निष्ठा (Allegiance) और अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेना पडती है। उन्हें राष्ट्र-स्वातन्त्र्य का अधिकार और वे सब सुविधाएँ प्राप्त हैं जा कि मन्तार के अन्य देशों में है। उनका वेतन और भत्ते विधान-मण्डल, विधि के द्वारा नियत करेगा। कोई सदस्य अपने पद का त्याग करने के लिए अपने हलाकतों का प्रार्थना पत्र अध्यक्ष या सभापति से पत्र भेजेगा। यदि कोई सदस्य, बिना आज्ञा लिए, सदन की बैठकों से लगातार ६० दिन के लिए अनुपस्थित है, राज्य के किसी वैतनिक पद को स्वीकार

कर लेता है, किसी दूसरे राज्य का नागरिक बन जाता है या पागल अथवा दिवालिया हो जाता है तो उनकी जगह रिक्त घोषित कर दी जायेगी।

विधान प्रक्रिया—कोई भी अधिनियम तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक उसे दोनों सदन पारित न कर दें और गवर्नर उसे स्वीकृति न दें। जहाँ जहाँ केवल एक ही सदन है वहाँ प्रक्रिया-सम्बन्धी कोई कठिनाई उपस्थित नहीं होती। किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना सदन का अपने कार्य-संचालन की प्रक्रिया निश्चित करने का अधिकार है। यह आशा की जाती है कि प्रत्येक विधान सभा वही प्रणाली अपनाएगी जो कि इंग्लैण्ड में प्रचलित है। इसके अनुसार एक विधेयक को पांच अवस्थाओं से अर्थात् प्रथम पठन, द्वितीय पठन, कमिटी स्टेज, रिपोर्ट स्टेज, और तृतीय पठन की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यही प्रणाली १९३५ के ऐक्ट के अन्तर्गत भी अपनाई गई थी। प्रक्रिया का समस्या उस समय सामने आती है जब विधान मण्डल द्विआगारिक हो। केन्द्रीय व्यवस्था के बारे में हमें यह शक हो चुका है कि सिद्धान्त में लोकसभा और राज्य परिषद् का समान दर्जा है। कोई भी विधेयक उस समय तक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये नहीं रखा जा सकता जब तक कि एक ही रूप में उसे ससद् के दोनों सदन पारित न कर दें। परन्तु राज्यों में विधानमण्डलों के दोनों सदनों का बराबर का दर्जा स्वीकार नहीं किया गया। वहाँ विधान परिषदों का सभाओं की अपेक्षा, कानून बनाने में, छोटा दर्जा है। पहिली बात—विधान परिषद् में कोई धन विधेयक आरम्भ नहीं किया जा सकता ऐसे विधेयक विधान सभा में ही प्रारम्भ किये जा सकते हैं। केवल इसी बात से हम विधान-परिषद् को अधीन नहीं कह सकते, यह पद्धति तो प्रायः सभी देशों में इसी प्रकार की है। वहाँ भी दूसरे सदन को धन विधेयकों के आरम्भ करने का अधिकार नहीं दिया जाता। दूसरे, विधान में इस प्रकार का निर्देश है कि विधान सभा से पास होने के बाद एक साधारण विधेयक विधान परिषद् में जाना चाहिए। यदि ऐसा विधेयक परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिया जाय, या वहाँ तीन महीने के भीतर वह पारित न हो, या ऐसे सशोधनों के साथ पारित हो जिनसे असेम्बली सहमत नहीं है और दोबारा असेम्बली उस पर विचार कर चुकती है तो वह विधेयक गवर्नर की स्वीकृति के लिए पेश कर दिया जायेगा। दूसरे शब्दों में, साधारण विधेयकों के बारे में अन्तिम निर्णय विधान सभा को ही सौंप दिया गया है—विधान-परिषद् को उसके समान शक्तियाँ नहीं हैं। यह तो केवल इतना ही कर सकती है कि विधान परिषद् का किसी विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिये बाध्य करदे, यह अपने दृष्टिकोण को असेम्बली के ऊपर घोष नहीं सकती। इस प्रकार विधान-परिषद् एक पुनर्विचार करनेवाला और विधेयकों को पारित होने में देरी लगानेवाला सदन है।

केन्द्र में लोकसभा के मुकाबले में राज्य परिषद् की जो स्थिति है, राज्यों में विधान सभा के मुकाबले में विधान परिषद् की उससे भी वहीं कमजोर स्थिति है। यद्यपि विधान परिषद् में भी साधारण विधेयकों को श्रारम्भ किया जा सकता है परन्तु सभी महत्त्वशाली बिल पहिले असेम्बली में ही रखे जाते हैं।

घनविधेयक सम्बन्धी विशेष प्रक्रिया—कोई विधेयक उस समय घनविधेयक कहलाता है जबकि उसके द्वारा कोई कर लगाया जाय, रद्द कर दिया जाय या घटाया जाय या उधार लेने पर नियंत्रण करने अथवा 'सन्धित निधि' में रूपा जमा करने या निकालने इत्यादि से सम्बन्धित हो। इस प्रकार का विधेयक विधान सभा में ही श्रारम्भ किया जा सकता है। इसके द्वारा पास किये जाने के पश्चात् इसे विधान परिषद् के सामने रख दिया जाता है जहाँ से यह १४ दिन के भीतर ही परिषद् की सिफारिशों के साथ विधान सभा में लौट आना चाहिए। यह सभा की मर्जी है कि वह इन सिफारिशों को स्वीकार करे या न करे। यदि यह परिषद् भी सिफारिशों को मान लेती है तो सशोधित विधेयक दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत समझा जाता है। यदि सभा सशोधनों को स्वीकार करे तो वह विधेयक उसी रूप में दोनों सभाओं द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमें असेम्बली ने उसे भेजा था। तत्पश्चात् विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के लिये रख दिया जाता है। इस प्रकार विधान परिषद् को घन विधेयकों के सम्बन्ध में कोई शक्ति नहीं दी गई। यह तो केवल उनके ऊपर वाद-विवाद कर सकती है परन्तु सभा के निर्णयों को बदलने, सशोधित करने या रद्द करने का इसे कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार साधारण विधेयकों के बारे में भी परिषद् के सीमित अधिकार हैं।

विधेयकों की स्वीकृति—उपरोक्त रीति द्वारा पारित किये हुए विधेयकों को अन्त में राज्यपाल की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। अथवा उसे राष्ट्रपति के निर्णय के लिए रख लेते हैं। किसी साधारण विधेयक को गवर्नर महोदय अपने भाषण के साथ विधानमण्डल को पुनर्विचार के लिये भेज सकते हैं। यह पुनर्विचार केवल गवर्नर द्वारा उल्लिखित सशोधनों के ऊपर ही किया जायगा दोना सदन राज्यपाल के सुझावों पर तो पुनर्विचार तो अस्वीकार करेगे परन्तु वे इन सशोधनों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि इन बार ये सदन गवर्नर के सुझावों को मानकर या न मानकर विधेयक को पारित कर देते हैं, तो गवर्नर उसपर अपनी स्वीकृति देने से इन्कार न करेंगे। यदि गवर्नर महोदय का यह विचार है कि कोई विधेयक पास किये जाने पर उच्च-न्यायालय की शक्तियों में बन्नी करेगा तो वह ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रोक लेंगे। राष्ट्रपति इसे स्वीकृति दे सकते हैं या इन्कार कर सकते हैं।

यदि कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रोक लिया गया है तो वे राज्यपाल को इस विषय का आदेश दे सकते हैं कि विधेयक को सदनों में उल्लिखित सशोधनों के ऊपर पुनर्विचार के लिये लौटा दिया जाये। सदनों में सशोधन के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा। इस बार यदि सशोधनों का मानकर या न मानकर ये सदन विधेयक का पारित कर देते हैं तो फिर इस राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये रोक दिया जायेगा।

ब्रिटिश सम्राट् का २^० अधिनियम है कि वे ब्रिटिश मन्द् द्वारा पारित किये हुए किसी विधेयक पर स्वीकृत करने से इकार कर सकते हैं। परन्तु वे अभी इस शक्त का प्रयोग नहीं करते चूँकि यह मन्द् शासन का मडान्ताक विपरीत है। यह अभी हमें देखना नहीं है कि भारत में राज्यपाल अपनी इस शक्त का किस प्रकार प्रयोग करेगा। हम तो केवल इतना ही कह सकते हैं कि राज्यपाल विधेयकों को बहुत कम दशाश्रा में अस्वीकृत करने केवल प्रायत् में ही ऐसे अवसर आ सकते हैं। सामान्य काल में इस आधिकार के प्रयोग से राजनैतिक गतिरोध उत्पन्न होने का खतरा है।

वित्तीय विषयों में प्रक्रिया — वित्तीय विषयों के सन्ध में केन्द्र और राज्यों को मूलरूप से एक प्रकार की प्रक्रिया ही चलती जायेगी। यह राज्यपाल का कर्तव्य होगा कि वित्तीय वार्षिक विवरण तैयार कराये जिसमें राज्य की आगामी वर्ष की अनुमानित आय और व्यय का व्यौरा हो। यह व्यौरा राज्य के विधान मण्डल के सम्मुख रखा जायेगा। अनुमान पत्र में व्यय के बारे में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होनी चाहिए (1) वे धन राशियाँ जो सचिव निधि पर व्यय के रूप में भारित हैं (11) और वे अन्य व्यय जिनका सचिव निधि पर भारित करने का प्रस्ताव विधान सभा ने स्वीकार कर लिया है। यह जानना आवश्यक है कि कौन सा व्यय सचिव निधि पर भारित है और कौन सा नहीं है। विधान में सचिव निधि पर भारित व्यय की निम्नलिखित मदा का उल्लेख है —

(क) राज्यपाल की उपलब्धियाँ और भत्ते तथा उनके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय,

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते,

(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है।

(घ) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते विषयक व्यय।

(ङ) किसी न्यायालय या मन्द् न्यायाधिकरण के निष्पत्ति, आगतिष्ठ या पचाट + के भुगतान के लिये अर्पित कोई राशियाँ।

* Degree

+ Award

(च) और कोई अन्य व्यय जो सविधान या ससद् द्वारा इस श्रेणी में रखा जाये ।

इस प्रकार के भारत व्यय पर विधान मण्डल में वाद विवाद तो हो सकता है परन्तु उस पर मत गणना नहीं कराई जाती । और सभी खर्च मतदेय (Votable) है । दूसरी श्रेणी में आने वाले अनुमान अर्थात् जिसके ऊपर विधानमण्डल की स्वीकृति ली जाती है विधान सभा के समस्त अनुदानों की मात्रा के रूप में पेश किये जाते हैं । वाद विवाद के पश्चात् विधान सभा किसी भाग में स्वीकार कर सकती है उसे कम करके स्वीकार कर सकती है या निकुल अस्वीकार कर सकती है । परन्तु यह इस व्यय में कृत्रिमता न कर सकती और न उसे एक मद्र से दूसरी मद्र में बदल सकती है । अनुदान की कोई मात्रा तब तक नहीं रखी जा सकती जब तक राज्यपाल इस विषय की मितरिक्त न करें । इसका यह अर्थप्राम्य है कि विधानमण्डल के साधारण सदस्यों का नये खर्च का प्रस्ताव रखने की आशा नही है, यह तो केवल सरकार का ही अधिकार है ।

विधान-सभा की स्वीकृत मागों के आधार पर एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) तैयार करके सभा के सामने रखा जायेगा । विधानमण्डल का कार्य सदन इस विधेयक में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता । यह विधेयक एक अन्तिम निर्णय है जिसके अनुसार राज्य की मन्दिन निधि में से रुक्या निशाला जा सकता है । यदि विनियोग विधेयक का निश्चित धन राशि से किसी विशेष सेवा के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है तो राज्य पाल का अनुपूरक, या अर्धमार्ग अनुदानों का अनुपूरक वित्तीय विवरण (Supplementray Financial Statement) के रूप में उपमाने का अधिकार है ।

केन्द्रीय तान सभा की माँग राज्य की विधान सभा भी लेगानुदान (Votes on Account) प्रयानुदान (Votes on credit) और असाधारण मात्रा स्वीकार कर सकती है । लेगानुदान एक ऐसा अनुदान है जो निवृत्त प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहिले ही विधान मण्डल द्वारा दे दिया जाय । यह एक अनुमानित व्यय से सम्बन्धित है जोकि वित्तीय बर ए एक माग के लिये है । लेगानुदान का स्वीकार करने से विधान मण्डल का यह सुनिश्च हो जाती है कि वह नये वर्ष के शुरू होने से बाद तक अनुदान की मागों पर विचार विमर्श और वाद विवाद कर सकता है । पुरानी पद्धति के अनुसार आर्थिक वर्ष के आरम्भ होने से पहिले ही बजट स्वीकार करा लेना पड़ता था । नई प्रणाली का उपमाने से इस बात की आनन्दनता नहीं रही ।

प्रयानुदान ऐसी मागों को पूरा करने के लिए स्वीकार दिया जाता है जिन की पहिले कल्पना न की जा सके थी और जिन का विचार पूर्ण वार्षिक विवरण में

उल्लेख नहीं किया गया था। एक असाधारण अनुदान वह होता है जो किसी वित्तीय वर्ष की प्रचलित सेवाओं से सम्बन्ध नहीं रखता।

धन विधेयक—ऐसा विधेयक जो ऐसे मागोंपाय (Ways and Means) का निश्चय करे जिसके अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के व्यय के लिए राजस्व एकत्रित करने का तरीका हा धन विधेयक कहलाता है। यह उन निर्णयों के आधार पर बनाया जाता है जा कि विधान सभा कर और ग्रहण लेने के बारे में करती है। जैसा कि पहिले ही समझाया जा चुका है कि इस विषय में विधान सभा ही अन्तिम निर्णय करती है, परिपद को ऐसे प्रस्ताव को स्वत बदलने या सशोधित करने की शक्ति नहीं है।

विधान मण्डल के प्रत्येक सदस्य को अपने कार्य-संचालन के लिए विधायिनी और वित्तीय प्रक्रिया को निश्चित करने का अधिकार है। जब तक नये नियम न बनाए जायें तब तक पुराने नियमों को ही आवश्यक परिवर्तनों के साथ काम में लाया जायेगा। विधान मण्डल की कार्यवाही प्रादेशिक भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी में होगी। यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि हमारे राज्य, उत्तर प्रदेश में सभी कार्यवाही हिन्दी में की जाती है।

राज्यपाल की विधायिनी शक्तियाँ—राज्यपाल की अधिवेशनों को बुलाने उन्हें सम्बोधित करने अभिभाषण भेजने आदि शक्तियों का यथा स्थान वर्णन किया जा चुका है। इन के अतिरिक्त उन्हें अध्यादेश लागू करने का भी अधिकार है। जब विधान मण्डल का अधिवेशन न हो और गवर्नर महोदय को यह विश्वास हो जाये कि परिस्थितियाँ तुरन्त कार्यवाही के लिये बाध्य कर रही हैं तो वे आवश्यक अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऐसा अध्यादेश राज्य के विधान मण्डल के समक्ष रखा जाना चाहिए और विधान मण्डल की बैठक शुरु होने से छु सप्ताह के बाद उस का प्रभाव शून्य हो जायेगा। छ सप्ताह से पहिले ही इसे गवर्नर वापस ले सकते हैं या विधान मण्डल के सदस्य अस्वीकार कर सकते है।

यदि किसी अध्यादेश का ऐसे मामले से सम्बन्ध है जिस के बारे में कोई विधेयक राज्य के विधान मण्डल में दिना राष्ट्रपति की अनुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता या जिस को राष्ट्रपति के विचार करने के लिये रोकना आवश्यक है तो ऐसे अध्यादेश के लागू करने से पहिले राज्यपाल को राष्ट्रपति की हिदायत ले लेना चाहिए।

गवर्नर को अध्यादेश लागू करने की शक्ति आपात का सामना करने के लिये दी है। ये अध्यादेश सातद अधिकार के अधीन हैं चू कि उन्हें विधान मण्डल के सामने रखना आवश्यक है।

न्यायपालिका—पहिले पृष्ठों में कई बार इस बात का संकेत किया जा चुका है कि हमारे सविधान और दूसरे सघात्मक राज्यों के सविधानों में यह अन्तर है कि यहाँ

दुसरे विधान मण्डल और दुसरी कायपालिकाओं के होते हुए भी सारे दश में सम्बन्ध मन्त्रालय न्याय व्यवस्था है। इसीलिए हमारे विधान में राज्य की न्यायपालिका की रचना और शक्तियों का इस प्रकार से उल्लेख नहा है जैसा कि कायपालिका और विधानमण्डल के बारे में।

फिर भी प्रत्येक राज्य में एक सुप्रीमकोर्ट न्यायपालिका है जो इसकी सर्वोच्च न्यायपालिका और विधान मण्डल से भिन्न और प्रथम है। न्यायपालिका में कई प्रकार के न्यायालय सम्मिलित हैं। सबसे ऊपर हाईकोर्ट और उसके नीचे पाजबारी और दीवानी जिलों की अदालत हैं। दीवानी मामलों के लिए सभसे छोटी मुल्काफ की प्रथमत और पाजबारी मुल्काफ के लिए तीसरी छेणी के मजिस्ट्रेट या न्यायालय हैं। उनमें से फिरे जाने वाले मुल्काफों के आधार पर न्यायालयों का दीवानी, पाजबारी और माल तीन प्रकार की अदालतों में बाँटा जा सकता है। पहिले हम उच्च न्यायालय और तत्पश्चात् अधीन न्यायालयों का विवेकन करेंगे।

उच्च न्यायालय — विधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का निर्देश है। विधान के आरम्भ सपदिने जो उच्च न्यायालय प्रिन्सिपलान्त में स्थित थे वे अब तत्कालीन राज्य के उच्च न्यायालय समझ जायगा।

प्रत्येक न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और उतने अन्य न्यायाधीशों ब्रितने गण्य राज्य के राज्यों के समय समय पर नियुक्त करें, होते हैं। इसीलिए प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। एसी ही व्यवस्था १९५५ के राजमन्त्रालय द्वारा जारी एक अधिनियम अनुसार प्रत्येक प्रान्त के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय के समान करने के लिए किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत १५ स्थायी न्यायाधीश हैं, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और भी नौ अल्पकालीन हैं इनके अतिरिक्त ५ सहायक न्यायाधीश हैं। १९३५ से एक के अन्तर्गत इसकी कुल संख्या अधिक से अधिक १० हो सकती थी। पहली अक्टूबर १९४६ के १० पी० के उच्च न्यायालय में १६ न्यायाधीश थे।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के परामर्श से करनी और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का भी परामर्श लेना पड़ेगा। प्रिन्सिपल राज्य काल में इसकी नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों के परामर्श से करनी पड़ेगी है कि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति का स्वयं अधिकारी और सदस्यों का सहभाग लेना पड़ेगा। यह परिवर्तन न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनैतिक प्रभाव को रोकने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका को स्वतंत्रता देने का है, जो कि प्रशासन की सहायता के लिए आवश्यक

है। इसी ध्येय की श्रार लेजाने वाले श्रार भी उपर-ध हैं। न्यायाधीश ६५ वर्ष तक की अवस्था तक पदासीन रहते हैं। नवल राष्ट्रपति ही दो शतों के मातहत उन्ह पदच्युत कर सकते हैं। पहली शर्त यह है कि वह अयोग्य सिद्ध हो जायें, और दूसरी शर्त यह है कि दाना सदनों ने उनके गिलाफ प्रस्ताव पास करके भेजा हो। इस प्रकार का प्रस्ताव दोनों सदनों में पृथक् पृथक् उपस्थित होकर मत देने वाले सदस्यों के दा तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए। उनकी नाराय्याँ श्रार भत्ते उनके कार्य काल में कम नहीं हो सकते श्रार ये राज्य की साचत निधि पर भारित होंगे। अर्थात् उनके ऊपर विधान मण्डल का मत न लिया जायेगा। राज्य ने विधान मण्डल में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आचार के ऊपर किसी प्रकार का वादविवाद नहीं हो सकता। कानून का अर्थपाल के ऊपर यह पाबन्दी है कि ऐसे पारित विधेयक का जिससे उच्च न्यायालय की शाक्त श्रार प्राधिकार पर कोई उलटा प्रभाव पड़ता हो, राष्ट्रपति के निर्णय से लिये भजद। सेवानवृत्त (Retired) न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में बमालत करने की श्राजा नहा है। इस प्रकार सविधान के निर्माताओं ने सच्चे हृदय से इस बात का प्रयत्न किया है कि न्याय पालका को एक स्वतन्त्र स्थान श्रार सुरक्षा दिये जायें। नागरिका के श्राधिकार श्रार स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए एक स्वतन्त्र न्याय पालिका आवश्यक है। सविधान के सरक्षण के लिए भी इसका महान् महत्व है।

भारत का कोई भी नागरिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य समझा जायेगा यदि वह कम से कम १० वर्ष तक न्याय सम्बन्धी सेवा कर चुका है या कम से कम १० वर्ष तक उच्चन्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है। इस प्रकार ऐडमिनिस्ट्रिटिव सर्विस जिसने पुरानी आर्द० सी० ऐस० का स्थान लिया है, के सदस्य इस पद पर नियुक्त नहा हो सकते। १९३५ ई० के ऐक्ट की श्रापेक्षा इस विधान में यह एक श्रच्छी बात है कि श्र १०० सी० ऐम० के सदस्यों को न्यायाधीश नहा नियुक्त किया जायेगा। पदत्याग करने के लिए न्यायाधीश को राष्ट्रपति के नाम पर प्रार्थनापत्र देना पड़ेगा। उपरोक्त रीति से राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को पदच्युत भी कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधिपति को ४०००) प्रतिमास श्रार दूसरे न्यायाधीशों को ३५००) प्रतिमास वेतन दिया जायेगा।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार—१९३५ ई० के गवर्मेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट के अन्तर्गत उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार काफी विस्तृत था, पुराने प्रतिमन्त्रों को हटा कर श्रार नये अधिकाय दकर नये सविधान ने इसके क्षेत्र को श्रार भी अधिक विस्तृत कर दिया। राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होने के नाते इसका विशेष काम दीपानी श्रार फौजदारी मुन्दगों की अपील सुनना है। केवल बम्बई, कलकत्ता श्रार मद्रास के उच्च न्यायालयों का ही व्यवहार श्रार दरद विषयो में प्राथमिक क्षेत्राधिकार

है। प्राथमिक न्यायालय होने के नाते वे २०००) से अधिक रकम के दीवानी मुद्दों को ले सकते हैं और दण्ड विषयों में वे प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेटों द्वारा भेजे हुए मुद्दों का फैसला कर सकते हैं। इन तीनों न्यायालयों को समुद्र में किये हुए अपराधों के मुद्दों का भी अधिकार है।

सभी उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में दीवानी, पंजीवारी और वे सभी मुद्दों में आते हैं जो इच्छापत्र (Wills), दिवाले, जनपद विवाह (Civil Marriage) और विवाह-विच्छेद से सम्बन्धित हों। १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत किमी भी उच्च न्यायालयों के प्राथमिक क्षेत्राधिकार में राजस्व से सम्बन्धित कोई विषय या इनके इच्छा करने के बारे में कोई आदेश शामिल नहीं था। नये संविधान ने यह प्रतिबन्ध हटा दिया है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय (Court of Record) है। अधीनस्थ न्यायालयों में इसके निर्णय प्रामाणिक माने जाते हैं। अपने अस्तित्व के लिए यह किसी व्यक्ति पर मुद्दा चलाकर उसे दण्ड दे सकता है। संविधान द्वारा निश्चित मूलाधिकारों के लागू करने के लिए तथा और दूसरे उद्देश्यों से यह बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश (Mandamus) प्रतिषेध (Prohibition) और उल्लेख-लेख आदि लेन जारी कर सकता है। यह संविधान का निर्वाचन (Interpretation) और सन्तुष्ट करता है, और राज्य के विधान-मण्डल के किमी भी अधिनियम का प्रभाव शून्य घोषित कर सकता है यदि वह संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है। प्रत्येक उच्च न्यायालय अपने पुनर्विचार व क्षेत्राधिकार में सम्मिलित सभी न्यायालयों का अधीक्षण करेगा। वह एक न्यायालय से दूसरे में किसी मुद्दों का बदल सकता है, उन न्यायालयों के लिए कार्यप्रणाली और कार्यवाहियों के नियम बना सकता है, उनका पुनरा और प्रविष्टियों के रखने का ढंग निर्धारित कर सकता है और उन उपलब्धियाँ का स्थिर कर सकता है जो ऐसे न्यायालयों के पदाधिकारियों को तथा इनमें कृति करने वाले न्यायायकों, अधिकारियों और कर्मियों को दी जायगी। यदि उच्च न्यायालय का विश्वास है कि उसके अधीन न्यायालय में रुके हुए किसी मामले में इस संविधान के निर्वाचन का कोई सारजन विधि प्रश्न अन्तर्गत है, जिसका निर्धारित होना मामले का निराकरण के लिए आवश्यक है, तो वह उस मामले को अपने पास भगा लेगा। वह या तो मामले को स्वयं निपटा लेगा या उच्च विधि प्रश्न का निर्णय करके उस मामले को पहिले न्यायालय को लौटा सकेगा। उन न्यायालय अगली कार्यवाही उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए करेगा।

यह वाद रहना चाहिए कि राज्य में उच्च न्यायालय ही मज से बड़ा पुनर्विचारालय है परन्तु यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। १९३५ ई० के ऐक्ट के अन्तर्गत इसकी अपील

प्रीवी कांसिल की जूडिशियल कमेटी मुनती थी—दीवानी मुकदमों में (१९,०००) से अधिक के मामलों पर या उन मामलों पर अपील हा सक्ती थी जिनमें विधि का कोई साखान प्रश्न निहित हा। चू कि अब भारत एक पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र है इसलिए यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय इसी देश के अन्दर है। अब प्रीवी कांसिल का अपील सुनने का अधिकार खत्म हो गया है। अब दीवानी फौजदारी और दूसरे मुकदमों में उच्च न्यायालय की अपील उच्चतम न्यायालय मुनता है। यह भी कहना आवश्यक है कि ससद विधि के द्वारा एक उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का क्षेत्र दूसरे राश्यों तक बढ़ा सक्ती है या उसी राश्यों तक सीमित कर सक्ती है।

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है। सेना से सम्बन्ध रखने वाले न्यायालय और न्यायाधिकरण इसके क्षेत्राधिकार से बाहर हैं।

अधीन न्यायालय

(क) दण्ड न्यायालय—दण्ड-न्याय (Criminal Justice) के प्रशासन के लिए एक राश्यों को बहुत से क्षेत्रों में विभाजित कर लिया जाता है जिन्हें सेशनल डिवीजन कहते हैं। ये डिवीजन साधारणतया उन जिलों के समरूप हैं जिनमें प्रशासन के सुभीते के लिये राज्य का बाँट लिया जाता है। प्रत्येक सेशनल विभाग अथवा जिले में एक सेशनल कोर्ट हाती है जो कि उस क्षेत्र में फौजदारी मुकदमों के लिए सब से बड़ा न्यायालय होता है। सरकार इस न्यायालय के 'सेशनल जज' की नियुक्ति कर सक्ती है। सेशनल कोर्ट के प्राथमिक और पुनर्विचार—दानों प्रसार के अधिकार हैं। वह सब फौजदारी के मुकदमों जा नीचे की अदालतें सुन नहीं सक्ती इनके पास भेज दिये जाते हैं। इसका विधि द्वारा निर्धारित बड़े से बड़ा दण्ड देने का अधिकार है। इसके प्रत्येक मृत्यु-दण्ड के निर्णय पर उच्च न्यायालय का प्रमाणीकरण आवश्यक है। सेशनल कोर्ट में इस के अधीन दण्ड न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपीले आती हैं।

सेशनल कोर्ट के अधीन जिले के मजिस्ट्रेटों के न्यायालय होते हैं। वह तीन श्रेणियों के होते हैं। एक प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश (Magistrate) को दो वर्ष तक की सजा और (१०००) तक जुर्माना करने का हक है। यदि जिलाधीश से लिखित आग्रह मिल जाये तो वह निचली अदालतों की अपील सुन सकता है। दूसरी श्रेणी के दण्डाधीश ६ मास तक की सजा और (२००) तक जुर्माना कर सकते हैं। तीसरी श्रेणी के दण्डाधीशों को १ महीने की जेल और (५०) तक जुर्माना करने की शक्ति दी गई है। दूसरी और तीसरी श्रेणियों के दण्डाधीशों को पुनर्विचार का अधिकार नहीं है। प्रत्येक न्यायालय के क्षेत्राधिकार की परामर्याद नियत होती है जिन मामलों के ती करने का इन्हें अधिकार नहा होता वे सेशनल कोर्ट का भेज दिये जाते हैं।

प्रत्येक जिले के जिलाधीश का प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसी कारण उन्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैलियत से वे दूसरे मजिस्ट्रेटों के काम की दस्तरेज करते हैं और उनमें कार्य वितरण करते हैं। केवल कुछ निर्धारित विषयों के अतिरिक्त जिलाधीश तथा और दूसरे दण्डाधीश किसी विषय में सेशन जज के अधीन नहीं है। प्रेसीडेन्सी टाउन (फ्लोरिडा, बम्बई और मद्रास) में प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट हैं और बड़े बड़े नगरों में नगर दण्डाधीश (City Magistrate) होते हैं जो कि फौजदारी मुद्दों का फैसला करने और सेशन कोर्ट तथा हार्दमों का अधिपत्य सम्पूर्ण मामलों को सौंपने का काम करते हैं।

नई श्रेणी के वैतनिक दण्डाधीशों के साथ अद्वैतनिक दण्डाधीश भी रखे जाते हैं। उनमें भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियाँ हैं। उनके पास मामूली मुद्दों में भेज जाते हैं और वे "बैंच" के रूप में अर्थात् दो या तीन इक्के बैचर कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति प्रान्तीय सरकार करती है। प्रान्तीय सरकार जिमी भी व्यक्ति को प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के दण्डाधीशों के अधिकार सौंप सकती है। ऐसा व्यक्ति स्पेशल मजिस्ट्रेट कटलायेगा और प्रेसीडेन्सी नगरों के अतिरिक्त जिमी निर्धारित क्षेत्र के फौजदारी मुद्दों को नियत अर्थात् तब तै करेगा।

(ख) जिले में व्यवहार न्यायालय:—एक जिले में व्यवहार (Civil) न्यायालय कई श्रेणी के होंगे। उनमें सबसे बड़ा जिला न्यायाधीश या न्यायालय है। जिला न्यायाधीश के प्राथमिक और पुनर्विचार दाना ही प्रकार के अधिकार हैं। प्राथमिक क्षेत्र में उसके न्यायालय में जिमी आर्थिक मूल्य (Pecuniary Value) के विचार से सब तरह की नालिशें हा सकती हैं। पुनर्विचार क्षेत्र में वह अपने अधीन न्यायालयों से आर्डर प्रीलै मुक्त हैं और ५०००) से कम मूल्य की नालिशों।

जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीन निम्नलिखित जज और मुन्सिफ के न्यायालय होते हैं। सिविल जन का, जिमी जिमी धन राशि या विचार विषये प्रायः सभी मामलों के तै करने का हक है और उसे पुनर्विचार की भी शक्तियाँ हैं। दूसरे शब्दों में, उसकी शक्ति प्रायः जिला न्यायाधीश की शक्तियों के बराबर हैं, जिससे प्रशासन की दृष्टि में, वे अधीन हैं। उनकी अधीन हार्दमों में सुनी जाती हैं। सिविल जज के न्यायालय के नीचे मुन्सिफों के न्यायालय हैं जिनमें ५०००) तक के दीवानी मुद्दों की सुनवाई होती है। मुन्सिफों को पुनर्विचार का अधिकार नडा होता। इन के अतिरिक्त जिले में 'स्माल काज कोर्ट' होती है। इनमें २५०) तक के मूल्य के मुद्दों में दाखल होते हैं और यदि राज्य की सरकार की लिखित स्वीकृति प्राप्त हो जाय तो ये १०००) तक के मुद्दों में तै कर सकती हैं। प्रेसीडेन्सी टाउनों में यह मूल्य २०००) नियत किया गया है। स्माल काज कोर्ट को सजेपतो-बैथिन विचार (Summary trial) का हक है ताकि मामूली नालिशें जल्दी तै हा जाये और श्रम बचल करने में

आसानी हो जाये। यह नियम है कि उनके निर्णयों के खिलाफ जेबल विधि प्रश्नों पर ही पुनर्विचार हो सकता है।

जिला न्यायाधीश या न्यायालय सेशनस चार्ट से जेबल इसी बात में भिन्न है कि पहला व्यवहार न्यायालय है और—दूसरा दरद न्यायालय। तथापि उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में दोनों का एक ही पदाधिकारी होता है। इसीलिए उसका नाम डिस्ट्रिक्ट और सेशनस जज है। चूंकि उनमें दीवानी और फौजदारी दाना ही प्रकार की प्रार्थनाएं और पुनर्विचार सम्बन्धी शाक्त्या निहित हैं इसलिए वे जिले के एक मुख्य पदाधिकारी हैं। न्याय सम्बन्धी कृत्वा के साथ-साथ उनके कुछ प्रशासन सम्बन्धी कर्त्तव्य भी हैं। जिले के सभी न्यायालयों पर वे देस रस्त और नियन्त्रण रखते हैं। सहायक न्यायाधीश को वह कुछ मुद्दमों का फैसला साजते हैं। और नावालिग और पागलों की सम्पत्ति की देखभाल करते हैं। इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट और सेशनस जज का बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है।

१९३५ ई० के ऐक्ट के अनुसार पहिले ऐसी व्यवस्था थी कि जिला मजिस्ट्रेटों और दूसरे मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति प्रान्तीय सरकार बिना हार्डसार्ट और पब्लिक सवित कमीशन के परामर्श के ही कर दती थी। नये सविधान में इस व्यवस्था का हक कर सभी प्रकार की न्यायसम्बन्धी नाकरियों को उच्च न्यायालय के नियन्त्रण में रख छोड़ा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सेशनस जज के पद से नीचे वाले सभी दरद, न्यायसम्बन्धी पदाधिकारियों की अनुक्त, बदली इत्यादि का काम कार्य पारिका-आधकार से लेकर लारु सेवा आयोग और उच्चन्यायालय के हाथ में साप दिया गया है।

(ग) आगम न्यायालय—दीवानी और फौजदारी अदालतों के अनिश्चित जिले में आगम न्यायालय (अदालत माल) भी हैं जो कि राजस्व का अनुमान करने और उपाने से सम्बन्ध रखने वाले मुद्दमों का फसला करते हैं। ग्राम और लगान से सम्बन्धित मामला का भी वे ही तै करते हैं। जलार्धश (कलक्टर) जिले में राजस्व का मुख्य पदाधिकारी है और उसका न्यायालय मुख्य आगमन्यायालय है। उसके अधीन सहायक जिलाधीश (Deputy Collector) और तहसिलदार के न्यायालय में होते हैं। अधीन न्यायालयों से कलक्टर और इनसे डिवाजन कमिश्नर के पास आती हैं। बोर्ड आफ रिवेन्यू राज्यों में राजस्व सम्बन्धी सत्र से बड़ा न्यायालय हाता है। पहले यह अपना स्थान बदलता रहता था परन्तु अब इसका भी हैटक्वार्टर इलाहाबाद में स्थित हो गया है।

संघ और राज्यों के सम्बन्ध, लोक-सेवा इत्यादि

परिचयात्मक— हमारा संविधान सञ्चालक है। मधीय प्रणाली का त्तर इस बात में निहित है कि बहुत से राज्यों को एक राष्ट्रीय सरकार के अन्तर्गत इस प्रकार मिलाया जाये कि राज्यों और राष्ट्रीय सरकार दोनों का सर्वज्ञान एक दूसरे से अलग और अत्येक अपने अपने क्षेत्र में स्थायी है। सरकार की शक्तियों का ऋद्ध और इनाइया में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक को अपने अपने निपत विषयों के बारे में कानून बनाने और कम्पन्धी प्रशासन करने का अलग-अलग अधिकार होता है। इन सिद्धांत के अनुसार हमारे संविधान के द्वारा सरकार की शक्तियों का तीन खण्डों में बांट दिया गया है। संघ सूची के विषयों पर समूह ही विधियाँ बना सकती है। राज्य सूची के विषय में राज्यों को ही सनन बनाने का हक है। समग्रता सूची में सम्मिलित विषयों के बारे में केन्द्रीय और प्रांतीय विधान मण्डल दोनों ही विधियाँ बनाएँगे। इन खण्डों का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

राज्य सूची के विषयों पर स संघ के अधिकार— परन्तु हमारे संविधान में ऐसे विशेष अवसरों का उल्लेख है जब कि सम्मता भारत या उसके किसी भाग के लिए समूह या राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। (अ) २४६ के अनुच्छेद के अनुसार समूह राज्य सूची में परिगणित किसी विषय के बारे में विधि बना सकती है यदि राज्य-परिषद् ने उपरिष्ठत आर मत देने वाले सदस्यों के दा विदाई बहुमत से घोषण किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। (ब) २५० के अनुच्छेद के अनुसार समूह का, जब तक आपात की उद्घोषणा प्रयत्न में है, भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये राज्य सूची में परिगणित विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। यह पहिले ही सनेत किया जा चुका है कि संघ काल में हमारी राज्य प्रणाली सञ्चालन के बचाव एतात्मक हो जाती है। (ग) अन्तिम बात यह है कि संघ का या अधिकांश राज्यों के लिये उनकी सदस्यता से विधि बना सकते हैं। इन राज्यों के विधान मण्डल संघ से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह विधि द्वारा कुछ मामलों का प्रणय करे। यह भी कहा जा सकता है कि संघ का किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई संबंध, कर या

हमारे सविधान के द्वारा भी राज्य के साधनों से सघ और राज्यों के बीच विभाजित कर दिया गया है। इसमें सघ के लिए एक संचित निधि (Consolidated Fund) का उल्लेख है, जिसमें भारत सरकार द्वारा एकत्रित किया हुआ राजस्व और उधार लिया हुआ ऋण चाहे वह कसो भी रूप में वसूल हुआ हो, शामिल होगा। इसी प्रकार की एक एक संचित निधि भाग (क) और (ग) के राज्यों के लिये होगी। (ग) भाग के राज्य केन्द्र के द्वारा प्रशासित होंगे इसलिए उनके लिये कोई पृथक् संचित निधि न होगी।

सघ और राज्यों के राजस्व को विलकुल पृथक् पृथक् बाँट दिया जाता यदि यह सम्भव हो सकता है सर्वांग सृष्टी में सम्मिलित सभी विषया की प्रायः सघ की संचित निधि में जमा हो जाती और राज्य विषयों की प्रायः राज्य की निधि में। परन्तु यह विचार कार्यचिन्तन न हो सना, चूँकि इस व्यवस्था से राज्यों के सीमित साधन रह जाते।

कुछ ऐसे शुल्क (Duties) हैं, जिन्हें केन्द्र आरोपित (Levy) करता है परन्तु राज्य वसूल करते हैं और कुछ ऐसे दूसरे शुल्क और कर हैं जिनका सघ सरकार द्वारा आरोपण प्रारम्भ करने वाला है परन्तु जिस की प्रायः राज्यों के लिए इन्तार्पित हो जाती है। कुछ ऐसे कर होते हैं जिन्हें भारत सरकार आरोपित प्रारम्भ करती है किन्तु जो सघ और राज्यों में बाँट दिये जाते हैं। कुछ ऐसे कर एवं शुल्क हैं जिनका भारत सरकार आरोपित प्रारम्भ करती है और उनकी प्रायः प्रायः भारत सरकार अपने काम में लाती है। अन्य में कुछ ऐसे शुल्क और कर हैं जिन्हें राज्य अपने ही स्वयं के लिए लगाते और इच्छा करते हैं। इस प्रकार सघ और राज्यों के विस्तृत सम्बन्ध में एक तरह की उलझन भी आ गई है। सघ सूचा में दिये हुए कुछ शुल्क हैं जो भारत सरकार द्वारा आरोपित किये जाते हैं परन्तु जिन्हें अपने अपने क्षेत्रों में राज्य स्वयं के लिये इच्छा करते हैं। इनमें मुद्रा वे हैं—विनिमय कर, चैक, इन्सुरेन्स पॉलिसी और प्रामिचरी नोट के ऊपर स्टाम्प ट्यूंगी और दवाइयों और धातुन इत्यादि के ऊपर अन्य शुल्क (Excise Duties)।

(२) कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार का शुल्क, कृषि भूमि के अतिरिक्त किसी दूसरी सम्पत्ति पर भूमिगत कर, रेलवे, समुद्र और वायुमार्ग से जानेवाले सामान, और मुनाफियों पर सीमा कर, रेलवे बहन और भाड़े, मुद्रा शुल्क को छोड़ कर स्टॉक एक्सचेंज चिक्वर (Stock Exchange) और दादाशाह के मोदा पर कर, समाचारपत्रों के ब्रय या विपणन पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर, ये सब भारत सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित होते हैं परन्तु इनकी प्रायः राज्यों के लिये हस्तान्तरित कर दी जाती है।

(३) कृषि प्रायः के अतिरिक्त अन्य प्रायः पर कर भारत सरकार द्वारा आरोपित और संग्रहित होते हैं और सघ और राज्यों में बाँट लिये जाते हैं। परन्तु प्रायः द्वारा और

दूसरे नरो पर जो अधिभार (Surchage) होगा वह भारत की सचित निधि मे शामिल किया जायगा ।

(४) जूट, या जूट की बनी वस्तुओ के निर्यात शुल्क से जो आय हागी उसे भारत सरकार ही आरापित और सग्रहित करेगी और इस आय के बदले आसाम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की सरकारों का कुछ भाग सहायक अनुदान के रूप मे दिये जायेंगे ।

(५) मसद् विधि द्वारा यह निर्देश कर सकती है कि कुछ धनराशि सहायक अनुदान के रूप मे सघ की सचित निधि से राज्यों को दे दी जाये ।

सविधान ४ आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगे जो कि यह निश्चय करेगा कि सघ और राज्यों के बीच विभिन्न करो की आय को किस प्रकार बाँटा जाय ? किस सिद्धान्त के आधार पर राज्यों को सहायक अनुदान दिये जाये ? या इसी प्रकार के और वित्त सम्बन्धी मामले किस प्रकार तय किये जाये ? भावार्थ मे वित्त आयोग की नियुक्ति हर पाचवें साल होनी रहेगी । वित्त आयोग मे प्रधान और उनका चार सहायक हाने ।

(६) सघ सूची की आर मदों से वगूल होने वाला राजस्व भारत की सचित निधि का भाग हागा । और इसी प्रकार राज्य सूची की शेष मदों से प्राप्त धन उन पृथक् पृथक् राज्य की सचित निधि मे शामिल हागा जिनके अधिकृत रूप से उगाहया गया है । बहिः शुल्क (Customs) अर्फीम, भग आर अन्य नशेवाली ओषधों का छोड कर अन्य मय वस्तुओ पर उत्पादन शुल्क, निगमकर, रलवे की आय आदि आदि केन्द्रीय राजस्व के मुख्य-मुख्य भाग हैं ।

भारत सरकार की और एक राज्य की आय साधना का अनुमान करने के लिए और उन्हे समझने के लिए उदाहरण की सहायता लेना अधिक उपयुक्त है । भारत सरकार का १९५०—५१ के लिए जा अनुमानित व्यौरा तैयार किया गया है यही सबसे का आधुनिक उदाहरण है जिसे हम निम्नाकत करते हैं —

भारत सरकार के राजस्व का विवरण-पत्र (१९५०-५१)

राजस्व के मुख्य शीर्षक	१९४८-४९ क आँड़ें	दोहराया तयमाना (१९४९-५०)	बजट का तयमीना (१९४९-५०)
१. बहिः शुल्क	१,२६,१५,६७,०००	१,२०,४३,००,०००	१,०६,५४,००,०००
२ सघ आ-कारी शुल्क	५०,६२,५९,०००	५९,१९,००,०००	७१,५५,००,०००
३ निगम कर	६२,२५,८६,०००	४०,६०,००,०००	३८,१०,००,०००

४. आय कर	७७,७०,६०,०००	६२,६६.००,०००	८०,५०,००,०००
५. अफीम	६२,६०,०००	१,२८,००,०००	१,५५,४५,०००
६. अन्य मदे	३,८०,४४,०००	४,७०,८७,०००	६,६६,४३,०००
७. सिन्डार्ड (Net)	७०,०००	४७,०००	४२,०००
८. टाक-तार (Net)	२,३६,४३,०००	३,७७,४३,०००	४,०२,५६,०००
९. श्रृण	१,६०,५०,०००	१,३२,१०,०००	१,१४,२१,०००
१०. मिन्डिल प्रशामन	७,०४,६६,०००	७,१७,२६,०००	७,८६,४७,०००
११. चलाय और टनय	१२,६३,२५,०००	६,६६,०६,०००	६,५२,३१,०००
१२. कर्मशाला इत्यादि	१,२६,८०,०००	१,१९,६६,०००	१,२६,८०,०००
१३. विन्ध	२,५९,६०,०००	३,१०,८३,०००	३,७२,६३,०००
१४. असाधारण मदे	१४,३६,६६,०००	१६,०००	१०,००,०००
योग	३,७१,५६,८५,०००	२,३९,२६,६४,०००	३०,३६,०८,७४,०००

राज्यों के राजत्व के निम्नलिखित मुख्य साधन हैं—निगमन, मूराजन्ध, रा-य की आयकारी, स्तम्भ, वन, कृषि, रजिस्ट्रेशन, मोटर गाडियों के ऐक्ट व अधीन प्राप्ति, दूर कर और शुल्क और सब सप्लाय द्वारा आरोपित जुद्ध कर और शुल्कों में साम्ना । १६५० ५१ के लिए अनेक मापना से अनुमानित उन्नत प्रदेश की आय इस प्रकार हैं :—

राजस्व के मुख्य शीर्षक	यास्तविक आँकड़े (१६१७ ४८)	दोहराया तस्मीना (१६४८ ४६)	वजट का तस्मीना (१६४६ ५०)
१. कारपोरेशन कर अनिर्दिष्ट आय पर दूसरे दर	६,६६,०६,०००	८,६६,०१,०००	६,३३,१५,०००
२. मालगुनारी	६,६१,३८,६७८	६,७७,७३,३००	६,७८,२४,५००
३. राज्य की आवनारी	७,०५,६७,७०७	६,४२,७४,०००	५,६०,३५,१००
४. स्तम्भ	२,१७,६८,६०६	२,२५,००,०००	२,२०,००,०००
५. वन	१,८२,८६,६०५	१,१५,६८,४००	१,१५,५५,७००
६. रजिस्ट्री	१७,६७,६३७	५,६४,२००	१०,००,०००
७. मोटर गाडियों के ऐक्ट के अधीन प्राप्ति	३२,२१,६१६	३२,१७,५००	३६,०६,०००
८. दूर कर और शुल्क	२,५२,३८,१७०	८,५०,७६,२००	१०,२४,८८,०००
९. सिन्डार्ड शुद्ध प्राप्ति	१,७४,६८,५६३	१,४७,५४,३००	२,३६,८२,३००
१०. नागरिक प्रशामन	३,५३,४१,३२७	५,४३,४८,५००	६,८०,८८,८००

२१. नागरिक निर्माण-कार्य	१४,७६,५७३	३०,६०,६००	४०,१६,३००
२२. निजली सम्बन्धी योजना*	१०,७०,१२६	३१,६००	१७,६४,६००
२३. विविध	६२,६७,०५७	१,७५,३६,६००	२,३१,६८,५००
२४. असाधारण मदें	५,८०,७८,६०१	४,१५,२३,८००	६,०४,५६,६००
२५. भ्रष्टण सम्बन्धी आय-व्यय	२२,०३,६५	२२,५६,७००	२०,३१,०००
२६. केन्द्रीय और राज्य की सरकारों के बीच विविध अनुदान और अशदान	३०,६००	१५,०००	१५,०००
योग राजस्व	३८,७४,४८,८४६	४६,०४,२५,२००	५५,७३,४४,१००

सरकारी कर्मचारी—यह एक मानी हुई बात है कि कोई सविधान चारे जिनका ही अच्छा क्यों न बनाया गया हो, अन्योन्यता इमनी सफलता या असफलता उन लोगों की समझ, योग्यता और मर्चाई पर निर्भर होती है जो इसे कार्यान्वित करते हैं। चाहे सावधान जिनका हो पूर्ण क्यों न हो, चाहे विधान मण्डल में जिनके ही अनुभवी और गुण-सम्पन्न व्यक्ति क्यों न हों, चाहे मन्त्रि मण्डल ईमानदारी और देश-भक्ति का साक्षात् प्रतीक हो क्यों न हो, फिर भी यदि एक देश या प्रशासन चलाने वाले अयोग्य और धूर्ततर हैं, तो जनता सुखी नष्ट रह सकती। जनता ने अज्ञाति तभी हाती है जगते सरकारी कर्मचारी, जिनके द्वारा समस्त प्रशासन चलता है, अपने उत्तरदायित्व का पालन नहीं करते। यह भी याद रखना चाहिए कि विधान-मण्डल या मन्त्रि मण्डल दोनों में से कोई भी स्वयं प्रशासन नहीं चलाते। पहला तो कानून बनाता है तथा प्रशासन चलाने के लिये धन राशियों की म्यौकृति देता है और दूसरा स्वयं नीति निर्धारित करके देश की अनेक समस्याओं के बारे में निर्णय करता है। इन निर्णयों की अन्तिम स्वीकृति भी विधान मण्डल के ही ऊपर निर्भर होती है। विधियों तथा नीतियों से वास्तव में कार्यान्वित करने का भार स्थायी कर्मचारियों के कंधों पर छोड़ दिया जाता है जो कि जनता के सम्पर्क में आते हैं। प्रत्येक दश में प्रशासन का मुख्यालय और उच्चस्तर इन्हीं लोगों को मर्चाई, मन्त्रि-वृत्ता, योग्यता और प्रशिक्षण पर निर्भर होता है। इसलिए प्रत्येक शासन प्रणाली में मुख्य तथा कार्य कुशल व्यक्तियों से सरकारी सेवा में भर्ती करने का प्रयत्न होता है। हमारे सविधान में भी इन और नाकी ध्यान दिया गया है और कर्मचारियों की भता पदावधि, पदवृद्धि आदि की शता के बारे में कई अनु-च्छेद हैं।

लोक सेवा-आयोग—सभी लोक तन्त्रात्मक राज्यों में प्रचलित पद्धति के अनुसार हमारे देश में भी सब और राज्यों के लिए एक लोक सेवा-आयोग होगा। जेम्स भी विधान है कि यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधान का मण्डल-प्रत्येक

सदन इस विषय का प्रस्ताव स्वीकृत कर कि उन राज्यों के लिए एन ही सेवा आयोग होना चाहिए तो इस प्रस्ताव का कार्यान्वित किया जा सकता है। सभ लोक सेवा आयोग से भी कोई राज्य अपना कार्य करने की प्रार्थना कर सकता है।

सभ और राज्यों के लोन सेवा आयोग का प्रधान कर्त्तव्य सेवा में भत्ता के लिए परीक्षाओं का करना और उनके परिणाम के आधार पर मजल उम्मेदवारों की नियुक्ति की सिफारिश करना है। यह याद रखना चाहिए कि विभिन्न पदों पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग स्वयं नहीं करता अपितु यह काम सभ में राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का है। लोक सेवा आयोग तो कवल नामों की सिफारिश करता है। इन भाति इसका कृत्य अधिशासी न हानर केवल परामर्श देने का है। चूँकि कर्मचारियों की भर्तों, भर्तों के सिद्धान्त, योग्यताएँ, बदली और पद-वृद्धि नियम आदि में लोक सेवा आयोग का परामर्श आवश्यक है इसलिए हम उसे सरकारी सेवाओं का संरक्षक कह सकते हैं। स्मरण रह कि ब्रिटिश-काल में ब्रिटिश-भारतीय सेवाओं (All India Services) के लिए भत्ता, नियुक्ति, पदवृद्धि इत्यादि की जिम्मेदारी भारत-सन्त्री के ऊपर थी। वह इस विषय में इच्छित कर्मिल का परामर्श लेते थे। परिगणित, जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जा संरक्षण दिये जायेंगे उनसे लोक-सेवा आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।

सविधान के द्वारा 'आयोग' के सदस्य की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। इन सदस्यों की वास्तविक संख्या और उनकी समाजों की शक्तों का निर्णय राष्ट्रपाल, राज्यपाल या राज्य प्रमुख के ऊपर ही छोड़ दिया है। नियुक्ति पश्चात् सदस्यों के वेतन या सुगम सुविधाएँ कम नहीं जा सकती। आयोग में अनुभवी सदस्यों को लाने के लिए यह आवश्यक कर दिया गया है कि उनमें कम से कम आधे सदस्य ऐसे हों जिन्हें कम से कम १० वर्षों का प्रशासन सम्बन्धी अनुभव हो। इनकी नियुक्ति ६ वर्षों के लिए की जाती है। सभ लोक सेवा आयोग के सदस्य अधिकांश से अधिक ६५ वर्ष की आयु तक और राज्य-सेवा आयोग के सदस्य ६० वर्ष की अवस्था तक पद ग्रहण कर सकते हैं। सदस्यों में निष्पक्षता और ईमानदारी लाने के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि किसी दूसरे आयोग के सदस्य या अध्यक्ष होने के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग या कोई सदस्य सरकार की और कोई नौकरी न कर सके। इनके वेतन और भत्ते सभ और राज्यों की सत्तत निधि पर भारित होने हैं।

सभ या राज्य के लोक सेवा आयोग के बारे में जो नियम राष्ट्रपति या राज्यपाल अधिन गन्धप्रमुख बनायेंगे उन्हें सम्बन्धित विधान मण्डलों के प्रत्येक सदन के समक्ष विचार के लिए रखा जायेगा। प्रत्येक आयोग का कर्त्तव्य होगा कि आयोग द्वारा

किये गये काम के बारे में प्रतिवर्ष उस सरकार के प्रमुख—राष्ट्रपति, राज्यपाल या राज प्रमुख को प्रतिवेदन (Report) दें। ऐसे प्रतिवेदन के मिलने पर सरकारी प्रमुख उन मामला के बारे में जिन में निःशुल्क या परामर्श स्वीकार नहीं किया गया ऐसी अस्वीकृति के लिए कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन (Memorandum) के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि संसद के प्रत्येक सदस्य के सामने रखे जायेंगे। आयोग का परामर्श स्वीकार न करने पर सरकार को अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करना पड़ेगा। कदाचार, दिवालियेपन, अपने पद के अतिरिक्त कार्य और वैयक्तिक पद स्वीकार करने या मस्तिष्क या शरीर के बेमार होने के कारण राष्ट्रपति, राज्यपाल या राजप्रमुख, आयोग के सदस्यों का पद से हटा सकते हैं। कदाचार का दोषाचोप उच्चतम न्यायालय के पास अनुसंधान (Investigation) के लिए भेजा जायेगा और इसकी सिफारिश पर ही किसी सदस्य को पद से हटाया जायेगा। इस प्रकार सेवाओं के सरक्षण और लोक सेवा आयोग का स्वाधीन और निष्पक्ष बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया गया है।

सेवाएँ—लोक सेवाओं का माटे रूप से दो विभागों में बाँटा जा सकता है (१) रक्षा बल (२) नागरिक सेवाएँ। संविधान में देश के रक्षाबलों की भर्ती पद्धति आदि के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति सभी सेनाबलों के सर्वोच्च समन्वयक (Supreme Commander) होने के नाते, इन विषयों का निर्णय करेंगे। लोक सेवा आयोग का केवल असैनिक सेवाओं से ही सम्बन्धित है।

राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ साथ देश के मशासन-बलों की दशा में आमूल परिवर्तन हुआ है। ब्रिटिश राज्य काल में रक्षाबलों को दो भागों में बाँटा गया था। एक भाग में भारतीय सिपाही थे जिनके अन्तर्गत अधिष्ठाता और अधिकारी और दूसरे भाग में अधिष्ठाता सिपाही। भारतीय सिपाही अधिष्ठाता उत्तर के प्रांतों और रियासतों से छुट्टे जाते थे और वे भी जनसंख्या के एक अनुचित विभाग अर्थात् युद्धप्रिय जातियों में। जनसंख्या के एक बहुत बड़े भाग का सेना से बहिष्कार, उच्च पदों पर पहुँचने के अवसरों का न मिलना, 'नेत्री' आरक्षणों या वायु सेना में भारतीयों का न लिया जाना—यह सब बातें पहले महा युद्ध के बाद तक भारतीय सेना की मुख्य विशेषताएँ थीं। दूसरे महायुद्ध के दबाव से कुछ अंश तक इन कमियों का दूर किया गया। सेना का बहुत आधुनिक विस्तार कर दिया गया। और इसमें प्रायः सभी जातियों के लोग लिये जाने लगे। जब १९४५ ई० में युद्ध समाप्त हुआ तो भारतीय सेना में लगभग एक तिहाई भारतीय अधिष्ठाता थे। भारत की एक नौसना और एक वायु सेना बनी और बहुत से भारतीयों ने सेनाओं की प्रौद्योगिक (Technical) शाखाओं में स्थान ग्रहण

किया। आजादी मिलने के बाद यह प्रवाह और भी आगे बढ़ा है। अब एक उल्लाही, योग्य और समझदार नवयुवक देश के सशस्त्रता में ऊँच से ऊँचा पदाधिकारी बन सकता है। इस समय हमारा राष्ट्र एक सुन्दर नासना और वायु सेना बनाने में सफल है।

जैसा कि पहिले ही समेत किया जा चुका है असेनक सेवाओं की नियुक्तियाँ सब और राज के लोक सेवा आयोग के परामर्श से होती है। इन सेवाओं को तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है (१) अखिल भारतीय सेवाएँ। ब्रिटिश राज्य काल में इस प्रकार की सेवाओं की भता और नियंत्रण भारत मनी करते थे। वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाओं को वायम रणने का उद्देश्य था अन्वेषक के उस भाग्य से प्रकट हो जाता है जो उन्होंने सविधान सभा के समर्पण दिया था। "सभी सनात्मक राज्यों में फेडरल सिविल सर्विस और स्टेट सिविल सर्विस होती हैं। भारतीय सब के दुहेरीशासन में दुहरी सेवा होगी परन्तु एक अग्रवाद के साथ। यह सर्वमान्य है कि प्रवेश देश की प्रशासी व्यवस्था में कुछ ऐसी विशेष जगह हाती हैं जिन्हें प्रशासन का उच्च स्तर वायम रणने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। प्रशासन का स्तर उन सेवा की बुद्धिमत्ता पर निर्भर है जिनकी इन महत्वपूर्ण जगह पर नियुक्ति होती है। सविधान में ऐसा निर्देश है कि राज्या का अपनी अपनी सेवाओं का संगठित करने का हक उनके पास रहते हुए भी एक अखिल भारतीय लोक सेवा होगी जिसकी भता सार दशमर म हा सकती है जिनके लिये समान योग्यताये होगी, वेतन का एकता ही माप-दरद होगा और केवल उन्हीं के सदस्य समस्त सब क महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो सकेंगे।" परन्तु जबकि १९४७ ई० से पहिले बहुत सी अखिल भारतीय सेवाएँ थी (जैसे—इण्डियन सिविल सर्विस, इण्डियन मैडिकल सर्विस, इण्डियन सर्विस ऑफ इन्जीनियर्स, इण्डियन पुलिस सर्विस) नई व्यवस्था में केवल दो अर्थात् इण्डियन ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इण्डियन पुलिस सर्विस, होगी। परन्तु राज्य परिषद् को यह अधिकार दिया गया है कि विधि द्वारा ऐसी नई अखिल भारतीय सेवाओं न जा सब और राज्यों के लिए उभयनिष्ठ हों, प्रथम दें, ऐसी सेवाओं के लिए भता के नियम बनाये और उनकी शर्तों का निर्धारित करे। इस प्रकार का नानून दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए।

यह कहने की आवश्यकता नही कि भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय ही भता हो सकेगे। अब वे दिन गये बीते हो गए जबकि इनमें सभी महत्वपूर्ण पदों पर विदेशियों को रखा जाता था।

(२) सब सेवाएँ भारत के लोक सेवा आयोग की दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं। ब्रिटिश राज्य-काल में इनके स्थान पर फेडरल सर्विस था। इनके लिए तथा

अखिल भारतीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति सर्व-लोक सेवा आयोग की सिफारिश में नियुक्ति करते हैं। सेवाओं की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। दूसरे शब्दों में, इन्हें बिना किसी कारण के पद से नहा निकाला जा सकता है। इन सेवाओं में किसी भी व्यक्ति को न पद नियुक्त किया जा सकता है और न उसकी पदवी कम की जाती है जब तक कि दोषाचारा ने विरुद्ध उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का पूर्ण अवसर न दे दिया जाये और जब तक उसका दावा पूर्ण रूप से सिद्ध न हो जाये।

सब सेवाओं में भारत सरकार की प्रशासी विभागों से सम्बन्ध रखने वाली अग्रलिखित प्रकार की सेवाएँ हैं।—परराष्ट्र और राजनैतिक विभाग, बाह्य-शुल्क विभाग, लेखा परीक्षा (Audit) विभाग, वित्त विभाग, डाक और तार, रेलवे, आय कर आदि, भारतीय प्रशासी सेवाओं के सदस्य भी इन विभागों के बड़े से बड़े पदों पर नियुक्त हो सकते हैं।

(३) राज्य लोक सेवाएँ—सरकारी कर्मचारियों की तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो विभिन्न राज्यों में सेवा करते हैं और जिनके ऊपर राज्यपाल का सामान्य नियन्त्रण रहता है। राज्य के लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति राज्यपाल या राज प्रमुख करते हैं। राज्यपाल या राज प्रमुख के प्रसाद-पर्यन्त ही ये पद धारण करेंगे। ऊपर लिखी बात का यह अर्थ नहीं कि एक राज्य के अधीन सभी पदाधिकारी राज्य की लोक सेवा के सदस्य हैं। ऊँचे और जिम्मेदार पदों का धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे डिप्टी-जूनियर कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इन्स्पेक्टर जनरल आफ पुलिस और सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, भारतीय प्रशासी और पुलिस सेवाओं के सदस्य होते हैं। डिप्टी कलक्टर, मिजिल सजन, इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, टाईपेक्टर आफ एज्युकेशन, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस, तहसीलदार आदि के पद राज्य की लोक सेवा के अन्तर्गत आते हैं। संविधान ने सेवाओं का नई श्रेणियों में नया बँटा है परन्तु उन्हें राज्य की उच्च और अधीन सेवाओं में श्रेणी उन्नत किया जा सकता है। डिप्टी कलक्टर, डिस्ट्रिक्ट इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, सिविल और प्रिन्सिपल सर्जन, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सिविल जज, गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर और प्रिन्सिपल वगैरह उच्च श्रेणी में आते हैं, तहसीलदार, सब असिस्टेन्ट सर्जन, असिस्टेन्ट मास्टर, सब इन्स्पेक्टर आफ पुलिस, ऐक्साइज इन्स्पेक्टर इत्यादि निम्न श्रेणी में सम्मिलित किये जा सकते हैं। ये दोनों श्रेणियाँ बचन, पद वृद्धि आदि के अनुपात (Scales) में भिन्न भिन्न हैं। निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों में से अधिक योग्य और कार्य-कुशल व्यक्तियों की, पद से निवृत्त होने से पहिले, उच्च-श्रेणी में लिए पद-वृद्धि हो सकती है।

अध्याय १६

जिले का प्रशासन

परिचयात्मक—ब्रिटिश भारत में शासन की प्रणाली साधारणतः इस सिद्धान्त पर आधारित है कि पूरे क्षेत्रफल को एक दूसरे से निरन्तर छोटे होते जाने वाले क्षेत्रों में बाँट दिया गया है और इन क्षेत्रों के अन्तर्गत नम से छोटे होते गये हैं। प्रान्त, जिसके शासन-सम्बन्धा प्रधान गवर्नर हैं, अनेक इकाइयों में विभाजित है, जिन्हें जिला कहते हैं और प्रत्येक जिला जिलाधीश और कलेक्टर के अधीन रहता है। प्रत्येक जिला फिर छोटे-छोटे क्षेत्रों में विभाजित है, जिन्हें तहसील कहते हैं और प्रत्येक तहसील तहसीलदार या मामलातदार के अधीन रहती है। प्रत्येक तहसील में कई गाव सम्मिलित रहते हैं। प्रत्येक गाँव में पटवारी, नम्बरदार या पाटिल तथा चौकीदार सरकारी कर्मचारी रहते हैं। गाव के अधिकारी तहसील अधिकारियों के अधीन रहते हैं, जो स्वयं जिले के कलेक्टर के अधीन हैं। कलेक्टर अपने से ऊँचे अफसर—सब प्रान्तों में वह जानेमाने डिप्टीजनेल आयुक्ता तथा अन्त में गवर्नर के अधीन रहते हैं। प्रत्येक प्रशासित क्षेत्र एक अफसर के अधीन है और यह अफसर अपने से अधिक शक्तिमाने अफसर के अधीन है और इस प्रकार शासन के पूरे ढाँचे की तुलना एक पिरामिड से की जा सकती है, जिसके सर्वोच्च स्थान पर सरकार आती है। प्रशासन की मर्याद का कार्य बड़े अफसरों द्वारा छोटे अफसरों की निरन्तर देखभाल पर निभार है। ये बड़े अफसर अपना नियन्त्रण अनेक प्रकार से लागू करते हैं। दफ्तरो का स्तर कम से ऊँचा होता गया है, और नौकरियों के भी एक से दूसरे में पद-वृद्धि के साथ अनेक स्तर हैं।

इस शासन प्रणाली में जिने का केन्द्रीय तथा धुरीय स्थान है। यह शासन की इकाई या 'शासन के पूरे ढाँचे की आधारशिला है'। ब्रिटिश भारत में विभिन्न क्षेत्रफल तथा जनसंख्या के २७७ जिले थे। सब में छोटा जिला १५०० वर्गमील से थोड़ा कम था। किन्तु सबसे बड़े का क्षेत्रफल ६,००० वर्गमील से भी अधिक था। एक विशेषज्ञ क अनुसार जिले का औसत क्षेत्रफल ४,०७५ वर्गमील है, एक दूसरे अन्य विशेषज्ञ क अनुसार ४,४३० वर्गमील और औसत जनसंख्या दस लाख है।

जिले के अफसर—प्रत्येक जिले के हटक्वार्टर पर लगभग प्रत्येक सरकारी विभाग का एक जिला प्रधान रहता है। मेडिकल विभाग के प्रधान के रूप में सिविल सर्जन, पुलिस के प्रधान के रूप में पुलिस कप्तान, न्याय विभाग के प्रधान के रूप में जिला और सेशन जज, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के प्रधान के रूप में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इन सब में अधिकांश महत्वपूर्ण जिलाधीश और कलक्टर हैं, जिसके जिम्मे लगान वसूल करने तथा जिले में शान्ति एवं व्यवस्था स्थापित रखने का उत्तरदायित्व है। प्राइमरी प्रत्येक जिले के लिए एक इन्स्पेक्टर ग्राव नरुत्स, मालार्ड अफसर, राशनिंग अफसर तथा एक हाउस कण्ट्रोल अफसर भी होता है। प्रत्येक जिले में एक जिला नून होता है, जो जेल सुपरिन्टेण्डेण्ट के अधीन रहता है। इन जिला प्राधिकारियों में से प्रत्येक अपने विभाग के प्रांतीय प्रधान के अधीन रहता है।

जिलाधीश और कलक्टर—जिला विभागों के प्रधानों में जिलाधीश और कलक्टर का स्थान सबसे अधिक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली है। उत्तरदायित्व उसमें असाधारण अंश तक केन्द्रित है। राज्य-शक्ति का वह जिले में प्रमुख प्रतिनिधि था और उसके अधिकांश निवासियों का हृदि में वहां सरकार है। उसकी और लागू केवल अपनी शिकायतों के निराकरण तथा अपने साथ रहनेवालों के अन्वय से रक्षा के लिए ही नज़र देखने, अपितु बाढ़ों, अनालों, तूफानों, टिड्डियों तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा उत्पन्न की हुई मुसीबतों से छुटकारे के लिए भी। गरीब तथा बेपढ़े लोग उन्हें 'सरकार', 'मार्ड बाप' नामों से सम्बोधन करते रहते हैं। लोगों से सम्पर्क रखने तथा जिले की साधारण नशा से अपने को अवगत रखने के लिए सरकार उस पर तथा उसके अधीन काम करनेवालों के ऊपर निर्भर रहती है। 'अपने जिले में वह प्रांतीय सरकार की आँखें, कान, मुँह तथा हाथ हैं'। और उसके सामान्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार वह सरकार तथा ग्रामीण जनता के बीच कड़ी है।

इस पद पर साधारणतः इण्डियन सिविल सर्विस का एक सदस्य आसीन रहता था। कभी कभी प्रांतीय सिविल सर्विस क सदस्य भी अपनी नीकरी के अन्तिम भाग में इस पद पर आसीन कर दिये जाते हैं। कुछ प्रांतों, जैसे पंजाब में, वह डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है। जैसा कि उसकी उपाधि से प्रदर्शित होता है, उसकी शक्ति दोहरी है। कलक्टर के रूप में वह लगान एकत्रित करनेवाले संगठन का प्रधान है और भूमि तथा लगान सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित होने के साथ-साथ वह किसानों की मालार्ड से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याओं से भी सम्बन्धित है। वह शरण और अफीम तथा चरस जैसे मादक द्रव्यों के विभोताओं को लाइसेंस देता तथा आवकारी धितियों की भी देखभाल करता है। वह जंगलों तथा गैर-खेतिहर भूमि से लगान

एकत्रित करने के लिए भी उत्तरदायी है। उसे अकाल में सहायता, किसानों को ऋण, ऋजदार रियासतों की देखभाल, जायदाद के परिचरिता तथा विभाजन, ग्रौर रजिस्ट्रेशन की भी देखभाल करनी पडती है। रजिस्ट्री करनेवाला विभाग भी उसके आधिपत्य में रहता है। जिले में कोई महामारी फैलने पर उसे इसे दूर करने के दग की उपयुक्तता की देखभाल करनी पडती है। उमने जिम्मे सजाने की देखभाल भी है और हिंसाव की देखभाल तथा बहुमूल्य वस्तुओं की सुरक्षा में उत्तरदायित्व भी उसी पर है। नगरपालिकाया (Municipalities), निम्न मण्डलियों (District Boards) तथा ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में भी उसके कुछ अधिकार थे, जो अब बहुत कम कर दिये गये हैं। इस प्रकार उसके कर्तव्य बहुमुग्री हैं।

जिलाधीश के रूप में भी उसने नगरपालिका तथा न्यायसम्बन्धी (Executive and Judicial) कर्तव्य उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। न्याय अफसर के रूप में उसे प्रथम श्रेणी के दण्डाधीश के अधिकार होते हैं और वह दो वर्ष की सजा दे सकता है तथा कुछ जुर्माना भी कर सकता है, जो एन हजार रुपों से अधिक नहीं हो सकता। जिले के थर्ट तथा सेफिट दर्जे के दण्डाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध वह अपील भी स्वीकार कर सकता है। व्यवहार रूप में वह फौजदारी के मामले स्वयं नहीं देखता, बल्कि उन्हें किसी अन्य प्रथम दर्जे के दण्डाधीश के सुपुर्द कर देता है। जिलाधीश के रूप में उसके नगरपालिका सम्बन्धी कर्तव्य बड़ा अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और इन्हीं में उसका पर्याप्त ध्यान तथा समय व्यतीत होता है। वह जिले के सभी मजिस्ट्रेटों के कार्य में निरीक्षण करता है तथा फौजी न्याय के शासन पर नियन्त्रण रखता है। उसके प्रभाव क्षेत्रों में वह प्रसुम्बतया शान्ति और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य के लिए जिले की सारी पुलिस उसके आदेश तथा नियन्त्रण में रहती है। जिले के सभी पुलिस अफसरों को उसके आदेशों का पालन करना पडता है। जिले की शान्ति भंग कर सकनेवाले हिंसामक तथा अहिंसात्मक कार्यों जैसे माण्ड दायित्व दंगे, चोरी और टकैनी, सचिनय अवज्ञा आन्दोलन तथा शक्ति एव व्यवस्था भंग करनेवाले अन्य कार्यों की रोक-थाम के लिए पुलिस कप्तान को उमकी सहायता करनी पडती है। यह जुन्मों तथा जन मभाओं पर प्रतिबन्ध तथा कफ्यू आर्डर लागू कर सकता है। अस्त्रार रखने के लिए वह आर्म्स ऐक्ट के अनुसार लायसेन्स पर भी नियन्त्रण रखता है। पुलिस कप्तान का यह कर्तव्य है कि व्यक्तिगत वातचीत, तथा जिले की शान्ति एव उर्म से सम्बन्धित सभी महत्त्वपूर्ण मामला के सम्बन्ध में विशेष रिपोटों द्वारा उसे पूरी जानकारी रहती है।

यह ध्यान में रखना चाहिए कि पुलिस विभाग के आंतरिक प्रशासन तथा उसके अनुशासन से जिलाधीश का कोई सम्बन्ध नडा है। ये चीजें पुलिस कप्तान के एन मात्र अधिकार-क्षेत्र में सम्मिलित हैं। शान्ति तथा सुव्यवस्था की रक्षा के लिए ये

दोनों अफसर एक दूसरे से अधिकतर सट्टयोग करते ह। यहाँ यह जिन कर देना उप-युक्त है कि जिलाधीश जेल का महीने में कम से कम एक बार निरीक्षण करता तथा आनरेरी मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति और उपाधि प्रदान इत्यादि के लिए सरकार से लोगों के नामों की सिफारिश करता है।

हालांकि जिलाधीश का जिले के अन्य विभाग प्रधाना के कार्यों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, उनमें से प्रत्येक अपने विभाग के प्रान्तीय प्रधान के नियन्त्रण में रहकर उसकी देख भाल के लिए स्वतन्त्र है, फिर भी उन्हें अपने विभाग के प्रमुख कार्यों से जिलाधीश को अवगत रखना पड़ता है, क्योंकि सरकारी मशीन की कार्यविधि से उनका कार्य-क्रम कोई सम्बन्ध ग्रहण करता है। जिलाधीश इस प्रकार एक पूरक अफसर के रूप में कार्य करता है। इस सम्बन्ध में मारटवोर्ड रिपोर्ट के निर्माताओं के निम्नलिखित विचार दिलचस्प होंगे। 'सिंचाई, सड़कों तथा इमारतों, रोती, उद्योग धर्मों, नगरपालिका तथा सहायक समितियों इत्यादि के प्रबन्ध की भाँति अन्य अनेक कार्य होते हैं, जिनका प्रबन्ध सेवा-संयोजक करता है। इन सब पर जिला अफसर का नहीं, अपितु उनका अपने विभाग प्रधानों का नियन्त्रण रहता है। सरकार को जनता से सम्बन्धित करने वाला इन्हीं विभिन्न धारों का समूह माना जा सकता है। लेकिन इन सभी विषयों की नीति पर जिला अफसर का विभिन्न अर्थों में प्रभाव पड़ता है और अपनी सहायता देने तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष सेवा विभाग तथा जनमत के बीच माध्यम बनने के लिए वह सदा पृष्ठभूमि में दृश्यमान रहता है'।

जिले में सभी विभाग प्रधानों का अपेक्षा जिलाधीश और कलक्टर जनता के अधिक सम्पर्क में आता है। जिले के क्रिया-ग्रन्थ आधनारी की अपेक्षा उसके कार्यात्मक जनता में रहता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसे वर्ष का समुचित भाग देना तथा अपने प्रभाव क्षेत्र के सभी भागों का दोष करने में पिताना पड़ता है। दौरा करते समय ही उस जनता तथा उसकी समस्याओं का सच्चा ज्ञान तथा स्थिति की वास्तविकता से उसका सम्पर्क होता है। कलक्टर के कैम्प जीवन का बहुत बड़ा महत्त्व है उसकी उपेक्षा ठीक नहीं।

जिलाधीश के बहुमुखी कर्तव्यों तथा शक्ति के कारण विवेचन से उसके पद का महत्त्व स्पष्ट हो जाना चाहिए। सरकार का यह मन से प्रमुख अफसर है, वही वह धुरी है, जिस पर सारा शासन घूमता है। जिला अफसरों की नियुक्ति, नौकरी की शर्तों, तरक्की इत्यादि पर नियन्त्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार यदि व्यग्र रहती थी तो कोई आश्चर्य नहीं।

कार्यालय तथा व्यापार सम्बन्धी कार्यों की अभिन्नता जिलाधीश और कलक्टर की बड़ी शक्ति तथा प्रतिष्ठा के श्रोतों में से एक है। जिले की शान्ति तथा व्यवस्था

की स्थापना के लिए उत्तरदायी अफसर के रूप में वह किसी व्यक्ति को जनता की शान्ति के लिए उत्तरदायी गिरफ्तार कर सकता है। जिले के दण्डन्याय के शासन पर निगरानी रखने वाले के रूप में यह मुफ्तदमों में दिये गये नियंत्रण पर प्रभाव डाल सकता है। जेल का निरीक्षण करने वाले के रूप में उन्हें यह देखने का अधिकार है कि कैदी के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। इस प्रकार वह समन्वित रूप से गिरफ्तार करने वाला, जज तथा जेलर है। जिलाधीश के व्यक्ति में कार्यपालिका तथा न्याय सम्बन्धी कार्यों की एकता से राजनैतिक मुफ्तदमों में न्याय एक बहुत कठिनता से प्राप्त होने वाली वस्तु बन गयी है। भारतीय जनमत इन दो प्रकार के कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के लिए समर्थित रूप में माँग करता चला आ रहा है। सुधार करने के मार्ग में राजनैतिक कारण बाधक बन जाते हैं। किन्तु नये विधान के अनुसार फौजदारी मामले तय करने वाले मजिस्ट्रेट की नियुक्ति, बदली तथा पदवृद्धि कार्यपालिका के हाथों से लेकर हाईकोर्ट के अधिकार में कर दी गयी है और इस प्रकार कार्यपालिका तथा न्यायपालिका सम्बन्धी भागों को अलग करने की माँग को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है।

जिले के टुकड़े—प्रशासन की सुविधा के लिए प्रत्येक जिला अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित है जिन्हे उत्तर प्रदेश में तहसील कहते हैं। जिले का कलक्टर और मजिस्ट्रेट इनमें से प्रत्येक टुकड़े का प्रशासन करने अधीन काम करनेवाले अनेक व्यक्तियों की सहायता से करता है, जिनमें से कुछ जिले के हेडक्वार्टर पर रहते हैं तथा कुछ विभिन्न टुकड़ों के हेडक्वार्टरों पर। इस अधीन रहने वाले टुकड़े का अफसर, या तो प्रांतीय सिविल सर्विस का सदस्य होता है, जिसे Deputy Collector या डिप्टी कमिश्नर सिविल सर्विस में तथा भर्ती होने वाला अफसर जिसे असिस्टेंट कलक्टर कहते हैं। वह अपने मरकल का प्रशासन करने से ठीक ऊपर से जिला-अधिकारी के अधीन रहकर करता है और अपने इलाके में उसी प्रकार के कार्यों की पूर्ति करता है, जैसा कि उससे ऊँचा अधिकारी जिले में। वह जमीन की लगान के प्रशासन की दृष्टि भात करता तथा प्रथम दर्जे के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करता है। उसके नीचे तहसील तथा नाथन तहसीलदार जैसे अन्य लगान अफसर भी हैं। तहसीलदार सामान्यतः द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उपयोग करता है। तहसीलदार का अपनी तहसील में बड़ी स्थान है, जो कलक्टर का जिले में। तहसील अनेक परगना में विभाजित रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक कानूनगो रहता है। प्रत्येक कानूनगो के नीचे अनेक पटवारी रहते हैं। लगान का सब से छोटा अफसर पटवारी है, जिसके अधिकार-क्षेत्र में कुछ गाँवों का एक समूह रहता है। यही वह आधार निमित्त बरता है, जिस पर लगान सम्बन्धी प्रशासन का सारा ढाँचा स्थापित किया जाता है।

प्रशासन की मूलसे छोटी इकाई गांव है। भारत की लगभग ७०% जन-संख्या सात लाख गांवों में रहती है जो समस्त देश में फैले हुए हैं। प्राचीन काल में गांवों को पर्याप्त सीमा तक स्थानीय शासन मिला हुआ था। वे स्वायत्त शासन पूर्ण छोटे-छोटे प्रजातन्त्र थे। ब्रिटिश आगमन ने यह सब परिवर्तन कर दिया और आज वे केवल शहरों के लिये जीवत हैं। अपने आप में पूर्ण रहने की उनकी प्राचीन परम्परा बड़ी शीघ्रता से समाप्त हो रही है और संगठित जीवन के रूप में उनकी प्रमुख विशेषता अन्त नष्ट रही। ग्राम पंचायतों की सहायता से इसे पुनर्जीवित करने के लिये अतीत में प्रयत्न हुए हैं। हमारा फिलहाल सम्बन्ध ग्राम प्रशासन से है। प्रत्येक बड़ गांव का एक प्रमुख होता है जिसे उत्तरप्रदेश में मुखिया, पंजाब में लम्बरदार तथा बम्बई में पागल कहते हैं। वह गांव की जन-सम्बन्धित सभी बातों के लिये उत्तरदायी है। वह गांव की व्यवस्था की देखभाल करता, जमीन का लगान एकत्रित करके जिले के नजाने में जमा करता पुलिस को उदमार्शों की उपस्थिति की सूचना देता तथा उन्हें गांव से बाहर कर देता है। सरकार ने सभी आदेश उसी के द्वारा प्रसारित किये जाते हैं। गांव में दौरा करने वाले सरकारी अफसरों की आवश्यकताओं की भी वही देखभाल करना है। उसका अतिरिक्त गांव में पटवारी और चौकीदार भी रहते हैं।

डिवीजनल कमिश्नर—ग्राम तक हम जिले तथा उसके दुम्बे तहसील, परगना, गाँव का विवेचन करते रहे। जिले से भी वृहत् प्रशासन की एक इकाई है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। आधुनिक राज्य में, समय में नष्ट, अनेक जिलों का एक गुण बना लिया जाता है जिसे डिवीजन कहते हैं। उत्तर प्रदेश में छह डिवीजन हैं। इनमें से प्रत्येक डिविजन सिविल सर्विस ने एक पुराने अधिनारी के अधीन रहता है जिसे कमिश्नर कहते हैं। वह अपने डाक्टरों के कार्यों की देखभाल करता तथा उनके तथा प्रांतीय सरकार के बीच सम्पर्क तथा माध्यम की पड़ी ना काय करता है। जिले के प्रशासन पर कलकत्ता द्वारा दी हुई याजनाओं के सम्बन्ध में वह उचित कार्यवाही के लिये सरकार को परामर्श देता है और इस बात की निगरानी भी रखता है कि वे सरकार की नीतियों का व्यवहार रूप में परिणत करते हैं। कुछ प्रांता जैसे उत्तर प्रदेश में ये नगर जिला-मंडलिया तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं पर नियन्त्रण रखते हैं विशेषतः उनका वजह पर। ग्राम उनके अधिकारों में नहीं बसी हा गयी हैं। लगान सम्बन्धी मामलों में जिला कलक्टरों के निर्णयों पर कमिश्नर अपील भी सुनता है देश का जन मत इस पद को जारी रखने के पक्ष में नष्ट है और यह इसका विषय चाहता है। यह भारतीय सिविल सर्विस का बड़ा आकर्षक पद था और भारत मन्त्री की अनुमति के बिना पद विधित नहीं किया जा सकता था इसके शीघ्र विघटन की अभी कोई आशा नहीं है।

स्थानीय स्वशासन

परिचयात्मक—गाँव पंचायतों को छोड़कर संविधान में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का कोई विशेष उल्लेख नहीं मिलता। तथापि, एक देश की शासन व्यवस्था की व मजबूत ढाँचा होती है। आज कल कायपालिका, विधानमण्डल और न्यायपालिका के साथ-साथ भी शासन का एक अंग माना जाता है। इस सूची में ग्राम पंचायत, लोकसेवा, निवासियों और राजनीतिक दलों को भी शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार स्थानीय स्वशासन के प्रयोग से ही एक देश की श्रेष्ठ रीति के लोकतन्त्रवादी प्रणाली को प्रदृश्य कर पाया है। अतएव यह बहुत आवश्यक प्रतीत होता है कि अपने देश की स्थानीय शासन पद्धति में सम्बन्ध में कुछ शब्द बड़े जाये।

स्थानीय स्वशासन का विकास—यही नहीं कह पाया जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना ब्रिटिश राज्य की देन है। एक प्रकार से यह बात ठीक भी है, हमसे पहिले नगरपालिका या विलामण्डली की भाँति हमारे देश में कोई संस्था नहीं। दूसरे दृष्टिकोण से यह दावा मरुतर भूया है। भारतीय इतिहास के विद्वानों का कथन है कि हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से ग्राम पंचायतों के रूप में वास्तविक और शान्त सन्तान स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ रहती चली आई हैं। सर चार्ल्स मैकडॉल ने १८३० ई० में इस प्रकार लिखा है, "ग्राम संस्थाएँ छोटे-छोटे गणतन्त्र हैं, जिनमें उनकी निजी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ विद्यमान हैं और जो प्रायः गाँव मजदूरों से मुक्त (स्वावलम्बी) हैं"। ग्राम संस्थाओं के इस मूल में, जिनमें प्रत्येक (ग्राम मन्था) एक छोटा सा राज्य है, भारतीय जनता को, मैरा विचार है, सभी मामलों और परंपराओं में, जिनमें से हीनर उन्में गुजरना पडा है, सुन्दर रहने में मन में प्रथम सहायता प्रदान की है और अन्तरी, बहुत कुछ अंश में, भारत की (प्राचीन) सुशाहीली, स्वतन्त्रता, अथवा स्वाधीनता को योग दिया है। *

* The village communities are little republics having nearly everything they can want within themselves and almost independent of foreign relations. This union of village communities each one forming a little state in itself

ये ग्राम्य सस्थाए एन सिद्धान्त पर आधारित थीं जो आज चल नहीं स्वीकार किया जाता—किसी व्यक्ति के सवों या दुष्कृत्यों के लिए पूरी सस्था उत्तरदायी थी। आज चल की सस्थाओं की भाँति वे निर्वाचित सस्थाए नही थीं। ब्रिटिश साम्राज्य की छाया के साथ आने वाले नये विचारों और प्रभावों की नोट से अन्य प्राचीन सस्थाओं के साथ साथ उनका भी हास हो गया। हमारी आधुनिक ग्राम पंचायतों, आधुनिक परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, प्राचीन पद्धति को पुनर्जावित करने के लिए बनाई गई हैं।

स्थायी स्वशासन एक प्रतिनिधि संगठन, निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी, प्रशासन और कर लगाने की पर्याप्त शक्ति रखने वाला, उत्तरदायित्व के प्रशिक्षण के लिए एक पाठशाला, और एक देश की शासन व्यवस्था की एक मजबूत मनी होने के नाते, भारत में ब्रिटिश राज की इन हैं और इसका शक्ति, शक्ति विकास हुआ। यह पूर्ण परिपक्व अवस्था का तो कहना ही क्या, इसे यहाँ उतनी भी सफलता नहीं मिली जितनी कि इंग्लैण्ड तथा दूसरे देशों में।

भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का इतिहास मद्रास के प्रेसीडन्सी (महा प्रान्तीय) बोर्डन से प्रारम्भ होता है जहाँ भी १६८० ई० के एक राजल चार्टर द्वारा एक निगम (Corporation) अंगरेजी राजन कारपोरेशन के समूह पर बनाया। इसके पश्चात् बम्बई द्वारा कर्कत्ता नगर में भी इस प्रथा के निगम बनाए गये। स्थानीय स्वशासन का प्रयोग बहुत समय तक इन्हां तीन नगरों तक सीमित रहा। १८४२ ई० में पहली बार इसे बंगाल के दूसरे नगरों तक फैलाने का प्रयास किया गया। उन वर्ष तक एक अधिनियम इस विचार से भारत लक्या गया कि किसी जगह के लघु स्थानों को आवश्यक स्वस्थ और सुविधाओं के लिए सथा इकट्ठा करने सच करने का अधिकार मिले। बाद में इन ऐक्ट का निरसन (Repeal) कर दिया गया और १८५० में एक और अधिनियम बनाया गया जो कि सम्स्त ब्रिटिश भारत पर लागू किया गया। यद्यपि हम कह सकते हैं कि १८५० के ऐक्ट ने नगर क्षेत्रों के लिए नगरपालिकाओं के विनास प्रथम के दूसरे युग का श्री गणेश किया।

बहुत कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन का सामाजिक शिक्षाभ्यास १८७० ई० में लार्ड मेयो की सरकार के प्रान्तीय विज्ञान सभ्यन्धी एक प्रस्ताव के द्वारा हुआ। इनमें इस आवश्यकता की ओर समेत किया गया कि शिक्षा, सफाई, प्रौढ, महायुवा और

has I conceive contributed more than any other cause and the preservation of the people of India through all the revolutions and changes which they have suffered and is to a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of a great portion of freedom and independence

स्थानीय सार्वजनिक निर्माण कार्यों से सम्बन्ध रखनेवाली निधि का प्रबन्ध और नियन्त्रण स्थानीय सत्थाओं के अधीन रहना चाहिए। अगला चदम लार्ड रिपन ने उठाया। १८३० ई० के प्रस्ताव को कार्यन्वित करने के मभी प्रयत्न और उनके परिणामों का सर्वोत्तम अध्ययन और विश्लेषण करने के पश्चात् १८८२ ई० में लार्ड रिपन की सरकार ने एक प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया जिसने स्थानीय मामलों में स्वशासन को पहिले से अधिक सहायता दी। इन प्रस्ताव ने स्थानीय मामलों की अनेक शाखाओं में स्थानीय स्वशासन में मिडान्त का पक्ष लिया और इसे राजनैतिक और लोकप्रिय शिक्षा का एक माध्यम स्वीकार किया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने निजी मामलों का स्वयं प्रबन्ध करने के लिए प्रोत्साहन देना और उन्हें उन ममा विषयों में स्वावलम्बी बनाना था जिनमें सरकारी न्मचारियों का हस्तक्षेप आवश्यक नहा। इसने स्थानीय स्वशासन के पहले प्रयत्न का दोष को दूर करने की कोशिश की। इसमें पहिले की स्वशासन मसथाओं का यह दोष था कि वे बहुत अधिक लदी हुई थी और न्मचारियों का हस्तक्षेप से बह सम्बल न हो सनी।

इन दोषों को दूर करने का कई रीतियों से प्रयत्न किया गया। (i) नये ऐक्ट ने पहिला बार स्थानीय स्वशासन में मिडान्त को गावा तक फैलाया। उस समय तक ग्राम माकमी प्रकार के स्थानीय बोर्ड न थे, स्थानीय सड़क, स्कूलो, चिकित्सालयी में सम्बन्धित विधिया का प्रबन्ध जिले के प्राधकारी स्थानीय परामर्श शक्ति समिति (Local Consultative Committee) की मलाह में करते थे। इन परामर्श शक्ति समितियों को मग करके उनके स्थान पर स्थानीय या जिना बोर्ड रखा गया। (ii) दूसरे नगरों में भी स्थानीय स्वशासन में मिडान्त का विस्तार किया गया और नगर समितियों को पहले से अधिक स्वाधीनता दे दी गई। (iii) तीसरे, स्थानीय मसथाओं के ऊपर न सरकारी न्मचारियों की सरथा बहुत कम कर दी गई। अर इनकी मरश समिति में सदस्यों की सरथा भी एक तिहाई से अधिक न हो सनी थी। (iv) चौथे, इसने इस विषय में मिन्तारिश की कि एक स्थानीय बोर्ड का अध्यक्ष, प्राय गैर सरकारी दाना चाहिये। उस समय तक जिलाधीश ही नगरपालिका और जिलामर्मिनों का पदन (Ex-officio) अन्वित होता था। (v) अन्तिम बात, इससे यह मिन्तारिश का मि प्रान्तीय सरकार को स्थानीय मसथाओं का अन्दर के न्मचारों से निरन्त्रण करना चाहिये।

इन प्रस्तावों के प्रकाशित होने के थोडे ही समय बाद सभी प्रान्तों में इन सिफारिशों को कार्यन्वित करने के लिए लाकल सेल्फ गवर्मेंट ऐक्ट पास किये गये। परन्तु, अर्थात् अधिक साधन, लोगों की वेपरवाही, सीमित मताधिकार और सरकारी न्मचारियों के विस्तृत नियन्त्रण के कारण इस योजना को अधिक सफलता

न मिल सकी। अधिकतर कलेक्टर जैसे सरकारी कर्मचारी ही इनके अध्यक्ष नियुक्त किये जाते रहे और बहुत से नगरों में नगरपालिका का कर्तव्य कौन्सिल इन सरकारी अधिकारियों के हाथों को ज्यों का त्यों स्वीकार करने तक ही सीमित था। इस योजना की असफलता का एक और यह कारण था कि तीसरी शताब्दी के आरम्भ में दस वर्षों में ही पृथक साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया गया। साम्प्रदायिकता का यह सिद्धान्त स्थायी स्वशासन के सिद्धान्त के सर्वथा प्रतिकूल है, स्थानीय संस्थाओं में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के अपनाने से इनकी असफलता निश्चित ही थी।

स्थानीय स्वशासन का प्रश्न का भारत सरकार ने १९१५ ई० तक नहीं उठाया, जब कि इसने इस विषय का प्रस्ताव पास किया। परन्तु इस में पहिले कि यह प्रस्ताव कार्यान्वित किया जाता, भारत मंत्री ने सर्वधार्मीय सुधारों की चर्चा शुरू कर दी और १९१८ ई० में भारत सरकार ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया यह प्रस्ताव इस सिद्धान्त पर आधारित था कि उत्तरदायी संस्थाएँ तब तक स्थायी जड़ें नहीं पकड़ सकती जब तक कि उनका आधार ही विस्तृत न हो जाय। बाट का सम्भारों के साथ उपयोग और स्थानीय स्वशासन में आधिशामा शाक्त्या का युक्तपूर्ण प्रयोग हो राजनीति का सर्वश्रेष्ठ पाठशाला है। पर स्थानीय अनुकूल इस प्रस्ताव में स्थानीय संस्थाओं का अधिक स अधिक जनता का प्रतिनायक प्रदान किया। इस उद्देश्य को प्राप्त क लिए इसमें मन्त्रालय का शक्ति को हलना किया और इन संस्थाओं में निवाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया। इस में यह उल्लेख था कि कम से कम तीन चार्जर्स सट चुनाव में भरा जाय और वह परामर्श देने के लिए अपने चुने सरकारी कर्मचारियों मनातीत कर जाय परन्तु इन मत देने का अधिकार न होना चाहिए। दूसरे नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद पर और जहाँ कहा सम्भव हो जिला मण्डलाना (District Boards) के अध्यक्ष पद पर सरकारी अधिकारियों के बजाय निवाचित सदस्यों का रत्न करे इस प्रस्ताव के द्वारा ग्राह्य नियंत्रण को कम किया गया। तीसरे अर्थने जिलाधिकार में इन संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार अधिकार मिल गये। चौथे उद्देश्य के सम्बन्ध में उक्त अधिक स्वतन्त्रता मिल गई। इन में स बहुत से सुभाव इस विचार से रखे गये थे कि स्थानीय संस्थाओं के ऊपर से प्रांतीय सरकार का नियंत्रण कम हो जाय और उन्हें अधिक शक्तियाँ मिल जाय। १९१८ ई० के प्रस्ताव के ठा और सुभावों का और ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। एक यह था कि प्रदेश प्रान्त में एक पृथक स्थानीय स्वशासन का विभाग हो और दूसरा सुभाव ग्रामों में ग्राम पंचायत बना कर सरकारी जीवन विस्तार करने से सम्बन्ध रखता था।

इस प्रस्ताव पर तुरन्त ध्यान दिया गया और आगामी दो वा र्तन वर्षों में बहुत से प्रान्तों में इस आधार पर कानून पास किये गए। १९१६ ई० के मुधारों ने देश में स्थानीय स्वशासी सस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया, और प्रान्तों में एक उत्तरदायी मंत्री के अधीन हस्तान्तरित विभागों के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन का एक पृथक विभाग बना दिया गया। यह ध्येय रचना चाहिए कि म टेभ्यू सेक्शनोर्ट रिपोर्ट के आधारभूत सिद्धान्तों में से एक यह था कि स्थानीय सस्थाओं को जहां तक सम्भव हो मुक्त किया जाये।

मुधारों के अनुसार जो विधान मण्डल बने। उन्होंने बहुत से प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन के मुधार और विस्तार के लिए विधान बनाए। उन्होंने मॉर्गनर का विस्तार किया और पौडों में कृषि करने वाले अधि अधिकार शक्तियां दी। उन्हें सरकारी पदाधिकारियों के नियंत्रण से मुक्त करने और एक व्यापक निवाचक जन सभा के प्रति उत्तरदायी बनाने की कोशिश की गई। १९२५ के ऐक्ट के द्वारा स्थायी स्वायत्त शासन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया। भारत के स्वतन्त्र होने के बाद स्थानीय स्वशासन सस्थाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला। हमारे राज्य (उत्तर प्रदेश) में १९४७ के पञ्चायत राजऐक्ट और १९५० के डिस्ट्रिक्ट और म्यूनिसिपल बोर्ड ऐक्ट के द्वारा गांव और नगर के निवासियों को स्वशासन के अधिक अधिकार मिल गए हैं।

विनाम की बहुत धीमी गति के परिणामस्वरूप, जिसकी महत्वपूर्ण अवस्थाओं का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है हमारे देश में आज बहुत सी स्थानीय सस्थाएँ काम कर रही हैं। तीन प्रेसीडेन्सी टाउनो ने कारपोरेशन (निगम) है, बड़े बड़े नगरों में नगर पालिकाएँ हैं छोटे शहरी इलाकों के लिए टाउन समिटीया और मोटी पाइंड एरिया कमेटिया हैं, जिले के लिए जिला मण्डली (District Board) हैं। इनके अधीन गांवों के लिए ग्राम पञ्चायत हैं। इन में से प्रत्येक का गठन सगठन और कृत्य आगे वर्णन किये हैं।

निगम

प्रेसिडेन्सी टाउनो को छोड़कर बाकी सभी बड़े बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासी सस्थाएँ नगरपालिका कहलाती हैं। प्रेसीडेन्सी टाउनों में इसका नाम कारपोरेशन या निगम है। प्रत्येक निगम एक पञ्च अधिनियम के अनुसार बनाया गया है और एक निगम के अधिकार और कर्तव्य दूसरे निगम के अधिकार और कर्तव्यों से भिन्न हैं। एक प्रान्त की सभी नगरपालिकाएँ एक ही ऐक्ट के अनुसार बनाई जाती हैं, इसलिए सब के समान अधिकार और कर्तव्य होते हैं। निगम का नगरपालिका से ऊंचा

दर्जा है, इसके सदस्य कौंसिलर और इसके अध्यक्ष मेयर कहलाते हैं। आगरा में भी निगम ही बड़ा होता है। बम्बई निगम में १०६ कौंसिलर हैं और कलकत्ता निगम और लखनऊ की नगरपालिकाओं में तीस चालीस के बीच ही सदस्य होते हैं। हमारे राज्य (उत्तरप्रदेश) की सरकार के सामने एक यह सुझाव है कि लखनऊ, कानपुर जैसे नगरों की कारपोरेशन बना दी जाय।

बम्बई के निगम में तीन प्रकार के सदस्य हैं—निर्वाचित, मनोनीत और बाहर से मिलाए हुए। निर्वाचित सदस्य उन चोड़ों से चुने जाते हैं जिन में नगर को निर्वाचन के लिए विभाजित किया गया है। बम्बई चेम्बर आफ कामर्स, दि इण्डियन मर्चेंट्स चेम्बर, दि मिल आनर्स एसोसियेशन और बम्बई विश्वविद्यालय में से प्रत्येक एक प्रतिनिधि भेजता है। तुर्कों का सरकार मनोनीत करती है और बाकी कुछ निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के बहुमत की सिफारिश पर बाहर से सदस्य मिला लिये जाते हैं। ये कौंसिलर विस्तृत मताधिकार से आधार पर चुने जाते हैं और इनमें विशेष हितों—व्यापार, वाणिज्य, श्रम को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कौंसिलर ही मेयर का चुनाव करते हैं। पिछले दिनों से बम्बई में एक परम्परा चली आती है कि हिन्दू, मुस्लिम, पारसी और योरुपियन में मेयर बारी-बारी से बनाये जाते हैं। कलकत्ता की कारपोरेशन स्वयं अपने अधिशासी पदाधिकारी (Executive Officer) की नियुक्ति करती है, जब कि बम्बई में ऐसा नहीं होता। बम्बई निगम की आय लगभग तीन करोड़ है और कलकत्ता की लगभग दो करोड़ रुपया।

नगरपालिका

माधारण परिचय—बर्मा को निगल कर विभाजन के पूर्व ब्रिटिश भारत में ६२८ नगरपालिकाएँ थीं, जिनकी भिन्न भिन्न जनसंख्या थी। आमतौर से लगभग १४% नगरनिवासियों की नगरपालिकाओं के लिए मत देने का अधिकार था। सभी नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था। निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों का पारस्परिक अनुगत प्रत्येक प्रान्त में भिन्न भिन्न था। बम्बई राज्य में सब से अधिक नगरपालिकाएँ हैं, चूंकि अन्ध प्रान्तों की निश्चित इसकी जनसंख्या का अधिक प्रतिशत नगरों में निवास करता है। आमतौर में भारत के राज्यों में, सब से कम नगरपालिकाएँ हैं।

आगामी पृष्ठों में हम उत्तरप्रदेश की नगरपालिकाओं के संगठन, शक्तियों और कृत्यों पर विचार करेंगे।

संगठन — उत्तर प्रदेश में नगरपालिकाओं का प्रशासन १९१६ ई० के यू० पी० म्यूनिसिपैल्टीज ऐक्ट पर आधारित है। वह समय समय पर संशोधित होता रहा है

और इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन अभी १९५० ई० में किए गए हैं। एक अधि सूचना (Notification) के द्वारा राज्य की सरकार किसी भी स्थानीय क्षेत्र का नगरपालिका घोषित और इसकी सीमाएँ निर्धारित कर सकती हैं, और किसी भी नगरपालिका के क्षेत्र को घटाया जा सकता है। किसी पहिली अधि सूचना जो, जिससे किसी क्षेत्र का नगरपालिका घोषित किया हो, सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है। १,००,००० से अधिक की जन संख्या होने पर कोई म्यूनिसिपैलिटी 'सिटी' घोषित की जा सकती है।

अबो थोड़े दिन पहिले तक उत्तरप्रदेश में ८५ नगरपालिका थीं, जिनमें से ११ सिटी (नगर) थे और बाकी में नान सिटी म्यूनिसिपैलिटी थीं। मेरठ, मसूरा, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद और नैनीताल सिटी थे। पिछले वर्ष २१ नोटीफाइड एरिया और दो टाउन एरिया नान सिटी म्यूनिसिपैलिटी बना दिए गये। आज कुल कुच नगरपालिकाओं की संख्या ११० है। *

जो सशोधन १९१६ ई० के ऐक्ट में इस वर्ष के शुरू में किये गये, उन्होंने इस राज्य की नगरपालिकाओं की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। सशोधित ऐक्ट के अनुसार केवल उन जगहों का छोड़कर जिनमें सरकार गजट में प्रकाशित करे, प्रत्येक नगरपालिका का एक प्रधान होगा जिसका चुनाव सभी मतदाता करग, कम से कम २० और अधिक से अधिक ८० जैसा सरकार निश्चित करे, नवाचत सदस्य होंगे और कुछ बाहर से मिलाए हुए (कांफ्रॉन्ट) सदस्य होंगे, जिनका चुनाव कानपुर, बनारस, आगरा, लखनऊ में आठ आठ, शेष सिटी म्यूनिसिपैलिटी में छ और नौन सिटी म्यूनिसिपैलिटी में चार चार होगा। बाहर से लिए गए सदस्यों में से आधी ऐसा कोई व्यक्ति का अष्ट नक्ष किया जा सकता जा या ता सबसे हाता न साधारण चुनाव में हार चुका हा या जा निर्वाचित होने के योग्य न हा। अब इन बाहर से लिये गए सदस्यों ने वह स्थान ग्रहण किया है जा पहले मनार्नीत सदस्यों न लिये नियत था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि सशोधन द्वारा प्रत्येक नगरपालिका न सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। पुराने समय में बड़ी से बड़ी नगरपालिका में ३८ सदस्य थे, जबकि नई व्यवस्था में यह संख्या ८९ तक हो सकती है। छोटी से छोटी नगरपालिका में २५ सदस्य होंगे (एक प्रधान २० निर्वाचित सदस्य और चार बाहर से लिये गये सदस्य), पुरानी पद्धति के अनुसार वह संख्या ७ निर्धारित थी।

* देखिए Govt Report on the Working of Local Self Government in Uttar Pradesh for 1949—50

मन्थरी, नैनीताल और हल्द्वानी की नगरपालिकाओं का प्रथम रीति में संगठन होगा। इनमें से प्रत्येक गठ में प्रधान, सरकार द्वारा नियुक्त करना में निर्वाचित सदस्य और कुछ सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होंगे। यह आवश्यक नहीं कि इन स्थानों का प्रधान निर्वाचित ही हो। नगरपालिकाओं के संगठन में एक और महत्वपूर्ण यह परिवर्तन किया गया है कि अब प्रथम साम्प्रदायिक चुनाव और अल्पसंख्यकों के लिए 'वेटो' की विपैली पद्धतियों का स्वतन्त्र कर दिया गया है। भविष्य में हमारी नगरपालिकाओं का समुक्त निर्वाचन पद्धति से चुनाव होगा, जिनमें मुसलमानों और परिगणित जातियों के लिए उनकी आनुपातिक संख्या का आधार पर जगहें सुरक्षित कर दी जाएगी।

साधारणतया एक नगरपालिका का चार वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। प्रत्येक चार वर्ष के पश्चात् नगरपालिका के साधारण चुनाव नियत समय पर होते हैं। चुनाव की तिथि का निर्णय सरकार करती है। सरकार को यह भी अधिकार है कि 'गोड' के कार्यकाल की अवधि बढ़ादे और साधारण चुनाव को स्थगित करे। परन्तु एक बार में एक वर्ष से अधिक ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि सरकार का ऐसा विचार हो कि लोकोहित के लिए चुनावों का शीघ्र होना आवश्यक है तो वह अवधि समाप्त होने से पहले भी साधारण चुनावों की घोषणा कर सकती है। किसी एक नगरपालिका का भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

मताधिकार—सशोधन ने मताधिकार में भी आमूल परिवर्तन किया है। पहिले मताधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता था आयु और निवास की शर्तों के अनिश्चित किसी स्त्री या पुरुष के लिए एक मन्दाता पाने का लिए यह आवश्यक था कि वह या तो ब्रेजुएट हो या कम से कम ३६) वाणिज्य नियमों के अन्तर्गत मालिक या नियंत्रक हो अथवा इन्समैटिक, या म्युनिसिपल ट्रैक देता हो, कम से कम १०) लगान देता हो। अब यह सब कुछ हटाने प्रौढ व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया है। एक व्यक्ति जिसकी आयु २१ वर्ष या उससे अधिक है और प्रायः ६ मास से एक नगर में रह रहा है अपना नाम निर्वाचन नामावली में दर्ज कर सकता है यदि उसके साथ और कोई अयोग्यता नहीं हो। यह स्मरण रहे कि केवल वे लोग ही नगरपालिका के चुनावों में वोट दे सकते हैं जिनके नाम निर्वाचक नामावली में छुप गये हों। जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं या जिनको एक मान्य न्यायालय में पागल करार दिया है, या जिनकी एक वर्ष से अधिक कैद हो गई हो या भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) के १०७ या ११० क्लॉज के अनुसार जिनमें सदस्यव्यवहार की जमानत करनी पड़ी हो, वे सब मत देने के अधिकारी न होंगे। सरकार कैद जाने को नियोग्यता को दूर कर सकती है और किसी भी दशा में इन प्रकार की नियोग्यता जेल से मुक्त होने के चार वर्ष बाद न रहेगी।

नाई भी व्यक्ति, स्त्री या पुत्र, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है नगरपालिका के चुनावों में रखा हो सकता है वरतें कि वह—

- (I) नगरपालिका, राज्य अथवा सभ की सरकार का वैतनिक सेवक नहा है।
- (II) अवैतनिक दरखाशीश (मजिस्ट्रेट) मुन्सिफ या प्रिंसिपल क्लर्क नहा है।
- (III) सरकारी सेवा से बर्खास्त नहीं किया गया है।
- (IV) वफालत करने से नहीं रक दिया गया है।
- (V) नगरपालिका में कर या श्रृण को नहा चुका सहा है।
- (VI) काठी या दिवालिया नहीं है।

नगरपालिका के कृत्य—यह एक परम्परा है कि स्थानीय सस्थाओं—नगरपालिका और जिला-मण्डल के कामों का अनिवार्य और वैतनिक दो भागों में बाँटा जाता है। ये सब कृत्य अनिवार्य कहलाते हैं, जिन्हें इस प्रकार की सस्थाओं को करना पडता है और जिनके लिए उन्हें कानूनन अपने बजट में से कुछ खर्च करना हाता है। इनके अतिरिक्त वे सब कृत्य वैतनिक कहलाते हैं जिन को इन सस्थाओं की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाता है। ये कृत्य प्राप्त धन राशि के अनुसार घटाये बढाए जाते हैं। यदि धन इन्डा न हो तो कोई सस्था इस प्रकार के कृत्यों के न करने के कारण दोषी नहा ठहराई जा सकती।

अनिवार्य कृत्यों में—सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएँ और सार्वजनिक शिक्षा शामिल किये जाते हैं। म्यूनिसिपल ऐक्ट में ये कर्तव्य इन्हा शीर्षक के अन्तर्गत तरतीब से नहा दिये गये हैं, परन्तु बिना किसी क्रम के ही इनका वर्णन है। यदि इन्हे तीन भागों में बाया जाय तो इन्हें समझना और अधिक स्पष्ट हो जायेगा।

(I) सार्वजनिक सुरक्षा से संबन्धित—इस शीर्षक के अन्तर्गत नगरपालिका के कर्तव्यों में सडकों और सार्वजनिक स्थानों पर रात में रोशनी करना, आग बुझाने के लिए 'फायर ब्रिगेडों' का रखना, ईंट चूने के बनाने वाले भट्टों का, जा स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है नियंत्रण करना, खतरनाक मरानों को गिराना या हटाना, पागल कुत्तों और जंगली जानवरों का मारना आदि सम्मिलित हैं। 'प्रथम सुरक्षा' (Safety First) जैसे—सड़कों पर आसामवन' का नियमन, भीड़ों और खड़ी गलियों में पगड डियों का प्रबन्ध, दुर्घटना से बचाने का प्रबन्ध भी इसी के अन्तर्गत आते हैं। हमारे देश में यह कर्तव्य पुलिस से कराया जाता है, परन्तु विदेशों में नगरपालिकाएँ ही ऐसे कर्तव्य करती हैं।

(II) सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित—नगरपालिकाओं द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी जा कृत्य किये जाते हैं उनका बडा महत्व है। इसमें सार्वजनिक भागों की

सफाई, पसाने और दूसरी गन्दी चीजों का हटाना और उसे बेचना, नालियों का बनवाना और उन्हें ठीक रखना, ग्रामपालायों और निविन्सालयों को खुलवाना, सबने वाली सज्जियों को हटवाना, सार्वजनिक पसाने और पेशाब घरे की सफाई, सभामक रोगों की रोक थाम, पीने के पानी का प्रबन्ध, बूचडराना की देखभाल आदि शामिल किये जा सकते हैं।

(III) सार्वजनिक सुविधाओं से सम्बन्धित—सार्वजनिक गलियों और स्थानों पर पानी पहुँचाना, सार्वजनिक सड़क की योजना बनाना और उनकी रक्षा करना, पुलिस और सार्वजनिक वाजनों की देखरेख करना पशुओं के भाड़े बनवाना, जन्म का रजिस्ट्रेशन में दर्ज करना, शवा का दफनाने के लिए जगहों को प्राप्त करना, बूढ़ा फरकट डालने का प्रबन्ध करना और सड़क का नाम रखना इस श्रेणी के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार के कृत्यों में तामे रिक्शावालों को लाइसेन्स देना और शहर में एक जगह से दूसरी जगह तक यातायात का प्रबन्ध करना भी शामिल किए जा सकते हैं। अबदशा में नगरपालिकायें सार्वजनिक सभाओं के निष्प सुन्दर और विशाल हाल, नाटकशालाएँ, विनाद और क्रीडास्थल इत्यादि का भी प्रबन्ध करती हैं। भारत में भी कुछ नगरपालिकायाँ ने अपने भवन मजराएँ ह यद्यपि वे इतने विशाल नहीं हैं।

(iv) सार्वजनिक शिक्षा में सम्बन्धित—जानने की शिक्षा के लिए ग्रामने क्षेत्राधिकार में प्राथमिकी स्कूलों का स्थापित करना नगरपालिका के समये प्रमुख कर्तव्यों में से एक है। सरकार ने शहरों हल्का में शिक्षा का कार्य नगरपालिकायाँ के हाथ में दे दिया है।

साजनिक पार्क, गण, पुस्तकालय, सभ्यालय पागलपसाने, हाल, धर्मशाला, विश्रामघट्ट, गरीबों के घर, डरी, स्नानागार शार्वाटिया और सार्वजनिक लाभ की अन्य चीजें, सड़क पर तथा अन्य जगहों में वृक्षारोपण, जनगणना, मरान और भूमि की माप करना, षवाहा का इन्दराज करना, वाढ के समय सहायता देना इत्यादि, द्रामगाडी रेलव या आवागमन के अन्य साधनों का प्रबन्ध करना और मैने तथा तुमादशा का कराना हमारे देश की नगरपालिकायाँ के कुछ और वैकल्पिक कर्तव्य हैं।

प्रयेन नगरपालिका की आनवायें कृत्य करने पडते हैं और बहुत सी महत्वपूर्ण नगरपालिकाएँ अनेक वैकल्पिक कृत्यों का भी पालन करती हैं। परन्तु भारत की कोई भी नगरपालिका उन स्तर का छू भी नहीं सकी है जिस पर 19 पाश्चात्य देशों की प्रगतिशील म्यूनिसिपलटिया पहले ही पहुँच चुकी हैं। अभी हमारे देश में नगरपालिकायाँ के साथ विस्तार के लिए काफी गुन्जादशा है। पाठक के लिए डा० अल्वर्टशाफ के उन विचारों का उल्लेख करना सचिकर होगा कि उन्होंने अपनी पुस्तक म्यूनिसिपल

गवर्नमेण्ट इन कॉन्टीनेण्टल यारुप (Municipal Government in Continental Europe)में प्रस्ट किए ह। उनका रुथन है—' जर्मन विचार के अनुसार नगरपालिका क इत्थों की कौरे सीमा नहा है सभों की शिक्षा विनोद और रीडा, जीविता साधना का प्रद्विषा, परिवारा क जीवन तथा आयात्मिक विनाम क लिए, लागों का मन्य और मुसकृत रनाने के लिए वैयक्तिक, मितयाथा के प्रचार क लिए, दुर्घटनाआ से रनाने और अवसरों क रनाने के लिए, औद्योगिक और वाण्यज्यन हियों की रक्षा और सुग्य सुविधाओं की प्राप्ति करने क लिये जमना क नगर उत्तर दाया होने ह। * द्वितीय महायुद्ध क आरम्भ स पहले उत्तर प्रदेश मे काग्रेम सरकार ने एन योजना बनाद थी। जिसक अनुसार स्थानाय स्वशासना सस्थाआ का गुरुत कुञ्ज कार्य और शक्ति विस्तार हो जाता परन्तु उन योजना क पाररक्य होने से पूर ही उन लोगों को लाभकर देने पड। यह योजना द्वारा काग्रस मन्त्रिमण्डल क बनने क पश्चात् फिर उठाद गई। नए सशाधनों क अनुसार अब नगरपालिका के कृत्यों म अभिवृद्ध कर दा गई है। अब ० फार आर उद्योग का प्रासाहन, नगर निर्माण का आयाजन करना, चलचित्र भवना का निर्माणरना, सडकों का नाम बदलना, ग्यून सिलटी के अमिका की भचाई के लिए केन्द्र खानना और विजीफन कल्चर को प्रोत्साहन देना भी नगर पालिका क कर्त्तव्या मे शामिल है।

अपने कृत्या का ठीक प्रकार पालन करने आर साजजानक सुध्दा, स्वास्थ्य और सुविधाआ क लिए नगर पालिकाआ का नियम और उपनियम बनाने का अधिकार है जिन्ह वे सरकार की सहायता मे कायान्वत करती है। ये नियम या उपनियम सरकारी विधिया और नियमा क विरुद्ध न होने चाहए।

नगर पालिका विधा—अपने अनिवार्य और वैयक्तिक कर्त्तव्यों के पालन के लिए नगर पालिकाआ को कुछ कर लगाने का भी अधिकार है। इन करों में से कुछ प्रत्यक्ष (Direct) और कुछ अप्रत्यक्ष (Indirect) कर होते हैं। पहले अप्रत्यक्ष कर जिनसे से चुगी मुख्य है अधिक महत्वपूर्ण थ। निम्नलिखित कुछ मुख्य कर हे जिनसे नगर पालिका का विशेष आयमदनी होती है। (i) सामान और जानवरा पर जो कि नगर में लाए जाते हैं, चुगी, (ii) अगर का परकाशा मे आने वाली वस्तुओं पर भीमा कर (Terminal Tax) आचरल कुछ नगरों मे चुगी क रजाय सीमाकर लया जाता है। (iii) गाडियों, जानवरों और सासान लद हुए कुलिया पर जो कि नगर पालिका का परकाशा में प्रवेश कर, मन्मूल, उपरोक्त तीनों अप्रत्यक्ष कर हे अर्थात् इनका बालुचिन भार उन वस्तुया पर नहापडता है जा वास्तव मे चुगी देने ह। अन्तत

यह भार उन नागरिकों पर पड़ता है जो सामान खरीदते हैं। (iv) कुछ ऐसे कर होते हैं जो नागरिक उन सेवाओं के उपलब्ध में दते हैं, जो नगरपालिका करती हैं, जल कर, (Water Tax), भंगी कर, पत्ताना कर और कुछ हद तक गाड़ियों, जानवरों पर कर इन्हीं श्रेणियों में आते हैं। इन करों को पूर्णतया इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि पानी की रसद, और पत्ताने तथा सड़का की मरम्मत का खर्च पूरा हो जाये। (v) व्यापार और व्यवसायों पर कर जैसे शहर साफ करने वालों पर कर, फण्डे के व्यापारियों पर कर (vi) इमारतों के वार्षिक मूल्य पर और आय पर कर, इमारतों पर लगाए करों में हाउस टैक्स भी शामिल है। एक व्यक्ति की आय का साधारण मापदण्ड उसके मकान की कीमत से लगाया जाता है। एक हाउस टैक्स के बदले या उसके साथ साथ परिस्थित और सम्पत्ति पर भी कर लगाया जा सकता है। कभी-कभी नगरपालिका व्यापार और व्यवसाय पर ग्राम टैक्स लगा देती है। कुछ नगरपालिकाएँ यानियों पर भी कर लगा देती हैं। जिन गाड़ियों पर टैक्स लगाया जाता है, उनमें मोटर गाड़ी शामिल नहीं है।

हरों के अतिरिक्त नगरपालिकाओं की और साधनों से भी आय होती है, जैसे— पातानों का विक्रय, नालों के पानी का बेचना, नगरपालिका की दुकानों, बाजारों और नूतन भूमि का क्रय। स्कूलों की फीस और जुमाने। म्युनिस्पाल व्यापारों में भी एक अच्छा साधन बनाया जा सकता है परन्तु यह हमारे देश में प्रचलित नहीं। कुछ नियत उद्देश्यों के लिए राज्य की सरकार भी अपनी विधि में से नगरपालिकाओं को अनुदान दे सकती है जैसे निर्धारित क्षेत्रों में निशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए। जब कार्य किमी भद पर असाधारण (Non recurring) खर्च करना होता है। तो नगरपालिका सरकार से ऋण ले सकती है, या अपनी ही आय की जमानत पर खुले बाजार से उधार ले सकती है। यह बतलाना आवश्यक है कि चुगी के बदले सीमा कर लगाने के लिए नगरपालिका को पहिले राज्य की सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। कानपुर के अतिरिक्त शायद ही कोई दूसरी नगरपालिका है जिसे चुगी की जगह सीमा कर लगाया हो।

वार्षिक आय व्यय (बजट) एक विशेष रीति से बनाया जाता है, जिसे राज्य की सरकार निर्धारित करती है। इसके साथ एक सूची इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें हरे सब निर्माण कार्यों का और तत्सम्बन्धी उन सब बातों का निश्चित ढग से उल्लेख होना चाहिए जिन्हें नगरपालिका आगामी वर्ष में करना चाहती है। यह किसी स्थानीय समाचार-पत्र या ऐसे पत्र में प्रकाशित होने चाहिए जिससे सरकार इस अभिप्राय के लिए स्वीकार करे।

जब नगरपालिका इस वनट को स्वीकार कर लेती है तो यह जिलाधीश के द्वारा कमिश्नर के पास भेज दिया जाता है और बाटर वर्क्स और नालियों से सम्बन्धित वनट के तारमिने सांजनिक् स्वास्थ्य विभाग के मुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर के पास भेज दिये जाते हैं। कुछ विषया में कमिश्नर को वनट के बदलने का हक है खास तार से जब कि उनका यह विश्वास हो जाये कि ऋण और आवश्क बकाया के बारे में उचित प्रबन्ध नहा है। यह मानव सुरक्षा, स्वास्थ्य और सांजनिक् शान्ति पर प्रभाव डालने वाले मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकता है।

जिन शीर्षकों के अन्तर्गत नगरपालिका आय और व्यय करती है उनका तापेक्ष महत्व समझने के लिए मेरठ की नगरपालिका का इस वर्ष का वनट नीचे उद्धृत किया जाता है—

आय के मुख्य स्रोत	रकम
१ जुर्गा	१२,००,००
(Share of contonment Board)	—३,८०,०००
२ भूमि तथा मकानों से कर	१,५०,०००
३ साइकिल कर आदि	१६,०००
४ घाबों पर कर	३००
५ पशुओं के गंडे	१,२००
६ श्रोत्रा गाड़ियों और तागा पर कर	३,०००
७ जमीन और मकाना का रियाया, तेह बाजारी आदि	२८,५४०
८ पेडा और धाम की बिक्री की आय	३,५००
९ खाद की बिक्री	१,४०,०००
१० खुलों से फीस इत्यादि	२,००
११ दुकानों इत्यादि का रियाया	२०,०००
१२ बूचडग्याना की फीस	७,५००
१३ पानी की बिक्री से आय	८८,५००
१४ नकल करने की फीस	६००
१५ छ्कड़ों पर लाइसेन्स फीस	५,५००
१६ छ्कड़ने इत्यादि की फीस	१,०००
१७ विजली से आमदनी	१,०६,२६०
१८ सूद इत्यादि	१,०००
१९ सरकार द्वारा प्राप्त लारी टैक्स का हिस्सा	६,१८०
२० जुमाने इत्याद	१०,०००

२१	सरकारी सहायता	
२२	सरकार से शिक्षा के लिए अनुदान	५०,०००
२३	सण्टास की सफाई की बसूलयात्री	१,२६,०००
२४	विवध	६,०००
	योग	१०,५००
व्यय के मुख्यशीर्षक		२०,७३,६८०
		रकम
१	सामान्य प्रशासन	५७,५००
२	करों को उधाना	१,४२,०६०
३	फायर ब्रिगेड	१०,३२८
४	रोशनी	५३,६६८
५	पानी के लिए नल इत्यादि विद्युत्	१५,०००
६	पानी का प्रबन्ध	१,१३,७८२
७	नई नालियों का बनवाना	३५,०००
८	नालियों का प्रबन्ध	७७,८८२
९	सफाई	१,२३,२७२
१०	सफाई के औजार इत्यादि	७०,३०४
११	सड़क पर पानी छिड़कना	१६,२२४
१२	सफाई के निरीक्षक	१६,०२८
१३	औरधालय और चिकित्सालय	५६,१८६
१४	प्लेग और चेचक की रोकथाम	५,०००
१५	टीना लगाना	२,४,८३
१६	बूचडरखाने	४८०८
१७	सावजनिक पार्क	१४,१००
१८	पशुओं के हस्पताल	३,०६६
१९	सार्वजनिक मार्ग प्रबन्ध	१२,०१८
२०	इमारतें	५०,०००
२१	सड़क का बनाना वगैरह	१,४७,४०८
२२	गोदाम	३,३००
२३	नई जगहा में विजली लगवाना इत्यादि	२०,०००
२४	शिक्षा	३,००,०००
२५	स्कूलों की मरम्मत	२०,०००
२६	शिक्षण सस्थाओं की सहायता	२०,३३४

२७. पुस्तकालय	३,४००
२८. मृण कुकाना	४६,६३७
२९. छपाई	१०,००७
३०. अदालती सचिवा	६,०००
३१. प्रोवीडेंट फंड	१६,०००
योग	२२,६८,०७१

नगरपालिका के पदाधिकारी

प्रधान—प्रधान नगरपालिका का मुख्य पदाधिकारी है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार प्रधान का चुनाव बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता था, परन्तु नए मसौधनों के पश्चात् उसका चुनाव अन्य प्रतिनिधियों की भाँति ही साधारण चुनावों के समय समस्त मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। उसका कार्यकाल चार वर्ष है। यदि वह चाहे तो पहले ही त्यागपत्र दे दे। बोर्ड भी उनके विरुद्ध अविश्मन् का वोट (Vote of No confidence) पारित कर सकता है। यह अविश्मन् का प्रस्ताव राज्य की सरकार के पान भेजा जायगा। तत्पश्चात् सरकार या तो प्रधान का पदत्याग देने का आदेश दे सकती है या उसके परामर्श से बोर्ड को ही भंग कर सकती है।

प्रधान को नगरपालिका के कर्मचारियों को नियुक्त या पदच्युत करने का अधिकार है और वह उनसे सम्बन्धित सभी प्रकार के प्रश्नों—सेवा, वेतन, छुट्टी, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं के बारे में निर्णय करता है। बोर्ड के शरों में यदि जिलाधीश या कमिश्नर भागें तो प्रधान को हिमायत कितान, बोर्ड की कार्यवाहियों की रिपोर्टें, विवरण पत्र आदि भेजने पड़ते हैं। प्रति मास बोर्ड की कम-से कम एक बैठक होती है और ऐसी बैठकों में प्रधान ही अध्यक्ष पद ग्रहण करके निर्धारित नियमों के अनुसार बैठक की कार्यवाही चलाता है। वित्त सम्बन्धी मामलों की देख रेख रखना, बोर्ड के प्रशासन का अधीक्षण करना और तत्सम्बन्धी दायित्वों का वहलाना भी उसी के कर्तव्यों में शामिल हैं। मदस्य प्रधान से बोर्ड-सम्बन्धी कोई भी सूचना माँगी जा सकती है। बोर्ड ने एक या दो निर्वाचित उपप्रधान भी होते हैं जिनका कर्त्तव्य प्रधान की सहायता करना और उनकी अनुपस्थिति में कार्य करना होता है। ५०,००० या इससे अधिक वार्षिक आय वाली बोर्ड एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा एक ऐंजीक्यूटिव आफिसर की नियुक्ति करती है। इसमें एक एक मैडिकल आफिसर आफ हेल्थ भी होता है। इन दो व्यक्तियों की नियुक्ति, वेतन और नौजरी की शर्तों के लिए राज्य की सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती है। ५०,००० से कम वार्षिक आय वाली नगरपालिकाओं में एक या अधिक मन्त्री रखे जाते हैं, जिनकी नियुक्ति कमिश्नर की अनुमति पर निर्भर है।

राज्य की सरकार नगरपालिका के लिए यह भी अनिवार्य कर सकती है कि वह अपने यहाँ एक इंजीनियर, एक वाटरवर्क्स इंजीनियर, एक वाटरवर्क्स सुपरिण्टेण्डेण्ट, एक इलेक्ट्रिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट, एक सैक्रेटरी और एक सन आवरसीयर रखे। अपने अधीन विभिन्न विभागों—शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण-कार्य, चुगी, वाटर वर्क्स इत्यादि के प्रशासन के लिए वार्ड की बहुत बड़ा स्थायी कर्मचारी वर्ग रखना पड़ता है। स्थायी कर्मचारों वर्ग में शिक्षा अधीक्षक (Superintendent of Education) चुगा अधीक्षक, मुख्य सफाई निरीक्षक और सफाई निरीक्षक मुख्य-मुख्य हैं।

सामितियों—कार्य क सुसंचालन और सभी विभागों की साधारण देखभाल और नियंत्रण के लिए बोर्ड बहुत-सी समितियाँ नियुक्त करती है। इस प्रकार की निम्नलिखित समितियाँ होती हैं—

बिजली समिति, शिक्षा समिति, सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति, सार्वजनिक निर्माण-समिति, चुगा समिति और वाटर वर्क्स समिति। प्रत्येक समिति के सदस्यों की संख्या भी वार्ड ही निर्धारित करता है। मेरठ की नगरपालिका की समितियों सात या आठ सदस्यों से बनाई जाती है, इनकी एक वर्ष के लिए नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक समिति ने अनर्वाचित सदस्य अपनी समिति के बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत करके वार्ड से भी कुछ विशेषज्ञ ले सकते हैं परन्तु इस प्रकार लिए हुए (co opted) सदस्य अनर्वाचित सदस्यों की संख्या एक तिहाई से अधिक न हान चाहिए। वार्ड एक प्रस्ताव के द्वारा समितियों के अध्यक्ष नियत करता है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति समिति ही स्वयं कर लेती है। समितियों की बैठक प्रायः एक मास में एक बार होती है। बोर्ड की बैठक भी मासवार तथा मास में एक बार ही होती है, कार्यवाही के अनुसार बैठकों की और अधिक शक्ति बुलाना जा सकता है।

बिजली समिति के निम्नलिखित प्रमुख कर्तव्य हैं—

- (i) वार्षिक आय व्यय का अनुमान तैयार करना।
- (ii) विभिन्न शर्षकों में स्वीकृत आय-व्ययक के अनुसार व्यय का विभाजन करना।
- (iii) बोर्ड के समझ रखा जाने से पूर्व मासिक हिसाब किताब का निरीक्षण करना।
- (iv) चुगी के अतिरिक्त और नभों के उधाने का निरीक्षण।
- (v) इसी का यह भी कर्तव्य है कि बजट के विपरीत या बिना उचित अनुमति के कोई खर्च न होने दे।

सार्वजनिक निर्माण समिति के निम्नलिखित मुख्य-मुख्य कर्तव्य हैं—

(1) मुररिप्टेस्टिंग इर्जीनिर के परामर्श से सार्वजनिक निर्माण के लिए निर्धारित निधि म से व्यय करने क प्रस्ताव पनाना ।

(ii) सार्वजनिक निर्माण कार्य का निरीक्षण करना और प्रमाण पत्र देना ।

(iii) विधेयको की जांच पडताल करना ।

(iv) सार्वजनिक निर्माण काया के ट्रेको के लिए टेण्डर (निविदा) माँगना ।

(v) यह देखना कि पानी और रोशनी के तारे में ठीक प्रबन्ध है ।

(vi) सार्वजनिक निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाले सत्र नामा में नोट को परामर्श देना ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति के कर्त्तव्य इस प्रकार ः—

(1) यह दखना कि सफाई से सम्बन्धित सभी नियम, उपनियम और आदेशों का पालन ठीक प्रकार किया जा रहा है,

(ii) गन्दगी दूर करनेवाले कर्मचारी वर्ग की देखरेख ।

(iii) दुओ, पाकाना और पाकाने डोनेवाली गाड़या का निरीक्षण करने रिपोर्ट देना ।

(iv) कन्म-मृत्यु के रजिस्ट्रेशन की जांच करना ।

(v) डोना लगानेवालों के नाम की जांच करना, और

(vi) सफाई, गन्दगा भिगने और सार्वजनिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रायः सभी मामला पर नोट का परामर्श देना ।

चु गी कमेटी के मुख्य कृत्य ये हैं—

(i) सभी-कमी चु गी घर और मुर्दरों क हिमाय कितय नी जांच करना ।

(ii) यह देखना कि चोबकान (smuggling) और चु गी अयबकन (Evasion) के रोकने का उचित प्रबन्ध है ।

(iii) चु गी क सर्वेक्च दफतर ना निरीक्षण करना ।

(iv) इस गत ना समाधान करना कि चु गी के कारण नगर नहा एक गत्रा है ।

सरकारा नियमण —यह मानी हुई बात है कि नगर पालिकाया के ऊपर कुछ बर पहने नटर मरुतारा नियमण था जिवने उमके विनाम की गति का मन्द करादया । १९१८ ई० के प्रस्ताव क द्वारा यह मग मवथा उचित थी कि स्थानात सस्थाओं से सरकारा नियमण हया पर उन्ह स्वय चुनिर्ण करक सीखने (Learning by trial&errors) का अवसर दिया जाय । इन प्रस्ताव क अनुसार सरकारी नियमण कुछ कम किया गया और स्थानीय सस्थाया ना स्वयन्वय की अधिक स्वतन्त्रता दी गई । मनार्नीत सदस्यों को उहुत कम पर दिया गया और सरकारी चेयरमैन के वजाय गौर सरकारी अयवह रये जाने लगे ।

परन्तु, रचना यह ग्रथ नहीं। एक स्थानीय सस्थाओं के ऊपर से सरकार नियंत्रण संभंध हट गया। न यह सम्भव था और न वांछनीय। सार्वजनिक हित का धरोहर होने के नाते सरकार को नगर पालिका तथा दूसरा स्थानीय सस्थाओं पर ध्यान बहुत नियंत्रण रखने का अधिकार है। मसाल के सभी देशों में सरकार को स्वशासी सस्थाओं को दूर रख, निर्देशन और बोझ बहुत नियंत्रण करने का हक है। रमें ता यह दखना है कि हमारे राज्य की नगर पालिकाओं के ऊपर किस प्रकार का नियंत्रण है ?

जोना के हम पहले यह भी चुनते हैं—ऐकजाक्यू टव अफसर, मैजिस्ट्रल ऑफिसर ऑफ हिव तथा नगर पालिका के दूमे प्रमुख पदाधार्यों की नियुक्त राज्य की सरकारी अनुमति से हानी है और यही उनका अधिकारों की शक्त और उपलब्धियों के विषय में लिख्य करती है। छोट नगरों का बोर्ड का मंत्रालय नियुक्त करने में कामशनर का अनुमति लेना पड़ता है। इस प्रकार सरकार का जोड़ पर काफी नियंत्रण रहता है।

उद जना समय राज्य की सरकार का यह समाधान हो जाये कि जोड़ जोड़ लगातार गलती करने का रहा है या अपना शक्ति का दुर्वायोग कर रहा है तो, जोड़ स्पष्ट करण (explanation) पर विचार करने के बाद सरकार बोर्ड का अपने नियंत्रण में कर सकता है अथवा उसे अवलोकित (dissolve) कर सकती है। बोर्ड की अर्धीनता का अस्थिति में सरकार जिना भी कमचारी को नगर पालिका का शक्तियों सौंप सकती है।

तीनर, अपने जनाधिकार के अन्तगत कामशनर और जेच रोश का अधिकार है कि (क) बोर्ड की अचल सधक्ति या फलता नारा का निरीक्षण कर या करान (ख) जोड़ या उनका किसी समित्त की पुस्तक या प्रलेन का मगा कर उन का निरीक्षण करे, (ग) लिखित आदेश द्वारा जोड़, या उनका समित्त के हिमाल फिताय, रिपोर्ट सार्यमाहना के प्रलेन (document) मगा ले (घ) बोर्ड या उनका समित्तियों के कतकों के बारे में कोई आदेश उनके विचार विमर्श कलिये भवे।

कथ कमिशनर या जिलाधीश का अपने नवाधिकार की नगरपालिकाओं और समित्तों के प्रस्तावों को कार्यन्वय होने से रोकने का अधिकार है यदि, उनके विचार से, ऐसे प्रस्ताव से जनता (i) जनता या किसी देश मस्था को अमुविधा या पशानी हानि का अदेशा है, (ii) मानचोवन, स्यान्ध या मुस्दा का खतरा है, (iii) या जिससे दगा या भगजा होने का सम्भावना है। इन प्रकार के आदेश का सरकार सपरिवर्तन (modification) अथवा निराकरण कर सकती है।

पाँचवे सरकार किसी नगर पालिका का किसी विशेष कर्तव्य के पालन के लिए

आव्य कर सकती है और अपने आदश की न्यायव्यवस्था करने की तिथि निश्चित कर सकती है। यदि निम्न समय से भीतर बोर्ड ऐसे कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहें तो सरकार उस कार्य को किसी और माध्यम से करा के बोर्ड से लागत वसूल कर सकती है।

छूटे, सत्रकाल में जिलाधीश बोर्ड के किसी कार्य को, जिसका एकादम होना जनता की सुरक्षा और मलाई के लिये आवश्यक हो, स्वयं कर सकते हैं और समाप्त बोर्ड से ले सकते हैं। यह पत्रिले ही उल्लेख आ चुका है कि नगर पालिका के बजट में भी सरकार आवश्यक परिवर्तन कर सकती है।

नए मसौदों से नगरपालिकाओं को पर्याप्त स्वाधीनता दे दी गई है। पहिले तो उनके ऊपर इतना कठोर नियंत्रण था कि कमिश्नर ने कई अवसरों पर वह स्वयं भी अस्वीकार कर दिया जो कि नगरपालिका जन प्रिय नेताओं को अभिनन्दन पत्र देने में कर देती था।

कैम्ब्रिज-टोन्गेट वार्ड—मेराठ और बरेली जैसे नगरों में, जहाँ कि पाजे रहती है छात्रों का नब नगर पालिकाओं के क्षेत्राधिकार के बाहर है। इन छात्रावासों में रहने वाले नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज टोन्गेट नामक संस्थाएँ हैं। कैम्ब्रिज टोन्गेट का समन्वय और इसके कृत्य नगरपालिका के समन्वय और कृत्या के समन्वय है परन्तु जनता, प्रशासन म्यूनिसिपल ऐक्ट के आधार पर नहीं चलता। छात्रावासों का प्रशासन भारत सरकार के सेना विभाग के नियंत्रण में चलता है। कैम्ब्रिज टोन्गेट का अध्यक्ष साधारणतया एक उच्च शैक्षणिक अफसर होता है—उदाहरणार्थ प्रोफेसर। इन बोर्डों में मनोनीत सदस्यों की भी काफी अनुप्राप्त रहता है।

गठन एरिया—२० हजार या इससे अधिक जन संख्या वाले नगरों का नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है। दस से नीचे हजार तक की जन संख्या वाले नगरों को 'गठन एरिया' कहते हैं इनका प्रबन्ध करने के लिए गठन एरिया कमिश्नर होती है। सरकार इसी क्षेत्र का 'गठन एरिया' उद्घोषित कर सकती है। गठन एरिया समिति में (i) एक निर्वाचित अध्यक्ष (ii) सात से दस तक निर्वाचन सदस्य, परिगणित जालियों का, जिलाधीश द्वारा मनोनीत, एक सदस्य और अल्प संख्या जाल का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमी-कमी (iii) एक और मनोनीत सदस्य—ये सब सम्मिलित होते हैं। समिति के सदस्यों का कार्य-काल चार वर्ष निर्धारित है। गठन एरिया समिति के प्रायः उसी प्रकार के कर्तव्य हैं जैसे कि नगर पालिका के परन्तु उनकी व्याप्ति (scope) समुचित है। इस समिति को अपने क्षेत्र की स्वच्छता, रोशनी, सड़कों, पानी के प्रबन्ध,

सार्वजनिक स्वास्थ्य, और प्राथमिक शिक्षा की देख रेख करनी पड़ती है। इसकी अन्वय प्रदानन गन्धर्व, भूमिपत्र, सर्वांग और परिस्थितियों पर कर, रस्तों की देख, नवूल भूमि किराये तथा जिला मण्डली (District Board) और सरकार के अनुदानों में होती है। जिलाधीश का टाऊन एरिया पर अधिक नियन्त्रण होता है।

नोटीफाइड एरिया—पांच से दस हजार जनसंख्या वाले नगरों का सरकार नोटीफाइड एरिया घोषित कर सकती है और इसका स्थानीय प्रशासन एक नोटीफाइड एरिया बोर्ड की ऊपर छोड़ सकती है। इन मामलों में एक अधिष्ठाता, कुछ स्थानीय जनता के चुने हुए सदस्य, और कुछ सरकार के मनोनीत सदस्य होंगे। यह समिति उसी प्रकार के कर्तव्यों का पालन करती है जैसे कि टाऊन एरिया समिति। इसकी आय में भी उसी प्रकार का स्रोत है।

किसी क्षेत्र में एक टाऊन एरिया या नोटीफाइड एरिया होने के लिए एक राजार और कराई होने की आवश्यकता है—पूणतया ग्रामीण क्षेत्रों को यह दर्जा नहीं मिलता। नगरपालिका, टाऊन और नोटीफाइड एरिया में दर्जों का अन्तर है। पहिले क्षेत्रों में अधिक स्वशासन दिया गया है और वहाँ अधिक कर लगाये जा सकते हैं।

जिला बोर्ड

परिचयार्थक —ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का भार (अन्य स्थानीय संस्थाओं के साथ-साथ) जिला मण्डली की ऊपर आता है। इस प्रकार नगरों के लिए नगरपालिकाएँ हैं, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिला मण्डलियाँ (District Board) हैं। * नगरपालिकाओं की भाँति जिला मण्डलियाँ लोग भी शिक्षा, सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं का प्रबंध करती हैं। साधारणतया एक जिला बोर्ड का क्षेत्राधिकार एक जिले की प्रशासी सीमाओं के समरूप ही होता है। किसी कभी राज्य में सत्र डिस्ट्रिक्ट या तालुका बोर्ड हैं। मद्रास के महाप्रान्त (Presidency) में यू.एन.ए.ए. है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्थानीय स्वशासन की प्रणाली भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न प्रकार की है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है किसी राज्य में सत्र डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और कुछ अन्य राज्यों में तब भी छुट्टी 'यूनियन बोर्ड' नामक मण्डलियाँ हैं प्रायः सभी जगह जिलाबोर्डों का अस्तित्व अन्ततः अस्तित्व है। मण्डलियाँ, ग्राम पंचायतों का संगठन भी भिन्न-भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न प्रकार का है।

* ग्राम पंचायतों का वर्णन आगे की पृष्ठों में।

आगाही प्रणाली में हम उत्तर प्रदेश की जिला मण्डलियों का संगठन शक्तियों और वृत्तों का उल्लेख करेंगे। यह मण्डलियाँ १९२२ ई० के यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट के अनुसार बनाई गयी हैं। इस ऐक्ट में समय समय पर अनेक संशोधन होते रहे हैं।

जिला बोर्ड का संगठन—उत्प्रेषण अधिनियम में ऐसा विधान है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए, उसी के नाम से, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होगा। इस बोर्ड का केंद्र भी जिले के हड क्वार्टर में या उसी के निकट होगा। रामपुर, देहरी, गटवाल और फ़ारुकाबाद के हमारे राज्य (state) में मिलने में पूर्व इसमें कुल ४६ जिला बोर्ड थे। प्रत्येक बोर्ड (मण्डली) में सरकार द्वारा निर्धारित की हुई संख्या में निर्वाचित सदस्य होते हैं, इनके अतिरिक्त एक अध्यक्ष और ऐसे कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों ने बाहर से लिया हो। किसी भी मण्डली में निर्वाचित सदस्य तीन से कम और अस्सी से अधिक नहीं होते, १९४८ ई० के संशोधन के पूर्व यह संख्या क्रम-क्रम १५ और अधिक-से अधिक ४० निर्धारित थी। पुरानी प्रणाली के अनुसार सरकार एक मण्डली में अधिक से अधिक तीन सदस्यों का नाम निर्देशन कर सकती थी, जिसमें से एक स्त्री होती थी। नए संशोधन ने इस प्रणाली का सर्वान्त करण प्रत्येक जिले का बाहर से सदस्य मिलाने (का अप्ट करने) का अर्थ दिया है। इस प्रकार से मिले हुए सदस्य निर्वाचित सदस्यों के दसवें भाग में अधिक नहीं बढ़ सकते। इन (coopted) सदस्यों में प्राचीन समय के मनोनीत सदस्यों का स्थानापन्न किया है। दूसरे शब्दों में, नयी संशुद्धी मण्डली में ६१ सदस्य हो सकते हैं—८० निर्वाचित, १० बाहर से लिये हुए और एक अध्यक्ष। छोटे से छोटे बोर्ड में २४ सदस्य होंगे। मेरठ, इलाहाबाद, ग्वाल्मी, आजमगढ़ और गाँवाली मण्डलियों में सर ने अधिक सदस्य हैं और देहरादून और पीलीभीत में सर से कम।

सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ नये संशोधन ने बोर्ड की रचना में सर भी कई आमूल परिवर्तन किये हैं। उन पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन-व्यवस्था को उखाड़ दिया गया है और उस स्थान पर पारगणित जातियों और मुसलमानों की, कुछ शताब्दों के साथ, जगह सुरक्षित करण संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को प्रश्न दिया गया है। सीटों को केवल उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में सुरक्षित किया जायेगा, जिनमें सरकार आज तक। मुसलमान और पारगणित जातियों के लिए उसी अनुपात से सीटें सुरक्षित की जायेंगी, जिसमें कि पिछली जन गणना के अनुसार उपरोक्त जातियों किसी जिले के ग्राम्य क्षेत्रों में रहती थी। जो जगह किसी जाति विशेष के लिए सुरक्षित नहीं होती उनके लिए किसी भी जाति या सम्प्रदाय का व्यक्ति उठा हो सकता

है। ऐक्ट में इस प्रकार का भी उपबन्ध है कि यदि कोई व्यक्ति नई क्षेत्रों से चुन लिया जाय तो उसे एक से अधिक सीट न मिलेगी।

मतदाताओं की योग्यताएँ — १९४८ ई० के संशोधन के अनुसार इस राज्य के ऐसे नागरिकों को अपने अपने जिले के वोट के प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार होगा जो कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा (Legislative Assembly) के लिए मतदाता स्वीकार किये जाए। हमारे शब्दों में, भविष्य में प्रत्येक जिला मण्डली के लिए प्रांत मताधिकार का आधार पर चुनाव हुआ करेंगे। अब पुरानी योग्यताएँ, जो कि सम्पत्ति, लगान आदि पर आधारित थीं, हटा दी गईं। पिछले चुनावों में यह नई प्रणाली प्रयोग न की जा सकी चूंकि उस समय तक नया संविधान प्रवर्तन में ही न आया था।

उपरोक्त साधारण नियम के होते हुए भी किसी व्यक्ति का नामांकित दशाओं में मतदाताओं के रजिस्टर से नाम न चढ़ा सकेगा

(1) यदि किसी दरत न्यायालय में किसी अपराध के उपलब्ध में उसे छुट्टी महीने से अधिक की सजा दी गई, और उसे क्षमा न किया गया हो, अथवा जिसे काटे पाँच वर्ष न कीत चुन हो, या

(11) यदि किसी चुनाव में गड़बड़ी या अवैध जायवाही करने के कारण उसे निर्वाचन के अयोग्य घोषित कर दिया गया हो।

यह सदैव याद रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति तब तब मत देने का अधिकारी नहीं है जब तक कि उस का नाम मतदाताओं की सूची में नहीं चढ़ाया जाता। यह प्रत्येक प्रांत नागरिक का कर्त्तव्य है कि मतदाताओं की सूची तैयार होने समय वह इस बात को मालूम कर ले कि उसका नाम मतदाताओं की सूची में सम्मिलित किया गया है अथवा नहीं। किसी निर्वाचन क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने पर ही कोई व्यक्ति मतदाताओं की नामावली में अपना नाम चढ़ाने का अधिकारी है। यदि कोई व्यक्ति दो या अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करता है तो उसे केंद्र एक जगह ही मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। प्रत्येक मतदाता को अपनी वोट देने का अधिकार है जितने सदस्य उस निर्वाचन क्षेत्र से चुने जायें।

उम्मेदवार के लिए योग्यताएँ — निर्नामित नियोग्यताओं को ध्यान कर यदि भी व्यक्ति जिस का मतदाताओं की सूची में नाम चढ़ा हुआ है अपने निर्वाचन क्षेत्र से या जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र से सरस्यता के लिए खड़ा हो सकता है। केवल लिंग (sex) के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य न समझा जायेगा।

कोई व्यक्ति जिला बोर्ड की सदस्यता के लिए खड़ा न हो सकेगा यदि —

(क) उसे सरकारी नौकरी से वियुक्त (Dismiss) कर दिया गया है, और दावारा नौकरी करने से रोक दिया गया है,

(ख) किसी निर्धारित प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा किसी न्यायालय में बन्नालत करने से रोक दिया गया है,

(ग) वार्ड के अधीन उसने कार्द लाभ की जगह (place of profit) स्वीकार कर ली है,

(घ) वह सरकारी नोकर है, अथवा

(ङ) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उस का बोर्ड के करार (contract) या नौकरी में कोई हित निहित है,

(च) वह अगरेजी या राज्ज की किसी एक प्रादेशिक भाषा का पढ़ने लिखने के अयोग्य है, अथवा

(छ) एक वर्ष में तलब की जाने वाली रकम में उस पर अधिभ्र वनाया है।

उपरोक्त (क) और (रा) नियोग्यताएँ निर्धारित अधिकारी (Prescribed Authority) के आदेश से हटाई भी जा सकती है। कोई व्यक्ति एक से अधिक जिला मण्डलियों का सदस्य नहीं बन सकता। यदि एक से अधिक मण्डलियों के लिए उस का निर्वाचन हुआ है तो वह स्वेच्छा में किसी एक ही वोट का सदस्य रह सकता है।

अधिसूचना — जिला मण्डली के चुनाव एक बार में चार वर्ष के लिए होने अनिश्चित हैं। पिछले साधारण चुनाव के पश्चात् प्रत्येक जिला मण्डल के सदस्यों का एक साथ ही निर्वाचन कराया जायेगा। परन्तु राज्य की सरकार को किसी वोट या बोट के कार्य काल को बढ़ाने का अधिकार है, और साधारण चुनाव का एक बार में यह अधिकार से अधिसूचना एक वर्ष के लिए स्थगित (postpone) कर सकती है। चुनाव की तिथि सरकार गजट में प्रकाशित करती है।

सदस्यों का अपनयन — अधिसूचना के अन्तर्गत वार्ड का कोई अन्य सदस्य अधिसूचना के द्वारा (Through the President) निर्धारित अधिकारी का अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। यदि कोई सदस्य लगातार तीन महीने तक अथवा बिना सन्तोषप्रद स्वधीनरण (Satisfactory explanation) के लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हो तो सरकार उसे पदसु निकाल सकती है। दण्ड न्यायालय से छ मास से अधिक का कारावास होने, या दण्ड प्रक्रिया-संहिता (criminal-procedure code) की (१०६) या (११०) धारा के अनुसार जमानत रखने; प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में बोर्ड के किसी करार अथवा व्यापार में स्वार्थ रखने,

स्थायी रूप से जिले से अपना निवास छोड़ने या अपने पद का अनुचित उपयोग करने पर भी किसी सदस्य का सदस्यता छोड़नी पड़ेगी।

बोर्ड के पदाधिकारी — प्रत्येक जिला बोर्ड में बहुत से पदाधिकारी होते हैं—कुछ वैतनिक और कुछ अवैतनिक। बोर्ड के (paid officials) वैतनिक पदाधिकारियों में मन्त्री, इंजीनियर, टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रल ऑफिसर आफ हेल्थ गिनाये जा सकते हैं। उनके अतिरिक्त इसके कार्य-संचालन के लिए और भी अनेक कर्मचारी रंगे जाते हैं। स्कूलों के डिप्टी इन्स्पेक्टर और सब डिप्टी इन्स्पेक्टर बोर्ड की शिक्षा समिति को शिक्षा सम्बन्धी कार्यवाहियों पर परामर्श देते हैं।

जिला बोर्ड का अध्यक्ष — अध्यक्ष बोर्ड का सबसे प्रमुख पदाधिकारी है। पुरानी प्रणाली के अनुसार उसे बोर्ड के सदस्य चुनते थे। इस प्रणाली का यह दोष था कि बोर्ड में दलबन्दी और पटयन्त्रों को प्रथम मिलता था। १९४८ ई० के संशोधन ने इस दोष को दूर करने के लिए अध्यक्ष के निवाचन के ढंग को ही बदल दिया है। अब पूरे जिले के मतदाता अध्यक्ष को सीधे चुन लेते हैं। कोई व्यक्ति बोर्ड की सदस्यता और अध्यक्षता के लिए एक साथ खड़ा हो सकता है। बोर्ड के सदस्य की योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हो सकता है यदि उसकी आयु ३० वर्ष या इससे अधिक है और वंश १५ वर्ष अवैतनिक दण्डाधीन (Honorary Magistrate), आनरेरी असिस्टेंट क्लर्क, बोर्ड या कोई नोकर या पदाधिकारी अथवा सरकारी सेवक नहीं है। कोई अध्यक्ष दोबारा भी इसी पद के लिए उठ सकता है। परन्तु दो बार लगातार अध्यक्ष रहने के बाद कोई व्यक्ति बिना सरकार की अनुमति के तीसरी बार इसी पद के लिए नहीं चुना जा सकता। सरकार को इस प्रकार की अनुमति देने या न देने का कारण तो स्पष्ट करना पड़ेगा। अध्यक्ष का चुनाव बोर्ड के कार्य-काल तब, अर्थात् चार वर्ष के लिए होता है, और अपने उत्तराधिकारी के निर्वाचित होते ही उसकी अवधि समाप्त हो जाती है। अपनी इच्छा से वह कमी भी त्याग पत्र दे सकता है। बोर्ड को भी उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होकर राज्य की सरकार के पास जाये तो उसे तीन दिन के भीतर त्याग-पत्र दे देना चाहिए, अथवा युक्त पूर्ण कारणों के साथ सरकार से बोर्ड का विघटित (Dissolve) करने की प्रार्थना करना चाहिए। सरकार अध्यक्ष का त्याग पत्र माँग सकती है अथवा बोर्ड का विघटन कर सकती है। पहली दशा में अध्यक्ष का तीन दिन में त्याग-पत्र दे देना चाहिए अन्यथा उसे पद से हटा दिया जायेगा। यदि उसे त्याग-पत्र देने पर बाध्य किया गया है तो वह फिर चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है। सक्षेप में, जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष और

जनता द्वारा चुने हुए बोर्ड के बीच गतिरोध (Deadlock) की अवस्था में जनता द्वारा ही उनका फैसला कराया जाता है ।

बोर्ड के सदस्य अपने होशियारों में एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा उपाध्यक्ष चुन लेते हैं । यह चुनाव केवल एक वर्ष का अवधि के लिए किया जाता है परन्तु कोई सदस्य दोबारा भी उपाध्यक्ष चुना जा सकता है । यदि एक ने बजाय दो उपाध्यक्ष चुन लिये जाते हैं तो एक से बड़ा (Senior) और दूसरे को छोटा (Junior) उपाध्यक्ष कहेंगे ।

जिला-मण्डली की रचना की पुरानी और नई पद्धति पर तुलनात्मक दृष्टि डालते हुए हम यह कह सकते हैं कि प्राथमिक संशोधनात्मक—पृथक निर्वाचन प्रणाली का अन्त, प्रौढ मताधिकार और अध्यक्ष का सीधा (Direct) निर्वाचन, ये तीन मुख्य परिवर्तन लिये हैं । इन सुधारों से राज्य में स्वायत्तशासी संस्थाओं के विकास में पर्याप्त योग मिलेगा ।

अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य —जिला मण्डली के अध्यक्ष के निम्न लिखित अधिकार और कर्तव्य हैं—

(1) बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार बोर्ड के नोडरस की सेवा, वेतन, भत्ते, छुट्टी और मुफ्त सुविधाओं से सम्बन्धित प्रश्नों का तैयारी करना ।

(II) बोर्ड की बैठकें बुलाना, अध्यक्षता करना और उनकी कार्यवाही चलाना, प्रशासी समिति की बैठकों में अध्यक्षता ग्रहण करना ।

(III) बोर्ड के विनय और प्रशामन की देय देय करना और तत्सम्बन्धी कर्मियों का बताना ।

(IV) बोर्ड की कार्यवाहियों की रिपोर्टें, हिसाब किताब का चिह्न तथा इसी प्रकार के अन्य प्रलेख तैयार करना और बाह्य अधिकारियों के भेजाने पर प्रस्तुत करना तथा

(V) ऐक्ट के अनुसार और वे सब का करना जो समय-समय पर सौंप जाये । अध्यक्ष का यह भी एक कर्तव्य है कि जिला बोर्ड के प्रशासन से सम्बन्धित आरक्षक और सूचना तैयार करवाये । यह अपनी शक्तियाँ उपाध्यक्षों को भी सौंप सकता है ।

जिला-मण्डली के कृत्य.—जिला-मण्डली और नगर मालिका के कृत्य लगभग एक से ही हैं, अन्तर केवल इतना है कि परली ग्रामीण परिस्थितियों का ध्यान रखती हैं और दूसरी नगर का । जिला बोर्ड के कृत्यों को भी अनिवार्य और वैकल्पिक दो भागों में बाँटा जा सकता है । ऐक्ट ने अनुसार बोर्ड को निम्नांकित विषयों का प्रबन्ध अनिवार्य-रूप से करना होता है —

(१) सार्वजनिक सड़कों और पुलों का बनवाना, मरम्मत कराना और उनका रक्षा करना एव यातायात की सुविधाएँ बढ़ाना ।

(२) सार्वजनिक सड़कों और स्थला पर वृक्षारोपण और उनकी रक्षा करना ।

(३) शोधालय, प्रभृति-केन्द्र, बाल चिकित्सालय इत्यादि का स्थापित करना, सरक्षण करना और प्रबन्ध करना ।

(४) स्कूल और पुस्तकालय खुलवाना, उन्हें सशक्त बनाना उनका निरीक्षण कराना, अध्यापकों के प्रशिक्षण और विद्यार्थियों की छात्रावृत्तियों का प्रबन्ध करना आदि ।

(५) शरीर निर्माण (Physical culture) और यह उद्योग धंधों के केन्द्र स्थोलकर इन्हें प्रोत्साहन देना,

(६) सार्वजनिक कुएँ, तालाब, नहरें, बाँध, नालियाँ आदि का बनवाना तथा अन्य साधनों से पानी का प्रबन्ध करना,

(७) भयानक मकानों और भवनों को गिराना,

(८) अकाल रोकने वाले साधनों का प्रबन्ध करना और अकाल पीड़ितों का सहायता करना,

(९) पशु शालाएँ बनवाना और उनका प्रबन्ध करना ।

(१०) मात्राज्ञान नामका का प्रबन्ध करना,

(११) पड़ाव, सराय आदि का नियंत्रण करना,

(१२) मेला, कृषिप्रदर्शनी, और उद्यान प्रदर्शना का लगवाना, पशुओं की नसल बढ़ाना, इनके उपचार का प्रबन्ध करना, और कृषि और उद्योग को प्रोत्साहन देना

(१३) सार्वजनिक वैज्ञानिक, धर्मार्थ दान का प्रबन्ध करना

(१४) टाँस लगवाने, सफाई और रागों की रोक भंग करने का इतजाम करना,

(१५) पीने के स्वच्छ पानी का प्रबन्ध करना,

(१६) शक्ति की सभ्यता को सुरक्षा करना और उसकी अभिवृद्धि करना,

(१७) ऐसे प्रलेख और विवरण पत्र तैयार करना जो राज्य की सरकार के समस्त भेजने पड़े,

(१८) खतरनाक, आर ग्लानि पूर्ण व्यापार व्यवसायों को रोक देना,

(१९) रोग-निवारण, सफाई, कृषि, उद्योग और नसल सुधारने के बारे में ज्ञान प्रसार करना,

निम्नलिखित कुछ वैकल्पिक विषय हैं जिन पर बोर्ड स्वेच्छा से काम करेगा,

स्थानीय स्वशासन

- (१) नई मार्बजनिक सड़कों का बनवाना और उनके लिए भूमि का प्रदान (Acquire) करना।
 (२) जन्म व मृत्यु का हिसाब रखना।
 (३) पाठशाला के अतिरिक्त अन्य साधनों से शिक्षा का प्रचार करना—जैसे प्रो-विद्या-स्कूल, और सचल पुस्तकालयों का प्रगन्ध।
 (४) जनगणना करना।
 (५) ट्रामवे, रेलवे और आबगमन के अन्य साधनों का बनवाना अथवा उनकी सहायता करना।

(६) छोटे-मोटे सिंचाई के साधन को जुगना।

(७) नदियों तथा पानों के अन्य स्रोतों को गन्दा होने से बचाना, आदि आदि।

इह क्षेत्र का विषय है कि अभी तक उत्तरप्रदेश की जिला मंडलियों ने वैकल्पिक विधियों की ओर अधिक ध्यान नही दिया है।

वित्त—अपने अनिवार्य और वैकल्पिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए जिला-मंडली को धन की आवश्यकता पड़ती है। इन कार्यों के लिये राज्य की सरकार वार्षिक सहायता अनुदान देती है, इसके अतिरिक्त अपने व्यय की पूर्ति के लिए बोर्ड को स्थानीय कर और टेक्स लगाने का अधिकार है। यह कर व्यक्तियों पर सम्पत्ति और परिस्थितियों के विचार से लगाया जाता है। किसी व्यापक पर कर या रेंट उठा समन लगाया जाएगा जब कि वह कम से कम छ महीने उस जिले में रह चुका हो या व्यापार कर चुका हो, इसके अतिरिक्त उसकी कम से कम २००) वार्षिक आय होनी चाहिये। टेक्स की दर कुल वरदेय आय (Taxable Income) पर चार पाई की दर से अधिक नही जा सकती। उपर (अवकाश) विमानों या भूमि धरो से मीधा सरकार द्वारा उठा लिया जाता है और बाद में उसे जिला मंडला को दे दिया जाता है। गाड़ियों एवं नावों के मार्गशुल्क (Toll) और दुकानों, पुलों, बाजारों, पशु शालाओं, बोर्ड की सम्पत्ति—जैसे सड़क के बूँदों के फलों, शिक्षा शुल्क, मेलों इत्यादि से भी बोर्ड कुछ रकम इकट्ठा कर लेती है। नीचे मेरठ की जिला बोर्ड की आय के विभिन्न स्रोतों की तालिका दी जाती है। यह आंकड़े १९५०-५१ के बजट से उद्धृत किये जाते हैं—

आय के मुख्य स्रोत

वास्तविक आय विगत वर्ष
सन् ४८-४९

आगामी वर्ष का अनुमान
सन् ५०-५१

सरकारी अनुदान

शिक्षा

(क) स्थायी

(ख) अस्थायी

४२४३५

८८८४

४४६२८७

स्थायी शफागाने	५२३२	४५००
अबवाव	४४८८६१	५८६००
कर (द्वैसियत जायदाद)	१६०१११	२०००००
पशुशाला	२५८८३	३००००
पुलों से आय	११००	२५००
शिक्षा शुल्क	६०८४५	१४५५००
सूद अमानत	२६१	२६१
अन्य आय (अस्थायी)	३४८७	५००
शफाखाने इन्सानी		
और देशी इलाज आदि	८७६३	६५१०
शफागाने पशु	४६५५	६११०
मेलों का आय	१५४०३३	१७८०००
सम्पत्ति से आय	५६६१	६१८०
कृषि एवं वृक्ष आदि	२१६७७	३६०००
न्याज	११२५	१०००
असाधारण और कर्ज	११४५५	५००

इन्हा वर्षों का मेरठ के जिला बार्ड का रकम निम्नान्ति है —

व्यय की भेदें	विगत वर्ष का बाल्त्विकर (१९४८-४९)	अनुमानित (१९५०-५१)
बसूलदायी तथा		
साधारण प्रशासन	१२७८५८	१३६५००
पशु-शालाएँ	२५४८०	४७०००
शिक्षा	२५३३१	२५२००
बालकों के मिडिल स्कूल	६१०८०	१४०१५४
साधारण प्राथमिक पाठशालाएँ	३६६०१५	५७७६६६
इस्लामिया पाठशालाएँ	१६५७२	०२१६
हरिजन पाठशालाएँ	२१६२१	३६३३६
ऐंग्लो बन्धा पाठशालाओं		
की सहायता	२६२२१	४२४७४

स्थानीय स्वशासन

व्यय की मदें—

विगत वर्ष का वास्तविक
(१९४८—४९)अनुमानित
(१९५०—५१)बालों की अनिवार्य शिक्षा
विधियाँ५४८१११
१६५००१
३५१३६८६५४९९
२८७३८२
९२५००
७९५०

शिक्षा दस्तकारी

६००

५३२५०

मेडिकल विन्डिला (अँ गरेजी)

५३९२७

५३२५०

देसी दलान

२५५९३

५००५०

स्वास्थ्य रक्षा

१९८६६

२९४७०

टीके इत्यादि

२०४२२

५९८००

पशुचिकित्सा

२७१७६

१७४०००

मेने और प्रकरानी

१५२०८२

२००००

कृषि और वृद्ध

१२९३७

३४१८०

सार्वजनिक निर्माण (कर्मचारी वर्ग)

२६१९९

मरम्मत

१४२०००

सड़क और

४१५०९

५०२७८१

दूसरे काम

१९३१६

१०७००

नये काम

५९८८

१५००

ग्रीड शिक्षा

१८३५५

६४३५०

बाग़ीची

४४१७४

५००

नियुक्तियाँ

५००

असाधारण और श्रृण

बाह्य हस्तक्षेप—जैसा कि पहिले ही बतलाया जा चुका है कोई भी सरकारी पदाधिकारी या नौकर बोर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। परन्तु जिले के कुछ अधिकारियों को राज्य की सरकार ने बोर्ड की बैठकों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान कर दिया है। जैसे—जिलाधीश डिस्ट्रिक्ट मेडिकल आफिसर आफ हेल्थ, सिविल बैटनरी विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट और डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट। सरकार निर्धारित अधिकारियों को जिला बोर्ड के सम्बन्ध में और भी अधिकार दे सकती है—

जैसे—

- (१) इन्स्पेक्टर जनरल आफ सिविल हॉस्पिटल और सिविल सर्जन को जिले में बोर्ड के आप्पालायों और चिकित्सालयों के निरीक्षण का अधिकार।
- (२) डाइरेक्टर और असिस्टेंट डाइरेक्टर आफ पब्लिक हेल्थ को जिले के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की देखरेख करने का अधिकार।

(३) चीफ इंजीनियर, सुरिन्येडिंग इंजीनियर, ऐंक्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को सार्वजनिक निर्माण विभाग के निरीक्षण का अधिकार ।

(४) शिक्षा के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर और असिस्टेन्ट-इन्स्पेक्टर को शिक्षण-संस्थाओं की जांच करने का अधिकार है ।

इसी प्रकार राजस्व, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा विभागों के अन्य निर्धारित अधिकारियों को भी बोर्ड के कामों में कुछ हस्तक्षेप करने का आधिकार दिया जा सकता है ।

बोर्ड की समितियाँ—नगरपालिका के भी अर्थात् जिला महडली का भी अपने अपने कार्य के संचालन के लिए अनेक समितियों की सहायता लेनी पड़ती है । इन समितियों में सबसे प्रमुख प्रशासी (Executive) और शिक्षा-समितियाँ हैं । कुछ महडलियों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए पृथक् एक समिति होती है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक तहसील के लिए एक एक तहसीली बमेटी हाती है ।

प्रशासी समिति—यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण समिति होता है । १९४८ ई० के संशोधन ने ही पहली बार इस समिति का आयोजन किया है । इस समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य समितियों के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने और चुने हुए सदस्य सम्मिलित किये जाते हैं । बोर्ड का सेक्रेटरी इस का पद (Ex-officio) मन्त्री और बोर्ड का अध्यक्ष इसका पदन अध्यक्ष होता है । प्रशासी समिति निम्नान्वित शक्तियों का प्रयोग करती है—

- (1) किसी सदस्य का परितापण (Remuneration) नियत करना ।
- (II) किसी सदस्य के विरुद्ध नालिश करना ।
- (III) किसी समिति से हिसाब किताब मागना ।
- (IV) तहसील-समितियों को अधिकार और कर्तव्यों का संज्ञाना ,
- (V) तहसील-समितियों के लिए निधिया नियत करना ।
- (VI) बोर्ड के किसी सेवक, अधिकारी या समिति को कथर (Contracts) की स्वीकृति देने के अधिकार देना ।
- (VII) किसी व्यक्ति को कथर निष्पादन (Execution of Contract) का शक्ति प्रदान करना ।
- (VIII) अनिवार्य कर्मचारी वर्ग के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों की संख्या और उनका वेतन नियत करना ।
- (IX) दूसरी स्थानीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना ।
- (X) सार्वजनिक सड़कों का रूप बदलना या उन्हें बन्द करना ।
- (XI) कर-सम्बन्धी प्रस्तावों का तैयार करना ।

(xii) राज्य की सरकार का बान्धित स्पष्टीकरण (explanation) देना।

(xiii) शुल्क निर्धारित करना।

(xiv) बोर्ड को तौपी गई सम्पत्ति का प्रन्थ और नियन्त्रण करना।

इसके अतिरिक्त, प्रशासी समिति को 'वार्ड स्वेच्छा से और भी शक्तियाँ सौंप सकती हैं। यहाँ समिति वे सब कृत्य भी करती जिन्हें अब से पहिले विच समिति किया करती थी। दूसरे शब्दों में, प्रशासी समिति ने १९४८ के मशोधन से पू की विच समिति का स्थानापन्न किया है। उम समय विच समिति का प्रमुख कर्त्तव्य आगामी वर्ष के लिए आय व्यय के अनुमान और प्रचलित वर्ष के वास्तविक खर्च और अनुमानित रसीदों का विवरण तैयार करना था। यह कृत्य अब प्रशासा समिति द्वारा कराया जायेगा।

प्रशासी समिति का तैयार किया हुआ बजट बोर्ड के सामने रखा जाता है। विचार विमर्श के पश्चात् बोर्ड तक प्रस्ताव द्वारा बजट को मशोधित या पारित कर सकता है अथवा इसे बिल्कुल अस्वीकार कर सकता है। अस्वीकृत होने की दशा में प्रशासी समिति को दोबारा बजट बनाना पड़ेगा, यदि इस बार भी बोर्ड बजट का प्रस्वीकार कर देता तो यह बजट राज्य की सरकार के पान इमी अवस्था में भेज दिया जायेगा। सरकार इसमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन कर सकती है। प्रत्येक जिला मण्डली को अपना बजट और बाद में किये हुए परिवर्तन सरकार को या सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी को भेजने पड़ते हैं। सरकार बजट को स्वीकार कर सकती है या कुछ नदों पर मशोधन करने के लिए इसे लौटा सकती है।

शिदा समिति—शिदा समिति में प्राय १२ सदस्य होते हैं जिनमेंसे ८ का नियां चन बोर्ड के सदस्यों में से होता है और शेष चार को गहर से लिया जाता है। इन चार सदस्यों में से दो ऐसे सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जो निरीक्षक के अतिरिक्त शिदा विभाग के कर्मचारी ह। समिति अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में अपने ही सदस्यों में से करेगी। प्रतिग्रन्थ यह है कि सरकार का वैतनिक सेवक प्रत्यक्ष 'पद पर न चुना जासकेगा। इस का कार्य-काल केवल एक वर्ष नियत है।

इस समिति का मंत्री डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल होता है। जिले के स्कूलों के निरीक्षक या निरीक्षक को समिति की बैठकों में भाग लेने और सदस्यों को शिदा के सम्ग्रन्थ में सम्बोधित (Address) करने का अधिकार प्राप्त है। यदि शिदा समिति अपना कार्यबहन सुचारु रूप से न करे तो बोर्ड एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा सरकारसे उसे विघटित (dissolve) करने की प्रार्थना कर सकता है। बोर्ड की ओर से शिदा-समिति विचे के स्कूलों का प्रन्थ और प्रशासन सब अव्ययनों की

नियुक्ति, बदली इत्यादि करती है। समिति का अध्यक्ष समिति की कार्यवाही का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करता है।

तहसील समितियाँ—तहसील के प्रशासन में सहायता के लिए वार्ड तहसील समितियों की नियुक्ति करती है। एक तहसील समिति में वे सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं, जो उसी तहसील से चुने गये हों। इस के अतिरिक्त तहसील समिति में और भी सदस्य वार्ड के द्वारा मनोनीत किये जा सकते हैं। तहसील समिति के वह अधिकार और कर्तव्य होंगे जो बोर्ड उसके लिये हस्ताक्षित करे। बोर्ड ही इस प्रकार की समितियों के लिए कोष निर्धारित करता है।

ग्राम पंचायतें

परिचयात्मक—हमारे देश में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं को उतनी सफलता न मिल सकी जितनी कि इंग्लैंड और अन्य प्रजातन्त्रत्मक देशों में। नगरपालिका और जिला मण्डली की असफलता के कारणों पर हम बाद में विचार करेंगे। पहिले हम ग्राम पंचायतों का विवेचन करना चाहते हैं जिन का हमारे देश में बहुत पुण्य इतिहास है। कता जाता है कि एक समय था जब कि पंचायतों हमारे समाज के सुसंगठित भवन की आधार शिलाए थी। एक लेखक ने पंचायतों को प्राचीन भारत की महानता का कारण बताया है। ब्रिटिश साम्राज्य की छाया में वे फूल फल न सकी। अपने प्राचीन रूप से न सही, किन्तु किसी न किसी रूप में ब्रिटिश राज्य काल में भी इन्हें जैसे जैसे जीवित रखने का प्रयास किया गया। हमारे नवीन संविधान में भी इन गणतन्त्रात्मक इकाइयों के पुनर्संगठन का निर्देश है। ★

उत्तर प्रदेश में गांवों में पंचायत राज स्थापित करने के लिए १९५० में एक ऐक्ट बनाया गया। इस ऐक्ट का प्रमुख दोष यह था कि ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि जनता से निर्वाचित होने के बजाय सरकारी पदाधिकारी द्वारा नियुक्त होते थे। क्लर्क की श्रेणी से तहसीलदार ही पंचों का नाम निर्देशन कर देता था। दूसरे पंचायतों के कुछ अधिकार भी न थे। सरकारी कठोर नियन्त्रण के कारण वे वास्तविक लोकतन्त्रात्मक इकाइयां न बन सकीं। १९३७ ई० में जनप्रिय कांग्रेस मंत्रिमण्डल बना तो हमारे प्रतिनिधियों ने ग्राम्य जीवन में फिर से सृष्टि लाने के लिए १९२० ई० ह्य के पंचायत राज ऐक्ट की काया पलट करनी चाही। वे लोग एक नया अधिनियम बनाने की कल्पना ही कर रहे थे कि उन्हें त्याग पत्र देने पड़े। इसके बाद फिर कुछ दिन के लिए ग्रामों की उन्नति का स्वप्न भग्नप्राय हो गया। दोसरा पद ग्रहण करते ही हमारे राज्य की सरकार ने फिर अपने विचार को पूरा करने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप १९४७ ई० का गांव पंचायत राज ऐक्ट बनाया गया।

* देखिए भारत का संविधान अनुच्छेद (४०)

१९४७ ई० का गाँव पंचायत राज ऐक्ट—यह ऐक्ट १९५० ई० के ऐक्ट से मिल्तुल भिन्न है। इस का उद्देश्य ग्रामों में स्वायत्त शासन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना है। यह लोगों में सहकारिता और स्वामिमान की भावना भरना चाहती है। हमारे देश में स्वायत्त शासन की ओर इतना क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया गया था। यह १९४७ई० के ऐक्ट के समान सुकुचित और सकीर्ण नहीं है। १९२० ई० के ऐक्ट में प्रत्येक गांव में प्रौढ मताधिकार के आधार पर प्रतिनिधि सस्थाओं की कल्पना भी न थी। १९४७ ई० के ऐक्ट के अनुसार नगर पालिका, टाउन, एरिया नोरीफाउंड एरिया आदि शाहरी इलाकों को छोड़ कर छोटे बड़े गांवों के लिए ग्राम पंचायत और पंचायती अदालतों का विधान है। नए अधिनियम के अनुसार ग्राम्य स्वशासन से सम्बन्धित तीन सस्थाएँ होगी—गाँव सभा, ग्रामपंचायत और पंचायती अदालत। नीचे इन तीनों का अलग-अलग विश्लेषण किया जायगा।

(१) गाँव सभा—१९४७ ई० के गाँव पंचायत राज ऐक्ट के अनुसार १००० या इससे अधिक जनसंख्या वाले गाँव की एक गाँव सभा बना दी जायेगी। जिन गाँवों में इससे कम जनसंख्या है उन्हें पाम—पड़ोस के गाँवों के साथ मिलाकर गाँव सभा बना दी जायेगी। यदि किसी गाँव की ऐसी स्थिति है कि तीन मील से अधिक दूरी के कारण उसे किसी अन्य गाँव के साथ मिलाने में कठिनाई होगी तो उसे अपनी पृथक गाँव सभा बनाने की आज्ञा मिल सकती है और ऐसी विशेष परिस्थिति में उस की जन-संख्या का कोई विचार न रखा जायेगा।

गाँव-सभा में अपने क्षेत्र के निवासी सभी प्रौढ स्त्री पुरुष सम्मिलित होंगे। जेसल २१ वर्ष से कम आयु का, पागल, दिवालिया, कौड़ी सरकारा नोकर, फौजदारी मुस-दमे में सजायाफता, आदि होने के कारण हो किसी व्यक्ति को उसके क्षेत्र की गाँव सभा का सदस्य होने से रोका जा सकता है।

गाँव-सभा की वर्ष में कम से-कम दो बैठकें होंगी—एक रबी की फसल करने के बाद और दूसरी गरीफ की फसल करने के बाद। गाँव सभा के सदस्यों के एक पाँचव भाग से अधिक सदस्य बीच में भी सभा की असाधारण बैठक बुलवा सकते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव करते समय गाँव सभा के सदस्य अपने प्रधान और उपप्रधान का भी सीधा चुनाव (Direct Election) करते हैं। ये पदाधिकारी तीन वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इनके कार्य काल के बीच में भी कम से-कम दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से परस्युन किया जा सकता है। सभा की बैठक में प्रधान ही सभासदित्व ग्रहण करते हैं।

खरीफ की फसल करने के बाद गाँव सभा आगामी वर्ष का आय-व्ययक पारित करती है और रबी की बैठक में प्रचलित वर्ष के हिसार किताब की जाँच-पड़ताल

करती है। सभा प्रधान द्वारा प्रस्तुत की हुई ग्राम पंचायत की कार्यवाही पर भी विचार विमर्श करती है। इन बैठकों में प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और पंचायत (Executive) के कार्य के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभा का काम एक ऐसा रजिस्टर भी तैयार करना है जिसमें सभी प्रौढ मतदाताओं की सूची हो।

अपनी कार्यकारिणी को गाँव-सभा स्वयं चुनती है जिसे ग्राम पंचायत कहा जाता है। ग्रामपंचायत के सगठन, अधिकार और उत्तयों का उल्लेख निम्नलिखित हैं—

ग्राम पंचायत—गाँव सभा के क्षेत्र में कुल जनसंख्या के अनुपात से गाँव पंचायत में कम या अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। एक पंचायत में प्रधान और उपप्रधान के अतिरिक्त कम से कम ३० और अधिक से अधिक ५० सदस्य हो सकते हैं। गाँव सभा के सभ्यपति और उपसभ्यपति ग्राम पंचायत के भी प्रधान और उप-प्रधान होते हैं।

ग्राम पंचायत अपनी छोटी छोटी समितियाँ बना लेती है जिनमें निर्धारित सरया में बाहर से भी सदस्य मिलाए जा सकते हैं। पंचायत का वास्तविक प्रशासन सम्बन्धी कार्य यही समितियाँ करती हैं। ग्राम पंचायत की एक मास में कम से कम एक बैठक होना आवश्यक है।

एक ग्राम पंचायत का निम्नलिखित प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं :—

- (क) अपने क्षेत्राधिकार की गलियों को बनवाना, मरम्मत, सफाई, रोशनी आदि कराना।
- (ख) रोगों का उपचार करना और सफाई रखना।
- (ग) सक्रामक रोगों से बचाव रखना।
- (घ) गाँव सभा के भवन और सर्पित की रक्षा करना।
- (ङ) जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रजिस्टर बनाना।
- (च) मरघट और श्मशाना का प्रबन्ध करना।
- (छ) छोटे-छोटे मैने, हाटों का प्रबन्ध करना।
- (ज) लड़के लड़कियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना।
- (झ) स्वास्थ्य का प्रबन्ध और रक्षा करना।
- (ञ) सार्वजनिक, कुएँ, बावडी, तालाब इत्यादि का बनवाना और उनकी रक्षा करना, पीने के पानी का प्रबन्ध करना।
- (ट) कृषि, वाणिज्य, उद्योग का विकास करना, आग बुझाना।
- (ठ) प्रसूतप्रद और बालकों की भलाई का प्रबन्ध करना।
- (ड) जन गणना और पशु गणना का हिमाज रखना।

स्थानीय स्वशासन

(द) खर्चों का खुदवाना और साद का प्रबन्ध करना ।

(घ) विधि द्वारा निश्चित और कृत्यों का पालन करना ।

इनके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के ग्रौर भी अनेक कर्तव्य हैं उन सब को गिनाने की आवश्यकता नहीं। केवल यह कह देना काफी है कि ग्राम्य जीवन के सर्वांगीण विकास का भार पंचायतों के ऊपर है। स्थानीय आवश्यकता की सभी चीजों पर उमी का नियंत्रण है। वह अपने कार्यों को पूरा नरके सरकार का भी हाथ बँटा मरनी है। उदाहरणार्थ जा पंचायतें अच्छे ढग से काम करेगी उन्हें सरकार लगान उघाने का काम भी सौं सक्ती है। पशुओं की उन्नति, जमीन की उन्नति आदि के लिए पंचायतें सब शुद्ध कर मवती हैं। सुरक्षा के लिए वे स्वयं सेवक दल बना सकती हैं। महामरिता का विकास, अच्छे बीजों का जमा ररना, अकाल रक्षा, पुस्तकालयों का आयोजन, मेल-जोल का बढाना, रेडिया इत्यादि का प्रबन्ध करना, ग्रामीण जनता की भौतिक और अध्यात्मिक उन्नति करना, पंचायतों के कुछ और नैसर्गिक कर्तव्य हैं।

इन सब अधिकार और कर्तव्यों ने अतिरिक्त एक और नई बात यह है कि सरकारी नाकतों व बुरे व्यवहार के विरुद्ध भी पंचायत शिकायत कर सकती है। पटवार, पतराल, सरकारी चपरासी, तिपाही और टीका लगाने वालों क खिलाफ जो शिकायत ग्राम पंचायतें करेगी उस पर विशेषतया ध्यान दिया जायेगा।

पंचायत के कार्य में सहायता देने के लिए पंचायत की ओर से वैतनिक संजेटरी रखे गये हैं। इनक प्रातरिक्त पंचायत और भी छोटे छोटे कर्मचारी रख सकती है। परन्तु इसके लिए उसे निर्धारित अधिकारी (पंचायत अफसर) की अनुमति लेनी पडती है।

गौर केष—अपने विविध कृतव्या का सुचारु रूप से पालन करने के लिए गाँव पंचायत को धन की आवश्यकता पडती है। इसलिए इसे एक गाँव बाप ररन का अधिनार दिया गया है। इस बाप में गाँव पंचायत की आय जमा होनी गाँव पंचायत को प्राय के साधन नम्नामित है—

- (i) सरकारी अनुदान ।
- (ii) पेट्ट क र्प्रधीन लगाए हुए कर और शुल्क ।
- (iii) पंचायती अदालतता की आय का बटवारा ।
- (iv) साद गोर, बूडा करकट आदि की विन्ती ।
- (v) मृतक जानवरों की हड्डियों से प्राय ।
- (vi) पंचायत की सम्पत्ति पर सूद, किराया आदि ।
- (vii) दान या उधार ।
- (ix) मेले हाटों आदि का शुल्क ।

(x) ठेके और व्यापार व्यवसायों पर की श्राय ।

(ix) और भी जिन वैध तरीकों से श्राय हो सके ।

गाँव पंचायत को एक रुपये लगान पर एक श्राना तक कर वसूल करने का अधिकार है। इसी प्रकार व्यापार और पेशों पर भी कर लगाने के लिए निर्धारित नियम हैं जिनका पंचायत उल्लंघन नहीं कर सकती। गाँव पंचायत को तोला, बूझड़ों, शकर साफ करने वालों और त्रिशयों पर गाँव चलाने वालों से लाइसेन्स की फीस उधाने का भी अधिकार है।

इन सब श्रायों का लेना गाँव पंचायत को गाँव सभा की बैठकों में पेश करना होगा। गाँव काय में रुखा जमा करने और रुखा निकालने के भी निर्धारित नियम हैं जिनमें जाने की आवश्यकता नहीं।

पंचायती अदालत—गाँव वालों का छोटे-छोटे झगड़ों पर पैकार का सच और कठिनाई बचाने के लिए पंचायत राज में पंचायती अदालत की स्थापना का विधान है। ये पंचायती अदालतें कम से कम तीन और अधिक से अधिक पाँच गाँव सभाओं के ऊपर एक एक हानी। इस प्रकार एक जिले में अनेक पंचायती अदालत होंगी।

एक पंचायती अदालत के अन्तर्गत जितनी गाँव सभाएँ हाती हैं वे पाँच-पाँच पंच चुनकर भेजती हैं। इस प्रकार एक पंचायती अदालत में कम से कम १५ और अधिक से अधिक २५ सदस्य हो सकते हैं। पंचायती अदालतों के सदस्यों की कम से कम ६० वर्ष आयु होनी चाहिए और उन्हें हिन्दी का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है। इन सब का ३ वर्ष के लिए चुनाव होता है। पद ग्रहण करते ही वह लोग निर्धारित दाय से शपथ लेते हैं। एक पंचायती मण्डल (circle) के सभी पंच मिलकर बहुमत से अपने सरपंच का निराचन करते हैं। सरपंच का इस योग्य होना चाहिए कि वह अदालती कार्यवाही का लिख सके। पंचायती अदालत के सामने आने वाले प्रत्येक अभियोग के तै करने के लिए सरपंच पांच पंचों का एक बैंच बनाता है। इनमें से कम से कम एक पंच ऐसा जाना चाहिए जो कार्यवाही लिख सक। बैंच के बनाने के कुछ निर्धारित नियम हैं जिन्हें बतलाना आवश्यक नटा है।

प्रत्येक मालश क लिए पंचायत की कुछ फीस नियत है। यह शुल्क उस मामले क मूल्य पर निर्भर है। यह अदालत—फौजदारी, दीवानी और माल—तीनों प्रकार क ही छोट-छोटे मुन्दमे तै कर सकती है। इसके फौजदारी के क्षेत्राधिकार में कुछ Cattle Tresspass Act, कुछ D. B. Primary Education Act, कुछ Public Gambling Act और कुछ Indian penal code (भारतीय दण्ड-संहिता) के अभियाग सम्मिलित हैं। दीवानी मामला में ये अदालतें १००) तक के मूल्य के मुन्दमे ले सकती हैं ;

संघनीय स्वशासन

परन्तु सरकार द्वारा किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार ५००) तक के मूल्य के मुकदमों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त २००) तक का हैसियत के माल के मुकदमों पंचायती न्यायालयों को सौंप दिये जायेंगे। पंचायती अदालतों के सामने मुकदमों मुझे जाने की बहुत ही सुगम और सरल रीति अपनाई गई है। इन अदालतों के सामने बर्काल पेश नहा किये जायेंगे। कोरी वैधता के उजाय इन अदालतों में सर्वमान्य न्याय पर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

पंचायती अदालत केवल जुर्माने ही कर सकती है। इनको शारीरिक दण्ड या कारागार की सजा देने का अधिकार नहीं है। किसी भी अवस्था में इस अदालत का १००) से अधिक जुर्माना करने की शक्ति नहीं है, केवल सरकार ही इस अधिकार को बढ़ा सकती है। जिन विषयों में सजा देना आवश्यक प्रतीत हो, उन्हें पंचायत के एस० डी० ओ० की अदालत में भेज देना चाहिए। जिन विषयों में पंचायत को निर्णय करने का अधिकार है, उनकी अपील किसी बड़ी अदालत में नहीं हो सकती।

वाह्य नियन्त्रण—ऐक्ट के अनुसार राज्य की सरकार को गाँव सभा, ग्राम-पंचायत और पंचायती अदालत पर नियन्त्रण का अधिकार है। यह नियन्त्रण कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इन सभाओं, पंचायतों और अदालतों का निरीक्षण करने के लिए सरकार ने पंचायत निरीक्षक (Panchayat Inspectors) रख छोड़े हैं, जिनके ऊपर पंचायत अफसर और पंचायत टादरेक्टर क्रमशः रखे गये हैं। अपने अधिकारों (Agents) के द्वारा सरकार इन संस्थाओं के कार्य की प्रशासन और वित्त-सम्बन्धी पुस्तक, प्रलेख आदि की दखल-बाखल करती है। सरकारी इनकी कार्यवाही के विषय में प्रतबदन मगा सकती है। उसे किसी भी सभा, पंचायत या अदालत के विघटित (Dissolve) करने का हक है। गाँव-सभा या पंचायती अदालत का बजट तभी लागू हो सकेगा, जब तक उस पर निर्धारित अधिकारी (पंचायत निरीक्षक) क हस्ताक्षर हों।

नये ऐक्ट के विषय में कुछ विचार—१५ अगस्त १९४७ ई० को उत्तर-प्रदेश में २४७५५ पंचायत और ८२१५ पंचायती अदालतों ने सार्वभूम किया। ये संस्थाएँ लगभग ५ करोड़ चालीस हजार ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस प्रकार जनता के हाथों में एकदम इतने बड़े पैमाने पर सत्ता का हस्तान्तरण किया गया है, जिसका अब तक देश में कोई उदाहरण नहा है। पिछले चुनाव, ऐक्ट के अनुसार सयुक्त निर्वाचन और प्रौढ मतदाताधिकार के आधार पर किये गये। अल्पसंख्यकों के लिए स्थान सुरक्षित थे। इन चुनावों में ग्रामीण जनता ने बराबरी उल्लास प्रदर्शित किया। लोगों में नई राजनैतिक चेतना दिखाई पड़ रही

थी। इस निर्वाचनो में स्त्रियों ने भी पर्याप्त अभिरूचि दिखाई और उनमें से लगभग एक हजार को कई पदों पर चुना गया। इन सस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों—सदस्य, प्रधान और उपप्रधान की संख्या १३,०६,७०३ थी।

पंचायतों के ठीक प्रकार निर्देशन और पथ प्रदर्शन करने के लिए ५०० पंचायत राज निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। इन लोगों को लखनऊ में पन्द्रह दिन की कबी ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) दी गई। आठ हजार से अधिक सेक्रेटरियों का भी अलग-अलग जिना में सत्रपंचों के साथ प्रशिक्षित किया गया। सरकार ने २८,७८,७५० रुपये सेक्रेटरियों की नियुक्ति के खर्च के लिए और ५२,१३,५५० रुपये गाँव सभाओं की सहायता के लिए रप दिया।

पंचायतों ने रोग, गन्दगी, निरक्षरता को दूर करने में बड़ा काम किया और सरकार की उपज बढ़ाने (Grow More Food) और जमींदारी-उन्मूलन निधि (Zamindari Abolition Fund) के प्रचार में विशेष सहायता की। ऐसे अनेक प्रमाण हैं, जिनसे यह सिद्ध होता है कि अब एक लहर सी आने लगी और पंचायतें अधिक अधिक अपने उत्तरदायित्व के बारे में सचेत हो रही हैं और वे ग्रामों की उन्नति में सलम हैं।

सरकार ने २०७ आदर्श पंचायत बनाई, एक तहसील में एक के हिसाब से। प्रत्येक जिले में आदर्श पंचायतों के निर्देशन व लिए सरकारी और गैर सरकारी व्यक्तियों की एक एक समिति बनाई गई। एक १६ महीने की योजना बनाई गई जिनमें राष्ट्रीय कार्यवाही के सभी पहलू थे। यह आशा की जाती है कि ये आदर्श पंचायतें अपने आस पास के गाँवों के लिए नमूने का काम करेंगी। मुकद्दमेनाजी बम करने में भी पंचायती प्रदालतों ने बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। समाचार है कि अब पंचायती अदालतें ग्रामीण लोगों में बहुत लोक प्रिय होती जा रहा हैं।

हमारे नई गाँव सभाएँ और उनसे सम्बन्धित मस्थाँ केवल उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, अपितु समस्त भारत के लिए गौरव का विषय बननेवाली हैं। वे राष्ट्र की आशाओं की प्रतीक हैं। इतने बड़े पैमाने पर उनकी स्थापना प्रजातन्त्र का सत्य बड़ा प्रयोग है जिनसे, वास्तव में शक्ति का विकेंद्रीकरण करके लोकतन्त्र के एक नए युग को प्रभय दिया है। ये स्थानीय सस्थाएँ ही प्रशासन और नेतृत्व के सच्चे प्रशिक्षण चक्र हैं। यद्यपि अभी हाल में ही १५ अगस्त १९४६ ई० से इन्होंने कार्यारम्भ किया है फिर अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी उन्हें अपूर्व सफलता मिली है। हमें आशा है कि इन पंचायतों के द्वारा ही गांधी जी का स्वराज्य और रचनात्मक कार्य क्रम का स्वप्न पूरा हो सकेगा।

स्थानीय स्वशासन के प्रयोग की असफलता के कारण.—जब कोई व्यक्ति यह कहे कि भारत में बीते युग में स्थानीय स्वायत्तशासी सस्थाओं के प्रयोग में सफलता नहीं मिली है तो इसका यह अभिप्राय न समझना चाहिए कि यह प्रयोग पूर्णतया असफल रहा है। ऐसा विचार करना सत्य और तथ्य के विरुद्ध होगा। जन से १९१६ ई० के सुधारों के अनुसार स्वायत्त शासन एक मन्त्री के आधीन इस्तान्तरित विषय बना तभी से नगर पालिका और जिला मण्डलियों ने काफी विरोध किया है। चुनावों में काफी घमासमी रहती रही है और उनमें कांग्रेस के भाग लेने के कारण जनता ने भी विरोध अभिव्यक्ति दिखाई है। इनमें दश भक्त, स्वार्थ-रहित व्यक्तियों ने भी भाग लिया। प्रयाग (दलाहावाद) के लोग उन सेवाओं का नहीं भुला सकते जो प० जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ की नगर पालिका के अध्यक्ष बन कर की थीं। इसी प्रकार अहमदाबाद के लोग सरदार वल्लभभाई पटेल की सेवाओं को याद रखेंगे। परन्तु कांग्रेस के इन सस्थाओं से हाथ खाने ही इनका प्रशामन उम्मीद पुरानी 'गिडगिड' में पड़ गया। इसलिए जब कभी इन स्थानीय सस्थाओं का जिक्र आए तो इनकी असफलता को सापेक्ष रूप में ही लेना चाहिये। हमारे देश में इन सस्थाओं का उतना विकास न हो सका जितना कि इसी प्रकार की सस्थाओं का पाश्चात्य देशों में।

इस तुलनात्मक, सापेक्ष असफलता के कारण ढूँढने में पूर्व यह आवश्यक है कि हम यह जान लें कि यह असफलता किम प्रकार की है। लेखक के विचार से स्थानीय सस्थाओं की असफलता इस तथ्य में निहित है कि अनिवार्य विषयों में इन्होंने विरोध अभिव्यक्ति नहीं दिखाई है। अभी तक अनिवार्य शिक्षा, रागों की संकथाम, सफाई का विशेषतया ग्राम्य क्षेत्रों में कोई उल्लाहवद्धक कार्य नहीं किया गया। गाव में कच्ची सड़कों की बहुत बुरी दशा है। सभी स्थानीय स्वशासी सस्थाओं में घूस का बाल-बाला है। कुछ नगर पालिकाओं का छोड़कर सभी म्यूनिसेपैलिटियों और विरिस्ट्रक्ट बोर्डों ने वैकल्पिक विषयों को अलग उठाकर रख दिया है। उदाहरणार्थ—आतानात के साधनों को उन्नत करने का कोई बरदम नहीं उठाया गया। जिला मण्डलियाँ इस और विशेषतः पिछड़ी हुई हैं। छोटे छोटे सिचार्स के साधनों और उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने का काफी अवसर था परन्तु इस और ध्यान ही नहीं दिया गया।

इस सबका एक कारण विछले दिनों का सरकार का रुल भी रहा है। सरकार ने इनको कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। परन्तु सरकार पर ही साथ दोष आरोपित करना पक्षपात पूर्ण होगा। इन सस्थाओं की असफलता का सकेत प्रमुख कारण लोगों में, और खास तौर से प्रतिनिधियों में, जानपद चेतना (Civic Consciousness) का अभाव है। अभी हम स्वार्थों के ऊपर सामाजिक हितों को

तरजीह देना नहीं सीख पाये हैं। निर्वाचन के समय मनदाताओं को जानपद कर्त्तव्य (Civic Duty) के बजाय जाति, धर्म और कुटुम्ब के विचारों का अधिक ध्यान रहता है। नगरों के चलाय भावों पर यह बात और भी अधिक सत्य सिद्ध होती है। गांवों के चलो से जिला बोर्ड के चुनाव में कोई भी थोड़ा प्रभावशाली व्यक्ति गजी-मार जाता है।

पिछले दिनों की पृथक् साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी स्थानीय संस्थाओं के विभाग में अत्याधिक साधक रही है। इसके कारण पदों की नियुक्ति में भी साम्प्रदायिक सूचीय भाव ही काम करते थे। अब इस विपैली पद्धति का समाप्त कर दिया गया है परन्तु कुछ दिनों इसका प्रभाव बना रहेगा। स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में उस समय तक कोई विकास न होगा जब तक इनके अधीन सेवाओं पर नियुक्ति के लिए योग्यता का कोई मापदण्ड न होगा। साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों में कुछ विशेष गुणों का होना आवश्यक है। अब स पहले प्रायः स्वार्थी लोग ही इनमें चुने जाने की आशा रखते थे। प्रतिनिधियों के लिए किसी प्रकार की योग्यता का भी मुभाव रखा जा सकता है। ग्रेजुएट न सही, कम से कम दसवां पास करना तो इनमें चुने जाने की योग्यता निश्चिन की ही जा सकती है।

पहिले इन स्थानीय संस्थाओं के लिए निर्वाचन बहुत थोड़ा व्यक्ति करते थे जिसके कारण 'प्रभावशाली' व्यक्ति आसानी से योग्य व्यक्ति को चुनाव में हरा सकते थे। अब प्राद-मताधिकार के कारण यह दाप दूर हो गया है।

स्थानीय स्वशासी संस्थाएँ एक और कारण से भी अधिक मफल न हो सकीं— इन संस्थाओं के साधन बहुत ही सीमित रहे हैं। यदि हम इन संस्थाओं से अनेक सुख सुविधाओं की आशा करते हैं तो हमें इनको उतने ही अधिक साधन और अधिकार भी देने चाहिएँ।

अन्तिम बात यह कि ये संस्थाएँ भारत के लिए नदरेन्द या और नदरे पाश्चात्य प्रणाली पर ढालने का प्रयत्न किया गया। भारतीय जनता ता प्राचीन काल में और ही प्रकार की स्थानीय संस्थाओं से परिचित थी। यदि इन संस्थाओं का अधिक-सफल बनाना है तो इनमें राष्ट्रीय प्रतिमा के अनुकूल थोड़े परिवर्तन आवश्यक हैं।

उपरोक्त बातों को ध्यानगत रखकर हमारे राज्य की सरकार ने नगर पालिकाओं और जिला मण्डलियोंमें सरोधन किये हैं। आशा है कि भविष्य में राष्ट्रीय सरकार की कुछ छाया में ये संस्थाएँ अधिक फलफूल सकेंगी।

अध्याय १८

देशी रियासतें

परिचयात्मक—हालाँकि आज भारतीय रियासतों की स्थिति उनके पुराने रूप में नहीं है और उनकी स्वतन्त्र स्थिति तथा अधिभूत सत्त्वा से उत्पन्न हुई गम्भीर समस्याओं का निराकरण अच्छी प्रकार तथा सतोपप्रद ढंग सहा गया है, फिर भी उनका कुछ वर्णन किये बिना भारतीय नागरिक जीवन तथा प्रशासन का हमारा निरीक्षण अपूर्ण रहेगा।

हालाँकि भारत सत्तार की स्वच्छतम् भौगोलिक इकाइया में से एक था और उसके निवासी एक ही सांस्कृतिक परम्परा तथा एक एव भावनाओं के एक ही बन्धन से बन्धे हुए हैं, फिर भी ब्रिटिश-युग में वह राजनैतिक दृष्टि से एक तथा अविभाज्य न था। राजनैतिक दृष्टि से वह चार निश्चित भागों—ब्रिटिश भारत, फ्रांसीसी भारत, पुर्तगाली भारत, तथा जिम जिरी अधिक उपयुक्त नाम की अनुपस्थिति में भारतीय भारत कहा जाता था—में विभाजित किया जा सकता था। इनमें न फ्रान्सीसी भारत सबसे छोटा था और इसके टुकड़े एक दूसरे से दूर दूर पड़े हुए थे। भारत तथा फ्रान्सीसी सरकार के बीच चल रही बातों के कारण फ्रान्स सरकार ने अपने उन्निवेशकों लोगों का मनगणना द्वारा यह निश्चित करने का अधिकार दे दिया है कि वे भारतीय सभ में सम्मिलित होना चाहते या फ्रान्सीसी साम्राज्य में बने रहना चाहते हैं। चन्द्रनगर के निवासियों ने तो भारत में सम्मिलित होने का निश्चय कर भी लिया है। भारत के पुर्तगाली स्वदेशों के, जिनका क्षेत्रफल लगभग १६३० वर्ग मील है, सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अभी कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है जो इन उद्देश्यों से घाता चल रही है। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय रियासतें अन्य एक ही उन्निवेश राज्य-सत्ता—भारत सभ—के भाग हैं। उनका राजनैतिक अलगाव अब सम्भव नहीं है।

रियासतों की समस्या—विनेट मिशन-याजना १९४७ की घोषणानुसार ब्रिटिश भारत की सरकार की भारतीय रियासतों के ऊपर मावभूमि-सत्ता Paramountcy समाप्त हो गयी। सभ सरकार स समझौता करके भारतीय रियासतें अपने मविध्य निर्णय के लिये स्वतन्त्र छोड़ दी गया। ब्रिटिश शासक के हट जाने तथा उसके स्थान की रिक्तता के कारण भारतीय रियासतों के कुछ शासकों में अपने को स्वतन्त्र घोषित करने का निश्चय कर लिया। सरकार की इच्छा अपने का सर्व

भौम-मत्ता (Paramount Powers) प्राप्त करने की न थी, फिर भी यह निर्भीक रियासत को स्वतन्त्र बनने की स्वीकृति नहीं दे सकती थी। ऐसा करना इतिहास द्वारा असमाये पाठ को एकदम मुला दना था। सरदार पटेल के शब्दों में, इतिहास की यह शिक्षा है कि राजनैतिक दृष्टि से देश की अनजब दुकान में विभाजित दशा तथा अपना एक सयुक्त माचा न बना सकने के कारण ही भारत को आक्रमणकारियों की एक बन्दूक दूरी लहर के सामने मुकना पड़ा। अपने पारस्परिक वैमनस्य, आन्तरिक भगावों तथा विद्वेष के कारण ही अतीत में हमारा पतन हुआ और विदेशी मत्ता का हमें कई बार शिकार बनना पड़ा। हम उन त्रुटियों तथा जालों में फिर नहीं पड़ सकते।

भारतीय रियासतों की भौगोलिक तथा राजनैतिक स्थिति ना शेष भारत से उनकी स्वतन्त्रता के पक्कड़ पकती है। मानचित्र की आर एक टापू टालने से ही यह स्पष्ट हो जायगा कि कोचीन, ट्रावनकोर तथा काठिशावाड के जलमध्य तथा कच्छ के द्वीप की कुछ रियासतों को छोड़कर भारतीय रियासतें भारत की सीमा पर स्थित एक दूरी से भूमि द्वारा परवेष्टित चेना ही श्रमला हैं। भारत से अलग रहकर वे आशात-निर्यात् द्वारा व्यापार नहीं कर सकता। इस प्रकार उनकी स्थिति भारत के साथ उनकी सर्वांगीण सहयोगी को आवश्यक तथा लाभप्रद बना देती हैं। ५ जून १९४७ को स्थापित तथा सरदार पटेल की अध्यक्षता में रहकर 'राज्य-मन्त्रिमण्डल' द्वारा भारतीय रियासतों की समस्या के हलके ढंग का मती प्रकार समझने के लिये यह तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है।

दूसरी कठिन तथा उलझी समस्या रियासतों की अत्यधिक सख्या तथा जनसख्या, वार्षिक आय इत्यादि के सम्बन्ध में उनकी अत्यधिक भिन्नता द्वारा उत्पन्न हुई। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश भारत की सरकार द्वारा प्रकाशित ज्ञापन (Memorandum) में उनकी सङ्गृह्य सख्या ६०१ है। बत्तर कमेटी रिपोर्ट में यह सख्या ५६२ है। सर बारनर ली ने अपनी 'नेटिव स्टेट्स आफ इण्डिया' में ६७३ रियासतें बतायी हैं। उनकी वास्तविक सख्या ५६२ है। ६०१ या ६७३ यह कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। अपने मतलब के लिये यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि उनकी यह सख्या बहुत अधिक थी। ब्रिटिश युग में स्वतन्त्र या अर्ध-स्वतन्त्र सत्ता प्राप्त रियासतों की इतनी बड़ी सख्या को नये ढाँचे में फिर बैठाना सचमुच बड़ी गम्भीर समस्या थी। सरदार पटेल के योग्य तथा दूरदर्शी पथ प्रदर्शन द्वारा राज्य मन्त्रिमण्डल ने समस्या का अच्छी प्रकार से मुकाबला किया और उसे प्रशासनीय ढंग से हल किया। समस्या के हल करने के ढंग के धर्यान से पहले पाठन का ध्यान स्थिति की कुछ विशेषताओं के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। रियासतों की कुल सख्या ही अत्यधिक न थी, उनमें कुछ सत्त दत्तादि में भी बड़ा अन्तर था। इन रियासतों में एक और हैदराबाद की विशाल रियासत है जिसका क्षेत्रफल ८२,७०० वर्ग मील, जनसख्या १ करोड़

६३ लाख और सालाना वसूली लगभग १० करोड़ है। तथा दूसरी ओर काठियावाड़ की रियासत है जिसका क्षेत्रफल कुछ एकड़, जनसंख्या २७ लाख सालाना वसूली ८७ रुपये थी। लगभग ६०० रियासतों में से केवल तीन के क्षेत्रफल ५०,००० वर्ग-मील से ऊपर, केवल चार का १०,००० और २०,००० वर्गमील के भीतर, नौ का १०,००० वर्गमील से कम, १६ का १००० वर्गमील से कम, १३१ का १०० वर्गमील से कम तथा १६८ का १० वर्गमील से कम था।

काठियावाड़ में २८३ रियासतें थीं जिनमें नौ बड़ी थीं, शेष २७४ की सालाना कुल की वसूली १ करोड़ ३५ लाख रुपये थी। इस पूरे घन से २७४ शासक-परिवारों का भरण-पोषण तथा २७४ अलग अलग अर्ध-स्वतन्त्र रियासतों का प्रशासन किया था। इन २८३ रियासतों का कुल क्षेत्रफल लगभग ३२,००० वर्गमील तथा उनकी कुल जनसंख्या ४ लाख थी। इस प्रकार काठियावाड़ के लोगों के लिये (बड़ी रियासतों को छोड़ कर) प्रत्येक २५ वर्ग मील या जनसंख्या के प्रत्येक ५०० के लिये एक अलग रियासत बन जाती है। १७१ छोटी रियासतों की वार्षिक वसूली जोड़ दिये जाने पर कुल संख्या ६५०,००० रुपये होती है जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक औसत वसूली ३,८१३ रुपये पड़ती है। इसी थोड़े घन से इन रियासतों के प्रशासन तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्ति की आशा की जाती है। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन से थोड़े क्षेत्रफल की अत्यधिक रियासतों की उपस्थिति से उत्पन्न हुई कठिनाई का पता इतनी स्पष्टता से चलता है जितना शब्दों द्वारा सम्भव नहीं। सन्देश में, रियासतों के विस्तार की कमी उनके प्रशासन की गठबन्दी आर्थिक रूप से पिछड़ी स्थिति तथा उनकी प्राकृतिक शक्तियों के विकास की अपेक्षा का कारण बनी।

रियासतों के प्रशासन की एक दूसरी विशेषता का भी जिक्र आवश्यक है। उनमें से प्रत्येक में छोटी या बड़ी—स्वेच्छाचारी शासन प्रचलित था और अपनी स्वेच्छाचारिता तथा स्थिति तक के लिये राजा अपनी सार्वभौम-सत्ता (Paramount power) पर निर्भर रहता था। श्रौष को छोड़ कर किसी भी रियासत में लोकमन्त्र प्रचलित नहीं था जो उनमें से कुछ ने व्यवस्थापक सभाओं या कौंसिलों को बहुत सीमित शक्तियों के साथ प्रचलित किया था। १६१६ के ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के दाय पर ही उनका निर्माण हुआ था। लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं की अनुपस्थिति तथा रियासतों के शासकों के सार्वभौम सत्ता (paramount power) पर निर्भर रहने का बरा बिनासकारी परिणाम हुआ। इसके कारण शक्ति तथा उत्तरदायित्व एक दूसरे से अलग हो गये। सार्वभौम सत्ता (paramountcy) ने राजाओं की सुरक्षा की गारन्टी तो अवश्य देदी कि लेकिन इनसे रियासतों की जनता के प्रति अच्छी सरकार क उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं की। ब्रिटिश सरकार पर निर्माता द्वारा उत्पन्न की हुई सुरक्षा

की भावना ने उन्हें अर्द्धा सरकार के निर्माण की प्रेरणा, जो विद्रोह तथा राज्यावरोध के भय द्वारा बराबर मिलती रहती है, से वञ्चित रक्ता यदि वे विजयी बल पूर्वक हथ लेने वाले कजूस, लापरवाह तथा उत्तरदायित्वहीन शासक बन गये तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? बाहरी सत्ता से दबे रहने के कारण आत्म बलों ने भी आत्मसम्मान की भावना खा दी और अपने शासकों की भाँति वे भी अधक बन गये। भारत सरकार के सामने रियासतों के प्रशासन का स्तर ऊँचा करने तथा शोषण की उस व्यवस्था के सुधार करने की समस्या थी जिसमें रियासतों की जनता ऊँचा रही थी।

छोटी-छोटी रियासतों की अत्यधिक संख्या से उत्पन्न समस्या को एकीकरण तथा शक्ति एवं उत्तरदायित्व के अन्तर से उत्पन्न हुई उस प्रकार के लोकतन्त्रात्मक सरकार की स्थापना से हल करने का प्रयत्न किया गया जैसी नये बनने वाले प्रान्तों में है। इन दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं का संचित वर्णन आवश्यक है।

एकीकरण.—भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले भी देश में यह एक जोरदार भावना थी कि छोटी-छोटी रियासतों की उपस्थिति राजनीतिक दृष्टि से अनावश्यक तथा आर्थिक दृष्टि से अव्यवहारिक थी। उन्हें अक्सर उन सामन्त युगीन स्मृद्धि-चिन्हों के रूप में प्रदर्शित किया जाता जिनका विनाश आवश्यक था। राज्य प्रजा सम्मेलन के १९३६ ई० के लुधियाना अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें छोटी छोटी रियासतों के उनसे लगे हुए प्रान्तों से एकीकरण तथा अन्य रियासतों के बची प्रशासकी इकाइयों के रूप में संगठन की मांग की गयी। ऐसा ही प्रस्ताव 1946, तथा 1947, के सम्मेलन में भी पास किया गया। इस प्रस्ताव को कार्य रूप में परिणत करने में रियासतों की जनता असहाय थी और ब्रिटिश सरकार इसको व्यवहृत करने के लिये उत्सुक नहीं थी क्योंकि भारतीय राजनीति के शतरंज बोर्ड पर उनका प्यादो के रूप में उपयोग करने की उसकी नीति के यह विरुद्ध पहला था। इण्डिया आफिस के सरकार का पक्ष लेनेवाले मिस्टर रशाब्रुक के शब्दों में यह नीति सबसे अच्छी प्रकार व्यक्त की जा सकती है। उन्होंने इस प्रकार लिखा: 'सारे भारत को छा लेने वाली इन सामन्तवादी रियासतों की स्थिति बड़ी ही रक्षात्मक है। ऐसे भूमि-क्षेत्रों में जहाँ विद्रोह की सम्भावना हो सकती है यह मैत्री पूर्ण फौजी दस्तों का विशाल जाल फैला देने के सदृश है। देशी रियासतों के इस शक्तिशाली तथा स्वामिभक्त जाल के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसी भी सार्वजनिक विद्रोह का सारे भारत में फैल जाना कठिन बन जायगा।

कुछ समय पश्चात् १९४६ में फ्राउन के प्रतिनिधि की हेसियत से लार्ड वेवल ने अपनी एकीकरण की योजना लोगों के सामने रखी जिसके अनुसार छोटी-छोटी रियासतों का अपने पड़ोस की उन बड़ी रियासतों से एकीकरण हो जायगा जिनके साथ वे भौगोलिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से सम्बन्धित थीं। यह योजना ७६०० वर्गमील तथा आठ लाख से भी ऊपर जन-संख्या पर लागू होती।

देशी रियासतें

सरकारी विज्ञान के निम्नलिखित अंशों का पठन-पाठक के लिये लाभप्रद होगा। सैकड़ों छोटी-छोटी इकाइयों की उपस्थिति से उत्पन्न होने वाली जटिल राजनीतिक तथा प्रशासन सम्बन्धी समस्याओं पर क्राउन के प्रतिनिधियों ने बहुत दिनों से बड़ा गौर किया है। उनके व्यक्तिगत प्राकृतिक स्रोतों की कमजोरी तथा पड़ोसी के साथ सहकारिता के प्रति उनकी साधारण अनिच्छा के कारण भोगोलिक, प्रशासन सम्बन्धी तथा आर्थिक दृष्टि से इतने अधिक परिमाण में टुकड़े हो गये हैं जितने देश में अन्यत्र और कहीं नहीं। इन इकाइयों की अत्यधिक संख्या होने के कारण सालाना बसूली ... ताल्लुकदारों तथा हिस्सेदारों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बड़ी कठिनाता से पूर्ति कर पाती है और इसी लिये प्रजा के हितों में व्यय किया हुआ धन भी बहुत ही अधिक सीमित रहता है निरीक्षण से यह भली भांति निश्चित हो गया है कि वर्तमान व्यवस्था में बिना कोई महत्वपूर्ण सुधार किये ग्राम्य-क्षेत्रों का किसी भी प्रकार का इच्छित विकास या किसी भी प्रकार की वास्तविक उन्नति असम्भव है। इस गद्यखण्ड में जिन रियासतों की ओर आशय है वे काठियावाड़ में था। इसमें दी हुई एकीकरण की योजना की सचमुच आवश्यकता थी लेकिन लोगों पर यह जिस प्रकार से लागू की गयी उसे न प्रजा ने पसन्द किया न शासकों ने। जो चीज विलकुल हीन की जा सकती थी या जो ढग से की गयी थी उसे सरदार पटेल को अपने अद्वितीय तथा सफल ढग से पूरा करना था। रियासतों के एकीकरण की योजना ने सरदार पटेल के कुशल हाथों में जो रूप ग्रहण किया उसका विलुप्त वर्णन आवश्यक नहीं है, केवल इतना कहना उपयुक्त होगा कि इस नाजुक तथा जटिल समस्या के उनके गांधीवादी निराकरण का काफ़ेस, रियासतों की जनता तथा शासकों सभी ने प्रशंसा की। रियासतों की प्रजा का उनमें विश्वास था क्यों कि वह उन्हें अपना मित्र एवं उदाररुचि समझती थी। शासकों को भी यह ज्ञात था कि महात्मा गांधी का अनुयायी होने के कारण सरदार पटेल की यह धारणा थी कि शासकों को हटाने की आवश्यकता नहीं, उनको यह विश्वास था कि अपने सगत अधिकारों तथा हितों की रक्षा के लिए सरदार पटेल पर भरोसा किया जा सकता था। सरदार पटेल को इस प्रकार सहायता मिली क्यों कि प्रशासकों तथा प्रशासितों के बीच बड़ा सतुलन स्थिर रख सकें और उन दोनों को यह विश्वास दिला सकते थे कि उनमें किसी के भी सगत अधिकारों की बलि न होती।

प्रशासन का एक उचित स्तर रखने तथा लोगों की आवश्यक सेवा करने में असफल छोटी रियासत या तो अपने पहास में मिलादी गया या उनको मिला कर बड़ी इकाइयों का निर्माण कर दिया गया। गुजरात की अधिकतर तथा दक्षिण की कुछ रियासतें बम्बई में तथा मद्रास प्रेसिडेन्सी की रियासतें मद्रास के साथ सम्मिलित कर दी गयीं उसी प्रकार मध्यभारत, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश की रियासतें भी इन प्रान्तों में

क्रम से मिला दी गयीं। काठियावाड़ की रियासतों को मौराष्ट्र सभ, पूर्वी पंजाब की रियासतों को पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य सभ, शिमला पहाड़ी की रियासतों को हिमाचल प्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर तथा अन्य मालव रियासतों को मध्य भारत तथा बुन्देलखण्ड की रियासतों को विन्ध्य प्रदेश में परिवर्तन कर दिया गया। रियासतों का सब से बड़ा सभ राजस्थान है। हैदराबाद, मैसूर, जम्मू और काश्मीर अपनी अलग अलग इकाई बनने के लिये काफी बड़ी रियासतें थीं। भापाल, त्रिपुरा तथा कुछ अन्य रियासतों का न तो पड़ोसी प्रान्तों के साथ एकीकरण हुआ है और न वे किसी की इकाई के रूप में संगठित हैं। वे केन्द्र द्वारा शासित रियासतों में हैं और पहली अनुसूची (Schedule) के भाग (ग) में सम्मिलित हैं।

एकीकरण का यह कार्यक्रम सरदार पटेल द्वारा रियासतों में की हुई रज्जहीन क्रान्ति का एक पहलू है। दूसरा तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण पहलू नये बने सभों के प्रशासन का लोकतन्त्रीकरण है। अंग्रेजी सार्वभौम सत्ता (Paramountcy) की समाप्ति के पहले केवल कुछ ही रियासतों में प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएँ रहीं। अलग स्थिति वाली प्रत्येक रियासत तथा रियासतों के प्रत्येक सभ में अलग-अलग संस्थाएँ की स्थापना हो गयी है। पुराने सामन्तशाही शासन का स्थान जन प्रिय सरकार ने लिया है। भारतीय सभ की सभी इकाइयों में आज लगभग एक ही शासन की एक ही प्रणाली है।

विश्व इतिहास में जिसकी सम्मति कटिनार्ड से मिलेगी ऐसी इस 'रज्जहीन क्रान्ति', संगठन तथा लोकतन्त्रीकरण का बहुत कुछ श्रेय उन राजाओं पर है जिन्होंने एक ओर अपने तथा भारत सरकार के बीच तथा दूसरी ओर अपने तथा अपनी प्रजा के बीच नवीन यथा तत्कालगत सम्बन्ध की आवश्यकता समझी। उन्होंने अपना अन्य भारतीय सभ के साथ सम्मिलित करने तथा अपनी प्राचीन एवं परम्परागत शासन प्रणाली को बदलने का निश्चय किया। इस सम्बन्ध में स्वयं सरदार पटेल के शब्द उद्धृत करना उपयुक्त होगा। १९४८ की जनवरी के अन्त में अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा 'देश के एक तिहाई भाग की इस रज्जहीन क्रान्ति के लिये मैं जनता को पर्याप्त श्रेय देता हूँ लेकिन इस स्थिति के निर्माण में शासकों ने हमारे तथा जनता के साथ जिस ढंग से सहयोग किया है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मुझ में अधिक और किसी की भी इस बात का ज्ञान नहीं कि उनके स्वेच्छा पूर्ण सहयोग तथा उनकी प्रयुक्त किन्तु दश की स्वतन्त्रता के साथ अभी-अभी विकसित होने वाली देश भक्ति के बिना इन सभ की प्राप्ति असम्भव थी।'

राज्य सभों की शासन प्रणाली—जैसा कि पाठक को स्पष्ट हो गया होगा कि

पुरानी रियासतों में से बड़ी तथा छोटी रियासतों के एकीकरण से, निर्मित नये सभ पहली अनुसूची के भाग 'ख' में रखे गये हैं। जहाँ तक शासन प्रणाली का सम्बन्ध है वह पहली अनुसूची के भाग 'क' में गिनायी गयी रियासतों के ही अनुरूप है। भाग 'अ' के रियासतों के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्याय से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्ध (Provision) भाग 'ख' भी रियासतों पर भी लागू होते हैं।

राजप्रमुख का वही स्थान है जो अन्य प्रान्तों में गवर्नरों का। कार्यपालिका सम्बन्धी शक्ति राजप्रमुख जो गवर्नर के स्थान पर हो उसकी सहायता के लिये एक मन्त्र परिषद का विधान है। विधान मंडल में राजप्रमुख तथा एक सदन (House) रहेगा, केवल मैसूर में दो सदन होंगे। इन रियासतों में चू कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरथा में अग्रिम दिन से नहीं है इसलिये सविधान की प्रारम्भ से दस वर्षों के लिये कार्यपालिका को सभ की सरकार के निरीक्षण में रखना उचित समझा गया है।

चुनी पुस्तक-सूची (Select Bibliography)

- एन्डरसन, जी०
 बोस, एस० एस०
 बेनर्जी डी० एन०
 हार्ने एफ० ए०
 क्रेला पुत्र
 लोहरी एण्ड बेनर्जी
 पालेरड एम० आर०
 राम शंकर प्रसाद
 सिंह गुरुमुख निहाल
 समू टी० बी०
 सप्रे
- एरोरो एफ० सी०
 इल्वर्ट
 एडी एण्ड लेटन
 जोशी जी० एन०
 खान एस० ए०
 मसानी एण्ड चिन्तामणि
 शाह के० टी०
 शाह के० टी०
 गुरुमुख निहाल सिंह
- पानीकर
 -
 रघुवीर सिंह शास्त्री
 वर्मिग
 एलिसन
 इण्डियन र्दयर बुक
- अवर कान्स्टीट्यूशन
 डेवलापमेंट आफ द डियन पालिटी
 दि वर्किंग कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया
 दि इ डियन कान्स्टीट्यूशन
 दि पालिटीनल सिस्टम आफ ब्रिटिश इंडिया
 दि वर्किंग आध डायार्की इन इण्डिया
 दि इण्डियन नान्स्टीट्यूशन, -ए सप
 इण्डियन एड्मिनिस्ट्रेशन
 इण्डिया, सोशल एण्ड पर्सनल
 लेण्ड मार्क्स इन इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल
 एण्ड नेशनल डीवैलपमेंट
 इण्डियन कान्स्टीट्यूशन
 ग्राय आफ इण्डियन कान्स्टीट्यूशन एण्ड
 एड्मिनिस्ट्रेशन
 दि न्यू कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया
 दि न्यू कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया
 दि न्यू कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया
 दि न्यू कान्स्टीट्यूशन आफ इण्डिया
 इण्डिया फेडरेशन
 दि इण्डियन कान्स्टीट्यूशन ऐट वर्क
 प्राविशी पल ऐटानमी
 फ्रीडरल स्ट्रक्चर
 इण्डियन स्टेटस
 इण्डियन स्टेटस रीतिशक्म आफ
 इण्डियन स्ट्रेम आफ विद दी
 गवर्नमेंट आफ इण्डिया
 इण्डियन स्टेटस एण्ड दि न्यू रिजिम
 दि इण्डियन स्टेटस
 पोलिटीकल इण्डिया
 इण्डिया